अंक 51

राजभाषा भारती

अक्तूबर-दिसंबर 1990

हिन्दी दिवस विशेषांक

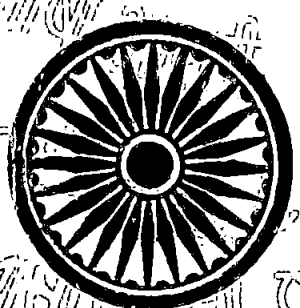

राजभाषा विभाग
गृह मंत्रालय, भारत सरकार
नई दिल्ली

भाषा भारती

हिंदी दिवस के अवसर पर विशेष

भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का संदेश

भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने संविधान में हिंदी को संघ की राजभाषा स्वीकार कर लिए जाने के बाद अक्तूबर 1949 में संविधान सभा के सदस्य डॉ. मोटूरि सत्यनारायण को भेजे गए अपने संदेश में देशवासियों से 'राष्ट्रभाषा की उन्नति बढ़ाने और उसकी सेवा करने का आह्वान किया।

संदेश

विधान परिषदने राष्ट्रभाषा के विषय में निर्णय कर लिया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि कुछ व्यक्तियों को इस फैसले से दुख हुआ। कुछ संस्थाओंने भी इसका विरोध किया है। परंतु, जिस प्रकार अन्य बातोंमें मतभेद हो सकता है, उसी प्रकार इस विषयमें भी यदि मतभेद है और रहे तो उसमें कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। विधानमें कई ऐसी बातें हैं जिनसे सबको संतोष होना असंभव है। परंतु एक बार यदि विधानमें कोई चीज शामिल हो जाये तो उसको स्वीकार कर लेना सबका कर्तव्य है कमसे कम जब तक कि ऐसी स्थिति पैदा न हो जाये जिसमें सर्व सम्मतिसे या बहुमत से फिर कोई तबदीली हो सके।

हमें यह मानना पड़ेगा कि जिस प्रकार हिंदी के भक्त उसको राष्ट्रभाषा की पदवी दिलाना चाहते थे, उसमें उनके असमर्थ रहनेका कारण केवल यही था कि हिंदीका प्रचार उस उच्च दृष्टि, उदारता, और उत्साह से नहीं हुआ जैसा कि होना चाहिये था। अब जब कि हिंदी को राष्ट्रभाषाकी पदवी मिल गई है (यद्यपि कुछ वर्षोंके लिये एक

..जारी कवर पृष्ठ दो

राजभाषा भारती

राजभाषा विभाग की त्रैमासिकी

वर्ष : 13
अंक : 51

आश्विन-— अग्रहायण 1912 शक
अक्तूबर-दिसंबर 1990

संपादक

डॉ. महेशचन्द्र गुप्त डी. लिट.
निदेशक (अनुसंधान)
फोन : 617807

☐

उप-संपादक

डॉ. गुरुदयाल बजाज
फोन : 698054

पत्रिका में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार एवं दृष्टिकोण संबंधित लेखक के हैं। सरकार अथवा राजभाषा विभाग का उनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।

☐

निःशुल्क वितरण के लिए

☐

पत्र-व्यवहार का पता :

संपादक, राजभाषा भारती,
राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय,
लोकनायक भवन (11 वां तल)
खान मार्केट, नई दिल्ली-110003

अनुक्रम

संपादकीय
पाठकों के पत्र

☐ **चिंतन** — पृष्ठ

1. राष्ट्रभाषा : राजभाषा : संपर्क भाषा — जगदम्बी प्रसाद यादव — 01
2. सभी भारतीय भाषाओं की संपर्क लिपि देवनागरी — सुरेंद्रलाल मल्होत्रा — 02
3. बैंकों में 60% कार्य हिंदी में — रवि प्रकाश — 04
4. दक्षिण के लिए हिंदी नई नहीं है — डॉ. भीमसेन 'निर्मल' — 06
5. कैसी हिंदी ? — आचार्य राधागोविन्द थोडाम — 08
6. संक्षेपों की निर्माण प्रक्रिया — डॉ. चंद्रा सायता — 09
7. अंग्रेजी-हिंदी पारिभाषिक शब्दकोश निर्माण में डॉ. रघुवीर का योगदान — डॉ. रमेश चंद्र शुक्ल — 14
8. केंद्रीय लोक निर्माण विभाग में हिंदी कैसे आई — राजेंद्र कुमार गर्ग — 16
9. विश्वविद्यालयों में हिंदी का प्रयोग कैसे बढ़े — जगन्नाथ — 18
10. नेहरु : शैक्षिक एवं भाषिक चिंतन — रमेश चंद्र राठौर — 21
11. गणेशशंकर विद्यार्थी : हिंदी पत्रकारिता के सजग प्रहरी — डॉ. दिलीप सिंह — 24

☐ **साहित्यिकी**

12. राष्ट्रीय एकता के संदर्भ में पूर्वांचल में हिन्दी की भूमिका — डॉ. जगमल सिंह — 27

☐ **पुरानी यादें : नए परिप्रेक्ष्य में**

13. जिन्होंने सिंहासन पर बैठते ही "राजभाषा" हिंदी की घोषणा की — डॉ. राजेश कुमार उपाध्याय — 30

☐ **विश्व हिंदी दर्शन**

अभिमन्यु अनत — एक बातचीत — सतीशचंद्र अग्रवाल — 31

☐ **समिति-समाचार**

(क) हिंदी सलाहकार समितियों की बैठकें 34

1. औद्योगिक विकास विभाग 2. खान विभाग 3. संसदीय कार्य मंत्रालय
4. श्रम मंत्रालय 5. सूचना और प्रसारण मंत्रालय 6. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय
7. योजना आयोग 8. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(ख) नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकें 47

1. मद्रास (बैंक) 2. पोर्ट ब्लेयर 3. मणिपुर-इंफाल 4. सिलचर
5. तिरुवनंतपुरम (बैंक) 6. वारंगल 7. हैदराबाद 8. विजयवाड़ा 9. हुबली
10. गांधी धाम 11. नागपुर (बैंक) 12. पुणे (बैंक) 13. बोकारो
14. झांसी 15. भोपाल 16. जबलपुर (बैंक) 17. इंदौर 18. ग्वालियर
19. मेरठ 20. आगरा 21. कानपुर

(ग) अन्य राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकें 68

1. गृह मंत्रालय 2. बैंकिंग प्रभाग 3. आयकर आयुक्त, जालन्धर प्रभार
4. आकाशवाणी-धारवाड़ 5. आकाशवाणी-औरंगाबाद 6. आकाशवाणी लखनऊ
7. रक्षा लेखा नियंत्रक (दक्षिण), बेंगलूर 8. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, दिल्ली

☐ **राजभाषा सम्मेलन/संगोष्ठियां** 75

1. द्वितीय अखिल भारतीय बैंक राजभाषा सम्मेलन
2. पुणे में राजभाषा के माध्यम से वैज्ञानिक संगोष्ठी
3. कंप्यूटरों पर देवनागरी में कार्य : संगोष्ठियां
4. राष्ट्रीय अस्मिता और हिंदी (विचार गोष्ठी)
5. नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र, हैदराबाद में राजभाषा सम्मेलन
6. भारी पानी संयंत्र, कोटा में हिंदी संगोष्ठी

☐ **हिंदी के बढ़ते चरण** 81

1. केंद्रीय विद्युत मण्डल-1 बम्बई में राजभाषा के बढ़ते चरण
2. लघु उद्योग सेवा संस्थान, इंफाल (मणिपुर) में हिंदी की प्रगति

☐ **हिंदी दिवस / सप्ताह समारोह** 83

☐ **हिंदी कार्यशालाएं** 136

☐ **विविधा** 140

○ कंप्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम ○ समाचार दर्शन
○ प्रेरणा पुंज ○ राजभाषा प्रोत्साहन/पुरस्कार योजना
○ परीक्षाएं/प्रशिक्षण और हिंदी माध्यम ○ पुस्तक समीक्षा

☐ **आदेश-अनुदेश** 149

संपादकीय

राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए बनाए गए वर्ष 1990-91 के वार्षिक कार्यक्रम में पहली बार विदेशों में स्थित भारतीय कार्यालयों/दूतावासों/मिशनों इत्यादि में हिंदी के प्रगामी प्रयोग को दृष्टि में रखकर वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। लेखन-सामग्री, नामपट्ट, सूचना पट्ट, फार्म, प्रक्रिया, सम्बन्धी साहित्य, मोहरें आदि हिंदी में भी बनाए जाने के प्रावधान के साथ-साथ पत्रिकाओं में हिंदी खण्ड रखे जाने का प्रावधान भी किया गया है।

प्रसंगगत सभी कार्यालयों में देवनागरी का कम-से-कम एक टाइपराइटर, एक हिंदी टाइपिस्ट अथवा हिंदी आशुलिपिक तैनात करने के लिए कहा गया है।

प्रत्येक मिशन अथवा दूतावास में स्थानीय भाषा से हिंदी में और विलोमतः निर्वचन की व्यवस्था की अपेक्षा की गई है। हिंदी में पत्राचार का लक्ष्य फिलहाल न्यूनतम 10% रखा गया है, किन्तु यह विशेष अपेक्षा की गई है कि जिस देश की भाषा अंग्रेजी नहीं है, उनके साथ हिंदी में पत्राचार शुरु किया जाए। आवश्यकता होने पर उनकी भाषा में रुपान्तर भेजा जा सकता है। राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) में उल्लिखित सभी कागजात हिंदी में भी अवश्य तैयार किए जाने चाहिएं।

उक्त व्यवस्थाओं को ध्यान में रखकर त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट का का एक प्रपत्र भी निर्धारित कर दिया गया है जिसमें उल्लिखित कार्यालयों को अपनी रिपोर्ट भेजनी चाहिएं। आशा है कि सम्बन्धित मंत्रालय/विभाग/उपक्रम/बैंक आदि विदेशों में स्थित अपने कार्यालयों से त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट मंगवाना और उसकी समीक्षा करना सुनिश्चित करेंगें ताकि हिंदी में कामकाज होने लगे।

गत वर्षों की भांति 14 सितम्बर को हिंदी दिवस के अवसर पर अथवा इस दिन से प्रारंभ होने वाले हिंदी दिवस/सप्ताह/पखवाड़ा/मास आदि आयोजित किए गए हैं। इन आयोजनों में कर्मचारियों/अधिकारियों ने सोत्साह भाग लिया। इन समारोहों के अंतर्गत--अनुवाद, भाषण, श्रुतलेख, प्रश्नोत्तरी, कविता-पाठ, हिंदी गीत, हिंदी निबन्ध, कहानी लेखन, सामान्य ज्ञान अंत्याक्षरी वाद-विवाद, वाक्, आशुलिपि/टंकण, टिप्पण/प्रारुप लेखन, आदि विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं की गईं। अनेक हिंदी सेवी संस्थाओं/विश्वविद्यालयों में कार्यरत विद्वानों/हिंदी प्राध्यापकों आदि का स्तुत्य योगदान उनके भारतीय भाषा अनुराग को उजागर करता है। विश्वास है कि इन बहुविध आयोजनों से सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रयोग त्वरित गति से बढ़ेगा। ये सब साधन हैं और लक्ष्य है हिंदी में कामकाज की मात्रा बढ़ाना।

अनेक संस्थाओं ने राजभाषा हिंदी में तकनीकी एवं गैर-तकनीकी विषयों पर संगोष्ठियां/परिचर्चाएं आयोजित की हैं। आकाशवाणी तथा दूरदर्शन के विभिन्न केन्द्रों ने इस अवसर पर परिचर्चाएं आयोजित कीं और राष्ट्रीय नेताओं के संदेश प्रसारित किए। दूरदर्शन केन्द्र द्वारा "भारत की वाणी" नामक वृत्त-चित्र भी दिखाया गया। देश के विभिन्न कार्यालयों/उपक्रमों/बैंकों/संस्थाओं आदि ने हिंदी दिवस/सप्ताह/समारोहों के विवरण राजभाषा भारती में प्रकाशनार्थ भेजे हैं। इन आयोजनों के आलेख इतनी अधिक संख्या में प्राप्त हुए हैं कि इन सभी को प्रस्तुत अंक में दे पाना संभव नहीं है। हिंदी दिवस सम्बन्धी अधिकांश सूचनाएं प्रस्तुत अंक में हैं, शेष को राजभाषा भारती के अगले अंक में देने का प्रयास रहेगा।

भारत के प्रथम उपप्रधान मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देशवासियों से, राष्ट्रभाषा के प्रचार-प्रसार और उसकी सेवा करने का आह्वान किया था। पाठकों के ज्ञानवर्द्धन हेतु अक्तूबर, 1949 में प्रातः स्मरणीय पटेल जी द्वारा दिए गए संदेश को आवरण-पृष्ठ दो और तीन पर दिया जा रहा है। 'चिंतन' स्तम्भ के अंतर्गत 'राष्ट्रभाषा : राजभाषा : संपर्क भाषा' के मुददे पर श्री जगदम्बी प्रसाद यादव का लेख दिया गया है। बैंककर्मी श्री रवि प्रकाश ने 'बैंकों में 60% कार्य हिंदी में' करने के लिए अपने विचार प्रकट किए हैं। डॉ. भीमसेन निर्मल की मान्यता है कि दक्षिण के लिए हिंदी नई नहीं है' तो मणिपुर के आचार्य राधागोविंद थोंगाम् ने यह बताने का प्रयास किया है कि 'कैसी हिंदी' होनी चाहिए। डॉ. रमेश चन्द्र शुक्ल ने पारिभाषिक शब्दकोष के निर्माण में डॉ. रघुवीर के योगदान को रेखांकित किया है तो डॉ. चन्द्रा सायता ने 'संक्षेपों की प्रक्रिया' का सूक्ष्म विवेचन किया है। श्री जगन्नाथ ने अपने लेख में 'विश्व-विद्यालयों में हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए कुछ दिशा-निर्देश दिए हैं। इसके अतिरिक्त अन्य अधिकारी विद्वानों के लेख भी "चिंतन स्तंभ" में सम्मिलित हैं।

रीवा नरेश महाराजा वेंकटरमन सिंह ने सन् 1895 में सिंहासनारुढ़ होते ही राजभाषा हिंदी की घोषणा और सरकारी स्तर पर 6 माह में कार्यान्वयन का लक्ष्य रखा। डॉ. राजेश कुमार उपाध्याय ने इन सब तथ्यों का खुलासा 'पुरानी यादें-नए परिप्रेक्ष्य' स्तम्भ के अंतर्गत प्रस्तुत लेख में किया है। 'विश्व हिंदी दर्शन' स्तम्भ के अंतर्गत हिंद महासागर में अवस्थित लघु भारत मॉरीशस में हिंदी एवं भारतीय संस्कृति के बारे में श्री सुरेशचन्द्र अग्रवाल की मॉरीशस के लब्धप्रतिष्ठ साहित्यकार अभिमन्यु अनत से हुई बातचीत लिपिबद्ध की गई है। अन्य स्थायी स्तम्भों यथा-'समिति समाचार', 'राजभाषा सम्मेलन/संगोष्ठियां', 'हिंदी के बढ़ते चरण', 'हिंदी कार्यशालाएं' 'आदेश-अनुदेश' और 'विविधा' स्तम्भ के अंतर्गत विविधतापूर्ण सामग्री जुटाने का प्रयास किया गया है। आशा है सुधी पाठकों को प्रस्तुत अंक पसंद आएगा।

"राजभाषा भारती" पत्रिका के बारे में पाठकों की प्रतिक्रिया इसे संवारने-निखारने में सहायक होती है। अतः पाठकों के सुझावों/विचारों की हमें प्रतीक्षा रहेगी।

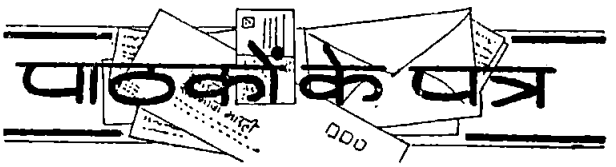

राजभाषा भारती अंक---48 भारत सरकार के कार्यालयों व उपक्रमों में हो रही विभिन्न राजभाषा सम्बन्धी गतिविधियों व राजभाषा के प्रचार-प्रसार में हो रही तकनीकी खोजों पर विस्तृत प्रकाश डालती है, जिससे इस क्षेत्र से जुड़े हुए हिंदी अधिकारियों व राजभाषा अधिकारियों को काफी सुविधा मार्गदर्शन मिलता है।

पत्रिका के कुशल व नियमित प्रकाशन के लिए शुभकामनाएं।

---एस. लक्ष्मी कुमारी,
प्रागा टूल्स लि.,
पो. बा. 1570, सिकन्दराबाद---500380

□

पत्रिका में भारत में स्थित मंत्रालयों, उपक्रमों और बैंकों में राजभाषा के कार्यकलापों को अत्यंत सुंदर ढंग से संयोजित किया गया है। पत्रिका सुरुचिपूर्ण है। पत्रिका का संपादन कार्य उच्चकोटि का है।

---प्रबन्धक, केनरा बैंक, कार्मिक विभाग,
नवीन कम्पलैक्स, 14, एम. जी. रोड, बेंगलूर---560001

□

राजभाषा विभाग द्वारा प्रकाशित "राजभाषा भारती" (त्रैमासिकी) का जनवरी-मार्च, 90 अंक देखने को मिला। इस अंक के संपादकीय में वर्णित विचार दो टूक हैं। यह देखा गया है कि हिंदी पुस्तकालयों के लिए हल्के स्तर की पुस्तकें खरीदकर खानापूर्ति कर ली जाती है, जबकि उत्कृष्ट पुस्तकें अच्छे पुस्तकालय की आत्मा है। मौलिक लेखन को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा चलाई जा रही योजना का महत्त्व निर्विवाद है और इस योजना के अधीन पुरस्कृत पुस्तकों को खरीदकर इस कार्य को और व्यापक स्वरूप दिया जा सकता है।

इस अंक में प्रकाशित श्री यादव का लेख "विश्व मंच और हिंदी" तथा हिंदी में विज्ञान कथा साहित्य" लेख जानकारीप्रद हैं, साधुवाद।

---अ. गौरम्मा, सहायक निदेशक,
खादी और ग्रामोद्योग आयोग,
पो. बा. नं. 362, गांधी भवन, हैदराबाद

□

त्रैमासिकी "राजभाषा भारती" का जनवरी-मार्च, 1990, अप्रैल-जून, 1990 अंक भुवनेश्वर स्थित क्षेत्रीय कार्यालय कर्मचारी राज्य बीमा निगम में देखने को मिला। विभिन्न प्रकार के उपयोगी सामग्रियों से परिपूर्ण ये अंक उत्कृष्ट कोटि के हैं, अतः हमारी बधाई स्वीकार करें।

---विष्णु चरण परिड़ा,
भारतीय खाद्य निगम,
क्षेत्रीय कार्यालय, भुवनेश्वर

□

राजभाषा भारती (त्रैमासिकी) का नियमित पाठक हूं, क्योंकि हिंदी के प्रयोग प्रचार-प्रसार की जानकारी के लिए यह कोश का कार्य करती है।"

---जगदम्बी प्रसाद यादव, पूर्व संसद-सदस्य
एकाशी, मुंगेर (बिहार)

□

राजभाषा भारती नाम से त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन किया जा रहा है, जिसमें पूरे देश में राजभाषा कार्यान्वयन सम्बन्धी नवीनतम जानकारी, विचारपूर्ण लेख एवं राजभाषा विभाग के अद्यतन आदेश प्रकाशित किए जाते हैं। अतः हमारे पुस्तकालय के लिए यह पत्रिका अत्यन्त उपयोगी है। इसकी सारगर्भित जानकारी हमारे सदस्यों के लिए लाभप्रद सिद्ध होगी।"

---बी. रामचन्द्रन, सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक,
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, हुबली---580028

□

राजभाषा विभाग द्वारा प्रकाशित राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार के दृष्टिकोण से दोनों पत्रिकाएं अत्यंत ही महत्त्वपूर्ण स्थान रखती है। इन पत्रिकाओं के माध्यम से राजभाषा से सम्बन्धित नवीनतम जानकारियां मिल जाती हैं तथा इसके अनुरूप कार्यालयों में अनुप्रयोग करने में भी सहायता मिलती है। यह पत्रिकाएं निःसंदेह राजभाषा कार्यान्वयन के लिए प्रेरणापुंज है।"

---राजेन्द्र कुमार जैन, अधिशासी अभियंता
केन्द्रीय जल आयोग,
ब्राह्मणी सुवर्णरेखा मंडल, प्लाट सं. ए-13/14
पो. वाणी विहार, भुवनेश्वर---751004

□

राजभाषा भारती अंक-48 पढ़ने को मिला, इससे महत्त्वपूर्ण जानकारियां हीं नहीं मिलती, किन्तु हिंदी के सम्बन्ध में किए जा रहे विभिन्न कार्यों का ज्ञान भी होता है कि शासन किस प्रकार हिंदी को उसके पद पर प्रतिष्ठित करने हेतु विशद बहुमुखी तैयारियां करने में सजगता से संलग्न है। विश्वमंच पर हिंदी का आयाम लेख पढ़कर हिंदी के विश्वरूप के दर्शन हुए। पत्रिका के सभी स्तम्भ हिंदी प्रगति के दिव्य दर्पण हैं जो यह कहते सुने जाते हैं कि ?

"सब भाषाएं मां की ममता, सब है अपनी वाणी
सब में सब मिल एक बनें हम, हिंदी सबकी नानी"

राजभाषा भारती का अंक एक ऐसा अभिलेख भंडार है जिसमें हिंदी की प्रगति के विभिन्न आयामों के शासकीय प्रयासों के हीरे, नीलम आसानी से प्राप्त किए जा सकते हैं। यह पत्रिका न तो हिंदी के प्रति द्रोह प्रकट करती है और न मोह, पर आज देश को हिंदी की आवश्यकता क्यों है, इसे पुष्ट प्रमाणित करती है।

—प्रद्युम्न दास वैष्णव, राष्ट्रभाषा कुटीर
मु.पो. पञ्चरापाली, पिन—493558 (म.प्र.)

□

राजभाषा भारती अंक—47 में दी गई विषय-वस्तु अत्यन्त लाभप्रद एवं सराहनीय है जो राजभाषा के क्षेत्र में कार्य कर रहे विभिन्न कर्मियों के लिए प्रेरणास्पद है। साथ ही पंजाब नेशनल बैंक के उप महाप्रबन्धक श्री वेंकटाचलम श्रीनिवासन से लिया गया साक्षात्कार अत्यंत सराहनीय एवं समस्त बैंकों के कर्मियों को प्रेरणा देने वाला है। साक्षात्कार को जिस ढंग से प्रस्तुत किया गया है, वह जहां बैंक के हिंदी प्रशिक्षण की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी देता है वहीं इस बात के लिए प्रेरित भी करता है कि अगर अहिंदी भाषियों द्वारा इतने अच्छे ढंग से हिंदी में कार्य किया जा सकता है तो हिंदी भाषियों द्वारा अपना कामकाज हिंदी में करने में कोई कठिनाई नहीं आ सकती है।

साक्षात्कार में श्री वासन की हस्तलिपि को प्रस्तुत करना एक नई शुरुआत है।

—डॉ. शैलेन्द्र, संपादक, 'आलोक'
पंजाब नेशनल बैंक, अंचल कार्यालय, 'चंडीगढ़'

□

राजभाषा भारती का अंक—48 अपने आप में विशिष्ट है। सम्पूर्ण भारत में कार्यरत केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/उपक्रमों में राजभाषा के क्षेत्र में उनकी सतत प्रगति की महत्त्वपूर्ण उपलब्धियों की जानकारी परस्पर प्रेरणादायक सिद्ध हो रही है।

श्री रमेश नीलकमल कारखाना—लेखा पक्ष से जुड़े होते हुए भी राजभाषा के कार्यान्वयन के प्रति एक समर्पित सिपाही हैं। भारतीय रेलों में पत्रिका प्रकाशन पर इनके आलेख की सुगंध भारतीय रेल में राजभाषा की अभूतपूर्व प्रगति का दिग्दर्शन करवाती है। भारत के परमाणु विद्युत गृहों में "संरक्षा" पर श्री दिलीप भाटिया का आलेख जन-सामान्य को संरक्षा के प्रति अधिक जागरूक एवं निडर बनाएगा। 'चिंतन' के अंतर्गत डॉ. नरेश कुमार का "शब्दार्थ के नए आयाम" शीर्षक आलेख पाठकों का चिंतन व्युत्पत्ति परक बनाता है। ऐसे एक आलेख को प्रत्येक अंक में स्थान दिया जाना चाहिए।

अनेक प्रकार के सुन्दर फूलों से सुसज्जित राजभाषा भारती रूपी गुलदस्ता अत्यंत ही मोहक एवं आकर्षक बन गया है। आशा है कि यह महान यज्ञ आप द्विगुणित उत्साह से जारी रखेंगे।

इस पत्रिका को भारत सरकार के सभी कार्यालयों में भेजा जाना आवश्यक है।

—रमेश चन्द्र शुक्ल,
परमाणु ऊर्जा विभाग, नाभिकीय ईंधन सम्मिश्रण,
ई.सी. आई.एल. डाकघर, हैदराबाद—500762

□

राजभाषा भारती" का अंक—48 मुझे नए रूपरंग में प्राप्त हुआ, धन्यवाद, राष्ट्र में राजभाषा हिंदी के बहुमुखी विकास, विषय-वस्तु से सम्बन्धित कार्य-गति-विधियों, राजभाषा विभाग के आदेश इत्यादि... संदेश पहुंचाने वाली प्रमुख हिंदी पत्रिका राजभाषा भारती में भारी पानी संयंत्र (तूतीकोरन) प.ऊ.वि. के हिंदी दिवस समारोह की रिपोर्ट प्रकाशित कराकर हम तक भेजने का आपने जो कार्य किया है, वह सराहनीय है।

पत्रिका की सफलता के लिए शुभकामना।

—नरसिंह राव, हिंदी अधिकारी,
परमाणु ऊर्जा विभाग, भारी पानी संयंत्र,
तूतीकोरन (तमिलनाडु)—682007

□

राजभाषा विभाग" से राजभाषा भारती के अंक—48 प्राप्त हुआ। राजभाषा भारती में विश्व मंच और हिन्दी-भाषा और वाणी, शब्दार्थ के लिए आयाम हिन्दी में विज्ञान कथा साहित्य, समय प्रबन्धन, विश्लेषण, पंजाबी भाषा साहित्य और राजभाषा तथा अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी संगोष्ठी में सम्मिलित जानकारी के प्रकाशित होने से हिन्दी के प्रचार प्रसार तथा विकास में क्रमशः विकास हो रहा है। राजभाषा विभाग के अंतर्गत संबंधित मंत्रालयों को हिन्दी सलाहकार समिति की बैठक में हुए निर्णय की जानकारी को संकलित कर प्रकाशित

होने से स्थिति स्पष्ट हो रही है । राजभाषा सम्मेलन तथा हिन्दी सप्ताह, हिन्दी कार्यशाला की उपलब्धियों के प्रकाशन से हिन्दी के बारे में सामान्य वर्ग तक जानकारी मिल रही है ।

–डॉ. वीरेन्द्र कुमार दुबे
1595, नेपियर टाऊन, जबलपुर, 482001

□

राजभाषा भारती अपनी भूमिका से पूरी तरह आश्वस्त ही नहीं करती, बल्कि, राजभाषा के प्रयोग की प्रेरणाएं भी देती हैं। पूरे देश में हो रहे विकास, प्रचार-प्रसार के कार्यों का वर्णन एवं जानकारियों से भरी यह पत्रिका पढ़ना अत्यधिक जरूरी है।

– बलदेव वंशी
ए–3/283, पश्चिम विहार, नई दिल्ली-63

□

राजभाषा भारती का अक्तूबर–दिसम्बर, 1989 का अंक 47 प्राप्त हुआ, अतीव प्रसन्नता हुई। पत्रिका के कलेवर आद्योपांत पठन किया। समस्त सामग्री बौद्धिक तथा ज्ञानवर्द्धक प्रतीत हुई। विश्म्भर प्रसाद गुप्त "बंधु" का निबन्ध" राजभाषा हिन्दी : समस्याएं और समाधान बेहद पसन्द आया। संजय कुमार मखीजा ने अनुवाद में मौलिकता तथा डॉ. आर. के. मान ने "अनुवाद की समस्याएं" के माध्यम के पाठकों को उपयुक्त सामग्री प्रदान की है। विविध स्तरों व क्षेमों के राजभाषा हिन्दी की विभिन्न गतिविधियों से अवगत कराने के "राजभाषा भारती" एक महान दायित्व को सफलता से निभा रही है।

– डॉ. शहाबुद्दीन नियाज मुहम्मद शेख
काजी बिल्डिंग, नेवासा – 414603
जिला अहमदनगर (महाराष्ट्र)

□

राजभाषा भारती की अप्रैल-जून, 1990 की एक प्रति प्राप्त हुई। राजभाषा हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने में यह पत्रिका सहायक एवं उपयोगी है। हिन्दी के प्रचार-प्रसार हेतु किए जा रहे प्रयासों की सम्यक व पूर्ण जानकारी इस पत्रिका से प्राप्त होती है। आपका प्रयास स्तुत्य एवं अभिनंदनीय है।

– उमेश चन्द्र सिंह, राजभाषा अधिकारी,
क्षेत्रीय कार्यालय, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया,
ग्वालियर (म. प्र.)

□

राजभाषा भारती का प्रत्येक अंक विशेषांक एवं संदर्भ ग्रंथ का रूप धारण कर रहा है। उसमें दुर्लभ तथा उपादेय सामग्री रहती है। मैं इस पत्रिका से अत्यन्त प्रभावित एवं प्रसन्न हूं। इसके लिए मेरा साधुवाद स्वीकार कीजिए।

– डॉ. लक्ष्मीनारायण दुबे
ब–6, प्रोफेसर्स बंगले, गौर नगर,
सागर विश्वविद्यालय, सागर - 470003

□

राजभाषा भारती केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के लिए एक अत्यंत ही उपयोगी एवं महत्त्वपूर्ण पत्रिका है एवं हिन्दी प्रयोग के प्रति कर्मचारियों को निरंतर प्रेरित करने का एक सशक्त माध्यम है।

– कमांडेंट, सिगनल ग्रुप केन्द्र
के. रि. पु. ब., रांची (बिहार)

□

राजभाषा भारती का अंक 48 प्राप्त हुआ, धन्यवाद। समाचार सूचनाएं, टिप्पणियां लेख तथा पुस्तक समीक्षा पढ़कर प्रसन्नता हुई। सारे लेख ज्ञानवर्द्धक व उपयोगी हैं। मैं मानता हूं कि राजभाषा भारती हिन्दी को क्रियान्वित करने वाली विविध संस्थाओं को जोड़ने वाली एक महत्त्वपूर्ण पत्रिका है।

– किशोरी लाल व्यास नीलकंठ
रीडर, हिन्दी विभाग,
ओसमानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद 500007

□

राजभाषा भारती अंक–48 की साज-सज्जा चित्ताकर्षक आवरण और पठनीय लेखों से परिपूर्ण, देश-विदेश की हिन्दी संबंधी जानकारी से भरपूर और देश के मंत्रालयों कार्यालयों व उपक्रमों के आपसी सहयोग की माध्यिका यह पत्रिका निश्चय ही राजभाषा की प्रगति के लिए एक सराहनीय कदम है।

पत्रिका में निहित सामग्री, राजभाषा संबंधी नियम व आदेश इसे और भी उपयोगी व परिपूर्ण बना देते हैं। इसे देखकर लगता है कि राजभाषा विभाग निश्चय ही राजभाषा कार्यान्वयन के लिए अपने कर्त्तव्यों के प्रति सजग रूप से कार्य कर रहा है तथा हिन्दी भाषा का कार्य देश व विदेशों में धीरे धीरे अपना स्थान ग्रहण कर रहा है।

– राजेन्द्र झा, संयुक्त निदेशक
तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग,
साबरमती, अहमदाबाद

□

राजभाषा भारती अपने बैंक के प्रधान कार्यालय में देखने का अवसर मिला। राजभाषा के बारे में आधिकारिक तौर पर इतनी सामग्री अन्य स्थान पर लगभग असंभव है।

– उपेन्द्र नाथ त्रिपाठी, राजभाषा अधिकारी
यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय,
53, ए खाखेल नगर, भुवनेश्वर (उड़ीसा)

□

राजभाषा भारती में भाषा के प्रयोग में जो तकनीकी कठिनाइयां सामने आती हैं उन पर चिन्तनशील लेख अधिकृत विद्वानों के प्रकाशित कर आप राष्ट्रभाषा की अप्रतिम सेवा कर रहे हैं।

हमारे मंच के साथियों को यह देखकर प्रसन्नता हुई है कि अब तमिलनाडू में भी बहुत से लोग अंग्रेजी के मोह से मुक्त होकर अपनी राष्ट्रभाषा हिन्दी को अपनाने के लिए तत्पर होते जा रहे हैं।

– कैलाश कल्पित, महामत्री,
अखिल भारतीय हिन्दी प्रतिष्ठापन मच,
381, बहादुरगंज, इलाहाबाद - 3

□

राजभाषा भारती त्रैमासिकी का अंक देखा, काफी रुचिकर लगी, राजभाषा हिन्दी के कार्यकलापों के लिए काफी प्रेरणादायक एवं सूचनाप्रद प्रतीत हुई।"

– श्री टी. एन. त्रिवेदी
पुस्तकालयाध्यक्ष एच. ए. एल. केन्द्रीय
पुस्तकालय कोरवा प्रभाग, डॉ एचएएल
अमेठी सुलतानपुर – 227412

□

राजभाषा भारती के कुछ अंकों का अवलोकन करने पर हमने पाया है कि उक्त पत्रिका राजभाषा प्रयोग को बढ़ाने की दिशा में सहायक सिद्ध हो सकती है। साथ ही भारत सरकार के विभिन्न उपक्रमों में राजभाषा से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों, प्रयासों की जानकारी भी उक्त पत्रिका से प्राप्त होती है।

– बी. बी. मलशेटटी, उप महाप्रबन्धक,
राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक,
सी–93, सुभाष मार्ग, सी-स्कीम,
जयपुर–302001

□

वास्तव में "राजभाषा भारती" की संपूर्ण सामग्री व चिंतन तथा मनन करने योग्य है। केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा हिन्दी प्रचारक कार्य संबंधी विस्तृत जानकारी इन पत्रिकाओं के माध्यम से हम हिन्दीतर प्रदेश के हिन्दी प्रेमियों को "गागर में सागर" के समान मिल रहा है।

– प्रकाश कुमार विद्यालंकार, महासचिव,
हिन्दी प्रचार समिति, जहीराबाद

□

80×13 = 1040 + 15 = 1055
60×10 = 600
1055 + 600 = 1655

राष्ट्रभाषा : राजभाषा : सम्पर्कभाषा

हिन्दी के बढ़ते सक्षम कदम

☐जगदम्बी प्रसाद यादव*

विकासशीलता हिन्दी का प्राकृत गुण है, इसकी जीवंतता का लक्षण है, जीवन के नाना विधि व्यापारों की अभिव्यक्ति के लिए व्यवहृत होने वाली वह प्रत्येक भाषाएं जो अपना संसर्ग दूसरी भाषाओं से बनाए रखती है और ज्ञान के नित-नूतन संदर्भों से जुड़ती रहती है, अपनी जीवंतता बनाए रखती है और विकसित होती रही है। इस हिन्दी की दो विशेषताएं हैं—व्यवहार धर्मिता और गतिमयता इसकी विकासशीलता को सूचित करता है।

हिन्दी एक ओर प्रौढ़ होती जा रही है और दूसरी ओर इसका प्रसार होता जा रहा है। पहली स्थिति इसकी अर्थगर्भिता की सूचक है और दूसरी इसकी व्यापक स्वीकृति की। पहली इसकी अंतरंग विकास का द्योतक है तो दूसरी बहिरंग की। इस कारण यह समृद्ध और प्रभाव शालिनी बनती जा रही है। संविधान की राजभाषा होने के कारण यह अपनी विशेष दायित्व और यह विभिन्न भारतीय भाषाओं के बीच सम्पर्क की भूमिका निभाती है। इसमें संख्यात्मक और गुणात्मक दोनों गुण हैं। व्यावहारिक धरातल पर भाषिक सम्पर्क और इसके माध्यम से पारस्परिक सहयोग की भूमिका तैयार कर रही है। हिन्दी में साहित्य की नाना विधाओं की रचना हो रही है और विशेष विधाओं के लिए उपयुक्त भाषा और शब्दावली का विधान भी है। आज ज्ञान अनन्त विस्तार हो वाणी देने के कठिनतम कार्य को भी हल करती जा रही है।

विदेशी शासन ने इसे शिक्षा और कार्य व्यवहार में माध्यम के रूप में उभरने नहीं दिया था फिर भी वह अपनी ऊर्जा से शक्ति ग्रहण करती हुई—जन जन के सहयोग से राष्ट्र भाषा का रूप ग्रहण करती गई। हां, आधुनिक यांत्रिकता के युग में हिन्दी का तीव्रतम विकास होता स्वतंत्र सरकार अपनी सरकार में भी शिक्षा और व्यवहार कार्य में माध्यम का स्थान नहीं मिलने के कारण व्यावसायिक जगत् में इसकी अनुपयोगिता नहीं सिद्ध हो रही है—वांछित दिशा में वांछित गति नहीं पा रही है। यह प्रबल प्रमाण है कि शिक्षा के क्षेत्र में जहां माध्यम के रूप में जुड़ी वहां-वहां इसका पर्याप्त विकास हुआ, जैसे स्नातक स्तर तक और जहां-तहां स्नातकोत्तर में भी पुस्तकें उपलब्ध हैं, चाहे वे कला, विज्ञान हो। अब भी तकनीकी, आयुर्विज्ञान जैसे क्षेत्र अधूरे हैं। आज आवश्यकता यह है कि लक्ष्य भाषा की ऐसी आधारभूत सामग्री तैयार होनी चाहिए जिसमें वांछित विषयों की अभिव्यक्ति हो सके। मौलिक चितन लेखन की नींव पड़ रही है। अब से अपनी बात अपनी भाषा में कहनी है।

आज का युग अवलंबन का है और विकसित देशों में भी इतरदेशीय भाषाओं में लिखे गए साहित्य से लाभ उठाया जाता है। हिन्दी को विधागत विशेष ज्ञान के प्रस्तुतीकरण के साथ-साथ अंतर्देशीय भाषा के रूप में अपना रही है और पनप भी रही है।

अब हिन्दी के पास सब प्रकार की अभिव्यक्ति के लिए शब्दावली है और ये व्यापक भी पर प्रयोग में लाने पर ही शब्द ग्रहणीय एवं सहज होते हैं, हिन्दी में मां संस्कृति की महिमा से संसार के किसी भी भाषा से अधिक इसमें नए शब्दों की रचना की क्षमता है तथा विविध ज्ञान शाखाओं के लिए पारिभाषिक शब्दावली तैयार हो गई है। महिमामयी महादेवी वर्मा जी तृतीय विश्व हिन्दी सम्मेलन के अवसर पर स्व. प्र. मं. श्रीमती इन्दिरा गांधी के इस उक्ति का कि हिन्दी को और समर्थ बनने के संकेत पर कहा कि भाषा प्रयोग होने पर उसमें सूक्ष्म जटिल और गहन भावों और विचारों को अभिव्यक्त करने और उन्हें सुबोध बनाने की शक्ति प्रगट होती है तथा अनुकूल शब्दावली के साथ ही उसमें उक्ति लाघव की शक्ति से सम्पन्न होती है। कहीं-कहीं शाब्दिक अनुवाद की भाषा बनने के कारण कहीं-कहीं अप्राकृतिक और उसकी सहज सम्भावनाएं भी कुंठित होतीं हैं। अपने प्राकृत स्वभाव को छोड़ कर अंग्रेजी वाक्स विन्यास और शब्दावली के पीछे मक्खीमार रूप में भटकने के कारण कृत्रिम रूप बन जाता है। हिन्दी की प्रकृति की रक्षा करते हुए उसके विकास और संवर्धन के दूसरे उपायों का सहारा लेना चाहिए।

हिन्दी की क्षमता ग्रहण करने से बढ़ी है और दूसरों की ऋणी बन कर धनी बन रही है यह इसकी उदारता भी है। इसने अपने देश की सहचरी भाषाओं के शब्द ग्रहण को प्राथमिकता दी है तब दूसरे विदेशी शब्दों को भी यह तब और भी अच्छा हो जब हिन्दी तर भाषी आवश्यकतानुसार अपनी भाषा के शब्दों को हिन्दी के बनावट में डाले। हिन्दी शब्दों में अर्थव्यंजकता, संक्षिप्तता उच्चारण सुकरता और नाद समता के कारण शीघ्र

··· जारी पृष्ठ 3 पर ···

*पूर्व सांसद्, एकाशी, (मुंगेर)

सभी भारतीय भाषाओं की संपर्क लिपि – देवनागरी

☐ सुरेंद्र लाल मल्होत्रा*

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी स्वीकार की गई है। भारत में अनेक भाषाएं हैं और हज़ारों की संख्या में उपभाषाएं और बोलियां हैं। इन सबका अपना एक विशिष्ट अस्तित्व और महत्व है। इन सभी भाषाओं और उपभाषाओं को जोड़ने, देश की एकात्मकता और अखंडता के लिए जहां एक ओर एक सम्पर्क भाषा का अपना महत्व है, वहीं दूसरी ओर इन्हें एक लिपि में पिरोने की भी बहुत आवश्यकता है।

नागरी लिपिक प्राचीनतम लिपियों में से एक है। अशोक की राजभाषा पाली का आधार भी नागरी लिपि ही था जिसे इसका प्राचीन रूप कहा जा सकता है अर्थात् नागरी का प्राचीन रूप जो उसके शिलालेखों की लिपि से मिलता है और जो विक्रम सम्वत् से लगभग 200 वर्ष पूर्व का है और काठियावाड़ से उड़ीसा और नेपाल की तराई से मैसूर तक अनेक स्थानों तक मिला है।

आधुनिक नागरी 10वीं शताब्दी इं. की प्राचीन नागरी का ही विकसित रूप है। जिस प्रकार संस्कृत से हिंदी के विकास के मध्य प्राकृत और अपभ्रंश दो मुख्य सोपान हैं, उसी प्रकार ब्राह्मी से नागरी के विकास के मध्य भी गुप्त लिपि एवं कुटिल लिपि के दो मुख्य सोपान हैं जिससे लगता है कि भारतीय आर्य भाषा और भारतीय आर्य लिपि दोनों का विकास साथ-साथ हुआ हो।

कुछ व्यक्तियों का यह मत रहा है कि हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के लिए रोमन लिपि को अपनाया जाए। परन्तु यह कहना असंगत न होगा कि रोमन लिपि में हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं की विशिष्ट ध्वनियों को मूर्त रूप देने और लिखने की पूर्ण क्षमता नहीं है। इसके विपरीत देवनागरी लिपि एक वैज्ञानिक लिपि है और भावों को मूर्त रूप देने की इसमें अद्भुत क्षमता है। मराठी, गुजराती, पंजाबी, उड़ीसा, बंगला, असमिया आदि भारतीय आर्य भाषाएं बिना किसी कठिनाई के देवनागरी में लिखी जा सकती हैं। अन्य भाषाएं अर्थात् तमिल, तेगुलू कन्नड़ और मलयालम भाषाओं को भी देवनागरी में लिखने की पूर्ण क्षमता विद्यमान है।

*उप सम्पादक, राजभाषा विभाग, नई दिल्ली

समस्त भारत के लिए एक भाषा और एक लिपि की नितान्त आवश्यकता है। नागरी लिपि में सम्पूर्ण भाषाओं की सम्पर्क लिपि बनाने की क्षमता है। देवनागरी लिपि देश भर में प्रचलित और वैज्ञानिक है, इसलिए उसे देश भर की भाषाओं की लिपि के रूप में माना जा सकता है। राज राममोहन राय, लोकमान्य तिलक, महात्मा गाधी, मदनमोहन मालवीय, काकासाहेब कालेलकर जैसे नेताओं और विद्वानों की भी ऐसी ही मान्यता थी।

संघ की राजभाषा के रूप में हिन्दी के स्वीकृत होने तथा विभिन्न राज्यों की अपनी-अपनी भाषाओं को प्रतिष्ठा मिल जाने के बाद देवनागरी को देश की सामाजिक संस्कृति की अभिव्यक्ति का अतिरिक्त माध्यम बनाने के लिए इसमें भारतीय भाषाओं के मानक लिप्यंतरण की आवश्यकता का अनुभव किया गया।

देवनागरी एक वैज्ञानिक लिपि है और इसमें ध्वनियों का बाहुल्य है, फिर भी वह देखना होगा कि भारतीय भाषाओं में ऐसी कौन-कौन सी और कितनी ध्वनियां हैं जिनके लिए वर्तमान देवनागरी में स्वतंत्र वर्ण उपलब्ध नहीं हैं, इस संदर्भ में इस बात का विश्लेषण तटस्थ रूप से करने की आवश्यकता है कि नागरी लिपि की भारतीय संदर्भ में क्या भूमिका है?

भारतीय संविधान की अपेक्षाओं के अनुरूप देवनागरी की विकसित और प्रसारित करने के कार्य का दायित्व भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालय केन्द्रीय हिंदी निदेशालय को सौंपा गया है। सभी भारतीय भाषाओं की विशिष्ट ध्वनियों को व्यक्त करने के लिए केन्द्रीय हिंदी निदेशालय ने विशिष्ट चिह्न विकसित किए और सभी भाषाओं के वर्णों के सही उच्चारण संक्षिप्त करने के लिए और देवनागरी में भाषा की विशिष्ट ध्वनि को व्यक्त करके लिखने के लिए निदेशालय ने परिवर्द्धित देवनागरी विकसित की और मानक देवनागरी वर्णमाला का प्रकाशन किया। इनके अनुसार देवनागरी में जो वर्ण एक से अधिक रूपों में लिखे जाते थे उनके स्थान पर प्रत्येक वर्ण का एक ही मानक रूप तैयार किया गया। देवनागरी में अन्य भारतीय भाषाओं की जिन विशिष्ट ध्वनियों के लिए लिपि चिह्न नहीं थे उनके लिए लिपि चिह्नों का निर्धारण किया गया। निदेशालय द्वारा परिवर्द्धित देवनागरी नामक एक पुस्तिका प्रकाशित की गई और सभी विश्वविद्यालयों, स्वैच्छिक हिंदी संस्थाओं तथा मंत्रालयों और विभागों को इस परिवर्द्धित देवनागरी का उपयोग करने का आग्रह किया।

देवनागरी को विकसित करने के लिए नागरी लिपि परिषद् और अन्य स्वैच्छिक हिंदी संस्थाएं अत्याधिक प्रयत्नशील हैं परन्तु इस संबन्ध में अभी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। भारतीय भाषाओं के साहित्य को देवनागरी में लिप्यंतरण करके यदि प्रकाशित किया जाए तो न केवल हम भाषायी अनेकता में एकता स्थापित करने में सफल हो सकेंगे, बल्कि हम सभी भाषाओं के निकट भी पहुंच पाएंगे। देश की एकता और अखण्डता के लिए भी सभी भारतीय भाषाओं के साहित्य को देवनागरी में परिवर्तित कर प्रकाशित करने की भी बहुत आवश्यकता है। जनमानस में देवनागरी का प्रचार अपने आप में एक अहम् कार्य है।

देश के भाषाविद् और वैज्ञानिक इस बात पर सहमत और और एकमत हैं कि आज के परिप्रेक्ष्य में सभी भारतीय भाषाओं को लिखने के लिए एक संपर्क लिपि का होना बहुत जरुरी है और यह लिपि देवनागरी ही हो सकती है। □

राष्ट्रभाषा : राजभाषा : सम्पर्क भाषा

(पृष्ठ 1 का शेष)

ग्रहण करने में सरल है। अब हिन्दी शब्दकोष का विपुल भंडार तो हो ही गया है साथ ही इसमें नये शब्दों की रचना शक्ति भी पर्याप्त है। अठारहवीं शताब्दी के अन्त में बर्लिन अकादमी द्वारा आयोजित शीर्ष प्रतियोगिता में डा. बेनिस ने घोषणा की थी भाषा मात्र एक वस्तु नहीं मानव जाति की बौद्धिक एवं नैतिक जीवन की अभिव्यक्ति है। मनुष्य की अभिलाषा, भावनाओं और सांस्कृतिक प्रगति के साथ उसमें तदनुरुप परिवर्तन होते रहें। माधुर्य सूक्ष्मता, शक्ति स्पष्टता एवं ओज से सम्पन्न होना जीवित भाषा का अनिवार्य लक्षण है।

प्रो. फर्गुसन ने विकसित भाषा पर गहराई से विचार किया लिखित रूप में प्राप्त जिस भाषा में:—

— आपसी पत्र व्यवहार होता हो

— पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित होती हों,

— मौलिक पुस्तकों का लेखन कार्य होता हो।

हिन्दी इस तर्क कसौटी पर सफल है।

आगे जो कहा गया है कि वैज्ञानिक साहित्य निरन्तर प्रकाशित होता रहा और अन्य भाषाओं में हुए वैज्ञानिक कार्य का अनुवाद तथा सार संक्षेप प्रकाशित हो इसके हिन्दी में भविष्य के लिए अनंत संभावनाएं निहित हैं।

श्री हागने ने विकसित भाषा के जो चार तत्व स्वीकार किया है उनमें से "आधुनिकता पर विशेष बल दिया है—आधुनिकता के तात्पर्य है—शब्दावली में वृद्धि तथा नई शैली तथा अभिव्यक्तियों का विकास—इस कसौटी पर भी हिन्दी खरी उतरती है।

हिन्दी भाषा कल्प तरु है जो आस्थापूर्वक मांगा जाता है—वह हिन्दी देती है। अगर उससे कुछ मांगा ही न जाय क्योंकि वह पेड़ से लटका नहीं दीखता, तो कल्पतरु वृक्ष भी कुछ नहीं देता। प्रमुख भाषा विद हिन्दी की अपूर्व क्षमता तथा सामर्थ्य में विश्वास करते हैं;

— हिन्दी इसी मिट्टी की बोली है—जिसमें इसकी सुगंध प्रवाहित होती है—अरबी व फारसी से अधिक जन मानस के निकट है।

— भारतीय भाषा में कोई भी मानवीय भावना व्यक्त करने की पूर्ण सामर्थ्य है और क्षमता है और उच्चतम वैज्ञानिक शिक्षा के लिए उपयुक्त है, सक्षम है।

— हिन्दी के पास ऐसा शब्दकोश और अभिव्यक्ति की ऐसी सामर्थ्य है जो अंग्रेजी से किसी प्रकार कम नहीं।

— यही (हिन्दी) एक भाषा है जिसमें दो विभिन्न प्रांतों के लोग आपस में बात कर सकते हैं और तीर्थों तथा व्यापार में करते रहे हैं। यह भारत में सर्वत्र समझी जाती है, क्योंकि इसका व्याकरण भारत की अधिकांश भाषाओं को समान है और इसका शब्द कोष सबकी सम्मिलित संपत्ति है।

रामायण और महाभारत धारावाहिक को दूरदर्शन पर न सिर्फ सम्पूर्ण भारत बल्कि नेपाल, बंगला, देश पाक तथा सभी उन स्थानों में जहां भारतीय मूलक लोग हैं और जहां राम कृष्ण को अपना राष्ट्र पुरुष माना जाता है। श्रद्धा से प्रेम हैं देखा गया। आवश्यकता है कि रामायण व महाभारत के समान कृति हिन्दी में लिखे जाएं। मानक भाषा को शक्ति सम्पन्न बनाने के लिए लोक भाषा ही खान का काम करती है, पर इसका विस्तार और विकास राजभाषा के रूप में जब राज काज एवं व्यवहार जगत में हिन्दी राजभाषा के पूर्णतः मूलरूप में प्रयोग हो। भ्रम का जाल टूटे—सही राष्ट्रीय दृष्टि अपनायी जाए तथा भारतीय संस्कृति और अस्मिता की रक्षा करते हिन्दी का सर्वत्र प्रयोग कर भारत देश विदेश में अपना स्वतंत्र पहचान बनाये—आज इसी काम की पूरी आवश्यकता है। □

75 × 12 = 900
85 × 12 = 1020
13 × 12 = 156
= 2076

बैंकों में 60 प्रतिशत कार्य हिन्दी में

☐ रवि प्रकाश*

भारत सरकार के गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार "ग" क्षेत्र के कार्यालयों को कम से कम 20% पत्राचार हिन्दी में करना है। "ग" क्षेत्र में यह मान कर चला जाता है कि इस क्षेत्र में हिन्दी अभी सीखी जा रही है और यहां उक्त कार्य-लक्ष्य भी एक कठिन कार्य है। केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में जहां टिप्पण आलेखन के अतिरिक्त पत्राचार ही कार्य का स्वरूप है वहां 20% लक्ष्य प्राप्त करना उतना कठिन नहीं। लेकिन बैंकीय कार्यों में वस्तुस्थिति कुछ भिन्न है। पत्राचार तो बैंक कार्य का केवल 25% भाग है और वह भी प्रशासनिक कार्यालयों तक ही सीमित है। लेकिन शाखा स्तर के 75% कार्य निम्न लिखित हैं जिनके लिए वार्षिक कार्यक्रम में कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया। अलग-अलग बैंकों के इन कार्यों के अपने-अपने लक्ष्य हैं।

सामान्य तथा शाखा स्तर पर निम्न प्रकार के कार्य होते हैं :—

1. सभी प्रकार के आवक/जावक पंजिकाओं में प्रविष्टियां।
2. सभी प्रकार के जमा खातों में प्रविष्टियां।
3. सभी प्रकार के बही खाता, लेजर बहियों में प्रविष्टियां।
4. भुगतान/प्राप्तियां स्क्रोल में प्रविष्टियां।
5. लेखन-सामग्री, फर्नीचर पंजिका में प्रविष्टियां।
6. प्रेषण पंजिका में प्रविष्टियां।
7. ड्राफ्ट, चेक आदि का लिखा जाना।
8. दैनिक बही का लिखा जाना।

बैंकिंग कार्य प्रणाली

बैंकों की अपनी एक सुस्पष्ट और निश्चित कार्य-प्रणाली है। बैंकों का अधिकांश कार्य शाखा स्तर पर होता है और वह प्रशासनिक कार्यालयों के कार्यों से भिन्न है। इस प्रकार बैंक में दो स्तरों पर दो अलग-अलग कार्य होते हैं। हिन्दी पत्राचार का यदि कोई लक्ष्य रखा जाए तो शाखाओं से जहां केवल 25–50 पत्र प्रति माह जाते हैं। केवल एक या दो पत्र लिखकर काम चला सकती हैं। इस प्रकार यह लक्ष्य शाखा स्तर पर शाखा के केवल 25% कार्य या उससे भी कम कार्य को अपने साधन के लिए चुनता है और शाखा कार्य का एक बड़ा भाग बिल्कुल अछूता रह जाता है।

तात्पर्य यह है कि शाखा का रोजमर्रा का सीधा–सादा कार्य जिसे सुविधाजनक रूप से हिन्दी में किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है– आवश्यक लक्ष्य के अभाव में सर्वथा अछूता एवं महत्वहीन हो गया है जबकि यह बैंक का मूल कार्य है और इससे जनता का संपर्क भी होता है।

बैंकीय कार्य प्रणाली के अनुसार प्रशासनिक कार्यालयों में हिन्दी – पत्राचार – प्रतिशत आसानी से बढ़ाया जा सकता है यदि कार्यालय में आवश्यक रूप से हिन्दी टंकण मशीन, हिन्दी टंकक, हिन्दी अनुवादक एवं हिन्दी अधिकारी सहित मूलभूत सुविधाओं से सुसज्जित पूर्ण विभाग हो। यहां यदि फिलहाल विधि एवं ऋण विभाग को छोड़ दिया जाय तो हिन्दी पत्राचार कम से कम 50% तो किया ही जा सकता है – ये मेरा अपना अनुभव है।

चूंकि बैंक का मूल कार्य शाखा स्तर पर है अतः हिन्दी कार्य लक्ष्य निर्धारण के संदर्भ में बैंकीय कार्यों की चर्चा करते हैं। शाखा स्तर पर बैंकीय कार्यों को चार मोटे भागों में बांटा जा सकता है।

1. विलेखों की प्राप्ति एवं पंजिका/बहियों में प्रविष्टि

किसी भी प्रकार के विलेख की प्राप्ति के साथ ही शाखा में एक निश्चित प्रकार की प्रक्रिया आरम्भ हो जाती है। अधिकतर कार्य रबड़ की मोहरें से आरम्भ होता है, और पंजिका/बहियों में दिनांक, क्रमांक, नाम, स्थान, राशि नामे, जमा की प्रविष्टि होती है। यह सारी प्रक्रिया बंधी – बंधाई है और प्रतिदिन इसकी पुनरावृत्ति होती है जिसे कोई भी कर्मचारी बड़ी आसानी से समझ सकता है और भाषा के अत्यंत साधारण ज्ञान के बाद भी उतनी ही क्षमता के साथ कर सकता है जितनी क्षमता के साथ अंग्रेजी में करता है। चूंकि बैंकिंग प्रणाली पहले केवल समाज के विशिष्ट वर्ग तक ही सीमित थी, वह अपनी भाषा भी साथ ले आई और आज तक हम वही भाषा अपनाए चले जा रहे हैं। हम यहां उन संभावनाओं पर विचार कर रहे हैं कि क्या यह सब कार्य हिन्दी में हो सकता है? यदि कठिनाई है तो क्या है? क्या हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान, हिन्दी कार्यशाला प्रशिक्षण से यह कार्य संभव है? क्या हमने हिन्दी शिक्षण – प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम में इस ओर ध्यान दिया है? क्यों नहीं कार्यशाला प्रशिक्षण में हम कर्मचारियों को सीधे इसके लिए तैयार कराएं?

इन सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत ही सरल है। मैं समझता हूं कि इस प्रकार हम उनमें हिन्दी में कार्य करने की मान-

*राजभाषा अधिकारी, आन्ध्र बैंक, आंचलिक कार्यालय, भुवनेश्वर

सिकता तैयार कर सकते हैं और हिन्दी के पैर जमाने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम होगा। अब तक पंजिका, बहियों में हमें केवल अंग्रेजी ही देखने को मिली, उसे चालू, रखना आसान था और इसे चालू रखा गया। जब हम शाखाओं के लिए उक्त हिन्दी प्रशिक्षण से एक पंक्ति आरम्भ करेंगे तो कल इस कार्य को बढ़ावा दिया जा सकता है और हिन्दी आसानी से अंग्रेजी का स्थान ले सकेगी। यह कोई न अलग से खर्चे की बात है ना ही अतिरिक्त समय की मांग का सवाल है। वास्तव में दिये जाने वाले प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम में आवश्यकतानुसार फेर बदल से यह कार्य बहुत ही सरल है। कठिनाई तो केवल इतनी है कि अंग्रेजी परस्त वर्ग को इसकी आवश्यकता, महत्व और बैंकिंग भविष्य की ओर से आस्वस्त करना होगा कि किंचित समन्वय से यह सारा परिवर्तन भाषा संक्रमण की सारी कठिनाइयों को आसानी से सफलतापूर्वक लांघ जाएगा।

2. वाउचरों का लिखा जाना

वाउचरों को लिखने में ठीक यही नियम लागू होता है। नियमानुसार सभी वाउचर द्विभाषिक होते हैं या होना चाहिए इन वाउचरों में कुछ एक खाता शीर्ष होते हैं और विवरण। नामे, जमा के लिए एक सा ही विवरण (नैरेशन) होता है। हिन्दी कार्य शालाओं की कक्षाओं में मैंने यह प्रयोग किया था और यह अत्यंत ही सफल रहा। दो एक बैंकिंग शब्दावली और वाक्यांशों की सहायता से सभी प्रकार के वाउचरों को हिन्दी में अभिव्यक्त करना प्रशिक्षार्थियों को सरल लगा। यह उनके विचार में सुविधाजनक भी था। हिन्दी भाषा की सरलता के न जाने हम कितने दावे करते हैं लेकिन जहां इस सरलता का लाभ उठाना है, वहां क्यों प्रयोग नहीं करते? पर्याप्त बैंकिंग शब्दावली हमारे पास उपलब्ध है जिसे हमें प्रशिक्षण में और प्रशिक्षण सामग्री के माध्यम से उन्हें पहुंचाना है। सबसे महत्त्वपूर्ण है कि कर्मचारियों में हिन्दी में काम करने के लिए विश्वास उत्पन्न करना। इस प्रकार का प्रशिक्षण तभी उपयोगी है जब हम इसके लिए एक माहौल तैयार करें और सभी स्तर से विशेषकर उच्चाधिकारियों से प्रोत्साहन मिले। अन्यथा यह सभी प्रयोग और प्रशिक्षण केवल अंधेरे में लाठी चलाने जैसा ही है।

3. ऋण प्रस्ताव व जवाबी कार्रवाई

बैंकिंग स्वरूप प्रक्रिया के एक निश्चित स्वरूप में ऋण संबंधी सभी दस्तावेजों में एकरूपता है। नियमानुसार ये भी द्विभाषी हैं या होने चाहिएं। आज तक हम अपनी सुविधा के लिए इनमें भरे जाने वाले विवरणों को अंग्रेजी में भरवाते रहे या स्वयं अंग्रेजी में भरते रहे। दोषारोपण इसका उद्देश्य नहीं है। जैसा कहा गया वैसा कराया जाता रहा। जैसा होता रहा वैसा हो रहा है। यदि कोई हिन्दी जानता भी है तो उससे अंग्रेजी में भरवाना या अंग्रेजी न जानने पर स्वयं अंग्रेजी में भरना और हस्ताक्षर लेना अपना काम जहां आसान कर देता है वहां ग्राहक बैंकिंग प्रणाली से सर्वथा अनभिज्ञ ही रह जाता है या अल्प शिक्षित होकर बैंक के लिए कई कठिनाइयां उत्पन्न कर देता है जिससे हम नित-दिन दो चार होते रहते हैं। क्या इस समस्या का समाधान नहीं है।

ऋण प्रस्ताव पर टीका-टिप्पणी (प्रोसेसिंग) के लिए भी वही सब उपाय अपनाए जा सकते हैं। लेकिन एक जगह आकर गाड़ी रूक ही जाती है—उच्चाधिकारियों की मेज पर। यह एक ऐसी समस्या है जिसका हल उन्हें स्वयं ही निकालना है। कुछ एक कठिनाइयों के बारास्ता चलाई गई गाड़ी उच्चाधिकारियों के सिगनल के अभाव के आगे बढ़ ही नहीं सकती बल्कि सारे किए कराए पर पानी भी फिर सकता है। कार्यालय का यही पहलू गंभीर है और कार्यान्वयन का सारा दायित्व इसी पर निर्भर करता है। यही कारण है कि लोग जानते, समझते, बूझते हुए अपने कार्यकाल में इस अनावश्यक रिस्क या जोखिम मानते है और चालू स्थिति को जारी रखने को बाध्य होते हैं। यह कोई बिल्ली के गले के घंटी बांधने की बात नहीं है बल्कि व्यवस्था की गाड़ी को हिन्दी की पटरी पर लाने की बात है। वर्ग बैंकिंग से समाज अभिमुख बैंकिंग या समूह बैंकिंग की अवधारणा करने वाला प्रबुद्ध वर्ग क्या इस बात से इंकार कर सकता है कि यह अत्यंत ही सरल व सुगम राह है जिसके अभाव में उनकी इस अवधारणा को कितनी कठिनाई के कार्यान्वित किया जा रहा है और इससे जनता अभी कितनी दूर है। यह अन्तराल क्योंकर स्वीकार्य है? यह एक राष्ट्रीय शोध का विषय है। आर्थिक कार्यक्रमों की सफलता के, अर्थव्यवस्था के सुधार के तथ्यीय आंकड़ों के तमाम दावों के बावजूद भी इस तथ्य को नकारा नहीं जा सकता।

4. प्रलेखन

वर्तमान दुरूह न्यायिक प्रक्रिया और कानून तक सीमित लोगों की पहुंच अपने आप एक जटिल समस्या है। इसके रहते बैंकों में साधारण स्नातकों से अपेक्षित प्रलेखन का कार्य एक कठिन कार्य है। सामान्य बैंकिंग के प्रशिक्षण का एक बड़ा हिस्सा प्रलेखन के पलू पर केन्द्रित होने के बाद भी आए दिन कोई न कोई समस्या उठ खड़ी होती है। भाषा यहां पर तब तक महत्त्व नहीं रखती जब तक कानून की प्रक्रिया जटिल है। सभी भाषाओं के यह समस्या जैसी की तैसी बनी रहेगी। कई मामलों के अधिकारियों, कर्मचारियों द्वारा सामान्य नियमों के पालन न करने या गैर जिम्मेदारीपूर्ण रवैये के उत्पन्न प्रलेखन की समस्या का हल दूसरा ही है। इसके अतिरिक्त यह तो अंतिम चरण है और कार्य का दशांश है। हम निसंदेह इस विषय पर भी विस्तृत चर्चा कर सकते हैं बशर्ते प्रथम तीन चरणों के हम अपनी भाषा स्थापित करें।

शेष पृष्ठ 7 पर

80×11 = 880
62×11 = 685
1565

दक्षिण के लिए हिन्दी नई नहीं है···

□ डॉ. भीमसेन निर्मल*

उत्तर भारत के हिन्दी विद्वानों में यह भ्रमपूर्ण धारणा है कि महात्मा गांधी ने हिन्दी प्रचार के अभियान को प्रारंभ करने से पूर्व दक्षिण भारत हिन्दी भाषा से अनभिज्ञ एवं अपरिचित था। इस गलत धारणा का निराकरण कर, यह प्रमाणित करना कि दक्षिण भारत में हिन्दी लेखन की पुरानी और समृद्ध परंपरा है, इस लेख का उद्देश्य है।

भौगोलिक एवं राजनैतिक विभिन्नताओं के होते हुए भी, सांस्कृतिक धरातल पर, अति प्राचीन काल से ही, भारत देश एकता के सूत्र के बंधा हुआ था। इस सांस्कृतिक एकता को अक्षुण्ण बनाए रखने में, "मध्य देश" की भाषाओं का विशिष्टि योगदान रहा है। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश भाषाओं के बाद हिन्दी भाषा ने इस कर्त्तव्य की पूर्ति सफलता के साथ की है। मैंने अपने शोध-प्रबन्ध में यह सिद्ध किया था कि अंग्रेजों के आगमन के पूर्व समस्त देश में प्रादेशिक भाषाओं के साथ-साथ हिन्दी का अस्तित्व था। अंग्रेजों ने अपनी कूटनीति के द्वारा इस गठबन्धन को तोड़कर, हिन्दी के स्थान पर अंग्रेजी को लादने का प्रयास किया और यह गलत भावना पैदा कर दी कि हिन्दी कभी भारत की सार्वदेशिक भाषा नहीं रही है। (आर्य परिवार से भिन्न द्रविड भाषा परिवार की कल्पना भी अंग्रेजों की कूटनीति का ही परिणाम है। देखिए, "प्रकर" (दिल्ली-7) में प्रकाशित हो रहे डा. राजमल बोरा की लेखमाला) यदि हिन्दी सार्वदेशिक व्यवहार की भाषा न होती तो स्वंतत्रता आन्दोलन से बहुत पूर्व, अर्थात मध्य काल में ही अहिन्दी प्रान्तों में, विशेष रूप से, दक्षिण भारत में हिन्दी में लेखन-कार्य कैसे संभव होता? दक्षिण भारत में पर्याप्त मात्रा में हिन्दी लेखन-कार्य संपन्न हुआ है, जो इस बात का अकाट्य प्रमाण है कि दक्षिण भारत के लिए हिन्दी नई नहीं है।

हिन्दी भाषा की एक विशिष्ट शैली को आज "दक्खिनी" कहा जाता है। किन्तु इस शैली में रचनाएं करने वाले सभी लेखकों ने इसे "हिन्दुई" या "हिन्दवी" ही कहा है। दक्षिण भारत में गोलकोंडा, गुलबर्गा और औरंगाबाद को केन्द्र बनाकर, हिन्दी की इस शैली में पर्याप्त साहित्य रचा गया है। गोल कोंडा आन्ध्र प्रदेश में है, गुलबर्गा कर्नाटक प्रान्त में है तो औरंगाबाद महाराष्ट्र प्रदेश में है। दक्खिनी में लिखने वाले अधिकतर मुसलमान हैं लेकिन हिन्दू लेखकों की संख्या भी कम नहीं है। ("दक्खिनी" के उद्भव और विकास पर विचार करना यहां अभीष्ट न होने से, दक्खिनी के बारे में विस्तार से चर्चा नहीं की जा रही है।)

* प्रोफेसर हिन्दी विभाग, उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद–500007

दक्षिण के केरल प्रान्त के स्वाति तिरुनाल राजा रवियर्मा (सन् 1813–1849) ने "पद्मनाभ" के उपनाम से ब्रजभाषा में लगभग चालीस भजनों की रचना की थी। तिरूवनन्तपुरम (त्रिवेन्द्रम) में स्थित भगवान विष्णु का नाम अनन्त पद्मनाभ स्वामी है। दक्षिण की भाषाओं में उपनाम (तकल्लुस) या अपने नाम का प्रयोग करने की प्रथा 17वीं शती से पूर्व नहीं थी। भक्ति और विरहिणी प्रमिका की व्यथा का चित्रण इन गीतों का उल्लेखनीय विशेषता है। विषय की दृष्टि से श्रीकृष्ण संबंधी 20, राम संबंधी 4, शंकर संबंधी 3, देवी संबंधी 9, गोपी-कृष्ण संवाद संबंधी 7 तथा सामान्यतः भक्ति से संबंधित 2 गीत मिलते हैं।

तंजाऊर के शाहजी महाराज (1684–1712) ने बुंदेलखंडी मिश्रित खड़ी बोली में "विश्वातीत विलास नाटक" और "राघबन्सीधर विलास नाटक" नामक दो यशगानों की रचना की। अपनी मातृभाषा मराठी में "लक्ष्मी नारायण विलास नाटक" की रचना की। तेलुगु में 20 से अधिक यक्षगानों की रचना कर, कवि पंडित घोषक बन "आन्ध्र भोज" की उपाधि से प्रख्यात शाहजी महाराज ने कर्नाटक संगीत में हिन्दी भाषा को ढालने का स्तुत्य प्रयास किया है। भावात्मक एकता की दृष्टि से इनकी रचनाओं का विशेष महत्त्व है। उन्होंने अपने एक नाटक "पंचभाषा विलास नाटक" में एक ही रंगमंच पर एक साथ पांच भाषाओं––तेलुगु, तमिल, मलयालम, मराठी और हिन्दी का प्रयोग किया है। नाटक का सूत्रधार संस्कृत भाषा का प्रयोग करता है। यह उस समय की इस धारणा को स्पष्ट करता है कि विद्वज्जन संस्कृत को संपर्क भाषा मानते थे।

यह ध्यान देने की बात है कि उपर्युक्त रचनाएं अठारहवीं शती की हैं।

उन्नीसवीं शताब्दी में आन्ध्र प्रदेश के कतिपय महानुभावों ने हिन्दी में रचनाएं की है और हिन्दी से तेलुगु में अनुवाद किए हैं। इन साहित्यकारों का योगदान हिन्दी साहित्य के इतिहास में विशेष उल्लेख की अपेक्षा करता है।

विजयनगरम् रियासत के पं. शिष्टु कृष्णमूर्ति शास्त्री और मंडा नरहरि शास्त्री ने गोस्वामी तुलसीदास के रामचरित मानस का, सन् 1860 के आसपास, तेलुगु में अनुवाद किया। इस अनुवाद की विशेषता यह है कि तेलुगु भाषा को हिन्दी छन्दों में––दोहा, चौपाई आदि छन्दों में––सफलता के साथ

1. देखिए– तेलुगुभाषी हिन्दी नाटककार : पं. पुरुषोत्तम कवि प्रकाशक : हिन्दी साहित्य भंडार, लखनऊ – 1969

टाला गया है। एक दो पथ नहीं, पूरे सात कांडों का इस शैली में अनुवाद करना कोई मामूली बात नहीं है। (इस महत्त्वपूर्ण रचना का केवल "सुन्दर कांड" मेरे संपादन में आन्ध्र प्रदेश साहित्य अकादमी ने प्रकाशित किया।)

गोपाल राय (भारतेन्दू के पिता) कृत "नहुष" (हिन्दी का पहला नाटक) नाटक की हस्तलिखित प्रथम प्रतियों में से एक विजयनगरम् के राजकीय पुस्तकालय में संप्राप्त हुआ है। (यह आन्ध्र सरकार के प्राचीन हस्तलिखित पन्थ पुस्तकालय की ओर से प्रकाशित है।)

तिरुपति के पास स्थित वेंकटगिरि रियासत के राजकीय पुस्तकालय में एक पांडुलिपि प्राप्त हुई है। यह पांडुलिपि विक्रम संवत् 1900 (सन् 1843) की है। इसकी लिपि तेलुगु है और भाषा ठेठ ब्रजभाषा। इस पांडुलिपि में ब्रज की चौरासी कोस यात्रा का अत्यन्त क्रमबद्ध एवं प्रामाणिक वर्णन है। (इसका नागरी लिप्यन्तरण का कार्य किया जा रहा है।)

पं. पुरुषोत्तम कवि ने मछलीपट्टणम में रहते हुए सन् 1884 से 1886 के बीच हिन्दी में 32 नाटकों की रचना की है। ये सब नाटक तेलुगु लिपि में हैं। संस्कृत-नाट्य-परम्परा और तेलुगु की लोक-नाट्य परम्परा के अनुसार नाटक लिखने वाले पुरुषोत्तम कवि नाटक के क्षेत्र में भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के समकक्ष माने जा सकते हैं। समकालीन तो हैं ही।

यदि पर्याप्त संख्या में दर्शक न होते तो पुरुषोत्तम कवि 32 नाटक, हिन्दी भाषा में कैसे लिख पाते और कैसे उन नाटकों का मंचन 15 वर्षों तक होता रहता, अर्थात् यह स्पष्ट है कि उस समय आन्ध्र प्रदेश में हिन्दी समझने वालों की संख्या पर्याप्त मात्रा में थी।

उपरोक्त रचनाओं के अतिरिक्त आन्ध्र के हिन्दी लेखकों की कुछ अन्य हिन्दी रचनाओं का उल्लेख मिलता है। परन्तु ये रचनाएं अभी तक देखने में नहीं आई हैं।

यह ध्यान देने की बात है कि ये ढेर सारी रचनाएं महात्मा गांधी जी की प्रेरणा से पूर्व की हैं। ये रचनाएं इस तथ्य के अकाट्य प्रमाण हैं कि अंग्रेजों के आगमन के पूर्व और अंग्रेजी राज्य की स्थापना के प्रारम्भिक दशकों में हिन्दी भाषा का व्यवहार दक्षिण भारत में अवश्य होता था। ये रचनात्मक प्रमाण इस बात को स्पष्ट करते हैं कि दक्षिण के लिए हिन्दी भाषा नई नहीं है।

20वीं शताब्दी की भी कुछ स्मरणीय प्रसंगों का यहां उल्लेख होना चाहिए।

सन् 1938 में भारत के कतिपय प्रदेशों में कांग्रेसी सरकारों ने शासन की व्यवस्था को अपने हाथों में लिया। उस समय मद्रास स्टेट के मुख्यमंत्री बने। श्री सी राजगोपालाचारी ने हाई स्कूल की कक्षाओं तक हिन्दी को अनिवार्य विषय बनाया था। पद्मश्री मोटुरि सत्यनारायण कृत "हिन्दी स्वयं शिक्षक" नामक पुस्तक के लिए, हिन्दी के महत्त्व पर प्रकाश डालते हुए, भूमिका लिखी थी। स्व. राजगोपालाचारी बाद में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हिन्दी के विरोधी क्यों बने, यह अलग में विचारणीय विषय है।

विशाखापट्टनम में स्थित आन्ध्र विश्वविद्यालय के उपकुलपति की हैसियत में स्व. डा. सी.आर. रेड्डी ने 1936 में बी.काम. की परीक्षा में उत्तीर्णता के लिए हिन्दी को अनिवार्य विषय बनाया था। यह भारत के समस्त विश्वविद्यालयों के इतिहास के ही अविस्मरणीय घटना है।

जब हम इन ऐतिहाभिक प्रमाणों का ध्यान पूर्वक अध्ययन करते हैं तब यह बात अपने आप स्पष्ट हो जाती है कि दक्षिण के लिए हिन्दी नई नहीं थी और सार्वदेशिक व्यवहार की भाषा के रूप में हिन्दी को समग्र राष्ट्र ने स्वीकारा था।

हिन्दी भाषा के व्यवस्थित प्रचार कार्य के बाद, दक्षिण भारत की प्रबुद्ध जनता ने हिन्दी भाषा को सीखकर, हिन्दी में रचनाएं करने का सराहनीय कार्य किया है और यह कार्य गणनीय मात्रा में हो रहा है। □

पृष्ठ 5 का शेषांश

उपर्युक्त के अतिरिक्त सामान्य रूप के हिन्दी पत्राचार का प्रतिशत बढ़ाना एक आसान कार्य है। यदि आपने शाखा-कार्य पद्धति को ध्यान से देखा है तो आप पाएंगे कि छोटी एवं मध्यम शाखाओं के अधिकतर पत्राचार साप्ताहिक, मासिक, त्रैमासिक, छमाही सामान्य बैंकिंग रिटर्न का भेजना ही है। एक माह में इनकी संख्या 70 से 80 तक होती है। इसके सभी अग्रेषण आवरण पत्र एक ही पंक्ति के होते हैं। क्यों नहीं ऐसे सरल पत्र हिन्दी के लिखाये जाएं। सभी प्रकार के अभिवेदन भी ऐसे ही भेजे जा सकते हैं। इस प्रकार कुल-कार्य का केवल 25% कार्य ही शेष रह जाता है जिसे तत्काल हिन्दी में नहीं किया जा सके। इस प्रयोग में मेरा अनुभव तो सफल और सुखद रहा है। बस आवश्यकता तो शुरुआत की है। □

80 X 11 = 880
30 X 11 = 330
1210

कैसी हिन्दी ?

□ आचार्य राधा गोविन्द थोङगम*

हिन्दी आज भारतीय भाषाओं में ही नहीं विश्व की भाषाओं के अभिव्यक्ति के लिए एक सक्षम और समृद्ध भाषा मानी जाती है। इसकी रचना क्षमता के विदेशी शब्दों का देशीकरण हो जाता है। अतः संस्कृत तथा देशज शब्दों का प्रयोग बखूबी के किया जा सकता है। इसलिए वैज्ञानिक साहित्य के लिए हिन्दी का प्रयोग स्वाभाविक रूप से किया जा सकता है।

हिन्दी का सबसे बड़ा गुण रहा है—जन-जन के जीवन की भावनाओं की अभिव्यक्ति की क्षमता। इसे आप व्याकरण शुद्धवर्तनी और शुद्ध उच्चारण के बन्धन में पड़े बिना आप जैसा बोल सकते हैं बोलें। तभी तो 'मसि कागज छुओ नहीं; कलम गहि नहीं हाथ।" कहने वाले कबीर बे-धड़क हिन्दी में बोले और खूब बोले। जहां गए वहां जो भी शब्द उन्हें अभिव्यक्ति के लिए उपयुक्त मिले; उन्हें लेकर हिन्दी के अपने विचार रख दिए। इसीलिए भारत सरकार ने छूट दी है कि आप हिन्दी में लिखें और खूब लिखें, जिन अंग्रेजी शब्दों की हिन्दी न आती हो उन्हें अपने उच्चारण में नागरी अक्षरों में वाक्य के अन्तर्गत ही लिख दें।

उपर्युक्त विचार से कोई असहमत हो सकता है लेकिन उदार व्यक्ति अवश्य कहेगा आप अपने ढंग से हिन्दी लिखें और खुलकर लिखें। तो प्रश्न है—हमें कैसी हिन्दी चाहिए ?

इस संबंध में भारतीय संविधान बड़े स्पष्ट शब्दों के कहता है, "राजभाषा सरल, सहज और भारतीय सामाजिक संस्कृति को अभिव्यक्त करने वाली होगी। आवश्यकता के अनुसार संस्कृत एवं देश की प्रादेशिक भाषाओं के जनसाधारण में प्रचलित शब्दों को भी हिन्दी में प्रयोग किया जाएगा एवं इसका सर्वांगीण विकास किया जाएगा।"

"राजभाषा का स्थान हिन्दी को 14 सितम्बर, 1949 की संविधान सभा की बैठक ने सर्वसम्मति से दिया। इससे पहले हिन्दी भारत के उत्तर दक्षिण, पश्चिम पूरब के जन साधारण को एक दूसरे के संपर्क के लाने का काम सोलहवीं सदी पूर्व से करने लगी थी। हिन्दी भारत की राष्ट्रभाषा है—इससे विवाद उठाने का प्रश्न नहीं उठता है। जन संपर्क के लिए समर्थ होने के कारण ही हिन्दी को राष्ट्रभाषा की संज्ञा प्राप्त हुई।

इसे मणिपुर में वीर टीकेन्द्र जीत ने भी राष्ट्रभाषा के रूप में सन् 1891 में स्वीकार किया था। कहने का तात्पर्य हिन्दी को राष्ट्रभाषा का रूप और समर्थन देनेवालों में हिन्दी भाषियों से अधिक जन नेता ऐसे जिनकी मातृभाषा हिन्दी नहीं थी। आज भारत के दो तिहाई भाग में हिंदी का प्रचार करने वाले हिन्दी प्रचारक हिन्दी तर भाषी प्रदेशों के लोग ही हैं।

हिन्दी राष्ट्र भाषा है, क्योंकि इसने हमारे देश की संस्कृति तथा जनजागरण में हम अनेक फिर भी लेकिन एक हैं। की भूमिका निभाई थी। हिन्दी पर थोपने का आक्षेप लगाने वाले अंग्रेजी भक्त हो सकते हैं, किन्तु वे देश भक्त नहीं हो सकते। "क्योंकि कि जब हमारे राष्ट्र की जनता इसे स्वेच्छा से किसी भी कारण से अपना रही हो तब कोई भी देशभक्त और भारत की जनता का नेता उसकी स्वेच्छा से अपनाई भाषा पर थोपने का आरोप स्वप्न में भी भूलकर नहीं लगा सकता है। क्या पं. नेहरु जी किसी अंग्रेजी भक्त से कम अंग्रेजी जानते थे। तब क्या उनकी यह अभिव्यक्ति कि "अगर भारत की आजादी उन ग्रामीणों महिलाओं के लिए भी है जो अनपढ़ हैं तो हमें अंग्रेजी का मोह त्याग कर उन की भाषा में काम करना होगा और उनकी भाषा कम से कम अंग्रेजी तो कभी नहीं थी और न होगी। अत: हमें भारत में सबसे अधिक लोगों द्वारा समझे जानेवाली हिन्दी भाषा को अपनाना ही होगा।"

हिन्दी भाषा भारत की संस्कृति, सभ्यता, भावात्मक एकता के साथ-साथ सामाजिक राजनैतिक चेतना, उसके जीवन दर्शन की भी अभिव्यक्ति कर रही है। इसके बोलने वाले साहित्यकारों ने इसके साहित्य को श्रेष्ठतम बनाने की कोशिशें की हैं; लेकिन इसी के साथ ही साथ हिन्दी में सम्पूर्ण भारत की प्रादेशिक भाषाओं का श्रेष्ठ साहित्य भी उपलब्ध हो रहा है। जो सरल सुबोध और लोकप्रिय है। यही नहीं व्यापार, तीर्थ यात्रा, देश भ्रमण के प्रयोजनों की पूर्ति भी हिन्दी पूरी करती है। इसे ही प्रयोजन मूलक हिन्दी कहते हैं। प्रयोजनता की सिद्धि ने ही "सामान्य हिन्दी" को मजबूत बनाने का बीड़ा उठाया है तो हिन्दी का प्रचार प्रसार इसके प्रयोजन मूलकता के कारण हो रहा है

प्रयोजन मूलक हिन्दी को कई भागों में विभाजित किया जा सकता है। जैसे (1) साहित्यिक (2) व्यापारी भाषा, (3) सामाजिक राजनीतिक भाव प्रकाश की हिन्दी, (4) बोलचाल की हिन्दी, (5) शास्त्रीय हिन्दी (6) तकनीकी हिन्दी, (7) वैज्ञानिकी हिन्दी। लेकिन हमें सदा ख्याल रखना चाहिए कि हिन्दी हमारे सामान्य जीवन के प्रयोजनों को पूरा करने वाली भाषा है। इसलिए सामान्य हिन्दी का क्षेत्र व्यापक और असीमित है।

शेष पृष्ठ 13 पर

---

*प्रचार मंत्री मणिपुर हिंदी परिषद्
एसेम्बली रोड, इम्फाल—795001

40 × 11 = 440
+ 165
+ 115
55 × 10 = 550
100 × 10 = 1000
2270

संक्षेपों की निर्माण प्रक्रिया

□डॉ. चन्द्रा सायता*

आज मनुष्य के सामने समस्याएं ही समस्याएं हैं और उन्हीं में से एक है:—समय और परिश्रम की बचत। जीवन के हर क्षेत्र में बचाने की आवश्यकता है। भाषा के क्षेत्र में संक्षेपण की प्रक्रिया से समय व श्रम दोनों की बचत की जा सकती है। पूर्ण शब्द को एक या दो वर्गों में अभिव्यक्त करना ही संक्षेपण कहता है। इनसे बने रूप संक्षेप कहलाते हैं। जैसे कृपया पृष्ठ पलटिए का कृ. पृ. प. उत्तर रेलवे का उ. रे. मध्य प्रदेश विद्युत मंडल का म. प्र वि. म. आदि

सरकारी भाषा में संक्षेपों का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है। देश में वर्षों तक अंग्रेजों के सतत शासन के फलस्वरूप आज प्रशासनिक भाषा में प्रयुक्त अंग्रेजी संक्षेपों की संख्या अनगिनत हो गई है। इनके प्रयोग से भाषा में कसाव आ जाता है, साथ ही श्रम व समय की बचत होती है। कई क्षेत्रों में इनका प्रयोग किया जा रहा है। यथा व्यापार बैंक, रेल विभाग सरकारी कार्यालय आदि

शब्दों की तरह कभी-कभी एक ही संक्षेप के एकाधिक अर्थ होते हैं अंग्रेजी का संक्षेप P. M. है, किन्तु इसके Post Master, Prime Minister और Post Meridium शब्द बनते हैं जिनका अर्थ भिन्न-भिन्न है। उसी तरह F.R. संक्षेप भी एकाधिक शब्दों के लिए है, जैसे Fundamental Rules और Fresh Receipt जो हिन्दी में क्रमश मू. नि. (मूल नियम) तथा न आ (नई आवती) है। इसके विपरीत विज्ञान सम्बन्धी विषयों में प्रयुक्त संक्षेपों का प्राय : एक ही अर्थ रहता है क्योंकि उनमें एक शब्द के लिए एक ही संक्षेप निर्धारित किया गया है . उदाहरणार्थ अल्युमिनियम Al कापर, तांबा Cu, आयरन (लोहा) Fe, मेगनीशियम Mg आदि।

"शिक्षा मंत्रालय से प्रकाशित रसायन शास्त्र संबंधी संक्षिप्त रूप दिए गए हैं। यह सूची बहुत छोटी है। इसमें कुछ शब्दों के सांकेतिक रूप अनुलिपि की पद्धति पर कुछ के हिन्दी अनुदित शब्दों से सांकेतिक रूप बनाए गए, है और कुछ के दोनों प्रकार के संक्षेप डाईरेक्ट करन्ट (दिष्ट धारा) के लिए "दि. धा" तथा डी. सी. दिए गए है

रेलवे टिकटों तथा पार्सलों पर पूरे नाम के साथ उन सांकेतिक रूप भी दिए होते हैं। जैसे :—
Ambala City (AMC) Delhi (DLI), Nag pur(NGP) Amritsar(ASR), Bhopal(BPL) Gujrat (GJ) आदि

इसी प्रकार सरकारी कार्यालयों में टिप्पण—लेखन में संक्षेपों का प्रयोग प्रचुर मात्रा में किया जाता है। उदाहरणार्थ—

(Administration) Admn.	—	(प्रशासन) प्रशा.
(Casual Leave) C.L.	—	(आकस्मिक छुट्टी) आ. छु.
(Demi-Official) D.O.	—	(अर्ध सरकारी) अ. स.
(Last Pay Certificate) L.P.C.	—	(अन्तिम वेतन पत्र) अं. वे. प.
(Medical Leave) M.L.	—	(चिकित्सा छुट्टी) चि. छु.
(Necessary Action) N.A.	—	(आवश्यक कार्रवाई) आ. का.
(Draft for approval) DFA	—	(प्रारूप अनुमोदनार्थ) प्रा. अनु.
(Please Turn Over) P.T.O.	—	(कृपया पृष्ठ पलटिए) कृ. पृ. प.
(Please) Pl.	—	(कृपया) कृ.

अधिकारियों के पदनाम/कार्यालय, विभाग, मंत्रालय आदि के नाम

(Assistant Director) A.D.	—	(सहायक निदेशक) सहा. निदे.
(Accountant General) A.G.	—	(महा लेखापाल) म. ले.
(District Magistrate) D.M.	—	(जिला मजिस्ट्रेट) जि. म.
(Block Development Officer) BDO	—	(विकास खण्ड अधिकारी) वि. ख. अ.
(Member of Parliament) M.P.	—	(संसद सदस्य) सं. स.
(Prime Minister) P.M.	—	(प्रधान मंत्री) प्र. मं.
(Research Officer) R.O.	—	(अनुसंधान अधिकारी) अ. अ. या अनु. अधि.
(Under Secretary) U.S.	—	(अवर सचिव) अ. स.
(Financial Adviser) F.A.	—	(वित्त सलाहकार) वि. स.

* 19, श्रीनगर कालोनी इन्दौर

352 HA/91—3

ऐसे अनेक पदनामों के संक्षेप आज व्यवहार में हैं।

मंत्रालयों तथा विभागों के नाम

(Ministry of Education and Culture) Min. of Edu. & Cul. — (शिक्षा व संस्कृति मंत्रालय) शि. व सं. मं.

(Ministry of External Affairs) M/E.A. — (विदेश मंत्रालय) वि. मं.

(Ministry of Home Affairs) M.H.A. — (गृह मंत्रालय) गृ. मं.

(Ministry of Information and Broadcasting) M. I & B — सूचना व प्रसारण मंत्रालय) सू. व प्र. मं.

(Central Hindi Directorate) C.H.D. — (केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय) के. हि. निदे.

(Employees' Provident Fund Organisation) E.P.F.O. — (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन) क. भ. नि. सं.

(Employees' State Insurance Corporation) E.S.I.C. — (कर्मचारी राज्य बीमा निगम) क. रा. बी. नि.

विभिन्न भाषाओं तथा क्षेत्रों में पारिभाषिक शब्दावली बनाने का कार्य तो निश्चित रूप से आगे बढ़ रहा है, किन्तु सम्भवतः इन विद्वानों का ध्यान अभी संक्षेपों के निर्माण की ओर इतना नहीं गया है, क्योंकि प्रयोग किए जा रहे संक्षेपों में एकरूपता देखने को नहीं मिलती है। जैसे—'इंजीनियर' शब्द के लिए कोई इंजी या इं. का प्रयोग करता है तो कोई उसके अनुवादित शब्द अभियंता के संक्षेप अ. या अभि. का प्रयोग करता है। इसी प्रकार एक ही संक्षेप से उसका वांछित तथा अन्य शब्दों का भास होता है, जिससे उसको किस शब्द के लिए प्रयुक्त किया गया है, इसका सही पता नहीं लगता है। जैसे—

वि. स्ना. संक्षेप से विधि स्नातक तथा विज्ञान स्नातक दोनों का संकेत मिलता है, ऐसी स्थिति में विज्ञान स्नातक के लिए विज्ञा. स्ना. संक्षेप बनाना अधिक उचित होगा। इस दृष्टि से संक्षेपों के निर्माण का कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है।

(ख) संक्षेपों की निर्माण-प्रक्रिया

सर्वप्रथम हमारा ध्यान इस बात की ओर जाना चाहिए कि अंग्रेज़ी के शब्दों या संक्षेपों को हिन्दी में अनूदित करने या नए संक्षेप बनाने के लिए कोई निर्धारित नियम है भी या नहीं। यदि हम किसी भी हिन्दी पत्र को उठा कर देखें तो हमें मध्य प्रदेश के लिए म. प्र.. उत्तर प्रदेश के लिए उ. प्र., रुपए के लिए रु. कांग्रेस कमेटी के लिए कां. क. और प्रधानमंत्री कि लिए प्र. मं. प्रयुक्त हुए मिलते हैं। केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय की एक पारिभाषिक शब्दावली में इस सम्बन्ध में नीचे लिखा नियम दिया है—

"संस्कृत व्याकरण में प्रथम, द्वितीय, तृतीय अथवा चतुर्थ स्वर के उपरान्त बचे हुए भाग को विभिन्न अवस्थाओं में त्यागा जा सकता है और उदाहरण में Cerebrospinal Fever के लिए 'प्रमस्तिमेरू ज्वर' शब्द दिया है, जिसमें 'प्रमस्ति' सांकेतिक रूप शब्द 'प्रमस्तिमेरू' से बनाया है, जो इस शब्द के तीसरे स्वर के उपरान्त भाग कोष्ट त्यागने से बना है। इस सिद्धान्त के अनुसार सांकेतिक रूपों को स्थिर किया जा सकता है।"2

इनसे हट कर संक्षेपों के निम्नलिखित रूप दृष्टव्य हैं :— Delhi Transport Corporation D.T.C.जिसे डी.टी.सी. कहा जाता है, हिन्दी में संक्षिप्त रूप डी.टी.सी. देखा गया है। Northern Railway ना. रे., Uttar Pradesh यू. पी., Master of Arts (M.A.), Personal Assistant (P.A.) पी. ए. आदि रूप भी ऐसे ही उदाहरण हैं।

ऊपर दिए गए उदाहरणों से स्पष्ट है कि हिन्दी भाषा में संक्षेपों के निर्माण के संबंध में कोई नियम नहीं हैं, तभी तो कहीं संक्षेप अंग्रेज़ी से हिन्दी में अनूदित शब्द के आधार पर बने हैं तो कहीं अंग्रेज़ी शब्द के हिन्दी में उच्चारण के आधार पर। इसके अलावा तीसरी स्थिति जो देखने में आती है—दोनों भाषाओं के शब्दों को लेते हुए संक्षेप बनाना। जैसे— Chief Engineer के लिए मु. इं., जिसमें मुख्य Chief का अनूदित शब्द है तथा 'इंजीनियर' अंग्रेज़ी का ही शब्द है, जिसे देवनागरी में लिख दिया गया है। ऐसे और भी संक्षेप देखे जा सकते हैं।

हिन्दी में बनाए गए कुछ संक्षेपों को यह उदाहरण स्वरूप दिया जा रहा है—

Vice President	— उप-प्रधान, उ. प्र.
Prime Minister	— प्रधान मंत्री, प्र. मं.
Chief Minister	— मुख्य मंत्री, मु. मं.
Indian Penal Code	— भारतीय दण्ड संहिता, भा. द. सं.
United Nations Organisation	—संयुक्त राष्ट्र संघ, सं. रा. सं.
Chief Engineer	— मुख्य इंजीनियर—मु. इं.
National School of Druma	—राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, रा. ना. वि.

इनसे हटकर संक्षेपों के निम्नलिखित रूप द्रष्टव्य है :—

Delhi Transport Corporation जिसे D.T.C. कहा जाता है, हिन्दी में संक्षिप्त रूप डी.टी.सी. का देखा गया है। Northren Railway ना.रे. Uttat Pardesh यू.पी. Master of Arts एम.ए. Personal Assistant (P.A.) पी.ए. आदि रूप भी ऐसे ही उदाहरण हैं।

ऊपर दिए गए उदाहरणों से स्पष्ट है कि हिंन्दी भाषा में संक्षेपों के निर्माण के सम्बन्ध में कोई निश्चित नियम नहीं हैं, तभी तो कहीं संक्षेप अंग्रेजी से हिन्दी में अनूदित शब्द के आधार पर बने हैं तो कहीं अंग्रेजी शब्द के हिन्दी में उच्चारण के आधार पर। इसके अलावा तीसरी स्थिति जो देखने में आती है—दोनों भाषाओं के शब्दों को लेते हुए संक्षेप बनाना। जैसे—Cheif Engineer के लिए मु.इं., जिसमें मुख्य Cheif का अनूदित शब्द है तथा "इंजीनियर" अंग्रेजी का ही शब्द है, जिसे देवनागरी में लिख दिया गया है। ऐसे और भी संक्षेप देखे जा सकते हैं :—

(ress Information Bureau)	--(प्रेस सूचना ब्यूरो)
P.I.B.	प्रे.सू.ब्यू.
(Post and Telegraph Board	--(डाक तार बोर्ड)
P & T Board	डॉ.ता.बो.
Northren Railway	—(उत्तर रेलवे)
	उ.रे.

इस प्रकार संक्षेप निर्माण तीन प्रकार से किया जा सकता है। पहला तो अंग्रेजी के शब्दों का हिन्दी में अनुवाद करके, अनूदित शब्दों के प्रथमाक्षरों का प्रयोग करके।

दूसरा तरीका है--अंग्रेजी के शब्दों के उच्चारण के आधार पर उनके प्रथमाक्षर से संक्षेप बनाना। जैसे Civil Engineer सि.इं., Dam Official डी. ओ. आदि।

इस विषय में तीसरा तरीका हो सकता है, जिसमें शब्द समूह का एक भाग हिन्दी तथा दूसरा अंग्रेजी का हो, जिसको देवनागरी में लिखा गया हो। ऐसे संक्षेपों को प्रचलन के आधार पर सुविधापूर्वक बनाया जा सकता है। इनके लिए अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ता है। जैसे Assistant Station Master A.S.M. का हिन्दी में संक्षेप है स.स्टे.मा. अर्थात् "सहायक स्टेशन मास्टर" "अंग्रेजी के शब्द देवनागरी में लिप्यान्तरित हैं।

हिन्दी समाचार पत्रों में प्रयुक्त शब्दों के संक्षेपों पर विचार किया जाए तो उसमें प्रायः शब्द के प्रथम अक्षर (स्वर या स्वर सहित व्यंजन) को लेकर संक्षेप बना लिए गए हैं :—

भारतीय जनता पार्टी	--भा.ज.पा.
भारतीय लोक दल	--भा.लो.द.
मार्क्स कम्युनिस्ट पार्टी	--भाकपा
टेबल टेनिस	—टे.टे.
राज्य परिवहन निगम	—रा.प.नि.
स्वरोजगार महिला एसोसिएशन	--स्व.म.ए.
विश्व विद्यालय	—वि.वि.
प्रेस ट्रस्ट ऑफ इण्डिया	--पी.टी.आई.

संक्षेप निर्माण में सुविधानुसार उपयुक्त कोई भी तरीका प्रयोग में लाया जा सकता है। यदि इनके निर्माण के लिए हम किन्हीं निश्चित नियमों को प्रतिपादित करते हैं तो हम इस कार्य में काफी पिछड़ जाएंगे। अतः बेहतर यही होगा कि हम इनके निर्माण के सम्बन्ध में कुछेक बातों का ध्यान रखें:—

1. संक्षेप बनाने में आवश्यकतानुसार हिन्दी को अपनाने का प्रयत्न करना चाहिए।
2. हिन्दी के संक्षेप हिन्दी की प्रकृति के अनुसार होने चाहिएं।
3. अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचलित संक्षेपों को केवल उच्चारण के आधार पर हिन्दी में स्वीकृत कर लेना चाहिए।

हिन्दी में संक्षेप निर्माण की पद्धति हिन्दी की प्रकृति के अनुरूप स्वविकसित एक प्रचलित पद्धति है। इसमें अंग्रेजी की तरह एक वर्गीय संक्षेप नहीं बनाए जाने चाहिए, बल्कि एक अक्षरीय संक्षेप बनाए जाने चाहिए, क्योंकि अंग्रेजी भाषा में व्यंजन व स्वर के लिए अलग अलग वर्ण है, जबकि हिन्दी में प्रायः व्यंजन का प्रयोग सस्वर किया जाता है। नीचे दिये गए उदाहरण से स्थिति स्पष्ट हो जाएगी :—

Please Turn Over का अंग्रेजी में संक्षेप बनाते समय Please से P, Turn से T तथा Over से O अर्थात् तीनों शब्दों का प्रथम वर्ण ऐसे हुए पी.टी.ओ. बनाया जाता है, किन्तु इसके विपरीत उक्त शब्दों का हिन्दी अनुवाद होगा—"कृपया पृष्ठ पलटिए"। अतः इसका संक्षेप होगा—"कृ.पृ.प."? इसमें हमने शब्दों का प्रथम वर्ण (स्वर या व्यंजन) न लेते हुए प्रथम अक्षर (एक या संयुक्त) लिया है, जो हिन्दी भाषा के व्याकरण के अनुरूप भी है।

(ग) संक्षेप निर्माण की समस्याएं

संक्षेप बनाने के संदर्भ में इसे एक सामान्य नियम के रूप में स्वीकार किया जा सकता है, किन्तु निर्माण प्रक्रिया के दौरान आने वाली समस्याओं के कारण इस नियम के कई अपवाद भी सामने आ जाते हैं। इन्हें जानने के लिए आवश्यक होगा कि हम "संक्षेप निर्माण" की समस्याओं पर भी विचार करें।

संक्षेपों के निर्माण के संबंध में कोई निर्धारित नियम न होने से हमें इनके निर्माण—प्रक्रिया के दौरान कई समस्याओं से होकर गुजरना पड़ता है जिनमें से कुछ महत्त्वपूर्ण समस्याओं के बारे में वर्णन किया जा रहा है :—

1. संदिग्धता :—यदि हम शब्द के प्रथम अक्षर (सामान्य नियम) को लेते हुए संक्षेप बनाते हैं तो ऐसे कई शब्द होंगे जो समान अक्षर से प्रारंभ होते हैं। वहां "संक्षेप" से प्रासंगिक शब्द समझने में शंका रहती है। यथा—अ.अ. इससे दो भिन्न शब्दों का बोध हो सकता है—पहला तो "अर्जित अवकाश' तथा दूसरा "अनुवाद अधिकारी"। एक शब्द या शब्द संग्रह के लिए एक ही संक्षेप हो, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। अन्यथा व्यक्ति के विपरीत शब्द का अर्थ ले लेगा। इस संदिग्ध स्थिति को दूर करने के लिए हमें सामान्य नियम को शिथिल कर यथावसर दो अक्षरों का भी प्रयोग कर लेना चाहिए। ऊपर वाले उदाहरण का पुनः अवलोकन करें जो "अर्जित अवकाश का संक्षेप "अ.अव." तथा "अनुवादक अधिकारी

का संक्षेप "अनु.अधि." बनाना कहीं अधिक उपयुक्त होगा। अतः हमें संदिग्धता से बचने के लिए यथासंभव प्रयास करना चाहिए तथा "संक्षेप को स्पष्टतः के निकट लाना चाहिए ।

2. **दीर्घता** :—उपर्युक्त समस्या के निदान में एक ओर जो समस्या उभर कर सामने आ सकती है, वह है—संक्षेप की दीर्घता अर्थात् कभी-कभी संक्षेप मूल शब्द के लगभग समान स्थान घेर लेता है। अन्य शब्दों में कहा जा सकता है कि "संक्षेप" में प्रयुक्त अक्षर मूल शब्द के अक्षरों की निकट संख्या में होते हैं, जैसे—अप्राप्य (Not available) (शब्द का संक्षेप "अप्रा.)" बनाते हैं, तो इसमें केवल "प्य" अक्षर ही छूटा है। ऐसी स्थिति से यथा-संभव बचा जाना ही श्रेयस्कर होगा। अपवादतः ऐसी स्थिति को स्वीकार करना भी पड़ सकता है और करना भी चाहिए, किन्तु जहां गुंजाइश हो तो "संक्षेप" छोटा से छोटा अर्थात् "यथानाम" होना चाहिए।

3. **अनुवाद** :—अंग्रेजी के संक्षेपों को हिन्दी के संक्षेपों में रूपान्तरित करते समय पारिभाषिक शब्दावली के अनुवाद की समरूप की ही भांति उनके अनुवाद की समस्या भी आती है, जिसके लिए हम अभी तक कोई निश्चित सिद्धांत नहीं बना पाए हैं। अनुवाद करने की स्थिति में संक्षेपों का ठीकठाक अर्थ निकल पाएगा या नहीं, इसमें संदेह रहता है। जैसे— Master of Engineer (M. E.) का हिन्दी में संक्षेप यदि अनुवाद के आधार पर अभियां.नि. (अभि-यांत्रिकी निष्णात) बनाते हैं, तो इसे समझने में काफी मानसिक परिश्रम होगा। इसकी जटिलता को देखते हुए Engineering के लिए "केन्द्र" में प्रचलित शब्द इंजीनियरिंग लिया जा सकता है तथा इजी.नि. (इंजीनियरी निष्णात) संक्षेप बनाया जा सकता है। इस प्रकार इनका अनुवाद करते समय प्रशासन में प्रयुक्त हिन्दी के प्रचलित शब्दों को स्थान दिया जाना चाहिए, ताकि उनसे बनाए गए "संक्षेपों" का आशय ठीक से लगाया जा सके।

"संक्षेपों" संबंधी शब्दों का अनुवाद संभवतः सरल शब्दों में करना चाहिए, अन्यथा मूल शब्दों को हिन्दी में यथा-रूप या हिन्दी की प्रकृति के अनुरूप लेते हुए संक्षेप बनाये जाने चाहिए। संभव है कभी हमें एक शब्द यथोच्चारण स्वीकार करना पड़े तथा दूसरे शब्द को अनूदित रूप में, लेना पड़े अथवा सभी शब्दों को उच्चारण के आधार पर देवनागरी लिपि में स्वीकार करना पड़े। अतः इस विषय में हमारे नियम नम्य होने चाहिए, ताकि संक्षेप निर्माण के तहत कार्य में व्यवधान न पड़े।

Air Vice Marshal शब्द का अनुवाद करने की अपेक्षा इसको देवनागरी लिपि में एयर वाइस-मार्शल स्वीकार करते हुए "ए.वा.मा." संक्षेप बनाना अधिक उपयुक्त होगा। इसके विपरीत Branch Officer के लिए "ब्रा. ऑफि." संक्षेप के स्थान पर हिन्दी में इनके लिए प्रचलित शब्दों "शाखा अधिकारी" के अनुरूप "शा.अधि." संक्षेप अधिक अच्छा होगा।

मूल बात यह है कि हिन्दी में "संक्षेप" बनाते समय यदि अनुवाद की आवश्यकता पड़ती है, तो उसके क्लिष्टता के गुण से बचकर अनुवाद करना चाहिए अन्यथा प्रचलित शब्द को ग्रहण करने के विकल्प का चयन कर लेना चाहिए।

4. **अनेकरूपता** की समस्या भी अपने आप में एक विकट समस्या है। कार्यालयीन कामकाज में प्रयुक्त (Confidential Report) एक आम शब्द है, जिसका अंग्रेजी संक्षेप C. R. है, किन्तु इसे हिन्दी में तैयार करते समय हमारे समक्ष Confidential शब्द के विभिन्न राज्यों में प्रयुक्त अलग-अलग पर्याय सामने आ जाते हैं, अतः चयन की समस्या हो जाती है। जहां तक शब्द चयन का प्रश्न है तो उक्त शब्द के लिए केन्द्र में गोपनीय म.प्र. में गुप्त, उ.प्र. में "गोपन" शब्द प्रयुक्त किया जाता है। जिसके आधार पर क्रमशः गो.रि., गु.र., तथा गो.रि. संक्षेप बनेंगे, जो एकरूपता की दृष्टि से दूषित हैं। इस संदर्भ में यह कहना समीचीन होगा कि केन्द्र में प्रचलित शब्दों को ही प्राथमिकता दी जानी चाहिए तथा उसी आधार पर संक्षेप भी बनाये जाने चाहिए। संक्षेपों में अनेकरूपता का एक कारण यह भी है कि भिन्न-भिन्न प्रयोक्ता संक्षेपण को अलग-अलग पद्धति के आधार पर बनाते हैं। यह समस्या की संभावनाओं से बचना चाहिए।

उक्त समस्याओं के परिप्रेक्ष्य में निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि संक्षेप निर्माण का कार्य पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण की ही भांति केन्द्र को अपने हाथ में ले लेना चाहिए तथा उक्त समस्याओं को सामने रखते हुए उनका मानक रूप तैयार करना चाहिए।

(घ) संक्षेपों की सूची :—विभिन्न स्तरों पर प्रयुक्त संक्षेपों की सूची प्रस्तुत की जा रही हैं :—

तकनीकी शब्द :—प्रशासन (प्र./प्रशा.), आकस्मिक अवकाश (आ.अव.), अर्ध—सरकारी (अ.स.), सामान्य भविष्य निधि (सा.भ.नि.), चिकित्सा अवकाश (चि.अ.), नई आवर्ती (न.आ.), यात्रा भत्ता (या.भ.), लेखा (ले.), सहायक (स.सहा.), गोपनीय रिपोर्ट (गो.रि.), दैनिक भत्ता (दे.भ.), मूल नियम (मू.नि.), भारत सरकार (भा.स.), मकान किराया भत्ता (म.कि.भ.), अनुसूचित जाति (अ.जा./अनु.जा.) अनुसूचित जन जाति (अ./अनु. ज.जा.), अशासकीय (अशा.), सेवा पंजी. (से.पं.), आवश्यक कार्रवाई (आ.का.)।

मंत्रालय के नाम :—शिक्षा व संस्कृति मंत्रालय (शि. व सं.मं.), विदेश मंत्रालय (वि.मं.), गृह मंत्रालय (गृ.मं.), विज्ञान व प्रौद्योगिकी मंत्रालय (वि.व प्रौ. मं.) सूचना व प्रसारण मंत्रालय (के.व प्र.मं.)।

विशेष :—समेकित प्रशासन शब्दावली में मंत्रालयों के नामों के बीच के स्थान पर "और" तथा "तथा" का प्रयोग किया गया है, अतः संक्षेप में तदनुसार आंशिक परिवर्तन किया जा सकता है।

कार्यालय के नाम :—आकाशवाणी (आ.वा.) केन्द्रीय, अनुवाद ब्यूरो (के.अ.ब्यू.), वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग (वै.त.श.आ.), भारतीय खाद्य निगम (भा.खा.नि.), सैनिक इंजीनियरी सेवा (सै.इं.से.), तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग (ते.प्रा.गै.आ.), भारत मौसम विभाग (भा.मौ.वि.), केन्द्रीय उत्पाद व सीमा शुल्क (के.उ.सी.शु.), रेल डाक सेवा (रे.डा.से.), उच्चतम न्यायालय (उ.न्या.)

पदनाम :—महानिदेशक (महा.निदे.), सहायक स्टेशन मास्टर (स.स्टे.मा.), खंड विकास अधिकारी (ख.वि.अ.), मुख्य चिकित्सा अधिकारी (मु.चि.अ.), नियन्त्रण अधिकारी (नि.अ.), उप निदेशक (उ.उप.नि.), शाखा अधिकारी (शा.अ.), वित्त सलाहकार व मुख्य लेखा अधिकारी (वि.स.मु.ले.अ.), उप-वित्त सलाहकार (उ.वि.स.), जिला मजिस्ट्रेट (जि.म.), संयुक्त सचिव (सं.स.), भाषा सलाहकार (भा.स.), मौसम विज्ञानी (मौ.वि.), कार्यालय-अधीक्षक (का.अ./अधी.), पोस्ट मास्टर जनरल (पो.मा.ज.), निजी सचिव (नि.स.), कार्यपालक इंजीनियर (का.इं.), अवर श्रेणी लिपिक (अ.श्रे.लि.), प्रवर श्रेणी लिपिक (प्र.श्रे.लि.), मुख्य लिपिक (मु.लि.), कल्याण अधिकारी (क.अ.)

स्थान आदि के नाम :—नई दिल्ली (न.दि.), राम-कृष्णपुरम (रा. कृ. पुरम्), मौलाना आजाद रोड़ (मौ.आ.रो.), महात्मा गांधी मार्ग (म.गां.मार्ग.), उत्तर-प्रदेश (उ.प्र.), मध्यप्रदेश (म.प्र.), पश्चिम बंगाल (प.बं.), हिमाचल प्रदेश (हि.प्र.), आन्ध्र प्रदेश (आ.प्र.)।

उपाधियां :—अध्यापन स्नातक (अध्या.स्ना.), आयु-र्वेद स्नातक (आ.स्ना.), इंजीनियरी स्नातक (इंजी. स्ना.) कला स्नातक (क.स्ना.), वाणिज्य स्नातक (वा.स्ना.), मेषजी स्नातक (मे.स्ना.), यांत्रिक इंजीनियरी स्नातक (यां.इं.स्ना.), वस्त्र विज्ञान स्नातक (व.वि.स्ना.), विज्ञान स्नातक (वि.स्ना.) संगीत स्नातक (सं.स्ना.), अभियांत्रिकी निष्णात (अभि.नि.), कला निष्णात (क.नि.), दर्शन निष्णात (द.नि.), प्रौद्योगिकी निष्णात (प्रौ० नि.), प्राच्य-विद्या निष्णात (प्रा.नि.), विद्या वाचस्पति (वि.वाच.), शिक्षा वाचस्पति (शि वाच.)

[उपाधि संबंधी संक्षेपों में निष्णात Master के लिए तथा वास्चपित Doctor के लिए प्रयुक्त किया गया है इन संक्षेपों को वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग (केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय) द्वारा प्रकाशित "समेकित प्रशासन शब्दावली" (हिन्दी-अंग्रेजी) से लिया गया है]।

संक्षेपों की उपर्युक्त सूची को देखने के पश्चात इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि हिन्दी में बनाए गए संक्षेपों में आवश्यकतानुसार दो अक्षरों का भी प्रयोग किया गया है—जैसे वाचस्पति का वाच., इंजीनियरी का इंजी., अवकाश का अव., पंजीकृत का पंजी., प्रतिबंधित का प्रति. आदि संक्षेप बनाए गए हैं।

किसी संक्षेप से यदि वांछित शब्द से इतर शब्द का ज्ञान होता है, तो वहां दो अक्षरों को लेकर संक्षेप बनाए जा सकते हैं, जैसा कि ऊपर के उदाहरणों से स्पष्ट है। इनमें एकरूपता लाने की दृष्टि से इस बात की अत्यन्त आवश्यकता है कि संक्षेप—निर्माण का कार्य किसी एक सरकारी अभिकरण को सौंप दिया जाना चाहिए। □

पृष्ठ 8 का शेष

हिन्दी को श्रेष्ठ साहित्यिक भाषा बनाने वालों में कबीर थे और मीराबाई भी थी। सूरदास और तुलसीदास भाषा व शास्त्र के पण्डित तो थे ही संगीत के अद्वितीय आचार्य भी थे। लेकिन इन सब से ऊंची थी उनकी ईश्वर भक्ति व समाज के प्रति समर्पित भावना।

कबीर सूर, तुलसी–मीरा की हिन्दी ने भारत की जनता को त्रिविध ज्वालाओं (शारीरिक मानसिक और दैविक) से बनाने के लिए भगवान के शरण में समर्पण के उतम मार्ग को अपनाया। इसी कारण रहीम, रसखान भी इस ओर आकर्षित हुए।

हिन्दी फिल्मों के गीत तो अब सात समुद्रपार विदेशियों के गले का हार आज एक नागा कलाकार, मणिपुरी नर्तक और तमिल भाषी अभिनेता अपने को सारे भारत के सामने प्रकट करने के लिए हिन्दी सीखना चाहता है। भारत के एक प्रदेश का साधारण से साधारण व्यक्ति दूसरे प्रदेश के व्यक्ति से सम्पर्क व संगति करने के लिए हिन्दी सीख रहा है और सिखा रहा है। अतः हिन्दी आज भारत की जन भाषा है।

हिन्दी पर आप थोपने न थोपने की बात करते रहिए लेकिन अगर आप मेरे मणिपुर में भी आएगें तो पहाड़ों पर रहने वाली बूटी नानी दादी, भाभी बहिन, नन्हें-नन्हें बालक आप से टूटी फूटी बिगड़ी हिन्दी में प्रेम दर्शाकर पानी पिलाएंगीं, खाना खिलाएंगीं। एक पंजाबी चूड़ी वाला टूटी–फूटी हिन्दी बोलकर भाभी बहिन की मन पसन्द चूंडी पहना जाता है। एक तमिल भाई टूटी फूटी हिन्दी बोलकर मोरे (मणिपुर का एक छोटा कस्बा) में भात (चावल) खाने के लिए प्राप्त कर लेता है। आपने देखा यह कैसी हिन्दी है जन भाषा हिन्दी जो हमारे देश की जरूरी चीज है एकता की कड़ी बनाने वाली। मैं इसी हिन्दी का हूं। यही मेरी पहचान है। □

अंग्रेजी-हिन्दी पारिभाषिक शब्दकोश-निर्माण में डॉ० रघुवीर का योगदान

□डॉ. रमेश चन्द्र शुक्ल*

अंग्रेजी हिन्दी कोशों की परम्परा बहुत पुरानी है। गत शताब्दी में प्रकाशित इस प्रकार के कोशों में फर्ग्यूसन, हेनरी हैरिस, गिलक्राइस्ट, रोबक, थामसन, देवी प्रसाद राय, आर. एस. डोवी, ग्रांट, मथुराप्रसाद मिश्र, हैजेल ग्रोव, बोराडाइल, फैलन और मुन्नीलाल आदि के कोश उल्लेखनीय हैं। इस शताब्दी में भी थामस क्रैवेन, रामचन्द्र पाठक, पुरुषोत्तम-नारायण अग्रवाल, गोपीनाथ श्रीवास्तव, डॉ. सूर्यकान्त, केदारनाथ भट्ट, डॉ. सत्यप्रकाश तथा डा. रघुवीर ने इस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है। इनमें डॉ. रघुवीर (सन् 1955) के 'अ कंप्रिहेंसिव इंग्लिश-हिन्दी डिक्शनरी' का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि उसमें लगभग सभी आवश्यक विषयों के पारिभाषिक तथा सामान्य शब्द विद्यमान हैं।

डॉ. रघुवीर ने पारिभाषिक शब्दकोश के निर्माण का कार्य सन् 1942 में प्रारम्भ किया परन्तु स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् इस कार्य में तीव्रता आई। मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्य मंत्री पं. रविशंकर जी शुक्ल की प्रेरणा से मध्यप्रदेश सरकार ने उन्हें पूर्ण समर्थन दिया। इस प्रकार सन् 1947 से 54 तक सांख्यिकी, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, सरल विज्ञान, तर्कशास्त्र आदि अलग-अलग कोशों का प्रकाशन हुआ तथा इसी बीच सन् 1950 ई. में 'ग्रेट इंग्लिश-इंडियन-डिक्शनरी' नामक 80 हजार शब्दों के वृहत्त कोश का भी प्रकाशन हुआ। इसी कोश के परिवर्धित संस्करण निकले तथा इसने भारतीय कोशविज्ञान में युगान्तर परिवर्तन का काम किया। डॉ. रघुवीर के इस कोश के प्रकाशन के साथ ही हिन्दी-जगत में तहलका मच गया। उनके द्वारा निर्मित हिन्दी पर्याय शब्द अत्यन्त क्लिष्ट, दुरूह तथा अप्रचलित माने गए मजाक के लिए कण्ठ-लंगोट (टाई) और अग्निरथ-गमन, आगमन-सूचक लोहपट्टिका (सिगनल) जैसे शब्द गढ़े गए। उल्लेखनीय है कि डा. रघुवीर के कोश में ये शब्द नहीं हैं, बल्कि उन्होंने कोश की भूमिका में स्पष्ट कहा है कि हिन्दी-पर्याय खोजने में यथासंभव छोटे शब्द दिए गए हैं, बड़े समास नहीं। सिगनल के लिए उन्होंने 'संकेत' शब्द रखा है, 'अग्निरथ-गमन-आगमन सूचक-लोहपट्टिका' नहीं। इसलिए डा. रघुवीर के कार्य की समीक्षा करने से पूर्व हमें उनके मूल सिद्धान्तों को समझना अति आवश्यक है।

डॉ. रघुवीर ने अपने कोश में शब्द-संकलन का आधार 'संस्कृत' बनाया। जिन विषयों का साहित्य उन्हें संस्कृत-प्राकृत पालि व अपभ्रंश में मिल गया, उनके पारिभाषिक शब्द उन्होंने इन्हीं स्त्रोतों से लिए। जहां उन्हें एक शब्द से अन्य शब्द बनाने की आवश्यकता हुई, वहां उन्होंने मूल संस्कृत शब्द या धातु को लेकर उसमें उपसर्ग और प्रत्यय लगाकर शब्द बनाए। डा. रघुवीर ने अंग्रेजी प्रत्ययों के लिए हिन्दी-प्रत्यय निश्चित किए जैसे अल्युमिनियम, प्लैटिनम आदि धातुनाम के अंग्रेजी-प्रत्यय के लिए उन्होंने 'धातु' निश्चित किया और इस आधार पर मैग्नेशियम के लिए 'भ्राजातु' शब्द बनाया। अब हम कतिपय विषयों की पारिभाषिक-शब्दावली का अवलोकन करेंगे।

1. गणित :—डा. रघुवीर ने गणित के सूत्रों के बारे में विस्तार से विचार किया है। उन्होंने बताया कि गणित के कुछ सूत्र रोमन और ग्रीक अक्षरों से बने हैं, जैसे ग्रीक अक्षर 'ग' (पाई) जो व्यास और परिधि का सम्बन्ध बताता है। डॉ. रघुवीर ने इसके लिए 'प्या' संकेत देते हैं। डॉ. रघुवीर ने गणित के इन सब रोमन और ग्रीक संकेताक्षरों के लिए देवनागरी संकेताक्षर निश्चित किए हैं। भारत की सभी भाषाएं इन सूत्रों का व्यवहार कर सकती हैं। डा. रघुवीर ने गणित-सूत्रों की पूरी सूची दी है।

2. भौतिकी :—कहा जाता है कि भौतिकी के सूत्र अन्तर्राष्ट्रीय हैं, इसलिए इनको नागरी अक्षरों में लिखने के बजाए ज्यों का त्यों ले लेना चाहिए। इस सम्बन्ध में डॉ. रघुवीर का मत है कि भौतिकी के संकेताक्षर या सूत्र अंग्रेजी शब्दों के आद्यक्षर या संकेत हैं जैसे अंग्रेजी का 'a' अक्षर एम्प्लीट्यूड और एकसीलरेशन का, 'छ' ग्राम कर उनको संकेताक्षरों की कमी पड़ जाती है, जैसे 'ग्रेविटी' के लिए 'g' कैसे लिखें। इसलिए वे कैपिटल लेटर 'G' का प्रयोग करते हैं। नागरी अक्षरों में यह कठिनाई नहीं है क्योंकि मात्रा लगाने से सैकड़ों अक्षर उपलब्ध हो जाते हैं और अलग-अलग संकेत दिए जा सकते हैं। भौतिकी के सूत्रों की डॉ. रघुवीर ने पूरी सूची दी है।

3. वनस्पतिशास्त्र:—वनस्पतिशास्त्र के लिए डॉ. रघुवीर ने प्राचीन आयुर्वेद का सहारा लिया है। अंग्रेजी नाम वास्तव में लैटिन के हैं और अंग्रेज छात्रों के लिए भी कठिन हैं। अंग्रेजी में पहला शब्द जाति का नाम होता है, दूसरा विशेषण

*जम्मू-कश्मीर दूर संचार परिमण्डल, श्रीनगर—190001

और तीसरा उपजाति का। 'तुलसी का लैटिन शब्द है 'ओसीमम' । 'ओसीमम सैक्टस' हिन्दी में सामान्य तुलसी' हो जाएगा क्योंकि हिन्दी में विशेषण विशेष्य से पहले आता है । हिन्दी में नाम देने का लाभ यह है कि इससे पता चल जाता है कि किस वनस्पति का वर्णन हो रहा है जबकि अंग्रेजी में सामान्य व्यक्ति लैटिन नामों के कारण यह नहीं जान पाता कि किस वस्तु की चर्चा हो रही है । इसलिए डॉ. रघुवीर ने यूफोबियाकेई के लिए एरंडकुल, रूताचिरो के लिए निम्बूकुल; विक्टाजिनाए के लिए पुनर्नवाकुल आदि नाम दिए हैं । निश्चय ही अंग्रेजी नामों से हिन्दी नाम स्पष्ट तथा सरल हैं ।

4. प्राणिशास्त्र : ---प्राणिशास्त्र में भी, अंग्रेजी नाम लैटिन से लिए गए हैं, इसलिए अति दुर्बोध हैं । इनके स्थान पर यदि भारतीय नामों का प्रयोग किया जाए तो विद्यार्थी तुरन्त समझ लेगें । जैसे विदेशी नाम 'रैंसर' के बजाए, 'हंस' नाम सरल है । स्तनपायी पशुओं के नामों में हिन्दी तद्भव नामों के बजाए डा. रघुवीर ने तत्समों को पसन्द किया है, जैसे 'हाइना' (लकड़बग्घा) को उन्होंने 'तरक्षु' प्रजाति रखा है। इसी तरह 'हर्मेस्टेस' (नेवला) के लिए 'नकुल' शब्द। तर्क यह है कि सिन्धी और मराठी में 'तरक्षु' से उत्पन्न 'तरस' शब्द चलता है, इसी तरह नकुल से निकले हुए नेवला, नूल (कश्मीरी) शब्द हैं । डॉ. रघुवीर ने अंधानुवाद करने के बजाए उनकी विशेषताओं के सूचक नाम देने की पद्धति अपनाई है जो वास्तव में बड़ी वैज्ञानिक है । वस्तुतः डॉ. रघुवीर के काम का आधार यही है कि देश में सभी विषयों की पूरी शिक्षा हिन्दी और देश की भाषाओं के द्वारा होनी चाहिए और इसीलिए उन्होंने 'संस्कृत' का सहारा लिया है, क्योंकि दक्षिण भारतीय भाषाओं में संस्कृत के बहुत से शब्द समान रूप से व्यवहार में आते हैं।

5. प्रशासनिक शब्दावली : ---डॉ. रघुवीर ने प्रशासनिक शब्दावली के लिए हिन्दी पर्याय पर्याप्त संख्या में बनाए हैं । Action शब्द को लें । डॉ रघुवीर के कोश में इसके बीस से अधिक प्रयोग दिए गए हैं जैसे---लीगल, क्रिमिनल, पर्सनल आदि । राहुलजी ने भी अपने 'शासन शब्दकोश' में इसके बारह प्रयोग दिए हैं । Action दोनों कोशों में ही 'कार्रवाई' है । दूसरा शब्द है---Inland Revenue। डा. रघुवीर ने इसके लिए 'अंतर्देशीय आगम' और राहुल जी ने 'अन्तर्देशीय आय' लिखा है । साथ ही डॉ. रघुवीर ने Inland के लिए 'देशाभ्यंतर' भी लिखा है । यहां उल्लेखनीय है कि 'आगम' शब्द 'आगम-निगम' के रूप में हिन्दी में दूसरे अर्थ में प्रचलित है । अतः भ्रान्ति की संभावना है । एक अन्य शब्द 'Defence' है। इसके लिए डॉ. रघुवीर ने प्रतिरक्षा' शब्द बनाया है। परन्तु आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने सब जगह उपसर्ग लगाने की नीति पर आलोचना की है । उनका कहना है कि यहां 'प्रति' उपसर्ग व्यर्थ है क्योंकि रक्षा स्वयं आक्रमण के प्रति रक्षा है, रक्षा की प्रतिरक्षा क्या होगी । यदि साधारण रक्षा और देश रक्षा में अन्तर ही करना हो तो 'राष्ट्ररक्षा' या 'देशरक्षा' शब्द ज्यादा अच्छा रहता । राहुल जी ने भी अपने कोश में 'प्रतिरक्षा' शब्द का ही प्रयोग किया है ।

6. आयकर शब्दावली :---'Income Tax' शब्द के लिए डॉ. रघुवीर ने 'आयकर' को स्वीकार किया है, जो सरल भी है और प्रचलित भी । परन्तु मूल शब्द से अनेक समास-शब्द बनाए हैं जो कठिन हैं---

Income Tax deduction		व्यवकलन (डॉ. रघुवीर) कटौती (प्रचलित)
Income Tax Bearing Block	)	आय प्रदायी खण्ड (डॉ. रघुवीर)
	(	आय वाले खण्ड (प्रचलित)
Income Tax Return	)	आयकर प्रतिवरण (डॉ. रघुवीर)
	(	आयकर विवरणी (प्रचलित)
Income Tax Refund	)	आयकर प्रत्यर्पण (डॉ. रघुवीर)
	(	आयकर वापसी (प्रचलित)

स्पष्ट है कि डा. रघुवीर ने प्रचलित तथा सरल शब्दों के स्थान पर कहीं-कहीं संस्कृतनिष्ठ शब्द रखे हैं जोकि जन-सामान्य के लिए कठिन हैं ।

7. डाक शब्दावली :--- एक प्रचलित शब्द है---Deposit। इसका सामान्य अर्थ है---जमा । परन्तु डॉ. रघुवीर ने इसके लिए 'निक्षेप' शब्द चुना है । इसका परिणाम यह हुआ है कि 'Deposit at call' के लिए 'मांग-जमा' के बजाय डा. रघुवीर को 'याचनादेयनिक्षेप' शब्द गढ़ना पड़ा । 'Post' शब्द के लिए डा. रघुवीर ने प्रारम्भ में 'डाक' शब्द स्वीकार किया, यथा--Postage---डाक, Postage-paid---डाक व्यय देकर, परन्तु इसके साथ उन्होंने एक विकल्प भी दिया है---पत्र-प्रेष शुल्क और आगे के शब्दों में उन्होंने डाक के बदले 'प्रेष' शब्द को ही अपनाया । यथा---

Post Card---प्रेष पत्रक

Reply---सोत्तर (जवाबी)

Past Parcel---प्रेष परिवेष्ट

Post Insurance---प्रेषालय आगोप

डॉ. रघुवीर ने 'Insurance' के लिए 'आगोप' शब्द रखा है जबकि 'बीमा' अति प्रचलित शब्द है ।

8. रेल शब्दावली : ---डॉ. रघुवीर ने 'रेल' शब्द के लिए 'अयोयान' (लोहागाड़ी) या संयान और रेलवे के लिए 'अयोमार्ग' शब्द रखा है । यह ठीक है कि जर्मन, फ्रेंच और रूसी भाषाओं में भी इसी अर्थ के समास आइसेनबान, चेयॉ

शेष पृष्ठ 20 पर

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में हिन्दी कैसे आई

□इंजी. राजेन्द्र कुमार गर्ग*

आज केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, भारत सरकार के ऐसे कुछ विभागों में से है जिसमें बहुत काफी कार्य हिन्दी में हो रहा है। विशेषत: उसके "क" तथा "ख" क्षेत्र के कार्यालयों में। केवल प्रशासन का कार्य ही नहीं, बल्कि तकनीकी कार्य भी हिन्दी में होने लगा है। प्राक्कलन (एस्टीमेट) माप पुस्तिका, स्थल आदेश रजिस्टर, निरीक्षण रिपोर्ट टैस्ट रजिस्टर आदि तथा आर्कीटेक्ट के नक्शों का कार्य भी हिन्दी में हो रहा है। परन्तु यह कैसे संभव हो सका है, इसके पीछे एक अनूठी कहानी है जो यह सिद्ध करती है कि यदि कोई चाहे तो बिना साधनों के भी दृढ़ इच्छा शक्ति लगन, त्याग, सूझबूझ तथा प्रेरणा से भी हिन्दी के प्रयोग को चलाया जा सकता है और बढ़ाया जा सकता है।

बात लगभग 1960-62 की है। केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय खुल चुका था। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग का सारा विभागीय अंग्रेजी साहित्य अनुवाद के लिए वहां भेजा जा चुका था। 26 जनवरी, 1965 से केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में अंग्रेजी के स्थान पर हिन्दी आनी थी।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में उस समय श्री एन. जी. दीवान मुख्य इंजीनियर थे और श्री कृष्ण चन्द्र जोशी प्रशासन निदेशक। उस समय विभागाध्यक्ष (वर्तमान निर्माण महानिदेशक) का पदनाम मुख्य इंजीनियर हुआ करता था। सरकारी काम-काज में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के लिए केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद की एक शाखा इस विभाग में भी स्थापित हुई। श्री जोशी शाखा के प्रधान बने और श्री दीवान संरक्षक।

सन् 1963 में 'निर्माण' नाम की एक छमाही गृह-पत्रिका आरंभ हुई। श्री दीवान हिन्दी नहीं जानते थे। उन्होंने उर्दू पढ़ी थी और बहुत अच्छी उर्दू बोल लेते थे। किन्तु इससे क्या फर्क पड़ता है ? उर्दू भी तो हिन्दी की ही एक शैली है। बस, उन्होंने पत्रिका के लिए अपना आशीर्वाद दिया जो नागरी में पत्रिका के प्रथम अंक में प्रकाशित कर दिया गया। प्रथम अंक का विमोचन स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शाखा द्वारा आयोजित "राष्ट्र-वन्दना" उत्सव के तत्कालीन कृषि मंत्री स्वर्गीय डा. राम सुभग सिंह के कर-कमलों से सम्पन्न हुआ।

सन् 1967 तक पत्रिका के 7 अंक निकले। उसके माध्यम से विभाग में हिन्दी प्रयोग का कार्य प्रशस्त हुआ। सभी कार्यालयों में अनुकूल वातावरण बना। विभाग में टिप्पणी और प्रारुप लेखन प्रतियोगिताएं होने लगी थी और विजेताओं को सार्वजनिक समारोहों में पुरस्कार प्रदान किए जाते थे। राष्ट्र-वन्दना उत्सव प्रति वर्ष मनाया जाने लगा था। उसमें विभाग के बहुत से हिन्दी से इतर मातृभाषाओं वाले अधिकारी एवं कर्मचारी भी भाग लेते थे और अपनी-अपनी मातृभाषाओं में गद्य या पद्य में राष्ट्र भाषा या राष्ट्र-प्रेम संबंधी अपने उद्गार प्रकट करते थे। जिनके हिन्दी अनुवाद भी साथ-साथ सुनाने की व्यवस्था रहती थी। समय-समय पर और भी गोष्ठियां हुआ करती थीं।

"निर्माण" पत्रिका भी अपने ढंग की अनूठी पत्रिका थी। इसमें शंकर कुरुप और सुब्रह्मण्य भारती आदि जैसे अनेक कवियों की प्रसिद्ध कविताएं नागरी लिपि में हिन्दी पद्यानुवाद सहित दी जाती थीं। बोल-चाल के कुछ वाक्य हिन्दी के साथ चार-चार, छह-छह अन्य भाषाओं में दिए जाते थे। "मां भारती का परिवार" नाम से सभी भारतीय भाषाओं में प्राय: एक से बोले जाने वाले पन्द्रह पचीस शब्दों की तालिका प्रत्येक अंक में देकर यह दिखाया जाता था कि भारत की सभी भाषाएं विस्तृत नदियां, ऊंचे पहाड़ और दुर्गम वन लांघती हुई सगी बहिनों की भांति सारे देश को एक सूत्र में बांधती हैं। भाषाओं की यह एकरूपता ही राष्ट्र-भाषा हिन्दी को विभिन्न मातृभाषा भाषियों के लिए सरल, सुगम और सुबोध बना देती है, राष्ट्रपति एकात्मता की मनोहर झांकी प्रस्तुत करती है। तकनीकी विषयों पर लेख, नक्शे, चित्र, टिप्पणियां तथा प्रारुप आदि तो दिए ही जाते थे, पत्रिका को रोचक बनाने के लिए विभागीय समाचार, वेद-वाणी, महापुरुषों के वचन, प्रेरक उद्धरण, विविधा और पहेलियां तक दी जाती थीं। मजे की बात तो यह है कि वे पहेलियां भी बहुधा शिल्प-संबंधी ही होती थीं जो इंजीनियरों को विशेष आकर्षित करती थीं। दो-एक पहेलियां यहां उद्धृत करने का लोभ नहीं संवल हो पा रहा :

अंक 5 से उद्धृत ——

एक मदारी अपना बन्दर
रखता सदा जेब के अन्दर।
पूंछ पकड़ उसे नचाता
और भीत के साथ लगाता।
कभी न वह धोखा खाता है,
टेढ़ी-सीधी बतलाता है।

(उत्तर : साहुल का गोला)

*सहायक इंजीनियर, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग
बी-372, लोक विहार, पीतमपुरा, नई दिल्ली।

अंक 7 से उद्धृत—

नाव बिना ही पहुंचा देता नदी-पार है,
एक पांव इस पार, दूसरा नदी-पार है ।
बाधा देती नहीं तनिक भी उसे धार है,
फैलाता निज अभियन्ता का यश अपार है ।

(उत्तर . पुल)

पुराने लोगों से बात करने पर मालूम हुआ कि इस सब कार्य कलाप के पीछे छिपा हाथ इंजी. विश्वंभर प्रसाद 'गुप्त-बन्धु' का था, जो कुछ तो स्वयं ही लिखते थे और कुछ दूसरों को प्रेरित करके उनसे लिखवा लिया करते थे वे केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद् के एक स्थापक सदस्य थे और केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग शाखा के उप-प्रधान हुआ करते थे । हिन्दी, उर्दू और संस्कृत के विद्वान श्री गुप्त इंस्टिट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (इंडिया) के फैलो (वरिष्ठतम श्रेणी के सदस्य) और 1965 से उसके जरनल के हिन्दी विभाग के आनरेरी तकनीकी सम्पादक हैं तथा 1976 इस विभाग से अधीक्षक इंजीनियर पद से रिटायर हुए हैं । यह पद भी उन्हें बाद में न्यायालय के निर्णय के अनुसार मिला। विभाग में रहते हुए वे वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग की सिविल इंजीनियरी विशेषज्ञ समिति के सदस्य नामित हुए थे और गृह मंत्रालय की हिन्दी शिक्षण योजना के लिए सम्पर्क अधिकारी भी थे तथा रुड़की विश्वविद्यालय द्वारा अनूदित स्नातक स्तर की इंजीनियरी पुस्तकों के संवीक्षक रहे हैं ।

गुप्त जी अपना सारा काम यथाशीघ्र निपटाकर शेष तथा कुछ अतिरिक्त समय हिन्दी-सम्बन्धी काम में लगाते थे । उस समय विभागों में हिन्दी अधिकारी, अनुवादक, हिन्दी आशुलिपिक, आदि नहीं होते थे । आज तो इनकी सहायता प्रायः सभी बड़े कार्यालयों में उपलब्ध है । उन्होंने सारे विभाग में हिन्दी के प्रयोग के लिए अनुवाद करने और तकनीकी सलाह देने का जिम्मा सेवाभाव से स्वयं ले लिया और प्रशासन निदेशक ने, जो केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग शाखा के प्रधान भी थे, सभी कार्यालयों को सूचित कर दिया कि वे हिन्दी में अपना काम करने के लिए गुप्त जी की सहायता ले सकते हैं । अत्यन्त तकनीकी विषयों पर भी उनकी छोटी बड़ी, दो-दो पृष्ठ तक की टिप्पणियां, मंत्रालय की फाइलों पर भी हिन्दी में ही होती थीं, और विभाग की ओर से वहां जाती थीं । टिप्पणियां में वे पारिभाषिक शब्द भी हिन्दी के ही (प्रायः स्वनिर्मित) लिखते थे । किन्तु दूसरों की सुविधा की दृष्टि से उनके अंग्रेजी पर्याय भी वहीं (कोष्ठक में) लिख दिया करते थे। मंत्रालय के श्री हरिबाबू कंसल (जो उप सचिव होकर रिटायर हुए और केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद् के संस्थापकों में से एक हैं और अभी तक इस संस्था से जुड़े हैं) तकनीकी विषयों पर हिन्दी में टिप्पणियां प्राप्त करने की आकांक्षा रखते हुए अपनी फाइलें विशेष रूप से गुप्त जी के नाम भेजते थे ।

सरकारी काम-काज के लिए गुप्त जी ने एक हिन्दी टाइप मशीन कैसे प्राप्त की, इसकी भी रोचक कहानी है । उनका स्टेनो-टाइपिस्ट श्री ज्ञान प्रकाश बहुत ही निपुण, आज्ञाकारी और उत्साही था । वह हायर सैकण्डरी तक हिन्दी पढ़ा था, किन्तु टाइप करना केवल अंग्रेजी में ही जानता था । श्री गुप्त ने उसे सुझाया कि हिन्दी में टाइप करना कुछ कठिन नहीं है, अगर नागरी अक्षरों का ज्ञान है तो जिस अक्षर की कुंजी दबाओगे वही अक्षर टाइप हो जाएगा । टाइप तो मशीन करती है, बस, हिन्दी टाइप मशीन होनी चाहिए । फिर क्या था; उससे कहलवा लिया गया कि 5 हिन्दी में टाइप कर सकता हूं, और उसके लिए तुरंत ही एक हिन्दी टाइप मशीन बाजार से किराए पर मंगा दी गई । फिर तो उसने स्वयं ही उस मशीन पर सरकारी काम करते-करते ही हिन्दी टाइपिंग भी सीख ली । बाद में उसने हिन्दी आशु-लिपि भी सीख ली और द्वितीय श्रेणी का श्रेष्ठ आशुलिपिक बना । विधि मंत्रालय में कार्यरत वह आशुलिपिक प्रारम्भिक प्रोत्साहन के लिए आज भी गुप्त जी का आभारी है ।

1966 में गुप्त जी का स्थानान्तरण इलाहाबाद हो गया । किन्तु, हिन्दी प्रयोग की जो रुचि उन्होंने सारे विभाग में उत्पन्न कर दी थी, वह बराबर पढ़ती गई । इलाहाबाद में भी हिन्दी का प्रयोग होने लगा था । उनके पहुंचने पर वहां काम भी और जोर-शोर से होने लगा । छोटे-मोटे काम और टिप्पणियां-प्रारुप आदि तो हिन्दी में होते ही थे, सालाना मरम्मत के अनुमान भी हिन्दी में बनने लगे । दिसंबर, 1968 में वे पुनः दिल्ली पहुंच गए और निर्माण सर्वेक्षक के पद पर नियुक्त हुए । यहां उन्होंने विभाग में एक हिन्दी शाखा स्थापित करवाई और दिन-रात काम करके, नाम-मात्र का स्टाफ पाकर सभी अधिकांश विभागीय साहित्य, मैन्युएल, कोड, दर अनुसूचियों, विनिर्देशों और फार्मों आदि के हिन्दी अनुवाद कर डाले और काफी कुछ छपवा भी लिए । विभाग से सभी कार्यालयों में हिन्दी कार्यान्वयन समितियों का गठन कराया और हिन्दी-प्रयोग के मार्ग की सारी अड़चनें दूर कीं ।

फिर गुप्त जी ने अपने प्रमुख इंजीनियर की ओर से (अब तक विभागाध्यक्ष का पदनाम 'प्रमुख इंजीनियर' हो चुका था) हिन्दी शाखा के लिए प्रस्ताव तैयार करके मंत्रालय को भिजवाया शाखा खुली और गुप्त जी उसके प्रमुख नियुक्त हुए ।

1976 में श्री विश्वंभर प्रसाद 'गुप्त-बन्धु' विभाग से रिटायर हुए । तब तक उन्होंने न केवल हिन्दी शाखा को सुदृढ़ कर लिया था, बल्कि विभाग में भी हिन्दी-प्रयोग की

शेष पृष्ठ 23 पर

82×10 = 820
90×10 = 900
35×10 = 350
2070

विश्वविद्यालयों में हिन्दी का प्रयोग कैसे बढ़े

□जगन्नाथ*

भारत सरकार की 1986 में घोषित राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत उच्च स्तर तक शिक्षा का माध्यम हिन्दी भाषी क्षेत्रों में हिन्दी होना अनिवार्य हो गया है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अपने 5 मई, 1988 के पत्र सं. 1-2/85(हिन्दी) द्वारा हिन्दी भाषी राज्यों में स्थित सभी विश्वविद्यालयों को सूचित किया है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय की हिन्दी शिक्षा समिति तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की समिति ने यह निर्णय किया है कि हिन्दी भाषी राज्यों में स्थित विश्वविद्यालय भारत सरकार की राजभाषा नीति को लागू करने की ओर विशेष ध्यान दें तथा भविष्य में समस्त पत्राचार हिन्दी में करें। इस प्रकार विश्वविद्यालयों में न केवल हिन्दी का उच्च स्तर तक शिक्षा का माध्यम बनाया जाना जरूरी है, अपितु यह भी आवश्यक है कि उनके समस्त प्रशासनिक कार्यों में हिन्दी का प्रयोग हो। किन्तु इन आदेशों के होते हुए भी कई विश्वविद्यालयों में अभी भी शिक्षण में और प्रशासन में हिन्दी का प्रयोग वांछित मात्रा से कम ही हुआ है। उत्तर प्रदेश के और हरियाणा के कुछ विश्वविद्यालयों में अभी भी अंग्रेजी के आशुलिपिक और अंग्रेजी के टाइपिस्ट भर्ती किए जा रहे हैं, उनके रुटीन प्रकार के फार्म भी केवल अंग्रेजी में छप रहे हैं और फाइलों पर टिप्पणियां भी हिन्दी में कम ही देखने को मिलती हैं। अतः यह आवश्यक है कि कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सकेगा।

भारत सरकार के मंत्रालयों, विभागों, सम्बद्ध तथा अधीनस्थ, कार्यालयों और निगमों आदि में हिन्दी के प्रयोग संबंधी आदेशों के कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का गठन किया गया है जिनमें सभी प्रभागों के अधिकारी सदस्य होते हैं। केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद को भी उसमें प्रतिनिधित्व दिया गया है। इसकी बैठकें प्रत्येक तिमाही में एक बार अवश्य होती हैं। जिनकी अध्यक्षता कार्यालय के प्रमुख करते हैं। इन बैठकों में इस बात की समीक्षा की जाती है कि हिन्दी के प्रयोग संबंधी आदेशों का अनुपालन किस अंश तक हो चुका है और जिस अंश में वह नहीं हो रहा है। उसमें आने वाली कठिनाईयों का निराकरण किस प्रकार किया जाए। अतः यह आवश्यक है कि इस प्रकार की राजभाषा कार्यान्वयन समितियां प्रत्येक विश्वविद्यालय में गठित की जाएं। वस्तुतः बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय ने इस प्रकार की समिति का पहले से ही गठन कर दिया है और उसकी बैठकें भी होती हैं। फलस्वरूप अब हिन्दी में कुछ कार्य होने लगा है।

जब-जब हिन्दी के प्रयोग की बात की जाती है तब-तब कई प्रकार की कठिनाईयां गिनाई जाने लगती हैं। यह हो सकता है कि कुछ जटिल प्रकार के कार्य प्रारम्भ में हिन्दी में करने कठिन हों। किन्तु अनेक प्रकार के कार्य ऐसे हैं जो रुटीन प्रकृति के हैं और उन्हें तुरन्त हिन्दी में कराया जाना चाहिए। कुछ उदाहरण नीचे दिए जा रहे हैं :—

(1) सभी नाम-पट्टों तथा सूचना-पट्टों में केवल हिन्दी का ही प्रयोग किया जाए। यदि कुछ बोर्ड अंग्रेजी में बनवाए जाने अत्यंत आवश्यक हों, तो उनमें हिन्दी पहले तथा ऊपर रहे।

(2) सभी प्रकार के साइक्लोस्टाइल हुए अथवा छपे हुए फार्म आदि तथा पत्र आदि केवल हिन्दी में ही हों जिनको आसानी से भर करके हिन्दी के प्रयोग की मात्रा बढ़ाई जा सकती है।

(3) स्वागत कक्ष द्वारा दिए जाने वाला प्रवेश-पत्र, सभी प्रकार की पंजियों के शीर्षक, रसीदें, पाठ्य-कर्म, प्रवेश सूचनाएं आदि हिन्दी में ही हों।

(4) सभी प्रकार की लेखन सामग्री और पत्र शीर्ष आदि हिन्दी में ही छपवाए जाएं।

(5) न केवल हिन्दी भाषी राज्यों को अपितु गुजरात महाराष्ट्र, पंजाब, चण्डीगढ़, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को जाने वाले पत्र आदि भी हिन्दी में ही भेजे जाएं। अब भारत सरकार ने भी इन प्रदेशों को भेजे जाने वाले शत-प्रतिशत पत्रों को हिन्दी में ही भेजे जाने का लक्ष्य बनाया है और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। भारत सरकार को भेजे जाने वाले पत्र आदि भी हिन्दी में ही हों क्योंकि अब भारत सरकार के कार्यालयों में हिन्दी के पत्रों का तत्काल उत्तर दिए जाने की व्यवस्था कर दी गई है।

(6) तार हिन्दी में ही भिजवाएं। हिन्दी में दिए गए तार अंग्रेजी तारों की अपेक्षा सस्ते भी पड़ते हैं।

(7) विज्ञापन हिन्दी समाचार-पत्रों में भी अवश्य दें और वे हिन्दी में ही दिए जाएं।

विश्वविद्यालय में बढ़ते हुए हिन्दी काम को निपटाने के लिए यह आवश्यक है कि आगामी भर्ती में केवल हिन्दी के ही आशुलिपिक तथा हिन्दी के ही टाइपिस्ट नियुक्त किए जाएं, क्योंकि लगभग 18 वर्ष की अवस्था में एक आशुलिपिक/टाइपिस्ट नियुक्त हो जाता है। इस प्रकार अंग्रेजी के आशुलिपिकों तथा अंग्रेजी के टाइपिस्टों के नियुक्त हो जाने

*ए–26, रोहित कुंज, डाकखाना–रानी बाग, दिल्ली–110034

से आगामी 40 वर्ष (उनके सेवा-निवृत्ति का समय) तक हिन्दी के प्रयोग का कार्य रुक जाता है। जो कार्य अंग्रेजी में किया जाना आवश्यक हो वह वर्तमान अंग्रेजी के आशुलिपिकों तथा अंग्रेजी के टाइपिस्टों से कराया जा सकता है। वर्तमान अंग्रेजी के आशुलिपिकों तथा अंग्रेजी टाईपिस्टों को हिन्दी आशुलिपि/टाइपिंग कला भी सिखाई जाए। अब भारत सरकार के राजभाषा विभाग ने भी अपने 20 अगस्त, 1987 तथा 1 फरवरी 1988 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा हिन्दी भाषी क्षेत्र में आशुलिपिकों तथा टंककों के कुल पदों पर जब तक कम से कम 50 प्रतिशत हिन्दी के आशुलिपिक तथा टंकक नियुक्त नहीं हो जाएं तब तक अंग्रेजी के आशुलिपिक तथा टंकक भर्ती नहीं किए जा सकते। इस अनुपात से अधिक तो हिन्दी आशुलिपिक तथा हिन्दी टंकक अवश्य रखे जा सकते हैं; किन्तु कम नहीं। ऐसे ही आदेश हिन्दी टाइपराइटरों की खरीद के बारे में भी राजभाषा विभाग ने अपने पहली फरवरी, 1988 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा जारी किए हैं। वर्तमान अंग्रेजी के आशुलिपिकों तथा टंककों द्वारा सरकारी व्यवस्था के माध्यम से भी या निजी प्रयत्नों से हिन्दी आशुलिपि तथा हिन्दी टंकण कला सीख लेने पर अग्रिम वेतन वृद्धि तथा नकद पुरस्कार और प्रमाण-पत्र दिए जाते हैं। इसी प्रकार की व्यवस्था विश्वविद्यालय और महाविद्यालय कर सकते हैं।

उच्च स्तर तक हिन्दी माध्यम

जहां तक उच्च स्तर पर हिन्दी को शिक्षा का माध्यम बनाए जाने की आवश्यकता का प्रश्न है प्रायः यह दलील दी जाती है कि पाठ्य पुस्तकों का अभाव है। किन्तु पिछले 10 वर्षों में सभी विषयों में पर्याप्त साहित्य (जिसमें तकनीकी और वैज्ञानिक साहित्य भी सम्मिलित है) हिन्दी में उपलब्ध हो गया है। भारत सरकार के सभी मंत्रालयों ने अपने-अपने विषयों से संबंधित हिन्दी में मौलिक पुस्तकें लिखे जाने के लिए नकद पुरस्कार योजनाएं चालू की हैं जिनके तहत कई हजार रुपए के पुरस्कार दिए जाते हैं। अनेक हिन्दी भाषी राज्यों की सरकारों ने भी और उनकी अकादमियों, विश्वविद्यालयों तथा निजी प्रकाशकों ने हिन्दी में पर्याप्त साहित्य प्रकाशित कर दिया है। भारत सरकार के केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय ने भी काफी साहित्य हिन्दी में उपलब्ध करा दिया है। आवश्यकता इस बात की है कि सभी विश्वविद्यालय अपने काम के लिए टन स्रोतों से हिन्दी पुस्तकों की सूचियां मंगवा लें। फिर यदि किन्हीं विषयों में कुछ पुस्तकों का अभाव हो भी, तो भी यदि परीक्षार्थी अंग्रेजी की पुस्तकें पढ़ कर हिन्दी में परीक्षा देना सरल समझें तो उन्हें यह सुविधा दी ही जानी चाहिए। आरम्भ में अध्यापक मिली जुली भाषा में पढ़ाई करा सकते हैं। जब पुस्तकों की मांग होगी तो लेखक और प्रकाशक और भी अधिक पुस्तकें लिखेंगे और प्रकाशित करने के लिए स्वतः आगे आ जाएंगे। इस अर्थ युग में बिना मांग के कोई न तो श्रम करना चाहता है और न पूंजी लगाना चाहता है।

एक प्रश्न यह भी उठाया जाता है कि यदि उच्चतम स्तर तक हिन्दी को शिक्षा का माध्यम बना भी दिया जाए तो अध्यापक कहां से आएंगे। किन्तु बात उतनी कठिन नहीं है जितनी यह दिखाई देती है। अध्यापक अंग्रेजी के तकनीकी शब्दों का प्रयोग करते हुए हिन्दी में प्रशिक्षण दे सकते हैं। हिन्दी में पढ़ाई कराने के लिए प्राध्यापकों को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें प्रोत्साहन भत्ता दिया जा सकता है। ऐसे अध्यापकों को कार्यशालाओं के माध्यम से विशेष प्रशिक्षण दिया जा सकता है। आगामी भर्ती में ऐसे अध्यापक नियुक्त किए जाएं जो आवश्यकतानुसार हिन्दी में भी पढ़ाई करा सकें। जब भारत के वैज्ञानिक, इंजीनियर और डाक्टर ऐसे देशों में आगामी पढ़ाई करने के लिए जाते हैं जिनकी भाषा अंग्रेजी नहीं है (उदाहरण के लिए जर्मनी, रूस और जापान आदि) तो उन्हें कुछ सप्ताह के लिए देश विशेष की काम चलाऊ भाषा सिखा दी जाती है और वे अपनी पढ़ाई पूरी कर लेते हैं। इसी प्रकार से यदि कुछ हिन्दीतर भाषी अथवा विदेशी छात्र भारत के विश्वविद्यालयों में आगामी उच्च पढ़ाई करने के लिए आएं तो उन्हें हिन्दी भाषा की प्रारम्भिक शिक्षा दी जा सकती है।

हिन्दी माध्यम से उत्तीर्ण स्नातकों की खपत

एक तर्क यह दिया जाता है कि यदि विश्वविद्यालय उच्च स्तर तक की शिक्षा का माध्यम हिन्दी कर दें तो हिन्दी माध्यम से उत्तीर्ण युवकों को रोजगार के अवसर नहीं होंगे क्योंकि भारत सरकार की भर्ती परीक्षाओं में अंग्रेजी माध्यम है। किन्तु इस तर्क का अब ठोस आधार नहीं रह गया है। पिछले 15 वर्षों में भारत सरकार की लगभग 150 भर्ती संबंधी प्रतियोगिताओं में हिन्दी के वैकल्पिक प्रयोग की सुविधा दे दी गई है। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली सिविल परीक्षा के माध्यम से 29 पदों और सेवाओं के लिए ली जाने वाली परीक्षा में सभी भारतीय भाषाओं के वैकल्पिक प्रयोग की सुविधा दे दी गई है। ये सेवाएं तथा पद श्रेणी-1 तथा श्रेणी-ii के राजपत्रित हैं यही नहीं, कृषि मंत्रालय के कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड द्वारा ली जाने वाली कृषि वैज्ञानिक अनुसंधान सेवा परीक्षा में भी हिन्दी के वैकल्पिक प्रयोग की सुविधा दे दी गई है। परीक्षार्थियों को एक व्यावसायिक विषय के दो प्रश्न-पत्रों के उत्तर भी देने होते हैं जो हिन्दी माध्यम से भी दिए जा सकते हैं। परीक्षा में बैठने के लिए आवेदकों को संबंधित व्यावसायिक विषय में मास्टर डिग्री प्राप्त होनी चाहिए। इस उच्च स्तरीय परीक्षा में अंग्रेजी भाषा का पृथक से कोई प्रश्न-पत्र नहीं है। इस परीक्षा के आधार पर कृषि से संबंधित 50 प्रकार की सेवाओं में नियुक्तियां की जाती

हैं। इस परीक्षा के आधार पर मास्टर कोर्स स्तर तक की प्रौद्योगिकी एवं इंजीनियरी संबंधी 8 सेवाओं में भी हिन्दी के विकल्प की सुविधा है और अंग्रेजी का प्रश्न पत्र नहीं है। (इस विषय में दूरी जानकारी के लिए लेखक की पुस्तिका "केन्द्रीय भर्ती परीक्षाओं में हिन्दी कितनी बढ़ी है, कितनी अटकी" पढ़ें जो केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद, एक्स. वाई.-68, सरोजनी नगर, नई दिल्ली-23 द्वारा प्रकाशित की गई है)। अतः विश्वविद्यालयों की उच्च स्तर तक की तकनीकी और वैज्ञानिक पढ़ाई का माध्यम भी हिन्दी किया जा सकता है क्योंकि उनके सफल स्नातकों के लिए अब रोजगार के समुचित अवसर हो गए हैं। जिन-जिन केन्द्रीय भर्ती परीक्षाओं में हिन्दी माध्यम से परीक्षा का विकल्प अभी तक नहीं हुआ है उनमें भी यह विकल्प दिए जाने का विषय विचाराधीन है और इनमें भी शीघ्र ही हिन्दी माध्यम का विकल्प हो जाएगा।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का कर्तव्य

यह ठीक है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों को अपना प्रशासनिक कार्य हिन्दी में करने तथा उच्च स्तर तक की पढ़ाई हिन्दी माध्यम से कराने के आदेश दे दिए हैं। किन्तु इतना मात्र ही पर्याप्त नहीं है। यह आवश्यक है कि आयोग सभी विश्वविद्यालयों से इस विषय में एक प्रश्नावली के आधार पर तिमाही प्रगति रिपोर्ट मंगा ले और उनकी समीक्षा करें कि हिन्दी की प्रगति कहां तक हुई है। जिन-जिन कार्यों में कुछ विश्वविद्यालयों हिन्दी का प्रयोग कराने लगे हैं और वैसा ही कार्य अन्य विश्वविद्यालयों में अंग्रेजी में हो रहा है तो पहले प्रकार के विश्वविद्यालयों का उदाहरण देकर दूसरे प्रकार के विश्वविद्यालयों को उनका अनुकरण करने के लिए कहा जाए। यह भी आवश्यक है कि साल में कम से कम तीन बार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सभी विश्वविद्यालयों के अधिकारियों की एक बैठक बुलाकर उनके बीच में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के लिए तालमेल स्थापित करें जिससे कि सभी विश्वविद्यालय दोहरा परिश्रम न करें। विभिन्न विषयों में अपेक्षित साहित्य हिन्दी में प्रकाशित कराए जाने के लिए भिन्न-भिन्न विश्वविद्यालयों को कार्य सौंपा जा सकता है। यह भी आवश्यक है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्वविद्यालयों का हिन्दी के प्रयोग की दृष्टि से समय समय पर निरीक्षण भी कराता रहे जैसा कि भारत सरकार के मंत्रालय तथा राजभाषा विभाग के अधिकारी केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों का करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य यह भी कि आयोग के अधिकारी विश्वविद्यालयों में जाकर मौके पर हिन्दी के प्रयोग संबंधी उनकी समस्याओं और शंकाओं का समाधान करें।

जो विभाग अथवा विश्वविद्यालय हिन्दी प्रयोग में उत्साह दिखाएं उनके प्रोत्साहन तथा हिन्दी प्रयोग को सुगम बनाने के लिए उन्हें कुछ अतिरिक्त अनुदान दिया जाए। इसे देखकर इस विषय में शिथिल विभाग तथा विश्वविद्यालय भी आगे आ सकते हैं।

जनता का कर्तव्य

विश्वविद्यालयों में हिन्दी के प्रयोग के विषय में हिन्दी सेवी संस्थाओं और हिन्दी प्रेमी व्यक्तियों को भी जागरूक रहने की आवश्यकता है। वे निरन्तर इस बात के लिए विश्वविद्यालयों पर दबाव बनाए रहें कि वे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के आदेशों का अनुपालन करें। कई बार नीचे स्तर पर अंग्रेजी में काम होता रहता है। और कुलपतियों और कुलाधिपतियों को उसकी जानकारी नहीं हो पाती। जब-जब भी हिन्दी के प्रयोग के विषय में शिथिल देखी जाए तब तब निश्चित उदाहरण देते हुए कुलपतियों और कुलाधिपतियों को (राज्यपाल अपने क्षेत्र के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति होते हैं) तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष को पत्र लिखे जाएं। यह विषय विश्वविद्यालयों की प्रबंध समितियों और सीनेट तथा सिंडीकेट आदि में भी उठाया जाए। गोष्ठियों, सम्मेलनों, आदि सभी मंचों से हिन्दी के पक्ष में अनुकूल वातावरण बनाए जाने की आवश्यकता है। अध्यापकों और विद्यार्थियों में राष्ट्रभक्ति को जगाया जाए।

यदि नीयत ठीक है और राष्ट्रीयता से प्रेम है तो सभी रुकावटें आसानी से दूर हो सकती हैं। □

पृष्ठ 15 का शेष

द फर और जेलज्नामा द रोगा प्रचलित हैं और हमारे देश में भी 'धुवांगाड़ी' शब्द प्रचलित था। मराठी में आज भी 'आगगाड़ी' शब्द प्रचलित है। यहां पर यह ध्यान देने योग्य बात है कि 'रेल' शब्द देश की सभी भाषाओं में प्रचलित हो गया है, अतः 'रेल' शब्द का प्रयोग ज्यादा ठीक रहेगा।

इस प्रकार हम देखते हैं कि डा. रघुवीर ने शब्दावली निर्माण में अपूर्व योगदान दिया है। यद्यपि शब्दनिर्माण में उनका आधार 'संस्कृत' रही है परन्तु इससे डा. रघुवीर के कोश की महत्ता और उपयोगिता कम नहीं होती। निश्चय ही, डा. रघुवीर ने आगे के कोशकारों का मार्ग प्रशस्त किया है। उनको इस बात का श्रेय है कि उन्होंने पहली बार एक ही स्थान पर ज्ञान-विज्ञान की सभी शाखाओं के पारिभाषिक शब्दों का संग्रह किया और इस कार्य की पद्धति निर्धारित की है। निश्चय ही, हिन्दी-अंग्रेजी पारिभाषिक शब्दावली निर्माण के इतिहास में डा. रघुवीर चिरस्मरणीय रहेंगे। □

80×12 = 960
96×10 = 960
80×11 = 880
2800

नेहरू : शैक्षिक एवं भाषिक चिन्तन

☐ रमेश चन्द्र राठौर*

यदि राजनीति नेहरू के सहज, संवेदनशील व्यक्तित्व को लील नहीं जाती तो इसमें कोई संदेह नहीं कि पण्डित जवाहरलाल नेहरू एक महान विश्वकक्ष के साहित्यकार होते। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है "विश्व इतिहास की झलक" में लिखे गये "पिता के पत्र पुत्री के नाम" परिस्थितियों ने इस संवेदनशील, भावुक व्यक्तित्व को राजनीति की ओर धकेल दिया। राजनीति ने भी उनका मुखर विचार मंथन "सर्वजन हिताय" में ही रत रहता था।

"विश्व इतिहास की झलक" में हम इस महान व्यक्तित्व के शिक्षा, भाषा सम्बन्धी विचारों की भी झलक मात्र प्राप्त कर सकते हैं। नेहरू जी शिक्षाशास्त्री नहीं थे परन्तु एक विचारक होने के नाते इस सम्बन्ध में उनका विचार मंथन होना स्वभाविक ही है। यह हमें शिक्षानीति के रूप में दृष्टिगत नहीं होता, फिर भी एक स्पष्ट विचार, दृष्टिकोण अवश्य ही अवलोकित होता है।

पं. नेहरू शिक्षा को एकांगी या महज पढ़ना लिखना नहीं मानते थे। उनके विचार में शिक्षा आपकी बाद विवाद एवं विचार विनिमय द्वारा ही संभव है और कुछ जान पाने का यह आनंद ही अपने आपमें एक रोमांच है जिसे पाने का प्रयत्न मानव को मृत्युपर्यन्त करना चाहिए। उनका विश्वास है कि ऐसा होने पर मानव जीवन में वह क्षण भी उपलब्ध हो उठते हैं। जब समग्र समाज एक महान ध्येय के लिए एक समग्र विचार धारा के लिए चंचल हो उठता है। तब साधारण मानव भी महान कार्य कर डालता है। मानव को निर्भीक रहकर सत्य का पक्ष ग्रहण करना चाहिए तभी व्यक्ति का व्यक्तित्व निर्भिक साहसी, व प्रकाश का आत्मज हो सकता है।

शिक्षण सम्बन्ध में जहां विचार धारा का सहज आदान-प्रदान उनका लक्ष्य था। वहीं वह उत्तम स्वरूप मजबूत शरीर व पुष्ट अंग को शिक्षार्थी के लिए अत्यधंत आवश्यक मानते थे। रुग्ण शरीर मन को भी रुग्ण बना देता है। अतः स्वस्थ शरीर एवं स्वस्थ मस्तिष्क को वे हर व्यक्ति के लिए आवश्यक मानते थे।

विचार धाराओं के यज्ञ में वे मानते थे कि भारत अधिक सहिष्णु और उन्मुक्त इसलिए ही रहा है कि उसने विचार धारा के आदान-प्रदान की स्वतंत्रता व प्रवाह मानता को बनाये रखा है, जबकि विश्व की आम सभ्यताएं इसके अभाव में नष्ट हो गईं आज इसी कारण भारतीय दर्शन व विचार-धारा विश्व की मानवता की थाली है।

शैक्षिक क्षेत्र में नेहरू मानते थे कि प्रकृति को निरन्तर समझने का प्रयास कर उसे अपने उपयोग के लिए सततउपयोग करें, प्रकृति को हमने जमी करा है प्रकृति का निरंतर अध्ययन एवं मनन ही मानव को गतिशील बना सकता है। प्रकृति से सहयोग ही मानवीय प्रगति का लक्षण है। नेहरू जी मानते थे कि मात्र अधिक पुस्तकें पढ़ लेने से ज्ञानार्जन नहीं हो सकता, आवश्यकता इस बात की है कि आपने पुस्तक को कितने ध्यान से पढ़कर चिन्तन मनन उस पर किया है। कितना आपने ग्रहण किया है। "महान वस्तुएं महान श्रम एवं खतरों के बीच ही उपलब्ध होती है।" ज्ञानार्जन की यह ललक ही नेहरूजी के दृष्टि-कोण में वास्तविक शिक्षा का आधार है।

ऐतिहासिक शिक्षण के बारे में भी उनका स्पष्ट नजरिया है कि इतिहास मात्र कुछ व्यक्तियों के उत्थान, पतन का चित्रण नहीं होना चाहिए अपितु उसमें जनसाधारण का चित्रण और आकलन होना चाहिए जो अपने कार्यों और श्रमसे जीवन की आवश्यकताओं और सुविधाओं का उत्पादन करती है आपसी आदान-प्रदान, सहयोग, सहकार से ही सभ्यता, मानवता को गतिमान करती है, "मानवता का इतिहास वहां से आरम्भ होता है जहां से व्यक्ति ने अपने को अपने से बड़ी समष्टि में समाहित कर दिया"। सभ्यता का जन्म, विकास ही वास्तविक इतिहास है जिसे पढ़ाया जाना चाहिए।

शैक्षिक क्षेत्र में पं. नेहरू का अभिमत था कि दीवारें मत खड़ी करो, वह आपकी सबसे बड़ी दुश्मन एवं प्रगति पथ में बाधा है। न तो कोई पुरानी चीज महज पुरानी होने से ग्रहण किए जाने योग्य है और न ही कोई नई चीज महज नई होने से त्याज्य है। बुद्धिमान व्यक्ति तोलकर यह निर्णय करता है कि क्या लेना चाहिए और क्या नहीं। शिक्षा का यह आधार सर्वोत्तम है।

नेहरू ज्ञान विज्ञान के प्रबल समर्थक थे वे ज्ञान-विज्ञान तकनीक को पहचानते थे कपमंडूकता को वह शिक्षा का प्रबल शत्रु मानते थे। वे मानते थे कि शिक्षा के लिए मानव, मानव दिमाग एक खुली इमारत के समान होना चाहिए जिसमें सब ओर से प्रकाश व हवा आ सके। गुप्त साम्राज्य में ज्ञान, विज्ञान, कला, संस्कृति ने निर्भीक हो कर अपने पंख सुदुर प्रदेशों में एवं अनजान क्षितिजों तक फैलाई। अधिकांश चिन्तनशील साहित्य तभी निर्माण हुआ।

नेहरू चाहते थे कि हमारे शिक्षण क्रम से आधुनिकीकरण, मशीनीकरण, तकनीकीकरण करना आज के युग की महती आवश्यकता है। इसका शिक्षण प्रणाली में उचित स्थान व

*पुस्तकालयाध्यक्ष, केन्द्रीय विद्यालय, खंडवा पूर्व निमाड (म. प्र.)

प्रशिक्षण होना चाहिए तभी सस्ता, सुलभ, गुणवत्तायुक्त उत्पादन होगा और विश्व बाजार में वही टिक सकेगा। अतएव सहकारी क्षेत्र, व्यक्ति क्षेत्र राष्ट्रीय क्षेत्र की त्रिवेणी के संस्थानों के संगम में तालमेल, सहयोग होना आवश्यक है।

नेहरूजी आधुनिक प्रगति को शिक्षण के अतिनिकट से संबद्ध करने के पक्ष में थे क्योंकि उनके मत में समस्त वैज्ञानिक साधनों एवं उच्च तकनीक के होते हुए भी इनका सही तौर पर जब तक उनका संचालन एवं उपयोग करना नहीं जान लेते, तब तक हम प्रगतिशील नहीं कहे जा सकते। जब तक हमारे सामने मानवीय जीवन का लक्ष्य व आदर्श स्पष्ट नहीं होता हम विज्ञान एवं तकनीक का सही दोहन मानवहित में नहीं कर सकते। मानव जब तक अपने समस्त ज्ञान व विज्ञान के उपयोग में सुसंस्कृत नहीं होता वह सब बन्दर के हाथ में तलवार समान ही होगा।

"विश्व इतिहास की झलक" में नेहरू ने भाषा पर भी अपना चिन्तन स्पष्ट किया है। यूरोप तथा दूसरे मुल्कों के लोग समझते हैं कि भारत में सैकड़ों भाषाएं बोली जाती हैं, यह एक बेहूदा बात है, ऐसा करने वाला व्यक्ति अज्ञानी है। भारत जैसे बड़े देश में बोलियां अधिक है। जो स्थान भेद के अनुसार किसी भाषा एक के अलग-अलग रूप है। यहां के पहाड़ी और अन्य हिस्सों में भी कितनी ही छोटी-मोटी जातियां अपनी बोली बोलती हैं नेहरू कहते हैं कि मेरे विचार से असली भाषा दो ही परिवारों में बांटी जा सकती हैं। पहला परिवार द्रविड़ भाषा है और दूसरा भारतीय आर्य जाति की भाषा का है। भारतीय आर्यों की मुख्य भाषा संस्कृत थी, और भारत की सारी आर्य भाषाएं हिन्दी, बंगला, मराठी, उड़िया, गुजराती, असमी, उर्दू भी हिन्दी भाषा का ही एक भेद है। हिन्दुस्तानी मुख्य भाषाएं सिर्फ दस है हिन्दुस्तानी, बंगला, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलगू, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, असमी। हिन्दुस्तानी जो हमारी मातृभाषा है, सारे उत्तर भारत में पंजाब, उत्तर-प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हिमाचल, मध्य-भारत में बोली जाती है। यह सबसे बड़ा हिस्सा है और इसमें लगभग 13 करोड़ लोग बसते हैं (जनसंख्या के अनुसार) भारत के अधिकांश हिस्सों में हिन्दुस्तानी समझी, बोली जाती है।

भारत में सब लोगों की भाषा शायद यही बनेगी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि दूसरी मुख्य भाषाएं जिनका जिक्र मैंने ऊपर किया है समाप्त हो जाएं बेशक ये प्रांतीय भाषाओं की हैसियत से बनी रहेंगी, क्योंकि इनमें सुन्दर साहित्य पाया जाता है, और किसी जाति की समुन्नत भाषा को छीन लेने की कोशिश किसी भी हालत में नहीं की जाना चाहिए। किसी कौम के विकास और उसके बच्चों की शिक्षा का एकमात्र साधन उसकी अपनी भाषा है। नेहरू प्रियदर्शनी को "विश्व इतिहास की झलक" में लिखते है तुम्हें अंग्रेजी में पत्र लिखना मेरे लिए एक भद्दी बात हैं, फिर भी मैं ऐसा कर रहा हूं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि हम लोग जल्दी ही इस आदत से छुटकारा पा जाएंगे। (14 जनवरी, 1931 पृष्ठ 38-39, वि.इति. की झलक)

नेहरू जी भाषा वैज्ञानिक नहीं थे, फिर भी भाषा के प्रति उनकी समझ वैज्ञानिकता से युक्त थी। उनके पास भाषा की जो शब्द सामर्थ्य थी उसके तहत भाषा से जुड़े सवालों पर उनका चिन्तन, मनन स्पष्ट दृष्टिगत होता है। भाषा ज्ञान का प्रमुख आधार है यह एक रचनात्मक माध्यम है। किसी भी भाषा का साहित्य उसके भाषा की सर्जनात्मक क्षमता एवं भाषावान समाज की प्रतिनिधित्व करता है शिक्षा का कोई अनुशासन भाषा विहीन नहीं हो सकता।

नेहरूजी मानते है कि भाषा में लचीलापन होना चाहिए। अपने अनुभवों को बताते हुए वे कहते हैं कि जब भी वे विदेशी दौरों पर गए, यात्रा पर गए, तो विदेशों में अक्सर उन्हें अंग्रेजी में बोलना पड़ता। कई देश के लोग आश्चर्य से पूछते कि "क्या आपके देश की कोई भाषा नहीं हैं।" मेरा उत्तर होता, हमारी भाषा निश्चित ही है भाषा क्या हमारे पास तो भाषाएं है, कई बार लोग समझते कि हमारे पास भाषा नहीं बोलियां है। इसलिए विदेशों में कई बार भारतीय छात्रों एवं लोगों के बीच मैं हिन्दी में ही बोला ताकि शक करने वाले फ्रेंच और जर्मन को बता सकूं कि हमारी भी भाषा है। अब तो मैंने हर जगह पर पहले हिन्दी, फिर अंग्रेजी बोलने का रिवाज ही बना दिया।

भारत में जब परिवर्तन आया और यह निर्णय हुआ कि शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए। अंग्रेजी अब दूसरी भाषा की जगह है विद्यालयों में भाषा का माध्यम तय हो जाने के बाद अब सारे तर्क सम्पर्क भाषा पर आकर अड़ गए हैं। संविधान में यह प्रावधान था कि कुछ समय बाद हिन्दी सम्पर्क भाषा के रूप में अंग्रेजी का स्थान ले लेगी इसलिए अब हमें भाषा के मामले में कट्टरपन छोड़ देना चाहिए हमें कुछ उदार और लचीला होना होगा। भाषा के मामले में कोई अनिवार्यता एकदम लागू नहीं की जा सकती जहां तक हिन्दी का सवाल है। अन्य राज्य के लोगों का यह सोचना तर्कयुक्त है ही कि नौकरी की दृष्टि से यह उन्हें पीछे कर देगी, उनका डर न्यायसंगत है अतः हिन्दी की अनिवार्यता का मुद्दा उछालना ठीक नहीं है। हमें इसका हल सब लोगों की राय से उनको विश्वास में लेकर ही होना चाहिए। मेरे विचार से नेहरूजी में दृढ़ता, दूरदर्शिता की कमी थी अन्यथा वे राष्ट्रभाषा हिन्दी के प्रति कभी ऐसा सुझाव नहीं देते। उन्हें तो दृढ़ता से हिन्दी को राष्ट्रभाषा के पद पर आरुढ़ करने की घोषणा स्वतंत्रता के तुरन्त बाद करनी चाहिए थी, नेपोलियन की दृढ़ता की तरह कि "कल से ही राष्ट्र में राष्ट्रभाषा देश की भाषा, होगी" की तरह। तो आज हिन्दी को अपनी अस्मिता बचाने के लिए हिन्दी दिवस मनाने की, या नुक्कड़नाटक करने की कोशिश नहीं करनी पड़ती।

नेहरूजी मानते हैं कि हमारी भाषाओं की तकनीकी शब्दावली का एक कमजोर पक्ष है दूसरी भाषा का प्रयोग, या तकनीकी शब्दावली की अपर्याप्तता। हमारी भाषाओं का विकास तब हुआ जब देश वैज्ञानिक एवं तकनीकी अनुभव से करीब-करीब शून्य था। आज इस कृत्रिम तकनीकी शब्दों

के सैलाब पर बह रहे हैं और हम तकनीकी क्रांति की कगार पर हैं। वैज्ञानिक शब्दावली के पीछे इतिहास नहीं के बराबर है अतः वे मात्र दुरुह शब्द बनकर रह गए हैं। छात्र इन्हें रट तो सकते हैं व्यावहारिक प्रयोग नहीं कर सकते। पश्चिम की हर भाषा में उच्चकोटि की तकनीकी शब्दावली है जिनका रोजमर्रा की भाषा से कोई सम्बन्ध नहीं है जबकि भारत में ऐसा कुछ नहीं है।

देश के सामने भाषा सम्बन्धी ऐसी कई समस्याएं हैं। एक वक्त यह भी आएगा जब दुनिया के हर वैज्ञानिक को रूसी भाषा सीखनी होगी। यह एक खतरनाक समस्या होगी हमारे लिये कि दुनिया के इतने विशाल ज्ञान को सीखने के लिए बगैर अन्य भाषा सीखे हम कैसे ग्रहण करेंगे। पश्चिम भाषा में कई शब्द समकक्ष अवश्य हैं इसलिये यदि हमें विज्ञान की मुख्य धारा में शामिल होना है तो भाषा के सवाल को शिक्षा में विशेष महत्व के साथ स्वीकारना होगा (6 जनवरी 1958 को मद्रास में तमिल विश्व कोष के पांचवें भाग का विमोचन करते हुए दिए गए भाषण के अंश से उद्धृत) हमें वैज्ञानिक और तकनीकी अध्ययन के लिए अपनी भाषा का कोई कॉमन माध्यम तय करना होगा जो सर्वमान्य हो।

1959 के अगस्त-सितम्बर माह में लोक सभा से भाषा और राष्ट्र भाषा का मुद्दा तीखे ढग से हिन्दी भक्तों द्वारा उठाया गया। (डा. रघुवीर, सेठ गोविंद दास)

नेहरू जी कहते हैं कि मैं न तो हिन्दी के प्रति अति उत्साही हिन्दी वादी हूं न अंग्रेजी वादी। मेरा उत्साह दोनों भाषाओं के लिए समान है। जब मैं हिन्दी में कहता हूं तो मतलब हिन्दुस्तान में बोली, लिखी जाने वाली हर भारतीय भाषा। अंग्रेजी हम पर पूर्व में थोपी अवश्य गई थी फिर भी उसने हमारे लिए ज्ञान के नए झरोखों को खोला नहीं। वह हमारी परम्पराओं, संस्कृति के शीर्ष पर आकर किरीट की तरह शोभायमान होने लगी। यह सच है कि अंग्रेजी के कारण भारतीय भाषाओं को बहुत नुकसान उठाना पड़ा। मगर उसके माध्यम से विशाल दुनिया से हम सम्पर्क कर सके। उससे हमारा ही भला हुआ। भारत में आजादी के बाद जो एक बड़ा परिवर्तन आया वह यह कि अब शिक्षा का माध्यम राज्यों में राज्य की ही भाषा है।

नेहरू जी कहते है कि "मैं यह जानता हूं कि जिस जनता को हमें साथ लेकर करोड़ों की तादाद में चलना है। वह कोई अंग्रेजी भाषी जनता नहीं हैं और इसलिए हमारी भाग्य विधाता वह जनता है, जो अंग्रेजी नहीं जानती। हमें अपनी शिक्षा और अपना सारा कार्य अपनी ही भाषाओं में करना होगा। वह एक मनोवज्ञानिक भावनात्मक व्यावहारिक बात है फिर भी हिन्दी भाषी लोगों से मेरा एक ही निवेदन है कि वे भाषा के मामले में अतिउत्साह का प्रदर्शन न करें। हमें हिन्दी को एक सामान्य समुदाय की दैनिक जीवन की भाषा के रूप में विकसित करना होगा।

भाषा का सवाल संवेदनशील है किन्तु उस पर शांति से सोचना आवश्यक है। राष्ट्रभाषा का प्रश्न भी भाषा के थोपने या भाषा को अपने यहां से निकालने जैसे जोश से नहीं होगा। त्रिभाषा सूत्रानुसार हमें अपनी भाषा, राष्ट्रभाषा एवं एक अन्य भाषा को सीखने एवं शिक्षा लेने के अवसर हैं। भाषाओं को एक दूसरे के करीब लाने का यह एक अच्छा उपाय है। नेहरूजी मानते हैं कि "हम भाषा के मामले में मानसिकता के शिकार है, हमने अपनी अपनी भाषा का सही विकास नहीं किया और हम दूसरी भाषा का विरोध करना ही अपनी भाषा की सुरक्षा मानते है"। भाषा एक गतिशील और प्रतीकात्मक माध्यम है, उसमें सृजन उसकी विकास की गति को तय करता है। भाषा संस्कार और व्यवहार देती है। हमें प्रयत्न करना होगा कि हम भाषा को सृजन के विविध आयाम देकर गतिमान करें। भाषा के पथ में आने वाले आज के ज्वलंत प्रश्न शैक्षिक न होकर राजनीतिक ही अधिक है। यह राजनीतिक सुरक्षा की भाषा का अतिवाद बन रही है।

अंत में यही कहना चाहूंगा कि नेहरूजी का शैक्षिक एवं भाषिक पूर्ण तरह शैक्षिक एवं भाषिक चिंतन की दृष्टी थी। हमें भाषा के प्रति उदार एवं लचीला दृष्टिकोण रखकर ही भाषाओं के विकास की ओर गतिमान होना चाहिए।

"अंधकार को कोसते रहने के बजाय एक छोटा सा दिया जलाना ज्यादा अच्छा है"।

पृष्ठ 17 का शेष

द्विभाषी कार्यालय साहित्य उपलब्ध कराते और समय-समय पर सहायक पुस्तकाएं निकालते रहे थे। उनके ही भगीरथ प्रयास का परिणाम है कि आज विभाग में हिन्दी प्रयोग की चतुर्मुखी प्रगति हो रही है। हिन्दी कार्यशालाओं द्वारा प्रगति में निरंतर तेजी लाई जा रही है। निर्माण परिमण्डल और उसके अधीन सभी मण्डलों में लगभग 90 प्रतिशत काम हिन्दी में हो रहा है। केवल बहुत ही तकनीकी कामों में लिए अंग्रेजी का प्रयोग होता है। अन्य परिमण्डलों में भी बहुत कुछ ऐसी ही स्थिति होगी। बहुत से कार्यालय हिन्दी का प्रयोग करने वाले घोषित हो चुके हैं। परिस्थितियां सर्वत्र अनुकूल हैं, पर्याप्त सुविधाएं सर्वत्र उपलब्ध हैं। अब तो यह प्रत्येक कार्यालय—अध्यक्ष की सदिच्छा पर निर्भर है कि वह कहां तक हिन्दी-प्रयोग संबंधी सरकारी आदेशों का पालन करा सकता है और राष्ट्र-भाषा का प्रयोग कराकर राष्ट्रीय स्वाभिमान जगा सकता है।

गुप्त जी अब भी पूर्णतया सक्रिय हैं। वे वैज्ञानिक और तकनीकी साहित्य-सृजन के लिए दो बार राष्ट्रपति पारितोषिक, दो बार केन्द्रीय लोक निर्माण विश्वकर्मा पुरस्कार, दो बार भारत सरकार के बाल साहित्य पुरस्कार तथा एक-एक बार नवासाक्षर-साहित्य पुरस्कार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग पुरस्कार एवं ग्राम-विकास साहित्य पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। उत्तर प्रदेशीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन ने 1977 में, विज्ञान वैचारिकी अकादमी ने 1981 में और विज्ञान परिषद ने 1986 में आपका सार्वजनिक सम्मान किया है। अपने पुराने विभाग से अब भी उनका लगाव है। वहां वे अब भी याद किए जाते हैं और समय समय पर आयोजित होने वाली हिन्दी-कार्यशालाओं में मार्ग-दर्शन के लिए आमन्त्रित होते हैं।

इस प्रकार केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में हिन्दी का प्रयोग बराबर बढ़ रहा है और बढ़ता रहेगा, क्योंकि पथ पर्याप्त प्रशस्त हो चुका है।

10 X 11 = 110
90 X 11 = 990
95 X 11 = 1045
2805

गणेश शंकर विद्यार्थी—
हिन्दी पत्रकारिता के सजग प्रहरी

☐ डॉ. दिलीप सिंह*

श्रद्धेय गणेश शंकर विद्यार्थी हिन्दी पत्रकारिता के आधार स्तम्भ थे। उन्होंने हिन्दी पत्रकारिता को एक ऐसा सुदृढ़ आधार प्रदान किया जो दीपस्तम्भ के रूप में आज भी पत्रकारों का मार्गदर्शन करता है और हिन्दी के सम्यक विकास में भी उन्होंने कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी। चालीस वर्ष की अल्पायु में हिन्दी के प्रमुख पत्रों के साथ जुड़ कर और राष्ट्र को अपने अस्तित्व का भान करा के वे शहीद हो गए। इस बीच, कहा जाय, 1913 से 1930 के सीमित वर्षों में "सरस्वती", "कर्मयोगी", "अभ्युदय", "स्वराज्य", जैसे हिन्दी पत्रों से वे जुड़े रहे और अपनी ओजस्वी वाणी इन्हें प्रदान करते रहे। इन पत्रों से संबद्ध हिन्दी के सच्चे सपूतों, जागरूक आत्माओं और राजनैतिक सांस्कृतिक दृष्टि से अपनी अस्मिता को पहचानने वाले कर्मयोगियों का सान्निध्य तथा प्रोत्साहन उन्हें मिला, जिनमें पं. सुन्दर लाल, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी और महामना पं. मालवीय प्रमुख हैं। इनके गुणों—आदर्शों के पुंज रूप में विद्यार्थी जी का व्यक्तित्व निर्मित्त हुआ। एक विलक्षण व्यक्तित्व। जो कठोर और कोमल एक साथ है, जिसे अपने इतिहास से भी लगाव है और वर्तमान से भी, जो संतोषी भी है और अपने हक के लिए लड़ना भी जानता है, जो बलिदान को महत्त्व देता है और जीवन को भी तथा जो मातृभाषा को देश की स्वाधीनता पर तरजीह देता है।

गौरवपूर्ण

विद्यार्थी जी ने हिन्दी पत्रकारिता को अपने लेखों, अग्रलेखों, कहानियों, टिप्पणियों के द्वारा केवल कुछ सूचनाएं नहीं दीं बल्कि उनके द्वारा यह प्रयत्न किया कि उनका पाठक अपने उस रूप को भी पहचान सके जो गौरवपूर्ण है, वह अपने रूप को आदर्श बना सके और उत्सर्ग, साहस, सत्य, अहिंसा, उसके जीवन में ऐसे रच बस जाएं कि कोई भी शक्ति उसकी मानसिक दृढ़ता को डिगा न पाए। यहां उनका यह विचार बड़ा ही सार्थक लगता है कि "संसार के विस्तीर्ण कर्म क्षेत्र में सब प्राणियों द्वारा अगणित काम प्रतिदिन, प्रतिपल होते हैं, परन्तु बिना साहस और संकल्प के बड़े काम नहीं होते"। निःसंदेह विद्यार्थी जी ने अपने जीवन में बड़े बड़े काम किए उनके पीछे उनका साहस और संकल्प ढाल और तलवार की भांति उसके दोनों हाथों में सदैव रहे। साहस में उनके आदर्श महाराणा प्रताप थे। अपने पत्र का नामकरण भी उन्होंने साहस की इसी अमर प्रतिमा के नाम पर किया था। उदारता, दृढ़ता, वीरता का जो रूप विद्यार्थी जी के व्यक्तित्व का अंग था, उसका बीज़ राणाप्रताप के जीवन ने ही उनके भीतर अंकुरित किया था। इसीलिए जो आदर्श नीति उन्होंने "प्रताप" के पहले अंक में "प्रताप की नीति" शीर्षक से निर्धारित की थी उसमें प्रमुख रूप से वे सदाचार, पुरुषार्थ, देश भक्ति, साहस, न्याय, त्याग आदि को स्वीकार ही नहीं करते बल्कि इन्हें 'धर्म' के प्रमुख अंगों के रूप में घोषित भी करते हैं।

प्रेरणादायी

विद्यार्थी जी इसीलिए अपने विचारों में यह बराबर कहते हैं कि भारतीय लोगों के जो अधिकार हैं वे उन्हें अवश्य मिलने ही चाहिएं उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि "हम अपने देशवासियों को उन सब अधिकारों का हकदार समझते हैं जिनका हकदार संसार का कोई भी देश हो सकता है"। अर्थात् वे देश के नागरिकों पर हो रहे अन्याय, अत्याचार से ही उन्हें नहीं बचाना चाहते थे वरन् उन्हें उनके अपेक्षित अधिकारों को दिलाने के प्रति भी वे कटिबद्ध थे, इतना ही नहीं उन्होंने यह भी कहा कि "हमारा सिद्धांत हाथ पसार कर पाने की शिक्षा नहीं देता, यह तो कहता है कि पाना तुम्हारा हक है, तुम लेने को तैयार हो"। यह ओज, यह आत्माभिमान अपने उन पाठकों के भीतर जगाने का प्रयास उन्होंने किया जो सदियों से गुलामी की श्रृंखलाओं में जकड़ी शोषित, पीड़ित, संतप्त और हताश था। ऐसी जनता को उनके हकों, अधिकारों के प्रति सचेत करना मात्र ही पर्याप्त नहीं हैं, यह बात विद्यार्थी जी भली भांति जानते थे इसलिए उन्होंने राष्ट्रीय गौरव, राष्ट्रीय अस्मिता और पारंपारिक धरोहर को भी समय-समय पर अपने लेखों के माध्यम से राष्ट्र के सामने रखा। उनकी यही दृष्टि उन्हें इतिहास प्रेमी बनाती है। वे इतिहास को अतीत की घटनाओं की सूची मात्र स्वीकार नहीं करते या उसे घटे हुए कालक्रम का लेखाजोखा मात्र नहीं मानते। वे इतिहास को वर्तमान की शक्ति मानते हैं तभी उन्होंने यह बात बड़े प्रामाणिक रूप में हमारे सामने रखी कि "इतिहास सोते हुए मनुष्य को जगा सकता है। जागे हुए को पैरों पर खड़ा कर सकता है और खड़े हुए की नसों में खून दौड़ा सकता है"। यहां यह बताने की आवश्यकता नहीं कि इतिहास के इसी गौरव को,

*प्रोफेसर, उच्च शिक्षा और शोध संस्थान, दक्षिण भारत प्रचार सभा, हैदराबाद : 500004

राष्ट्रीय अस्मिता की इसी पहचान को प्रसाद, मैथिलीशरण गुप्त जैसे साहित्यकारों ने हिन्दी साहित्य की अन्य विधाओं के माध्यम से समय-समय पर उजागर किया था। विद्यार्थी जी ने "प्रताप की नीति" में भी इस महत्वपूर्ण पक्ष को पर्याप्त और उचित स्थान देते हुए लिखा था कि "हम अपनी प्राचीन सभ्यता और जातीय गौरव की प्रशंसा करने में किसी से पीछे न रहेंगे और अपने पूजनीय पुरुषों के साहित्य, दर्शन, विज्ञान और धर्म भाव का यश सदैव गायेंगे"।

ओजपूर्ण

विद्यार्थी जी नवयुवक थे। नवयुवकों के समक्ष जो मार्ग खुलता है वे उस पर अपनी गति और अदा से चलते हैं, यहीं पीढ़ी का द्वंद्व उभरता है क्योंकि पुरानी पीढ़ी के मार्ग, उनकी गति और उनकी अदा नवयुवकों से सर्वदा भिन्न होती है। इस द्वंद्व को समाप्त किए बिना और पीढ़ियों के बीच सौहार्द और सामंजस्य स्थापित किए बिना तत्कालीन संघर्षों को दिशा दे पाना संभव नहीं था। इसीलिए उन्होंने पहले तो बड़े व्यंग्यात्मक ढंग से कहा कि "नये समझते हैं कि बूढ़े खूसट न मरते हैं न माचा (चारपाई) छोड़ते हैं। पुराने समझते हैं कि महत्वाकांक्षा से नयों का सिर फिर गया है।" फिर बड़ी गंभीर सलाह वे दोनों को देते हैं। युवकों से वह कहते हैं कि "गालियां देने, डींगे मारने, दूसरों पर धूल फेंकने से न कोई बड़ा होता है और न कोई बड़ा काम हुआ करता है। बहुधा तो जो गरजते हैं वे बरसते ही नहीं। जो बड़ी डींग मारा करते हैं वे बड़े कायर हुआ करते हैं। देश के नौजवान इस कुटेव से बचें। वे बढ़-बढ़ कर बातें न मारें। बढ़-बढ़ कर काम करें।" पुरानों से उन्होंने कहा कि "युवकों के उदय से घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। पुराने लोग अपनी नई खेती पर खुश हो केवल उसका पथ निर्देश करें, न उसे दबाएं न उसे घातक समझें"।

विद्यार्थी जी किसी भी प्रकार की कायरता को बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। वे स्पष्ट और सीधी बात करने को ही जीवन के लिए व्यावहारिक मानते थे, देश के दीवानों पर लिखते हुए अपने विचार उन्होंने इस रूप में रखे थे, "दुनिया में व्यवहार बुद्धि की धूम है, व्यवहार क्या चीज है? फूंक-फूंक कर कदम रखना, खतरे से सौ कोस दूर रहना और मौका पड़ने पर चापलूसी करना? इसी का तो दूसरा नाम कायरता है। दीवाने इसे नहीं मानते। कारण? कायर लोग वीरों की कद्र करना नहीं जानते।"

भाषा पर अधिकार

साहस, आत्मगौरव का प्रचार और संघर्ष में सबको साथ ले कर चलने का दृष्टिकोण विद्यार्थी जी ने जगह-जगह पर व्यक्त किया है। उनकी पत्रकारिता का एक रूप बड़ा ही प्रभावशाली है अर्थात् उनका हिन्दी भाषा पर अधिकार। उच्च हिन्दी और उच्च उर्दू का प्रयोग वे समान अधिकार से अलग-अलग भी करते हैं और इनके समन्वय द्वारा हिन्दी का एक प्रवाहमय-प्रांजल रूप भी उनके पास हैं, ये आश्चर्य का विषय है कि विद्यार्थी जी की भाषा बहुत ही साफ, शुद्ध और किसी भी प्रकार के पूर्वी या पश्चिमीपन से मुक्त है। हिन्दी पत्रों की भाषा कैसी हो इसका एक आदर्श रूप है विद्यार्थी जी की भाषा। जब भी उन्होंने भाषा का प्रयोग किया बहुत सजग और सचेत होकर किया। दो उदाहरण यहां देना चाहूंगा।

"प्रश्न सामने था कि जेलर की आज्ञा बिना कितने कदम चलना वाजिब है और कितने कदम वाजिब नहीं, रहते-रहते देखते-सुनते, यह ख्याल नष्ट होने लगा कि जेल वालों ने हवा में भी जाल बिछा रखे हैं," (हिन्दी की मुहावरेदार "हिन्दुस्तानी शैली")

"राजनीतिक पराधीनता, पराधीन देश की भाषा पर अत्यन्त विषम प्रहार करती है विजितों की भाषा पर उनका सबसे पहले वार होता है क्योंकि भाषा जातीय जीवन और संस्कृति की रक्षिका होती है, राष्ट्रीय शील का दर्पण होती है और उसके विकास का वैभव होती है" (हिन्दी की गंभीर "उच्च हिन्दी" शैली)

विद्यार्थी जी ने विषयानुकूल भाषा प्रयोग ही नहीं किया बल्कि हिन्दी को एक ऐसा रूप भी प्रदान किया जिसने भविष्य की हिन्दी पत्रकारिता का मार्ग प्रशस्त किया। इतना ही नहीं भाषा के प्रति उनकी सचेतता ने तत्कालीन परिस्थितियों में उनके भीतर यह देखने और विश्लेषित करने की भी दृष्टि भर दी कि भाषा और विशेष रूप से राष्ट्र भाषा हिन्दी की क्या भूमिका होनी चाहिए और वे कौन सी अड़चनें हैं जो उसे इस भूमिका को संपन्न करने में बाधा उत्पन्न कर रही हैं। इसीलिए उन्होंने बार-बार यह लिखा कि प्राथमिक शिक्षा का माध्यम हिन्दी ही होना चाहिए, हिन्दी की त्रुटिपूर्ण पाठ्य पुस्तिकाओं को संशोधित करना चाहिए और अखिल भारतीय स्तर पर अन्य भाषाओं की रचनाओं का हिन्दी में अनुवाद होना चाहिए। इस दृष्टिकोण के साथ विद्यार्थी जी की निगाहें अंग्रेजी शासन की उस कूटनीति की ओर भी थी जिसके कारण भाषा के एक ही रूप की दो शैलियों (हिन्दी, उर्दू) को आधार बना कर वह शासन सांप्रदायिक अलगाव पैदा कर रहा था। उन्होंने लिखा कि "ये दोनों तो एक ही भाषा की दो शैलियां हैं अंग्रेजी शासन ने उर्दू को एक ऐसा स्थान दे कर, जो उसे पहले प्राप्त न था, हिन्दी और उर्दू में व्यर्थ विवाद का सूत्रपात किया और इस प्रकार बहुसंख्यक हिन्दी भाषी लोगों की सुविधा और विकास में बाधा उत्पन्न कर दी"।

संविधान से भी पहले सजगता

मातृभाषा के प्रति विद्यार्थी जी में अगाध प्रेम और श्रद्धा का भाव था उन्होंने यह लिखा था कि यदि उन्हें स्वाधीनता और मातृभाषा में से किसी एक को चुनना हो तो वे मातृभाषा को चुनेंगे क्योंकि मातृभाषा के बल पर देश की स्वाधीनता भी वे प्राप्त कर लेंगे। भाषा संबंधी उनके दृष्टिकोण का वैज्ञानिक चिंतन इस बात से भी व्यक्त होता

है कि जिस संविधान की धारा 351 में संस्कृत हिन्दुस्तानी आठवीं अनुसूची में उल्लिखित भारतीय भाषाओं से शब्द अभिव्यक्तियां लेने की और हिन्दी का विकास करने की बात कहीं गई है उसमें "उसकी आत्मीयता में हस्तक्षेप किए बिना" पदबंध के द्वारा समाधान किया गया है कि हिन्दी की अपनी संरचनात्मक विशेषताएं इस प्रकार के आदान से विकृत न होने पाएं। लगभग यही बात 1930 में विद्यार्थी जी ने इन शब्दों में व्यक्त की थी, "5 अन्य भाषाओं से कुछ भी लेने; शब्दों और वाक्यों के लेने तक के विरुद्ध नहीं हूं, किन्तु अपनी भाषा के व्यक्तित्व की रक्षा करते हुए मैं कुछ लेना चाहता हूं उसे खो कर नहीं"। इस प्रकार के विचारों का सीधा प्रमाण विद्यार्थी जी के द्वारा लिखे लेख आदि हैं जहां हिन्दी का अपना जातीय स्वरूप पूरी संभावनाओं के साथ उभरता हुआ दिखाई देता हैं, यह कहना अतिशयोक्ति न होगी कि ऐसी हिन्दी "सरस्वती" में भी नहीं लिखी गई जिसे आधुनिक हिन्दी के विकासक्रम का मापदण्ड माना जाता है।

भाषा के अतिरिक्त विद्यार्थी जी की दृष्टि देश में हो रही या घट रही उन घटनाओं पर भी बराबर बनी रही और जिसकी जानकारी वे अपने पाठकों को बराबर देते रहे जैसे होम रूल के आने पर उन्होंने बड़े ही व्यंग्यात्मक ढंग से प्रशासन की खिल्ली उड़ाई, "द्राविड़ि प्राणायाम इसे कहते हैं चतुर से चतुर डाक्टर भी इतनी कड़वी दवा इतनी मीठी बना कर नहीं दे सकता था।" इसी प्रकार जेल जीवन, किसान मजदूरों की स्थिति, विश्व घटनाओं पर भी उनकी लेखनी बराबर चलती रही।

विद्यार्थी जी एक ओर साहसी, निडर, वीर और बलिदानी-थे तो दूसरी ओर विनम्र, उदार और भावक भी। समय समय पर उन्होंने अपने परिवार जनों मित्रों, परिचितों को जो पत्र लिखे हैं वे बड़े ही मार्मिक हैं। उनकी विनम्रता का एक उदाहरण देखिए जब उन्हें हिन्दी साहित्य परिषद की अध्यक्षता के लिए गोरखपुर बुलाया गया तो जवाब में उन्होंने अपने पत्र में लिखा था "आप गधे के गले में मोतियों की माला क्यों डाल रहे हैं. मैं साहित्य मर्म को क्या जानूं ? किन्तु आप लोगों ने ठोंक पीट कर वैद्यराज बना डाला। क्या कहूं, क्यों न कहूं, ? मालूम नहीं आप लोग किस खड्डे में पटकना चाहते हैं।" उनकी विनम्रता और भावुकता के और भी कई उदाहरण मिलते हैं। जेल जीवन की घटनाओं में वे छोटे लोगों के भी अतिनिकट पहुंच गए थे और उनसे भावात्मक स्तर पर जुड़े थे। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर को, जो उस समय एक उभरते हुए लेखक और पत्रकार थे, उन्होंने पत्र भेजा कि "आप में उत्साह को पूरा करने की धुनें भी हैं, सिर्फ उत्साह नहीं हैं, मैं भविष्य वाणी करता हूं कि 10 वर्ष में आप प्रसिद्ध लेखक हो जाएंगे, बराबर लिखते रहें। इस प्रकार के पत्रों में उनका जो रूप उभरता है वह एक मनुष्य का रूप है। जेल से अपनी पत्नी को बड़े ही मार्मिक पत्र उन्होंने लिखे। अंत में अपनी मां से कहते थे अपने हृदय को तनिक भी गिरने न दीजिएगा, पत्नी को लिखते थे तुम अपना जी न गिरने दो और बेटी को लिखते थे कि नानी और मां से कहना कि वे घबड़ाएं नहीं।

विद्यार्थी जी ने हिन्दी प्रतियोगिता को बहुत कम समय में बहुत कुछ दिया। एक सामान्य परिवार के सामान्य बाल के लिए इसे एक उपलब्धि ही कहना चाहिए। उनके पत्रों में बलिदान का अनताप और पश्चाताप का महत्व बार बार उभारा गया है बलिदान को तो वे आत्मोत्सर्ग के रूप में देखते थे इन्ही शीर्षकों से उन्होंने कई लेख भी लिखे और महाराणा प्रताप के जीवन पर भी उनके बलिदानों को केन्द्र में रख कर ही अपने विचार दिए। अनुताप या पश्चाताप के विषय में उन्होंने कबीर के एक पद का उल्लेख किया है जब एक शिष्य दीक्षा लेने के लिए कबीर के पास जाता है तो कबीर यह पद कहते हैं "चेला तुम्बी भर के लाना रे"।

इसकी व्याख्या की है विद्यार्थी जी ने। यह तुम्बी नदी, नाले, पोखर, तालाब, कुएं-बाड़ी के पानी से भरी हुई नहीं होनी चाहिए। यह उन आंसुओं से भरी होनी चाहिएं जो पीछे किए दुष्कर्मों के पश्चात्ताप और दोष स्वीकार के परिणाम-स्वरूप निकले हों। इसीलिए उन्होंने कहा कि "अनुताप और दोष स्वीकार दोनों सहोदर हैं", बलिदान और पश्चात्ताप का ऐसा आदर्श विद्यार्थी जी ही स्थापित कर सकते थे।

बहुमुखी प्रतिभा के साथ-साथ विद्यार्थी जी में राष्ट्रीय एकता के प्रति अटूट भाव था, सामाजिक कुरीतियों और अत्याचारों के निवारण में उनकी पूरी आस्था थी। सत्य और न्याय उनकी आंतरिक शक्ति थे और पथप्रदर्शक थे : पुरुषार्थ, स्वार्थत्याग, और आत्मोत्सर्ग। उनका कर्मक्षेत्र विस्तीर्ण था और सबके ऊपर उनका वह प्रेम जो वे देश के हर व्यक्ति से करते थे, राष्ट्र भाषा से करते थे। ऐसे में उनकी पत्रकारिता सचमुच असाधारण बन गई। वे अपने जैसों को कुशल किन्तु औघड़ व्यापारी कहते थे वास्तव में बिना औघड़ बने व्यक्ति का जंजालों से घिरा हुआ मन इतना स्वच्छ और उसके विचार इतने स्पष्ट और ओजस्वी बन ही नहीं सकते। विद्यार्थी जी के पत्रकार रूप पर बहुत कुछ कहा जा सकता है, इस लेख में मैंने उन मूल हिन्दुओं को ही ले कर आपके समक्ष रखा है जिससे उनका लेखक व्यक्तित्व और साथ-साथ उनका मानव व्यक्तित्व उद्घाटित हो तथा उनके चिंतन और दृष्टिकोणों का वह विस्तार आपको मिल सके जो उन्होंने अपने विचारों में व्यक्त किए हैं। मैं समझता हूं कि विद्यार्थी जी के विचारों पर, उनकी भाषा पर, उनके भाषा संबंधी विचारों पर और उनके मानव व्यक्तित्व के धुप-छांई रूपों पर बहुत कुछ कहा लिखा जा सकता है। और यह क्लेष का विषय है कि ऐसा कुछ भी अब तक उनके ऊपर लिखा हुआ नहीं मिलता। यदि हम उनके जन्मशती वर्ष में यह संकल्प लें कि विद्यार्थी जी और उनकी रचनाओं पर विस्तृत शोध कार्य किए जाएं तो निश्चय ही उनमें ऐसा बहुत कुछ है जो आज की अलगाववादी परिस्थितियों में, मूल्यों की निरन्तर ह्रासशील प्रवृत्तियों में संजीवनी का कार्य कर सकता है। मेरा विश्वास है कि हम ऐसा कुछ कर सकेंगे। □

60 × 10 = 600
90 × 10 = 900
75 × 10 = 750
2250

साहित्यिकी

राष्ट्रीय एकता के सन्दर्भ में पूर्वांचल में हिन्दी की भूमिका

□डॉ० जगमल सिंह*

भारत को विविधतापूर्ण देश कहा जाता है। इसमें प्राकृतिक विविधता के साथ सांस्कृतिक विविधता भी उपलब्ध है। देश के उत्तरी पूर्वांचल में सांस्कृतिक वैविध्य भौगोलिक एवं ऐतिहासिक कारणों से अपनी चरम सीमा पर दिखाई देता है। इस वैविध्य शृंखला की एक कड़ी है भाषा और लिपि, जो एकता के मार्ग में एक अवरोध है। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व एकता के धार्मिक, राजनैतिक, आर्थिक एवं सामाजिक कारण थे। उसके पश्चात् राजनैतिक कारण प्रमुख हो गया है। देश की एकता के मार्ग में भाषा समस्या राजनैतिक कारणों से जटिल हो गई है। उत्तरी पूर्वांचल में तो यह समस्या वास्तव में स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व ही जटिल रही है। प्राकृतिक बाधाओं और दुर्गम पर्वतों ने इस क्षेत्र में विभिन्न भाषाओं को जन्म दिया। नरबलि और नरमुंड आखिर जैसी प्रथाओं ने इस भूभाग को राजनैतिक या समाजिक ही नहीं बल्कि अत्यंत छोटे भाषा समूहों में बांट दिया। भारतीय भाषा सर्वेक्षण के अनुसार भारत में विभिन्न कुलों की भाषा संख्या 179 है और 544 विभाषाएं हैं। डाक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने लिखा है कि भाषा सर्वेक्षण में उल्लिखित 179 भाषाओं में से 130 केवल भोट चीनी कुलकी भाषाएं हैं जो उत्तरपूर्वी सीमान्त क्षेत्र में बोली जाती हैं। भारतीय जनगणना प्रतिवेदन 1981 के अनुसार इन सभी भाषाओं के बोलनेवालों की संख्या केवल एक प्रतिशत से भी कम है। इस तथ्य से यह स्पष्ट है कि इस प्रदेश में भाषा बाहुल्य के साथ बहुत छोटे-छोटे भाषा समूह हैं। निम्नलिखित तालिका से जनसंख्या के अनुपात में भाषा-लिपि बाहुल्य की स्थिति अधिक स्पष्ट हो जाएगी।

जनसंख्या के अनुपात में प्रचलित भाषाओं एवं लिपियों की संख्या से उत्तर पूर्वांचल में भाषा समस्या की जटिलता का अनुमान लगाया जा सकता है। एक पर्वत पर रहने वाला कबीला दूसरे पर्वत के कबीले की भाषा नहीं समझता है, क्योंकि बीसवीं शताब्दी के आरंभ तक इनमें सामाजिक संपर्क के स्थान पर भयंकर शत्रुता पाई जाती थी और ये एक दूसरे पर समय-समय पर आक्रमण करके नरमुंड आखेट किया करते थे। इसीलिए इस प्रदेश के लोग विभिन्न छोटे-छोटे भाषा समूहों में विभक्त हैं। उन्नीसवीं शताब्दी के अंतिम दो दशक से राजनैतिक कारणों से पर्वतीय जनजातियों को पड़ोसी कबीलों तथा अन्य लोगों के संपर्क में आना पड़ा। उस समय से संपर्क भाषा की आवश्यकता हुई। बंगला, असमी, मणिपुरी, हिन्दुस्थानी (हिन्दी) और अंगरेजी भाषाएं संपर्क भाषाएं बनी। इन में भी प्रथम तीन क्षेत्र विशेष तक ही उपयोगी रही। अंगरेजी भाषा केवल शिक्षित लोगों के बीच संपर्क भाषा बनी। जबकि हिन्दुस्थानी या हिन्दी भाषा संपूर्ण उत्तर पूर्वांचल में सम्पर्क भाषा के रूप में प्रयुक्त होने लगी। इस संबंध में प्रमाण भी उपलब्ध हैं। मणिपुर, त्रिपुरा और असम में धार्मिक कारणों से हिन्दी की ब्रजबुली, और मैथिली लगभग पांच सौ वर्षों से संपर्क भाषा का कार्य कर रही हैं।

स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ भाषा का प्रश्न एक जटिल समस्या बन गया। इन प्रदेशों में उल्लिखित भाषाओं का प्रचार रहा और आज भी है। नेपाली, बर्मी और तिब्बती भाषाएं विदेशी होते हुए भी इन प्रदेशों में न्यूनाधिक मात्रा में प्रचलित हैं। इन भाषाओं में से मणिपुरी और असमी की प्राचीन लिपियां थीं किन्तु कालान्तर में ये लुप्त हो गई और बंगला लिपि का किंचित परिवर्तित रूप इन दोनों लिपियों के स्थान पर अपना लिया गया। इन प्रदेशों में देवनागरी लिपि का भी प्रचलन रहा है। प्राचीन सिक्के

*प्रोफेसर, हिन्दी विभाग, मणिपुर विश्वविद्यालय, कोचिपुर, इम्फाल-795003

देवनागरी लिपि की प्राचीनता सिद्ध करते हैं । गारो, खासी, जयन्तिया आदि भाषाओं की भी लिपि थी । इन पर्वतीय जन जातियों में यह मान्यता प्रचलित है कि विभिन्न पशुओं की खाल पर अक्षर लिखे जाते थे । कहा जाता है कि अकाल की स्थिति में उन खालों को उबालकर खाने के कारण या पशुओं के द्वारा उन खालों को खाने के कारण उन की लिपियां नष्ट हो गई । यहां इस तथ्य पर भी विचार किया जाना चाहिए कि अंगरेजो ने लिपि नष्ट होने वाले तथ्य पर बहुत जोर दिया है । इसी का सहारा लेकर उन्होंने रोमन लिपि को स्थापित किया। यह शोध का विषय है कि क्या अंगरेजों के आने के समय वस्तुतः इस क्षेत्र की भाषाओं का एक भाग लिपि के अभाव में केवल श्रुत आधार पर जीवित था ? कहीं ऐसा तो नहीं कि लिपि-हीनता का तथ्य अंगरेजों की सोची-समझी नीति का परिणाम हो। जो भी हो अभी तक तो यही माना जाता है कि अंगरेजों के इस क्षेत्र में (लगभग 100-150 वर्ष पूर्व) आने पर इन पर्वतीय भाषाओं की कोई लिपि नहीं थी । अंगरेजों ने अपनी सुविधा तथा धर्म प्रचार के लिए रोमन का प्रचार-प्रसार किया। परिणाम-स्वरूप आज इनमें से कुछ भाषाओं की लिपि रोमन है । इन विदेशी लोगों ने इन भाषाओं के प्रारंभिक व्याकरण तथा पाठ्य पुस्तकें लिखीं। किन्तु लिपि के अभाव का लाभ उठाकर उन्होंने इन भाषाओं को रोमन लिपि दी जो आज भी प्रचलित है । स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भी इस दिशा में कोई कार्य नहीं किया गया । ईसाई मिशनों की सक्रियता के कारण अब अनेक जन जातीय लोगों ने ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया है । अब धार्मिक कारणों से रोमन लिपि के स्थान पर देवनागरी का प्रचलन कठिन हो गया है। किसी स्वतंत्र एवं सभ्य देश में अपनी लिपि के स्थान पर एक विदेशी और अवैज्ञानिक लिपि का प्रयोग लज्जा का विषय है । वास्तव में लिपि के माध्यम से यह पश्चिमीकरण भी है ।

भाषा बाहुल्य के कारण संपूर्ण उत्तरी पुर्वांचल में संपर्क भाषा आवश्यक ही नहीं अनिवार्य भी है इस क्षेत्र में प्रचलित भाषाओं में से कोई ऐसी भाषा नहीं है जो सम्पर्क भाषा का कार्य कर सके । श्री लम्बोदर झा ने लिखा है--" तथा-कथित भोट चीनी कुल तथा मानखमेर शाखा की भाषाओं के क्षेत्र में आनेवाले प्रदेश सिक्किम, असम (आंशिक रूप से) मेघालय, अरूणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा (आंशिक रूप में) में किसी एक क्षेत्रीय भाषा का संपर्क भाषा होना कहीं कठिन है, तो कहीं असंभव भी[4]।

नागालैंड, मिजोरम और मेघालय में ईसाईकरण के कारण अंगरेजी को वरीयता दी जाती है । नागालैंड सरकार अंगरेजी को राज भाषा घोषित किया है, किन्तु जनसाधारण संपर्क भाषा के रूप में नागामी का ही उपयोग करता है जो असमिया, बंगला, हिन्दी एवं नागा भाषाओं का मिश्रित रूप है । संपर्क भाषा की आवश्यकता ने एक नई भाषा को जन्म दे दिया । यद्यपि यह केवल मौखिक भाषा है किन्तु संपर्क भाषा का दायित्व निभाने में सक्षम है । श्री राम कृपाल कुमार ने लिखा है-- "अनेक विभाषाओं सहित 22 भाषाओं वाले इस प्रदेश के लोगों के गले में सरकारी भाषा उतर नहीं पाती, यद्यपि यह उनकी धर्म/भाषा भी हो गई है । नागालैंड सरकार ने 18 सितम्बर 1967 को नागालैंड के सभी सरकारी कामों के लिए अनिश्चित काल तक अंगरेजी व्यवहार करने का निर्णय लिया था । उसमें यह प्रस्ताव भी किया गया कि संविधान की आठवीं सूची में अंगरेजी को भी सम्मिलित किया जाए । इस निर्णय के संबंध में नागा इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चर के एक निबंध में लिखा गया है-- "नागालैंड ने अंगरेजी को अपनी सरकारी भाषा चुना है । इसलिए यह भाषा प्रादेशिक भाषा के रूप में काम ली जाती है । परन्तु इससे काम चल नहीं सकता । अन्य राज्यों में बहुसंख्यक लोगों की मातृभाषा ही प्रादेशिक भाषा होती है । नागा-लोगों की अंगरेजी मातृभाषा नहीं है । अंगरेजी स्कूलों में ही सीखनी होती है । जब तक एक सामान्य नागा साहित्य का विकास नहीं हो जाता, तब तक, वर्तमान परिस्थितियों में, इस समस्या का हल यही है कि स्थानीय बोलियों पर जोर देकर अंगरेजी और हिन्दी की शिक्षा को उन्नत किया जाए ।"

नागालैंड की भाषा समस्या आज भी यथावत् है । नागा असमिया या नागामिज का प्रयोग होता है किन्तु इसका लिखित रूप न होने से तथा लिखित रूप के विकास के प्रयत्नों के अभाव में इस समस्या का हल शीघ्र संभव नहीं दिखाई देता ।

अरुणाचल भी बहुभाषी राज्य है । वहां आरंभ में हिन्दी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया था किन्तु पुस्तकों के अभाव में अंग्रेजी भाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में अपना लिया गया है । असम में असमिया शिक्षा का माध्यम है किन्तु बंगला भाषा भाषी लोग बंगला को ही माध्यम चुनते हैं । विश्वविद्यालय स्तर पर बंगला भाषा-माध्यम के रूप में स्वीकृत नहीं है । परिणामस्वरूप अंग्रेजी भाषा का प्रचलन है ।

इन सभी राज्यों में ही नहीं देश के अन्य भागों में भी ईसाई मिशन का शिक्षा पर यदि एकाधिकार नहीं तो वर्चस्व तो है ही । इन प्रदेशों में जन-जातीय क्षेत्रों में ही नहीं अन्यत्र भी मिशन संचालित अंगरेजी माध्यम वाली शिक्षण संस्थाओं की बहुलता है । सरकारी नौकरियों में अंगरेजी माध्यमवालों को वरीयता मिलने के कारण तथा वर्ग भेद और आभिजात्य की प्रतीक होने के कारण अंगरेजी माध्यमवाली शिक्षा संस्थाएं आकर्षण का केन्द्र बनी हुई हैं । यह आकर्षण सनक के स्तर

तक पहुंचने जा रहा है और अंगरेजी स्कूलों की बाढ़ सी आ गई लगती है । हां, पूर्वी सीमान्त प्रदेश में तो मिशन ईसाईकरण और पश्चिमीकरण के लिए इन शिक्षण संस्थाओं का एक संशक्त साधन के रूप में उपयोग कर रहा है । परिणामस्वरूप समस्त पूर्वांचल में विद्रोह की वाला धधक रही है । भाषा का प्रश्न इस क्षेत्र में देश की एकता और अखंडता से जुड़ा है । भाषा विवाद इस क्षेत्र में विघटनकारी साधन बन गया है । मणिपुर में मैतैलोन या मणिपुरीभाषा चौदह लाख में से लगभग सात लाख लोगों की मातृभाषा है और पूरे राज्य में प्रयुक्त होती है । तीसरी शताब्दी से मणिपुरी साहित्य की धारा आजतक अबाध गति से प्रवहमान है । जब मणिपुरी को जन जातीय विद्यार्थियों के लिए कक्षा तीन से अनिवार्य घोषित किया गया तो राज्य में आंदोलन हुए और राज्यादेश स्थगित करना पड़ा । जब मणिपुरी राज्य की संपर्क भाषा है, राज्य भाषा है और स्वतंत्रता पूर्व भी थी तो विरोध क्यों ? राज्यभाषा होते हुए भी राज्यकार्य अंगरेजी में होता है । दसवीं तक हिन्दी, मणिपुरी, असमी, बंगला आदि भाषाएं यद्यपि शिक्षा के माध्यम के रूप में स्वीकृत हैं फिर भी बहुसंख्य मिशन स्कूलों में अंगरेजी ही शिक्षा का माध्यम है ।

समस्त उत्तर पूर्वांचल में हिन्दी बोली व समझी जाती है । वास्तव में यह शताब्दियों से (ब्रजबोली मैथिली, हिन्दुस्तानी के रूप में) संपर्क भाषा रही है । आज भी कहीं भी चले जाइए हिन्दी को ही सम्पर्क भाषा पाएंगे । इन विभिन्न प्रांतों के लोग स्वभाषा भिन्नता के कारण हिन्दी का ही संपर्क भाषा के रूप में उपयोग करते हैं । त्रिभाषा सूत्र में सभी शिक्षण संस्थाओं में कक्षा तीन या छः से आठ तक हिन्दी अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाने की व्यवस्था भी है । किन्तु अंगरेजी भाषा के वर्चस्व के कारण हिन्दी ही नहीं मातृभाषा का अध्ययन-अध्यापन शिक्षण संस्थाओं में सुचारुरूप से नहीं किया जाता । नाम मात्र के लिए ही भारतीय भाषाएं, पाठ्यक्रम का अंग हैं । मातृभाषा में लिखने, बोलने की कुशलता एवं योग्यता विद्यार्थी अभ्यास से प्राप्त कर लेते हैं । वरना उधर भी कोई ध्यान नहीं दिया जाता । हिन्दी की दशा तो और भी दयनीय है । आठवीं पास विद्यार्थी अपना नाम देवनागरी में नहीं लिख सकता और न ही शुद्ध वाक्य ही बना सकता है। उसकी सारी शक्ति और क्षमता अंग्रेजी भाषा सीखने में शेष हो जाती है।

अंग्रेजी, नेपाली, बर्मी (या उसकी कुछ बोलियां या भाषाएं) और तिब्बती तथा उपर्युक्त अनेक स्थानीय भाषाओं और बोलियों का उत्तर पूर्वांचल में प्रचलन है। भाषात्मक एकता एवं राष्ट्रीय अखंडता के साथ सम्पर्ण भाषा की अनिवार्यता के दृष्टिकोण से हिन्दी की भूमिका महत्वपूर्ण है। हिन्दी ही विघटनकारी प्रवृत्ति तथा राष्ट्र विरोधी भावना को दूर सकता है। आज आवश्यकता इस बात की है कि हिन्दी शिक्षण को प्रभावकारी बनाया जाए। इस क्षेत्र में अनेक हिन्दी प्रचारक शिक्षण संस्थाएं कार्यरत हैं किन्तु उनका दृष्टिकोण व्यावसायिक है। हिन्दी के स्तर की और न शिक्षण संस्थाए ध्यान देती हैं और न ही प्रचारक संस्थाए जब भी स्तर की बात उठती है तो तर्क दिया जाता है कि अहिंदी भाषी होने के कारण स्तर की अपेक्षा नहीं की जा सकती। आश्चर्य का विषय तो यह है कि अंग्रेजी के स्तर की चिंता का जाती है, उसका स्तरीय ज्ञान प्राप्त करने पर पूरा बल दिया जाता है किन्तु हिन्दी पर नहीं यह मानसिकता परिवर्तित किए बिना हिन्दी के स्तर में सुधार की गुजाईश नहीं है। हिन्दी को राष्ट्रीय एकता, अखंडता अस्मिता तथा उत्तर पूर्वांचल की विद्रोही गतिविधियों के संदर्भ में महत्व देना अनिवार्य है। हिन्दी के द्वारा ही इस क्षेत्र में राष्ट्रवादी विचारधारा का प्रचार और अलगावदादी शक्तियों की समाप्ति संभव है। पश्चिमीकरण और राष्ट्रविरोधी भावना से विमुख करने तथा भारतीयकरट के लिए इस प्रदेश में हिन्दी भाषा व देवनागरी लिपि की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। इस संबंध में डा. देवराज ने लिखा है :— हिन्दी भाषा ही नहीं, राष्ट्र की अस्मिता का द्योतक भी है। इस भाषा के साथ भावना का प्रश्न जुडा हुआ है। भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण इसका प्रमाण है। असम राज्य का स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भाषा के आधार पर ही कई बार विभाजन हुआ ।

भविष्य में देश में भाषा के आधार पर कितने राज्य बन जाएंगे यह तथ्य भविष्य के गर्भ में छिपा है। पूर्वांचल में यदि यही स्थिति रहती है तो किसी दिन ग्रीस जैसे नगर राज्य (सिटी स्टेटस) बनने की संभावना है । भाषा के आधार पर विघटनकारी तत्व देश को खंडित करने की ताक में हैं। इन विषम परिस्थितियों में हिन्दी के माध्यम से इस बहुभाषी क्षेत्र को एक सूत्र में बाधा जा सकता है । □

पुरानी यादें नए परिप्रेक्ष्य

जिन्होंने सिंहासन पर बैठते ही राजभाषा हिंदी की घोषणा की

□ डॉ. राजेश कुमार उपाध्याय*

"अपनी मातृभाषा अपनी स्वयं की हितैषी होती है, अपनी भाषा से ही अपना कल्याण होता है, अपनी भाषा की उन्नति से अपना सांस्कारिक विकास होता है, अपनी माता, और राष्ट्रभाषा अपने चतुर्दिक विकास की संवाहक होती है"—यह विचार तत्कालीन रीवा नरेश महाराजा वेंकटरामन सिंह जी ने 1895 में सिंहासन पर बैठते ही व्यक्त किये थे। उन्होंने अपने राज्य की भाषा हिंदी की घोषणा की थी।

उन्होंने जो प्रमुख घोषणाएं की थीं, उनमें प्रमुख थीं—'राजकीय भाषा हिंदी होगी तथा संपूर्ण अदालती कार्यवाही हिंदी में होगी—उर्दू एवं अंगरेजी भाषाओं में कोई भी कार्यवाही न की जाए। जो लोग हिंदी में लिखना-पढ़ना नहीं जानते उन्हें छह माह का समय दिया जाता है।'

"अपनी भाषा से ही अपना कल्याण होता है, अपनी भाषा की उन्नति से अपना सांस्कारिक विकास होता है। अपनी माता, राष्ट्रमाता और राष्ट्रभाषा अपने चतुर्दिक विकास की संवाहक होती है।"

—वेंकट रमण सिंह जू देव

रीवा के पूर्ववर्ती महाराजाओं की तरह महाराजा वेंकट-रमण भी हिंदी के अनन्य भक्त और उन्नायक थे। महाराजा का जन्म श्रवण शुक्ल 3 संवत 1932 में टमसनदी के किनारे बसे कृपालपुर में हुआ था। उनके पिता महान साहित्य सेवी महाराज रघुराज सिंह और माता महारानी शिवदान कुंवरि थीं। बचपन से ही प्रतिभा के धनी महाराजा वेंकटरमणजी में नेतृत्व के सभी गुण विद्यमान थे। सम्राट जॉर्ज पंचम के राज्याभिषेकोत्सव में दिल्ली दरबार में निमंत्रित होकर गये थे तथा उन्हें सरकार की ओर से लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि प्राप्त हुई थी। विक्रम संवत 1973 में राजापुर में तुलसी स्मारक का उद्घाटन भी उन्होंने ही किया था। राष्ट्रनेता गोपालकृष्ण गोखले की मांग पर उन्होंने प्रवासी भारतीयों के लिए दक्षिण अफरीका सहायता कोष में पर्याप्त धन दिया था। वे परम गौ भक्त थे। शिक्षा की उन्नति और विकास के लिए उन्होंने रीवा में दरबार हाई स्कूल खुलवाया उनके निर्देश पर बड़े-बड़े कस्बों में हिंदी पाठशालाएं खोली गयीं। स्त्री शिक्षा के प्रचार-प्रसार के लिए एक कन्या पाठशाला भी खोली गई।

हिंदी के विकास के लिए रीवा में भारत भ्राता प्रेस खोला गया, जिससे भारत भ्राता नामक एक हिंदी समाचार पत्र भी निकाला जाने लगा। यह मध्यभारत का सबसे प्राचीन और पहला समाचार पत्र था। उन्हीं के प्रयत्न से हिंदी की अनेक पुस्तकें प्रकाशित हुई। बहुत-सी पुस्तकें जो अंग्रेजी भाषा में थी, उन्होंने सबके अध्ययनार्थ हिंदी में उनका अनुवाद कराया और भूतपूर्व महाराजाओं—जयसिंह, विश्वनाथ सिंह, और रघुराज सिंह जी की लिखी हुई बहुत-सी पुस्तकें छपवायी। इस कार्य में पं. भवानीदत्त जोशी, पं. सूरज प्रसाद पांडेय और जीतन सिंह जी ने विशेष सहयोग दिया था। उन्होंने 'रीवा राज दर्पण' नाम से रीवा का सांकेतिक इतिहास हिंदी में तैयार करवाया। किले में प्राचीन हस्तलिखित पुस्तकों का संग्रह 'सरस्वती भंडार' नाम से किया गया। सरस्वती पुस्तकालय की नींव डाली गयी—जो आज भी वेंकट विद्यासदन नाम से रीवा नगर का सबसे बड़ा पुस्तकालय है। महाराजा ने स्वयं 'भजनावली' नाम की एक पुस्तक लिखी, जिसमें ईश्वर के गुणानुवाद संबंधी पदों का संग्रह है। महाराजा ने 50 हजार रुपया लगाकर दरबार प्रेस की स्थापना (भारत भ्राता प्रेस का नवीन विकास) की, जिसमें पूर्व महाराजाओं के ग्रंथ प्रकाशित हुए। महाराजा में विद्वानों से भी कुछ पुस्तकें लिखाकर प्रकाशित करायीं। इतिहासकार जीतनसिंह जी की पुस्तकें यहां अधिक छपी।

'रीवा राज गजट' नामक एक सरकारी पाक्षिक पत्र भी निकला और 'प्रकाश' नामक एक साप्ताहिक पत्र भी प्रकाशित होने लगा। इसी प्रेस से 'वीरभानुदेय काव्य' का भी प्रकाशन हुआ। महाराजा की तीसरी महारानी कीर्ति कुमारीजी ने श्री कृष्णलीला से संबंधित लगभग पचास पुस्तकें लिखीं।

—"कादम्बिनी" से साभार

□

*राजेंद्र चित्र मंदिर के पीछे, तीसरा मकान,
अर्जुन सदन, शहडोल-484001

विश्व हिंदी दर्शन

अभिमन्यु अनत — एक बातचीत

□सतीश चन्द्र अग्रवाल

(मॉरिशस— हिन्द महासागर में अवस्थित 'लघु भारत'— इन्द्रधनुषी मनोहारी प्राकृतिक छटा, नीलाभ समुद्रतट, हरे-भरे गन्ने के खेत, नारियल और ताड़ के वृक्षों की कतारें। प्रकृति के अनुरूप ही सतरंगी संस्कृति। प्रमुख निवासी हैं भारतवंशी जिनके पूर्वज डेढ़ सौ वर्ष पूर्व शर्तबन्दी-प्रथा के अन्तर्गत भारत से मजदूरी के लिए गए और अपना खून पसीना एक करके निर्माण किया। आज के समृद्ध और सुसंस्कृत मॉरिशस का। उन्होंने अपनी भाषा एवं संस्कृति को भी संजोया व संवारा। मॉरिशस के सशक्त हिन्दी साहित्यकारों में प्रमुख नाम है— अभिमन्यु अनत। 'विश्व रामायण सम्मेलन' में भाग लेने गए भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी सतीश चन्द्र अग्रवाल ने जो मॉरिशस के हिन्दी साहित्य पर शोध कर रहे हैं, श्री अनत से वहां के हिन्दी साहित्य के विकास, सम्भावनाओं व समस्याओं पर विशद बातचीत की। यहां प्रस्तुत है उसके कुछ प्रमुख अंश। —संपादक

प्रश्न—अनत जी, मॉरीशस में हिन्दी की किन-किन विधाओं में साहित्य-सृजन हो रहा है? परिमाण व स्तर की दृष्टि से उसकी स्थिति कैसी है ?

उत्तर—वैसे तो लगभग सभी विधाओं पर कार्य हुआ है लेकिन अधिक सार्थक साहित्य रचना उपन्यास और कहानी में ही है। यद्यपि हमारे यहां अधिकांश कवि-लेखक कविताएं ज्यादा लिख रहे हैं, इनमें भोजपुरी गीत भी शामिल हैं किन्तु स्तरीय रचनाओं की संख्या कम है। कविता की अपेक्षा उपन्यास, कहानी, नाटक, एकांकी और लेख बेहतर पहचान बना सके हैं। उपन्यास तो अब तक तीस से अधिक प्रकाशित हुए हैं। कविताओं की पुस्तकें, कोई 60–70 होंगी। एकांकी काफी मात्रा में हैं। इसका कारण यह है कि सरकारी स्तर पर नाट्य प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं जिनमें अधिकांशतः यहां की युवा पीढ़ी हिस्सा लेती है। खुशी की बात है कि हिन्दी व भोजपुरी के लगभग 80–100 क्लब हिस्सा लेते हैं जबकि अंग्रेजी और फ्रेंच के मिलाकर इसके आधे भी नहीं हो पाते।

प्रश्न—मॉरिशस की संस्कृति संश्लिष्ट है। यहां अंग्रेज, फ्रेंच, अफ्रीकी–चीनी व भारतीय मूल के भोजपुरी, तमिल व तेलुगु भाषी विभिन्न धर्मों, जातियों के व भाषाभाषी निवास करते हैं। इस सामासिक संस्कृति का हिन्दी साहित्य पर प्रभाव अवश्यम्भावी है। हिन्दी साहित्य पर यह प्रभाव कहां तक व किस रूप में है ?

उत्तर—प्रभाव अवश्य है। कोई भी सृजनात्मक कार्य परिवेशगत परिस्थितियों से प्रभावित हुए बिना नहीं रहता किन्तु यह प्रभाव वैसा नहीं है जिसकी कि आप कल्पना करते होंगे। यह सही है कि मॉरिशस की संस्कृति सामासिक है और सारी संस्कृतियां कोशिश करती हैं कहीं न कहीं एक ठौर पर मिलने की। राजनैतिक नारा भी दिया यह जो अपनाने की प्रवृत्ति है यह केवल भारतवंशियों के पास है इस देश में। भारतवंशियों ने बाकी संस्कृतियों को अपनाया। जहां से जो भी अच्छा दिखा उसे ग्रहण किया लेकिन यह हमेशा एकपक्षीय रहा है। बाकी लोग खुल नहीं पाये हैं और यही कारण है कि प्रभाव जो कुछ ज्यादा होता, नहीं हो पाया है। हां पाश्चात्य साहित्य का प्रभाव हमारे यहां पहले आ जाता है, भारत में बाद में।

प्रश्न—आपका अपना साहित्य किन पारिवारिक, सामाजिक, ऐतिहासिक परिस्थितियों से प्रभावित हुआ है तथा किन लेखकों की रचनाओं का प्रभाव प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से रहा है ?

उत्तर—जहां तक प्रभावित होने का प्रश्न है मैं सोचता हूं कि मैं बहुत कम साहित्यकारों से प्रभावित हुआ हूं। हां यह सही है कि मैंने अपनी साहित्यिक पहचान उस समय बनाने की कोशिश की जब मैं बहुत छोटा था और शरत बाबू व प्रेमचन्द के उपन्यासों का बहुत बोलबाला था। मैं यह कह सकता हूं कि मैं पनपा जरूर हूं शरत बाबू या प्रेमचन्द के उपन्यासों पर। भारत में कुछ लोग हैं जो तुलना करते हैं निराला जी या प्रेमचन्द से किन्तु में सोचता हूं जहां तक मेरी पहचान है मैं अभिमन्यु अनत ही हूं सत्य तो यह है कि मेरे ऊपर जो सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है वह किसी साहित्यकार का नहीं वरन् मॉरीशस के जन-जीवन का है। मैं खुद मजदूर रहा हूं।

मैंने गरीबी, अभाव, शोषण को बड़ी नजदीकी से देखा है और यहीं से मेरी प्रतिबद्धता शुरू हुई। यहीं से प्रभाव आना शुरू हुआ। क्योंकि जो शोषण मैंने देखा इस देश में मजदूरों का—उसे मैंने अपने भीतर एक बहुत बड़े घाव की तरह पकते पाया और जब देखा कि वह पक गया है तो उसे तोड़ देने के लिये—उससे मुक्त होने के लिये अभिव्यक्ति शुरू की। इसीलिये मेरी रचनाएं काल्पनिक न होकर मेरे इर्द-गिर्द की जिन्दगी से जुड़ी हैं। मेरी रचनाएं किसी बाद के प्रति प्रतिबद्ध नहीं हैं।

प्रश्न—कुछ लोग आपको जनवादी लेखक या प्रगतिशील लेखक कहते हैं। आपकी अपनी धारणा क्या है अपने बारे में?

उत्तर—जैसा कि अभी मैंने बताया मेरी रचनाएं किसी वाद से प्रतिबद्ध नहीं है। जैसा कि भारतीय साहित्य में समर्पण और प्रतिबद्धता को राजनैतिक नारे जैसा बना दिया गया है। इसलिये मैं तो यह नहीं कहूंगा कि मैं वामपन्थी लेखक हूं या प्रोग्रेसिव राइटर हूं या क्या हूं क्योंकि मैं यह मानकर नहीं चलता हूं। मेरी मान्यता है कि लेखक रचना करे फिर अपना कोई फ्रेम लगाएं।

मैंने हमेशा अपने आप को आम आदमी के साथ जोड़ा है। 'और नदी बहती रही' से लेकर 'और पसीना बहता रहा' तक मेरे साहित्य में जितने पड़ाव हैं वे सब वहीं पड़े हैं जहां-जहां मजदूर दुखी रहे हैं, उन पर अत्याचार हुये है या शोषण हुआ है। 'और नदी बहती रही' मेरा पहला उपन्यास था। 'और पसीना बहता रहा' कुछ ही दिनों में राजकमल प्रकाशन से निकलने वाला है। इन दोनों उपन्यासों के बीच मैंने लगभग पचास किताबें लिखी हैं जिनमें लगभग 18,000 पन्ने हैं। ये सभी अट्ठारह हजार पन्ने मजदूरों की जिन्दगी के इर्द-गिर्द घूमते रहे हैं। कुछ लोगों को लग सकता है कि मेरे साहित्य में विविधता नहीं है किन्तु मुझे लगता है कि आम आदमी की पीड़ा जब तक पूरी तरह अभिव्यक्त नहीं हो पाती मैं उसी के चारों ओर चक्कर काटता रहूंगा।

प्रश्न—तो क्या आपके उपन्यासों या कहानियों को आपका भोगा हुआ यथार्थ कहा जा सकता है?

उत्तर—सारिका के सम्पादक मुद्गल जी ने भी एक बार प्रश्न किया था कि लगता है मैं अपने सभी उपन्यासों में उपस्थित हूं और कहीं न कहीं वह मेरी आत्म कहानी है किन्तु डेढ़ सौ साल की कहानी लिखी है मैंने 'लाल पसीना' उपन्यास में और वह कहां तक मैंने जिया है? उनको जो उत्तर दिया था वही आपको दे रहा हूं। यह सही है कि 'लाल पसीना' में कल्पना भी है किन्तु 'लाल पसीना' में वह सत्य भी है जिसे मैंने मानसिक स्तर पर झेला है। उस जीवन को मैंने मानसिक स्तर पर ऐसे झेला कि मेरी मां, मेरे पिता, व हमारे दूसरे बुजुर्ग लोग उन पीड़ाओं और यातनाओं को जब घर में सुनाते थे तो हम उन्हें परियों की कहानियों की तरह भूल नहीं जाते थे।

जो मजदूर यहां लाए गए थे वे मारिशस में नहीं आए थे वरन् यातना-शिविर में आए थे और वह यातना-शिविर हिटलर के यातना शिविर से कम नहीं था।

इतनी बड़ी चीज को एक पांच सौ पृष्ठ के उपन्यास में तो बांधा नहीं जा सकता। इसकी योजना मैंने तीन भागों में की। पहला भाग 'लाल पसीना' जो सारिका में धारावाहिक रूप से आया। दूसरा भाग 'गांधी जी बोले थे' नाम से जो साप्ताहिक हिन्दुस्तान में छपा और तीसरा भाग अभी-अभी पूरा किया है जो सारिका में प्रकाशित होना शुरू हुआ है तथा राजकमल प्रकाशन से निकलने वाला है। इसका शीर्षक मेरे पहले उपन्यास जैसा है। उसका शीर्षक था 'और नदी बहती रही'। इसका शीर्षक है—'और पसीना बहता रहा'।

प्रश्न—क्या मारिशस में हिन्दी साहित्य सृजन के लिये अनुकूल वातावरण है? यहां की उपलब्धियां क्या हैं और सम्भावनाएं कैसी हैं?

उत्तर—हमारी उपलब्धियां बहुत बड़ी नहीं हैं किन्तु सम्भावनाएं बहुत अधिक हैं। सम्भावनाएं इसलिए हैं क्योंकि हमारे लोग अभी तक कम से कम एक साहित्यिक रोग से ग्रस्त नहीं हैं। साहित्यिक रोग, जो कहीं-कहीं देखने को मिलता है— खेमेबाजी, गुटबन्दी या दूसरे रचनाकार को नकारने की प्रवृत्ति। यह आज मारिशस में नहीं है। यहां हम सोचते हैं कि हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती है— एक अभियान है जिसे हम अकेले पूरा नहीं कर सकते। इसलिए सारे अच्छे साहित्यकार एक होकर सृजन कार्य में जुटे हैं। मिसाल के तौर पर हमारे बीच रामदेव धुरन्धर

हैं जिनसे बहुत उम्मीद रखी जा रही है। पूजानन्द नेमा हैं, सुन्दर जी है जो बहुत अच्छी कविता करते हैं, मुकेश जी बोध है, महेश रामजियावन हैं नाटककार के रूप में। कोई सात-आठ लोग तो बड़े सक्रिय है और भारत के साहित्यिक स्वर के साथ मिलकर चल रहे हैं। आपको जानकर खुशी होगी कि आजादी के बाद से इस छोटे से देश मॉरिशस में करीब 225 हिन्दी किताबें लिखी गई हैं जिनमें करीब 50 किताबें भारत से छपी होंगी और बाकी सभी छोटी-बड़ी किताबें यहीं से छपी हैं। अंग्रेजी और फ्रेन्च में भी इतनी किताबें नहीं आयी हैं। लेकिन जो खटकने वाली बात है वह यह है कि हमारे लेखक भारत के आधुनिक हिन्दी साहित्य के सम्पर्क में नहीं आ पाए हैं। उनको सम्पर्क में लाने की कोशिश न तो भारतीय उच्चायोग की ओर से हुई है और न मारिशस सरकार की ओर से। भारतीय पुस्तकें डाक व्यय के कारण मारिशस से आते-आते इतनी मंहगी हो जाती हैं कि लेना मुश्किल हो जाता है। फलतः हम जान ही नहीं पाते कि भारत में हिन्दी साहित्य में क्या धारा है ?

दूसरी कठिनाई जो हमारे सामने है—वह है प्रकाशन की। हमारे यहां दस साल पहले की पुस्तकें छपीं लेकिन अब पुस्तकें छपाने का मतलब है घर का आटा गीला करना। पुस्तक छपाना सचमुच बड़ा कठिन कार्य हो गया है। एक जेहाद सा लड़ना हो गया हैं। लेखक को खुद ही प्रकाशक बनकर पुस्तक को छपाना पड़ता है और खुद विक्रेता बनकर बेचना पड़ता है। यहां पाठक व पढ़ने की प्रवृत्ति कम होने के कारण हिन्दी साहित्य उस मंजिल तक नहीं पहुंच सका है जहां इसे पहुंच जाना चाहिए था। पनप वही रहे हैं, मान्यता वहीं पा रहे हैं, अभिव्यक्ति वही कर रहे हैं जिनको भारतीय पाठकों का प्रेम स्नेह प्राप्त है। अगर भारतीय पाठक हमें पढ़ना बन्द कर दें तो शायद हम लोग लिख ही न पाए। यह सब लड़ाई हमें लड़नी है और हम लड़ रहे हैं। देखें कब सफलता मिलती है।

प्रश्न—अभी आपने भारत के वर्तमान हिन्दी साहित्य के मारिशस में उपलब्ध न हो पाने की समस्या की ओर संकेत किया तो क्या नव-प्रकाशित हिन्दी पुस्तकें महात्मा गांधी संस्थान, भारतीय उच्चायुक्त, स्वैच्छिक साहित्यिक संस्थाओं यथा प्रचारिणी सभा या हिन्दी परिषद् द्वारा अपने पुस्तकालयों में मंगाने की व्यवस्था नहीं की जा सकती ?

उत्तर—होना तो यही चाहिए। लेकिन रोना जिस बात का है वह यह है कि जिन संस्थाओं की चर्चा अभी आपने की उन्होंने अपने आप को एक दायरे में बन्द कर रखा है, जैसे कि हिन्दी प्रचारिणी सभा है। यह एक व्यावसायिक संस्था—एक परीक्षा आदि लेने वाली संस्था से अधिक कुछ नहीं कर पा रही है।

महात्मा गांधी संस्थान की अपनी प्रतिबद्धता दस-बीस भाषाओं व संकृतियों के प्रति है अतः पूर्णतः हिन्दी के लिए समर्पित रूप से कार्य करने वाली कोई भी संस्था नहीं है। जहां तक पढ़ने की रूचि की बात है ये पुस्तकें तो भारत में हैं अतः हम चाहने पर भी नहीं पढ़ पाते यही हमारी सबसे बड़ी समस्या है। यदि ये भारतीय उच्चायोग के पुस्तकालय में उपलब्ध होती तो लोग टापू के किसी भी कोने से आकर भी इन पुस्तकों को पढ़ते।

प्रश्न—मारीशस में आज जो हिन्दी साहित्य सृजन का वातावरण बना है उसकी पृष्ठभूमि में अब से सौ-पचास साल पहले के हिन्दी सेवियों, साहित्यकारों व संस्थाओं का बहुत बड़ा योगदान होगा।

मारीशस में हिन्दी भाषा और साहित्य के उत्थान में ऐसे किन महापुरुषों अथवा संस्थाओं का विशिष्ट योगदान रहा है ?

उत्तर—वैसे तो मारिशस में यह यात्रा बहुत पहले शुरू हुई। उस समय यह साहित्यिक यात्रा न होकर सांस्कृतिक व धार्मिक यात्रा थी। इनमें कई लोग हैं जिन्होंने निःस्वार्थ व त्याग भावना से यह कार्य किया किन्तु सशक्त रूप से यह अभियान शुरू हुआ पं. वासुदेव विष्णुदयाल के समय से। पं. विष्णुदयाल है, जय नारायण राय है, नियमन साहू जी हैं, सोमदत्त बखोरी जी है, प्रभाकर जी हैं, जिन्होंने परिषद् चलाई और 'अनुराग' पत्रिका का सम्पादन किया। इन लोगों के अलावा कुछ संस्थाओं ने भी साहित्य व संस्कृति के लिये कार्य किया। लेकिन इस देश की साहित्यिक यात्रा शुरू हुई 18—20 वर्ष पहले आज भारत के कोई दस श्रेष्ठ प्रकाशक मारिशस में सम्पर्क स्थापित किए हुए हैं यह हमारे लिये गौरव की बात है। इसके साथ ही हमारा दायित्व भी बढ़ जाता है। देश आजाद हो चुका है। एक रोशनी से जगमग खुला हुआ रास्ता हमारे सामने है तो अधिक लेखकों को सामने आना चाहिए। अधिक सृजनात्मक कार्य होना चाहिए।

मुझे विश्वास है कि आने वाले दस-पांच सालों में जब मारिशस के हिन्दी साहित्य का मूल्यांकन होगा तो उसे भी भारतीय हिन्दी साहित्य में गौरवपूर्ण स्थान मिलेगा। जब लोग यह न सोचकर कि मारिशस से कोई लिख रहा है यह सोचेंगे कि देखें मारिशस में क्या लिखा जा रहा है तभी सही मूल्यांकन हो सकेगा। □

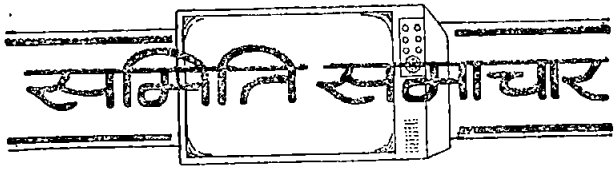

(क) हिन्दी सलाहकार समितियों की बैठकें

1 औद्योगिक विकास विभाग/लघु उद्योग/कृषि एवं ग्रामीण उद्योग विभाग

औद्योगिक विकास विभाग तथा लघु उद्योग और कृषि एवं ग्रामीण उद्योग विभाग की हिन्दी सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 15-10-90 को नई दिल्ली में उद्योग राज्य मंत्री श्री श्रीकान्त जेना की अध्यक्षता में हुई।

सदस्य सचिव ने उद्योग राज्य मंत्री जी से वर्ष 1989-90 के दौरान सब से ज्यादा हिन्दी में काम करने के लिए तीन कार्यालयों को इंदिरा गांधी राजभाषा शील्ड प्रदान करने का अनुरोध किया। अध्यक्ष महोदय ने खादी और ग्रामोद्योग आयोग, बंम्बई के अध्यक्ष डॉ यशवीर सिंह की प्रथम पुरस्कार (शील्ड) प्रदान किया। विस्फोटक विभाग, नागपुर के मुख्य विस्फोटक नियंत्रक डा. डी. मुखर्जी को द्वितीय और अपर सचिव एवं विकास आयुक्त (लघु उद्योग) श्री चन्द्र किशोर मोदी को तृतीय पुरस्कार प्रदान किए।

अध्यक्ष महोदय ने मूल रूप से "क" क्षेत्र के साथ समग्र पत्र व्यवहार हिन्दी में ही करने संबंधी उद्योग मंत्री द्वारा दिए गए आदेश और इसके अनुपालन की स्थिति से भी सदस्यों को अवगत कराया तथा बताया कि विभाग के एक और अनुभाग को अपना शत प्रतिशत काम हिन्दी में करने के लिए निदेश दिए जा रहे हैं।

भविष्य में हिन्दी के प्रयोग की प्रगति का विवरण तुलनात्मक रूप में दिया जाना चाहिए ताकि प्रगति का ठीक-ठीक अनुमान लगाया जा सके।

प्रो. इकबाल अहमद ने कहा कि लघु उद्योग और कृषि एवं ग्रामोण उद्योग विभाग के लिए अलग हिन्दी अनुभाग और स्टाफ की व्यवस्था होनी चाहिए।

श्री सुधाकर पाण्डेय ने सुझाव दिया कि विभाग और इसके अधीनस्थ सभी कार्यालयों की राजभाषा कार्यान्वयन समितियों में सलाहकार समिति के स्थानीय सदस्य को प्रेक्षक के रूप में नामित किया जाये।

सभी कार्यालयों में यांत्रिक सुविधाएं द्विभाषी रूप में उपलब्ध कराई जाए।

डा. रत्नाकर पाण्डेय ने सुझाव दिया कि सभी अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा हिन्दी में पत्रिकाएं निकाली जाएं तथा सभी खाली पदों को शीघ्रातिशीघ्र भर लिया जाये। नियमित व्यक्ति उपलब्ध होने की प्रतीक्षा न करके उन पर तदर्थ आधार पर नियुक्तियां की जाएं। प्रशिक्षण का निर्धारित लक्ष्य मार्च, 1991 तक प्राप्त करके समुचित संख्या में टंककों और आशुलिपिकों को प्रशिक्षित किया जाए। तभी हिन्दी के प्रयोग में बढ़ोत्तरी हो सकती है। टाइपराइटरों की अपेक्षित संख्या में खरीद का सुनिश्चय किया जाए।

राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें नियमित रूप से आयोजित कराई जाएं और उनमें हिन्दी के कार्यों की समीक्षा की जाए। हिन्दी में पत्राचार बढ़ाने के लिए हर समय प्रयास किए जाएं और हिन्दी जानने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को हिन्दी में पत्राचार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। इसके लिए वर्कशाप का नियमित रूप से आयोजन करना बहुत हितकर रहेगा।

हिन्दी जानने वालों के लिए सहायक सामग्री और अन्य साहित्य उपलब्ध कराया जाए और राजभाषा अधिनियम और इसके तहत बने नियमों से सभी को अवगत कराया जाए। लाइब्रेरी में हिन्दी पुस्तकों की संख्या बढ़ाकर 25 से 50 प्रतिशत कर दी जाए।

2. खान विभाग

खान विभाग की हिन्दी सलाहकार समिति की माननीय इस्पात और खान मंत्री की अध्यक्षता में 20 सितम्बर, 1990 को नयी दिल्ली में बैठक हुई।

हिन्दी प्रयोग की समीक्षा करते हुए मंत्री महोदय ने कहा कि खान विभाग से लगभग 81.5% मूल पत्र हिन्दी में भेजे गए जो पिछले वर्ष भेजे गए पत्रों से करीब 11% अधिक थे। समिति को यह जानकारी भी दी गई कि खान विभाग से संबंधित तकनीकी शब्दों (6000 शब्द) के हिन्दी पर्याय निर्धारण का काम भारत सरकार के शब्दावली आयोग द्वारा तत्परता से आगे बढ़ाया जा रहा है। पर्यायों को अंतिम रूप देने से पहले आयोग ने विभाग के विभिन्न वैज्ञानिक अधिकारियों के साथ परामर्श का सिलसिला शुरु किया है और अगली 5–6 बैठकों में पर्यायवाची कोश तैयार हो जाने की आशा है।

समिति के सदस्य डा. लक्ष्मीनारायण दुबे, श्री योगेन्द्र रीगावाल, श्री शंकर दयाल सिंह आदि ने कहा कि मंत्री जी ने अपने संबंध में उपलब्धियों के साथ-साथ कमियों का उल्लेख करके एक अपूर्व शुरुआत की है। इस अवसर पर उन्होंने भारतीय भूसर्वेक्षण द्वारा "भूवैज्ञानिक कार्यकलाप" विषय पर जून, 1990 में आयोजित सेमिनार और भारत एल्यूमिनियम कंपनी द्वारा प्रकाशित "बाल्को समाचार" के "पर्यावरण विशेषांक" की भूरि-भूरि प्रशंसा की।

वरिष्ठ अधिकारी स्तर पर हिंदी में काम

सर्वश्री डा. सुधाकर पाण्डे, डा. अबरार अहमद खान और पन्ना लाल शर्मा का कहना था कि कार्यसूची से यह पता नहीं चलता कि हिन्दी लिखने/डिक्टेशन देने वाले अधिकारियों की संगठन-वार वास्तविक संख्या कितनी है और इस बारे में अगली बैठक में जानकारी स्पष्ट की जाए। डा. अबरार अहमद खान और श्री शंकर दयाल सिंह ने कहा कि हिन्दी में उच्च स्तर पर काम बढ़ाने के लिए हिन्दी आशुलिपिक पर्याप्त संख्या में होने आवश्यक हैं। प्रत्येक सरकारी उपक्रम में अध्यक्ष-प्रबंध निदेशक/महाप्रबंधकों/निदेशकों के पास एक-एक हिन्दी आशुलिपिक की सुविधाएं सुलभ हों, इसकी तत्काल व्यवस्था की जाए।

भारतीय भूसर्वेक्षण और भारतीय खान ब्यूरो में खाली हिंदी पदों की भर्ती

श्री सुधाकर पाण्डे ने कहा कि भर्ती के संबंध में स्थिति संतोषजनक नहीं है। ब्यूरों में हिन्दी अधिकारी के खाली पद के बारे में सचिव श्री लाहिरी ने बताया कि संघ लोक सेवा आयोग ने विज्ञापन और साक्षात्कार के बाद बारी-बारी से दो लोगों का नामांकन भेजा। दोनों ही व्यक्ति दिल्लीवासी थे, दोनों ने नागपुर जाने से मना कर दिया है। भारतीय भूसर्वेक्षण में हिन्दी अधिकारी का एक पद प्रोन्नति से भर लिया गया है। वरिष्ठ हिन्दी अधिकारी पद के भर्ती नियम शीघ्र बन जाने की आशा है और उसे पदोन्नति द्वारा भरा जाएगा। अन्य खाली पदों को डेपुटेशन या पदोन्नति से भरने का विचार कर रहे हैं और इस बारे में वे भर्ती आयोगों को लिखेंगे।

डा. अबरार अहमद खान और श्री पन्ना लाल शर्मा ने कहा कि अधीनस्थ कार्यालयों के लिए हिन्दी कर्मचारियों का एक काडर बनाया जाए। राजभाषा विभाग के संयुक्त सचिव श्री निशिकान्त महाजन ने बताया कि अधीनस्थ कार्यालयों में काडर के बारे में 1987 में केन्द्रीय हिन्दी समिति में सुझाव आया था और विचार के बाद यह पाया गया कि अलग-अलग स्वरूप, स्थिति और कार्य क्षेत्र को देखते हुए इन कार्यालयों के लिए एक सम्मिलित काडर बनाना संभव नहीं है। हां, मंत्रालय चाहें तो अपने-अपने अधीनस्थ कार्यालयों के लिए एक सम्मिलित हिन्दी काडर योजना पर विचार कर सकते हैं।

इस प्रसंग में सचिव (खान) ने बताया कि हमारे अधीनस्थ कार्यालयों में सीधी भर्ती केवल अनुवादक के पद पर होती है और उससे ऊंचे के सभी पदों—यथा वरिष्ठ अनुवादक, हिन्दी अधीक्षक/अधिकारी, वरिष्ठ हिन्दी अधिकारी आदि पदों को "प्रथमतः पदोन्नति द्वारा" भरने का ही भर्ती नियमों में प्रावधान है, अर्थात् काडर योजना की तरह सभी सुविधाएं हिन्दी स्टाफ को सुलभ हैं। फिर भी, दोनों अधीनस्थ कार्यालयों से इस बारे में सम्मिलित काडर योजना की संभावनाओं पर विचार करने को कहा जाएगा।

सर्वश्री सुधाकर पाण्डे, शैलेन्द्र नाथ श्रीवास्तव, दयानन्द पहोथ, डा. अबरार अहमद खान, योगेन्द्र रीगावाल और पन्ना लाल शर्मा ने सरकारी उपक्रमों में पदोन्नति की योजना के बारे में चर्चा शुरु की। हिन्दुस्तान कापर लि. के निदेशक (कार्मिक) श्री वेद लीखा ने बताया कि उनकी कंपनी में सभी वर्गों में भर्ती/नियुक्ति के समान नियम हैं। हिन्दी का काडर नहीं है, तथापि हिन्दी कार्मिकों को जरुरत होने पर "आउट आफ द वे" पदोन्नति भी दी गई है। इस पर श्री रीगावाल ने कहा कि "आउट आफ द वे" की बजाय योजना बनाकर ये काम किया जाए।

बाल्को के अध्यक्ष श्री राव ने कहा कि उनके यहां हिन्दी अधिकारी असहाय नहीं हैं और उन्हें अन्य सेवा वर्गों की तरह पदोन्नति सुविधाएं प्राप्त हैं। पदोन्नति के प्रसंग

में कर्मचारी यूनियन की बात को ध्यान में रखना होता है और हिन्दी सहित प्रत्येक सेवा-प्रवर्ग में, तदनुसार प्रोन्नति की कार्यवाही की जाती है जिसमें 3–4 साल बाद प्रोन्नति पात्रता बनती है।

राजभाषा विभाग के संयुक्त सचिव श्री महाजन ने कहा कि कदाचित इंडियन एयर लाइन्स में काडर योजना है, अतः उनसे ज्ञात किया जाए।

सचिव श्री प्रतीप लाहिरी ने बताया कि उपक्रमों का अलग-अलग स्तर और कार्य क्षेत्र होता है और उनकी नीतियां भी अलग-अलग होती हैं। अतः सभी उपक्रमों के लिए समान काडर बनाना संभव नहीं होगा। साथ ही, इन उपक्रमों में किसी भी पद की भर्ती/पदोन्नति नीति का मंत्रालय से कोई संबंध नहीं होता। इस बारे में लोक उद्यम ब्यूरो दिशा-निर्देश तय करें तो बेहतर रहेगा, तब किसी अधिकारी को एक उपक्रम से दूसरे उपक्रम में भेजना भी संभव होगा। उन्होंने आगे कहा कि वे "अपने सभी उपक्रमों से अपेक्षा करते हैं कि यदि कोई व्यक्ति निर्धारित अवधि (4 या 5 वर्ष) के बाद भी पदोन्नत नही हुआ है तो उसे पदोन्नत किया जाए तथा योग्यताएं पूरी होने पर अन्य रिक्त पदों पर पदोन्नति हेतू विचार किया जाए"। डॉ. अबरार अहमद ने कहा कि अगली बैठक में, प्रत्येक उपक्रम में प्रत्येक हिन्दी कार्मिक को नियुक्ति, प्रथम, द्वितीय और तृतीय पदोन्नति की तारीखे (वेतनमान सहित) दी जाएं और तब उपक्रमों में काडर योजना पर आगे विचार हो सकेगा।

हिंदुस्तान जिंक लि. आदि उपक्रमों द्वारा बोर्ड बैठकों की कार्यसूची द्विभाषी तैयार करना

सर्वश्री शंकर दयाल सिंह, सुधाकर पांडे व डा. अबरार अहमद खान ने कहा कि सभी उपक्रमों में कार्यसूची अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में तैयार हो रही है किन्तु हिंदुस्तान जिंक लि. अभी तक कार्यवृत्त ही हिंदी में बना रहा है, तो यह कंपनी अन्य कई कंपनियों से काफी पीछे है। उसे भी कार्यसूची हिंदी में भी बनाने के शीघ्र प्रबंध करने चाहिए।

सचिव खान ने सुझाव दिया कि एजेन्डा काफी बड़ा होने पर, इसका सारांश हिंदी में बनाकर प्रस्तुत किया जा सकता है। डा. अबरार अहमद ने कहा कि अब कार्यसूची और कार्यवृत्त मूलतः हिंदी में बनाने और उसका अंग्रेजी अनुवाद कराने की दिशा में प्रयास शुरू करने चाहिएं। मंत्री जी ने सहमत होते हुए कहा कि कुछ उपक्रम इस दिशा में कोशिश /शुरूआत करें तो आगे चलकर ऐसा करना संभव होगा। निर्णय हुआ है कि कार्यसूची साथ-साथ द्विभाषी जारी की जानी चाहिए।

हिन्दुस्तान जिंक आदि उपक्रमों में तकनीकी विषयों पर हिंदी में सेमिनार

मंत्री जी ने अपने सम्बोधन में बताया कि हिंदुस्तान कापर लि. ने इस वर्ष "प्रबंध व्यवस्था" विषय पर तकनीकी सेमिनार का प्रस्ताव किया है। चर्चा के दौरान सचिव (खान) ने कहा कि हिंदी-भाषी क्षेत्र में स्थित होने के नाते, हिंदुस्तान जिंक लि. को भी तकनीकी सेमिनार करना चाहिए। मंत्री जी ने इस पर सहमति व्यक्त की। हिंदुस्तान जिंक लि. के निदेशक श्री हरि विष्णु पालीवाल के परामर्श से फरवरी, 1991 के द्वितीय शनिवार यानी 8 व 9 फरवरी, 1991 को सेमिनार करने का निर्णय हुआ। मंत्री जी ने यह भी कहा कि हर 6 महीने में एक बार किसी न किसी उपक्रम द्वारा सेमिनार किया जाए और इन सेमिनारों में हिंदी सलाहकार समिति तथा संसदीय राजभाषा समिति के सदस्यों को आमंत्रित किया जाए। हिंदी सलाहकार समिति की अगली बैठक भी सेमिनार के साथ हिंदुस्तान जिंक लि. उदयपुर में रखने का निर्णय हुआ।

भारतीय भूसर्वे व हिंदुस्तान जिंक लि. के कार्यालयों में वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार राजभाषा कार्यान्वयन

सर्वश्री सुधाकर पांडे एवं पन्ना लाल शर्मा ने कहा कि भारतीय भूसर्वे के उत्तर क्षेत्र कार्यालय तथा हिंदुस्तान जिंक मुख्यालय में राजभाषा कार्यान्वयन में सुधार के लिए पिछली बैठक में भी सलाह दी गई थी किंतु स्थिति में कोई खास सुधार नहीं है। साथ ही इस बावत भूसर्वे मुख्यालय से, और खासकर हिंदुस्तान जिंक से जो उत्तर आया है कि "यथासंभव प्रयास किये जा रहे हैं" संतोषप्रद नहीं है। भूसर्वे के महानिदेशक श्री ढोंढियाल ने बताया कि उन्होंने स्थिति का स्वयं जायजा लिया है और जून, 1990 को समाप्त तिमाही में सुधार हुआ है। तय हुआ कि हिंदुस्तान जिंक लि. मुख्यालय और भूसर्वे द्वारा सुधार हेतु तत्काल कारगर कदम उठाये जाने चाहिए।

भूसर्वे, बाल्को और हिंद जिंक लि., द्वारा कोड मैनुअलों का शीघ्र अनुवाद द्विभाषी मुद्रण

श्री सुधाकर पांडे ने कहा कि ये अनुवाद और द्विभाषी मुद्रण एक वर्ष के अन्दर अवश्य पूरा कर लिया जाना चाहिये। श्री शंकर दयाल सिंह ने कहा कि अनुवाद में विलम्ब केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो द्वारा किया जाता है अतः बाहर के योग्य अनुवादकों (रिटायर लोगों सहित) से पैसा देकर ये अनुवाद शीघ्रता से कराया जा सकता है। भूसर्वे के एक मैनुअल के बारे में महानिदेशक ने बताया कि उसमें 25-30% संशोधन होना है, जो किया जा रहा है। राजभाषा विभाग के संयुक्त सचिव श्री महाजन ने कहा कि केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो में संसाधनों की कमी है

अतः उपर्युक्त कार्यालय पैसे देकर बाहर से ये अनुवाद करा लें और फिर चाहें तो हमारे विभाग से उसकी पुनरीक्षा (वैटिंग) करा लें, तो देरी नहीं होगी।

उपक्रमों व खान ब्यूरो द्वारा हिंदी पुस्तकों पर खर्च की तुलनात्मक राशि बताना

सर्वश्री शैलेन्द्र नाथ श्रीवास्तव, सुधाकर पांडे और पन्ना लाल शर्मा ने कहा कि कार्यसूची में केवल हिंदी पुस्तकों पर ही खर्च की राशि बतायी गई है और भारत गोल्ड माइन्स लि. द्वारा तो 10 ग्राम स्वर्ण मूल्य के बराबर राशि भी हिन्दी पुस्तकों पर खर्च नहीं की जा रही है। मंत्री जी की सहमति से निर्णय हुआ कि वर्ष 1989-90 में प्रत्येक उपक्रम और ब्यूरो द्वारा हिंदी और अंग्रेजी पुस्तकों पर खर्च की गई अलग-अलग राशि बतायी जाए, ताकि ये पता चल सके कि वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार पुस्तकालय बजट में से हिंदी पुस्तकों की खरीद पर 25 से 50 प्रतिशत राशि खर्च हुई या नहीं।

हिन्दी प्रचार-प्रसार में संलग्न मान्यता-प्राप्त संस्थाओं से सहयोग

सर्वश्री सुधाकर पांडे और शंकर दयाल सिंह ने कहा कि "मंगलम्" नामक संस्था के बारे में सदस्यों को जानकारी नहीं है। उपक्रमों आदि द्वारा हिंदी संबंधी कार्य के लिये यदि कोई सहयोग की आवश्यकता हो, तो एकरूपता की दृष्टि से ये सहयोग भारत सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त संस्थाओं से लिया जा सकता है। राजभाषा विभाग के संयुक्त सचिव श्री महाजन ने कहा कि ऐसी 20 संस्थायें पंजीकृत हैं और उनकी सूची खान विभाग को सुलभ करा दी जाएगी।

गृह पत्रिकाओं का द्विभाषी प्रकाशन

श्री अबरार अहमद ने कहा कि चूंकि ये पत्रिकायें विभिन्न संस्थाओं में जाती हैं और उनके बीच तकनीकी शब्दों की एकरूपता के लिये ये जरुरी है कि सभी उपक्रमों की पत्रिकाओं में तकनीकी शब्दों और उनकी हिंदी पर्यायों का एक स्तम्भ हो। सचिव (खान) ने बताया कि इस बारे में भी विश्वनाथ अय्यर के सुझाव पर कुछ उपक्रमों ने अपनी पत्रिका में "शब्द साधन" नाम से स्तम्भ के लिये कार्यवाही शुरु कर दी है। उन्होंने यह भी कहा कि "बाल्को समाचार" की तरह अन्य उपक्रमों द्वारा भी अपनी पत्रिकाओं के द्विभाषी विशेषांक निकाले जाने चाहिए। इस प्रसंग में भूसर्वे के महानिदेशक ने बताया वे भी तकनीकी विषयों पर "भूगोरव" नाम से पत्रिका शुरु कर रहे हैं। जिसका पहला अंक जनवरी, 1991 तक निकलेगा।

बाल्को समाचार के "पर्यावरण विशेषांक" और उसमें हिंदी में प्रकाशित सामग्री के लिए सम्पादक मंडल और लेखकों को बधाई दी गई। बाल्कों के अध्यक्ष श्री राव ने बताया कि वे पत्रिका की 2000 प्रतियां छपाते हैं और अपने ग्राहकों को भी भेजते हैं।

सर्वश्री रीगावाल और पन्ना लाल शर्मा ने कहा कि पत्रिकाओं की श्रेष्ठता निर्धारण हेतु मंत्रालय द्वारा पुरस्कार/शील्ड योजना चलाने पर विचार किया जाए। श्री शंकर दयाल सिंह ने कहा कि इस पत्रिका का मूल्य निर्धारित करके सेन्ट्रल न्यूज एजेंसी/सरकारी प्रकाशन बिक्री केन्द्रों पर बिक्री हेतु सुलभ किया जाए, क्योंकि इतनी पठनीय व उपयोगी सामग्री को हर कोई पैसा देकर भी पढ़ना चाहेगा। उन्होंने कहा कि "पर्यावरण विशेषांक" की यथेष्ट प्रतियां राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वन व पर्यावरण मंत्री/राज्य मंत्री सभी विश्वविद्यालयों के पुस्तकालयों, भारतीय दूतावासों, विदेशी मिशनों, यूनेस्कों आदि को भी भेजी जाएं।

3. संसदीय कार्य मंत्रालय

संसदीय कार्य मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की पहली बैठक 18-9-90 को श्री पी. उपेन्द्र, संसदीय कार्य तथा सूचना और प्रसारण मंत्री की अध्यक्षता में हुई।

मंत्री महोदय ने यह बताया कि वर्ष 1989 में मंत्रालय ने "नेहरू और संसदीय लोकतन्त्र" विषय पर एक अखिल भारतीय हिन्दी लेख प्रतियोगिता आयोजित की और पूरे देश भर के 20 प्रतियोगियों को नकद पुरस्कार, शील्ड व प्रमाण-पत्र प्रदान किए। उन्होंने यह भी बताया कि इस वर्ष भी अखिल भारतीय लेख प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है।

डा. लक्ष्मी नारायण दूबे ने कहा कि मंत्री महोदय ने अपने भाषण में हिन्दी भाषा को आन्ध्र की देन का अच्छा प्रतिपादन किया है।

श्री पन्ना लाल शर्मा ने कहा कि मंत्रालय में हिन्दी का प्रशंसनीय कार्य हो रहा है। उन्होंने कहा कि पुरस्कार प्राप्त करने वाले कर्मचारियों की गोपनीय रिपोर्ट (सी. आर.) में उपयुक्त प्रविष्टियां की जाएं।

डा. वाई. लक्ष्मी प्रसाद ने कहा कि यह देखने में आया है कि राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश अंग्रेजी और हिन्दी में साथ-साथ जारी नहीं होते हैं। हिन्दी रूपान्तर बाद में जारी किया जाता है। इस पर मंत्री महोदय ने कहा कि यह कार्य विधि मंत्रालय द्वारा किया जाता है तथापि मैं विधि मंत्री से इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निवेदन करूंगा।

श्री राम सागर ने कहा कि अब धीरे-धीरे दक्षिण में भी हिन्दी के प्रति आस्था बढ़ रही है यह एक शुभ लक्षण है। श्री मिर्जा ईशद बेग तथा श्री राम सागर ने हिन्दी में प्रशंसनीय कार्य करने पर अधिकारियों को बधाई दी,

श्री सुधाकर पाण्डेय ने कहा कि आन्ध्र की हिन्दी को बहुत बड़ी देन है और दक्खिनी भाषा भी हिन्दी का ही एक रूप है। **श्री पाण्डेय ने यह कहा कि भारत सरकार के मंत्रालयों में सहायक और अनुवादक-ग्रेड-2 का वेतनमान बराबर था। हाल ही में सहायकों का वेतनमान बढ़ा दिया गया है परन्तु अनुवादकों का वेतनमान यथावत ही है।**

इस पर श्री निशिकान्त महाजन ने कहा कि यह केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (केट) के निर्णय के अनुसरण में किया गया है तथापि इस संबंध में राजभाषा विभाग वित्त मंत्रालय से सलाह कर रहा है।

श्री पाण्डेय द्वारा इस संबंध में जोर देने पर मंत्री महोदय ने कहा कि मैं भी इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने के लिए वित्त मंत्री को निवेदन करूंगा।

श्री अश्विनी कुमार ने कहा कि आज तक शासन की भाषा अंग्रेजी है और प्रजा की हिन्दी है। जबकि दोनों की भाषा एक ही होनी चाहिए।

श्री राधाकृष्ण मालवीय ने कहा कि संसद में कागजात द्विभाषी रूप में ही उपलब्ध कराएं जाएं।

श्री बिलट पासवान शास्त्री ने कहा कि मंत्रालय के कर्मचारियों को हिन्दी में टिप्पण-आलेखन का प्रशिक्षण दिलवाया जाए। इस पर सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय ने कहा कि मंत्रालय में आयोजित हिन्दी कार्यशालाओं में यही कार्य किया जाता है।

मंत्री महोदय की अनुमति से सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित एक विषय के बारे में **श्री पाण्डेय ने कहा कि दूरदर्शन पर क्षेत्रीय फिल्मों के सब टाईटिल अंग्रेजी में ही होते हैं जबकि देखने वाली अधिकांश जनता को अंग्रेजी नहीं आती है। यदि सब टाईटिल अंग्रेजी और हिन्दी में साथ-साथ अथवा हिन्दी में हों तो इससे देश की भावनात्मक एकता को बढ़ावा ही मिलेगा।**

अन्त में राज्य मंत्री श्री मलिक ने सभी सदस्यों को धन्यवाद दिया और आश्वासन दिया कि उनके द्वारा दिए गए सुझावों पर उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी।

4. श्रम मंत्रालय

श्रम मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की पन्द्रहवीं बैठक केन्द्रीय श्रम मंत्री, की अध्यक्षता में 17-9-90 को श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली में हुई।

श्रम सचिव महोदय ने समिति को यह जानकारी दी कि श्रम मंत्रालय ने कई वर्षों से एक राजभाषा शील्ड एवं अन्य पुरस्कार योजना लागू कर रखी है।

उन्होंने बताया कि वर्ष 1988-89 के संबंध में इस बार निम्नलिखित कार्यालयों को शील्ड तथा ट्राफियां दी जा रही है।

1. खान सुरक्षा महानिदेशालय, धनबाद	शील्ड
2. केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय, नई दिल्ली	बड़ी ट्राफी
3. राष्ट्रीय खान सुरक्षा परिषद, धनबाद	छोटी ट्राफी

श्रम मंत्री जी ने शील्ड और ट्राफियों का वितरण किया।

समिति ने नोट किया कि हिन्दी अधिकारी के सीधी भर्ती कोटा के 19 पदों में से 16 पद भरे जा चुके हैं। समिति ने चाहा कि शेष पदों को भरने के लिए संघ लोक सेवा आयोग के साथ मामले की पैरवी की जाए। समिति ने यह भी चाहा कि विभागीय प्रोन्नति कोटा के अन्तर्गत जो 12 पद पोषक संवर्ग फीडिंग काडर (हिन्दी) अनुवादक ग्रेड -1 के पद पर नियमित कर्मचारी उपलब्ध न होने के कारण रिक्त पड़े हैं, उन्हें भरने के लिए संबंधित कर्मचारियों को तत्काल नियमित किया जाए और अगली बैठक में समिति को इस संबंध में हुई प्रगति से अवगत कराया जाए।

प्रशिक्षण संस्थानों में हिन्दी का प्रयोग

विभिन्न कार्यालयों द्वारा प्रशिक्षण संस्थानों में हिन्दी के प्रयोग के संबंध में दर्शाई गई स्थिति नोट की गई। कारखाना सलाह सेवा और श्रम विज्ञान केन्द्र महानिदेशक ने समिति को सूचित किया कि केवल "एक वर्षीय कोर्स" की सामग्री का हिन्दी अनुवाद कराना शेष है। अनुवाद कराने के लिए मंत्रालय से मांगी गई धन स्वीकृति उन्हें प्राप्त हो गई है और शीघ्र ही अब वे प्रश्नगत सामग्री का हिन्दी अनुवाद करवा लेंगे।

राजभाषा विभाग के संयुक्त सचिव श्री निशिकान्त महाजन ने बताया कि राजभाषा विभाग के विस्तृत अनुदेश उनके दिनांक 6-11-87 के का. ज्ञा. सं. 13034/50/87 रा. भा. (ग) में समाविष्ट हैं। मंत्रालय के सभी कार्यालयों का ध्यान इन अनुदेशों की ओर आकृष्ट करना उपयुक्त होगा।

श्रम संबंधी हिन्दी पुस्तकों की खरीद

समिति का यह विचार था कि श्रम संबंधी जो पुस्तकें उपलब्ध हैं, उन्हें मंत्रालय के पुस्तकालय के लिए खरीद लिया जाना चाहिए। इनके अलावा अन्य सामान्य प्रकार की हिन्दी पुस्तकें भी अधिकाधिक खरीदने का प्रयास किया जाना चाहिए।

हिन्दी के प्रयोग की स्थिति

श्री अरूण केसरी ने कहा कि यह संतोष की बात है कि मंत्रालय के मुख्य सचिवालय में राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अंतर्गत जारी होने वाले कागजात

अनिवार्यता द्विभाषी रूप में साथ साथ जारी किए जा रहे हैं, परन्तु इस संबंधी में मंत्रालय के कुछ सम्बद्ध अधीनस्थ कार्यालयों में स्थिति इतनी संतोषजनक नहीं है और वहां सुधार की गुंजाइश है। समिति ने निर्णय लिया कि सभी सम्बद्ध अधीनस्थ कार्यालयों को ये निर्देश जारी कर दिए जाए कि वे धारा 3(3) का कड़ाई से पालन करें और हिन्दी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिन्दी में ही दें।

मूल पत्राचार

समिति ने नोट किया कि हिन्दी में मूल पत्राचार निर्धारित लक्ष्यों से कम है समिति का विचार था कि इस संबंध में विशेष प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।

कार्यालयों/अनुभागों का निरीक्षण

श्री लोक पाल सेठी के पूछने पर समिति को बतलाया गया कि हिन्दी कार्य से संबंधी अधिकारी समय-समय पर कार्यालयों अनुभागों का निरीक्षण करते समय रहते हैं ताकि हिन्दी के प्रयोग संबंधी आदेशों आदि के अनुपालन की स्थिति का सही जायजा लिया जा सके। इसके अतिरिक्त वरिष्ठ अधिकारी जब कार्यालयों का निरीक्षण करने जाते है तो वे भी यथासंभव हिन्दी के प्रयोग की प्रगति स्थिति आदि की जानकारी ले लेते हैं।

कोड, मैनुअल आदि का अनुवाद

श्री रफीक शास्त्री ने कहा कि उत्प्रवास संबंधी जो मैनुअल अभी केवल अंग्रेजी में हैं, उसे तत्काल द्विभाषी करवा लिया जाना चाहिए। समिति ने निर्णय लिया कि यह काम शीघ्र सम्पन्न करा लिया जाए।

श्री राम अवधेष सिंह ने कहा कि मंत्रालय की ओर से जो पत्र अहिन्दी भाषी राज्यों को जारी किए जाएं, वे संबंधित राज्यों की प्रादेशिक भाषाओं में होने चाहिए और प्रादेशिक भाषा में अनुवाद की व्यवस्था स्वयं मंत्रालय को अपने यहा करनी चाहिए। राजभाषा विभाग के संयुक्त सचिव, श्री निशिकान्त महाजन ने स्पष्ट किया कि नियमानुसार (क) और (ख) क्षेत्रों को जाने वाले पत्र हिन्दी में होने चाहिए अहिन्दी भाषा राज्यों 20% पत्र हिन्दी में भेजने का का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ऐसे हिन्दी पत्रों के साथ उनका अंग्रेजी रूपांतर भेजना भी जरूरी है। उन्होंने आगे यह स्पष्ट किया कि केन्द्र से प्रादेशिक भाषाओं में पत्र जारी करने संबंधी सुझाव नीति संबंधी मामला होने के कारण हिन्दी सलाहकार समिति के कार्यक्षेत्र में नहीं आता।

---

5. सूचना और प्रसारण मंत्रालय

हिन्दी सलाहकार समिति की 4-9-90 को आयोजित बैठक में माननीय सूचना और प्रसारण मंत्री श्री पी. उपेन्द्र ने सदस्यों का हार्दिक स्वागत किया। मंत्री महोदय ने कहा कि **उनकी यह मान्यता है कि हिन्दी केवल उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश आदि की ही भाषा नहीं, बल्कि वह सारे भारत की भाषा हैं।** भारत की सभी भाषाओं को राष्ट्रीय भाषाएं बताते हुए उन्होंने कहा कि हिन्दी के प्रचार-प्रसार में हिन्दीतर भाषा भाषियों का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने कहा कि प्रचार-प्रसार की दृष्टि से आकाशवाणी, दूरदर्शन, प्रकाशन विभाग, पत्र सूचना कार्यालय, विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय, क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय आदि द्वारा हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं में काफी काम किया जाता है, लेकिन मंत्रालय और उसके मीडिया यूनिटों के दफ्तरों में सरकारी कामकाज में हिन्दी के उपयोग को बढ़ाने की दृष्टि से अभी बहुत कुछ करना बाकी है।

उन्होंने कहा कि नई सरकार के गठन तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय का कार्यभार संभालने के बाद से उन्हें हिन्दी प्रदेशों से आने वाले अंग्रेजी पत्रों का उत्तर भी हिन्दी में दिया जा रहा है। प्रसार भारती विधेयक संबंधी कागजात तथा राज्यों के सूचना और फिल्म सचिवों एवं मंत्रियों के सम्मेलन का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि मंत्रालय में इस बात की सुनिश्चित व्यवस्था की गई है कि ऐसे सभी आयोजनों के कागजात तथा फैसले हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में एक साथ जारी किए जाएं।

हिंदी प्रदेशों से आने वाले अंग्रेजी पत्रों का उत्तर भी हिंदी में दिया जा रहा है। ---पी. उपेन्द्र

सदस्यों के सुझावों पर विचार विमर्श के दौरान निम्नलिखित मुद्दे उठाए गए।

(1) श्री तुलसीराम ने आकाशवाणी और दूरदर्शन में हिन्दी अधिकारियों, हिन्दी टंककों और हिन्दी अनुवादकों के रिक्त पदों की चर्चा करते हुए कहा कि ये पद तत्काल भरे जाने चाहिए क्योंकि पदों के खाली रहने से राजभाषा के काम में रूकावट आती है।

(2) आकाशवाणी में हिन्दी आशुलिपिकों को अंग्रजी के आशुलिपिकों के समान पदोन्नति के अवसर प्रदान करने के विषय पर चर्चा करते हुए श्री पन्ना लाल शर्मा ने कहा कि जब सभी सम्बद्ध कार्यालयों में हिन्दी और अंग्रेजी के आशुलिपिकों को पदोन्नति के समान अवसर उपलब्ध हैं तो आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग में ऐसे भेदभाव का कोई तर्क प्रतीत नहीं होता।

(3) व्यक्तियों, स्थानों आदि के नामों के अशुद्ध उच्चारण की चर्चा करते हुए डा. पांडुरंग राव ने कहा कि प्रमुख स्थानों तथा व्यक्तियों की देवनागरी लिपि में एक सूची तैयार करा ली जानी चाहिए जो सभी समाचार वाचकों को उपलब्ध हो। ऐसी सूची से न केवल हिन्दी समाचार वाचकों को लाभ होगा, बल्कि अंग्रेजी वाचक भी इससे लाभान्वित होंगे।

(4) मंत्रालय में हिन्दी में प्राप्त पत्रों के संदर्भ में श्री पन्ना लाल शर्मा ने कहा कि इस बात की जांच की जानी चाहिए कि ऐसे पत्रों की संख्या 50 प्रतिशत से भी अधिक क्यों है, जिनका उत्तर दिया जाना अपेक्षित नहीं था। उन्होंने आंशका व्यक्त की कि कहीं हिन्दी पत्रों के उत्तर देने में देर तो नहीं होती या उन्हें कोई कार्रवाई किए बिना फाइल तो नहीं कर दिया जाता। इसकी जांच की जानी चाहिए।

(5) पत्राचार के लक्ष्यों के संदर्भ में श्री पन्ना लाल शर्मा तथा श्री तुलसीराम ने कहा कि इस दिशा में ठोस कार्रवाई की जानी चाहिए तथा मंत्रालय एवं मीडिया यूनिटों के उच्चाधिकारियों को इस दिशा में पहल करनी चाहिए।

मंत्रालय द्वारा सभी तार अंग्रेजी में दिए जाने पर सभी सदस्यों के विचारों को जानने के बाद अपना असंतोष व्यक्त करते हुए मंत्री महोदय ने यह निर्णय लिया कि "क" और "ख" क्षेत्र में स्थित कार्यालयों को तार हिन्दी में भेजे जाने चाहिएं।

(6) "भारत की वाणी" नामक वृत्तचित्र को आगामी हिन्दी दिवस के अवसर पर दूरदर्शन नेटवर्क पर दिखाए जाने के डा. श्रीधर मिश्र के सुझाव पर अध्यक्ष महोदय ने कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।

(7) डा. वाई. लक्ष्मीप्रसाद और श्री वेलायुधन नायर ने यह सुझाव दिया कि आकाशवाणी और दूरदर्शन द्वारा आयोजित राष्ट्रीय कवि गोष्ठियों तथा अन्य आयोजनों में दक्षिण भारत के हिन्दी कवियों और लेखकों को भी आमंत्रित किया जाना चाहिए। हिन्दीतर भाषा-भाषी राज्यों की साहित्यिक गतिविधियों को हिन्दी में और हिन्दी की साहित्यिक गतिविधियों को अन्य भारतीय भाषाओं में प्रसारित किए जाने की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

(8) श्री वी. तुलसीराम ने कहा कि वार्षिक कार्यक्रम की अपेक्षाओं के अनुसार टेलेक्स/टेलीप्रिंटर और कंम्प्यूटर द्विभाषिक होने चाहिए अन्यथा हिन्दी पीछे रह जाएगी।

(9) मंत्रालय के विभिन्न मीडिया यूनिटों द्वारा इस्तेमाल किये जाने वाले तकनीकी शब्दों के हिन्दी पर्यायों की एकरूपता पर बल देते हुए प्रो. सूरजभान सिंह ने कहा कि सभी मीडिया यूनिटों को वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग तथा शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए पर्यायों का प्रयोग करना चाहिए।

6. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की 10वीं बैठक पर्यावरण और वन राज्य मंत्री श्रीमती मेनका गांधी की अध्यक्षता में 29 अगस्त, 1990 को सम्पन्न हुई।

पर्यावरण एवं वन सचिव ने बताया कि–

(1) प्रशिक्षण सस्थानों में हिन्दी माध्यम से प्रशिक्षण दिये जाने के बारे में आवश्यक निदेश जारी कर दिए हैं। इसके अलावा, प्रशिक्षण सामग्री का हिन्दी अनुवाद कराया जा रहा है ताकि प्रशिक्षण में हिन्दी का प्रयोग किया जा सके।

(2) विभागीय परीक्षाओं के प्रश्न पत्र द्विभाषी करने तथा अभ्यर्थियों को उनके उत्तर हिन्दी में देने की छूट दिये जाने के बारे में आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसके अलावा, जहां साक्षात्कार लिया जाना आवश्यक है, वहां भी अभ्यर्थियों को अपने उत्तर हिन्दी में देने की छूट दे दी गई है।

(3) पर्यावरण आदि से सबधित विषयों पर हिन्दी में अच्छा साहित्य उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मत्रालय ने एक पुरस्कार योजना चलाई है जिसके तहत उन लेखकों को नकद पुरस्कार दिए जाते हैं जिनकी पुस्तकें उत्कृष्ट पाई जाती है।

(4) पर्यावरण के बारे में आम जानकारी देने के उद्देश्य से "पर्यावरण" नामक त्रैमासिक पत्रिका नियमित रूप से हिन्दी में निकाली जा रही है।

वर्ष 1989–90 में हिन्दी में मूल लेखन के लिए जिन पुस्तकों को पुरस्कार के लिए चुना गया उनके लेखकों को राज्य मंत्री जी ने पुरस्कार व प्रमाण पत्र दिए ––

1. प्रो. (डा.) जगदीश सिंह को उनकी पुस्तक "वातावरण नियोजन एवं संविकास" के लिए 10,000– रुपये का प्रथम पुरस्कार दिया गया।
2. श्री धर्मवीर कपिल को उनकी पुस्तक "वन्यप्राणी संरक्षण एवं प्रबंध तकनीक" के लिए 7,000– रुपये का द्वितीय पुरस्कार दिया गया।
3. श्री दिलीप कुमार मार्कण्डेय व सुश्री नीलिमा राजवैद्य को उनकी पुस्तक "परिचयात्मक पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण एक सामान्य अवलोकन" के लिए 5,000/– रुपये का तृतीय पुरस्कार दिया गया।
4. श्री श्याम सुन्दर शर्मा व डा. अशोक कुमार मल्होत्रा को उनकी पुस्तक "प्रवासी जीव-जन्तु" के लिए 2,000/–रुपये का सान्त्वना पुरस्कार दिया गया।

वर्ष 1989–90 में जिन अधिकारियों तथा कर्मचारियों ने अपना सर्वाधिक सरकारी काम हिन्दी में किया उन्हें भी राज्य मंत्री जी ने निम्नलिखित पुरस्कार दिये :–

श्री ताराचन्द पिपल, अनुभाग अधिकारी 500रु. (प्रथम)
श्रीमती सरोज वर्मा, सहायक 500/– रु. (प्रथम)
श्री परमानन्द, सहायक 300/– रु. (द्वितीय)

श्री प्रमोद कुमार भार्गव, सहायक 300/- रु. (द्वितीय)
श्री रतन सिंह, ड्राईवर 300/- रु. (द्वितीय)
श्रीमती वी. मालिनी, अवर श्रेणी लिपिक प्रशस्ति पत्र

राजभाषा अधिनियम तथा उसके अंतर्गत बने नियमों का अनुपालन

सदस्यों ने मंत्रालय में हिन्दी की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया तथा आशा व्यक्त की कि "क" तथा "ख" क्षेत्रों को हिन्दी में भेजे जाने वाले मूल पत्रों में सुधार होगा ताकि निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।

गंगा पर प्रकाशन का संकलन

श्री सुधाकर पाण्डे का कहना था कि काफी समय पहले यह निर्णय लिया गया था कि गंगा पर उपलब्ध गीतों का संकलन प्रकाशित किया जाएगा लेकिन अभी तक यह संकलन प्रकाशित नहीं किया जा सका। अपर सचिव (गंगा) ने बताया कि अब तक गंगा पर लगभग 2000 कविताएं व गीत आदि प्राप्त हुए हैं लेकिन इनमें ब्रजभाषा जैसी भाषाओं के गीत आदि पर्याप्त संख्या में प्राप्त नहीं हुए हैं इसलिए वे इसके लिए और प्रयास कर रहे हैं। श्री पाण्डे का सुझाव था कि जितनी सामग्री आ गई है उसे तत्काल प्रकाशित कर दिया जाए तथा शेष सामग्री अगले खंड के लिए मंगाई जा सकती है जिसके लिए वे रसखान, खानखाना जैसे प्रसिद्ध कवियों की कविताएं उपलब्ध करा देंगे। यह प्रस्ताव मान लिया गया।

पर्यावरण से संबंधित साहित्य एवं पुस्तकें हिन्दी में लिखवाई जाएं

अनेक सदस्यों का मत था कि पर्यावरण जैसे महत्वपूर्ण विषय पर हिन्दी में बहुत कम साहित्य मिलता है जबकि इसके बारे में आम जानकारी देना बहुत जरूरी है। श्री सुधाकर पाण्डेय ने बताया कि विभिन्न राज्यों के हिन्दी संस्थानों में हिन्दी में कई विषयों की पुस्तकें प्रकाशित की गई लेकिन बिक्री न होने के कारण वे संस्थानों में बेकार पड़ी हुई हैं फलतः ये संस्थान अब इस तरह का कार्य हाथ में लेने से हिचकिचाते हैं। यदि उन्हें निश्चित मात्रा में हिन्दी पुस्तकें खरीदने या प्रकाशन का व्यय दिए जाने का आश्वासन दे दिया जाए तो वे पर्यावरण से संबंधित विषयों पर विभिन्न लेखकों की पुस्तकें छाप सकते हैं।

कुछ सदस्यों ने सुझाव दिया कि इसके लिए मंत्रालय प्रसिद्ध प्रकाशकों से सम्पर्क करें और यह मालूम करें कि पर्यावरण से संबंधित किस प्रकार की पुस्तकों की आम जनता में रूचि है ताकि उसी प्रकार की पुस्तकें मूल रूप से हिन्दी में लिखवाई जाए। इसके लिए प्रसिद्ध प्रकाशकों के माध्यम से अच्छे लेखकों से सम्पर्क किया जाए और उनसे ऐसी पुस्तकें लिखवाई जाएं। इस प्रकार लिखवाई गई पुस्तकों को छपवाने के लिए वित्तीय सहायता दिए जाने के बारे में भी विचार किया जाए। यह प्रस्ताव मंजूर कर लिया गया।

पर्यावरण आदि के क्षेत्र में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जन-जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से साहित्य प्रकाशित कर रहा है व उसने इस बारे में हाल में "चिमनी चोगा" का मंचन भी किया था जिसमें प्रदूषण रोकने के बारे में बताया गया। समिति चाहती थी कि इस तरह के और प्रयास किये जाएं। उनका यह भी विचार था कि पर्यावरण आदि से संबंधित विषयों में जो अच्छी पुस्तकें अंग्रेजी में उपलब्ध हैं उनका हिन्दी में अनुवाद कराया जा सकता है।

प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण के लिए हिन्दी माध्यम का प्रयोग

सदस्यों ने आग्रह किया कि पर्यावरण और वन मंत्रालय के अधीन प्रशिक्षण संस्थानों की सारी प्रशिक्षण सामग्री के हिन्दी अनुवाद में तेजी लाई जाए। इस बारे में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी के निदेशक श्री सुधीर पाण्डे व पूर्व वन महानिरीक्षक श्री नारायण दत्त बचखेती का कहना था कि वे प्रशिक्षण संस्थानों की ऐसी प्रशिक्षण सामग्री का हिन्दी अनुवाद करवा रहे हैं जिसके लिए लेखकों व प्रकाशकों की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है तथा प्रशिक्षण के लिए अधिक महत्वपूर्ण है। मंत्रालय ने अनुवाद, पुनरीक्षण व टाईपिंग के लिए मानदेय की दरों में काफी वृद्धि कर दी है और इस कार्य को सम्पन्न करने में किसी तरह की कठिनाई नहीं होगी।

श्री पाण्डे ने बताया कि वे दैनिक प्रशिक्षण नोट हिन्दी में तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रश्न पत्र हिन्दी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तैयार किए जाते हैं तथा प्रशिक्षार्थियों को अपने उत्तर हिन्दी में देने की छूट होती है। इसके अलावा, जो प्रशिक्षार्थी हिन्दी नहीं जानते हैं उनके लिए हिन्दी प्रशिक्षण की व्यवस्था कर दी गई है। इस कार्य की महत्ता को देखते हुए मंत्रालय ने पूर्व वन महानिरीक्षक श्री नारायण दत्त बचखेती की अध्यक्षता में गठित उप समिति का कार्यकाल अनिश्चितकाल के लिए बढ़ा दिया है। श्री बचखेती ने बताया कि वे वानिकी से संबंधित विषयों पर मूलरूप से हिन्दी में साहित्य लिखवाने का भी प्रयास कर रहे हैं तथा जो सामग्री अनुवाद के लिए विभिन्न अनुवादकों को दी गई है उसमें से कुछ का अनुवाद प्राप्त हो गया है और आशा है कि जल्दी ही कुछ प्रशिक्षण साहित्य हिन्दी में भी उपलब्ध हो जाएगा। श्री पाण्डे ने बताया कि उनके यहां दो कम्प्यूटर हैं और उनमें उन्होंने हिन्दी के साफ्ट वेयर लगवा दिए हैं।

पर्यावरण और वन मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालयों में कार्यरत हिन्दी स्टाफ के लिए संवर्ग बनाना

डा. विश्रान्त वशिष्ट ने स्पष्टीकरण दिया कि उनका तात्पर्य था कि अधीनस्थ कार्यालयों के सहायक निदेशकों का एक संवर्ग बनाया जाए ताकि अनुवादकों को पदोन्नति का अवसर मिले। इस बारे में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि राजभाषा विभाग से सलाह लेकर इस संबंध में आगे कार्रवाई की जाए।

श्री सुधाकर पाण्डे ने कहा कि अभी हाल में सरकार ने केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों में कार्यरत आशुलिपिकों (श्रेणी-ग) और सहायकों का वेतनमान 1400-2600 रुपये से बढ़ाकर 1640–2900 रुपये कर दिये हैं जबकि 1400–2600 रुपये के वेतनमान में ही कार्यरत राजभाषा सेवा के कनिष्ठ अनुवादकों के वेतनमान नहीं बढ़ाए गए हैं। इसके लिए कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग से सम्पर्क करने का निर्णय लिया गया है।

सदस्यों ने सुझाव दिया कि मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारीगण हिन्दी में नोटिंग करें ताकि दूसरे कर्मचारी प्रेरित होकर उसका अनुकरण कर सकें।

7. योजना आयोग

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालयों की हिन्दी सलाहकार समिति की बैठक योजना राज्य मंत्री श्री भाग्ये गोवर्धन की अध्यक्षता में दिनांक 12-7-1990 को योजना भवन में हुई

अध्यक्ष श्री गोवर्धन ने नए सदस्यों का विशेष रूप से अभिनन्दन किया। अध्यक्ष महोदय ने समिति को सूचित किया कि लोक उद्यम विभाग के उद्योग मंत्रालय से हट कर कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत आ जाने से उसे भी इस समिति का सदस्य बनाने की कार्यवाही की जा रही है। अपना हर्ष व्यक्त करते हुए अध्यक्ष महोदय ने कहा कि मार्च, 1990 में राजभाषा विभाग विभाग द्वारा योजना मंत्रालय के सांख्यिकी विभाग को वर्ष 1988-89 के लिए 'इंदिरा गांधी राजभाषा शील्ड' का द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया गया। यह विभाग लगातार पिछले 3 वर्षों से पुरस्कार प्राप्त करता आ रहा है। अध्यक्ष महोदय ने यह अभिमत व्यक्त किया कि योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालयों में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के निश्चित और सतत उपाय किए जा रहे हैं।

श्री श्रीचन्द्र तिवारी, श्री जगदीश सेनी तथा श्री पन्ना लाल शर्मा ने सांख्यिकी विभाग को राजभाषा विभाग द्वारा पुरस्कृत किए जाने पर साधुवाद दिया और यह सुझाव दिया कि इस विभाग में कार्यरत हिन्दी स्टाफ को उनके अच्छे कार्य के लिए अलग से पुरस्कृत किया जाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय ने कहा कि इस सुझाव पर कार्यवाही की जाएगी।

डा. लक्ष्मीनारायण दुबे ने योजना आयोग से संबंधित शब्दावली उप समिति द्वारा किए जा रहे कार्य का उल्लेख करते हुए योजना आयोग के हिन्दी कक्ष की सराहना की तथा यह आशा व्यक्त की कि उप समिति अपना काम शीघ्र पूरा कर लेगी।

श्री सत्य नारायण जटिया, संसद सदस्य ने कहा कि कार्य सूची में दी गई टिप्पणियों की भाषा से एक अनिश्चय की स्थिति का आभास होता है।

अनेक स्थलों पर "उत्तर यथासम्भव हिन्दी में दिए जाएं", "प्रयास किए जा रहे हैं", "आवश्यकता पड़ने पर" जैसे वाक्यांशों से कठिनाइयों का समाधान करने की बजाय उन्हें टालने की मानसिकता परिलक्षित होती है। निश्चय की दृढ़ता से ही हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि टाइपराइटर, टाइपिस्ट, आशुलिपिक जैसी सब सुविधाएं उपलब्ध हैं परन्तु फिर भी काम नहीं हो रहा है। इस स्थिति और मानसिकता को तत्काल बदलने की आवश्यकता है। श्री हुताशन शास्त्री ने सुझाव दिया कि यदि हिन्दी के प्रयोग के संबंध में पेश आ रही कठिनाइयों का स्पष्ट उल्लेख कर दिया जाए तो उससे उन कठिनाइयों को दूर करने के संबंध में विचार-विमर्श करके उनका समाधान निकाला जा सकता है। इसी संदर्भ में श्री के. के. श्रीवास्तव ने कहा कि योजना आयोग में टेलीफोन डायरेक्टरी तथा अधिकारियों के यात्रा कार्यक्रम केवल अंग्रेजी में जारी किए जाना इस बात का द्योतक है कि हम जो काम हिन्दी में आसानी से कर सकते हैं, उसके प्रति भी तटस्थता का भाव बनाए हुए हैं। इस मानसिकता को बदलने की ज़रूरत है।

हिन्दी में प्राप्त पत्रों के उत्तर

समिति द्वारा इस बात की सराहना की गई कि हिन्दी में प्राप्त जिन पत्रों का उत्तर देना अपेक्षित न हो उनकी पावती हिन्दी में ही भेजने के आदेश जारी किए गए हैं। परन्तु सभी अंग्रेज़ी पत्रों के उत्तर हिन्दी में देने की दिशा में भी कार्यवाही होनी चाहिए। श्री के. के. श्रीवास्तव ने यह उल्लेख किया कि कई राज्य सरकारें योजना आयोग से हिन्दी में पत्राचार करने में इस कारण संकोच करती हैं कि शायद हिन्दी में लिखे पत्रों पर कार्यवाही में विलम्ब होता है। यदि अंग्रेजी पत्रों का उत्तर भी हिन्दी में दे दिया जाता है तो यह धारणा स्वयमेव मिट जाएगी। **श्री अरुण सिन्हा ने स्पष्ट किया कि योजना आयोग के सचिव की ओर से योजना प्रस्तावों से संबंधित सभी पत्र हिन्दी भाषी राज्यों को हिन्दी में भेजे जा रहे हैं।**

हिन्दी में काम करने वाले अधिकारियों/ कर्मचारियों को पुरस्कृत करना :

समिति को सूचित किया गया कि योजना आयोग द्वारा नवम्बर, 1989 में शुरू की गई चल शील्ड योजना के अनुसार प्रति वर्ष ऐसे अनुभाग/प्रभाग को पुरस्कृत किया जाएगा जिसने वर्ष 1989-90 के दौरान हिन्दी में सर्वाधिक कार्य किया हो। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 1989-90 के विजेता प्रभाग को शील्ड अगली बैठक में प्रदान की जाएगी।

नई विचारणीय मदें:—

(1) **राजभाषा को योजनागत विषय बना दिया गया है और इस संबंध में आठवीं योजना के संदर्भ में कार्यदल भी गठित किया गया था। कार्यदल द्वारा की गई सिफारिश के अनुरूप किस हद तक धन का आवंटन किया जा रहा है।**

(2) देश भर में राजभाषा के प्रचार-प्रसार के लिए कार्यदल द्वारा सुझाई गई स्कीमों का विवरण क्या है, और योजना आयोग द्वारा उन स्कीमों को अमल में लाने के लिए क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है।

समिति को बताया गया कि आठवीं पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में राजभाषा के संबंध में गठित कार्यदल की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और इसकी समीक्षा की जा रही है। आठवीं योजना के लिए राजभाषा से संबंधित प्रस्तावों को अंतिम रूप देते समय रिपोर्ट में दिए गए सुझावों को ध्यान में रखा जाएगा।

(3) राजभाषा से संबंधित स्कीमों की प्रगति पर नजर रखने के लिए योजना आयोग द्वारा क्या व्यवस्था की गई है। इसके लिए सुझाव है कि योजना आयोग में एक राजभाषा प्रभाग की स्थापना की जाए।

समिति को सूचित किया गया कि राजभाषा संबंधी योजना स्कीमों से संबंधित काम को आयोग में इस समय प्रशासन प्रभाग द्वारा किया जा रहा है। इन स्कीमों के लिए दी जाने वाली राशि को देखते हुए एक अलग प्रभाग का औचित्य प्रतीत नहीं होता। श्री सत्य नारायण जटिया, संसद सदस्य ने यह मत व्यक्त किया कि औचित्य न होने की बात ठीक नहीं लगती। योजना तथा कायक्रम कार्यान्वयन मंत्रालयों में हिन्दी का काम बढ़ रहा है और हिन्दी के अतिरिक्त पदों की जरूरत पड़ सकती है।

(4) राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र में संगणक पर हिन्दी में काम कर सकने के लिए प्रशिक्षण की क्या व्यवस्था की गई है।

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालयों में हिन्दी के प्रयोग की स्थिति

डा. लक्ष्मी नारायण दुबे ने कहा कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र का यह उत्तर कि आवश्यकता पड़ने पर, कम्प्यूटर में प्रशिक्षण हिन्दी में दिया जाता है, अत्यंत संक्षिप्त है। इसमें और अधिक ब्यौरों की आवश्यकता है। उन्होंने यह भी कहा कि यह केन्द्र सरकारी कार्यालयों को कम्प्यूटर आदि के रूप में यांत्रिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए नोडीय अभिकरण है, अतः इसमें कम्प्यूटरों आदि के माध्यम से हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के लिए क्या कोई योजना बनाई है ? यह उचित होगा कि यदि हम राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र के कार्यालय में जाकर वहां के कामकाज की प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त कर लें। श्री पन्ना लाल शर्मा ने डा. दुबे से सहमति प्राप्त करते हुए कहा कि कम्प्यूटरों पर हिन्दी में प्रशिक्षण दिए जाने की आवश्यकता का कोई विकल्प नहीं है। अध्यक्ष महोदय ने कहा कि अगली बैठक में हम इस संबंध में समिति के समक्ष एक टिप्पणी रखेंगे जिसमें राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र द्वारा कम्प्यूटरों के जरिए हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने संबंधी किए जाने वाले उपायों का उल्लेख होगा। साथ ही बैठक के दिन, राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र के कार्यालय भी चलेंगे।

(5) "योजना" पत्रिका में हिन्दी के प्रयोग की सूचना

"योजना" पत्रिका का प्रकाशन सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय द्वारा किया जाता है और उसमें प्रकाशन-योग्य सामग्री के बारे में नीति-निर्धारण उक्त मंत्रालयों द्वारा ही किया जाता है। उक्त पत्रिका में समय-समय पर हिन्दी के प्रयोग से संबंधित विवरण छापे जाते रहे हैं। फिर भी, माननीय सदस्य की भावनाओं से "योजना" पत्रिका के सम्पादक को अवगत करा दिया गया है। श्री हुताशन शास्त्री ने कहा कि पिछली बैठक में हुए विचार-विमर्श की जानकारी आम जनता को रेडियों तथा दूरदर्शन के माध्यम से दी जानी चाहिए। अध्यक्ष महोदय ने कहा कि हम अगली बैठक के अवसर पर दूरदर्शन पर "कवरेज" के लिए जरूर कोशिश करेंगे।

(6) आठवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूपों में हिन्दी के उपयोग के संबंध में स्पष्ट निर्देश नहीं हुए हैं।

योजना आयोग में सलाहकार (प्रशासन) ने यह स्पष्ट किया कि आठवीं पंचवर्षीय योजना अभी तैयार की जानी है और सरकार की निर्धारित राजभाषा नीति के अनुसार हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए सुविधाएं जुटाने हेतु सातवीं योजना अवधि की तुलना में योजना आयोग ने राजभाषा विभाग की वार्षिक योजना 1990-91 के लिए परिव्यय में वृद्धि की है। सातवीं पंचवर्षीय योजना की पूरी अवधि में राजभाषा विभाग को लगभग 3 करोड़ रुपए आबंटित किए गए थे जबकि वर्ष 1990-91 के लिए 3 करोड़ रुपए की राशि नियत की गई है।

(क) सांख्यिकी विभाग

सांख्यिकी विभाग में हिन्दी के प्रयोग से संबंधित स्थिति के बारे में समिति ने संतोष व्यक्त किया। सांसद श्री सत्य-नारायण जटिया ने कहा कि विभाग में हिन्दी में कार्य करने वाले अधिकारियों की संख्या बहुत कम है। यदि सभी अधिकारी प्रत्येक फाइल पर एक-एक वाक्य भी हिन्दी में लिखें तो उससे कर्मचारियों को भी हिन्दी में काम करने की प्रेरणा मिलेगी। हिन्दी आशुलिपिकों/हिन्दी टंककों के प्रशिक्षण के संदर्भ में इस बात पर जोर दिया गया कि शेष आशु-लिपिकों/टंककों को समयबद्ध कार्यक्रम के आधार पर प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या की जांच करने का सुझाव दिया गया जिन्हें अभी कार्यशाला में प्रशिक्षित किया जाना है।

(ख) योजना आयोग

श्री पन्ना लाल शर्मा ने समिति का ध्यान इस ओर दिलाया कि योजना आयोग द्वारा "ग" क्षेत्र स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों को भेजे जाने वाले पत्रों की संख्या में पिछली तिमाही की अपेक्षा बहुत कमी आई है । सलाहकार (प्रशासन) ने इस ओर ध्यान देने का आश्वासन दिया और कहा कि ये पत्र यथासंभव द्विभाषी रूप में ही जारी किए जाएंगे । श्री जटिया, ने कहा कि प्रशिक्षित आशुलिपिकों/टंककों में से लगभग आधे कमचारियों से ही हिन्दी आशु लिपिक/टंकण का काम लिया जाता है । न केवल उनसे काम लेने के उपाय किए जाने अपेक्षित हैं बल्कि शेष बचे आशु-लिपिकों/टंककों को समयबद्ध कार्यक्रम के आधार पर प्रशिक्षित भी किया जाना चाहिए ।

श्री पन्ना लाल शर्मा ने कहा कि यदि अधिकारी हिन्दी आशुलिपिकों से काम नहीं लेते तो वे संगत प्रोत्साहन भत्ते से वंचित रह जाएंगे । अतः यह जरूरी है कि उन्हें हिन्दी में डिक्टेशन अवश्य दी जाए । सलाहकार (प्रशासन) ने स्पष्ट किया कि योजना आयोग में अधिकारियों को हिन्दी में डिक्टेशन देने के लिए भी प्रोत्साहन योजना चलाई गई है। परन्तु लगता है कि दिए गए डिक्टेशन का रिकार्ड आदि न रखने के कारण किसी भी अधिकारी ने पुरस्कार के लिए विवरण प्रस्तुत नहीं किए हैं । श्री शर्मा तथा अन्य सदस्यों ने योजना आयोग में हिन्दी में डिक्टेशन देने वाले अधिकारियों की संख्या समिति को प्रस्तुत किए जाने का अनुरोध किया ।

(ग) राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र

सांसद श्री सत्यनारायण जटिया ने समिति का ध्यान इस ओर दिलाया कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र में टेलेक्स मशीन केवल रोमन लिपि में ही उपलब्ध है । उन्होंने इसे द्विभाषी मशीन में बदलवाने का सुझाव दिया ताकि टेलेक्स संदेश हिन्दी में भी भेजे जा सकें । उन्होंने प्रशिक्षित आशु-लिपिकों/टंककों की सेवाओं के पूर्ण उपयोग तथा प्रशिक्षण के लिए शेष बचे आशुलिपिकों/टंककों के शीघ्र प्रशिक्षण की व्यवस्था का भी सुझाव दिया । श्री के. के. श्रीवास्तव ने कहा कि केन्द्र में तथा अन्यत्र भी विज्ञान के नाम पर हिन्दी को टालने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए । आज प्रत्येक तकनीकी क्षेत्र से संबंधित शब्दकोश व शब्दावलियां उपलब्ध हैं जिनके सहारे हिन्दी में काम आसानी से किया जा सकता है । सरकारी कामकाज में वज्ञानिक उपकरणों का प्रयोग बढ़ रहा है और बढ़ना भी चाहिए परन्तु इस कारण हिन्दी के प्रयोग में व्यवधान नहीं आना चाहिए । देश में कम्प्यूटरीकरण से हिन्दी पिछड़ गई है । इसी संदर्भ में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र को महत्त्वपूर्ण भूमिका निभानी है । उन्होंने आग्रह किया कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र द्वारा इस संबंध में अवश्य एक टिप्पणी प्रस्तुत की जानी चाहिए जिसमें आधुनिक उपकरणों के माध्यम से हिन्दी में प्रयोग के बारे में उनकी सोच का उल्लेख हो । श्री हुताशन शास्त्री तथा लक्ष्मीनारायण दुबे ने सरकार की उस नीति की ओर ध्यान दिलाया जिसके अनुसार अंग्रेजी तकनीकी शब्दों का उसी रूप में हिन्दी प्रयोग किया जा सकता है । श्री सत्यनारायण जटिया, संसद सदस्य ने सभी अधिकारियों कर्मचारियों को समयबद्ध कार्यक्रमानुसार कार्यशाला में प्रशिक्षित करने का सुझाव दिया ।

(घ) कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग

श्री जटिया, संसद सदस्य ने कहा कि कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग में हिन्दी पत्राचार की स्थिति में सुधार की पर्याप्त गुंजाइश है । सचिव, कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग ने आश्वासन दिया कि अगली बैठक तक स्थिति में पर्याप्त सुधार होगा । वार्षिक कार्यक्रम की अधिकतम अपेक्षाओं को पूरा कर लिया जाएगा ।

श्री पन्ना लाल शर्मा ने सुझाव दिया कि विभिन्न विभागों में प्रत्येक फाइलों के प्रारंभ में आमतौर पर प्रयोग में आने वाली छोटी-छोटी टिप्पणियों के नमूने चिपका दिए जाने चाहिएं ताकि सहायक या अन्य अधिकारी जब टिप्पणी हिन्दी में लिखे तो उन नमूनों से उन्हें सहायता मिल सके । उन्होंने यह भी कहा कि विभिन्न कार्यालयों के निरीक्षण के प्रोफार्मों में हिन्दी के प्रयोग की मद भी शामिल होनी चाहिए । जिससे निरीक्षण अधिकारी हिन्दी के प्रयोग की स्थिति का जायजा ले सके । श्री शर्मा ने समिति के सदस्यों को भेजे जाने वाले पत्रों में टैलीफोन नंबर (दूरभाष संख्या) आदि लिखने का भी सुझाव दिया ताकि सदस्य आवश्यकता पड़ने पर संबंधित अधिकारी के साथ संपर्क स्थापित कर सकें ।

8. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की तीसरी बैठक केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्री रशीद मसूद की अध्यक्षता में 30 जुलाई, 1990 को नई दिल्ली में हुई ।

1. पुरस्कार वितरण

निदेशक (राजभाषा) श्री जगदीश प्रसाद गुप्त ने मंत्रालय की स्वास्थ्य संबंधी विषयों में मौलिक पुस्तक लेखन योजना तथा पिछले वर्ष मंत्रालय में मनाए गए हिन्दी सप्ताह के दौरान आयोजित प्रतियोगिताओं पर प्रकाश डाला तथा माननीय मंत्री जी ने पुरस्कार वितरित किए ।

(i) मौलिक हिन्दी पुस्तक लेखन योजना (वर्ष 1988)

पुरस्कार राशि

पुस्तक नाम —अस्थि रोग विज्ञान 10,000 रुपये ।

लेखक—डा. आर. सी. गुप्त

(ii) मूल हिन्दी टिप्पण/प्रारूपण योजना (वर्ष 1988-89)

श्री ए.डी. सती–अवर श्रेणी लिपिक

(iii) हिन्दी सप्ताह में आयोजित प्रतियोगिताएं (1989)

1. टिप्पण तथा प्रारूप लेखन :

प्रथम : श्री अशोक कुमार जैन, सहायक
द्वितीय : श्री जी.सी. लबरा, सहायक
तृतीय : श्री जे.सी. गोसाई, सहायक

2. वाद-विवाद प्रतियोगिता :

प्रथम : श्री स्वरूप चन्द्र जैन, जनसंख्या शिक्षा अधिकारी
द्वितीय : श्री हर्ष आनन्द, सहा. संपादक
तृतीय : श्री हरीश कालरा, उच्च श्रेणी लिपिक

3. निबंध लेखन :

प्रथम : श्री स्वरूप चन्द्र जैन, जनसंख्या शिक्षा अधिकारी
द्वितीय : श्री बी.डी. भारद्वाज, आशुलिपिक
तृतीय : सुश्री रजनी शर्मा, अवर श्रेणी लिपिक

4. हिन्दी टंकण :

प्रथम : श्री सभापति राम, उच्च श्रेणी लिपिक
द्वितीय : श्रीमती सतनाम कौर ढिल्लों, अवर श्रेणी लिपिक
तृतीय : श्री सुदामा यादव, अवर श्रेणी लिपिक

5. हिन्दी आशुलिपि :

प्रथम : श्री संजय कुमार सिन्हा, आशुलिपि ग्रेड "डी"
द्वितीय : श्री राधेश्याम, आशुलिपिक ग्रेड "सी"
तृतीय : कुमारी सुनीता, आशुलिपिक ग्रेड "डी"

मंत्री जी ने नगद पुरस्कार प्राप्त करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को हार्दिक बधाई देते हुए अनुरोध किया कि वे सरकारी कामकाज में हिन्दी का अधिक से अधिक प्रयोग करें ।

सदस्यों का सुझाव था कि मंत्रालय के पुरस्कार पाने वाले कर्मचारियों/अधिकारियों की सेवा पंजियों में इस आशय की प्रविष्टियां की जाएं । इस सुझाव पर सहमति व्यक्त की गई ।

2. मंत्रालय तथा अधीनस्थ कार्यालयों में हिन्दी का प्रयोग

(क) मंत्रालय में वर्तमान में हिन्दी के प्रयोग की स्थिति से सदस्य सन्तुष्ट नहीं थे । यह पाया गया कि हिन्दी जानने वाले 873 कर्मचारियों की तुलना में हिन्दी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या मात्र 131 है । मंत्रालय के लिए हिन्दी टाइपराइटरों का निर्धारित लक्ष्य 30 प्रतिशत है जबकि यहां पर यह प्रतिशत लगभग 15 है । हिन्दी भाषी राज्यों को हिन्दी में भेजे गए पत्रों का प्रतिशत 16.51 है जबकि यह लक्ष्य 100 प्रतिशत रखा गया है । मंत्रालय द्वारा हिन्दी में प्राप्त पत्रों का उत्तर अंग्रेजी में दिए जाने पर सदस्यों ने गम्भीर आपत्ति की । स्वास्थ्य सचिव ने समिति को आश्वासन दिया कि वे इस मामले को देखेंगे और भविष्य में ऐसा न होने देने के लिए उपाय किए जाएंगे ।

(ख) सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में हिन्दी के प्रयोग की स्थिति पर चर्चा करते हुए समिति द्वारा इस बात पर गहरा असंतोष व्यक्त किया गया कि स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में अधिनियम की धारा 3(3) का उल्लंघन किया जा रहा है और 521 कागजात में से 404 केवल अंग्रेजी में जारी किए गए हैं और वहां भी हिन्दी में प्राप्त 76 पत्रों का उत्तर अंग्रेजी में दिया गया है । इस स्थिति से निबटने के लिए कड़े कदम उठाए जाने की आवश्यकता पर बल दिया गया । समिति ने केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना में सभी फार्मों के द्विभाषी न होने तथा धारा 3(3) का पूरा-पूरा अनुपालन न होने पर अपनी अप्रसन्नता व्यक्त की और संबंधित अधिकारियों से इस ओर ध्यान देने का आग्रह किया ।

सफदर जंग अस्पताल तथा डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली में हिन्दी के प्रयोग की स्थिति का अध्ययन करते हुए यह भी सुझाव दिया गया कि भविष्य में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली तथा स्नातकोत्तर संस्थान चण्डीगढ़ में हिन्दी के प्रयोग की स्थिति भी समिति को सूचित की जाए । समिति के एक माननीय सदस्य ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में हिन्दी अनुभाग के कर्मचारियों के लिए ठीक से बैठने की व्यवस्था न किए जाने पर भी अपनी अप्रसन्नता व्यक्त की ।

3. हिन्दी पदों की समुचित व्यवस्था

(i) मंत्रालय में उप-निदेशक (राजभाषा) का पद बनाए जाने के प्रश्न पर समिति ने इस बात पर खेद व्यक्त किया कि मंत्रालय के कार्य-अध्ययन यूनिट द्वारा कार्रवाई किए जाने में काफी विलम्ब किया जा रहा है और मामले को लटकाए रखा गया है। सदस्यों ने मंत्रालय के संयुक्त सचिव (वित्तीय सलाहकार) से अनुरोध किया कि वे इस मामले को देखकर इसमें आ रही कठिनाइयों को दूर करके पद बनाने हेतु स्वीकृति दिलाएं।

(ii) समिति ने इस बात पर बल दिया कि सभी कार्यालयों में निर्धारित मानदंडों के अनुसार हिंदी पदों की समुचित व्यवस्था हो तथा मंजूर किए गए सभी पदों पर योग्य व्यक्तियों की तैनाती सुनिश्चित की जाए। जो कार्यालय छोटे-छोटे हैं और एक ही स्थान पर स्थित हैं और जहां पर निर्धारित मानदंडों के अनुसार हिंदी पदों की व्यवस्था नहीं हो पा रही है वहां उन सभी कार्यालयों के लिए संयुक्त रूप से हिंदी पदों की व्यवस्था किए जाने पर विचार किया जाए।

माननीय सदस्य चाहते थे कि पत्रों को हिन्दी में भेजने के लिए अनुवादक पर निर्भरता न हो बल्कि हिंदी जानने वाले कर्मचारी अपने नोट/ड्राफ्ट स्वयं हिंदी में तैयार करें।

(iii) समिति ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में समुचित हिंदी पदों की व्यवस्था के बारे में वहां के निदेशक द्वारा बतलाई गई स्थिति पर विचार करने के बाद इस बात पर बल दिया कि पदों के सृजन करने तथा उन्हें भरने के लिए तत्काल कार्रवाई पूरी कर ली जाए।

4. केन्द्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु में हिंदी शिक्षण की व्यवस्था किए जाने के बारे में समिति के कई माननीय सदस्यों का कहना था कि वहां पर हिंदी शिक्षण के लिए अंशकालिक प्राध्यापक की व्यवस्था करने हेतु कम से कम 1000/- रुपये प्रति माह के मानदेय की स्वीकृति प्रदान करने पर ही ऐसी कोई व्यवस्था हो पाना संभव है। उन्होंने समिति के अध्यक्ष से इस बारे में आवश्यक निर्देश देने का अनुरोध किया। मंत्री जी ने इस संबंध में शीघ्र कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।

5. स्वास्थ्य संबंधी मौलिक पुस्तक लेखन योजना

मंत्री महोदय ने इस बात पर खेद व्यक्त किया कि स्वास्थ्य संबंधी विषयों में हिंदी में लिखी गई/क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में अनुदित पुस्तकों को पुरस्कार प्रदान करने की मंत्रालय की योजना में अधिक लेखक सामने नहीं आ रहे हैं। बैठक में यह सुझाव दिया गया कि (क) दूरदर्शन, आकाशवाणी तथा समाचार पत्रों के माध्यम से इस योजना का प्रचार किया जाए तथा सभी मेडिकल कालेजों को इस योजना की जानकारी दी जाए।

(ख) बहुत से लेखक अपनी रचनाओं को प्रकाशित नहीं करा पाते, इसलिए योजना में पांडुलिपियां भी शामिल की जाएं और इस बारे में विज्ञापन में स्पष्ट उल्लेख कर दिया जाए।

(ग) सुझाव दिया गया कि योजना को आकर्षक बनाने के लिए उदाहरण के तौर पर 15-15 हजार रुपए के दो, 10-10 हजार रुपए के तीन और 5-5 हजार रुपए के पांच पुरस्कार रखे जाने पर विचार किया जा सकता है।

(घ) पुरस्कृत पुस्तकों का भी व्यापक प्रचार किया जाए और सभी मेडिकल कालेजों/संस्थाओं को इनकी जानकारी दी जाए।

(ङ) समिति को अंग्रेजी में लिखी गई विश्वविद्यालय स्तरीय पुस्तकों के हिंदी रूपांतर को भी इस योजना में शामिल करने के मंत्रालय के निर्णय की सूचना दी गई।

6. हिन्दी माध्यम की संगोष्ठियों का आयोजन

हिंदी माध्यम की संगोष्ठियों के आयोजन पर हुई चर्चा के दौरान अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की निदेशक द्वारा बैठक में ही अपनी सहमति दिए जाने पर समिति द्वारा यह निर्णय किया गया कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली द्वारा किसी उपयुक्त विषय पर शीघ्र ही हिंदी माध्यम की कार्यशाला आयोजित की जाए। इसी तरह भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद/स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय द्वारा मिलकर "कालाजार" नियंत्रण पर पटना में ऐसी ही कार्यशाला/संगोष्ठी आयोजित की जाए। इन कार्यशालाओं/संगोष्ठियों की सारी कार्रवाई हिंदी में हो और संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ अपने लेख/व्याख्यान/पेपर आदि हिंदी में ही प्रस्तुत करें। ये दोनों आयोजन 4-5 माह के अन्दर कर लेने के बारे में समिति को आश्वासन दिया गया। सदस्यों ने इन संगोष्ठियों में मंत्री जी से भाग लेने के लिए भी आग्रह किया। हिन्दी सलाहकार समिति में शामिल संसद सदस्य/अन्य गैर-सरकारी सदस्य भी इनमें भाग लेने के इच्छुक थे।

7. मेडिकल प्रवेश–परीक्षा तथा शिक्षण माध्यम पर विचार

(क) प्रवेश परीक्षा में प्रश्न पत्रों की द्विभाषी (हिंदी-अंग्रेजी) बनाए जाने की व्यवस्था तथा चिकित्सा शिक्षा में हिंदी माध्यम के विकल्प के प्रश्न पर कई सदस्यों ने अपने विचार रखे। सदस्यों का कहना था कि आई.आई.टी. की प्रवेश परीक्षा में हिंदी माध्यम हो सकता है तो इस क्षेत्र में क्या कठिनाई है। यह भी कहा गया कि सर्वोच्च न्यायालय ने इस बारे में निर्णय करने का काम मंत्रालय पर छोड़ दिया है। मंत्री महोदय के समक्ष यह बात भी रखी गई कि बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय तथा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में उनके आदेश मात्र से विकल्प स्वीकार किया जा सकता है। मंत्री महोदय ने इन सभी बातों की जांच करने का आश्वासन दिया तथा कहा कि देश की राजभाषा हिंदी होने के नाते प्रश्न-पत्र हिंदी में भी होने चाहिए।

स्वास्थ्य सचिव महोदय का कहना था कि आब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पत्र के संबंध में तो कोई खास परेशानी नहीं होगी। लेकिन अखिल भारतीय कोटे वाले कालेजों में कुछ परेशानी हो सकती है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अपर महानिदेशक (एम) ने सूचित किया कि अखिल भारतीय कोटे वाले कालेजों के मामले में केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के साथ बैठक की गई है और इस बारे में कोई निर्णय ले लिए जाने की आशा है। स्वास्थ्य सचिव महोदय ने कहा कि इस बारे में लिए जाने वाले निर्णय पर मंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाए। मंत्री जी ने सदस्यों को आश्वस्त किया कि अगली बैठक में इस बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी।

(ख) वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा प्रकाशित चिकित्सा तथा अर्द्ध चिकित्सा संबंधी पुस्तकों का सभी मेडिकल कालेजों द्वारा उपयोग किए जाने पर चर्चा के दौरान यह मत व्यक्त किया गया कि मेडिकल कालेज राज्यों के अंतर्गत आते हैं। इसलिए हिंदी भाषी राज्यों के मुख्य मंत्रियों को इस बारे में मंत्री जी पत्र लिखें तो इसका अच्छा असर पड़ेगा। आयोग के प्रतिनिधि ने बताया कि उनके पास हिंदी में लिखी पुस्तकों की मांगें आनी शुरू हो गई हैं।

सदस्यों को सूचित किया गया कि "क" तथा "ख" क्षेत्रों में उपचर्या शिक्षा में अंग्रेजी के साथ-साथ हिंदी/क्षेत्रीय भाषा में प्रशिक्षण देने की अनुमति है तथा नर्सों की भर्ती के समय परीक्षा/साक्षात्कार में हिन्दी माध्यम की अनुमति दी जाती है। लेकिन सदस्य यह जानना चाहते थे कि क्या ऐसी अनुमति/विकल्प की सूचना सदस्यों को प्रशिक्षण प्राप्त करने से पूर्व तथा भर्ती परीक्षा/साक्षात्कार से पहले लिखित रूप में दी जाती है ताकि वे समय से इसके लिए तैयारी कर सकें। यह भी सलाह दी गई कि हिंदी माध्यम से प्रशिक्षण परीक्षा अथवा साक्षात्कार देने वाले उम्मीदवारों के कार्य की जांच करने के लिए परीक्षकों में ऐसे विशेषज्ञ शामिल होने चाहिए जो हिन्दी भली प्रकार जानते हों। इस मामले में अध्यक्ष महोदय द्वारा कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया।

समिति के अधिकांश सदस्यों ने इस बात पर असंतोष व्यक्त किया कि स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय और केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना में कुल भर्ती किए गए आशुलिपिकों तथा हिंदी आशुलिपिकों की संख्या ठीक नहीं दी गई है। हिंदी आशुलिपिकों के लिए लक्ष्य 60 प्रतिशत रखा गया है इसलिए हिंदी आशुलिपिकों की भर्ती, मौजुदा आशुलिपिकों के प्रशिक्षण तथा उनसे निरंतर काम लेने के लिए कदम उठाए जाएं। मंत्री महोदय ने सदस्यों को बताया कि अगली बैठक में कुल भर्ती किए गए आशुलिपिकों की संख्या तथा हिंदी आशुलिपिकों की संख्या के साथ-साथ निर्धारित प्रतिशत को प्राप्त करने के लिए उठाए गए कदम सूचित कर दिए जाएंगे।

चर्चा के दौरान सदस्यों का आग्रह था कि सभी कार्यालयों के ध्यान में यह बात स्पष्ट रूप से ला दी जाए कि कंप्यूटरों, वर्ड प्रोसेसरों तथा वैयक्तिक कंप्यूटरों की व्यवस्था करते समय वे यह सुनिश्चित करें कि ये द्विभाषी ही खरीदे जाएं अथवा इनमें हिंदी में काम ले सकने की व्यवस्था हो। इस समय उपलब्ध साधनों में भी यदि ऐसी व्यवस्था नहीं है तो ऐसा करने के लिए कदम उठाए जाएं। स्वास्थ्य सचिव ने आश्वासन दिया कि वे इस वर्ष द्विभाषी वर्ड प्रोसेसर खरीदने के लिए आदेश जारी करेंगे।

12. विविध

(क) सदस्यों ने इंडियन फार्माकोपिया तथा नेशनल फार्मूलरी के हिंदी रूपांतर में हो रहे विलम्ब की ओर ध्यान दिलाते हुए इसके शीघ्र प्रकाशन के लिए अनुरोध किया।

(ख) यह भी अनुरोध किया गया कि हिंदी का प्रयोग बढ़ाने के लिए मंत्री जी की ओर से अपील जारी की जाए।

(ख) नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकें

1. मद्रास (बैंक)

मद्रास नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की आठवीं बैठक 03-08-1990 को इण्डियन ओवरसीज बैंक के स्टाफ कालेज में समिति के अध्यक्ष श्री के० बालसुब्रह्मणियम, महाप्रबंधक, इण्डियन ओवरसीज बैंक की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में डा. जोस आस्टिन, सहायक निदेशक, राजभाषा विभाग, कोचीन, डा. किशोर वासवानी, क्षेत्रीय अधिकारी, केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय एवं हिन्दी शिक्षण योजना के श्री कश्यप, सहायक निदेशक मौजूद थे। समिति की तरफ से मद्रास नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति राजभाषा शील्ड योजना आरंभ की गई थी।

समिति के अध्यक्ष श्री के. बालसुब्रह्मणियम ने विजेता बैंकों को रोलिंग शील्ड प्रदान कि।

प्रथम पुरस्कार—बैंक आफ इण्डिया

द्वितीय पुरस्कार—सिंडिकेट बैंक

तृतीय पुरस्कार—यूको बैंक

चौथा पुरस्कार—केनरा बैंक

समिति के अध्यक्ष ने पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी और अन्य बैंकों को अगले वर्ष पुरस्कार पाने के लिये कोशिश करने के लिये कहा। अध्यक्ष ने सदस्य बैंकों से अनुरोध किया कि इस योजना के तहत आयोजित प्रतियोगिता में सभी बैंक भाग लें।

अध्यक्ष ने कहा कि समिति की तरफ से आइ ओ बी द्वारा मुद्रित राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के 'ग' क्षेत्र के वार्षिक कार्यक्रम (1990-91) की ओर सभी का ध्यान आकृष्ट किया और कहा कि हिन्दी के प्रयोग की दिशा

में इसका पालन करें। बैठक के दौरान चर्चा के बाद निम्नलिखित निर्णय लिये गये :—

1. हिन्दी दिवस समिति की तरफ से हिन्दी दिवस का आयोजन सितम्बर के प्रथम सप्ताह में किया जायेगा। इस अवसर पर निम्नलिखित प्रतियोगिताएं चलाई जाएंगी :—

1. बैंकिंग प्रश्न मंच (बैंकिंग क्विज), 2. हिन्दी टंकण प्रतियोगिता, 3. हिन्दी आशुलिपि प्रतियोगिता।

सभी सदस्य बैंकों की सहमति से यह तय किया गया कि बैंकिंग प्रश्न मंच के लिए हर बैंक दो सदस्यों की एक टीम भेजगा। इंडियन बैंक और इण्डियन ओवरसीज बैंक जिनके केन्द्रीय कार्यालय मद्रास नगर में स्थित हैं, दो सदस्यों की दो-दो टीमें भेजेंगे और बाकी दोनों प्रतियोगिताओं के लिये एक-एक सदस्य। हिन्दी टंकण और आशुलिपि प्रतियोगिताओं के लिये राजभाषा कक्ष में कार्यरत स्टाफ पात्र नहीं होंगे। गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा पत्राचार (पाठ्यक्रम प्रबोध (प्रवीण) प्राज्ञ चलाये जाने के बारे में सूचना दी गई और इस पत्राचार पाठ्यक्रम का भरपूर फायदा उठाने के लिये कहा गया। निदेशक हिन्दी शिक्षण योजना में सहायक श्री कश्यप ने समिति को बताया कि उनके पास राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय से 15 टाइपराइटर प्राप्त हो गये हैं। अतः बैंक जितने भी सदस्यों को भेजेंगे उनके लिये टंकण एवं आशुलिपि प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी।

डा. आस्टिन सहायक निदेशक (कार्यान्वयन) ने हर बैंक से धारा 3(3) के अनुपालन की स्थिति के बारे में पूछा। अधिकतम बैंकों ने धारा 3(3) के शत प्रतिशत अनुपालन की सूचना दी। जिन बैंकों में इसका पालन नहीं हो रहा है उनसे धारा 3(3) का अनुपालन भविष्य में शत प्रतिशत करने के लिये कहा गया।

सदस्य बैंकों से वर्ष 1989-90 की अवधि के लिये हिन्दी के प्रयोग संबंधी रिपोर्ट प्राप्त की गई। कुल 14 बैंकों ने रिपोर्टें भेजी थीं। इन रिपोर्टों के आधार पर संयोजक बैंक ने तुलनात्मक अध्ययन के लिये चार्ट तैयार किया था जिसके आधार पर सहायक निदेशक (कार्यान्वयन) ने बैंकों में हिन्दी के प्रयोग की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने सदस्य बैंकों से कहा कि वे रिपोर्ट निर्धारित समय के अन्दर भेजें ताकि सभी सदस्य बैंकों की रिपोर्ट समीक्षा के लिये उपलब्ध हो सके।

सहायक निदेशक (कार्यान्वयन) ने समिति को बताया कि राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के निदेशानुसार मद्रास नगर समिति की प्रथम बैठक हर वर्ष मई में और दूसरी बैठक नवंबर में आयोजित की जानी है।

यूनियन बैंक आफ इंडिया के प्रतिनिधि ने यह सुझाव दिया कि बहुत से बैंकों के कार्यपालकगण बैठक में नहीं आए हैं। इसलिये संयोजक बैंक एक विशिष्ट पत्र उन बैंकों को लिखें ताकि सभी बैंकों के उच्च अधिकारी राजभाषा अधिकारियों के साथ बैठक में आएं।

श्री आर.के. दवे, यूनियन बैंक आफ इंडिया ने समिति के अध्यक्ष, मुख्य अतिथि, सदस्य बैंकों से आये हुए प्रतिनिधिगण एवं उपस्थित सभी सदस्यों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया।

2. पोर्ट ब्लेयर

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की अर्द्धवार्षिक बैठक दिनांक 31-7-90 को अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह वन तथा बागान विकास निगम लि., के प्रबंधक निदेशक श्री जयकृष्ण मेहता, की अध्यक्षता में आयोजित हुई। चर्चा के दौरान निम्नलिखित मुद्दों का उल्लेख मुख्य रूप से किया गया :—

1. पोर्ट ब्लेयर स्थित कार्यालयों में से बहुतों के मुख्यालय मुख्यभूमि में स्थित हैं और जब तक मुख्यालय हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के लिये तत्परता से काम नहीं करेंगे, अधीनस्थ कार्यालयों में उपलब्ध हिन्दी की प्रगति नगण्य ही रहेगी।

2. अण्डमान प्रशासन का हिन्दी के प्रगामी प्रयोग पर ढीलापन भी यहां के कार्यालयों पर हावी है। इस पर अध्यक्ष ने कहा कि उचित यही होगा कि हम सभी व्यक्तिगत रूप से इस दिशा में कार्य करें।

3. पोर्ट ब्लेयर स्थित अनेक कार्यालयों के मुख्यालय कलकत्ता/मद्रास में स्थित हैं, जिससे काफी असुविधा होती है। इस पर श्रीमती राय ने कहा कि ऐसे अधीनस्थ कार्यालय, जो कि पोर्ट ब्लेयर में हैं, वे नियमानुसार अपना काम हिन्दी में करें तथा हिन्दी पदों के सृजन के लिये मुख्यालय को बार-बार लिखें।

4. हिन्दी में काम करने वालों को देय प्रोत्साहन राशि में वृद्धि की जाये और वर्ष में लिखी जाने वाली शब्दों की संख्या 20000 से घटा कर 10000 तक की जाए।

5. यहां अहिन्दी भाषी कर्मचारियों की अधिक तादाद के लिये भी प्रगति (हिन्दी में) लाना मुश्किल हो जाता है। इस पर अनुसंधान अधिकारी ने हिन्दी शिक्षण योजना का अधिकाधिक लाभ उठाने का अनुरोध किया। इस विषय में अध्यक्ष महोदय ने कहा कि हिन्दी का प्रसार प्रचार अहिन्दी भाषियों ने ही किया है—अतः यह कोई बाधा नहीं है।

बैठक का समापन श्री लेखराज कपूर, हिन्दी प्राध्यापक-सचिवालय के धन्यवाद ज्ञापन से हुआ।

3. मणिपुर (इम्फाल)

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, मणिपुर, इम्फाल की वर्ष 1990 की प्रथम बैठक 30 जुलाई, 1990 को श्री शी.सू. राव की अध्यक्षता में हुई।

"राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रमों का अनुपालन कार्यालय के अध्यक्ष की सांविधिक जिम्मेदारी है" यह कहते हुए बैठक के संचालक, हिन्दी प्राध्यापक श्री वेंकट लाल शर्मा ने वार्षिक कार्यक्रमों को संक्षेप में प्रस्तुत किया। सभी कार्यालयाध्यक्षों द्वारा पिछले छः महीने की अवधि में वार्षिक कार्यक्रमों के निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति हेतु अनुपालन कार्रवाई का जायजा प्रस्तुत किया गया।

वर्ष 1990 के दौरान हिन्दी की प्रतियोगिता तथा वर्कशाप का सभी कार्यालयाध्यक्षों द्वारा जायजा प्रस्तुत किया गया।

वर्ष 1989 में लगभग सभी कार्यालयों में हिन्दी दिवस/सप्ताह मनाया गया तथा उस दौरान हिन्दी निबन्ध, वादविवाद आदि प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया, निम्नलिखित कार्यालयों द्वारा हिन्दी दिवस/सप्ताह आयोजित किये गये :—

1. श्री आर.टी. एफ., 2. के.रि.पु.बल, 3. एन. पी.सी.सी., 4. क्षे. स्तर अनु. केन्द्र, 5. बुनकर सेवा केन्द्र, 6. लघु उद्योग सेवा संस्थान, 7. महालेखाकार कार्यालय, 8. विभा. तारघर, 9. आकाशवाणी केन्द्र 10. आयकर विभाग।

तिमाही प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा

कार्यालयाध्यक्षों में से तसर व लघु उद्योग सेवा संस्थान ने अपनी रिपोर्ट व प्रगति विवरण लिखित में प्रस्तुत किये मगर बाकी सभी ने मौखिक आंकड़े प्रस्तुत किये। कार्यालयों द्वारा की गई हिन्दी की प्रगति सम्बन्धी आंकड़ों के अनुसार उन्हें तीन भागों में दर्शाया गया है:—

प्रगति रिपोर्ट

भाग "क" के अन्तर्गत उन सभी कार्यालयों को दर्शाया गया है जिनकी प्रगति-रिपोर्ट लगभग समान है, कार्यालयों के नाम निम्नवत हैं :—

1. वी. आर. टी. एफ., 2. एन. पी. सी. सी., 3. क्षेत्र प्रचार कार्यालय, 4. महालेखाकार (लेखा), 5. कोचिंग कम गाइडेंस सेन्टर, 6. बुनकर सेवा केन्द्र, 7. भारतीय खाद्य निगम।

उपरोक्त कार्यालयों की प्रगति रिपोर्ट (संक्षिप्त में) निम्नवत है :—

1. कार्यालय के सभी सूचना पट्ट नामपट्ट आदि द्विभाषी हैं, मोहरों को द्विभाषी बनाने का प्रयास किया जा रहा है।

2. कुछ सामान्य आदेश द्विभाषी रूप में जारी किये जाते हैं।

3. हिन्दी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिन्दी में ही देने की कोशिश की जाती है।

4. फार्म आदि द्विभाषी रूप में साइक्लोस्टाइल हो रहे हैं।

इन कार्यालय की मुख्य कठिनाइयां :—

1. हिन्दी का कोई पद न होना।

2. हिन्दी टाइपिस्ट और हिन्दी टाइपराइटर का उपलब्ध न होना।

3. लाइब्रेरी में हिन्दी के दैनिक पाक्षिक पत्र पत्रिकाओं और पुस्तकों का न होना। उपरोक्त कार्यालयों में से अधिकतर कार्यालयों में टाइपिस्ट व टाइपराइटर नहीं होने की समस्या के निदानार्थ बैठक के संचालक, हिन्दी प्राध्यापक ने अध्यक्षों को हिन्दी शिक्षण योग्यता प्राप्त चला रहे जो हिन्दी टंकण प्रशिक्षण के लिए कर्मचारियों को नामित करने को कहा ताकि प्रशिक्षणोंपरांत वे उनकी मदद से हिन्दी में पत्राचार को गति दे सके तथा टंकण यंत्रों की मांग अपने मुख्यालयों से की जा सकती है।

भाग "ख" प्रगति रिपोर्ट

भाग "ख" के अन्तर्गत शामिल कार्यालय में हिन्दी की मिलीजुली प्रगति हुई है। जिनमें पत्राचार, हिन्दी निम्बन्ध प्रतियोगिता, हिन्दी पुस्तकालय, हिन्दी दिवस तथा नियम 5 का काफी मात्रा में पालन करने का प्रयास कर रहे हैं।

इन कार्यालयों की सूची निम्नवत् है :—

1. सी. आर. पी. एफ. 2. आकाशवाणी केन्द्र 3. महालेखाकार (ले. प.) 4. विभागीय तारघर 5. आयकर विभाग

क्रमशः संक्षिप्त विवरण

1. सी.आर.पी.एफ

1. इस कार्यालय में कुल पत्राचार का 60% काम हिन्दी में हो रहा है। धारा 3(3) में उल्लिखित सामान्य आदेश, नियम आदि को द्विभाषी रूप में तैयार करते हैं। कार्यालय में 2 टंकण यंत्र तथा टाइपिस्ट उपलब्ध हैं।

वर्ष 1989 में हिन्दी निबन्ध प्रतियोगिता आयोजित की गई। हिन्दी अनुवाद का प्रबंध होने के कारण पत्राचार व हिन्दी कार्यों की प्रगति सराहनीय ।

2. आकाशवाणी केन्द्र

केन्द्र के नामपट्ट/सूचनापट्ट द्विभाषी तथा कोई कोई त्रिभाषी है । धारा 3(3) के अनुसार सामान्य आदेश वगैरह द्विभाषी तैयार करते हैं। एक हिन्दी अनुवादक उपलब्ध है । केन्द्र में हिन्दी टाइपिस्ट उपलब्ध नहीं हैं । हिन्दी अधिकारी का पद भी रिक्त है, हिन्दी के कार्यक्रम निष्पादक तथा उद्घोषक भी नहीं हैं ।

3. महालेखाकार (ले.प.)

कार्यालय में एक हिन्दी टाइपराइटर उपलब्ध है । हिन्दी पुस्तकालय हेतु हिन्दी दैनिक पत्रों के लिए आदेश दे दिए गये हैं। प्रशिक्षित कर्मचारियों की संख्या प्रबोध 30, प्रवीण 60 एवं प्राज्ञ 90 काफी संतोषप्रद हैं। सभी सील बोर्ड आदि द्विभाषी हैं। हिन्दी अनुवादक उपलब्ध नहीं है मगर मानदेय के आधार पर हिन्दी प्राध्यापक श्री बेंकट लाल शर्मा की सहायता से विभागीय पत्रों, सामान्य परिपत्र व आदेशों, नियमों का अनुवाद कार्य करवाया जाता है ।

4. विभागीय तारघर

अधिकारी तार परियात नें तारघर के स्टाफ को समयबद्ध रूप से प्रशिक्षण हेतु योजना बनाई है। हिन्दी में कोर्स प्रशिक्षित कर्मचारी भी हैं । हिन्दी निबन्ध प्रतियोगिता आयोजित की गई । चार द्विभाषी टाइपराइटरों की मांग भी की गई है ।

5. आयकर विभाग

कार्यालय में 18 स्टाफ में 8 कर्मचारी प्रशिक्षित हैं। एक हिन्दी टाइपिस्ट है । मगर कोई टंकण यंत्र नहीं है। हिन्दी पुस्तकालय के लिए प्रयास होता है। धारा3(3) के पालन का प्रयास कर रहे हैं

भाग "ग" प्रगति-रिपोर्ट

इस भाग के अन्तर्गत नगर में हिन्दी में सर्वोत्तम प्रगति करने वाले कार्यालयों को सम्मिलित किया गया है, की उन लिखित प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर स्थिति निम्नवत् है :—

1. लघु उद्योग सेवा संस्थान

संस्थान की हिन्दी विषयक प्रगति के बारे में भी प्रदीप कुनार सहायक निदेशक तथा आर. डी. एन. मी. एम. सिह, हिन्दी अनुवादक ने क्रमशः जायजा प्रस्तुत किया तथा प्रगति रिपोर्ट की प्रति समिति के विचारार्थ प्रस्तुत की ।

1. हिन्दी पत्राचार का प्रतिशत वर्ष 1989 में 'क' और 'ख' क्षेत्रों से पत्राचार

समाप्त तिमाही	भेजे गए कुल पत्र	हिन्दी में भेजे गए	अंग्रेजी में भेजे
30-6-89	230	30	200
30-9-89	236	14	222
31-12-89	178	2	176
31-03-90	323	54	289
योग	967	100	867

(2) पिछली तिमाही में पत्रों का प्रतिशत 20 रहा है।

(3) 'ग' क्षेत्र में पत्रों का प्रतिशत 6% रहा है ।

(4) हिन्दी में प्राप्त सभी पत्रों का उत्तर हिन्दी में दिया गया है ।

2. धारा 3(3) का अन पालन व हिन्दी पदों की भर्ती व प्रशिक्षण हेतु नामन :—

(क) सभी सामान्य आदेश, परिपत्र आदि द्विभाषी जारी होते हैं ।

(ख) सभी सूचनापट्ट, नामपट्ट आदि द्विभाषी बनवा लिए गये हैं ।

(ग) हिन्दी अनुवादक उपलब्ध है, वरिष्ठ अनुवादक के इस्तीफे के कारण पद रिक्त है

(घ) हिन्दी टाइपराइटर संस्थान में उपलब्ध है मगर टाइपिस्ट का अभाव है ।

(ङ) वर्तमान सत्र में 2 कर्मचारियों को प्रशक्षिण हेतु नामित किया गया है ।

3. हिन्दी दिवस सप्ताह, कार्यशाला व पुस्तकालय की स्थिति :—

(क) 14 सितम्बर 89 को हिन्दी दिवस व सप्ताह आयोजित किए गए ।

(ख) पांच दिनों की हिन्दी कार्यशाला आयोजित हुई जिसमें हिन्दी निम्बन्ध व वाक प्रतियोगिताएँ भी की गयीं ।

कार्यक्रमों की स्थिति

प्रतियोगिता का नाम	कुल राशि	आयोजन की तिथि	कुल प्रत्याशी	प्रथम द्वितीय तृतीय
हिन्दी वाक प्रति.	300/-	21-09-89	7	मराठी बंगला असमिया
हिन्दी निबन्ध	300/-	22-09-89	8	मराठी बंगला मणिपुरी

4. संस्थान की विशेष उपलब्धियां

संस्थान की विशेष उपलब्धियां हिन्दी के प्रति रुझान की प्रतीक हैं, इनकी विवेचना इस प्रकार हैं :—

1. हिन्दी पुस्तकों की खरीद पर वर्ष 1989-90 में 2000/- की राशि खर्च गई, जिससे 87 पुस्तकें मंगवाई गई।

2. राजभाषा पुस्तकालय के स्थापित्व एवं पुस्तकों के रखरखाव हेतु वर्ष 1989-90 में लगभग 3000/- में एक स्टील की अलमारी खरीदी गई ।

3. छोटे-मोटे समारोहों से लेकर के समारोहों तक में हिन्दी का प्रयोग सराहनीय है ।

4. हिन्दी पोस्टरों को लगाया गया है जो वातावरण को हिन्दीमय बनाता है ।

5. आठ राजपत्रित कर्मचारियों में से चार हिन्दी में प्रवीण हैं ।

6. 9 अनुभागों में से एक हिन्दी के लिए सुरक्षित है तथा मैकेनिकल सैक्सन भी 75% काम हिन्दी में हो रहा है ।

2. क्षेत्रीय स्तर अनुसंधान केन्द्र

श्री पी. एन. मिश्र, वरिष्ठ अनु. अधिकारी ने केन्द्र में हुई हिन्दी की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत किया तथा मूल्यांकन हेतु प्रगति रिपोर्ट समिति अध्यक्ष को सौंपी ।

1. भेजे गये पत्रों का प्रतिशत

1. 'क' व 'ख' क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों को प्रेषित पत्र 16%

2. 'क' व 'ख' क्षेत्र में स्थित संघ राज्य सरकार व कर्मचारियों को प्रेषित पत्र 30%

2. हिन्दी में उत्तर :

1. हिन्दी में प्राप्त अब तक 860 पत्रों का उत्तर हिन्दी में ही दिया गया है ।

2. हिन्दी में हस्ताक्षरित लिखित आवेदन अपीलों का उत्तर हिन्दी में ही दिया गया है ।

3. धारा 3(3) का अनुपालन एवं द्विभाषीकरण

1. 90% स्टेशनरी का सामान द्विभाषी रूप में मुद्रित ही खरीदा जाता है ।

2. फार्म व रजिस्टरों का प्रारूप व शीर्ष—द्विभाषी मुद्रित करवाये गये हैं ।

3. नामपट, सूचनापट्ट आदि सभी द्विभाषी तैयार किये गये हैं ।

4. विज्ञापन द्विभाषी तैयार करने के अनुदेश जारी कर दिये गये हैं ।

4. हिन्दी पद सृजन व प्रशिक्षण

1. न्यूनतम सृजित पद भर्ती कर लिए गए ।

2. हिन्दी अनुवादक का पद स्थानान्तरण के कारण रिक्त हो गया है।

3. 32 कर्मचारियों में से 13 प्रशिक्षित व 7 प्रशिक्षणाधीन हैं ।

4. टंकण प्रशिक्षण हेतु समयबद्ध कार्यक्रम बनाया जा रहा है ।

5. हिन्दी टंकण यंत्रों आदि की स्थिति

1. कार्यालय में दो रोमन टंकण तथा एक देवनागरी टंकण यंत्र उपलब्ध है।

2. एक रोमन इलेक्ट्रानिक टाइपराइटर व एक कम्प्यूटर है मगर देवनागरी का नहीं ।

3. टेलीप्रिंटर द्विभाषी खरीद रहे हैं ।

कार्यशाला/हिन्दी दिवस/सप्ताह व पुस्तकालय की स्थिति

1. 14 सितम्बर 89 को केन्द्र में हिन्दी दिवस आयोजित हुआ ।

2. वादविवाद प्रतियोगिता व अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किये गये ।

3. कार्यशाला आयोजित करने हेतु विचार किया जा रहा है ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा उपस्थित कार्यालय प्रतिनिधियों से सुझाव व शिकायतें मांगी गयीं, जो निम्नवत प्रस्तुत हैं:—

1 नगर स्तर पर निबन्ध प्रतियोगिता का पिछले वर्ष की तरह इस बार भी आयोजन किया जाना चाहिए ।

2. हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रगति वाले कार्यालय को रनिंग शील्ड प्रदान की जानी चाहिए ।

3. नगर स्तर पर सामूहिक तौर पर सामूहिक विचारों व सामूहिक प्रगति दर्शाने वाली एक पुस्तक का प्रकाशन किया जाना चाहिए ।

4. नगर के सभी कार्यालयों में हिन्दी में किये गये कामों की समीक्षार्थ नराकास की तरफ से एक समिति बनाकर बारी-बारी से निरीक्षण किया जाना चाहिए। ताकि बैठकों में रखे गये विचारों को भी सत्यता का पता लग सके ।

बैठक के अन्त में अध्यक्ष ने सभी नगर स्थित कार्यालयों का आभार प्रकट करते हुए कहा कि आप सब के सामूहिक प्रयासों से हमारी नराकास समिति को प्रथम पुरस्कार मिला है। प्रतियोगिता तथा शील्ड प्रमाणपत्र प्रशंसा प्रमाणपत्र के लिए उन्होंने विश्वास भरा आश्वासन देते हुए कहा कि राजभाषा विभाग से विचार-विमर्श करके शीर्ष सुझावों पर अमल किया जाएगा।

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, मणिपुर, इम्फाल की दिनांक 30-7-90 की बैठक में अनुपस्थित अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची

क्रम संख्या	बैठक में उपस्थित	कार्यालय प्रतिनिधि
1.	श्री एन. एस. राव	—भार. कृषि अनु. परिषद्
2.	श्रीमती एल. मेमना देवी	—पी. अन इबी., इम्फाल
3.	उपमहानिरीक्षक	—वी. एस. एफ.
4.	निदेशक	—डाक निदेशालय, डाक विभाग
5.	श्री गोविन्द गुप्त	—सहा. निदेशक, गीत व नाटक प्रभाग
6.	एक्जी. इंजीनियर	—सी. पी. डब्ल्यू. डी. विभाग
7.	श्री ए. बी. सेन शर्मा	—अधीक्षक केन्द्रीय कस्टम व एक्साइज विभाग
8.	सहायक निदेशक	—मार्केटिंग व सर्विस एक्सटेंशन सेंटर
9.	श्री टी. पी. दास	—प्रबन्धक, पर्यटन कार्यालय
10.	श्री बी. एम. अरोरा	—वरिष्ठ हवाई अड्डा अधिकारी
11.	उपनिदेशक	—जनगणना केन्द्र
12.	प्रिंसीपल	—केन्द्रीय विद्यालय
13.	श्री सेन गुप्ता	—उपनिदेशक राष्ट्रीय बचत संगठन
14.	श्री वाई. पी. गुप्ता	—फल आरक्षण केन्द्र
15.	श्री ए. के. चौधरी	—सहायक अभियन्ता माइक्रोवेव
16.	श्री सतीश कुमार कपूर	—परिवहन मंत्रालय (सड़क पक्ष).
17.	श्री जे. एस. चौधरी	—डी. एस. पी. सी. बी. आई०
18.	श्री पुरकायस्थ	—क्षे. स्वा. एवं परिवार कल्याण केन्द्र
19.	सहायक निदेशक	—एस. आई. बी. बाबूपाड़ा
20.	कमान्डेण्ट	—30 आसाम राइफल्स
21.	श्री ए. एस. यादव	—एस एफ. ओ. (आई. सी) स्पैशल ब्यूरो
22.	क्षे. प्रबंधक	—क्षे. कार्या. शु. बी. आई.
23	प्रबन्धक	—स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया
24.	प्रबंधक	—इलाहाबाद बैंक
25.	प्रबंधक	—पंजाब नेशनल बैंक
26.	प्रबंधक	—पंजाब व सिंध बैंक
27.	प्रबंधक	—विजया बैंक
28.	प्रबंधक	—बैंक आफ बड़ौदा
29	प्रबंधक	—सेन्ट्रल बैंक आंफ इंडिया
30	प्रबंधक	—युनाइटेड काम. बैंक
31.	प्रबंधक	—इण्डियन आवरसीज बैंक

4. सिलचर

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, सिलचर की दूसरी बैठक कछाड़ पेपर मिल के वरिष्ठ महाप्रबन्धक श्री एस. पी. दासगुप्ता की अध्यक्षता में हुई। बैठक में उपायुक्त, कछाड़— श्री जे. एन. शर्मा एवं प्राचार्य, कछाड़ कालेज, सिलचर श्री बी.एम. चट्टोपाध्याय ने क्रमशः मुख्य अतिथि तथा विशेष आमंत्रित के रूप में भाग लिया।

बैठक में सदस्यों व अतिथियों का स्वागत करते हुए कछाड़ पेपर मिल के उप-महाप्रबंधक (इंजी.) श्री बी. एन. सहाय ने नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, सिलचर के गठन को सरकारी कार्यालयों में हिन्दी के विकास हेतु एक महत्त्वपूर्ण कदम बताया और आशा व्यक्त की कि सदस्य कार्यालयों के परस्पर सहयोग से यह समिति अपना लक्ष्य पूरा करेगी।

राजभाषा हिन्दी के महत्त्व पर प्रकाश डालते हुए बैठक में आमंत्रित कछाड़ कालेज, सिलचर के प्राचार्य श्री बी.एम. चट्टोपाध्याय ने भारतीय साहित्य की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का उल्लेख करते हुए बताया कि हिन्दी की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है जो मूलतः सभी प्रादेशिक भाषाओं की भी जननी रही है। यही कारण है कि सभी भाषाओं के शब्दों में आज भी सहज समानता दीख जाती है। श्री चट्टोपाध्याय का सुझाव था कि हिन्दी भाषा सीखने योग्य छोटे-छोटे साहित्य हिन्दी के अलावा अन्य भाषाओं में भी तैयार कराए जाएं और उन्हें अहिन्दीभाषी प्रदेशों में वितरित कराए जाएं।

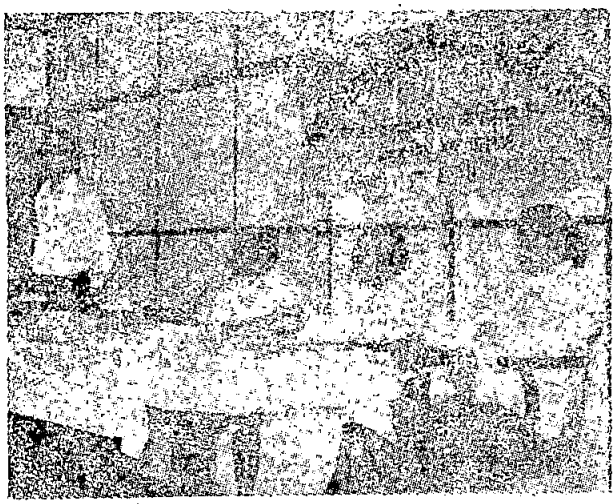

सम्बोधित करते हुए वरिष्ठ महाप्रबन्धक श्री एस. पी. दास गुप्ता। साथ में (बाएं से) श्री जे.एन. शर्मा, उपायुक्त श्री बी. एम. चट्टोपाध्याय, तथा बी.एन. सहाय

"हिन्दी आएगी और इसे राष्ट्रभाषा का सम्मान भी मिलेगा लेकिन यह तभी संभव है जब सहज रूप में इसके प्रसार की नीति का अनुपालन किया जाए।" यह थे शब्द उपायुक्त, कछाड़ श्री जे. एन. शर्मा के।

समिति की दूसरी बैठक के अध्यक्ष, श्री एस.पी. दास-गुप्ता ने कार्यकारी सत्र प्रारम्भ करते हुए बताया कि भारत जैसे विशाल देश में एक ऐसी भाषा का विकास अवश्य होना चाहिए जो दो भिन्न भाषा बोलने वालों को आपस में जोड़ सके। ऐसी भाषा भारत में बहुसंख्यकों द्वारा बोली समझी जाने वाली हिन्दी ही हो सकती है। कार्यालयों में राजभाषा हिन्दी के प्रयोग में तेजी लाने की दृष्टि से अध्यक्ष महोदय का सुझाव था कि सबसे पहले सभी हिन्दी टाइप मशीनें, हिन्दी स्टाफ, उपकरण एवं हिन्दी के सहायक साहित्य उनकी व्यवस्था की जाए।

उनके अन्य सुझावों में हिन्दी में कार्य करने की प्रोत्साहन योजनाओं को व्यापक रूप से प्रचारित करने, कार्यालयों में बीच-बीच में हिन्दी प्रतियोगिताओं एवं हिन्दी संबंधी अन्य समारोहों को आयोजित करने तथा सभी कार्यालयों में दैनिक कामकाज के उपयोग में आने वाले शब्दों एवं वाक्यों के छोटे-छोटे हिन्दी अनुवाद तैयार कर उन्हें सारे स्टाफ में बंटवाने के थे ताकि कर्मचारियों की हिन्दी के प्रति रुचि बनी रहे और हिन्दी में काम करने में उनकी झिझक भी दूर हो।

कार्यकारी सत्र में केन्द्रीय विद्यालय संगठन के श्री के.के. झा, कछाड़ पेपर मिल के श्री एस.के. शर्मा सहित अन्य कार्यालयों के प्रतिनिधियों ने भी अपने-अपने सुझाव व्यक्त किए। इन सुझावों में एक महत्वपूर्ण सुझाव भारत सरकार की हिंदी शिक्षण योजना के अन्तर्गत हिन्दी प्रशिक्षण केन्द्र सिलचर में खोलने का था जिसका सभी ने सहर्ष स्वागत किया।

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, सिलचर के सदस्य सचिव श्री विजय कुमार गुप्ता ने समस्त अभ्यागतों को साधुवाद दिया।

5. तिरुअनंतपुरम (बैंक)

बैंकों की नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति तिरुअनंत-पुरम की 11वीं बैठक 25 जुलाई, 1990 को श्री ए.एम. प्रभु, उपमहाप्रबन्धक, केनरा बैंक की अध्यक्षता में हुई। भारतीय रिज़र्व बैंक का प्रतिनिधित्व तिरुअनंतपुरम् स्थित कार्यालय से संयुक्त मुख्य-अधिकारी श्री कमरुद्दीन एवं राज-भाषा अधिकारी श्री काज़ी मुहम्मद ईसा ने किया। 24 सदस्यीय समिति के 23 कार्यालयों के 38 प्रतिनिधियों ने बैठक में भाग लिया। बैठक का संचालन सदस्य सचिव श्री सोहन लाल ने किया। श्री आर.एस.एल. प्रभु मंडल प्रबंधक केनरा बैंक, राजभाषा अनुभाग, प्रधान कार्यालय, बेंगलूर ने समिति की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए इसकी सराहना की। उन्होंने आशा व्यक्त की कि राजभाषा कार्यान्वयन की दिशा में भारत सरकार बढ़ती अपेक्षाओं की पूर्ति में यह समिति पूर्णतः सक्षम होगी।

सदस्य बैंकों की प्रगति रिपोर्टों की समीक्षा के बाद श्री कमरुद्दीन ने विचार प्रकट किए। जहां एक ओर उन्होंने केनरा बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विजया बैंक, सिंडिकेट बैंक आदि की हिन्दी में अच्छे कार्यनिष्पादन के लिए प्रशंसा की वहीं दूसरी ओर बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इण्डिया, इंडियन बैंक आदि के हिन्दी के प्रयोग में तेजी लाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने हिन्दी प्रशिक्षण, हिन्दी टंकण प्रशिक्षण और राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अन्तर्गत जारी कागज़ात का समुचित अनुपालन करने का खास तौर से अनुरोध किया।

अध्यक्षीय भाषण देते हुए श्री ए.एम. प्रभु ने कहा कि यद्यपि समिति के कार्य-निष्पादन में उल्लेखनीय सुधार हुआ है तथापि कुछ क्षेत्रों में अभी भी सुधार की पर्याप्त गुंजाइश है। उन्होंने विश्वास प्रकट किया कि प्रगति रिपोर्टों में महसूस की गई कमियों को दूर करने के लिए सभी सदस्य एकजुट होकर काम करेंगे। उन्होंने समिति की सफलता के लिए अपनी शुभकामनाएं दीं।

6. वारंगल

दिनांक 7-9-90 को वारंगल नराकास की बैठक अध्यक्ष और अंचल प्रबंधक, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद श्री एस. प्रसाद राव की अध्यक्षता में हुई।

अध्यक्ष ने दूसरी बैठक भी कलेन्डर के अनुसार मार्च में रखने की घोषणा की। यह बैठक यूनाइटेड इंडिया इन्श्योरेंस कं. लिमिटेड के सौजन्य से की गई। श्री नजीर अहमदखान, मंडल प्रबन्धक ने भरपूर सहयोग दिया।

अध्यक्ष श्री प्रसाद रावजी ने राजभाषा के प्रगामी प्रयोग को बढ़ाने का अनुरोध किया और यह आग्रह किया कि कार्यालय अध्यक्ष यह देखें कि कार्यालय से ज्यादा से ज्यादा पत्र हिन्दी में और कम से कम दिन में दो पत्रों पर हिन्दी में अवश्य हस्ताक्षर करें। उन्होंने यह भी कहा कि भारत सरकार के 90-91 के कार्यक्रम के निर्धारित लक्ष्यों को अवश्य ही प्राप्त किया जाये। उन्होंने आयोजित संयुक्त कार्यशालाओं का फायदा उठाने का आग्रह किया।

समिति के 45 सदस्यों में से 26 ने भाग लिया। 6 कार्यालय के कार्यालय अध्यक्ष बैठक में उपस्थित नहीं रहे।

बैठक में सभी सदस्यों ने इस बात पर जोर दिया कि राजभाषा विभाग की ओर से हिन्दी, हिन्दी टंकण और हिन्दी आशुलिपि के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिये। इस प्रश्न पर विभाग की ओर से यह कहा गया कि अध्यक्ष नराकास स्थानीय व्यवस्था यदि चाहें तो निदेशक, हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली की अनुमति प्राप्त कर अंश-कालिक केन्द्र खोलकर प्रारम्भ कर सकते हैं। कार्यक्रम के अनुपालन, 12% टाइप मशीन कार्यालय में रखने और पुरस्कार योजना के चालू करने पर बल दिया गया। आग्रह किया गया कि त्रैमासिक रिपोर्ट ठीक से भरकर समय पर इस कार्यालय को सभी कार्यालय भेजा करें। नराकास की बैठक में कार्यालय अध्यक्षों की उपस्थित पर जोर दिया गया। वार्षिक कार्यक्रम की प्रति दी गई।

7. हैदराबाद

दिनांक 24-9-90 को नराकास हैदराबाद की बैठक महाप्रबन्धक दक्षिण मध्य रेलवे श्री मोहनलाल शर्मा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। कुल 98 कार्यालयों में से करीब 55 कार्यालयों के प्रतिनिधि बैठक में उपस्थित रहे।

अध्यक्ष ने कहा कि इस बैठक में सभी कार्यालयों और उपक्रमों के कार्यालय अध्यक्षों को उपस्थित रहना चाहिये। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सरकार की राजभाषा नीति और 90-91 के वार्षिक कार्यक्रम का अनुपालन अवश्य किया जाना चाहिये।

उन्होंने कहा कि पुरस्कार योजना के चालू होने पर प्रत्येक कार्यालय के कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले कर्मचारी अपने आप स्वेच्छा से भाग लेना प्रारम्भ कर देंगे। कार्यालय अध्यक्ष का काम है कि वे आवश्यक सामग्री उन्हें उपलब्ध कराएं और कार्यशाला आयोजित करवाएं।

बेंगलूर की तरह अनुवाद प्रशिक्षण केन्द्र हैदराबाद में भी खोलने की बात कही गई। सदस्यों ने हिन्दी, हिन्दी टंकण और आशुलिपि के गहन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को हैदराबाद में चालू करवाने का भी आग्रह किया।

8. विजयवाड़ा

दिनांक 5-9-90 को विजयवाड़ा नराकास की बैठक सम्पन्न हुई। नराकास विजयवाड़ा के अध्यक्ष और मंडल प्रबंधक, दक्षिण मध्य रेलवे विजयवाड़ा श्री एम.एस. फारूकी ने बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक का आयोजन यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी के मंडल प्रबंधक श्री खान ने किया। स्वागत सिंडिकेट बैंक के मंडल प्रबंधक श्री एम.एस. पै ने किया।

श्री एम. एस. पै ने अपने स्वागत भाषण में कहा कि देश को एक सूत्र में बांध रखनेवाली हमारी हिन्दी भाषा को कार्यालयों में कार्यान्वित करना बहुत जरूरी है। बाद में समिति के अध्यक्ष श्री एम. एम. फरुकी ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि विजयवाडा ननेर में सभी सदस्य कार्यालय राजभाषा के कार्यान्वियन में निर्धारित लक्ष्यों को शीघ्र प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाना अनिवार्य है। हिन्दी शिक्षण योजना, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, बेंगलूर के सहायक निदेशक श्री जे.आर. पांडेय ने सदस्य कार्यालयों द्वारा राजभाषा के कार्यान्वयन के बारे में अवगत कराया।

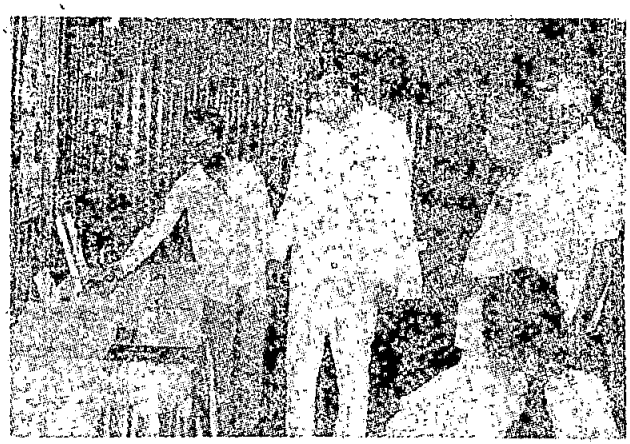

सिंडिकेट बैंक द्वारा आयोजित प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए मंडल प्रबन्धक श्री एम. एम. फरूकी तथा अन्य अधिकारीगण।

समिति के सदस्य सचिव श्री आर.पी. मोहन ने विजयवाड़ा नगर में राजभाषा के कार्यान्वियन की प्रगति से संबंधित एक विस्तृत रिपोर्ट पेश की। बाद में हिन्दी शिक्षण योजना, विजयवाड़ा के सर्व कार्यभारी अधिकारी श्री टी.पी.वी.एस. एस. राव ने प्रशिक्षण के संबंध में जानकारी दी।

अध्यक्ष श्री फारूकी ने कहा कि राजभाषा नीति का अनुपालन प्रत्येक कार्यालय ने उसी प्रकार करना चाहिये जिस प्रकार कि वह अपने कार्यालय का अन्य कार्य करते

हैं। उन्होंने कार्यशाला का आयोजन, हिन्दी प्रशिक्षण, पुरस्कार योजना का लागू किया जाना, धारा 3(3) का अनुपालन आदि विषयों पर प्रकाश डाला और कहा कि नराकास की बैठक में कार्यालय अध्यक्षों की उपस्थिति अनिवार्य है।

हिन्दी टंकण व आशुलिपि के प्रशिक्षण की व्यवस्था की मांग जोरदार ढंग से उठी। इस एवज में विभाग की ओर से कहा गया कि विजयवाड़ा के सर्वकार्यभारी अधिकारी, हिन्दी शिक्षण योजना तथा निदेशक, केंद्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली से अनुमति प्राप्त कर अंशकालिक प्रशिक्षण केन्द्र खोलने का प्रयास कर सकते हैं।

9. हुबली

दिनांक 28-8-90 को नराकास की बैठक श्री के. बालकृष्ण वारियर, मंडल रेल प्रबंधक की अध्यक्षता में हुई।

अध्यक्ष ने कहा कि कार्यालयों में राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग और कार्यान्वयन के क्षेत्र में दिन-ब-दिन तेजी लायी जाए। उन्होंने केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों, बैंकों और उपक्रमों के लिए एक-एक रोलिंग शील्ड की व्यवस्था समिति के सदस्यों के सहयोग से की है। उन्होंने रेलवे को और कार्पोरेशन बैंक को कार्यान्वयन के क्षेत्र में अच्छा कार्य करने के लिए शील्ड प्रदान कीं। अध्यक्ष महोदय ने वर्ष 1990-91 का वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने की सलाह दी।

समिति के 47 सदस्यों में से 35 ने भाग लिया।

राजभाषा नीति के कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दे थे कि धारा 3(3) व मूल पत्राचार का लक्ष्य तभी प्राप्त किया जा सकता है जब हिंदी अधिकारी या अनुवादक हो और हुबली में उनके टंककों और स्टैनों को प्रशिक्षण के लिए व्यवस्था हो। विभाग की ओर से इन प्रश्नों पर उनसे यह कहा गया कि धारा 3(3) आदि का अनुपालन मानदेय के आधार पर अनुवाद करवाकर पूरा किया जा सकता है। इसी प्रकार मूल पत्राचार के लक्ष्य को कार्यालय के हिंदी भाषी कर्मचारी तथा हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान रखनेवाले कर्मचारियों को हिन्दी में कार्य करने के लिए प्रेरित कर प्राप्त किया जा सकता है। झिझक को मिटाने के लिए कार्यशालाओं का आयोजन किया जाए और उत्साहवर्धन के लिए पुरस्कार योजना यदि लागू नहीं की गई तो लागू की जाए।

उपस्थित अधिकारियों ने प्रबोध/प्रवीण/प्राज्ञ पाठ्य पुस्तकों की अनुपलब्धता की बात उठाई। हिंदी शिक्षण योजना, बंबई कार्यालय के सहायक निदेशक श्रीमती त्रासी ने इस समस्या को हल करने का आश्वासन दिया।

नराकास, हुबली की बैठक में अनुपस्थित कार्यालयों की सूची :—

1. प्रिंसिपल, नवोदय विद्यालय, धारवाड़।
2. क्षे. प्र. अधिकारी, धारवाड।
3. प्रिंसिपल, केन्द्रीय विद्यालय, हुबली।
4. क्षेत्रीय निदेशक, सेन्ट्रल बोर्ड फॉर वर्कस ऐजूकेशन, हुबली।
5. अधीक्षक, सेन्ट्रल एक्साईज, एंड कस्टम, धारवाड।
6. अधीक्षक, सहायक सेंट्रल इन्टेलिजेन्स, धारवाड।
7. सहायक निरीक्षक, निरीक्षण सहायक आयुक्त, धारवाड।
8. अप्लीटेस, सहायक आयुक्त, इनकमटैक्स, धारवाड।
9. एस्टेट ड्यूटी अधिकारी, इनकम टैक्स, हुबली।
10. अधीक्षक डाक भंडार डिपो, हुबली।
11. शाखा प्रबंधक, जीवन बीमा निगम, हुबली।
12. प्रशासनिक अधिकारी, सेंट्रल एक्साईज/आईडीओ, हुबली।

अनुपस्थित प्रशासनिक प्रधानों की सूची :

1. उप महाप्रबंधक, दूर संचार, हुबली।
2. नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, हुबली (मंडल प्रबंधक)।
3. न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी, हुबली (मंडल प्रबंधक)।
4. भारतीय जीवन बीमा निगम, प्रशा. अधिकारी, धारवाड
5. अधीक्षक केन्द्रीय तारघर हुबली।
6. मंडल प्रबंधक, सिंडिकेट बैंक हुबली।
7. मंडल प्रबंधक, केनरा बैंक, हुबली।

10. गांधीधाम

गांधीधाम और कंडला क्षेत्र में स्थित केन्द्र सरकार के कार्यालयों, बैंकों और तेल कंपनियों आदि में सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में हिन्दी की प्रगति सुनिश्चित करने के लिए गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा कंडला पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष कप्तान एस. के. सोमयाजुलु की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है जिसे नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, गांधीधाम कहा जाता है। इस समिति की वर्ष 1990 की द्वितीय बैठक दिनांक 26 सितम्बर, 1990 को कंडला पोर्ट ट्रस्ट के गांधीधाम स्थित प्रशासनिक कार्यालय में सम्पन्न हुई। इस बैठक में गांधीधाम और कंडला क्षेत्र में स्थित प्रमुख 19 कार्यालयों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

इस अवसर पर कंडला पोर्ट ट्रस्ट के सचिव तथा गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग की हिन्दी शिक्षण योजना के सर्वकार्य प्रभारी अधिकारी श्री ए. एस. केलकर ने सभी प्रतिनिधियों का स्वागत किया और बैठक के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए सभी सदस्यों से अनुरोध किया कि वे हिन्दी को राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित कराने हेतु पूरे मनोयोग से कार्य करें।

तत्पश्चात् समिति के सदस्य सचिव एवं कंडला पोर्ट ट्रस्ट के हिन्दी अधिकारी श्री आर. एन. मिश्र ने समिति की पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों पर विभिन्न कार्यालयों में हुई प्रगति की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने भारत सरकार की राजभाषा नीति, हिन्दी की संवैधानिक स्थिति और भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी सरकारी आदेशों से भी सदस्यों को अवगत कराया।

11. नागपुर (बैंक)

बैंक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की चतुर्थ बैठक दिनांक 20-08-1990 को नागपुर में आयोजित की गयी। बैठक की अध्यक्षता आंचलिक प्रबंधक श्री जयशील यो. दीवानजी ने की। मुख्य अतिथि उपनिदेशक (कार्यान्वयन) श्री कृष्ण ना. मेहता थे। समिति की विशेष अतिथि के रूप में बैंक आफ इंडिया, प्रधान कार्यालय, के उप-महा-प्रबंधक श्री आर. एस. बिड़ीकर पधारे। बैठक तीन घण्टे तक चली जिसके अन्तर्गत राजभाषा कार्यान्वयन हेतु महत्त्वपूर्ण निर्णय लिये गये है, जो निम्नलिखित हैं:—

(क) राजभाषा अधिकारियों को कम्प्यूटर का प्रशिक्षण—

राजभाषा कार्यान्वयन के बढ़ते हुए चरण को देखते हुये यह महसूस किया गया कि राजभाषा अधिकारियों को कम्प्यूटर का प्रशिक्षण दिया जाए। समिति ने यह निर्णय लिया कि अन्य अधिकारियों की भांति राजभाषा अधिकारी को तकनीकी ढंग से सक्षम बनाने हेतु कम्प्यूटर का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

प्रत्येक देशवासी को हिंदी को अपनी मातृभाषा समझना चाहिए तथा उसका गर्वपूर्ण प्रयोग करना चाहिए।

—आर. एस. बिड़ीकर

(ख) बैंकों में केवल द्विभाषिक टाइपिस्ट आशुलिपिक की भर्ती

समिति में यह प्रस्ताव रखा गया कि भारत सरकार के दिशानिर्देश के अन्तर्गत प्रत्येक टाइपिस्ट तथा आशुलिपिक को हिन्दी टाइपिंग तथा हिन्दी आशुलिपि का ज्ञान होना चाहिए। किन्तु यह पाया गया है कि बैंकों में केवल अंग्रेजी टाइपिस्ट/आशुलिपि की भर्ती किये जाते हैं जिन्हें सेवाग्रह के पश्चात् हिन्दी टाइपिंग/आशुलिपि प्रशिक्षण हेतु एक लम्बी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है तथा साथ ही साथ अधिकांश मामलों में हिन्दी टाइपिंग/आशुलिपि के प्रति इनकी उपयोगिता भी सही तौर पर हो नहीं हो पाती। इन सब कठिनाईयों से बचने हेतु तथा राजभाषा कार्यान्वयन को सुचारु रूप से गति प्रदान कर उसे बरकरार रखने हेतु यह आवश्यक है कि बैंक केवल द्विभाषिक टाइपिंग/आशुलिपि मांग करें।

बैंकिंग भरती समूह द्वारा केवल द्विभाषिक टाइपिंग/आशुलिपिक की मांग की जायें तथा यदि हिन्दी टाइपिस्ट/आशुलिपिक उपलब्ध होते हैं तो उन्हें वरीयता प्रदान की जाए।

इस अवसर पर विशेष अतिथि के पद से सम्बोधित करते हुए बैंक ऑफ इंडिया, प्रधान कार्यालय के उप-महाप्रबंधक श्री आर. एस. बिड़ीकर ने कहा कि हिन्दी भाषा के साथ जब तक व्यक्ति का आत्मिक मेल नहीं होता तब तक वह उसे वांछित आदर नहीं दे सकता। **प्रत्येक देशवासी को हिन्दी को अपनी मातृभाषा समझना चाहिए तथा उसका गर्वपूर्ण प्रयोग करना चाहिए।** साथ ही साथ उन्होंने राजभाषा को हिन्दी के कठिन शब्दों से बचने की भी सलाह दिया।

उप-निदेशक (कार्यान्वयन) श्री कृष्ण ना. मेहता ने उदाहरणों तथा तर्कों के द्वारा हिन्दी के महत्त्व, उसके प्रयोग और उसके भावी संभावना के प्रति समिति को पूरी तरह से अवगत कराया।

बैंक ऑफ इंडिया के उप-आंचलिक प्रबंधक श्री एस. सी. सान्याल ने धन्यवाद ज्ञापन के साथ यह बैठक समाप्त हुई।

12. पुणे (बैंक)

पुणे स्थित बैंकों की नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दूसरी बैठक दिनांक 17 जुलाई, 1990 को बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पुणे अंचल के उप महाप्रबंधक की अध्यक्षता में संपन्न हुई।

समिति की सदस्य सचिव डॉ विदुला गोरे ने विभिन्न बैंकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों की समीक्षा प्रस्तुत की और रिपोर्टों में पाई गई कमियों की ओर ध्यान दिलाया।

अध्यक्ष ने कहा कि कम रिपोर्टिंग भी चिंताजनक है। कुल 28 में से 16 बैंकों से रिपोर्टें मिली और 2 बैंकों ने ऐन वक्त पर बैठक से पहले रिपोर्ट दी, यह ठीक नहीं है। रिकार्ड देखने से पता चलता है कि काम तो हुआ है लेकिन रिपोर्टिंग कम होती है। उन्होंने इलाहाबाद बैंक के प्रतिनिधि से पूछा कि क्या आपके यहां हिंदी पत्राचार 0 प्रतिशत है? प्रतिनिधि के 'नहीं' कहने पर अध्यक्ष ने गलत रिपोर्टिंग पर असंतोष व्यक्त किया। उन्होंने यह भी कहा कि आंध्र बैंक, विजया बैंक, स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर, स्टेट बैंक आफ मैसूर बैंकों का हिन्दी पत्राचार बिल्कुल न होना गंभीर रूप से लेना चाहिए। महाराष्ट्र बैंक में भी अभी तक लक्ष्यपूर्ति नहीं हुई है। इसका मतलब है कि हमें और प्रयास करने चाहिए।

हिन्दी शिक्षण योजना की सहायक निदेशक डॉ. श्रीमती दुनाखे ने कहा कि प्रशिक्षण के बारे में आप हमसे

सहायता ले सकते हैं। पत्राचार पाठ्यक्रम से लाभ उठा सकते हैं। हमारी आशुलिपि/टंकण की कक्षाएं हैं, अंशकालिक केन्द्र खुलाए जाते हैं।

नाबार्ड के राजभाषा अधिकारी श्री विष्ट ने पूछा कि इसमें भारतीय रिजर्व बैंक के कृषि बैंकिंग महाविद्यालय पूणे को क्यों नहीं बुलाया जाता? इस पर चर्चा हुई और यह निर्णय किया गया कि भा. रि. बैंक को पत्र लिखकर पूछा जाए।

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के राजभाषा अधिकारी श्री अरोड़ा ने कहा कि क्षेत्रीय कार्यालय को नियंत्रण करने वाले अंचल कार्यालय को भी बैठकों में बुलाया जाए। सचिव डॉ. गोरे ने कहा कि आप से जो कार्यालय के पते मिले हैं, उन्हीं से संपर्क किया जाता है। इस संबंध में फिर से कार्यालयों के नाम और पतों की जानकारी मंगवाने का निर्णय किया गया है।

भारत सरकार के क्षेत्रीय कार्यालय, बम्बई के उप निदेशक (कार्यान्वयन) श्री कृष्ण नारायण मेहता ने रिपोर्टों के संबंध में कहा कि टंकण यंत्रों के अनुपात को पूरा करना चाहिए। इलेक्ट्रानिक टाइपराइटरों की संख्या टंकण यंत्रों की संख्या में नहीं जोड़ी जानी चाहिए। उन्होंने इंडियन बैंक से जानना चाहा कि उनके पास रोमन टाइपराइटरों के अनुपात में एक देवनागरी टाइपराइटर है तो टंकण यंत्रों का अनुपात वे कैसे पूरा करेंगे। साथ ही इंडियन बैंक का हिन्दी पत्राचार 27% है जब कि लक्ष्य 60% है। यह कैसे प्राप्त किया जाएगा? उन्होंने यह भी कहा कि लक्ष्य प्राप्ति पर सार्थक चर्चा बैठक में अपेक्षित है। यदि किसी बैंक ने 80% के करीब कार्य किया है तो अन्य बैंकों के सामने वे अपने द्वारा किए गए प्रयासों पर प्रकाश डालें।

नाबार्ड के श्री गांगुली ने कहा कि कुछ बैंकों में हिंदी टंकक ही नहीं है तो काम कैसे बढ़ेगा? इस पर श्री मेहता ने कहा कि अंग्रेजी टाइपिस्ट को हिन्दी टाइपिंग सिखाई जाए। यदि कोई स्थान रिक्त है तो हिन्दी टाइपिस्टों की भर्ती करा सकते हैं। नई भर्ती के समय 30% हिन्दी टाइपिस्ट होने चाहिएं। हिन्दी टंकक और हिन्दी पत्राचार के अनुपात की विसंगित की ओर भी उन्होंने इशारा किया।

श्री मेहता ने अनिवार्य अपेक्षाओं का पालन न करने पर कर्मचारी की वैयक्तिक फाइल में प्रतिकूल टिप्पणी करने का सरकार का निर्णय अगस्त 89 के परिपत्र में दिया गया है। उन्होंने बैंक ऑफ महाराष्ट्र की पौड़ फाटा शाखा के उत्कृष्ट कामकाज का उल्लेख किया।

13. बोकारो

बोकारो नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 13वीं बैठक दिनांक 24 अगस्त, 1990 को बोकारो इस्पात संयंत्र के अधिशासी निदेशक (परियोजनाएं) श्री मदन गोपाल सिंह की अध्यक्षता में हुई।

बैठक के प्रारम्भ में समिति के सदस्य-सचिव और बोकारो इस्पात संयंत्र के प्रमुख (संपर्क एवं प्रशासन) श्री राभावतार सरीफ ने नये अध्यक्ष अधिशासी निदेशक (परियोजनाएं), श्री सिद्धिनाथ झा, उपनिदेशक (कार्यान्वयन) राजभाषा विभाग, विशिष्ट आमंत्रित अधिकारियों तथा सदस्य संगठनों के उपस्थित प्रतिनिधियों का हार्दिक स्वागत किया। उन्होंने बोकारो स्टील प्लान्ट में हुई हिन्दी की प्रगति के संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि बोकारो स्टील प्लान्ट में 21 कार्य दिवसीय अनुवाद प्रशिक्षण केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो दिल्ली द्वारा संपन्न हुआ जिसके तहत बोकारो स्टील प्लान्ट के 26 कार्मिक तथा बोकारो नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के 5 कार्मिक लाभान्वित हुए। इसके अतिरिक्त बोकारो स्टील प्लान्ट द्वारा हिन्दी आशुलिपि/टंकण प्रशिक्षण, हिन्दी प्रशिक्षण की आन्तरिक व्यवस्था की गई है जिसके अन्तर्गत बोकारो नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सदस्य संगठन के कर्मचारी भी इसमें भाग लेकर प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं।

जानकारी दी गई कि बोकारो स्टील प्लान्ट में हिन्दी टाइपराइटरों की संख्या 186 है। इसके अतिरिक्त 15 द्विभाषी इलैक्ट्रानिक टाइपराइटर, एक हिन्दी चेक राइटर, एक हिन्दी पता लेखी मशीन और एक अपोलो द्विभाषी कम्प्यूटर हिन्दी कार्य के लिये उपयोग में लाये जा रहे हैं।

अध्यक्ष श्री सिंह ने सभी उपस्थित सदस्य संगठनों की अपने-अपने कार्यालयों में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिये प्रोत्साहित करते हुए उन्होंने आश्वस्त किया कि बोकारो स्टील द्वारा चलाई जाने वाली किसी भी प्रशिक्षण योजना में उनके कार्यालय के कर्मचारी को भी प्रशिक्षण प्राप्त करने का यथासंभव सुविधा प्रदान शामिल हैं। अध्यक्ष ने कहा कि प्रत्येक सदस्य-संगठन के कार्यालय में कम से कम एक हिन्दी टाइपराइटर और एक हिन्दी टंकक/आशुलिपिक का होना अत्यावश्यक है।

अन्त में बोकारो स्टील प्लान्ट के प्रबंधक (हिन्दी) योगेन्द्र प्रसाद साहु द्वारा धन्यवाद ज्ञापन हुआ।

14. झांसी

दिनांक 28-6-1990 को श्री चमनलाल काव; मण्डल रेल प्रबंधक, झांसी के अध्यक्षता में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, झांसी की बैठक हुई।

अध्यक्ष श्री काव ने कहा कि सभी केन्द्रीय कार्यालयों/राष्ट्रीयकृत बैंकों/उपक्रमों से प्रगति के जो आंकड़े मंगाये जाते हैं उन्हें देखकर मैं आश्चर्यचकित हूं कि झांसी नगर के कई कार्यालय ऐसे हैं जिनमें 20 से 30% तक हिन्दी में कार्य हो रहा है, जबकि हम "क" क्षेत्र में स्थित हैं और गृह मंत्रालय के आदेशानुसार हिन्दी में कम से कम 70 और 80 प्रतिशत तक कार्य अवश्य ही होना चाहिए।

उन्होंने हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि दिसम्बर, 1989 में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की ओर से तथा सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया के सौजन्य से हिन्दी के प्रचार-प्रसार एवं उसके सभी संवैधानिक पहलुओं, उसकी भावना व राजभाषा नीति को अच्छी तरह समझने के लिये अध्यक्षों/अधिकारियों की एक दिवसीय हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया था जिसमें गृह मंत्रालय से पधारे प्रतिनिधि श्री गुप्ता ने अपने अमूल्य सुझाव दिये थे। इससे निश्चय ही हिन्दी के प्रयोग में बढ़ौतरी हुई होगी। उन्होंने गर्व के साथ सूचित किया कि उनके रेल मंडल में 90% काम हिन्दी में हो रहा है।

निरीक्षण दल ने हिंदी में सबसे अधिक और प्रशंसनीय कार्य करने वाले तीन कार्यालयों को यह चल वैजन्ती प्रदान करने की सिफारिश की है जिसके अनुसार प्रथम चल वैजन्यन्ती इलाहाबाद बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, को द्वितीय चल बैजयन्ती मण्डल रेल प्रबंधक कार्यालय, मध्य रेल, झांसी को तथा तीसरी चल बैजयन्ती क्षेत्रीय कार्यालय, पंजाब नेशनल बैंक, झांसी हैं। अध्यक्ष ने उक्त चल बैजयन्ती घोषित कार्यालय के अधिकारियों को बैठक में प्रदान की।

क्षेत्रीय प्रचार कार्यालय के प्रतिनिधि ने बताया कि उनके यहां निदेशालय से 70% से 80% तक प्रचार एवं विज्ञापन सामग्री अंग्रेजी में आती है जबकि हमारे कार्यालय का संबंध ज्यादातर ग्रामीण अंचलों से है, किन्तु प्रचार सामग्री अंग्रेजी में होने के कारण ग्रामीण तबके के लोग इनका लाभ नहीं उठा पाते।

गृह मंत्रालय के प्रतिनिधि श्री वर्मा ने कहा कि वे इस संबंध में उनके निदेशालय को लिखेंगे। प्रतिनिधि ने बताया कि उनके यहां अभी हाल में एक नए लिपिक की नियुक्ति की गई है जिसे हिन्दी टंकण प्रशिक्षण के लिए भेजने की व्यवस्था की जाएगी। कार्यालय से जनवरी से मार्च, 90 के बीच 86 पत्र भेजे गये जो शत-प्रतिशत हिन्दी में ही भेजे गये हैं। इसके अलावा काफी कार्य हिन्दी में हो रहा है।

भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान, झांसी

डा. भुरी सिंह ने बताया कि उनके यहां कोई भी हिन्दी अधिकारी और हिन्दी सहायक का पद नहीं है, जिस कारण अनुवाद कार्य नहीं हो पा रहा है। अतः हमने कृषि अनुसंधान परिषद को एक-एक हिन्दी अधिकारी/हिन्दी सहायक के पदों की स्वीकृति हेतु पत्र लिखा है। इनकी स्वीकृति मिल जाने एवं पद भर जाने पर हिन्दी कार्य में वृद्धि होगी।

गृह मंत्रालय के प्रतिनिधि ने डा. भूरी सिंह से कहा कि आपके कार्यालय में हिन्दी टंकण एवं आशुलिपि के प्रशिक्षण की स्थिति अच्छी नहीं है। इसमें अवश्य सुधार किया जाए।

मुख्य कारखाना प्रबंधक, झांसी कारखाना, झांसी

प्रतिनिधि ने बताया कि काफी कार्य हिन्दी में हो रहा है तथा केवल एक कर्मचारी ही हिन्दी आशुलिपि प्रशिक्षण के लिए शेष है, जिसे अगले प्रशिक्षण सत्र में सम्मिलित कर परीक्षा में बैठाया जायेगा।

मण्डल लेखा परीक्षा कार्यालय, मध्य रेल, झांसी

अध्यक्ष ने कहा कि आपके यहां के दोनों कार्यालयों की हिन्दी प्रगति की स्थिति काफी खराब है इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है।

प्रतिनिधि ने कहा कि अच्छी प्रगति करेंगे।

गृह मंत्रालय के प्रतिनिधि ने कहा कि आप अपने कार्यालय से आडिट रिपोर्ट हिन्दी में भेज सकते हैं। इससे अन्य कार्यालयों की हिन्दी प्रगति का जायजा भी लिया जा सकता है।

इण्डियन ओवरसीज बैंक, झांसी

हमारे कार्यालय से मुख्य कार्यालय, मद्रास को अधिकांश पत्र अंग्रेजी में भेजे जाते हैं जबकि "क" व "ख" क्षेत्र में स्थित कार्यालयों को पत्र हिन्दी में भेजे जाते हैं। मुख्य कार्यालय, मद्रास से सभी पत्र केवल अंग्रेजी में प्राप्त होते हैं।

इलाहाबाद बैंक आॅफ इण्डिया झांसी

हमारे यहां टाइपराइटरों का प्रतिशत 50 रखा गया है और 1990-91 में इसे 60% कर दिया गया है जबकि पत्राचार में 90% का लक्ष्य रखा गया है।

गृह मंत्रालय के प्रतिनिधि ने कहा कि यह सीमा बढ़ायी जा सकती है। आप सही आंकड़े दें और इसका प्रतिशत बढ़ाया जाय।

क्षेत्रीय आयुर्वेद संस्थान, झांसी

प्रतिनिधि ने बताया कि उनके यहां टाइपिस्ट का कोई भी पद सृजित नहीं है और न ही टाइपराइटर की व्यवस्था है, फिर भी काफी कार्य हिन्दी में हो रहा है और अगली बैठक में अच्छी प्रगति देंगे।

केन्द्रीय विद्यालय नं. 1, झांसी केन्ट

टाइपिस्ट की कमी है जिस कारण हिन्दी की प्रगति अच्छी नहीं है और जुलाई, 90 से प्रारम्भ होने वाली हिन्दी टंकण एवं आशुलिपि प्रशिक्षण कक्षा में एक-एक कर्मचारी इस कक्षा

में नामित किया है। प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद इन कर्मचारियों से हिन्दी टंकण एवं आशुलिपि का कार्य लिया जाएगा जिससे अवश्य ही हिन्दी की अच्छी होगी।

केन्द्रीय विद्यालय नं. 2, झांसी कैन्ट

क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली-भोपाल से जो आदेश प्राप्त होते हैं उन आदेशों का उत्तर अधिकांशतः हिन्दी में दिया जाता है, जबकि इन कार्यालयों से आदेश अंग्रेजी में प्राप्त होते हैं। किन्तु छात्रों के अभिभावक रक्षा विभाग से सम्बन्धित हैं चूंकि उन्हें हिन्दी समझ में नहीं आती अतः उन्हें पत्र अंग्रेजी में जारी किए जाते हैं।

गृह मंत्रालय के प्रतिनिधि ने कहा कि आप आदेशों का पालन करें अर्थात् अपने माध्यम से सभी पत्र हिन्दी में जारी करें। ऐसी बात नहीं है कि रक्षा विभाग से संबधित व्यक्ति इन्हें न समझ सकें। अतः सुझाव है कि अभिभाविकों को सारे पत्र हिन्दी में ही जारी करें।

केन्द्रीय विद्यालय नं. 3, झांसी

हमारे यहां एक टाइपराइटर हिन्दी का उपलब्ध है किन्तु टाइपिस्ट नहीं है। एक-दो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हिन्दी टाइपिंग जानते हैं। अपने व्यवहार से उनसे हिन्दी टंकण का कार्य करवा लेते हैं। प्रयास है कि अधिक से अधिक हिन्दी का प्रयोग करें।

गृह मंत्रालय के प्रतिनिधि ने कहा कि प्रयास सराहनीय हैं किन्तु किसी तृतीय श्रेणी कर्मचारी को हिन्दी टंकण प्रशिक्षण दिलाए और उनसे कार्य लें। इससे हिन्दी प्रयोग की अच्छी प्रगति होगी।

भारतीय खाद्य निगम, झांसी

हमारे यहां क्षेत्रीय कार्यालय और प्रधान कार्यालय पत्र अंग्रेजी में आते थे किन्तु अब उनसे काफी पत्र हिन्दी में आने लगे हैं।

प्रवर अधीक्षक, डाकघर, झांसी

कार्यालय में एक टाइपिस्ट था जो सेवा निवृत्त हो गया है और अभी तक यह पद रिक्त पड़ा हुआ है जिससे हिन्दी प्रयोग की प्रगति में कमी आई है। पद को भरने की कार्रवाई चल रही है।

भारतीय स्टेट बैंक, झांसी

प्रतिनिधि ने बताया कि भारतीय स्टेट बैंक की अनेक शाखाएं झांसी में स्थित हैं किन्तु क्षेत्रीय कार्यालय न होने के कारण नियंत्रण ठीक तरह से नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में हमें हिन्दी कार्य अपने कार्य के अतिरिक्त करना पड़ता है और हिन्दी अधिकारी का भी कोई पद सृजित नहीं हैं। इस कारण अंग्रेजी पत्राचार ज्यादा है। यदि क्षेत्रीय कार्यालय खुल जाय तो हिन्दी की अच्छी प्रगति हो सकती है।

गृह मंत्रालय के प्रतिनिधि ने बताया कि इस सम्बन्ध में अपने मुख्यालय को पत्र लिखकर उसकी प्रति हमें दें जिससे कार्रवाई की जा सकें।

रेल डाक व्यवस्था "एक्स" मण्डल, झांसी

प्रवर अधीक्षक डाकघर तथा रेल डाक व्यवस्था के लिए एक संयुक्त अनुवादक का पद स्वीकृत किया गया है किन्तु उसे अभी तक भरा नहीं गया।

गृह मंत्रालय के प्रतिनिधि ने कहा कि आप अपने निदेशालय को इसे भरने हेतु पत्र लिखें और प्रति हमें दें ताकि कार्रवाई की जा सकें।

निदेशालय में 99% परिपत्र आदि अंग्रेजी में प्राप्त होते है जिससे हिन्दी प्रगति में वृद्धि नही हो पा रही है।

सीमा शुल्क कार्यालय, झांसी

कार्यालय में सारे पत्र अंग्रेजी में आते हैं हिन्दी पत्रों का उत्तर हिन्दी में दिया जाता है।

गृह मंत्रायलय के प्रतिनिधि ने कहा कि हिन्दी में कार्य बढ़ाने का प्रयास अपने स्तर से करना चाहिए।

इफको कार्यालय, झांसी

प्रतिनिधि ने कहा कि टाइपिस्ट हैं और टाइपराइटर नहीं है जिसकी बजह से प्रगति अधिक नहीं हो पा रही है।

स्थानीय लेखा परीक्षा कार्यालय, झांसी :

सेना से संबंधित पत्र अंग्रेजी में आते हैं। प्रयास है कि उन सभी पत्रों का उत्तर हिन्दी में ही दें किन्तु टाइपराइटर न होने की वजह से यह सम्भव नहीं हो पा रहा है।

भारतीय जीवन बीमा निगम, झांसी

प्रतिनिधि ने बताया कि हमारे यहां काफी कार्य हिन्दी में हो रहा है मात्र कुछ ही कार्य हम हिन्दी में नहीं कर पा रहे हैं अभी तक आडिट रिपोर्ट हम हिन्दी में नहीं कर सकें किन्तु द्विभाषी करने के प्रयास करेंगे।

श्री दत्तात्रेय नारायण गोस्वामी, प्रतिनिधि सदस्य, के. सचि. हि. परि. दिल्ली ने कहा कि—

डाकतार विभाग के उच्च कार्यालयों से लगभग सभी पत्र अंग्रेजी में प्राप्त होते हैं (जिससे अधीनस्थ कार्यालयों में अनुवाद के अभाव में या शब्दों की सही जानकारी न होने से अंग्रेजी के ही पत्र अग्रसारित कर दिये जाते हैं।

अवर अधीक्षक डाकघर, झांसी के यहां हिन्दी टंकक का पद काफी अरसे से रिक्त पड़ा है।

अधीक्षक रेल डाक व्यवस्था झांसी ने डाक महाध्यक्ष, लखनऊ को दो हिन्दी टंकण मशीनें खरीदने हेतु स्वीकृति मांगी थी जबकि अंग्रेजी की चार मशीनें है। परन्तु डाक महाध्यक्ष, लखनऊ द्वारा स्वीकृति नहीं भेजी गई।

प्रवर अधीक्षक डाक, झांसी एवं अधीक्षक, रेल डाक व्यवस्था, झांसी के कार्यालयों हेतु संयुक्त अनुवादक (हिन्दी) का स्वीकृत पद अभी तक रिक्त पड़ा है।

झांसी स्थित लगभग सभी केन्द्रीय कार्यालयों से सेवायोजन कार्यालय, झांसी को नियम 4 (डिमान्ड लेटर) का प्रपत्र अंग्रेजी में भरकर भेजा जाता है तथा पत्राचार भी अंग्रेजी में किया जाता है।

रेल मण्डल कार्यालय, झांसी में अंग्रेजी के कम्प्यूटर आ जाने से जहां संबंधित शाखाओं/अनुभागों में कार्य हिन्दी में हो रहा था वहां अंग्रेजी में होने लगा है।

मण्डल रेल प्रबन्धक के प्रचालन अनुभाग में एक हिन्दी टाइपिस्ट का पद काफी अरसे लगभग डेढ़-दो वर्ष, से रिक्त पड़ा है जिसे भरा जाना चाहिए।

मध्य रेल, झांसी कार्यालय के कुछ वाहनों (जीप-कारों) पर पदनाम पट्ट अभी भी अंग्रेजी में लिखे हुए हैं जिन्हें शीघ्र हिन्दी में करवाने की व्यवस्था की जाए।

निरीक्षण दल के सदस्य को परिचय पत्र दिया जाना चाहिए। जिससे उन्हें कार्यालय प्रवेश अथवा अन्य बाधा निरीक्षण/जानकारी लेने में न हो। क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न दो-एक कार्यालयों में उठ चुके हैं। निरीक्षण दल को निरीक्षण हेतु समय-समय पर वाहन उपलब्ध किया जाना चाहिए।

श्री नाहर सिंह वर्मा, उप निदेशक (का.) क्षेत्रीय कार्यालय गाजियाबाद ने कहा कि इस बैठक की उपस्थिति बहुत ही अच्छी और सराहनीय है तथा अच्छा कार्य हो रहा है।

अन्त में रा.च. धमनियां, सचिव न.रा.का.स. एवं राजभाषा अधिकारी, मण्डल रेल प्रबंधक कार्यालय, झांसी ने सभी उपस्थित सदस्यों का आभार व्यक्त किया।

15. भोपाल

बैंक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 13वीं बैठक दिनांक 25 अगस्त 1990 को भोपाल में सम्पन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता संयोजक बैंक के महाप्रबंधक श्री एम.जी. कर्णिक ने की।

संयोजक बैंक के उपमहाप्रबंधक श्री विद्याशंकर त्रोबे ने अध्यक्ष, भारत सरकार के प्रतिनिधि श्री चन्द्रगोपाल शर्मा सहित सभी आगन्तुकों का स्वागत करते हुए समिति के पूर्व अध्यक्ष श्री एस. सुब्रमण्यम् की सेवाओं का विशेष उल्लेख किया।

अध्यक्ष श्री एम.जी. कर्णिक ने कहा इस बैठक की अध्यक्षता को मैं अपना सौभाग्य समझता हूं। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश जैसे प्रदेश में बढ़ते हुए हिन्दी प्रयोग का प्रभाव बम्बई आदि पर पड़ेगा तथा हिन्दी प्रयोग का चहुमुखी विकास संभव हो सकेगा।

भारत सरकार के प्रतिनिधि श्री चन्द्रगोपाल शर्मा ने समिति के कार्यकलापों पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि चूंकि भोपाल में अधिकांश बैंकों के प्रशासनिक कार्यालय हैं इसलिए यहां के निर्णय समग्र मध्य प्रदेश को प्रभावित करेंगे तथा पूरे प्रदेश में सरकार की भाषा नीति का कार्यान्वयन सुचारु रूप से किया जा सकेगा।

उन्होंने राजभाषा नियम 5 एवं 7 के पालन पर विशेष जोर दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि वार्षिक कार्यान्वयन कार्यक्रम में पत्राचार का लक्ष्य 90 प्रतिशत रखा गया है तथा जहां पर इस लक्ष्य की प्राप्ति की गयी उनसे यह अपेक्षा है कि वे और आगे बढ़कर कार्य करें। उन्होंने बताया कि हिन्दी में तार भेजने का लक्ष्य 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दिया गया है।

संयोजक बैंक के मुख्यप्रबंधक श्री रा.वी. तिवारी ने बताया कि हिन्दी भाषा में समग्र देश को एकता के सूत्र में बांधने की तात्विक शक्ति है। इसलिए और भी आवश्यक है कि इसके प्रचार प्रसार पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाए।

1. प्रशिक्षकों के लिए विशेष हिन्दी कार्यशाला

पिछली प्रशिक्षण संगोष्ठी के अनुभवों एवं सुझावों के आधार पर यह निश्चित किया गया कि भोपाल में कार्यरत सभी प्रशिक्षण अधिकारियों के लिए एक लघु प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाए।

समिति के सदस्यों को भारत सरकार के फिल्म विभाग द्वारा राजभाषा हिन्दी के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालने वाले कुछ वृत्त चित्रों के संबंध में सूचित किया गया। इस वृत्त चित्रों का विवरण एवं संशोधित मूल्य निम्न प्रकार से हैं :—

फिल्म	अवधि	मूल्य रु.
उदयांजलि	20 मिनट	130.00
एकता का पर्व	12 मिनट	130.00
हिन्दी सब संसार	21 मिनट	225.00
हिन्दी की वाणी	47 मिनट	225.00
देश की वाणी	20 मिनट	130.00
उक्त पांच फिल्मों का एक कैसेट		350.00

संयोजक बैंक के केन्द्रीय कार्यालय के सौजन्य से आगामी कार्यक्रम में इन वृत्त चित्रों को दिखाया जाएगा।

अन्तर बैंक प्रतियोगिताओं का आयोजन

अन्तर बैंक प्रतियोगिताओं के आयोजन के संबंध सदस्य बैंकों ने निम्न प्रकार से अपने अपने उत्तरदायित्व स्वीकार किए :—

1. कार्यपालकों के लिए टिप्पण प्रतियोगिता	—सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
2. बैंक कर्मचारियों के बच्चों के लिए निबंध प्रतियोगिता	—सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
3. वादविवाद प्रतियोगिता	—स्टेट बैंक ऑफ इंदौर
4. तात्कालिक भाषण प्रतियोगिता	—देना बैंक
5. हिन्दी साहित्य सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता	—बैंक ऑफ बड़ौदा
6. महिला कर्मचारियों एवं कर्मचारियों के परिवार की महिलाओं के लिए हिन्दी उदाहरण कढ़ाई प्रतियोगिता	—यूको बैंक
7. सुलेख प्रतियोगिता	—पंजाब एण्ड सिंध बैंक
8. हिन्दी टंकण प्रतियोगिता	—बैंक ऑफ इंडिया
9. अनुवाद प्रतियोगिता	—पंजाब नेशनल बैंक
10. स्वरचित काव्य प्रतियोगिता	—बैंक ऑफ महाराष्ट्र
11. निबंध प्रतियोगिता	—न्यू बैंक ऑफ इंडिया
12. प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता	—बैंक ऑफ इंडिया
13. कहानीलेखन प्रतियोगिता	—इलाहाबाद बैंक

3. अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रम

पिछले अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रम से प्राप्त लाभों को ध्यान में रखते हुए निश्चित किया गया कि पुनः इसी प्रकार का कार्यक्रम भारत सरकार के अनुवाद ब्यूरो की सहायता से चलाया जाये। जिनको अभी तक अनुवाद के लिए प्रशिक्षित नहीं किया गया है, उन्हें ही इस कार्यक्रम में प्रशिक्षण प्रदान किया जाये।

समिति ने सभी सदस्यों से अपेक्षा की कि वे अपने अपने अन्तर्गत के कार्यालयों में इसका पालन सुनिश्चित करें। भारत सरकार के उपनिदेशक ने सभी सदस्यों का ध्यान हिन्दी टाइप मशीनों, टंककों तथा तार एवं टेलेक्स के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए विशेष रूप से आकर्षित किया।

द्विभाषिक टेलेक्स मशीनें लगाने के संबंध में समिति ने गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग से अनुरोध किया कि वे दूरसंचार विभाग से मिलकर इस समस्या के समाधान के प्रयास करें। यदि आवश्यकता समझी जाये तो उपनिदेशक (कार्यान्वयन) के नेतृत्व में एक प्रतिनधि मण्डल दूरसंचार महानिदेशक से मिले तथा द्विभाषी टेलेक्सों की व्यवस्था के प्रयास किये जायें। उपनिदेशक महोदय ने आश्वासन दिया कि कार्यालयों की समिति की बैठक में वे दूरसंचार विभाग के प्रतिनिधियों से इस संबंध में चर्चा करेंगे।

4. हिन्दी शिक्षण केन्द्र

सदस्य बैंकों से प्राप्त सूचना के आधार पर लगभग 533 कर्मचारियों को हिन्दी प्रशिक्षण की आवश्यकता है। कार्यसाधक ज्ञान की नवीन परिभाषा के आधार पर इस संख्या में और भी वृद्धि होने की संभावना है। समिति का प्रस्ताव था कि भोपाल में सरकार का हिन्दी प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किया जाना चाहिए। समिति ने उपनिदेशक (का) से भी इस संबंध में उचित कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया।

5. राजभाषा अधिकारियों की संगोष्ठी

पिछले राजभाषा कार्यान्वयन संगोष्ठी के परिणामों को ध्यान में रखते हुए समिति ने पुनः राजभाषा अधिकारियों की संगोष्ठी आयोजित करने का निश्चय किया।

16. जबलपुर (बैंक)

"बैंकों की नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति" की नौवीं बैठक दिनांक 9 जून 1990 को सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया रायपुर अंचल के आंचलिक प्रबन्धक डा० एस० बी० वायसे की अध्यक्षता में हुई। उक्त बैठक के मुख्य अतिथि (बैंकिंग प्रभाग) के उपनिदेशक श्री दर्शन सिंह जग्गी तथा विशेष अतिथि उपनिदेशक (कार्या) श्री चन्द्र गोपाल शर्मा, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के श्री रा.वि. तिवारी (मुख्य प्रबन्धक, राज भाषा), उपस्थित थे।

श्री जयकृष्ण टण्डन द्वारा मुख्य अतिथि, अध्यक्ष एवं विशेष अतिथियों का स्वागत किया गया।

श्री रा.वि. तिवारी ने जबलपुर नगर में बैंकों की नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के कार्यों की सराहना करते हुए बताया कि अल्प समय में समिति ने राजभाषा कार्यान्वयन की दिशा में अच्छे प्रयास किये हैं।

श्री चन्द्रगोपाल शर्मा उपनिदेशक, (कार्यान्वयन), भोपाल ने राजभाषा कार्यान्वयन के विधिक पक्षों, सरकार के वार्षिक कार्यक्रमों में निर्धारित विभिन्न लक्ष्यों पर प्रकाश डाला।

प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा:—सदस्य सचिव श्री संजय देवरस ने सभी बैंकों से प्राप्त प्रगति रिपोर्ट के संगेकित आंकड़े रखे। धारा 3.3 का मात्र 6 बैंकों ने पूर्णतः अनुपालन किया है,

जबकि 3 बैंकों ने इस विषय में पालन नहीं किया है—ये बैंक ओरिएन्टल बैंक ऑफ कामर्स, कारपोरेशन बैंक, इलाहाबाद बैंक हैं, शेष 13 बैंकों ने इस मद में सूचना प्रस्तुत नहीं की। श्री जग्गी ने धारा 3.3 की प्राथमिक आवश्यकता पर बल दिया। श्री तिवारी ने राजभाषा अधिनियम व धारा 3.3 नियम 5 आदि विषयक जानकारी सदस्यों को दिये जाने हेतु एक दिवसीय कार्यशाला की आवश्यकता प्रतिपादित की।

प्राप्त हिन्दी पत्रों के उत्तर हिन्दी में दिये जाने की मद में 3 बैंकों ने पालन नहीं किया है, ये बैंक क्रमशः बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक एवं यूको बैंक है। इनसे अविलम्ब सुधार की अपेक्षा की गयी। कुल 71026 हिन्दी पत्रों में 49894 पत्रों के उत्तर हिन्दी में दिए गए, जबकि 3 चूककर्ता बैंकों ने 936 पत्रों के उत्तर अंग्रेजी में दिए। शेष 20196 पत्र फाइल किए गए।

कार्यालयों से उद्गमित पत्राचारों में कुल 1,74,520 पत्रों में से 1,52,787 पत्र हिन्दी में व 21,733 पत्र अंग्रेजी में जारी किए गए, इस प्रकार हिन्दी पत्रों का प्रतिशत 87.5% हो गया। पूर्व की अपेक्षा इस में 2.04 की वृद्धि हुई। कुछ बैंकों के पत्राचार में काफी गिरावट आई, जबकि कुछ में उल्लेखनीय सुधार आया। समिति के सदस्यों को पत्राचारों में गिरावट के प्रति सावधानी बरतने की अपील की गयी। तारों के प्रतिशत में भी 8.43% की उल्लेखनीय अभिवृद्धि नोट की गई। इस प्रकार तारों का संकल प्रतिशत 65% हो गया है, जबकि पूर्व में 56.57% था। इस प्रकार पत्राचार व तारों की दिशा में बैंकों द्वारा अच्छे प्रयास किये गये ;।

अनुपस्थित सदस्यों की सूची :—

1. इंडियन ओवरसीज बैंक
2. देना बैंक
3. आन्ध्रा बैंक
4. ओरि. बैंक आफ कामर्स
5. यूनाइटेड बैंक
6. स्टेट बैंक आफ इंदौर
7. बैंक आफ इंडिया
8. केनरा बैंक
9. इलाहाबाद बैंक
10. यूनियन बैंक आफ इंडिया
11. न्यू बैंक आफ इंडिया
12. कारपोरेशन बैंक
13. महाकौशल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

17. इंदौर

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, इन्दौर की 12वीं बैठक सहकारी प्रशिक्षण महाविद्यालय, इन्दौर में 27 जुलाई, 1990 को समिति के अध्यक्ष श्री बालकृष्ण अग्रवाल, समाहर्ता, केन्द्रीय उत्पाद एवम् सीमाशुल्क, मध्यप्रदेश की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई।

इस बैठक में राजभाषा विभाग के प्रतिनिधि अधिकारी के रूप में श्री चंद्रगोपाल शर्मा, उपनिदेशक (कार्यान्वयन) मध्य-क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल भी शामिल हुए।

विभागीय हिन्दी-पत्रिकाओं का प्रकाशन

समिति को बतलाया गया कि राजभाषा हिन्दी की प्रगति में उसके प्रचार-प्रसार का भी अपना महत्व है। इस समय नगर समिति के लगभग 57 सदस्य-कार्यालयों में से केवल 10 कार्यालयों द्वारा विभागीय हिन्दी पत्रिकाओं का प्रकाशन किया जाता है।

अतः सभी सदस्य-कार्यालयों से अनुरोध है कि वे अपनी वित्तीय-सीमाओं के तहत "हिन्दी-पत्रिका" के प्रकाशन की दिशा में आवश्यक कदम उठाएं।

वर्ष 1989 के दौरान राजभाषा हिन्दी में सर्वोत्कृष्ट कार्य-निष्पादन के लिए **प्रथम पुरस्कार आकाशवाणी, इन्दौर** को प्राप्त हुआ। अध्यक्ष श्री बालकृष्ण अग्रवाल ने आकाशवाणी के सहायक केन्द्र निदेशक कु. दीपा चन्द्रा को चलवैजयन्ती (रनिंग शील्ड) कप तथा प्रशस्ति-पत्र प्रदान किया। **सरकारी प्रशिक्षण महाविद्यालय, इन्दौर को द्वितीय तथा कर्मचारी राज्य बीमा निगम कार्यालय इन्दौर को तृतीय पुरस्कार** से सम्मानित किया गया। तत्पश्चात् राजभाषा हिन्दी के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य-निष्पादन के लिए निम्नलिखित 5 कार्यालयों को श्री चन्द्रगोपाल शर्मा, उपनिदेशक (कार्यान्वयन) राजभाषा विभाग मध्य क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल द्वारा विशेष प्रोत्साहन पुरस्कार स्वरूप प्रतीक-चिह्न तथा प्रशस्ति-पत्र प्रदान किए गए :—

1. नेशनल टेक्सटाइल कार्पोरेशन इन्दौर।
2. जिला प्रबन्धक, दूर संचार, इन्दौर।
3. लघु उद्योग सेवा संस्थान, इन्दौर।
4. क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, इन्दौर।
5. केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा-शुल्क, मुख्यालय, इन्दौर।

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	लक्ष्य-क, ख क्षेत्र–100% ग क्षेत्र–20% वर्ष 1989 में जारी पत्राचार				तार-लक्ष्य 40% हिंदी में वर्ष 1989 में जारी तार का %			
		हिंदी में	अंग्रेजी में	कुल	हिंदी पत्रों का %	हिंदी	अंग्रेजी	कुल	हिंदी तारों
1.	आकाशवाणी, इंदौर	25204	4566	29770	85%	958	445	1403	68%
2.	सहकारी प्रशिक्षण महा.	5667	103	5770	98%	57	—	57	100%
3.	कर्मचारी रा. बी. निगम	22522	5283	27805	81%	63	17	80	79%
4.	नेशनल टैक्सटाईल कार्पो.	13633	10797	24430	56%	113	873	986	11%
5.	जिला प्रबंधक, दूरसंचार	26096	11005	37101	70%		तार टैलेक्स से भेजे जाते हैं		
6.	लघु उद्योग सेवा संस्थान	10450	6673	17123	61%	68	80	148	46%
7.	क्षेत्रीय भ. नि. आयुक्त	87416	4333	91749	95%	272	87	359	76%
8.	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मुख्या.	12440	36493	160933	77%	808	2518	3726	24%
9.	केन्द्रीय विद्यालय, क्र मांक-1	100	600	700	14%	5	10	15	33%
10.	के. उ. शु. सी. श. मंडल-1	4226	10627	14853	28%	1	57	58	2%
11.	भा. जीवनबीमा निगम	6539	7027	13566	48%	360	439	799	45%
12.	ओरिएण्टल इंश्योरैंस कं.	6175	407	6582	94%	619	300	19	67%
13.	निदेशक, डाक सेवाएं	58312	14386	72698	80%	293	141	434	68%
14.	परियोजना मूल्यांकन कार्या.	19	330	349	5%	—	—	—	—
15.	पत्र सूचना कार्यालय	1529	—	1529	100%	—	—	—	—
16.	प्रवर अधीक्षक, डाकघर	23056	2484	25540	90%	207	17	224	92%
17.	सरकारी परिसमक कार्यालय	182	1078	1260	14%	—	—	—	—
18.	भारतीय सर्वेक्षण विभाग	687	2928	3615	19%	11	15	26	42%
19.	राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधि.	1350	2580	3930	34%	—	—	—	
20.	आयकर अपीलीय अधिकरण	4557	1198	5705	80%	4	10	14	29%
	योग:	422160	122848	545008	77%	3839	5009	8848	43%

18. ग्वालियर

दिनांक 4 सितम्बर, 1990 को श्री रमेश चन्द्र महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, म.प्र. की अध्यक्षता में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की अर्द्धवार्षिक बैठक "लेखा भवन" में हुई। बैठक में ग्वालियर नगर के केन्द्रीय कार्यालयों, बैंकों और सार्वजनिक उपक्रमों के लगभग 65 प्रतिनिधि उपस्थित हुए। बैठक में मार्च, 1990 एवं जून, 1990 को समाप्त होने वाले तिमाही प्रतिवेदनों की समीक्षा की गई। अध्यक्ष श्री रमेश चन्द्र ने ग्वालियर नगर के विभिन्न कार्यालयों, बैंकों और सार्वजनिक उपक्रमों में हिंदी के प्रगामी प्रयोग पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि हिंदी को राजभाषा के रूप में स्थान देने के लिये अभी और अधिक प्रयत्न किए जाने चाहिए। वर्ष 1988-89 हेतु क्षेत्रीय कार्यालय सेंट्रल बैंक आफ इंडिया, ग्वालियर को उनके राजभाषा अधिनियम एवं वर्ष 1988-89 के वार्षिक कार्यक्रम के अधिकाधिक अनुपालन किए जाने के फलस्वरूप अध्यक्ष श्री रमेश चन्द्र द्वारा नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा संस्थापित चल वैजयन्ती श्री आर. के. नागपाल, क्षेत्रीय प्रबंधक सेंट्रल बैंक आफ इंडिया को दी गई। क्षेत्रीय प्रबंधक श्री आर. के. नागपाल ने चल वैजयन्ती प्राप्त करते हुए संकल्प किया कि उनका कार्यालय हिंदी के प्रयोग हेतु शेष आयाम भी प्राप्त करने का प्रयत्न करेगा।

19. मेरठ

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, मेरठ की 16वीं बैठक ता. 28-8-90 को आयकर भवन, में श्री राजेंद्र कुमार मल्होत्रा, आयकर आयुक्त की अध्यक्षता में हुई। बैठक में 67 सदस्य कार्यालयों में से 32 सदस्य कार्यालयों के 46 प्रतिनिधि उपस्थित थे।

अध्यक्ष श्री राजेंद्र कुमार मल्होत्रा ने कहा कि हिंदी को मन से अपनाना चाहिए। आजादी के 40 वर्ष बाद भी हमें हिंदी को प्रोत्साहन देने के लिए बैठक और समारोह करने

पड़ते हैं। यदि हम दृढ़ निश्चय के साथ और अपनेपन की भावना से सरकारी कामकाज हिंदी में करें तो कोई भी बाधा हमें प्रगति के पथ से डिगा नहीं सकती। उन्होंने हिंदी के उत्थान के लिए सुझाव दिया कि नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, मेरठ के सभी सदस्य कार्यालयों की संयुक्त रूप से प्रतियोगिताओं, हिंदी दिवस तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होना चाहिए। वर्ष के दौरान सर्वश्रेष्ठ कार्य निष्पादन वाले कार्यालय के लिए इस समिति की ओर से शील्ड योजना चालू किए जाने पर भी उन्होंने बल दिया। इस संबंध में नियम व शर्त निर्धारण के लिए एक उप समिति बनाने का निश्चय हुआ। उन्होंने कहा कि सभी विभाग हिंदी सप्ताह भले ही अलग-अलग मनाएं, मगर हिंदी दिवस सामूहिक रूप से से इस समिति के तत्वाधान में मनाया जाना चाहिए।

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक का संचालन करते हुए (बाएं से) श्री हरिशंकर सिंह, अध्यक्ष—श्री राजेन्द्र कुमार मल्होत्रा, आयकर आयुक्त, राजभाषा विभाग के प्रतिनिधि श्री डी. पी. बंदूनी तथा आयकर उपायुक्त श्री अजेश गुप्ता।

सदस्य सचिव श्री हरि शंकर सिंह ने बताया कि हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत आगामी सत्र से मेरठ नगर में अंशकालिक हिंदी टंकण और हिंदी आशुलिपि प्रशिक्षण केन्द्र शुरू किया जा रहा है। इस प्रशिक्षण केन्द्र में केन्द्र सरकार के कार्यालयों, राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा उपक्रमों के कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध होगी। उन्होंने वार्षिक कार्यक्रम (1990-91) में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए हर संभव प्रयास करने का अनुरोध किया।

श्री डी.पी. बंदूनी सहायक निदेशक (का.) राजभाषा विभाग ने तिमाही प्रगति रिपोर्टों की समीक्षा की और जिन कार्यालयों की रिपोर्ट में कमी पाई गई, उनकी ओर ध्यान आकृष्ट कराते हुए उसे दूर करने को कहा। अधिकांश कार्यालयों की प्रगति संतोषजनक थी और श्री बंदूनी ने ऐसे कार्यालयों के हिंदी कार्य की प्रगति की प्रशंसा की। उन्होंने राजभाषा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए इसके सांविधानिक स्थिति की जानकारी कराई। उन्होंने कहा कि हिंदी को लागू किए जाने को लेकर कोई विवाद पैदा नहीं करना है, बल्कि स्वेच्छा से ही इसका प्रयोग करना है। तभी हिंदी धीरे-धीरे अपना दर्जा पा सकेगी।

20. आगरा

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति आगरा की 18वीं बैठक 18-7-1990 को आयकर आयुक्त श्री एस. सी. नागपाल की अध्यक्षता में आयोजित की गई। जिसमें आगरा स्थित केन्द्र सरकार ने कार्यालयों, बैंकों, निगमों, एवं उपक्रमों के विभागाध्यक्षों एवं प्रतिनिधियों ने भाग लिया। राजभाषा विभाग के उपसचिव (कार्यान्वयन) श्री भगवान दास पटैरिया, और सहायक निदेशक (कार्यान्वयन) श्री डी. पी. बंदूनी (क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय) भी उपस्थित थे।

धारा 3(3) का अनुपालन

सदस्य सचिव ने बताया कि निम्नलिखित कार्यालयों में धारा 3(3) के अंतर्गत उल्लिखित कुछ कागजात केवल अंग्रेजी में जारी किये गये हैं, जो राजभाषा अधिनियम का उल्लंघन है। ये कार्यालय हैं—(1) कार्यालय उप मुख्यविस्फोटक नियंत्रण, (2) कार्यालय आकाशवाणी, (3) कार्यालय हवाई वितरण अनुसंधान एवं विकास संस्थापन, (4) दि ओरिटंरल इंश्योरेंस मंडल कार्यालय, (5) राष्ट्रीय बीज निगम, (6) कार्यालय केन्द्रीय भूमि एवं जल संरक्षण, (7) भारतीय जीवन बीमा निगम, (8) कार्यालय निर्यात निरीक्षण अभिकरण। (9) कार्यालय दूर संचार विभाग, (10) केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा केन्द्रीय, (11) दि ओरियंटल इंश्योरेंस कं. मंडलीय कार्यालय प्रथम, (12) कायालय भविष्य निर्वाह निधि, (13) कार्यालय केन्द्रीय आयुध भंडार।

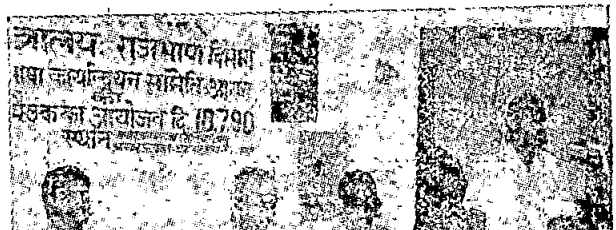

बैठक को सम्बोधित करते हुए राजभाषा विभाग के उप सचिव (कार्या.) श्री भगवान दास पटैरया साथ में (बाएं) से श्री एम.आर. सकलानी, अध्यक्ष नराकास श्री एस.सी. नागपाल, आयकर आयुक्त तथा श्री डी.पी. बंदूनी।

सदस्य सचिव ने बताया कि हिंदी कार्यान्वयन के सर्व श्रेष्ठ निष्पादन हेतु नगर स्तर पर समिति की ओर से एक शील्ड योजना कई वर्षों से चल रही है। शील्ड का वितरण निम्नवत् है।

कार्यालय	स्थान
केन्द्र सरकार के कार्यालय	
(1) आयकर आयुक्त कार्यालय	प्रथम नगर राजभाषा शील्ड
(2) राष्ट्रीय बचत कार्यालय	द्वितीय, नगर राजभाषा कप.
(3) केन्द्रीय जल आयोग	तृतीय, प्रमाण-पत्र
राष्ट्रीयकृत बैंक	
(1) सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ख. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	प्रथम नगर राजभाषा शील्ड संयुक्त रूप सें
(2) सिन्डी केट बैंक	द्वितीय, नगर राजभाषा कप.
(3) पंजाब नेशनल बैंक	तृतीय, प्रमाण-पत्र
केन्द्र सरकार के उपक्रम	
(1) यूनाइटेड इंश्योरेंस कं.	प्रथम, नगर राजभाषाशील्ड।
(2) भारतीय जीवन बीमा निगम आगरा। केन्द्रीय विद्यालय नं. 3	द्वितीय, नगर राजभाषा कप. संयुक्त रूप से
(3) नेशनल इन्श्योरेंस कं. लि.,	तृतीय प्रमाण-पत्र

राजभाषा विभाग में उपसचिव श्री पटैरया ने छमाही हिंदी प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा करते हुए कहा कि समिति की बैठकों में विभागाध्यक्ष केवल आगरा नगर में स्थित अपने अधीनस्थ कार्यालयों की ही रिपोर्ट भेजें।

अन्त में श्री पटैरिया ने सभी विभागाध्यक्षों से अनुरोध किया कि वे पूर्ण मनोयोग से सरकारी कामकाज में राजभाषा हिन्दी का उत्तरोत्तर विकास करें और स्वयं अपने स्तर से हिन्दी में कार्य शुरू कर अधीनस्थ कर्मचारियों के प्रेरणा स्रोत बनें।

अध्यक्ष महोदय ने पुरस्कार प्राप्त करने वाले कार्यालयों के विभागाध्यों को बधाई देते हुए अन्य कार्यालयों के विभागाध्यक्षों से अपेक्षा की कि वे भी अपने-अपने कार्यालयों के सरकारी कामकाज में हिन्दी प्रयोग को बढ़ायें, जिससे सरकारी कामकाज में भारत सरकार की राजभाषा नीति का अनुपालन सुनिश्चित हो सके।

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति आगरा के सदस्य कार्यालयों में हिन्दी के प्रयोग की स्थिति

1 जनवरी में 30-6-90 तक

कार्यालय का नाम	टाईपराईटरों की स्थिति			भेजे गए पत्रादि		
	कुल संख्या	हिन्दी	अंग्रेजी	कुल सं.	हिन्दी	अंग्रेजी
	1	2	3	4	5	6
1. उपमुख्य विस्फोटक नियंत्रक, आगरा	10	3	7	17041	13306	3755
2. आकाशवाणी,	9	5	4	2730	2430	300
3. आयकर विभाग	64	21	43	2480	2365	115
4. विकास आयुक्त हस्तशिल्प	2	1	1	343	260	83
5. हवाई वितरण अनुसंधान	21	4	17	3360	660	2700
6. केन्द्रीय तारघर	18	6	12	1850	1650	200
7. केन्द्रीय जल आयोग	5	4	1	1740	1626	114
8. ओरियटल इश्योरेंस मंडल कार्यालय–2	3	1	2	1504	805	654
9. राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन	5	2	3	4294	2637	1557
10. क्षे. लेखाअधिकारी के. प्र. कर बोर्ड,	2	1	1	4294	2637	1657
11. राज्य व्यापार निगम	10	2	8	728	338	290
12. राष्ट्रीय बीज निगम	2	1	1	2904	1135	1769
13. के. उत्पाद शुल्क	6	1	5	377	377	..
14. के. भू.मि. एवं जल संरक्षण	5	2	3	341	314	27
15. भा. स्टेट बैंक, आ. का.	9	25	24	23840	18885	..
16. पं. ने. बैंक, आ. का	42	21	21	24202	23021	1181
17. दी न्यू इंडिया ईश्यों. कं. मं. कार्या–1	12	4	8	3021	1616	1405
18. भा. जी. बी. निगम	87	30	57	13667	13249	418

	1	2	3	4	5	6
19. निर्यात निरीक्षण अधि . .	4	1	3	262	114	148
20. भारतीय तेल निगम . .	6	3	3	6062	3742	2320
21. रेल डा ; सेवा . .	..	..	..	3758	1268	2490
22. बैंक आफ इंडिया क्षे. कार्यालय	2	3	5	5535	5123	407
23. मुख्य उद्यान विद, ताजमहल	6	2	4	1430	540	890
24. पर्यटन कार्यालय, . .	2	1	1	888	78	810
25. के. जालमा कुष्ठरोग सं. .	25	2	23	2189	400	1789
26. सैन्ट्रल बैंक आं० कार्या . .	30	10	20	10486	8931	1555
27. के. लो. नि. विभाग, . .	8	3	5	..	..	..
28. यूनाईटेड इंश्यो कं. . .	4	2	2	1800	1141	659
29. क्षे. प्रचार कार्यालय . .	2	1	1	285	216	70
30. ने. इंश्यों कं. लि. . .	18	6	12	6926	4664	2262
31. केन्द्रीय विद्यालय—3 . .	2	1	1	125	125	..
32. प्रवर्तन निदेशालय . .	3	1	2	750	400	350
33. दूर संचार विभाग . .	34	13	21	3912	3608	304
34. सिंडिकेट बैंक, . . .	7	3	4	17138	15664	1474
35. के. श्रमिक शि. के. . .	3	1	2	1907	1007	900
36. क्षे. रेल. प्रबंधक म.रे.	16	7	9	5316	3996	1320
37. ओरियंटल ईंश्यों. क. मं. का—1 .	11	1	10	3501	1823	1678
38. के. हि . संस्थान, . .	36	22	14	5122	4522	600
39. बैंक आफ महाराष्ट्र . .	1	1	—	4105	4100	5
40. भविष्य निधि कार्या . .	3	1	2	1367	1112	255
41. के. आयुध भंडार .	175	13	62	10213	1168	9051
42. प्रक्रिया एवं उत्पाद . .	14	1	13	3948	48	3900
43. ने० इंश्यो कं. लि. . .	18	6	12	3121	2032	1089

21. कानपुर

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति कानपुर की 22वीं बैठक दिनांक 30 जुलाई, 1990 को आर्डनेन्स पैरासूट फैक्ट्री, कैण्ट, कानपुर में समिति के अध्यक्ष श्री जी.सी. अग्रवाल, मुख्य आयकर आयुक्त की अध्यक्षता में हुई। प्रसाद कैलखुरी, सहायक निदेशक (राजभाषा) ने बैठक की कार्यसूची सदस्यों के विचार-विमर्श हेतु प्रस्तुत की।

नगर स्थित सभी केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों एवं उपकमों में हिन्दी के प्रयोग की स्थिति की समीक्षा करने के लिए जो रिपोर्ट सभी कार्यालयों से मंगाई जाती थी, अधिकांशत: वे रिपोर्टें बहुत विलम्ब से प्राप्त होती थीं, जिसके कारण उनकी समीक्षा बैठक में विस्तृत रूप से नहीं हो पाती थी। इस बात को देखते हुए अध्यक्ष महोदय ने 4 जनवरी, 1990 को हुई पिछली बैठक में निर्देश दिए थे कि सभी कार्यालयों से अप्रैल, 90 में ही रिपोर्ट उपलब्ध करा ली जाए। तदनुसार हमने 26-3-90 को ही कानपुर नगर में स्थित केन्द्रीय सरकार के 100 से अधिक कार्यालयों एवं उपक्रमों को एक पत्र भेजा गया जिसके साथ राजभाषा विभाग से प्राप्त हुए रिपोर्ट के प्रारूप को की संलग्न किया गया था। इस पत्र में अनुरोध किया गया था कि अक्तूबर, 89 से मार्च, 1990 तक का प्रगति विवरण रिपोर्ट के प्रारूप में भरकर उसे 10 अप्रैल, 1990 तक आयकर कार्यालय को भेज दिया जाए। इसके फलस्वरूप अप्रैल, 90 में 46 कार्यालयों से रिपोर्ट प्राप्त हुई।

इस प्रकार 100 कार्यालयों में से मात्र 48 कार्यालयों से रिपोर्ट प्राप्त हुई है, जो 50 प्रतिशत से भी कम है, जबकि इस समय रिपोर्ट भेजने के लिए पर्याप्त समय दिया गया था।

सचिव ने बताया कि अपेक्षित संख्या में रिपोर्ट प्राप्त न होने से पूरे नगर में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों एवं उपक्रमों में हिन्दी के प्रयोग की स्थिति का चित्र स्पष्ट नहीं हो पाया है। सचिव श्री कैलखुरी ने आगे कहा कि जैसा कि अध्यक्ष महोदय ने पिछली बैठक में कहा था कि किसी विभाग की कमी निकालना हमारा ध्येय नहीं है। यह तो विभागाध्यक्षों का दायित्व है कि वे अपने विभाग में हिन्दी के प्रयोग से संबंधित आदेशों एवं कार्यक्रमों का ही अर्थों में अनुपालन करायें। अतः किसी कार्यालय विशेष का नाम न लेते हुए प्राप्त हुई 48 रिपोर्टों को देखने से जो मुख्य-मुख्य बातें सामने आई हैं वे इस प्रकार हैं :—

(क) 20 कार्यालयों द्वारा हिन्दी में प्राप्त हुए पत्रों का उत्तर अंग्रेजी में दिया गया है। राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 के अनुसार हिन्दी में प्राप्त हुए पत्र का उत्तर अनिवार्य रूप से हिन्दी में ही दिया जाना है। इस ओर पिछली बैठकों में भी सदस्यों का ध्यान आकृष्ट किया गया था।

(ख) 24 कार्यालयों द्वारा राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अन्तर्गत जारी की जाने वाली सूचनाएं जैसे सामान्य आदेश, विज्ञापन, निविदा सूचनाएं, अधिसूचनाएं केवल अंग्रेजी में जारी की गई हैं, जबकि उक्त धारानुसार ये सूचनाएं अनिवार्य रूप से द्विभाषी रूप में जारी की जानी हैं।

(ग) 16 कार्यालय ऐसे हैं जहां कोई हिन्दी स्टाफ नहीं है।

(घ) तीन कार्यालयों में न तो हिन्दी टाइपिस्ट है और न कोई हिन्दी टाइपराइटर।

(ङ) एक कार्यालय में हिन्दी टाइपिस्ट तो है किन्तु हिन्दी टाइपराइटर उपलब्ध नहीं हैं। हिन्दी के वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार प्रत्येक कार्यालय में कम से कम एक हिन्दी टाइप राइटर अवश्य उपलब्ध होना चाहिए।

(च) 13 कार्यालयों में अभी कुछ ऐसे कर्मचारी हैं, जिन्हें हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त नहीं है। अध्यक्ष महोदय ने इस कार्यालयों के नाम जानने चाहे। सचिव ने इन कार्यालयों के नाम पढ़कर सुनाए, जोकि निम्न प्रकार हैं :—

1. लघु शस्त्र निर्माणी
2. गुणवत्ता आश्वासन स्थापना लघुशस्त्र
3. क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तर रेलवे
4. रक्षा सामग्री एवं वस्तु अनुसंधान विकास प्रतिष्ठान (डी एम एस आर डी ई)
5. आर्डनेन्स फैक्ट्री
6. वायु सेना स्टेशन
7. एच.ए.एल.
8. गुणवत्ता आश्वासन (स्थापना) आयुध
9. राष्ट्रीय शर्करा संस्थान
10. टेनरी एण्ड फुट वियर कार्पोरेशन
11. लघु उद्योग सेवा संस्थान
12. राष्ट्रीय बचत
13. फील्ड गन फैक्ट्री

अध्यक्ष ने कहा कि संबंधित विभागाध्यक्ष हिन्दी शिक्षण योजना द्वारा चलाए जा रहे हिन्दी प्रशिक्षण केन्द्रों से ऐसे कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिलाएं।

सचिव ने बताया कि पिछली बैठक में अर्मापुर क्षेत्र में हिन्दी टाइप एवं हिन्दी आशुलिपि, प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किये जाने के संबंध में निर्णय लिया गया था। इस संबंध में महाप्रबंधक, लघु शस्त्र निर्माणी, कालपी रोड, कानपुर ने एक पत्र लिखकर अध्यक्ष महोदय को अवगत कराया है कि अभी तक अर्मापुर क्षेत्र में प्रस्तावित हिन्दी टंकण एवं आशुलिपि प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना नहीं की जा सकी है, जबकि वह इसके लिए स्थान उपलब्ध कराने का दायित्व स्वीकार कर चुके है। उन्होंने यह भी अवगत कराया कि प्रशिक्षक के अभाव में नये प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना नहीं हो पा रही है। सचिव ने बताया कि इस संबंध में अध्यक्ष महोदय ने स्वयं संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग, नई दिल्ली को हाल ही में एक पत्र लिखकर अर्मापुर क्षेत्र में अविलम्ब एक नये प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना किये जाने का अनुरोध किया है।

उक्त के संबंध में हिन्दी शिक्षण योजना के सहायक निदेशक श्री सी.पी. मिश्रा ने बताया कि प्रशिक्षक के न होने के कारण ही अभी तक अर्मापुर क्षेत्र में प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना नहीं की जा सकी है। उन्होंने कहा कि यदि अंशकालिक प्रशिक्षक उपलब्ध हो जाए तो यह केन्द्र चल सकता है। इसके लिये मानदेय हिन्दी शिक्षण योजना से दिया जाएगा। उन्होंने उपस्थित सदस्यों से अंशकालिक प्रशिक्षक उपलब्ध कराने का अनुरोध किया।

वायुसेना स्टेशन के प्रतिनिधि ने चकेरी क्षेत्र में एक नया हिन्दी टंकण एवं आशुलिपि प्रशिक्षण केन्द्र खोलने का अनुरोध किया। श्री सी.पी. मिश्रा ने कहा कि चकेरी क्षेत्र के प्रशिणार्थियों की संख्या कम होने के कारण कैन्ट क्षेत्र में चल रहे वर्तमान प्रशिक्षण केन्द्र में चकेरी क्षेत्र के कर्मचारियों को प्रशिक्षण लेना चाहिए।

केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद के प्रतिनिधि श्री पुत्तुलाल गुप्त ने यह प्रश्न उठाया कि अंग्रेजी इलैक्ट्रानिक टाइपराइटरों के खरीदने से अधिकांश कार्य अंग्रेजी में

होने लगा है। इस संबंध में डा. प्रेम प्रकाश लक्कड़, आयकर निदेशक ने बताया कि गोदरेज कं. ने बड़े सुन्दर अक्षरों के द्विभाषी इलैक्ट्रानिक टाइपराइटर बनाए हैं, जो कि बाजार में उपलब्ध हैं। यह उपयुक्त होगा कि द्विभाषी टाइपराइटर ही खरीदे जाएं।

क्षेत्रीय एगमार्क प्रयोगशाला के मुख्य रसायनज्ञ श्री गिरीशचन्द्र जोशी ने कहा कि यदि किसी पत्र में अधिकांश तकनीकी अंग्रेजी शब्द देवनागरी में लिखे गए हैं तो क्या यह पत्र हिन्दी का माना जाएगा।

इस संबंध में सचिव ने स्पष्ट किया कि यदि पत्र के वाक्यों में तकनीकी अंग्रेजी शब्द देवनागरी में लिखे गये ये और वाक्य का कर्ता और क्रिया हिन्दी की है तो वह पत्र हिन्दी का ही माना जायेगा।

भारतीय जीवनबीमा निगम (मध्य क्षेत्र) के श्री जगदीश कुमार बाजपेई, प्रशासनिक अधिकारी (राजभाषा कार्यान्वयन) ने कुछ प्रश्न उठाये। उन्होंने ग्रेच्युटी एक्ट के हिन्दी अनुवाद के बारे में भी बात उठाई, जिसके संबंध में डा. प्रेम प्रकाश लक्कड़ ने बताया कि राजभाषा विभाग से जुड़े भारत सरकार के प्रकाशन विभाग ने 527 अधिनियमों का हिन्दी अनुवाद कराकर प्रकाशित किया है उनमें ग्रेच्युटी एक्ट भी हो सकता है। उन्होंने सचिव से कहा कि वे इस संबंध में राजभाषा विभाग को एक पत्र लिखकर जानकारी प्राप्त कर उनकी सहायता करें।

लघुशस्त्र निर्माणी के कार्यशाला प्रबन्धक श्री आर. आर. नागर ने इस बात पर चिन्ता व्यक्त की कि जो कार्य हिन्दी में होने लगा था, कम्प्यूटरीकरण से पुनः अंग्रेजी में होने लगा है। इसका हल क्या होगा ? अध्यक्ष महोदय ने स्वयं भी इस बात को समझा और सचिव को निर्देश दिया कि राजभाषा विभाग को इस संबंध में पत्र लिखा जाए।

तदुपरान्त अध्यक्ष महोदय ने कहा कि समिति की बैठक आयोजित करने का हमारा एक ही उद्देश्य है— हिन्दी में अधिकाधिक काम करना। संविधान में हिन्दी को राजभाषा का दर्जा दिये जाने के साथ यह आशा प्रकट की गई थी कि अगले 15 वर्षों में भारत सरकार की काम-काजी भाषा हिन्दी ही जायेगी। हिन्दी हमारी मातृभाषा है उसमें काम करना सरल है तथा यह भारतीयता की पहचान भी है।

अंत में सचिव श्री विश्वनाथ प्रसाद कैलखुरी ने अध्यक्ष महोदय तथा बैठक में उपस्थित सभी विभागाध्यक्षों एवं प्रतिनिधियों का धन्यवाद किया।

(ग) अन्य राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकें

1. गृह मंत्रालय

गृह मंत्रालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 20वीं बैठक 28 सितम्बर, 1990 को श्री जगदीश चन्द्र डंगवाल, संयुक्त सचिव (प्रशा.) की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई।

बैठक की कार्यसूची पर विचार करने से पूर्व अध्यक्ष ने सदस्यों को मंत्रालय में 10-9-90 से 14-9-90 तक हिन्दी सप्ताह मनाए जाने का जिक्र किया और बताया कि इस दौरान गृह सचिव की ओर से सभी को हिन्दी में काम करने की अपील जारी करने के अलावा हिन्दी टाईपिंग, हिन्दी आशुलिपि व हिन्दी नोटिंग-ड्राफ्टिंग प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। हिन्दी सप्ताह के दौरान, हिन्दी पुस्तकों की प्रदर्शनी लगाई गई। इस प्रदर्शनी में गृह मंत्रालय के पुस्तकालय के अतिरिक्त, दो प्रकाशकों तथा दो पुस्तक विक्रेताओं ने भी भाग लिया। पर्सनल कम्प्यूटरों पर हिन्दी के काम का प्रदर्शन भी किया गया। हिन्दी सप्ताह का समापन समारोह आइफैक्स हाल में विशेष सचिव श्री ए.ए. अली की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। इस अवसर पर गृह मंत्रालय द्वारा आयोजित प्रतियोगिताओं के पुरस्कार विजेताओं को शील्ड/पुरस्कार व प्रमाण-पत्र वितरित किये गये तथा एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

अध्यक्ष ने सयस्यों को बताया कि—

(क) समिति के पुनर्गठन करने संबंधी कार्रवाई की जा रही है और अगली बैठक से पूर्व उसे अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है।

(ख) संयुक्त सचिव की ओर से मंत्रालय के सभी कर्मचारियों व अधिकारियों को राजभाषा संबंधी नियमों/अनुदेशों का सार जारी किया गया है और उनसे अनुरोध किया गया है कि वे उन सभी मदों पर कार्रवाई हिन्दी में करें जिनके बारे में ऐसा करने के अनुदेश जारी किए जाते रहे हैं।

(ग) बेतार संदेशों को हिन्दी में भेजने संबंधी मद पर चर्चा करते हुए यह निर्णय लिया गया कि समन्वय निदेशालय से इस बात का पता लगाया जाए कि बेतार संदेशों को हिन्दी में भेजने में क्या कठिनाईयां हैं ? और इन्हें कैसे दूर किया जा सकता है। यह विचार भी व्यक्त किया गया कि "क" व "ख" क्षेत्रों को जो सन्देश फैक्स द्वारा भेजे जाते हैं उन्हें भविष्य में हिन्दी में ही भेजना सुनिश्चित किया जाए।

(घ) भुगतान और लेखा कार्यालय चैक हिन्दी में बना हैं या नहीं ? इसका पता लगाने के लिए उनसे पुनः सम्पर्क स्थापित किया जाए।

(च) राजभाषा विभाग द्वारा निर्दिष्ट अनुपात में हिन्दी आशुलिपिकों की भर्ती करने के संबंध में संबद्ध व अधीनस्थ विभागों/कार्यालयों को मंत्रालय के 25-7-90 के पत्र के संदर्भ में एक और पत्र लिखकर पता लगाया जाए कि उन्होंने इस बारे में क्या कार्यवाई की है ।

(छ) प्रशासन—1(ख) अनुभाग ने उन सभी कर्मचारियों से स्पष्टीकरण मांगे जिन्हें हिन्दी टाइपिंग व हिन्दी आशुलिपि प्रशिक्षण के लिए नामित किया गया था लेकिन वे प्रशिक्षण पर नहीं जा रहे हैं ।

राजभाषा के प्रगामी प्रयोग के संबंध में 30 जून, 1990 को समाप्त तिमाही प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा करने पर नोट किया गया कि विदेशी—1, आर्म्स, आई. एन. ए. डी. जी.सी.डी. (एच. जी.), विदेशी—2, सी. एस.आर. तथा जी. पी. ए.—6 व न्याय अनुभागों ने राजभाषा संबंधी अधिनियम, नियम व अनुदेशों का उलंघन किया है । इस सिलसिले में उक्त सभी अनुभागों के डेस्क अधिकारियों/अनुभाग अधिकारियों को स्थिति स्पष्ट करने के इरादे से बैठक में आमंत्रित किया गया था । लेकिन सी. एस. आर. और जी. पी. ए.—6 अनुभागों को छोड़कर अन्य अधिकारी बैठक में नहीं आए । इस पर समिति ने गंभीर दृष्टिकोण अपनाते हुए यह निर्णय लिया कि इन अनुभागों के संबंधित संयुक्त सचिवों का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया जाए । इस बात पर फिर से जोर दिया गया कि राजभाषा अधिनियम, नियम व अनुदेशों के अनुपालन में किसी भी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरती जानी चाहिए ।

(1) राजभाषा विभाग में निदेशक (अनुसंधान) डॉ. महेश चन्द्र गुप्त, ने कहा कि मंत्रालय में अंग्रेजी टाइप-राइटरों के मुकाबले, हिन्दी टाइपराइटरों की संख्या अपेक्षित संख्या से कम है । इस प्रतिशत को बढ़ाकर कम से कम 30% तक किया जाना चाहिए । इस बारे में अध्यक्ष ने इच्छा व्यक्त की कि कुछ टाइपराइटरों से कुंजी-पटल बदलकर इस संख्या को बढ़ाया जाए और इसके साथ ही टाइपराइटरों के आंकड़े भी सही-सही दिए जाएं ।

(2) मंत्रालय के पास कई कम्प्यूटर हैं। उनमें हिन्दी में काम करने की क्षमता विकसित की जानी चाहिए । शुरू में कम से कम 5—7 में तो ऐसी व्यवस्था होनी ही चाहिए। यह निर्णय लिया गया कि कम-से-कम वर्डस्टार पर हिंदी में काम करने के लिए सुविधा उपलब्ध करवाई जानी चाहिए।

(3) डॉ. महेश चन्द्र गुप्त, निदेशक, राजभाषा विभाग ने कहा कि गृह मंत्रालय द्वारा अधिकारियों के प्रयोग के लिए हर साल मुद्रित डायरी के अंदर की सारी सामग्री केवल अंग्रेजी में छपी रहती है । समिति ने निर्णय लिया कि इसे द्विभाषी करने के लिए कार्रवाई की जाए। श्री गुप्त ने यह भी सुझाव दिया कि मेज पर शीशे के नीचे रखी जाने वाली टेलीफोन सूची एक ओर अंग्रेजी में तथा एक ओर हिन्दी में मुद्रित की जाये ताकि जो अधिकारी हिन्दी रूपान्तर का प्रयोग करना चाहें वे ऐसा कर सकें ।

2. बैंकिंग प्रभाग

27 जून, 1990 को बैंकिंग प्रभाग (बैंकिंग काय प्रभाग) वित्त मंत्रालय तथा भारतीय रिजर्व बैंक (बैंकिंग परिचालन एवं विकास विभाग) की क्रमशः 55वीं तथा 45वीं राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक का आयोजन पंजाब एण्ड सिंध बैंक की मेजबानी में नई दिल्ली में किया गया ।

बैंकिंग प्रभाग की बैठक की अध्यक्षता संयुक्त सचिव (बैंकिंग प्रभाग) श्री च. व. मीरचंदानी ने की । बैठक में श्री म. ल. ट फर्नांडिस, मुख्य प्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक, श्री ए०के० बक्शी, कार्मिक सलाहकार, भारतीय बैंक संघ, श्री द. न. समर्थ, संयुक्त मुख्य अधिकारी, भारतीय रिजर्व बैंक तथा श्री राजेश्वर गंगवार, उप मुख्य अधिकारी भा. रि. बैंक की उपस्थिति उल्लेखनीय थी।

पंजाब एण्ड सिंध के कार्यकारी निदेशक श्री एस. डी. नायर ने पंजाब एण्ड सिंध बैंक की स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री एम. एस. चहल के विशेष प्रयासों और रूचि के कारण हिन्दी का प्रयोग एक निश्चित दिशा पकड़ चुका है और निश्चय ही हम निकट भविष्य में विशिष्ट स्थिति में होंगे ।

बैठक में मुख्यतया वाराणसी में हुई बैठक के कार्यवृत्त पर चर्चा और बैंकों द्वारा उसके बाद प्राप्त उपलब्धियों पर गहन चर्चा हुई । राजभाषा के कार्यान्वयन में यांत्रिक सुविधाओं यथा-कम्प्यूटर, टेलेक्स, टेलीप्रिंटर आदि के द्विभाषी-करण और उनके परिचालन में आने वाली समस्याओं पर विस्तार से विचार किया गया और उनके शीघ्र समाधान के कदम उठाने के लिए संबंधित विभागों को निर्देश देने का निर्णय लिया गया ।

हिन्दी के व्यापक कार्यान्वयन के लिए उन लोगों के प्रशिक्षण व्यवस्था पर भी विस्तार से विचार हुआ, जिन्हें हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान नहीं है ।

पंजाब एण्ड सिंध बैंक के राजभाषा विभाग के प्रभारी श्री नरेन्द्र सिंह गुजराल, उप महाप्रबंधक ने पिछले सालों में बैंक की प्रगति का ब्यौरा देते हुए कहा कि आगे आने वाले वर्ष पंजाब एण्ड सिंध बैंक में हिन्दी प्रयोग की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होंगे और हिन्दी प्रयोग की दृष्टि से बैंकों के बीच हमारी स्थिति श्रेष्ठतर होगी।

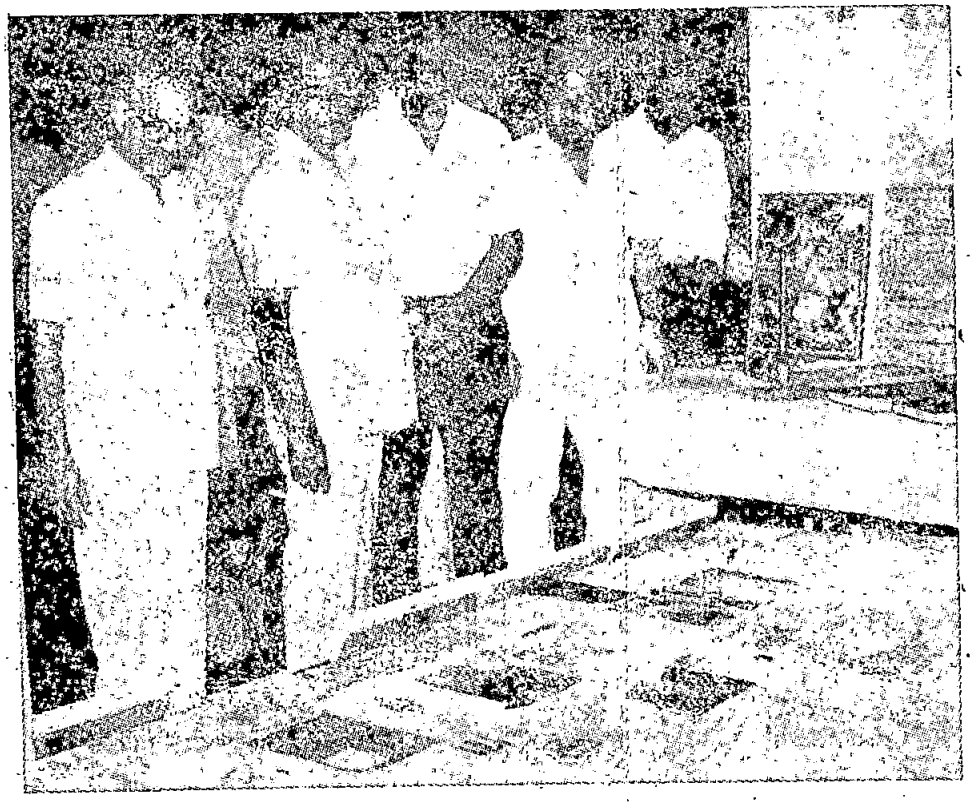

बैंकिंग प्रभाग की बैठक के अवसर पर आयोजित राजभाषा प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए (बाएं से) श्री एस.डी नायर, कार्यकारी निदेशक पंजाब एण्ड सिन्ध बैंक, श्री च.व. मीरचंदानी, संयुक्त सचिव (बैंकिंग प्रभाग) श्री म.ल.ट. फर्नांडीज मुख्य प्रबंधक, भा.रि. बैंक तथा श्री नरेन्द्र सिंह, गुजराल

उपस्थित बैंकों की ओर से श्री रा. वि तिवारी, मुख्य सैंट्रल बैंक आफ इंडिया ने पंजाब एण्ड सिंध बैंक द्वारा किए गए आयोजन की सराहना की और यह स्पष्ट किया कि पंजाब एण्ड सिंध बैंक के इस आयोजन से पहली बार ज्ञात हुआ कि इस बैंक में भी हिन्दी का इतना अधिक प्रयोग हो रहा है। उनका यह उद्गार बैंक द्वारा लगाई गई हिन्दी संबंधी प्रदर्शनी के आधार पर था जिसका उद्घाटन श्री मीरचंदानी, संयुक्त सचिव ने बैठक आरम्भ होने से पूर्व किया था।

बैंकिंग प्रभाग की राजभाषा कार्यान्वयन समिति के महत्त्वपूर्ण निर्णय

बैंकिंग प्रभाग की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 27 जून, 1990 को दिल्ली में आयोजित 55वीं बैठक में लिए गए मुख्य निर्णय इस प्रकार हैं:—

(1) सभी बैंक और वित्तीय संस्थाएं नए वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए ठोस कदम उठाएं।

(2) विभिन्न प्रकार के यंत्रों को द्विभाषिक किया जाये और उनमें द्विभाषिक साफ्टवेयर लगा कर हिन्दी जानने वाले कर्मचारियों के माध्यम से उनका उपयोग किया जाये।

(3) नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में सभी बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के वरिष्ठ अधिकारी भाग लें।

(4) स्थापित की जाने वाली कंपनियों और योजनाओं के नाम हिन्दी या भारतीय भाषाओं में हों। बैंक स्वयं ही जांच बिन्दु की भूमिका निभाएं। इससे संबंधित आदेशों की राजभाषा विभाग द्वारा फिर से परिचालित किया जाएगा।

(5) भारतीय बैंक संघ के साथ अधिकांश पत्राचार हिन्दी में किया जाए।

(6) कंप्यूटर से "क" और "ख" क्षेत्रों में अधिकांश काम हिन्दी में ही किया जाए।

(7) "क", "ख" और "ग" क्षेत्रों में जिन बैंकों और वित्तीय संस्थाओं का हिन्दी पत्राचार का प्रतिशत लक्ष्यों से कम है वे इसे प्राप्त करें।

(8) हिन्दी आशुलिपि और टंकण प्रशिक्षण केन्द्रों की संख्या बढ़ाई जाए तथा बम्बई जैसे बड़े केन्द्रों में और प्रशिक्षण केन्द्र खोले जाएं।

25 जून को हुई भारतीय रिज़र्व बैंक की राजभाषा कार्यान्वयन समिति में लिये गये महत्त्वपूर्ण निर्णय

(1) रिपोर्ट और सूचना समिति के सचिवालय को समय पर भेजी जाये और यह सुनिश्चित किया जाये कि विषय-वस्तु में कोई त्रुटि न हो ।

(2) 25 और उससे अधिक कर्मचारियों वाले सभी कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन समितियां गठित की जायें ।

(3) इलेक्ट्रानिक मशीनें और कम्प्यूटर आदि हिन्दी/द्विभाषिक सुविधाओं वाले ही खरीदे जायें ।

(4) हिन्दी पत्राचार आदि के लिए निर्धारित संशोधित लक्ष्य यथाशीघ्र प्राप्त करने के प्रयत्न किये जाने चाहिएं ।

(5) प्रशिक्षण महाविद्यालयों और प्रशिक्षण केन्द्रों के लिए अलग-अलग लक्ष्य निर्धारित करने पर पुनर्विचार करने के लिए प्रशिक्षण समन्वय समिति से अनुरोध किया जाये ।

(6) हिन्दी टेलेक्स मशीनों की आपूर्ति के संबंध में बैंकों को प्राथमिकता देने के लिए बैंकिंग प्रभाग द्वारा भारत सरकार के संबंधित विभाग से पुनः अनुरोध किया जाये ।

(7) 11वें राजभाषा सम्मेलन में पढ़े जाने वाली पत्रियों से संबंधित सुझावों पर विचार करने के लिए एक उप समिति गठित की जाये ।

□

इन तीनों का सदा सम्मान करना चाहिए:
माता, पिता और गुरु

3. आयकर आयुक्त, जालंधर

आयकर आयुक्त, जालंधर प्रभार की केन्द्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की वर्ष 1990-91 की द्वितीय बैठक 28 अगस्त, केन्द्रीय राजस्व भवन, जालंधर में सम्पन्न हुई। इसकी अध्यक्षता श्री बी.एस. दहिया, आयकर आयुक्त, जालंधर ने की ।

अध्यक्ष श्री दहिया ने बताया कि जैसे आयकर अधिनियम के अधीन कार्य-आयोजना (एक्शन प्लान) में कुछ लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं, इसी प्रकार केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में राजभाषा हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने तथा राजभाषा अधिनियम/नियमों के अनुपालन हेतु राजभाषा विभाग द्वारा वार्षिक कार्यक्रम में लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि यह हमारा नैतिक कर्त्तव्य है कि जिस तत्परता से हम आयकर एक्शन प्लान में दिए लक्ष्यों को पूरा करने के प्रयत्न करते हैं उसी तत्परता से हमें राजभाषा के वार्षिक कार्यक्रम में दिए गए लक्ष्यों की पूर्ति हेतु प्रयत्न करें ।

हिन्दी में पत्राचार की कमी

अध्यक्ष महोदय ने टिप्पणी की कि राजभाषा विभाग द्वारा हिन्दी पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य 60 प्रतिशत की पूर्ति में जालंधर प्रभार अभी बहुत पीछे है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु निम्नलिखित निर्देश दिए :—

(1) प्रत्येक कार्यालय में निम्नलिखित अनुसार एक मोहर बनवाई जाए, जो डाक देखते समय ही अधिकारी द्वारा विभिन्न पत्रों पर लगा दी जाए यह मोहर रुटीन पत्रों/रिमाईंडरों पर लगाई जा सकती है :—
"इस पत्र का उत्तर केवल हिन्दी में देना है"

(2) कोई भी ऐसा पत्र स्वीकार न किया जाए जिस पर केवल अंग्रेजी की मोहर लगी हो।

(3) फाइल-कवरों पर विषय/निर्धारिती का नाम हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में लिखा जाए ।

(4) सभी संक्षिप्त पृष्ठांक (इन्डोरसमेंट और कमेंटस) हिन्दी में किए जाएं। इसके लिए भी निम्नलिखित अनुसार एक मोहर बनाई जा सकती है ।
"मुख्य आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त/आयकर उपायुक्त को सूचना/आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रेषित। इस पर मेरी टिप्पणी....."

(5) द्विभाषी नोटिसों पर हस्ताक्षर हिन्दी में हों और नोटिस का हिन्दी में छपा भाग ही प्रयोग में लाया जाए।

(6) प्राप्ति-प्रेषण का सारा काम हिन्दी में ही हो।

(7) बाहर आने वाले लिफाफों पर पते हिन्दी में हों और भेजने वाले कार्यालय की मोहर भी हिन्दी में हो ।

(8) हिन्दी में लिखे या हस्ताक्षर किए सभी पत्रादि के उत्तर अनिवार्य रूप में हिन्दी में दिए जाएं।

आयुक्त ने कहा कि उपर्युक्त सभी निर्देश संसद द्वारा पारित राजभाषा अधिनियम तथा नियमों के अधीन दिए जा रहे हैं, इसलिए इस निर्देशों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए ।

इस समय प्रभार में एक इलेक्ट्रोनिक टाइपराइटर तथा 6 कम्प्यूटर केवल अंग्रजी में हैं। भविष्य में इलेक्ट्रोनिक टाइपराइटर केवल द्विभाषी खरीदा जाएगा। कम्प्यूटर सिस्टम की खरीद का विषय आयकर निदेशक (सिस्टम), नई दिल्ली का है ।

हिन्दी टाइपिस्टों/आशुलिपिकों की कमी

राजभाषा विभाग द्वारा "ख" क्षेत्र के लिए हिन्दी माध्यम से प्रशिक्षित टाइपिस्टों/आशुलिपिकों का अनुपात कम से कम 30 प्रतिशत निर्धारित किया गया है। समिति को सूचित किया गया कि जालंधर प्रभार में हिन्दी टाइपिस्टों/आशुलिपिकों की संख्या निर्धारित अनुपात से बहुत कम है।

समिति के ध्यान में लाया गया कि जालंधर नगर में दूरसंचार विभाग/दूरदर्शन केन्द्र पर हिन्दी टाइपिंग प्रशिक्षण के अंशकालिक केन्द्र खोले गए हैं, वहीं कुछ टाइपिस्टों को प्रशिक्षण हेतु नामित किया जा सकता है। इस पर अध्यक्ष ने निदेश दिया कि प्रशिक्षण की शर्तों तथा परीक्षा पास करने पर देय प्रोत्साहनों के बारे में एक परिपत्र जारी कर दिया जाय। अध्यक्ष ने यह टिप्पणी भी की कि अधिकांश व्यक्ति हिन्दी, हिन्दी टाइपिंग/आशुलिपि प्रशिक्षण प्राप्त करके, प्रोत्साहन स्वरूप विभिन्न पुरस्कार प्राप्त करने के पश्चात् प्रशिक्षण को भूल जाते हैं और हिन्दी में वांछित कार्य नहीं करते। उन्होंने सहायक निदेशक (राजभाषा) को एक रजिस्टर में ऐसे पुरस्कार प्राप्त सभी व्यक्तियों की सूची बनाने का निदेश दिया, जिससे यह निगरानी रखी जा सके कि वह व्यक्ति हिन्दी में कार्य कर भी रहे हैं या नहीं।

हिन्दी सप्ताह का आयोजन

राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार 14 सितम्बर से 20 सितम्बर तक हिन्दी सप्ताह का आयोजन किया जाना है। इस बारे में आयकर आयुक्त महोदय द्वारा प्रभार के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए अनुरोध करते हुए एक अपील जारी करने का निर्णय किया गया। इसी सप्ताह उपायुक्त स्तर पर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें भी आयोजित की जाएंगी।

अध्यक्ष ने इस बार एक निबन्ध प्रतियोगिता के आयोजन का भी सुझाव दिया। इसके अतिरिक्त सप्ताह के किसी दिन नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के साथ मिलकर एक प्रमाण-पत्र वितरण समारोह के आयोजन का भी निर्णय किया गया, जिसमें विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले व्यक्तियों को प्रमाण पत्र वितरित किए जाएंगे।

हिन्दी पुस्तकों की खरीद

राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार पुस्तकालय अनुदान का कम से कम 25 प्रतिशत हिन्दी पुस्तकों की खरीद पर खर्च किया जाना है। अध्यक्ष महोदय ने टिप्पणी की कि उपयुक्त पुस्तकें उपलब्ध होने पर यह राशि 50 प्रतिशत तक बढ़ायी जा सकती है। उन्होंने उपस्थित सभी अधिकारियों से अनुरोध किया कि पुस्तकालय के लिए अच्छी पुस्तकें खरीदने के लिए अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करें।

कार्यालयों का निरीक्षण

वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार वर्ष में कम से कम 10 कार्यालयों का निरीक्षण किया जाना है और वहां राजभाषा अधिनियम/वार्षिक कार्यक्रम के अनुपालन की समीक्षा की जानी है। इसके बारे में समिति की पिछली बैठक में निर्णय किया जा चुका है।

अध्यक्ष महोदय ने निदेश दिया कि उपायुक्त जब आयकर कार्यालयों का नियमित/अचानक निरीक्षण करें तो उस समय ऊपर मद संख्या 1 में दिए निदेशों के अनुपालन की स्थिति भी देखें। इसके अतिरिक्त राजभाषा विभाग द्वारा जारी चेक-प्वाइंटों जैसे कि—

(क) सामान्य आदेश द्विभाषी रूप में जारी करना,

(ख) लिफाफों पर पते हिन्दी में होना।

(ग) खड़ की मोहरें नाम-पट्ट साइनबोर्ड द्विभाषी रूप में होना।

(घ) सेवा-पुस्तक में इन्दराज (एन्ट्रीज) हिन्दी में होने का भी निरीक्षण करें।

4. आकाशवाणी, धारवाड़

राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक 16-8-90 को अधीक्षक अभियंता, श्री के. तांडवसाई की अध्यक्षता में हुई।

2. 30-6-90 को समाप्त तिमाही की हिन्दी प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा की गई तथा पाया गया कि पहले की अपेक्षा हिन्दी के प्रयोग में वृद्धि हुई है। लक्ष्य तक पहुंचने तथा प्रतिशत को बरकरार रखने के उद्देश्य से निम्नलिखित निर्णय लिए गए :—

(क) कार्यालय द्वारा निर्गत किए जाने वाले सामान्य आदेश, निविदा सूचनाएं एवं प्रारूप, परिपत्र आदि टंकित/साइक्लोस्टाइल कराये जाने से पूर्व हिन्दी अनुभाग द्वारा उनके हिन्दी अनुवाद करवा लिए जाएं तथा द्विभाषी रूप में निर्गत किये जाएं।

(ख) देवनागरी में तार भेजने के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि देवनागरी भाषा के तार संदेश को रोमन अक्षरों में रूपांतरित करके तार या टेलेक्स द्वारा संदेश भेजे जाएं इसकी शुरुआत छोटे-छोटे तार संदेशों से किया जाए।

निर्णय लिया गया कि पुस्तकालय में हिन्दी पुस्तकों की खरीद के लिए उपयोगी हिन्दी पुस्तकों की सूची तैयार की जाये तथा इसके लिए नियत धनराशि को मद्दे नजर रखते हुए पुस्तकों की खरीद की जाये।

निर्णय लिया गया कि कार्यक्रम समन्वय की बैठक, ग्रामीण प्रसारण सलाहकार समिति की बैठक तथा शैक्षिक प्रसारण सलाहकार समिति की बैठकों के लिए उपलब्ध अंग्रेजी में प्रिंट फाइलों पर सम्बन्धित बैठकों के विषय हिन्दी में प्रिंट कराए जायें।

कार्यालय तथा ट्रान्समीटर के मेन गेट पर सुरक्षा निदेश के बोर्ड अंग्रेजी में हैं जिसे त्रिभाषी रूप में बनवाने का निर्णय लिया गया।

समिति के अध्यक्ष महोदय ने कार्यालय में रिक्त हिंदी अनुवादक तथा हिंदी टंकक के पदों को भरने के कार्रवाई की चर्चा की। प्रशासनिक अधिकारी ने जानकारी दी कि हिंदी अनुवादक पद के लिए उम्मीदवार का नाम कर्मचारी चयन आयोग से प्राप्त हो चुका है। हिंदी टंकक के लिए नामांकन अभी प्राप्त नहीं हुआ है।

5. आकाशवाणी, औरंगाबाद

आकाशवाणी औरंगाबाद राजभाषा कार्यान्वयन समिति की वर्ष 1990 की तृतीय बैठक दिनांक 9 अगस्त, 1990 को श्री कृष्ण आगाशे, केंद्र अभियंता की अध्यक्षता में संपन्न हुई।

30 जून, 1990 को समाप्त तिमाही की प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा करते हुए केन्द्र निदेशक श्री के.एस. इसरानी ने सुझाव दिया कि उर्दू अनुभाग के संविदाएं तथा प्रस्ताव रजिस्टर आदि अंग्रेजी में ही भेजे जा रहे हैं, इसलिए उन्हें लिखित रूप से ज्ञापन देकर उपर्युक्त कार्यालयीन कामकाज हिन्दी में करने के लिए कहा जाए। साथ ही जिन कार्यक्रम निष्पादकों ने संविदाएं प्रस्ताव, रजिस्टर, कलाकारों के कार्ड आदि हिन्दी में नहीं भरे हैं, उन्हें भी इस की सूचना दी जाए। समिति के सभी सदस्यों ने इन सुझावों को स्वीकार किया।

समीक्षाधीन प्रगति रिपोर्ट के अनुसार, गृह मंत्रालय द्वारा हिन्दी तारों के निर्धारित लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कार्यालय द्वारा प्रेषित हिन्दी तारों का प्रतिशत कम रहा है। समिति ने अब निर्णय लिया कि हिन्दी में कम से कम 30 प्रतिशत तार हिन्दी में प्रेषित होना चाहिए और इसकी जिम्मेदारी कार्यक्रम निष्पादक (समन्वय) श्री यशवंत क्षीरसागर की रहेगी।

गृह मंत्रालय द्वारा प्राप्त अनुदेशों को ध्यान में रखते हुए समिति ने निर्णय लिया कि इस साल कुछ 4-5 नई हिन्दी की पत्रिकाएं खरीदी जाएं।

आकाशवाणी औरंगाबाद कार्यालय में जिन कर्मचारियों को हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त है उनके लिए तीन दिवसीय हिन्दी कार्यशाला आयोजित की जाए और इस कार्यशाला में सभी अनुभागों के कर्मचारियों को शामिल किया जाए।

पिछले साल की तरह इस साल भी हिन्दी सप्ताह मनाने का समिति ने निर्णय लिया है। दिनांक 14-9-90 से 20-9-90 इस अवधि में कार्यालय में प्रथम तीन दिवसीय हिन्दी कार्यशाला बाद में हिन्दी टिप्पण लेखन तथा पत्रलेखन प्रतियोगिता तथा हिन्दी प्रदर्शनी आदि का आयोजन किया जाए।

6. आकाशवाणी, लखनऊ

1 अक्तूबर, 1990 को आकाशवाणी, लखनऊ केन्द्र पर श्री मदन मोहन सिन्हा "मनुज", केन्द्र निदेशक, आकाशवाणी, लखनऊ की अध्यक्षता में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक संपन्न हुई।

बैठक में पत्र सूचना कार्यालय, क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय, सी.सी.डब्लू (सिविल) सी.सी.डब्ल्यू (विद्युत) गीत एवं नाट्य प्रभाग, दृश्य एवं श्रव्य प्रचार निदेशालय, पत्र सूचना कार्यालय और फिल्म प्रभाग का कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुआ। इस सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय ने कहा, राजभाषा संबंधी बैठकों में स्वयं या [illegible] निधित्व सुनिश्चित करने का प्रयत्न करना सभी केन्द्राध्यक्षों का कर्त्तव्य है, जिसके पालन से ही राजभाषा नीति प्रभावी ढंग से लागू की जा सकती है। अध्यक्ष महोदय ने हिन्दी अधिकारी को आदेश दिया कि सभी को कार्यवृत्त और पत्र अलग से लिखकर अनुपस्थिति के बारे में सूचित करें तथा प्रतिनिधित्व के बारे में एक प्रतिलिपि संबंधित अधिकारी के मुख्यालय को भी सूचनार्थ भेजी जाए।

बैठक के आरम्भ में समिति के अध्यक्ष श्री मदन मोहन सिन्हा "मनुज" केन्द्र निदेशक, आकाशवाणी, लखनऊ ने सभी उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया। इसके बाद बैठक की कार्यवाही आरम्भ हुई तथा पिछली बैठक की कार्यवाही की समीक्षा की गई।

पिछली बैठक में निर्णय लिया गया था कि हिन्दी दिवस के अवसर पर क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय की ओर से फिल्में दिखाई जाएं, कवि सम्मेलन और संगोष्ठियां आयोजित की जाएं, दृश्य एवं श्रव्य सामग्री उपलब्ध कराई जाए, पत्र सूचना कार्यालय विभिन्न लेख प्रचालित करवाए और आकाशवाणी इस अवधि में विशेष कार्यक्रम प्रसारित करवाए तथा हिन्दी दिवस आयोजित करें। सभी कार्यालयों ने अपने अपने तई दायित्व निभाया और आकाशवाणी, लखनऊ के इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए। प्रकाशन विभाग के कैप्टन आर.वी.सिंह ने सुझाव दिया कि इस सम्बन्ध में कार्यान्वयन संबंधित कार्यालयों पर छोड़ दिया गया इसलिए अलग अलग आयोजन हुए यदि समन्वित ढंग से एक ही परिवार में आयोजन हों तो उसका निश्चय ही बेहतर प्रभाव पड़ेगा और राजभाषा प्रयोग का वातावरण बनेगा। इस अवसर पर क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय की ओर से हिन्दी से संबंधित फिल्में दिखाई जाएं, कवि सम्मेलन और संगोष्ठियां आयोजित की जाएं, दृश्य एवं प्रचार निदेशालय की ओर से दृश्य एवं श्रव्य सामग्री उपलब्ध कराई जाए और आकाशवाणी राजभाषा संबंधी उक्तियां एवं विशेष प्रसारण मंत्रालय के जो कार्यालय आकाशवाणी से संबद्ध नहीं हैं, उनका भी सहयोग लिया जा सकता है। अध्यक्ष महोदय ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि 26 जनवरी, से 30 जनवरी तक एक बार पुनः राजभाषा आयोजन समन्वित रूप से किए जाएं, जिसमें कार्यशाला, संगोष्ठी, कवि सम्मेलन, प्रदर्शनी आदि का भी आयोजन किया जाए।

अध्यक्ष महोदय ने प्रशासनिक अधिकारी को आदेश दिया कि वे कम्प्यूटर के बारे में आकलन करें कि किस कम्पनी से द्विभाषी करवाना उपयुक्त होगा और उसमें कितना व्यय होगा। आकाशवाणी, महानिदेशालय को स्कीम भेजें। टेलेक्स के द्विभाषी पहल के बारे में पूछे जाने पर बैठक को सूचित किया गया कि डिमान्ड ड्राफ्ट जमा हो चुका है, शीघ्र ही पटल द्विभाषी हो जाएगा। तदनन्तर कार्यालयों की प्रगति का ब्यौरा दिया गया। प्रकाशन विभाग के कैप्टन आर.बी. सिंह ने बताया कि उनके विभाग में 90% से अधिक कार्य हिन्दी में हो रहा है। वेतन एवं लेखानुभाग के श्री अमरनाथ ने बताया कि वेतन एवं लेखानुभाग में भी 90% से अधिक कार्य हिन्दी में हो रहा है।

रक्षा लेखा नियंत्रक (अन्य श्रेणी) दक्षिण, बेंगलूर

मार्च 90 को समाप्त तिमाही के लिए दिनांक 26-6-90 को कार्यालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक श्रीमती नीलकमल नारंग, भा. र.ले. से., रक्षा लेखा नियंत्रक की अध्यक्षता में हुई।

अध्यक्ष ने प्रसंगानुकूल कार्यान्वयन के अवरोधों एवं कमियों पर विशेष ध्यान देते हुए यह निदेश दिया कि अनुभागों को सामान्य आदेशों को द्विभाषी रूप में जारी करवाने के प्रक्रम में प्रयोग के तौर पर भाग II कार्यालय आदेशों को अनुमोदन के पश्चात् जारी करने से पहले हिन्दी अनुवाद के लिए हिन्दी अधिकारी के पास भेजने चाहिए और यदि यह संतोषजनक पाया जाए तो इसे स्थायी तौर पर अपनाया जाए।

हिन्दी शिक्षण योजना के सहायक निदेशक श्री एम. पी. दुबे ने दो प्रस्ताव समिति के समक्ष रखे (1) केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान के अंतर्गत चलाए जाने वाले पूर्णकालीन गहन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के लिए कर्मचारियों को भिजवाकर शीघ्रातिशीघ्र प्रशिक्षण का कार्य पूरा किया जाए (2) यदि कार्यालय में हिन्दी कार्यशालाओं को आयोजित करना संभव न हो तो हि. शा. यो. द्वारा चलाई जाने वाली हिन्दी कार्याशालाओं में कर्मचारियों को प्रायोजित किया जाए।

कार्यालय के नाम बोर्ड :—कार्यालय के तीन नामबोर्डों में से दो द्विभाषी हैं और एक केवल अंग्रेजी में है। समिति ने निर्णय लिया कि अंग्रेजी का नामबोर्ड धातु का होने के कारण उसके बगल में उसी आकार का हिन्दी बोर्ड लगा दिया जाए।

सचिव ने समिति को सूचित किया कि राजभाषा विभाग के कार्यालय ज्ञापन में जारी किए गए संशोधन को ध्यान में रखकर संगठन के सभी उपकार्यालयों और मुख्य कार्यालय के सभी अनुभागों से हिन्दी में कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर्मचारियों के संबंध में अद्यतन आंकड़े मांगे गए हैं और सभी से रिपोर्ट आने पर स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। किन्तु मुख्य कार्यालय से हि. शि. यो. के जुलाई-नवंबर सत्र की कक्षाओं के लिए 28 व्यक्तियों को नामित किया जा रहा है।

हि. शि. यो. के प्रतिनिधि श्री दुबे ने हिन्दी टंकण और हिन्दी आशुलिपि के लिए भी अप्रशिक्षित कर्मचारियों को नामित करने के लिए कहा।

उपलब्धियां और समस्याएं:—सचिव ने समिति को सूचित किया कि विचाराधीन अवधि में 13973 हिन्दी शब्दों का अनुवाद किया गया, 25 मानक ड्राफ्ट द्विभाषी तैयार किए गए, दिनांक 2-2-90 को रा. भा. का.स. की बैठक आयोजित की गई, 730 रुपये मूल्य की हिन्दी पुस्तकें खरीदी गई।

वेतन अनुभाग के प्रभारी अधिकारी ने हिन्दी कार्यान्वयन में सहायतार्थ हिन्दी-अंग्रेजी/अंग्रेजी-हिन्दी शब्दकोश मांगे।

अध्यक्ष महोदय ने उन्हें शब्दकोश देने स्वीकार किए।

अध्यक्ष महोदया ने बैठक का समापन करते हुए सभी सदस्यों से मूक प्रेक्षक की भांति न बैठे रहने, उसकी सब कार्यवाहियों में सक्रिय रूप से भाग लेने, बैठक में हिन्दी का प्रयोग करने और हिन्दी संबंधी अपनी समस्याओं को समिति के समक्ष लाने का स्नेहपूर्ण आग्रह किया।

8. केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, दिल्ली

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बारहवीं बैठक सचिव श्री एस. गोपाल की अध्यक्षता में दिनांक 4-9-90 को पुस्तकालय कक्ष में आयोजित हुई।

डा. रमेश कुमार अंगिरस, निदेशक (राजभाषा), मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने तिमाही प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा करते हुए इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि कम से कम इस तिमाही में बोर्ड में हिन्दी के पत्राचार के प्रतिशत में वृद्धि हुई। बोर्ड से जारी किए गए कागजात शत-प्रतिशत द्विभाषी/हिन्दी में ही जारी किए गए हैं। हिन्दी के पत्राचार के संबंध में हिन्दी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिन्दी में ही दिए गए हैं।

विद्यालयों के पतों की सूची के संबंध में विचार विमर्श के दौरान हिन्दी अधिकारी ने बताया कि अभी तक अखिल भारतीय विद्यालयों के पतों की सूची मुद्रित होकर नहीं आई है। 1987 में मुद्रित विद्यालय के पतों की सूची हिन्दी अनुभाग द्वारा लिप्यन्तरित की जा चुकी है। सचिव ने आश्वासन दिया कि मैं संबंधित अनुभाग से इस संबंध में पुष्टि करूंगा।

डा. अंगिरस, निदेशक (राजभाषा) ने कहा कि जब अखिल भारतीय विद्यालयों के पतों की सूची हिन्दी में लिप्यान्तरित कर दी जाएगी तो प्राप्ति एवं प्रेषण अनुभाग

जारी पृष्ठ 82

राजभाषा सम्मेलन/संगोष्ठियां

हिन्दी में काम करना सरकारी कर्मचारियों की जिम्मेदारी है।

—गृहमंत्री

दिनांक 15-16 सितम्बर, 1990 को बम्बई में द्वितीय अखिल भारतीय बैंक राजभाषा सम्मेलन हुआ। भारत सरकार के गृहमंत्री, श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद ने इस सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए कहा कि बैंकिंग उद्योग देश भर में फैला हुआ है जिसकी 58,000 शाखाएं दूर-दराज तक बैंकिंग सेवा पहुंचा रही हैं। इसे देखते हुए सरकार की आर्थिक नीतियों को सफल बनाने में भी इस उद्योग की एक खास भूमिका है। गांवों की तरक्की के लिए तरह तरह की योजनाएं हैं जिसमें बैंकों की बहुत बड़ी भूमिका निश्चित की गई है। ऐसी हालत में यह जरुरी है कि हिन्दी और भारतीय भाषाओं अर्थात् जनभाषा में बैंकों का काम हो। बैंकों में हिन्दी में काफी काम हुआ है, इस बात पर गृहमंत्री ने अपनी खुशी जाहिर की लेकिन साथ ही आगाह भी किया कि अभी मंजिल बहुत दूर है अभी बहुत कम अंश में हिन्दी में काम हो रहा है। सारा काम हिन्दी में करना है। उन्होंने कहा कि देश भर में फैली बैंकों की 58,000 शाखाओं में से सिर्फ 16 हजार शाखाएं ही राजभाषा नियम के अंतर्गत नोटीफाई की गई हैं। इसी प्रकार 75 से 100 प्रतिशत हिन्दी में काम करने वाली शाखाओं की संख्या कुल 100 बताई गई है। पूरे बैंकिंग कार्य के विस्तार को देखते हुए यह काफी नहीं है। बैंकों के मशीनीकरण अथवा कम्प्यूटीकरण के बारे में श्री सईद ने एक संकट की स्थिति का संकेत किया। उन्होंने कहा कि जो हिन्दी में काम अब तक हो सका है, वह सब बेकार जायेगा। यदि कम्प्यूटर और मशीनें केवल अंग्रेजी में काम करेंगी तो हिन्दी कार्यावयन की मेहनत बेकार ही जायेगी। कम्प्यूटर, इलेक्ट्रानिक टाइपराइटर, एडवांस लेजर पोस्टिंग मशीनें, आदि हिन्दी में काम करने लायक होनी चाहिएं।

श्री सईद ने भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर से अनुरोध किया कि सभी मशीनों को हिन्दी में काम करने लायक बनाने के लिए तत्काल कदम उठायें, वरना पूरे बैंकिंग उद्योग को बाद में मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह जरुरी है कि ऐसे सॉफ्टवियर और हार्डवेयर जल्द बना लिये जाएं जिनसे बैंकों में सारा कामकाज कम्प्यूटरों द्वारा हिन्दी में किया जा सके।

गृहमंत्री ने इस बात पर खुशी जाहिर की कि अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में बैंकों में हिन्दी के कार्य को तेज करने का उद्घोष हो रहा है। पहला बैंक सम्मेलन कलकत्ता में हुआ और दूसरा बम्बई में हो रहा है। इन क्षेत्रों का हिन्दी के प्रचार-प्रसार में बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि इससे यह ख्याल भी पुख्ता होता है कि हिन्दी किसी एक सूबे की भाषा न होकर पूरे मुल्क की भाषा है। प्रारंभ में केन्द्रीय गृह मंत्री, भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष श्री रा.ना. मल्होत्रा, गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक, डॉ. रत्नाकर पाण्डेय, सांसद एवं मानद सम्मेलन अध्यक्ष, संसदीय समिति की तीसरी उप समिति के सांसद श्री चित्त बासु, श्री सत्यनारायण जटिया, श्री च.व. मीरचंदानी, संयुक्त सचिव, बैंकिंग प्रभाग, श्री महाजन, संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग, श्री शोपत सिंह मक्कासन, सांसद, श्री जगदम्बी प्रसाद यादव, पूर्व सांसद, श्री बालकवि बैरागी, पूर्व सांसद, श्री मोहम्मद अमीन सांसद, श्री रामजीलाल यादव, सांसद, श्री दर्शन सिंह जग्गी, उप निदेशक (हिंदी), वित्त मंत्रालय, श्री बेकल उत्साही, एवं सभी बैंकों के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा, अन्य समस्त महानुभावों का स्वागत करते हुए बैंक आफ बड़ौदा के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक तथा सम्मेलन के स्वागताध्यक्ष डॉ. ए. सी. शाह ने कहा कि महाराष्ट्र संत तुकाराम, लोकमान्य तिलक तथा महादेव रानडे जैसे संतों कि भूमि है और यहां राजभाषा सम्मेलन का आयोजन होना अत्यंत गर्व की बात है। देश की व्यापारिक राजधानी बंबई में सम्मेलन का आयोजन यह संकेत देता है कि भविष्य में उद्योग और व्यापार क्षेत्र में भी हिन्दी का इस्तेमाल होगा।

भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर एवं मुख्य अतिथि, श्री आर. एन. मलहोत्रा ने कहा कि बैंकों ने जन-भाषा का प्रयोग करके जनता के निकट का संबंध बनाया है। जनता के निकट आने

से बड़ा महत्त्वपूर्ण कार्य बैंकिंग व्यवसाय के लिए और कोई नहीं हो सकता, इसलिए हिन्दी का महत्त्व स्पष्ट है और उसका विशेष स्थान है।

श्री मल्होत्रा ने कहा कि हिन्दी में "बोलना, सोचना व लिखना" शुरू करने के लिए आवश्यक है कि हमारी भाषा ऐसी हो जो गंगा की तरह उदार हो, जिसमें अनेक नदियां आकर मिलें। सरल हिन्दी और "जिन्दा जुबान" की बात करते हुए उन्होंने कहा कि हिन्दी को 'जन" की भाषा बनाना चाहिए न कि "विजन" की। हिन्दी सभी भारतीय भाषाओं का महातीर्थ है। हिन्दी का इस्तेमाल बढ़ेगा तो दूसरी भाषाओं की शब्दावली भी आ जाएगी। तमिल, मलयालम, वगैरह के शब्द आ जायेंगे, और इस प्रकार अपनापन पैदा होगा, हिन्दी अहिन्दी का अन्तर कम होगा। हिन्दी का ऐसा इस्तेमाल नहीं होना चाहिए कि अहिन्दीभाषी को लगे या महसूस हो कि वह उन पर थोपी जा रही है। बल्कि वे भी "अपना" समझकर हिन्दी को अपनायें, ऐसा प्रयास होना चाहिए।

भारत सरकार के उप वित्तमंत्री, श्री अनिल शास्त्री ने अखिल भारतीय बैंक राजभाषा सम्मेलन के समापन सत्र को मुख्य अतिथि के रूप में सम्बोधित करते हुए कहा कि देश का स्वाभिमान सबसे बड़ी बात है और यदि देश की भाषा प्रयोग में नहीं आती तो स्वाभिमान कहां रहेगा? यदि भारत में हिन्दी इस्तेमाल नहीं हुई तो हमारे स्वाभिमान को ठेस लगती रहेगी और राष्ट्रीय एकता का खतरा बना रहेगा। गांधी जी की परिकल्पना का वह भारत नहीं बन पायेगा जिसमें हर नगारिक को स्वाभिमान से जीने का अवसर मिल सके।

श्री शास्त्री ने अंग्रेजी के सन्दर्भ में कहा कि सुविधा की दृष्टि से कुछ समय तक उसका इस्तेमाल जारी रखा गया था। परन्तु यह स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि कोई भी विदेशी भाषा अनन्त काल के लिए राजभाषा नहीं रह सकती। हिन्दी के बारे में गलतफहमियों का जिक्र करते हुए श्री शास्त्री ने सावधान किया कि भाषा व धर्म के नाम पर बांटने वालों को हमें मौका नहीं देना चाहिए। "हिन्दी हमें जोड़ेगी, तोड़ेगी नहीं," इस आत्म-विश्वास के साथ उसका प्रयोग सरकारी काम में किया जाना चाहिए।

बैंकिंग जगत को हिन्दी कार्यान्वयन में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए बधाई देते हुए उप वित्त मंत्री ने कहा कि राजभाषा सम्मेलन के प्रस्तावों पर वित्त मंत्रालय व सरकार समुचित निर्णय लेकर उन्हें कार्यान्वित करेगी। श्री शास्त्री ने इस आवश्यकता पर भी जोर दिया कि ऐसा माहौल बनाना चाहिए "जिसमें सभी भारतवासी स्वेच्छा से हिन्दी को राजभाषा के रूप में स्वीकार करें और हिन्दी के प्रयोग को वे गौरव का विषय समझें।

अन्य भारतीय भाषाओं के विकास पर भी श्री शास्त्री ने जोर दिया और कहा कि सरकार का "राजभाषा संकल्प" इसी उद्देश्य से बनाया गया था। उन्होंने कहा कि उसे सही माने में कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकारों के सहयोग से एक कार्यक्रम तैयार करके लागू किया जायेगा। श्री शास्त्री ने कहा, "आम राय की सच्चाई को नजरदाज नहीं किया जा सकता। सभी 15 भाषायें अपने स्थान पर समर्थ हैं। हमारी विविधता एकता में बाधक नहीं है। एक समयबद्ध कार्यक्रम तय करना आवश्यक है।"

बैंकों में हिन्दी कार्यान्वयन के संदर्भ में आने वाली समस्याओं का उल्लेख करते हुए श्री शास्त्री ने बताया कि सी. ए.आई.आई.बी. परीक्षा में अंग्रेजी का अनिवार्य पर्चा 1992 से हटा दिया जायेगा। जहां तक कम्प्यूटर में हिन्दी होने का प्रश्न है उन्होंने बताया कि रिजर्व बैंक इस दिशा में प्रयत्नशील है कि हिन्दी में हर क्षेत्र में काम करने लायक स्थितियां बनायी जायं। कम्प्यूटरीकरण नीति भी हिन्दी कार्यान्वयन की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनायी जायेगी।

पुणे में राजभाषा के माध्यम से वैज्ञानिक संगोष्ठी

राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला में हिन्दी सप्ताह के उपलक्ष्य में दिनांक 18-19 सितम्बर, 1990 को राजभाषा के माध्यम से एक अखिल भारतीय वैज्ञानिक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। प्रयोगशाला के कीट विज्ञान विभाग तथा हिन्दी अनुभाग के सहयोग से यह संगोष्ठी आयोजित की गई। संगोष्ठी का विषय था—"पर्यावरण प्रदूषण रहित कीटनियंत्रण"। इसमें देश के विभिन्न राज्यों से लगभग 110 वैज्ञानिक, बुद्धिजीवी, उद्योगकर्मी, तकनीकी विशेषज्ञ एवं पर्यावरण संरक्षक प्रतिनिधि प्रमुख थे। संगोष्ठी में कीट नाशक विषय, पर्यावरण प्रदूषण, रसायन विज्ञान, प्राणि विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, कृषि एवं जनस्वास्थ्य आदि विभिन्न विषयों पर 40 से अधिक शोधपत्र पढ़े गए।

राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला के कार्यवाहक निदेशक—डॉ. पॉल रत्नासामी ने संगोष्ठी का दीप प्रज्वलित कर विधिवत् उद्घाटन किया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में विस्फोटक अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला पुणे के निदेशक, डॉ. हरिद्वार सिंह उपस्थित थे। राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से प्रेक्षक के रूप में डॉ. महेश चन्द्र गुप्त, निदेशक, (अनुसंधान) भी उपस्थित थे।

इस द्विदिवसीय वैज्ञानिक संगोष्ठी के सभी सत्रों की कार्रवाई हिन्दी माध्यम से संचालित की गई। प्रतिनिधियों ने वैज्ञानिक परिचर्चाओं में काफी रुचि एवं उत्साह दिखाया।

दिनांक 19 सितम्बर, 1990 को अंतिम सत्र के दौरान प्रतिनिधियों ने कुछ महत्वपूर्ण संस्तुतियां प्रस्तुत कीं। विशेषज्ञों का विचार था कि इस तरह की वैज्ञानिक संगोष्ठियां हिन्दी के माध्यम से भारत की विभिन्न संस्थाओं में प्रत्येक वर्ष आयोजित की जानी चाहिए।

राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला, पुणे में हिन्दी माध्यम से वैज्ञानिक संगोष्ठी आयोजित करने का यह दूसरा अवसर था। इसके पूर्व गत वर्ष 1989 में भी क्षेत्रीय स्तर की एक-दिवसीय वैज्ञानिक संगोष्ठी राजभाषा के माध्यम से आयोजित की गई थी।

□ प्रस्तुति : रा. गोपाल कृष्णन्

कंप्यूटरों पर देवनागरी में कार्य

राजभाषा विभाग के तकनीकी कक्ष द्वारा "कंप्यूटरों पर देवनागरी में कार्य" विषय पर एक संगोष्ठी व द्विभाषिक क्षमतायुक्त कंप्यूटरों की एक प्रदर्शनी दिनांक 25-9-1990 को लखनऊ में उत्तर क्षेत्र के कार्यालयों के लिए आयोजित की गई। इसमें इन कार्यालयों के विभागाध्यक्षों तथा कंप्यूटरों पर कार्य करने वाले अधिकारियों को आमंत्रित किया गया था। लगभग 35 कार्यालयों के प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया।

कम्प्यूटरों पर संगोष्ठी का उद्घाटन करते हुए राजभाषा विभाग के संयुक्त सचिव श्री निशिकान्त महाजन

इस अवसर पर आयोजित प्रदर्शनी में विभिन्न प्रकार के बड़े प्रोसैसर पैकेज, डी. टी. पी. सिस्टम, जिस्ट तकनीक पर आधारित प्रणालियों, बैंकिंग सोफ्टवेयर तथा उच्च गति के लाइन मैट्रिक्स प्रिंटर प्रदर्शित किए गए। प्रतिभागियों ने इन उपकरणों में काफी रूचि ली। इ. टी. एण्ड टी. डी. सी. ने भी इस अवसर पर अपने कम कीमत के द्विभाषिक कंप्यूटर का प्रदर्शन किया।

संगोष्ठी में उपस्थित विशेषज्ञों में प्रमुख थे—

(1) डा. आर. एम. के. सिन्हा, प्रोफैसर तथा विभागाध्यक्ष, कंप्यूटर इंजीनियरिंग विभाग, आइ. आइ. टी., कानपुर।

(2) श्री संजीव चड्ढा, डवैलपमेंट स्पैशिलस्ट, सी.एम.सी.

(3) डा. आर. जी. एस. अस्थाना, फंक्शनल हैड (आर एण्ड डी), क्रिस

(4) श्री जैल सिंह, संयुक्त निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र इ. टी. एण्ड टी. डी. सी. के संयुक्त महा- प्रबंधक ने भी इस में भाग लिया।

संगोष्ठी में कंप्यटरों पर देवनागरी में कार्य करने के लिए विभिन्न सोफ्टवेयर तथा हार्डवेयर उपायों के बारे में बताया गया। द्विभाषिक उपकरणों के संबंध में राजभाषा नीति के अंतर्गत जारी किये गए आदेशों का भी ब्योरा दिया गया। इस संबंध में प्रतिभागियों की शंकाओ का भी निराकरण किया गया।

गृह मंत्रालय में द्विभाषा कम्प्यूटर प्रदर्शनी

राजभाषा विभाग (तकनीकी कक्ष) ने गृह मंत्रालय में हिन्दी सप्ताह के दौरान 11-12 सितम्बर, 1990 को एक प्रदर्शनी आयोजित की गई। इसमें राजभाषा विभाग के तकनीकी कक्ष द्वारा कंप्यूटरों पर हिन्दी में कार्य करने की विभिन्न तकनीकों का प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनी का उद्घाटन श्री एल. एन. गुप्त, सचिव, राजभाषा विभाग ने तथा संयोजन श्री बृजमोहन सिंह नेगी ने किया।

गृह मंत्रालय में आयोजित कम्प्यूटर प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए राजभाषा विभाग के पूर्व सचिव श्री एल. एन. गुप्ता तथा अन्य अधिकारीगण

राजभाषा विभाग के तकनीकी पक्ष द्वारा दिनांक 27 नवम्बर, 1990 को बम्बई में "कम्प्यूटरों पर देवनागरी में कार्य विषय पर आयोजित एक दिवसीय संगोष्ठी एवं द्विभाषी कम्प्यूटरों की प्रदर्शनी में 120 कम्प्यूटर विशेषज्ञों तथा उच्चाधिकारियों ने भाग लिया। संगोष्ठी का उद्घाटन राजभाषा विभाग के सचिव श्री रमेशचंद्र कपिल ने किया

प्रदर्शनी का उदघाटन करते हुए राजभाषा विभाग के सचिव श्री रमेशचन्द्र कपिल

इस अवसर पर लगाई गई द्विभाषी सुविधायुक्त कम्प्यूटरों की एक प्रदर्शनी में 12 साफ्टवेयर एवं हार्डवेयर निर्माताओं ने अपने उपकरण प्रदर्शित किए।

संगोष्ठी में प्रतिभागियों को कम्प्यूटरों पर देवनागरी में कार्य करने के सम्बन्ध में उनके द्वारा उठाई गई समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया गया। संगोष्ठी में कंप्यूटरों पर देवनागरी की सुविधा से सम्बन्धित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। □

विचार-गोष्ठी

राष्ट्रीय अस्मिता और हिन्दी

नवस्थापित भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने लखनऊ स्थित अपने प्रधान कार्यालय में 14 सितम्बर, 1990 को हिन्दी दिवस के उपलक्ष्य में सुलेख, अनुवाद तथा टिप्पण-प्रारूपण पर प्रतियोगिताएं आयोजित कीं। इन प्रतियोगिताओं में स्टाफ सदस्यों ने सोत्साह भाग लिया।

समारोह की एक अन्य विशेषता थी—"राष्ट्रीय अस्मिता और हिन्दी" विषय पर आयोजित की गई—विचार-गोष्ठी। इसके प्रमुख वक्ता थे—आकाशवाणी लखनऊ के निदेशक डॉ. मदन मोहन सिन्हा "मनुज", लखनऊ विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग के अध्यक्ष डॉ. सूर्य प्रसाद दीक्षित और अवकाश प्राप्त प्राचार्य डॉ. दुर्गाशंकर मिश्र।

सम्बोधित करते हुए डा. दुर्गा शंकर मिश्र। मंच पर साथ में श्री कैलाश चंद्र मिश्र (बाएं), विशेष कार्य अधिकारी, उत्तर प्रदेश शासन तथा आकाशवाणी लखनऊ के निदेशक डा. मदन मोहन सिन्हा 'मनुज' (दाएं)

मुख्य वक्ता डॉ. मदन मोहन सिन्हा "मनुज" ने इस अवसर पर बोलते हुए हिन्दी के प्रति उपेक्षा-भाव रखने वालों की आलोचना की और उन्हें श्रीहीन, क्लीव तथा बिके हुए लोगों की संज्ञा दी। डॉ. मनुज ने समस्त भारतीय भाषाओं की संवेदना में एकरूपता स्थापित की और उनके बीच तालमेल की स्थापना पर बल दिया, ताकि वे सही मायने में राष्ट्र की अस्मिता का प्रतीक बन सकें।

डॉ. सूर्य प्रसाद दीक्षित ने इस बात पर खेद व्यक्त किया कि हम अब भी विदेशी भाषा के शव को ढोए चले जा रहे हैं और इसी कारण राष्ट्र की पृथक इयत्ता बाधित होती है। उन्होंने अस्सी करोड़ लोगों को देश की अस्मिता की रक्षा हेतु विशेष उपादान की संज्ञा दी।

डॉ. दुर्गाशंकर मिश्र ने हिन्दी के विकास का सांगोपांग चित्र प्रस्तुत किया और जोर देकर कहा कि हम अपनी अस्मिता को विस्मृत कर चुके हैं, अन्यथा हिन्दी दिवस मनाने की आवश्यकता ही न पड़ती। उन्होंने आगे कहा कि यह बड़े आश्चर्य की बात है कि सर्वाधिक वैज्ञानिक भाषा के बावजूद भी लोग इसके प्रयोग में संकोच करते हैं। यह हमारी मानसिक दासता का द्योतक है। □

नाभिकीय ईंधन संमिश्र, हैदराबाद

नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र में "चतुर्थ राजभाषा सप्ताह समारोह" का दिनांक 18 दिसम्बर को उद्घाटन करते हुए मुख्य कार्यपालक श्री कंभपाटि बलराम मूर्ति ने कहा कि सम्मिश्र में सरकारी कामकाज राजभाषा हिंदी के प्रयोग में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, कर्मचारियों द्वारा अपना सरकारी कामकाज हिंदी में करने के उत्साह को देखते हुए सम्मिश्र में प्रथम बार एक द्वि-दिवसीय "हिन्दी कार्यशाला" का आयोजन किया गया इसमें प्रायः 25 अधिकारियों/कर्मचारियों ने भाग लिया ।

कार्यशाला में सम्मिश्र के हिन्दी अधिकारी श्री रमेश चन्द्र सुकुल ने सरकारी काम-काज में प्रयुक्त प्रशासनिक/लेखा शब्दावली की सविस्तार चर्चा की और केंद्र सरकार की विभिन्न प्रोल्हासन योजनाओं पर प्रकाश डाला। हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड के हिंदी अधिकारी डॉ. एम. लक्ष्मणाचार्युलु ने भाषा के "व्याकरणिक पक्षों " पर प्रकाश डाला , हिन्दीतर भाषियों, द्वारा लेखन-कार्य में प्रायः होने वाली अशुद्धियों से बचने के उन्होंने सरल उपाय सुझाए ।

"लोकप्रिय व्याख्यानमाला" के अंतर्गत दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के आचार्य डॉक्टर कृष्ण कुमार गोस्वामी ने कहा कि हिंदी किसी वर्ग-विशेष या प्रांत विशेष की भाषा बन करके ही न रह जानी चाहिए। हिंदी को सुसप्रेषणीय बनाने के लिए उसे अन्य भाषाओं से भी शब्द ग्रहण करने होंगें, तभी जनसामान्य में उसकी लोकप्रियता बढ़ सकेगी ।

"राजभाषा हिंदी के प्रयोग की आवश्यकता" पर बोलते हुए डॉ. पी विद्यासागर दयाल ने हिंदी को राष्ट्रीय संदर्भो के साथ जोड़कर उसे अनिवार्य रूप से अपनाने पर बल दिया। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के परमाणु ईंधन प्रभाग के प्रमुख डा. रामानाथन विजय राघवन ने नेहरू जी के वैज्ञानिक दृष्टि-कोण, उनकी दूर-दृष्टि, विज्ञान में गहन रुचि तथा उनके द्वारा स्थापित की गई अनेक वैज्ञानिक संस्थाओं की विशद् चर्चा की ।

हिंदी सुलेखन एवं बोधन प्रतियोगिता तथा "राष्ट्रीय एकता के महत्त्व" पर हिंदी तथा हिंदीतर-भाषियों के लिए निबंध-लेखन प्रतियोगिताओं का दिनांक 20 दिसंबर, को आयोजन किया गया ।

टिप्पण एवं आलेखन प्रतियोगिता : अगले दिन प्रशासनिक टिप्पण एवं आलेखन प्रतियोगिता आयोजित की गई । इन सभी प्रतियोगिताओं में प्रायः 150 अधिकारियों/कर्मचारियों ने भाग लिया ।

हिन्दी तकनीकी गोष्ठी : सम्मिश्र के मुख्य कार्यपालक श्री कं. बलराम मूर्ति ने दिनांक 22 दिसंबर, को "विशेष महत्त्व के उद्योगों में संरक्षा-जागरूकता" पर आयोजित हिंदी तकनीकी संगोष्ठी का उद्घाटन करते हुए कहा कि आज के युग में सभी को संरक्षा के प्रति जागरूक होना चाहिए । इसके अभाव में औद्योगिक प्रगति होना असंभव है । मिश्र धातु निगम के प्रबंध निदेशक श्री कृष्णकुमार सिन्हा ने संरक्षा-जागरूकता बढ़ाने में राजभाषा हिंदी तथा प्रांतीय भाषाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया । सम्मिश्र की राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष श्री उमेश चंद्रगुप्त ने सभी उपस्थितजनों का स्वागत किया तथा संगोष्ठी की कार्यवाही का संचालन किया ।

संगोष्ठी में सम्मिश्र के संरक्षा प्रबंधक श्री हरचरन सिंह अहलूवालिया ने श्रमिकों की सहभागिता के साथ औद्योगिक दुर्घटनाओं को रोकने के उपायों की चर्चा की । उन्होंने कहा कि श्रमिकों को यह अधिकार है कि किसी भी संभावित खतरे के प्रति प्रबंध को सावधान करें । उन्होंने आगे कहा कि समय - समय पर श्रमिकों के "स्वास्थ्य की परीक्षा" की जानी चाहिए ।

सम्मिश्र के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉ. मनीष चंद्र दत्त ने संरक्षा के लंबे इतिहास का विवरण प्रस्तुत करते हुआ कहा कि "संरक्षा और स्वस्थता" के कानूनों की अपेक्षाओं को केवल पूरा करके ही हम संरक्षा के प्रति पूर्णरूपेण जागरूक होने का दावा नहीं कर सकते । प्रशिक्षित व्यवसाय जन्य रोग चिकित्सक ही श्रमिकों की स्वस्थ्य-रक्षा की चुनौती का सफलतापूर्वक सामना कर सकते हैं ।

सम्मिश्र के ताप संदीप्तशील एकक के डॉ. डी.आर. सिंह ने "विकिरण तथा मानव प्रगति" पर बोलते हुए रेडियो सक्रिय पदार्थों का विद्युत एवं औद्योगिक उत्पादन, कृषि एवं मौलिक अनुसंधान एवं भौगोलिक सर्वेक्षण आदि क्षेत्रों में दिनानुदिन बढ़ते हुए उपयोग की चर्चा की तथा सामाजिक उन्नति में विकिरण की लाभकारी भूमिका को रेखांकित किया ।

सम्मिश्र के स्वास्थ्य-भौतिकी के प्रभारी अधिकारी श्री एस. विश्वनाथन ने गामासक्रियता, विषाक्त रासायनिक पदार्थों तथा गैसीय कणों के अंतः श्वसन/अंतर्ग्रहण द्वारा वृत्तियों में उत्पन्न होने वाले जोखिमों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए उनसे बचने के तरीकों का विवरण दिया। उन्होंने बतलाया कि हाथों पर दस्ताने पहनने से बीटा किरणों के प्रभाव को कम किया जा सकता है । उन्होंने यूरेनियम-धूमि के फैलाव को रोकने के लिए संयंत्रों में अपनाए जा रहे संरक्षात्मक उपायों पर प्रकाश डाला । सम्मिश्र के संरक्षा प्रभाग के वैज्ञानिक अधिकारी श्री साई सनाथन ने कहा कि विभिन्न संयंत्रों के कर्मचारियों को "प्राथमिकता चिकित्सा" का प्रशिक्षण दिया गया है । खतरनाक रसायनों के भंडारण और उपयोग करते समय होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए "आपात योजनाएं" भी बनाई गई हैं ।

परमाणु खनिज प्रभाग के श्री नरेंद्र कुलकर्णी ने कहा कि खानों के अंदर और बाहर रेडियो-सक्रियता की असामान्य वृद्धि का पता लगाने के लिए विकिरण-स्तर का निरंतर मौनीटरन किया जाता है । खान कर्मचारियों को पोशाक पर एक फिल्म बैज लगा रहता है जिससे कर्मचारी द्वारा गृहीत "विकिरण की मात्रा" का पता चलता है । यदि कोई कर्मचारी सामान्य से अधिक मात्रा में विकिरण ग्रहण कर चुका हो तो तुरंत ही उसे चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है । यूरेनियम की खानों में "रेडान गैस" उत्पन्न होती हैं । ताजी दाबित वायु के सुसंवासन द्वारा इसकी सांद्रता का नियंत्रण करते हैं ।

मिधानी के संरक्षा अभियंता श्री गुम्मडि वीरभद्र राव ने "संरक्षा जागरूकता" को व्यक्ति की "आंतरिक चेतना" के रूप में परिभाषित करते हुए कहा कि कर्मशालाओं का नियमित रूपेण "संरक्षा-सर्वेक्षण" किया जाना चाहिए । श्रमिकों को स्थानीय भाषा में "सही कार्याविधि" से अवगत करवाने तथा संभी प्रक्रियात्मक साहित्य उपलब्ध करवाने तथा दुर्घटनाओं को पुनर्घटित न होने देने के लिए प्रथम-घटित दुर्घटना के कारणों की भली-भांति समीक्षा करने पर उन्होंने बल दिया ।

इस संगोष्ठी में ई सी आई एल, इंदौर स्थित प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र, हिंदुस्तान केबल्स लिमिटेड तथा आई डी पी एल के वरिष्ठ वैज्ञानिकों एवं अभियंताओं ने भाग लिया। अंत में सम्मिश्र की राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सदस्य-सचिव श्री एन.एस. दयानंद ने धन्यवाद ज्ञापन किया । □

भारी पानी संयंत्र, कोटा

"हिन्दी दिवस" समारोह की श्रृंखला के क्रम में आयोजित हिन्दी संगोष्ठी को सम्बोधित करते हुए श्री एस.एस. सचदेव (मुख्य परि. अभियन्ता रा.प.वि.परि. निर्माणाधीन इकाई-5 8) ने कहा कि हिन्दी के प्रयोग में उत्तरोत्तर वृद्धि हो इसके लिए यह आवश्यक है कि स्वयं हिन्दी भाषी लोग हिन्दी के अतिरिक्त अन्य भारतीय भाषाओं को सीखने की दिशा में पहल करें । श्री सचदेव ने कहा कि हिन्दी को राजभाषा बनाए जाने के बाद कदाचित सबसे बड़ी आशंका हिन्दीतर भाषी राज्यों के रहने वालों के मन में यह फैल गई कि हिन्दी जानने वाले हिन्दी प्रयोग के आधार पर अन्य क्षेत्रों के देशवासियों पर अधिमान्यता कायम करना चाहते हैं फलस्वरूप हिन्दी चर्चा और आलोचना का विषय बन गयी है ।

श्री सचदेव ने आग कहा कि हिन्दी भाषा को सीधे व्यवसायिकता से जोड़ने से स्वतः ही हिन्दी के प्रति स्वीकार्यता बढ़ेगी और इससे हिन्दी पढ़े लिखे लोगों को मानसिकहीनता में कमी आएगी । उन्होंने यह भी कहा कि यदि हम यह सोचते है कि अंग्रेजी पढ़ने से ही नौकरियां शीघ्रता से मिल जाएंगी तो यह गलत है । इस स्थिति में अब काफी बदलाव आ गया है ।

अध्यक्षीय भाषण में श्री एस.सी. हिरेमठ, महाप्रबंधक भापासंको ने कहा कि हिन्दी के संवर्द्धन के लिए मूल आवश्यकता इस बात की है कि हमें भाषा या भाषाओं के ज्ञान के प्रति जिज्ञासु होना चाहिए । उन्होंने कहा कि हमें अपनी अभिरुचि और दृष्टिकोण को भी बदलना होगा, तभी हम हिन्दी या अन्य भारतीय भाषाओं के विकास की बात सोच सकते हैं ।

इस गोष्ठी में संयंत्र के वैज्ञानिक तकनीकी तथा प्रशासनिक अधिकारियों सहित लगभग 100 भाषा प्रेमी उपस्थित थे ।

विषय प्रवर्तन करते हुए रा.भा.कार्या. समिति के सदस्य सचिव श्री सुनील मरवाही ने कहा कि संघ की भाषा नीति प्रारम्भ से ही प्रेरणा, प्रोत्साहन और सहायता से हिन्दी को बढ़ाने की रही है । राजभाषा नियमों के अधीन कुछ विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए हिन्दी और अंग्रेजी का प्रयोग अनिवार्य है । हिन्दी सिखाने के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण की निशुल्क व्यवस्था है ।

गोष्ठी में सर्वश्री यशपाल तथा श्री जी.के. विट्ठल (वै. अधि.), मेहदीं इमाम, जे.एम.पारीख, (भुगतान एवं लेखाअधिकारी), आर. राजमोहन, एस.सी. नन्दवाना, ने अपने विचार व्यक्त किये । प्रारम्भ में संयंत्र के अनुरक्षण प्रबन्धक श्री बी.वी.राव ने आगन्तुकों का स्वागत किया श्री के.डी. फलके प्रशासन अधि. ने आभार व्यक्त किया ।

संगोष्ठी के सफल आयोजन में सर्वश्री पी.आर. नायर, जे.जी. दायमा, रतीराम, प्रशान्त श्रीवास्तव, भगतसिंह राणा, अल्ताफ हुसैन, पी.डी. श्रृंगी, एच.एस. अहारे तथा भैरु लाल ने सक्रिय सहयोग किया । □

हिंदी के बढ़ते चरण

केन्द्रीय विद्युत मण्डल-I, बम्बई में राजभाषा के बढ़ते चरण

बंबई केन्द्रीय विद्युत् मंडल-1, के. लो. नि. वि., बोटावाला, चेम्बर, बंबई में 1/11/90 को राजभाषा समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह की अध्यक्षता श्री वी. के. बंसल, कार्यपालक अभियंता (वि.) ने की। समारोह का संयोजन व संचालन श्री महेशचन्द्र अवस्थी ने किया।

श्री वी. के. बंसल, कार्यपालक अभियंता (वि.) ने कहा कि जहां तक इस मंडल का सवाल है, राजभाषा कार्यान्वयन में यदि किसी कर्मचारी अथवा अधिकारी ने हिंदी में काम करने में कठिनाई आती है तो वे बेझिझक मेरे पास आ सकते। समारोह में पुरस्कार पानेवाले सभी कर्मचारियों और अधिकारियों का अभिनंदन करते हुए उन्होंने सभी से अपील की कि वे अधिक से अधिक काम हिंदी में करें।

इस राजभाषा समारोह में सर्वाधिक काम हिंदी में करने वाले उपमंडल को एक राजभाषा ट्राफी प्रदान की गई एवं अन्य कर्मचारियों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत नगद पुरस्कार प्रदान किये गये।

(1) व.के.वि. मं. 1/केचोनिवि/मुंबई के अधीन चार विद्युत् उपमंडल है। वर्ष 89-90 के दौरान इन उपमंडल के द्वारा किये गये हिंदी कामकाज का ब्यौरा निम्न प्रकार है।

मासिक हिन्दी प्रगति प्रतिशत

महीना	उपमंडल-1	उपमंडल-2	उपमंडल-3	उपमंडल-4
अप्रैल '89	45.63%	78.40%	72.3%	86.76%
मई '89	56,57	68.35	88.10	84.61
जून '89	77.77	72.92	81.48	75.90
जुलाई '89	61.97	52.10	91.38	52.65
अगस्त '89	46.49	66.67	71.70	65.30
सितम्बर '89	52.13	43.10	63.27	88.61
अक्तूबर '89	47.62	84.48	71.15	78.95
नवम्बर '89	51.90	29.82	69.39	74.16
दिसंबर '89	41.50	..	79.66	77.96
जनवरी '90	50.98	38.46	75	84.61
फरवरी '90	63.23	28.08	67.92	84.31
मार्च '90	45.37	38.34	57.53	78.20
	599.66	600.72	809.26	854.06
	54.51	54.61	73.57	77.64

निर्णायक समिति के द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार श्री एम. सी. गुप्ता, सहायक अभियंता (वि.), मु. के. वि. उपमंडल-4, के.लो.नि.वि., को वर्ष 89-90 के लिये, राजभाषा चल-ट्राफी प्रदान की गई।

वर्ष 1989-90 के दौरान निम्नलिखित कर्मचारियों ने उनके सरकारी कामकाज में 20 हजार से भी अधिक शब्द हिंदी में लिखें।

1.	श्रीमती अरुणा प्रभाकर डेगड़े, उ. श्रे.लि.	प्रथम
2.	श्री डी. एम. भगतानी, अ. श्रे. लि.,	प्रथम
3.	श्री बी. जी. जाधव, उ.श्रे.लि.,	द्वितीय
4.	श्री ए. डी. पवार, अ.श्रे.लि.	,,
5.	श्री एस. के. बारापात्रे, अ.श्रे.लि.	द्वितीय
6.	श्रीमती प्राची राणे, अ.श्रे.लि.	तृतीय

लघु उद्योग सेवा संस्थान, इम्फाल में हिंदी को प्रगति

राजभाषा नीति के अनुपालन और कार्यान्वयन हेतु इस संस्थान द्वारा लगातार प्रचार किए जा रहे हैं। अहिंदीभाषी क्षेत्र और अधिकांश कर्मचारियों के अहिंदीभाषी होने के बावजूद इस संस्थान ने इस दिशा में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है।

'क' और 'ख' क्षेत्र से हिंदी पत्राचार–वर्ष 1989-90 में 'क' और 'ख' क्षेत्र से पत्राचार इस प्रकार रहे –

समाप्त तिमाही	भेजे गए कुल पत्र	हिंदी में भेजे गए	अंग्रेजी में भेजे गए पत्र	प्रतिशत
30-6-1989	230	30	200	12%
30-9-1989	236	14	222	12%
31-12-1989	178	2	176	12%
31-3-1990	323	54	269	12%
योग :	967	100	867	12%

उपर्युक्त आंकड़ों से स्पष्ट है कि 'क' और हर संभव प्रयास किया गया हैं। अगर किसी विशेष कारण से हिंदी पत्राचार का प्रतिशत किसी खास तिमाही में गिर गया है तो अगली तिमाही में उस कमी को पूरा करने की प्रत्येक संभव कोशिश की गयी है।

हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर–हिंदी में प्राप्त सभी पत्रों के उत्तर अनिवार्य रूप से हिंदी में ही दिए गए।

हिंदी प्रशिक्षण : वर्ष 1989-90 के दौरान एक निम्न श्रेणी लिपिक के हिंदी शिक्षण योजना मणिपुर, इंफाल से प्रबोध की परीक्षा पास की।

विभिन्न आयोजनों और बैठकों में हिंदी का प्रयोग : पिछले वर्ष लघु समारोहों जैसे विदाई समारोह, तथा कुछ बैठकों में संस्थान के कई अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा अपने विचार आदि हिंदी में व्यक्त किए गए जो इस संस्थान की इस वर्ष में एक बड़ी उपलब्धि है।

हिंदी कार्यशाला : संस्थान के कामों में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने और इसके प्रयोग में उत्पन्न होने वाले झिझक को दूर करने के उद्देश्य से इस संस्थान में हिंदी कार्यशाला का भी आयोजन किया गया और अधिकारियों तथा कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया। यह कार्यशाला पांच दिनों तक चली।

हिंदी निबंध और वाक् प्रतियोगिता का आयोजन : विकास आयुक्त (ल. उ.) कार्यालय के निर्देशानुसार हिन्दी सप्ताह के अन्तर्गत दिनांक 21-9-89 को वाक् प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें सात अहिंदी भाषा अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लिया। पुनः 9-89 को हिंदी निबंध प्रतियोगित आयोजित की इसमें भाग लेने वालों की संख्या आठ थी। निर्णायक मंडली में मणिपुर विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के उपाध्यक्ष स्थानीय कालेज के प्राध्यापक और स्थानीय हिंदी पत्रिका के संपादक थे। वाक् प्रतियोगिता और निबंध प्रतियोगिता के विषय क्रमशः "क्या हिंदी राष्ट्रीय एकता ला सकी है?" "लघु उद्योगों का महत्व थे"।

वाक् प्रतियोगिता में श्री बसन्त श्रीमाजी मेहरे कुरे, अन्वेषक (धातु.), श्री आशीष कुमार सिन्हा, सहायक निदेशक (यांत्रिकी) और श्री स्वर्णा की डेका, ल.उ. सं.अ. (चर्म) क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त किए। इसी प्रकार प्राप्त अंकों के आधार पर निबंध प्रतियोगिता में प्रथम द्वितीय और तृतीय स्थान पर श्री वसन्त दोमाजी मेहरेकुरे, श्री आशीष कुमार सिन्हा और श्रीमती चाओबी देवी (उ.श्रे.लि.) रहे। दोनों प्रतियोगिताओं के कुल प्रतिभागी अहिंदीभाषी ही थे।

अनुवाद प्रशिक्षण : संस्थान में कार्यरत एकमात्र हिंदी अनुवादक श्री डी. एन. सिंह को उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों में निपुणता लाने और उत्तम निष्पादन के लिए उन्हें राजभाषा विभाग के अनुदेशों और प्रावधानों के तहत अनुवाद प्रशिक्षण हेतु अक्तूबर-दिसंबर 1989 सत्र में केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो भेजकर प्रशिक्षित कराया गया।

हिंदी पुस्तकों की खरीद : वर्ष 1989-90 में मुख्यालय द्वारा हिंदी पुस्तकों और पत्रिकाओं की खरीद के लिए रु. 2000/- की राशि इस संस्थान को आबंटित की गयी थी जिससे हिंदी की 87 पुस्तकें खरीदी गयी। चूंकि आवंटन देर से हुआ था और आबंटित राशि को 31 मार्च तक खर्च कर देना था। अतः कोई पत्रिका नहीं खरीदी जा सकी।

स्टील अलमारी की खरीद–वर्ष 1989 -90 में राजभाषा पुस्तकालय को समृद्ध बनाने और हिंदी पुस्तकों के उत्तम रखरखाव की व्यवस्था के लिए संस्थान में एक स्टील की अलमारी भी खरीदी गयी। अब हिंदी की पुस्तकों को यत्र-तत्र और अन्य पुस्तकों के साथ न रखकर इसी अलमारी में रखा जा रहा है।

3. राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन और बैठकें : राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के प्रावधानों के अंतर्गत वर्ष इस संस्थान में राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन किया गया जिसका अबतक इस संस्थान में गठन नहीं हो पाया था। समय-समय पर इस समिति की गठनोपरांत बैठकें भी संपन्न हुई हैं।

पृष्ठ 74 का शेष

से अनुरोध किया जा सकता है कि वे "क" क्षेत्र अर्थात् हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा राज्यों और दिल्ली संघ शासित क्षेत्रों में भेजे जाने वाले लिफाफों पर पते हिन्दी में चिपकाए/लिखे जाएं।

"क" क्षेत्र में हिन्दी में भेजे जाने वाले तारों के संबंध में सचिव ने निर्णय लिया कि हम प्रतिशत के आधार पर निर्धारित न करें कि नियत प्रतिशत में कार्य किया जाए। ऐसे तार जिनके विषयों में संदिग्धता नहीं है व सामान्य विषय के हैं, वे हिन्दी में भेजे जाएं।

निर्णय लिया गया कि पिछले वर्ष की भांति इस सत्र में भी हिन्दी टाईपिंग की विभागीय व्यवस्था की जाए। निर्णय लिया गया कि बोर्ड में ही हिन्दी आशुलिपि का प्रशिक्षण दिया जाए। बोर्ड में हिन्दी आशुलिपि में प्रशिक्षित तीन कर्मचारी हैं। इनमें से श्री सोमनाथ आशुलिपि की कक्षाएं ले सकते हैं। हिन्दी आशुलिपि की कक्षाएं लेने के लिए उन्हें राजभाषा विभाग द्वारा जारी किए गए नियमों के अनुसार मानदेय देय होगा। इसके लिए भी अलग से प्रस्ताव भेजा जाएगा।

राजभाषा संबंधी सर्जनात्मक साहित्य की व्यवस्था

राजभाषा संबंधी शब्दावली, विभिन्न अनुभागों से संबंधित टिप्पण व पत्राचार हेतु विभिन्न अनुभागों से सामग्री एकत्रित कर उसके आधार पर निर्देशिका तैयार की जाएगी। इसके लिए अलग से प्रस्ताव तैयार किया जाएगा।

राजभाषा अनुभाग के लिए एक वरिष्ठ और एक कनिष्ठ अनुवादक की नियुक्ति की व्यवस्था

हिन्दी अनुभाग में कार्य की मात्रा और महत्ता को देखते हुए राजभाषा विभाग द्वारा जारी किए गए मानकों के आधार पर कम से कम एक वरिष्ठ और एक कनिष्ठ अनुवादक की नियुक्ति की जाए। हिन्दी अधिकारी को अपने कर्त्तव्यों के अतिरिक्त इस समय क्षेत्रीय भाषाओं से संबंधित जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। फिलहाल उन्हें शैक्षणिक अनुभाग में कार्यरत शिक्षा अधिकारी (विज्ञान) के वैयक्तिक सहायक जो हिन्दी आशुलिपि प्रशिक्षित हैं हिन्दी अधिकारी से भी डिक्टेशन ले लेंगे और इसके लिए उन्हें नियमतः 60/- रु. प्रतिमाह की दर से मानदेय दिया जा सकता है।

निदेशक, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने यह सुझाव दिया कि जांच बिन्दु अवश्य बनाए जाएं जिससे अधिकारियों की जिम्मेदारी भी निर्धारित हो सके। □

हिंदी दिवस समारोह

गृह मंत्रालय

गृह मंत्रालय में 10-9-90 से 14-9-90 तक "हिन्दी सप्ताह" का आयोजन किया गया । **सप्ताह के पहले दिन** 10-9-90 को गृह सचिव की ओर से मंत्रालय के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को हिन्दी में अधिक-से-अधिक काम निपटाने के लिए एक अपील जारी की गई । अपील में इस तथ्य की ओर भी ध्यान आकर्षित किया गया कि हिन्दी में भेजे गए पत्रों और प्रस्तावों पर अंग्रेजी पत्रों और प्रस्तावों की अपेक्षा देरी से विचार होता है, इसलिए विवश होकर अंग्रेजी में पत्र व्यवहार करना पड़ता है । इस धारणा को निर्मूल साबित किया जाना चाहिए और हिन्दी में प्राप्त पत्रों आदि पर उसी तरह से शीघ्रतापूर्वक विचार किया जाना चाहिए जिस तरह से अंग्रेजी पत्रों पर किया जाता है । इसी दिन एक हिन्दी टाईपिंग तथा हिन्दी आशुलिपि प्रतियोगिता आयोजित की गई ।

सप्ताह के दूसरे दिन अर्थात् 11-9-1990 को एक हिन्दी में नोटिंग व ड्राफ्टिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।

सप्ताह के तीसरे व चौथे दिन अर्थात् 12 व 13-9-90 को मंत्रालय में हिन्दी में उपलब्ध पुस्तकों की प्रदर्शनी आयोजित की गई जिसमें मंत्रालय के पुस्तकालय के अलावा दो पुस्तक विक्रेताओं तथा दो प्रकाशकों ने भाग लिया । इसके अतिरिक्त हिन्दी में उपलब्ध यांत्रिक सुविधाओं अर्थात् पसनल कम्प्यूटरों, शब्द संसाधकों आदि में हिन्दी भाषा में काम करने की क्षमता को प्रदर्शित करने के लिए उक्त यंत्रों की भी प्रदर्शनी लगाई गई । प्रदर्शनी का उद्घाटन श्री रमेश चन्द्र कपिल सचिव, राजभाषा विभाग ने किया और कहा कि हिन्दी एक समृद्ध भाषा है । इसमें वैज्ञानिक, इंजीनियरी, मानविकी व अन्य सभी विषयों की पुस्तकें उपलब्ध हैं । सभी विषयों की शब्दावली भी तैयार की जा चुकी है । इस प्रकार इस भाषा में सरकारी कामकाज को

गृह मंत्रालय में विशेष सचिव श्री ए.ए. अली से हिन्दी में श्रेष्ठ कार्य करने के लिए शील्ड ग्रहण करते हुए भारत के संयुक्त रजिस्ट्रार जनरल।

करने में कोई कठिनाई नहीं है । अतः अधिकाधिक लोगों को सरकारी कामकाज में हिन्दी का प्रयोग करना चाहिए । संयुक्त सचिव (प्रशासन) श्री जगदीश चन्द्र डंगवाल ने कहा कि उनका प्रयास होगा कि राजभाषा विभाग द्वारा प्रति वर्ष जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार हिन्दी पुस्तकों पर भी समुचित धनराशि खर्च की जाए । इसके अतिरिक्त भविष्य में मंत्रालय में खरीदे जाने वाले सभी यांत्रिक उपकरण द्विभाषी रूप में खरीदे जाएंगे । उन्होंने आशा व्यक्त की कि ऐसे कार्यक्रमों से सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार होगा । उक्त प्रदर्शनी, जो कि मंत्रलय के सम्मेलन कक्ष, नार्थ ब्लाक में आयोजित की गई थी, में मंत्रालय व राजभाषा विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के अलावा वित्त मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग तथा मंत्रालय के संबद्ध व अधीनस्थ कार्यालयों के अधिकारियों व कर्मचारियों ने भाग लिया ।

हिन्दी सप्ताह का समापन समारोह विशेष सचिव श्री ए. एं. अली की अध्यक्षता में किया गया । इसमें भी मंत्रालय तथा राजभाषा विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के अलावा वित्त मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, कृषि मंत्रालय और मंत्रालय के संबद्ध व अधीनस्थ विभागों कार्यालयों के अधिकारियों/कर्मचारियों ने भाग लिया । श्री अली ने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि यह बड़े हर्ष की बात है कि गृह मंत्रालय में हिन्दी सप्ताह का आयोजन किया गया है । उन्होंने आगे कहा कि मंत्रालय में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं । **चूंकि गृह मंत्रालय राजभाषा नीति को लागू करने के लिए एक नोडीय मंत्रालय है इसलिए भी इसे इस दिशा में एक अग्रणी भूमिका निभानी है ।** उन्होंने मंत्रालय के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को एकजुट होकर इस दिशा में कार्य करने की अपील की ।

अतिथियों एवं दर्शकों का स्वागत करते हुए मंत्रालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष एवं संयुक्त सचिव (प्रशा.) श्री जगदीश चन्द्र डंगवाल ने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों के आयोजन हिन्दी के प्रयोग के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने में सहायक सिद्ध होते हैं । उन्होंने आह्वान किया कि हमें आज से कुछ न कुछ कार्य हर-रोज हिन्दी भाषा में निपटाना चाहिए तथा सरकारी कामकाज करते समय राजभाषा अधिनियम तथा राजभाषा नियमों को ध्यान में रखना चाहिए । समारोह के अंत में राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सदस्य-सचिव श्री रणधीर सिंह ने समारोह में उपस्थित सभी अधिकारियों/कर्मचारियों एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों को प्रस्तुत करने वाले कलाकारों व व्यवस्था में सम्मिलित सभी व्यक्तियों का धन्यवाद किया ।

इस अवसर पर मंत्रालय के संबद्ध व अधीनस्थ कार्यालयों में हिन्दी के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष 1988-89 में चलाई गई शील्ड योजना के अंतर्गत पुरस्कार पाने वाले कार्यालयों अर्थात भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल तथा सीमा सुरक्षा बल मुख्यालयों को क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार प्रदान किए गए । इसके अतिरिक्त मंत्रालय द्वारा चलाई गई विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं के अंतर्गत पुरस्कार प्राप्त करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को नकद इनाम तथा प्रशस्ति-पत्र आदि भी प्रदान किए गए ।

अन्त में रंगारंग कायक्रमों का आयोजन किया गया ।

जल संसाधन मंत्रालय

जल संसाधन मंत्रालय में 14—20 सितम्बर, 1990 तक हिन्दी सप्ताह मनाया गया । हिन्दी सप्ताह का उदघाटन सचिव (जल संसाधन) द्वारा किया गया । उद्घाटन समारोह में सचिव महोदय ने मंत्रालय के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों से हिन्दी में काम करने का आग्रह किया ।

इस दौरान विभिन्न प्रतियोगिताएं हिन्दी टाईपिंग/आशुलिपि, हिन्दी निबंध, कविता पाठ और हिन्दी वाद विवाद प्रयोगिताएं आयोजित की गई ।

हिन्दी सप्ताह का समापन समारोह कांस्टीटयूशन क्लब हाल में माननीय जल संसाधन मंत्री श्री मनुभाई कोटडीया की अध्यक्षता में आयोजित किया गया । इन प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान पाने वाले कर्मचारियों को माननीय मंत्री जी द्वारा पारितोषिक प्रदान किए गए । इस अवसर पर मंत्री जी ने मंत्रालय के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों से अपना अधिक से अधिक सरकारी कामकाज हिन्दी में करने का आह्वान किया ।

संसदीय हिंदी परिषद्, नई दिल्ली

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति जगन्नाथ शेट्टी का कहना है कि उनसे विदेशों में पूछा जाता है कि आपके देश की राष्ट्रभाषा क्या है ? और उन्हें इसका दुख है कि वे इसका उत्तर नहीं दे पाते ।

हिन्दी दिवस पर संसद के केन्द्रीय कक्ष में संसदीय हिन्दी परिषद् द्वारा आयोजित एक समारोह में कन्नड़ भाषी न्यायमूर्ति शेट्टी ने हिन्दी में बोलते हुए कहा कि निश्चय ही हिन्दी ही इस देश की राष्ट्रभाषा हो सकती है । लेकिन इसके लिए दक्षिण के लोगों को यह विश्वास दिलाना होगा कि हिन्दी उन पर थोपी नहीं जा रही है । साथ ही दक्षिण के लोगों को यह समझने की जरूरत है कि भारत को एक राष्ट्रभाषा चाहिए और सबसे ज्यादा लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा ही राष्ट्रभाषा हो सकती है और वह हिन्दी है।

न्यायमूर्ति शेट्टी का कहना था कि विभिन्न प्रदेशों के बीच हिन्दी ही सम्पर्क भाषा बन सकती है। उन्होंने कहा कि दक्षिण भारतीय लोग कैसी भी हिन्दी बोलें, उत्तर भारत के लोग उन्हें आदर तथा प्रेम से देखते हैं । इस बारे में अपने

इलाहाबाद प्रवास का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि जब दूसरों से उनकी भाषा में बात की जाती है, तो दूसरे आदर और सम्मान ही देते हैं ।

उनका कहना था कि हिन्दी का उपयोग हमें देश में ही नहीं, विदेशों में भी किया जाना चाहिए । दूसरे देश के लोग भी यहां आकर अपनी भाषा बोलते हैं, फिर हम क्यों न बोलें । इस संबंध में उन्होंने पोलैंड के एक न्यायाधीश का उदाहरण दिया, जिन्होंने अंग्रेजी जानते हुए भी उनसे पोलिश में ही बातचीत की । ऐसी बात उन्हें पेरिस हवाई अड्डे पर देखने को मिली, जहां महिला कर्मचारी ने उनके द्वारा अंग्रेजी में पूछे गए प्रश्न का उत्तर यह कहकर दिया कि वह केवल फ्रेंच जानती है ।

न्यायमूर्ति शेट्टी ने कहा कि भारत की उन्नति के लिए यह जरूरी है कि सभी नागरिकों को हिन्दी का ज्ञान हो। अतः गैर हिन्दी भाषी इलाकों के स्कूल कालेजों में हिन्दी शिक्षण का प्रबन्ध होना चाहिए।

भूतपूर्व सांसद तथा संसदीय हिन्दी परिषद की अध्यक्ष श्रीमती सरोजिनी महिषी ने कहा कि हर भारतीय का यह कर्तव्य है कि वह हिन्दी सीखे । लेकिन उन्होंने कहा कि सारी भारतीय भाषाओं को प्रचार-प्रसार का उचित अवसर मिलने पर ही हिन्दी का भी विकास संभव है ।

स्विटजरलैंड में हिन्दी का अध्यापन कर रहे जर्मन मूल के श्री हांस वेजलर ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद पश्चिम जर्मनी में हिन्दी अध्ययन का उत्साह था, जो अब मंद पड़ता जा रहा है । इसका कारण यह है कि हिन्दी में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वालों को वहां रोजगार प्राप्त नहीं होता ।

उनका कहना था कि चीन, जापान तथा अरब देशों के व्यापारी और अधिकारी जब जर्मनी आते हैं तो उन्हें जर्मन से अपनी भाषा में अनुवादकों की जरूरत पड़ती है। इसलिए इन भाषाओं के अध्यापन को वहां प्रोत्साहन मिल रहा है, लेकिन जब भारत के व्यापारी अधिकारी आदि वहां जाते हैं तो वे जर्मन से अंग्रेजी अनुवादक की मांग करते हैं । उनका कहना था कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हिन्दी का प्रयोग बढ़ने पर जर्मनी में भी हिन्दी अध्यापन को प्रोत्साहन मिल सकता है ।

यहां रह रही जापान की श्रीमती हिरोको होजाई ने कहा कि भाषा, संस्कृतियों के बीच का पुल है । किसी देश की भाषा को जानकर ही उस देश की संस्कृति को भी समझा जा सकता है। उन्होंने कहा कि पहले वह जापान तथा भारत की संस्कृति को अलग-अलग मानती थीं, लेकिन हिन्दी सीखने के बाद उन्हें यह ज्ञान हुआ है कि दोनों संस्कृतियों में समानता है ।

—दैनिक "नवभारत टाइम्स" से साभार

आयकर अपीलीय अधिकरण, दिल्ली न्यायपीठ, नई दिल्ली

दिल्ली न्यायपीठ की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की सिफारिशों के अनुरूप समिति के अध्यक्ष श्री एम. सी. अग्रवाल के नेतृत्व में दिल्ली न्यायपीठ में दिनांक 10-9-90 से 14-9-90 तक हिन्दी सप्ताह मनाया गया ।

दिनांक 10-9-90 को एक परिपत्र द्वारा घोषित किया गया कि हिन्दी सप्ताह के दौरान दिल्ली न्यायपीठ में सम्पूर्ण प्रशासनिक एवं न्यायिक कार्य (न्यायिक आदेशों के अतिरिक्त) केवल हिन्दी में किया जाए तथा आग्रह किया गया कि परिपत्र की अनुपालना पूरी निष्ठा एवं लगन से की जाए । इसी के साथ पीठ की राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष श्री अग्रवाल ने राजभाषा कार्यान्वयन समिति की पूर्व बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसरण में अपनी ओर से अधिकरण की सभी न्यायपीठों के सदस्यों को एक पत्र भेजा जिसमें उन्होंने अपील की कि सभी सदस्य "हिन्दी-दिवस" के दिन एक-एक न्यायिक आदेश हिन्दी में पारित कर हिन्दी का प्रयोग बढ़ाएं ।

दिनांक 12-9-90 को कार्यालय में हिन्दी टिप्पण-आलेखन, प्रतियोगिता आयोजिता की गई ।

प्रतियोगिता में श्रीमती गुलबहार, कनिष्ठ लिपिक प्रथम, श्री मोहन चन्द्र जोशी, कनिष्ठ लिपिक द्वितीय एवं श्रीमती जयलक्ष्मी, तृतीय पुरस्कार के लिए विजेता घोषित किए गए।

दिनांक 13-9-90 को हिन्दी निबन्ध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया । उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन सदस्य श्री एम. सी. अग्रवाल ने किया । श्रीमती विजय शर्मा, वरिष्ठ निजी सहायक प्रथम, श्री सी. पी. मेहता, वरिष्ठ निजी सहायक द्वितीय एवं श्री मोहन चन्द्र जोशी तृतीय विजेता घोषित किए गए ।

दिनांक 14-9-90 को हिन्दी दिवस समारोह के दिन सर्वप्रथम "संयुक्त परिवार—अभिशाप है या वरदान" इस विषय पर वाद-विवाद प्रतियोगिता हुई । प्रतियोगिता के निर्णायक श्री डी. एन. शर्मा एवं श्री पी. जे. गोराड़िया थे । भारत जैसे कृषि-प्रधान देश में संयुक्त-परिवार वरदान ही है—इस मान्यता को तर्कसंगत ढंग से प्रतिपादित करने के फलस्वरूप श्री खेमचन्द, वरिष्ठ लिपिक को प्रथम स्थान के लिए विजेता घोषित किया गया तो श्रीमती विजय शर्मा, वरिष्ठ निजी सहायक को द्वितीय स्थान-विजेता घोषित किया गया । श्री हरि दयाल कनिष्ठ लिपिक को तृतीय स्थान पर रखा गया ।

इसके उपरान्त हिन्दी दिवस समारोह का आयोजन किया गया । श्री के. एस. विश्वनाथन्, उपाध्यक्ष (उत्तरी-क्षेत्र) ने समारोह की अध्यक्षता की । संचालन श्री सी. एल. भनोत, सलाहकार ने किया ।

श्री एम. सी. अग्रवाल, अध्यक्ष (राजभाषा कार्यान्वयन समिति) ने सरकार की भाषा नीति पर प्रकाश डालते हुए सभी का अपने-अपने शासकीय कार्य में अधिकाधिक हिन्दी प्रयोग का आव्हान किया ।

श्री के. एस. विश्वनाथन्, उपाध्यक्ष (उत्तरी-क्षेत्र) ने, जो कि समारोह के अध्यक्ष भी थे, विजेता प्रतियोगियों को नकद पुरस्कार एवं प्रमाण-पत्र दिए ।

सीमा सुरक्षा बल महानिदेशालय, नई दिल्ली

महानिदेशालय में 14 सितम्बर 90 से 20 सितम्बर, 90 तक हिन्दी दिवस/हिन्दी सप्ताह समारोह का आयोजन किया गया। दिनांक 14 सितम्बर 90 को हिन्दी दिवस के अवसर पर आयोजित एक समारोह में बल के महानिदेशक श्री एच. पी. भटनागर ने उच्च अधिकारियों से अनुरोध किया कि वे सरकारी कामकाज में हिन्दी का अधिक से अधिक प्रयोग करने में पहल करें। इससे उनके अधीनस्थ कर्मचारियों और कार्मिकों को हिन्दी में काम करने की प्रेरणा मिलेगी ।

इस अवसर पर विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया और विजेताओं को अपर महानिदेशक श्री टी. अन्थाचारी द्वारा नकद पुरस्कार व प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। मंच संचालन श्री राकेश कुमार द्विवेदी, सहायक निदेशक (राजभाषा) ने किया।

हिन्दी नोटिंग-ड्राफ्टिंग प्रतियोगिता

पूरा राम ढाका, उप निरीक्षक	प्रथम
श्रीमती राजरानी, अवर श्रेणी लिपिक	द्वितीय
रवि दत्त शर्मा, उप निरीक्षक	तृतीय
वी. रामसामी सहायक उप निरीक्षक	प्रोत्साहन

हिन्दी निबन्ध प्रतियोगिता

हरीश चन्द्र मिश्रा, अवर श्रेणी लिपिक	प्रथम
कैलाश चन्द्र, सहा. उप निरीक्षक	द्वितीय
प्रेमदास कलरिक्कल, निरीक्षक	तृतीय
वी. रामसामी, सहा. उप निरीक्षक	प्रोत्साहन

हिन्दी आशुलिपि प्रतियोगिता

राजपाल चौहान, आशुलिपिक	प्रथम
शीश राम, आशुलिपिक	द्वितीय
राजबीर सिंह, आशुलिपिक	तृतीय
श्रीमती शशी अहलुवालिया (अहिन्दी भाषी) आशुलिपिक	प्रोत्साहन

हिन्दी टाइप लेखन प्रतियोगिता

के. सन्तोष कुमार, उपनिरीक्षक (अहिन्दी भाषी)	प्रथम
हरीश चन्द्र मिश्रा, अवर श्रेणी लिपिक	द्वितीय
पूरा राम ढाका, उपनिरीक्षक	तृतीय
वी. नाथुमुनि, लांस नायक (अहिन्दी भाषी)	प्रोत्साहन

अपर महानिदेशक श्री टी. अनंथाचारी से राजभाषा शील्ड ग्रहण करते हुए सी.सु. बल के महानिदेशक (प्रशिक्षण) श्री निखिल कुमार। साथ में महानिरीक्षक श्री राव

सीमा सुरक्षा बल के रजत जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में इसी वर्ष से "सीसुबल राजभाषा शील्ड योजना" आरम्भ की गई है। इस योजना के अन्तर्गत जिस कार्यालय में पूरे शील्ड प्रदान की जाएगी। एक शील्ड बल मुख्यालय के निदेशालयों तथा दूसरी सीसुबल के प्रशिक्षण संस्थानों व फ्रंटियर मुख्यालय के लिए रखी गई है। वर्ष 1989-90 में सरकारी काम में हिन्दी का सर्वाधिक प्रयोग करने के लिए बल मुख्यालय के निदेशालय की शील्ड संचार निदेशालय को दी गई। प्रशिक्षण संस्थानों व फ्रंटियर मुख्यालयों की शील्ड सीसुबल अकादमी टेकनपुर, ग्वालियर को दी गई।

क्षेत्रीय तसर अनुसंधान केन्द्र, इम्फाल (मणिपुर)

14 सितम्बर 1990 को समारोह का शुभारम्भ सरस्वती वंदना से हुआ। इसकी अध्यक्षता केन्द्र के उस निदेशक श्री पी. के. दास ने की। उन्होंने कहा कि भारत की सभी भाषाएं साहित्यिकी संस्कृति की धरोहर हैं जिन्हें एक सूत्र में बांधने का कार्य राजभाषा हिन्दी कर रही है और **अब न केवल फाइल पर अपने टिप्पणी और पत्रादि लिखने चाहिए बल्कि हिन्दी में अधिकाधिक रेशम उत्पादन संबंधी प्रकाशनों को छापकर अहिन्दी भाषी रेशमकारों तक पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए।**

तदुपरांत श्री अश्विनी कुमार तिवारी, वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी ने बताया कि इस केन्द्र में कुल 8 अधिकारी एवम् 27 कर्मचारियों (ग्रुप डी को छोड़कर) में 21 लोगों को कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त है।

समारोह के अंत में निर्णायक मण्डल का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार सांस्कृतिक कार्यक्रम, वाद विवाद प्रतियोगिता के श्रेष्ठ प्रतिभागियों को पुरस्कार प्रदान किया गया। इस अवसर पर केन्द्र में आयोजित रेशम शब्दावली प्रतियोगिता में प्रथम तीन स्थान पाने वाले कर्मचारियों को भी पुरस्कृत किया गया।

कार्यक्रम की एक झलक।

(1) शब्दावली प्रतियोगिता

(अ) हिन्दी भाषी

डा. वीरेन्द्र कुमार सिंह	प्रथम
डा. रतन सिंह यादव	द्वितीय
श्री पंकज कुमार	तृतीय

(ब) हिन्दीतर भाषी

श्रीमती विद्यापति देवी	प्रथम
श्री प्रियोकुमार मैते	द्वितीय
श्री पी. रंजीत सिंह	सांत्वना (पुरस्कार)

(5) आकस्मिक भाषण

श्री शशांक शेखर मन्ना	प्रथम
श्री के. चाओबा सिंह	द्वितीय
श्री सी. श्रीनिवास, व. अ. स.	तृतीय

संयुक्त कार्यक्रम

तिरुवनंतपुरम में हिन्दी दिवस समारोह

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति एवं केरल हिन्दी प्रचार सभा के संयुक्त तत्वाधान में वर्ष 1990 का हिन्दी सप्ताह धूमधाम से मनाया गया। इसके लिए, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केन्द्र के निदेशक डॉ. एस. सी. गुप्ता की अध्यक्षता में गठित समिति ने सराहनीय कार्य करके पूरे शहर में राजभाषा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया।

14-9-90 को केरल के परिवहन मंत्री श्री के शंकरनारायण पिल्लै ने नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति अध्यक्ष एवं मुख्य पोस्टमास्टर जनरल श्री वी. राधाकृष्णन की अध्यक्षता में इस वर्ष के हिन्दी सप्ताह समारोह का उद्घाटन किया।

तारीख 15-9-90 को केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के अपर उप महानिरीक्षक की अध्यक्षता में भारतीय भाषा संगम का आयोजन किया गया। भिन्न-भिन्न भाषा संघों ने अपनी-अपनी संस्कृति से ओतप्रोत कार्यक्रम पेश करके देश की एकता के सशक्त स्वरूप दर्शाया।

16-9-90 को दक्षिण रेलवे, तिरुवनतपुरम मंडल कार्यालय द्वारा प्रायोजित, छात्र-छात्राओं के लिए हिन्दी में विविध प्रतियोगिताएं केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, पल्लीपुरम ग्रुप

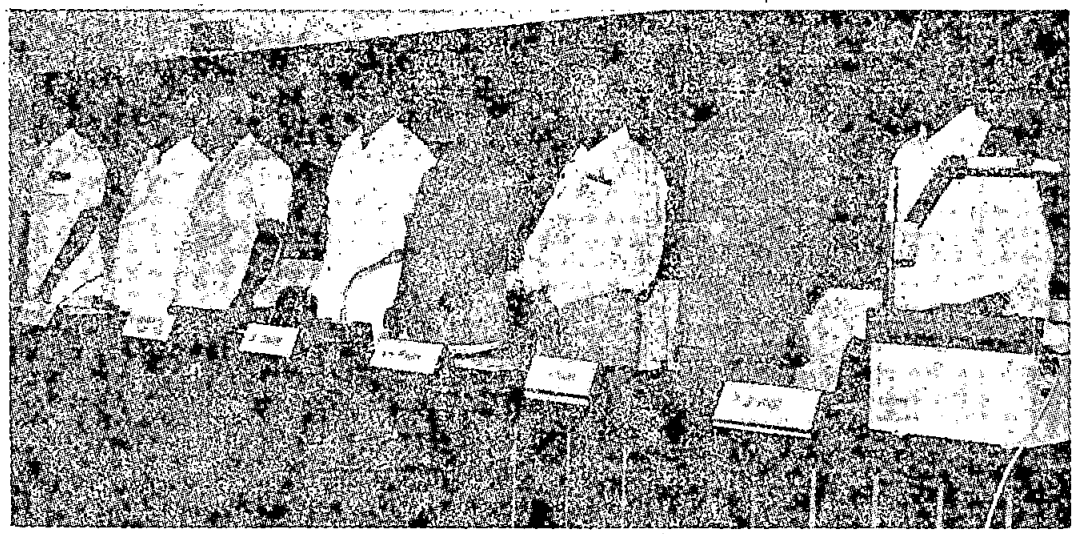

मंचासीन समिति के अध्यक्ष श्री वी. राधाकृष्णन एवं समारोह समिति के अध्यक्ष डा. एस.पी. गुप्ता के साथ अन्य अधिकारीगण। साथ में केरल के परिवहन मंत्री श्री के. शंकरानारायण पिल्लै।

सेंटर के सौजन्य से संपन्न हुई। लगभग 500 बच्चों ने इन हिन्दी प्रतियोगिताओं में भाग लेकर, राजभाषा हिन्दी के प्रति अपनी रुचि दिखाई।

17-9-90 को तिरुवनंतपुरम नगर में स्थित केन्द्र सरकार के कार्यालयों, नियमों, उपक्रमों और कंपनियों के कर्मचारियों के लिए हिन्दी में निबंध लेखन, अनुवाद, टिप्पण और आलेखन टंकण, आशुलिपि भाषण और कवितापाठ प्रतियोगिताएं, केरल हिन्दी प्रचार सभा भवन में, केरल डाक परिमंडल द्वारा प्रायोजित की गई। डाक परिमंडल के मुख्यालय निदेशक एवं मुख्य राजभाषा अधिकारी श्री जी. मोहनकुमार की अध्यक्षता में हिन्दुस्तान लैटेक्स लिमिटेड के कंपनी सचिव श्री एस. हरिहरन ने इन प्रतियोगिताओं का उद्घाटन किया।

हिन्दी की सेवा हिन्दुस्तान की सेवा है

—डा. मोहनतंपी

18-9-90 को महालेखाकार, केरल द्वारा प्रायोजित संगोष्ठी एवं पुनश्चर्या पाठ्यक्रम राजभाषा विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय के सहायक निदेशक डॉ. जोस ओस्टिन की अध्यक्षता में महालेखाकार के कार्यालय में संपन्न हुआ।

19-9-90 को भारतीय खाद्य निगम के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रायोजित एक दिवसीय हिन्दी कार्यशाला का उद्घाटन केरल के खेल एवं युवाकार्य मंत्री श्री ए. नीललोहितदासन नाडार ने क्षेत्रीय प्रबंधक श्री एम. वर्गीस की अध्यक्षता में आरंभ किया, जिस में नगर के विभिन्न कार्यालयों से 60 कर्मचारियों ने प्रशिक्षण पाया। आकाशवाणी के तिरुवनंतपुरम केन्द्र निदेशक श्री वी. तिरूवेंगटम ने प्रतिभागियों को प्रमाण-पत्र बांटे। इसी दिन स्टेट बैंक ऑफ त्रावनकोर द्वारा प्रायोजित प्रदर्शनी का उद्घाटन, रेल भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष श्री एस. डी. शुक्ला ने उक्त बैंक के महाप्रबंधक, श्री आर. आई. राघवन की अध्यक्षता में. किया। केरल विश्व विद्यालय के पूर्व कुलपति डॉ. वी. के शुकुमारन नायर ने पुरस्कार वितरित किए। प्रदर्शनी, प्रेक्षकों के मन में राजभाषा हिन्दी संबंधी अमिट छाप अंकित करने में सफल रही। इसी दिन आकाशवाणी एवं दूरदर्शन के स्थानीय केन्द्रों द्वारा प्रायोजित सांस्कृतिक संध्या का उद्घाटन राज्य फिल्म विकास निगम के अध्यक्ष श्री पी. गोविन्द पिल्लै की अध्यक्षता, केरल के स्थानीय प्रशासन मंत्री, श्री वी. जे. तंकप्पन ने किया।

तारीख 20-9-90 को द्रवनोदन प्रणाली, वलियमला के द्वारा प्रायोजित समापन समारोह में केरल के महामहिम राज्यपाल डॉ. सरूपसिंह ने मुख्य अतिथि के रूप में पधारकर समारोह की शोभा बढ़ाई। उन्होंने फरमाया कि हिन्दी का प्रचार-प्रसार सबको मिल जुलकर करना चाहिए। देश की एकता के लिए जनभाषा अति आवश्यक है। राष्ट्रीयता को सशक्त बढ़ाने में राष्ट्रभाषा/राजभाषा की अहम भूमिका है। तदनंतर केरल सरकार के वन मंत्री प्रो. एन. एम. जोसफ ने छात्र-छात्राओं एवं केरल के सहकारिता एवं सांस्कृतिक मंत्री श्री टी. के. रामकृष्णन ने कर्मचारियों का पुरस्कार एवं प्रमाण-पत्र वितरित किए। इस अवसर पर केरल विश्वविद्यालय के उप कुलपति डॉ. मोहनतंपी ने हिन्दी में भाषण देकर आह्वान किया कि भारत का प्रशासन भारतीय भाषाओं में करने का जो नया नारा इस वर्ष यहां लगाया गया है, वह सचमुच सार्थक है, सोद्देश्य है और इसे सफल बनाने में सभी को योगदान करना चाहिए। हिन्दी की सेवा हिन्दुस्तान की सेवा है, राजभाषा के प्रचार-प्रसार व प्रयोग के द्वारा राष्ट्रीय एकता को मजबूत बनाकर देश की मशहूर बनाना हर देशवासी का परमपवित्र कर्त्तव्य है।

नगर बैंक राजभाषा कार्यान्वयन समिति, बडोदरा

बडोदरा नगर बैंक राजभाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा हिन्दी दिवस के उपलक्ष में बड़ौदा शहर स्थित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए पहली बार विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन संयुक्त रूप से किया गया।

अनुवाद प्रतियोगिता

बैंक ऑफ इंडिया के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा आयोजित अनुवाद प्रतियोगिता में बड़ौदा शहर स्थित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लगभग 30 स्टाफ सदस्यों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में प्रथम स्थान बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारी श्री सी. वी. कुरे को प्राप्त हुआ। द्वितीय स्थान पर बैंक ऑफ बड़ौदा की श्रीमती सुनीला श्रीवास्तव रही। तृतीय पुरस्कार—भारतीय स्टेट बैंक की सुश्री ममता हर्डीकर को प्राप्त हुआ।

वाद-विवाद प्रतियोगिता

बैंक ऑफ बड़ौदा प्रधान कार्यालय द्वारा आयोजित वाद-विवाद प्रतियोगिता में विभिन्न बैंकों के 28 वक्ताओं ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता का विषय था—"मनुष्य की प्रगति का आधार भाग्य नहीं, कर्म है।" विषय के पक्ष एवं विपक्ष में वक्ताओं ने अत्यन्त प्रभावशाली रूप से अपने विचार रखे। इस प्रतियोगिता की अध्यक्षता बैंक ऑफ बड़ौदा के उप महाप्रबंधक श्री के. सी. पटेल ने की एवं विशेष अतिथि श्री कृष्णनारायण मेहता, उप निदेशक (कार्यान्वयन) राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, बम्बई थे। प्रतियोगिता में प्रथम भारतीय स्टेट बैंक के श्री दीपक जोशी, द्वितीय सेंट्रल बैंक के श्री राजेश वी. वैद्य एवं तृतीय भारतीय स्टेट बैंक की सुश्री ममता हर्डीकर रही। इन सभी विजेताओं को श्री मेहता, उपनिदेशक, राजभाषा विभाग ने पुरस्कार प्रदान किए। कार्यक्रम का संचालन बैंक ऑफ बड़ौदा के राजभाषा अधिकारी श्री जवाहर कर्नावट ने किया।

अन्तर-बैंक- क्विज़ प्रतियोगिता :

बैंक ऑफ बड़ौदा अंचल कार्यालय द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता में भारतीय स्टेट बैंक, यूनियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक तथा बैंक ऑफ बड़ौदा के दलों ने हिस्सा लिया। प्रमुख अतिथि के रूप में बैंक ऑफ बड़ौदा के उप महाप्रबंधक श्री के. सी. पटेल एवं निर्णायक के रूप में श्री वी. वी. पटेल, क्षेत्रीय प्रबंधक थे। प्रतियोगिता के प्रारंभ में बैंक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की सदस्य सचिव श्रीमती सुधा जावा ने समिति की गतिविधियों की जानकारी दी। क्विज़ का संचालन राजभाषा अधिकारी डॉ. आर. एस. शर्मा ने किया।

हिन्दी निबंध प्रतियोगिता

देना बैंक, अंचल कार्यालय ने नगर समिति के सभी सदस्य बैंकों से निबंध आमंत्रित किए थे। विषय थे 1. बैंकों में हिन्दी में काम करना आसान है। 2. हिन्दी के प्रचार-प्रसार में दूरदर्शन की भूमिका।

इस प्रतियोगिता में विभिन्न बैंकों के स्टाफ सदस्यों ने अपनी प्रविष्टियां भेजी। पुरस्कार निम्नलिखित स्टाफ सदस्यों को प्राप्त हुए।

प्रथम—श्री शरदचंद्र झरेगांवकर (देना बैंक)

द्वितीय—कु. लता भाटकर (बैंक ऑफ बड़ौदा)

तृतीय—श्री वी. सी. देसाई (यूनियन बैंक)

श्री जी. के. पटेल को प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान किया गया।

हिन्दी टाइपिंग प्रतियोगिता

बड़ौदा शहर में पहली बार अन्तर-बैंक हिन्दी टाइपिंग प्रतियोगिता का आयोजन बैंक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति का संयोजन बैंक ऑफ बड़ौदा, प्रधान कार्यालय द्वारा किया गया। इसमें विभिन्न बैंकों के 18 हिन्दी टाइपिस्टों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में गति परीक्षा के साथ ही पत्र भी टंकित करवाया गया। इस स्पर्धा में प्रथम श्रीमती अश्विनी करंदीकर (बैंक ऑफ इंडिया) द्वितीय—श्री पंकज आर्य (बैंक ऑफ बड़ौदा), तृतीय—श्री आर. एच. भट्ट (यूनियन बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय) रहे। श्रीमती रक्षा शाह (बैंक ऑफ बड़ौदा) को प्रोत्साहन पुरस्कार प्राप्त हुआ।

सामान्य आरक्षित अभियन्ता बल केन्द्र, पुणे

ग्रेफ केन्द्र एवम् अभिलेख कार्यालय, दिघी कैम्प, पुण में संयुक्त रूप से दिनांक 14 सितंबर, 1990 को हिन्दी दिवस तथा 14 सितंबर, 1990 से 20 सितंबर, 1990 तक हिन्दी सप्ताह का आयोजन किया गया। 14 सितंबर, 1990 को समारोह का शुभारंभ कर्नल वी. के. ओबराय, कमांडर ग्रेफ केन्द्र ने दीप प्रज्वलित करके किया। श्री ओबराय ने कहा कि हिन्दी हमारी राष्ट्रभाषा के साथ-साथ राजभाषा भी है। अतः इसका विकास हमारा नैतिक कर्तव्य ही नहीं अपितु देश के प्रति सच्ची निष्ठा भी है।

इस अवसर पर ग्रेफ केन्द्र एवं अभिलेख में एक दिवसीय हिन्दी कार्यशाला का आयोजन भी किया गया जिसमें कि ग्रेफ केन्द्र एवं अभिलेख के अधिकारियों तथा कर्मचारियों ने भाग लिया।

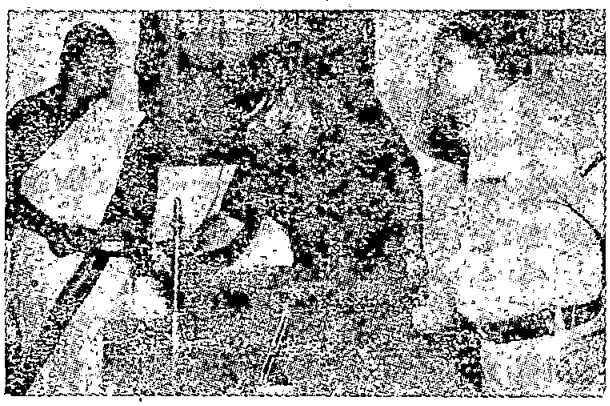

दीप प्रज्वलित कर समारोह का उद्घाटन करते हुए कर्नल बी. के. ओबराय।

इस सप्ताह के दौरान ग्रेफ केन्द्र एवम् अभिलेख कार्यालय में लगभग 75 प्रतिशत कार्य हिन्दी में किया गया।

20 सितंबर 1990 को हिन्दी सप्ताह के समापन पर उपर्युक्त प्रतियोगिताओं में विजेता कर्मचारियों को कमांडर ग्रेफ सैंटर द्वारा पुरस्कार एवम् प्रशस्ति-पत्र दिए गए।

निबंध प्रतियोगिता :

हिन्दी भाषी प्रतियोगी

हवलदार चन्द्र पाल सिंह यादव	प्रथम
एल. डी. सी. गिरीश चन्द्र	द्वितीय
अधी. वी. आर. ग्रेड—1 हारिओम	तृतीय

हिन्दीतर भाषी प्रतियोगी

एल. डी. सी. वी. विश्वनाथन पिल्लै	प्रथम
एल. डी. सी. सी. एम. शिवदासन	द्वितीय
एल. डी. सी. एम. जी. रामचन्द्रन	तृतीय

भाषा प्रतियोगिता

अधी. (लिपिक) एस. पी. गुप्ता	प्रथम
हवलदार नाहर सिंह यादव	द्वितीय
हवलदार चन्द्र पाल सिंह यादव	तृतीय

हिन्दीतर

एल. डी. सी. एम. जी. रामचन्द्रन	प्रथम
एल. डी. सी. पी. जे. पाठक	द्वितीय
एल. डी. सी. एन. के. मनहोत्रा	तृतीय

टंकण-प्रतियोगिता

एल. डी. सी. एम. जी. रामचन्द्रन	प्रथम
एल. डी. सी. वी. टी. ग्लिडस्टन	द्वितीय
एल. डी. सी. पी. जे. पाठक	तृतीय

नोटिंग/ड्राफ्टिंग लेखन प्रतियोगिता

हवलदार चन्द्र पाल सिंह यादव	प्रथम
अधी. (लिपिक) एस. पी. गुप्ता	द्वितीय
एल. डी. सी. रामामूर्ति	तृतीय
एल. डी. सी. वी. विश्वनाथन पिल्लै	प्रथम
एल. डी. सी. एन. के. मनहोत्रा	द्वितीय
एल. डी. सी. एस. के. शिंदे	तृतीय

भारत मौसम विज्ञान विभाग, पुणे

मौसम विज्ञान के अपर महानिदेशक (अनुसंधान) के कार्यालय की ओर से भारत मौसम विज्ञान विभाग पुणे के कार्यालयों के लिए हिन्दी दिवस सप्ताह समारोह मनाया गया। जिसमें हिन्दी निबन्ध प्रतियोगिता, वादविवाद प्रतियोगिता, अंत्याक्षरी प्रतियोगिता आदि का आयोजन किया गया तथा एक हिन्दी नाटक 'चोर के सिर पर मोर' भी मंचित किया गया।

सभा को सम्बोधित करते हुए मौसम विज्ञान विभाग के अपर महानिदेशक डा. हरिनारायण श्रीवास्तव

निबन्ध प्रतियोगिता में सर्वश्री एम. एस. रावत, एस. सी. नागरथ, सहायक मौसम-विज्ञानी प्रथम, श्रीमती वीणा धवन – द्वितीय और श्री आर. एस. चौरिशी को तृतीय, पुरस्कार दिया गया। वादविवाद प्रतियोगिता में इन्द्रजीत वर्मा, प्रथम, जहीदा सैय्यद द्वितीय, एस. सी. नागरथ को तृतीय स्थान से पुरस्कृत किया गया। कविता में प्रतिभा मुखोपाध्याय

प्रथम, पर्ल कोचर द्वितीय, श्रीमती वीणा धवन तृतीय से पुरस्कृति की गई। पी. जे. पिवाल को विशेष पुरस्कार दिया गया। अंताक्षरी प्रतियोगिता में पुर्वानुमान कार्यालय की टोली प्रथम तथा अनुसंधान कार्यालय की टोली द्वितीय स्थान पर रहीं। इसके साथ ही अतिथि कवि श्री व्ही. वी. पासरणीकर और एस. जे. प्रसाद ने अपनी कविता से तथा लोकगीत में सत्यनारायण तिवारी ने लोगों को मन मोह लिया।

समापन दिवस समारोह हिन्दी दिवस के रूप में 14 सितम्बर 1990 को मनाया गया जिसके मुख्य अतिथि हरिनाथ पाण्डे, प्राचार्य थे। उन्होंने अपने अतिथि भाषण में हिन्दी दिवस की अति सराहना किया। मौसम विज्ञान के अपर महानिदेशक (अनुसंधान) सभाध्यक्ष ने अपने भाषण में सभी के योगदान की सराहना किया। उनके कर कमलों द्वारा सभी को पुरस्कार और साथ ही साथ प्रोत्साहन पुरस्कार वितरित किया गया? डा. एस. के. दीक्षित, निदेशक के धन्यवाद भाषण के साथ समारोह समाप्त हुआ।

भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर

मुख्यालय में 14 सितम्बर, 1990 को मुख्य अतिथि डा. वेद प्रकाश मिश्र ने दीप प्रज्वलित करके हिन्दी सप्ताह का उद्घाटन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्य खान नियंत्रक श्री ओम प्रकाश सचदेव ने की।

दिनांक 17-9-1990 को परिसंवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। विषय था–"उच्च शिक्षा का माध्यम–हिन्दी"। अध्यक्षता मुख्य खनन भूविज्ञानी श्री शिवमोहन प्रसाद ने की। नागपुर विश्वविद्यालय के हिन्दी व्याख्याता और व्यंगकार डा. हरभजन सिंह हंसपाल, एस. एफ. एस. कालेज के हिन्दी विभाग की अध्यक्षा डा. (श्रीमती) पुष्पलता जैन तथा ब्यूरो के श्री एस. एम. जोशी, खनिज अर्थशास्त्री ने निर्णायक की भूमिका निभाई। प्रथम पुरस्कार श्री चन्द्र शेखर तिवारी, द्वितीय श्री मुजीब सिद्दकी, तृतीय श्री अशोक कुमार श्रीवास्तव, तथा प्रोत्साहन पुरस्कार श्री एस. आर. रारोकर ने प्राप्त किया। श्री अरूप बंद्योपाध्याय को विशेष प्रोत्साहन पुरस्कार दिया गया।

दिनांक 18-9-90 को हिन्दी निबन्ध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। खान विभाग की हिन्दी सलाहकार समिति के माननीय सदस्य डा. विश्वनाथ अय्यर के सुझाव को बयान में रखते हुए निबन्ध प्रतियोगिता में तकनीकी विषय को भी शामिल किया गया। तकनीकी वर्ग का विषय था––"पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव के बिना भी खनन किया जा सकता है" जबकि प्रशासनिक वर्ग का विषय रखा गया––"सरकारी कामकाज में राजभाषा का महत्त्व"

तकनीकी वर्ग में 12 अधिकारियों/कर्मचारियों ने भाग लिया जिनमें से श्री पी. ए. कादरी को प्रथम, श्री म. श्री. वाधमारे को द्वितीय, श्री मुजीब सिद्दकी को तृतीय तथा श्री रमेश मालवीय और श्री चन्द्रशेखर तिवारी को प्रोत्साहन पुरस्कार प्राप्त हुए। प्रशासनिक वर्ग में 8 अधिकारियों/कर्मचारियों ने भाग लिया। प्रथम पुरस्कार श्री प्रमोद शेंडे, द्वितीय श्री रा. बु. पोनीकर, तृतीय श्री कृष्ण चन्द्र तथा प्रोत्साहन पुरस्कार श्री विकास खड़त्कर और श्री एम. एस. चाहंदे ने जीता। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्य अयस्क प्रसाधन अधिकारी श्री जी. एम. राव ने की।

दिनांक 19-9-90 को हिन्दी टिप्पण आलेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्य खनिज सांख्यिकी श्री एम. एस. अवधानी ने की। 21 व्यक्तियों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया। श्री मुकेश चासकर ने प्रथम, श्री पी. एम. झाडे ने द्वितीय, श्री प्रमोद शेंड़े ने तृतीय और श्री राज. रंगारी ने प्रोत्साहन पुरस्कार प्राप्त किए।

दिनांक 20-9-90 को हिन्दी सप्ताह का समापन एवं पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया। श्रीमती चंदना चौधरी समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थीं। समारोह की अध्यक्षता खान नियंत्रक श्री एम. मुखर्जी ने की।

मुख्य अतिथि श्रीमती चौधरी ने विजेताओं को पुरस्कार के रूप में हिन्दी की श्रेष्ठ पुस्तकें प्रदान कीं। वर्ष 1989–90 में हिन्दी में उत्कृष्ट कार्य के लिए विभागीय राजभाषा चलशील्ड "क" क्षेत्र के लिए संयुक्त रूप से जबलपुर और अजमेर क्षेत्रीय कार्यालय ने, "ख" क्षेत्र के लिए संयुक्त रूप से प्रशिक्षण खनन अनुसंधान और प्रकाशन प्रभाग तथा प्रशासन प्रभाग ने एवं "ग" क्षेत्र के लिए गोवा क्षेत्रीय कार्यालय ने जीती। "ख" क्षेत्र (मुख्यालय) की राजभाषा चलशील्ड मुख्य अतिथि के हाथों प्र. ख. प्र. प्रभाग प्रमुख श्री एम. मुखर्जी, खान नियंत्रक और प्रशासन प्रभाग प्रमुख श्री ह. रा. स. राव, कार्यालय अध्यक्ष ने संयुक्त रूप से प्राप्त की।

उद्घाटन एवं समापन समारोह के कार्यक्रम का प्रभावशाली एवं सफल संचालन श्री अशोक श्रीवास्तव, वरिष्ठ खनन भूविज्ञानी ने किया। सप्ताह का कार्यक्रम श्री गुराचारी, उप खान नियंत्रक के मार्गदर्शन में सफलता पूर्वक सम्पन्न हुआ।

भारतीय खान ब्यूरो के सभी आंचलिक क्षेत्रीय कार्यालयों में भी दिनांक 14-9-90 से 20-9-90 तक हिन्दी दिवस एवं हिन्दी हिन्दी सप्ताह का कार्यक्रम उत्साहपूर्वक मनाया गया।

लघु उद्योग सेवा संस्थान, नागपुर

नागपुर संस्थान में दिनांक 14 सितम्बर, 1990 से 21 सितम्बर, 1990 तक आयोजित होने वाले हिन्दी सप्ताह का उद्घाटन दिनांक 14 सितम्बर, 1990 को श्री आर. एन. दुबे, रेजीडेन्ट संपादक, (नागपुर टाइम्स, नागपुर) ने किया। श्री दुबे ने उद्घाटन भाषण में कहा कि अंग्रेजों ने अंग्रेजी भारतवासियों को विघटित करने के लिए थोपी थी

और तत्समय हिन्दी ने एकता और अखंडता के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाकर देश को टूटने से बचाया। उन्होंने सभी भारतीयों को हिन्दी में काम करने का आह्वान किया।

श्री तपेन्द्र नाथ वसु, लघु उद्योग सेवा संस्थान, नागपुर ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। उन्होंने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि राजभाषा किसी भी देश की वाणी होती है।

उन्होंने सभी से हिन्दी दिवस पर यह शपथ लेने को कहा कि हमें अपने देश की भाषाओं के विकास में लगना चाहिए तथा अपना सारा सरकारी कामकाज हिन्दी में प्रारम्भ कर देना चाहिए।

श्री टी. डी. परमार, सहायक निदेशक, (रसायन), ने कार्यक्रम के आयोजन के उद्देश्य को स्पट किया। कार्यक्रम में श्री सुधीर गौतम, ल. उ. सं. अधिकारी ने भी अपने विचार व्यक्त किए तथा श्री पी. ए. कोलते, प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, नागपुर व श्री एन. एल. वाकडीकर, उपनिदेशक, सह संचालक (उद्योग) कार्यालय, नागपुर भी कार्यक्रम में उपस्थित थे।

कार्यक्रम का संचालन कार्यालय के श्री. रामनिवास शुक्ल, ने तथा आभार प्रदर्शन श्री भोजराज ने किया।

दिनांक 18 सितम्बर, व 19 सितम्बर, 1990 को हिन्दी सप्ताह के दौरान कार्यालय अधिकारियों/कर्मचारियों के मध्य हिन्दी वाक् व हिन्दी निबन्ध प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। प्रतियोगिताओं में गुणानुक्रम से कार्यालय के डा. पी. के. एस. राठौर, श्री सुधीर गौतम, श्री उमेश अग्रवाल, श्रीमती विद्या रालेगावकर, विजयी रहें। विजयी प्रतियोगियों को नकद पुरस्कार भी दिए गए।

इडुक्की डाक मंडल

27-11-90 से 29-11-90 तक एक हिन्दी कार्यशाला इडुक्की डाक मंडल कार्यालय में सुचारू रूप से चलाई गई।

श्री ओ. एम. जोसफ, हिन्दी प्रोफैसर, न्यूमान कालेज, तोडुपुषा ने इस कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए कहा कि हिन्दी हमारे देश की राजभाषा ही नहीं, अपितु हमारे देश की सम्पर्क भाषा भी है। अतः सबको इस भाषा का अध्ययन करना चाहिए, इसका प्रचार करना चाहिए और इसको प्रयोग भी करना चाहिए।

हिन्दी कार्यशाला के दूसरे सत्र में परिमण्डल कार्यालय के हिन्दी अधिकारी श्री डी. कृष्ण पण्क्कर ने सरकार की राजभाषा नीति से उपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों को भली भांति अवगत कराया।

तीसरे सत्र में प्रतियोगियों को डाक विभाग से संबंधित परिभाषिक शब्दावली से परिचित कराया।

चौथे सत्र में, सरकारी हिन्दी की विशेषताओं से अवगत कराते हुए वाक्य संरचना और अभ्यास संस्थान और प्रतिस्थापन के तरीके सिखाए गए।

पांचवें सत्र में कार्यालय में प्रयुक्त टिप्पणी वाक्यांशों और वाक्यों का अनुवाद कराया गया।

छठे सत्र में हिन्दी में मसौदे तैयार करने का अभ्यास कराया गया। कर्मचारियों और अधिकारियों ने अपने-अपने कार्य के प्रसंग में तरह-तरह के प्रारूप तैयार करके हिन्दी में कार्यालय का काम आसानी से करने की तबियत की सबूत दी।

श्री एन. ए. कुमारन, हिन्दी अध्यापक, सरकारी हाई-स्कूल, तोडुपुषा ने कार्यशाला का आखिरी दिन 29-11-90 को समाप्त करते हुए कहा कि राजभाषा हिन्दी एक सरल भाषा है और इसका इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है।

अंत में कार्यालय के अध्यक्ष पी. एन. कृष्णन नायर ने आह्वान किया कि दिन व दिन अधिकारिक काम राजभाषा हिन्दी में करके सरकार की राजभाषा नीति को सफल बनाने में सभी संबंधित सहयोग दे दें।

दूरसंचार परिमंडल, जम्मू-कश्मीर

14-9-90 को परिमंडल कार्यालय जम्मू के सभागार में "हिन्दी दिवस" समारोह बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस का उद्घाटन श्री आर. एन. रैना, सतर्कता अधिकारी ने किया। श्री रैना ने कहा कि कर्मचारियों को अपने दैनिक सरकारी कामकाज में सरल हिन्दी का प्रयोग करना चाहिए। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि कार्यालय में अब काफी काम हिन्दी में हो रहा है। उन्होंने सभी कर्मचारियों से अनुरोध किया कि वे उन कर्मचारियों से प्रेरणा लें जो अपना कार्य हिन्दी में कर रहे हैं। श्री एस. एल. मलिक, सहायक महाप्रबंधक (स्टाफ/प्रशासन) तथा श्री एच. एन. वाट, मुख्य लेखाधिकारी ने भी इस अवसर पर विचार प्रकट किए। डा. रमेश चन्द्र शुक्ल, हिन्दी अधिकारी ने जम्मू कश्मीर दूरसंचार परिमंडल में हिन्दी-प्रगति की स्थिति तथा सरकार की राजभाषा नीति से अवगत कराते हुए अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए प्रचलित प्रोत्साहन योजनाओं पर प्रकाश डाला।

"हिन्दी सप्ताह" के दौरान दूरसंचार परिमंडल में निम्नांकित प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया :—

(1) हिन्दी निबन्ध प्रतियोगिता

हिन्दी निबन्ध प्रतियोगिता में कार्यालय के 15 कर्मचारियों ने भाग लिया।

(1) श्री रवीन्द्र मट्टू को प्रथम पुरस्कार

(1) श्री तरसेम लाल
(2) श्रीमती दुर्गा कौल } को द्वितीय पुरस्कार

(1) श्रीमती श्यामा कौल
(2) श्रीमती ममता रैना } को तृतीय पुरस्कार प्रदान किए गए।

(ख) अधीक्षक तार-परियात जम्मू

अधीक्षक, तार-परियात जम्मू के कार्यालय में भी दिनांक 14-9-1990 को एक हिन्दी निबन्ध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। विजेताओं की सूची इस प्रकार हैं :—

(1) श्रीमती अंजली धर	—प्रथम
(2) श्री सोरनसिंह	—द्वितीय
(3) श्री मोलकराम	—तृतीय

इसके अलावा हिन्दी में अच्छा काम करने के लिए निम्नांकित कर्मचारियों को "प्रशस्तिपत्र दिए गए :—

(1) श्री ब्रहमदत्त शर्मा	—अनु. पर्य. (प्रचा.)
(2) श्री किशन चन्द्र	—वही—
(3) विपिन शर्मा	—लेखापाल
(4) प्रीतमचन्द्र	—तारवाहक
(5) नरेन्द्र सिंह मिन्हास	—वही—
(6) रतनलाल	—वही—

(2) हिन्दी भाषण प्रतियोगिता

"हिन्दी सप्ताह" के दौरान परिमंडल कार्यालय, जम्मू में हिन्दी भाषण प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। भाषण का विषय था—"सरकारी कामकाज में हिन्दी को कैसे लोकप्रिय बनाएं ?" इसमें कार्यालय के 10 कर्मचारियों ने भाग लिया। निर्णायक मंडल में सर्वश्री एच. एन. वाट, एम. एल. मलिक और सी. एल. रलमिला थे। विजेताओं की सूची इस प्रकार है :—

प्रथम पुरस्कार	—1. श्री रामसिंह दारा
द्वितीय पुरस्कार	—2. श्री तरसेम लाल
तृतीय पुरस्कार	—1. श्री रवीन्द्र मट्टू
	—2. श्री रतनलाल
	—3. श्री जगन्नाथ पंडिता
सान्त्वना पुरस्कार	—1. श्री वी. के. मुंशी
	—2. श्री चान्द्रजसिंह

विजेताओं को मुख्य महाप्रबंधक महोदय ने पुस्तकों का उपहार देकर प्रोत्साहित किया।

कार्यालय दूरसंचार जिला प्रबंधक, जम्मू

दूरसंचार जिला प्रबंधक कार्यालय, जम्मू श्री देवराज, दूरसंचार जिला प्रबंधक ने हिन्दी सप्ताह के समापन समारोह में निम्नांकित कर्मचारियों को हिन्दी में अधिकाधिक काम करने के लिए नकद धनराशि देकर पुरस्कृत किया :—

(1) श्री ध्यानसिंह, (2) श्री दीवानचन्द्र वर्मा, (3) श्री सत्यपाल शर्मा, (4) श्रीमती इन्दुबाला, (5) श्रीमती सुदर्शन परगाल, (6) श्री बुआदित्ता तथा (7) श्रीमती प्रभाकुमारी

कार्यालय, दूरसंचार जिला अभियन्ता, ऊधमपुर (जम्मू स्थित)

दूरसंचार जिला अभियंता श्री रामलाल ने इस अवसर पर श्रीमती रमा स्याल को नकद धनराशि देकर प्रोत्साहित किया।

रक्षा लेखा नियंत्रक (उत्तरी कमान), जम्मू छावनी

दिनांक 14-9-1990 को हिन्दी दिवस के अवसर पर रक्षा लेखा नियंत्रक कार्यालय उत्तरी कमान, जम्म में राजभाषा पुरस्कार वितरण समारोह किया गया। श्री भगवान दास पटैरया, उप-सचिव (भारत सरकार, गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग) समारोह में मुख्य अतिथि थे। कार्यक्रम के प्रारम्भ में कार्यालय के हिन्दी अधिकारी श्री प्रेम बहादुर सिंह ने बताया कि कार्यालय में हिन्दी के पत्राचार में पिछले वर्ष की तुलना में 8 प्रतिशत वृद्धि हुई हुई है और भारत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य से 20 प्रतिशत अधिक कार्य किया गया। श्री वी. के. भांडारकर, रक्षा लेखा नियंत्रक ने बताया कि हिन्दी के प्रयोग में उसका कार्यालय काफी अधिक प्रगति कर रहा है।

राजभाषा विभाग के उप सचिव श्री भगवान दास पटैरया से पुरस्कार ग्रहण करते हुए लेखाधिकारी श्री एम.जे. एंटनी।

श्री पटैरया, ने पुरस्कार वितरण के बाद रक्षा लेखा नियंत्रक कार्यालय की भूरि-भूरि प्रशंसा की। उन्होंने कार्यालय के कर्मचारियों द्वारा हिन्दी में कार्य करने के प्रति प्रोत्साहन दिखाने के लिए उनकी विशेष रूप से प्रशंसा

की । उन्होंने पुरस्कार प्राप्त कार्यालयों और कर्मचारियों को बधाई देते हुए कहा कि इससे कार्यालय को नगर के अन्य कार्यालयों से भी मार्गदर्शन मिलता है ।

शील्ड योजना के अंतर्गत पुरस्कार विजेता कार्यालय

"क" व "ख" क्षेत्र

यूनिट लेखा कार, डब्ल्यू बी. डी.	पठानकोट	शील्ड
यूनिट लेखाकार, डी ई ओ	पठानकोट	कप
यू.ए.जी.ई , योल		कप

"ग" क्षेत्र

यू. ए . जी. ई. 6365		शील्ड
एल ए . ओ. 360	द्वारा 56 ए पी ओ	
कम्पनी ए एस सी		कप
ए ओ (पी) सम्पर्क		कप

हिन्दी टिप्पण प्रारूप लेखन प्रतियोगिता

श्री सुशील शर्मा	प्रथम पुरस्कार
श्री श्याम लाल गुप्ता	द्वितीय पुरस्कार
श्री अजय कुमार महाजन	तृतीय परस्कार
श्रीमती सुदेश शर्मा	सांत्वना पुरस्कार
श्री महेन्द्र पाल सिंह	–वही–
श्रीमती अम्बिका समनोत्रा	–वही–

आयकर विभाग, पटियाला

आयकर भवन, पटियाला में विभाग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के लिए हिन्दी सप्ताह दिनांक 27 अगस्त, 90 से 31 अगस्त, 90 तक मनाया गया । सप्ताह के दौरान हिन्दी टाइप, हिन्दी निबन्ध, हिन्दी टिप्पण एवं आलेखन प्रतियोगिताओं का आयोजन पटियाला, चंडीगढ़ तथा शिमला स्टेशनों पर करवाया गया ।

नगर राजभाषा समिति, पटियाला के सदस्य कार्यालयों के के लिए हिन्दी सप्ताह 10-9-90 से 18-9-90 तक मनाया गया । इस अवधि के दौरान सदस्य कार्यालयों के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के लिए हिन्दी टाइप आशुलिपि हिन्दी टिप्पण एवं आलेखन हिन्दी कविता पाठ हिन्दी प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाया गया तथा विभागों में हो रहे हिन्दी कार्य को परिलक्षित करने के लिए "हिन्दी प्रदर्शनी" भी लगाई गई । जिसमें "नेटवर्क कं." ने अपने द्विभाषी इलैक्ट्रानिक टाइपराइटरों का प्रदर्शन भी किया । इन प्रतियोगिताओं में स्टेट बैंक आफ पटियाला, आयकर विभाग, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय क्रीडा संस्थान, डीजल का पुर्जा कारखाना यूनाइटिड इंडिया इंश्योरेंस कं., केन्द्रीय तार घर, पटियाला, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने बढ़चढ़ कर भाग लिया ।

18.9.90 को आयकर विभाग के परिसर में पुरस्कार वितरण समारोह पर आयकर विभाग द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम किया गया और इसी दिन हिन्दी कविता पाठ, प्रतियोगिता, हिन्दी प्रश्नोत्तरी, हिन्दी स्किट रखे गए थे । उक्त प्रतियोगिताओं में प्रथम द्वितीय तथा तृतीय स्थान पर आने वाले अधिकारियों तथा कर्मचारियों को क्रमशः डीजल कल पुर्जा कारखाना, स्टेट बैंक आफ पटियाला के सौजन्य से पुरस्कार प्रदान किए गए ।

समापन समारोह में श्री प्रभुदयाल महाप्रबंधक (आयोजना एवं विकास) स्टेट बैंक आफ पटियाला) ने समारोह के सफल आयोजना पर आयकर विभाग के अधिकारियों एवं स्टाफ के सदस्यों को बधाई दी । उन्होंने कहा कि उन्हें खुशी है कि, आयकर विभाग के अधिकारियों की नोटिंग/ ड्राफ्टिंग हिन्दी में होती है । हिन्दी सरल एवं आम बोल चाल की भाषा है । तमिलनाडु, केरल में अधिकारी व कर्मचारी हिंदी की परीक्षाएं पास करते हैं । अगर आपको भाषा अच्छी लगती है तो इसे बातचीत में अधिक लाइए क्योंकि बातचीत से ही लिखने की भी प्रेरणा मिलती है ।

श्री जी एस सिद्धू आयकर आयुक्त पटियाला ने कहा कि हिन्दी एक आम भाषा है । हिन्दी में काम किया जा सकता है । लेकिन मनोवैज्ञानिक दबाव के कारण हम इसे प्रयोग करने में हिचकिचाते हैं । कभी कभी स्पैलिंग्ज की कठिनाई आती है । यदि कोशिश करते रहें तो शीघ्र ही कार्यालयों के हर फील्ड में इसका प्रयोग सम्भव हो सकेगा ऐसी मेरी आशा है ।

समारोह के आयोजक श्री जमील अहमद, उपायुक्त आयकर, पटियाला ने उपस्थित सभी विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों/ सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त किया विभिन्न प्रतियोगताओं में पुरस्कृत कर्मचारियों का विवरण इस प्रकार है:—

टाइप प्रतियोगिता :—

अवनिन्द्र कुमार दुबे	प्रथम
श्रीमती प्रोमिला कुकरेजा	द्वितीय
कु. सुमन कौर	तृतीय

हिंदी नोटिंग एवं ड्राफ्टिंग प्रतियोगिता

अनिल सिंगला	प्रथम
संजीव शर्मा	द्वितीय
श्रीमती वीना सिंगला	तृतीय

विशेष पुरस्कार

वीरेन्द्र सूद (शिमला)
शिवपाल मीणा (शिमला)

हिंदी टिप्पण व आलेखन प्रतियोगिता

सोहन सिंह, डीजल कल पुर्जा कारखाना,	प्रथम
अनिल खुराना, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान	द्वितीय
निरंजन सिंह, स्टेट बैंक आफ पटियाला	तृतीय

(1) नगर राजभाषा समिति पटियाला के विजेता

1. हिंदी आशुलिप प्रतियोगिता

हरीश कुमार	प्रथम
भागीरथ वधवा	द्वतीय

(2) हिन्दी टाईप प्रतियोगिता :

सुरिन्द्रजीत सिंह, स्टेट बैंक आफ पटियाला	प्रथम
श्रीमती रक्षा देवी, आयकर विभाग	द्वितीय
गुरबचन सिंह, केन्द्रीय तारघर	तृतीय
कु. रंजनी सूद, यूनाइटिड इंडिया इंशोरेंस कं.	तृतीय

संयुक्त समारोह

महालेखाकार का कार्यालय, ग्वालियर

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)—प्रथम एवं द्वितीय के संयुक्त तत्वावधान में "लेखा भवन" ग्वालियर में 14 सितम्बर, 1990 से 21 सितम्बर, 1990 तक हिन्दी सप्ताह का आयोजन किया गया। हिन्दी सप्ताह के दौरान तात्कालिक भाषण प्रतियोगिता, हिन्दी टंकण प्रतियोगिता, कलात्मक टंकण प्रतियोगिता, हिन्दी सुन्दर लेखन प्रतियोगिता, हिन्दी निबन्ध प्रतियोगिता, हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूप लेखन प्रतियोगिता एवं हिन्दी आशुलिपि प्रतियोगिता जैसी विभिन्न प्रतियोगिताएं की गई। जिनमें कार्यालय के कर्मचारियों की बड़ी संख्या ने सोत्साह भाग लिया। हिन्दी सप्ताह के दौरान कार्यालय के सभी कर्मचारियों को अधिकाधिक हिन्दी में कार्य करने के लिये प्रेरित किया गया।

दिनांक 21 सितम्बर, 1990 को पारितोषिक वितरण एवं हिन्दी सप्ताह समापन समारोह आयोजित किया। श्री एस. पी. सिंह महालेखाकार (लेखापरीक्षा) प्रथम आयोजन के मुख्य अतिथि थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री रमेश चन्द्र महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, ग्वालियर ने की। हिन्दी सप्ताह के मुख्य संयोजक श्री किशोर कुमार लेखा अधिकारी ने हिन्दी सप्ताह के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों की समीक्षा प्रस्तुत की। तत्पश्चात् मुख्य अतिथि ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में पुरस्कृत प्रतियोगियों को पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र वितरित किए।

सरकारी कामकाज में मूल हिन्दी टिप्पण एवं आलेखन के लिये प्रोत्साहन योजना में वर्ष 1989-90 में पुरस्कृत कर्मचारी सर्व श्री प्रदीप वामनगावा, अहमद खान एवं बी.वी. वी. शर्मा सिस्टला को क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार/प्रमाणपत्र वितरित किये गये तथा हिन्दी में सराहनीय कार्य करने हेतु चयनित कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किये गये।

श्री रमेश चन्द्र महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम ने अध्यक्ष भाषण में कहा कि हिन्दी सप्ताह को मात्र एक औपचारिकता न समझते हुए सभी लोगों को हिन्दी में कार्य करने के लिये संकल्प लेना चाहिए।

दूर संचार विभाग, वाराणसी

संसदीय राजभाषा समिति के वाराणसी आगमन एवं हिन्दी सप्ताह के अन्तर्गत वाराणसी दूरसंचार विभाग की ओर से काशी संचार सन्देश "हिन्दी दिवस अंक" का प्रकाशन किया गया। इस पत्रिका का विमोचन संसदीय राजभाषा समिति के सदस्य सांसद श्री उदय प्रताप सिंह ने किया।

कार्यक्रम के प्रारम्भ में विभाग की ओर से श्री अशोक कुमार गिरोत्रा ने स्वागत किया तथा विभाग द्वारा किये गये जा रहे राजभाषा हिन्दी के विकास में कार्यों की चर्चा की।

काशी संचार सन्देश "हिन्दी दिवस अंक" की सार्थकता पर दृष्टि डालते हुए मुख्य अतिथि संसदीय राजभाषा समिति के सदस्य श्री उदय प्रताप सिंह ने कहा कि हमें हिन्दी के विकास में आज जो सबसे बड़ी बाधा है, वह है, लोगों के मन में अंग्रेजी के प्रति मोह। श्री सिंह ने इस अवसर पर अपनी अनेक कविताएं सुनाकर श्रोताओं का मन मोह लिया।

दूर संचार विभाग के निदेशक (राजभाषा) श्री ओम प्रकाश वर्मा ने भी अपने विचार प्रकट किए। कार्यक्रम का सफल संचालन दूरसंचार विभाग के हिन्दी सलाहकर समिति के सदस्य एवं हिन्दी दिवस अंक के सम्पादक श्री हरिहर लाल श्रीवास्तव ने किया। इस अवसर पर पर समिति के अन्य सदस्य श्री पी एल एन्टोनी एम. पी. भी उपस्थिति थे। श्रीवास्तव ने हिन्दी के वास्तविक विकास के लिए व्यावहारिकता पर विशेष बल देते हुये कहा कि "जब तक हम व्यवहारिक हिन्दी का उपयोग नहीं करेंगे तब तक हिन्दी का वास्तविक विकास नहीं हो सकेगा।

आयकर विभाग, आगरा

आयकर विभाग आगरा में 14 सितम्बर, 1990 को हिन्दी दिवस समारोह का आयोजन आयकर आयुक्त

श्री एस. सी. नागपाल जी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ और हिन्दी सप्ताह निबन्ध प्रतियोगिता और स्लोगन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का विवरण निम्नवत् है—

स्लोगन प्रतियोगिता

हिन्दी भाषा एवं आयकर विभाग से सम्बन्धित दोहे या छन्द के रूप में स्लोगन अधिकारियों/कर्मचारियों से मांगें गये। चुने गए स्लोगनों को पोस्टरों पर लिखवाकर कार्यालय भवन एवं समारोह स्थल पर लगवाया गया। इस प्रतियोगिता में चार प्रतियोगियों सर्वश्री उमेश चन्द्र दुबे, आयकर निरीक्षक, प्रथम, कमलेश कुमार त्रिवेदी, आशुलिपिक द्वितीय एवं श्री आर. पी. भट्ट, आयकर निरीक्षक और एल. एस. वर्मा, कर सहायक ने तृतीय स्थान प्राप्त किया।

निबन्ध प्रतियोगिता

इस प्रतियोगिता में कई प्रतियोगियों ने भाग लिया जिनमें से श्री अनिल कुमार गुप्ता, अवरश्रेणी लिपिक को प्रथम, श्री उमेश चन्द्र दुबे आयकर, निरीक्षक व श्री कमलेश कुमार त्रिवेदी ने संयुक्त रूप से द्वितीय एवं श्री लक्ष्मणसिंह वर्मा ने तृतीय स्थान प्राप्त किया।

वाद-विवाद प्रतियोगिता

समारोह स्थल पर ही वाद-विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। वाद विवाद का विषय था "प्रसार माध्यमों की स्वतन्त्रता देश के विकास में बाधक है" इस प्रतियोगिता के अन्तर्गत उमेश चन्द्र दुबे, आयकर निरीक्षक को प्रथम, श्री पुष्पेन्द्र कुमार, आयकर निरीक्षक को द्वितीय एवं श्री हरिओम सिंह, कर सहायक को तृतीय स्थान मिला। जिसके लिए उन्हें आयकर आयुक्त ने पुरस्कार देकर सम्मानित किया।

(प्रश्नोत्तरी) क्विज प्रतियोगिता

आयकर प्रभार में 14 सितम्बर, 1990 हिन्दी दिवस के अवसर पर प्रथम बार उक्त प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। इस प्रतियोगिता में राजभाषा नियम, अधिनियम, आयकर अधिनियम व सामान्य ज्ञान से सम्बन्धित प्रश्न पूछे गये। इस प्रतियोगिता के लिए प्रभार के रेन्ज निर्धारण से चार टीमों में बांटा गया। प्रत्येक टीम में 3 प्रतियोगी थे प्रतियोगिता का संचालन प्रभार के सहायक आयकर आयुक्त श्री राजीव मेहरोत्रा एवं श्री राकेश मिश्रा, सहायक आयकर आयुक्त द्वारा किया गया। इस प्रतियोगिता में प्रतिभागियों एवं उपस्थित जन समूह ने विशेष रूचि ली। इस प्रतियोगिता में आयकर उपायुक्त रेन्ज-II कार्यालय के सर्वश्री अभय कुमार श्रीवास्तव, कर सहायक श्री प्रभातकुमार श्रीवास्तव, प्रवर श्रेणी लिपिक एवं विजय नरायन अवर श्रेणी लिपिक की टीम प्रथम रहीं। और आयकर आयुक्त कार्यालय आगरा से श्री बी. बी. बसल, प्रधान लिपिक, अनिल कुमार शर्मा, आयकर निरीक्षक, एल. एस. वर्मा, कर सहायक की टीम द्वितीय स्थान पर रही।

आयकर आयुक्त एवं अध्यक्ष महोदय ने विजेता प्रतियोगियों को पुरस्कार प्रदान किए। उन्होंने कहा कि भविष्य में इन प्रतियोगिताओं में अधिक से अधिक प्रतियोगियों को भाग लेना चाहिए। इस अवसर पर उन्होंने स्पष्ट किया कि इस प्रकार की प्रतियोगिताओं के आयोजन से निश्चय ही कर्मचारियों में हिन्दी के प्रति रूचि उत्पन्न होगी। इससे सरकारी कार्य में हिन्दी का विकास होगा।

आयकर विभाग, जयपुर

आयकर विभाग (केन्द्रीय राजस्व भवन), जयपुर में 18 सितम्बर, 1990 को श्री कंवरजीत सिंह, आयकर आयुक्त, जयपुर की अध्यक्षता में हिन्दी दिवस समापन समारोह मनाया गया। हिन्दी सप्ताह के अंतर्गत 12 सितम्बर, 1990 को निबन्ध प्रतियोगिता तथा 13 सितम्बर, 1990 को हिन्दी टंकण प्रतियोगिता आयोजित की गई।

मुख्य अतिथि श्री यशपाल सबरवाल ने हिन्दी टंकण एवं निबन्ध प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले प्रतियोगियों को पुरस्कार दिए और कहा कि हिन्दी हमारी राष्ट्रभाषा है और इसका सरकारी कामकाज में अधिक प्रयोग किया जाना चाहिए।

समारोह का संयोजन श्री सन्तोष कुमार शर्मा, आयकर सहायक आयुक्त, अन्वेषण वृत्त-3(1), जयपुर ने किया तथा श्री अब्दुल रहमान, सहायक निदेशक (राजभाषा) ने धन्यवाद ज्ञापन दिया।

इज्जतनगर रेल मण्डल

इज्जतनगर मण्डल के वर्ष 1989–90 के हिन्दी सप्ताह का आयोजन मण्डल के फतेहगढ़, कासगंज तथा मथुरा छावनी जैसे तीन प्रमुख स्टेशनों पर एक दिवसीय कार्यक्रम के रूप में किया गया।

सप्ताह का मुख्य उत्सव 27-6-90 को स्थानीय कारखाना कैन्टीन में आयोजित किया गया। इसकी अध्यक्षता मण्डल रेल प्रबन्ध श्री राजेन्द्र नाथ सोनी ने की।

अपर मण्डल रेल प्रबन्धक एवं उपमुख्य राजभाषा अधिकारी श्री ए.के. दास ने अध्यक्ष तथा उपस्थित अधिकारियों तथा कर्मचारियों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि इज्जतनगर मण्डल सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग के प्रति जागरूक हैं। इस बात का सतत प्रयास

किया जाता है कि हिन्दी प्रयोग के शत-प्रतिशत के लक्ष्य को प्राप्त किया जाए। उन्होंने कहा कि मण्डल में हमने हिन्दी के प्रयोग में 98% का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है।

कार्यक्रम का संचालन राजभाषा अधिकारी श्री जगदीश नाथ श्रीवास्तव ने किया। कर्मचारियों में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने और उसके लिए उन्हें उत्साहित करने के उद्देश्य से इस प्रश्नोत्तरी का एक नया कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें दिन प्रतिदिन के कार्यों में प्रयुक्त होने वाले अंग्रेजी के शब्दों एवं वाक्यांशों का हिन्दी पर्याय कार्यक्रम में उपस्थित कर्मचारियों और अधिकारियों से पूछा गया। सही उत्तर देने वाले 10 लोगों को अध्यक्ष द्वारा संस्थान पुरस्कृत किया गया।

सम्बोधित करते हुए मंडल रेल प्रबन्धक श्री राजेन्द्र नाथ सोनी

हिन्दी में प्रशंसनीय कार्य करने वाले मण्डल के 20 कर्मचारियों को नकद पुरस्कार तथा तीन अधिकारियों को मण्डल रेल प्रबन्धक ने प्रशस्ति-पत्र प्रदान किया। वर्ष 1989-90 की मण्डल तथा मण्डलेश्वर कार्यालयों को चल वैजयन्ती सिगनल विभाग इज्जत तथा लोको फोरमैन/पीलीभीत को प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त मण्डल रेल प्रबन्धक ने मण्डल कार्यालय तथा बरेली सिटी में आयोजित विभिन्न हिन्दी प्रतियोगिताओं में सफल घोषित 11 कर्मचारियों को पुरस्कार प्रदान किया। मण्डल रेल प्रबंधक ने कर्मचारियों के हिन्दी ज्ञान तथा उसमें उनकी रुचि बढ़ाने के उद्देश्य से स्थानीय डीजल शेड में एक हिन्दी पुस्तकालय का भी उद्घाटन किया।

लखनऊ रेल मंडल

पूर्वोत्तर रेलवे के लखनऊ मण्डल में हिन्दी दिवस समारोह में दि. 14 सितम्बर को अध्यक्षता मण्डल रेल प्रबन्धक श्री कृष्णपाल सिंह ने की।

अपर मण्डल रेल प्रबन्धक कर्नल रवीन्द्र कुमार सिंह ने कहा कि सरकारी नीतियों और आदेशों के अनुपालन की दिशा में लखनऊ मण्डल अग्रणी है। मण्डल में लगभग 95% काम हिन्दी में हो रहा है और इसे शत प्रतिशत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रगति के दसों द्वार खोल दिए गये है।

हिन्दी के प्रसिद्ध कवि श्री बशीर अहमद मयूर और साहित्यकार डा. चन्द्रकान्त बांदिवडेकर प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, हिन्दी विभाग बंम्बई विश्वविद्यालय का अभिनन्दन करते हुए राजभाषा अधिकारी श्री जगतपति शरण निगम ने उनकी काव्यसाधना और साहित्यसाधना तथा जीवन पर प्रकाश डाला। उल्लेखनीय है कि उक्त दोनों साहित्यकार रेल मंत्रालय हिन्दी सलाहकार समिति के सम्मानित सदस्य हैं।

अपने अभिनन्दन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कविवर मयूख ने कहा कि हिन्दी ने हमें मां की तरह धारण करके सम्पूर्ण भारतीय जनजीवन को अभिव्यक्त किया है। हमें भी इसकी अवधारणा मातृवत करना चाहिए जिसे रोटी से जोड़ना उचित नहीं है। उन्होंने अंग्रेजी हटाने के उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए कहा कि इसका अर्थ हिन्दी थोपना नहीं बल्कि हिन्दी के साथ-साथ अन्य भारतीय भाषाओं को धारण करना है। उन्होंने बताया कि हिन्दी अन्य भारतीय भाषाओं की समृद्धि से सदैव समृद्ध होती रही है।

डा. बांदिवडेकर ने अपने अभिनन्दन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए सलाह दी कि बच्चे घरों में अपने माता-पिता तथा परिवार में जो भाषा सुनते, सीखते और बोलते हैं वहीं भाषा उनके लिए सहज हो जाती है और बाद में जो भाषा उन्हें पढ़ने के लिए थोपी जाती है वह उनके लिए बोझ बन जाती है। हम अपने बच्चों पर अंग्रेजी थोपकर उनकी ज्ञानराशि को सीमित तथा अध्ययन को बोझिल बना देते हैं। अतः हमें अपने बच्चों को अंग्रजी माध्यम वाले विद्यालयों में भेजने के मोह का परित्याग करना चाहिए।

हिन्दी दिवस समारोह के मुख्य अतिथि पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य राजभाषा अधिकारी श्री हसन इकबाल ने इस अवसर पर दस दिवसीय हिन्दी कार्यशाला का उदघाटन किया।

अध्यक्षीय सम्बोधन में मण्डल रेल प्रबन्धक श्री कृष्णपाल सिंह ने अपने शासकीय अनुभव के आधार पर

बताया कि शासन में अपने सहकर्मियों और अधीनस्थ कर्मचारियों को विश्वास में लेने और आपसी प्रेम के आदान-प्रदान के लिए हिन्दी से बढ़कर कोई दूसरा माध्यम हो ही नहीं सकता।

भारत सरकार मुद्रणालय, रिंग रोड, नई दिल्ली

(क) मुद्रणालय में दिनांक 14-9-90 से 20-9-90 तक हिन्दी सप्ताह का आयोजन किया गया। इस दौरान अधिकाधिक सरकारी कार्य हिन्दी में किया गया तथा साथ ही साथ अनेक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। जिनका विवरण इस प्रकार है:—

हिन्दी टिप्पण आलेखन प्रतियोगिता में 4 पुरस्कार रखे गये। अहिन्दी भाषी कर्मचारियों के लिए विशेष पुरस्कार था। इस प्रतियोगिता में कुल 7 कर्मचारियों ने भाग लिया।

हिन्दी निबन्ध प्रतियोगिता में भी चार पुरस्कार रखे गए। इस प्रतियोगिता में 22 कर्मचारियों ने भाग लिया।

हिन्दी टाइपलेखन प्रतियोगिता में 3 पुरस्कार रखे गए, जिसमें 6 कर्मचारियों ने भाग लिया।

उपरोक्त सभी प्रोत्साहन पुरस्कार प्रबन्धक श्री ई.आर. गडकर, द्वारा दिनांक 23-11-90 को प्रदान किए गए।

संबोधित करते हुए प्रबन्धक श्री ई.आर. गडकर।

(ख) भारत सरकार मुद्रणालय, रिंग रोड, नई दिल्ली कार्यालय में दिनांक 1-11-90 से 15-11-90 तक (10 कार्य-दिवसों के लिए) हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में 16 कर्मचारियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता के समापन के बाद प्रतिभागियों को प्रबन्धक श्री ई.आर. गडकर के करकमलों से प्रमाण-पत्र दिए गए। इन कार्यक्रमों का संचालन हिन्दी अधिकारी श्री नैनवाल ने किया।

राजभाषा विभाग, भागलपुर

दिनांक 14-9-90 को प्रमंडलीय राजभाषा कार्यालय भागलपुर द्वारा आयुक्त के सम्मेलन-कक्ष में "हिन्दी दिवस" समारोह का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता डा. राजेन्द्र पंजियार ने की। समागत सज्जनों का अभिनन्दन करते हुए प्रमंडलीय राजभाषा उप-निदेशक श्री सुरेन्द्र प्रसाद जमुआर ने "हिन्दी दिवस" को देश की एकता की महत्त्वपूर्ण कड़ी और आजादी के आन्दोलन की भाषा कहते हुए न्यायालयों और विश्वविद्यालयों के कामकाज में हिन्दी की सुप्रतिष्ठा करने पर विशेष जोर दिया और कर्मचारियों से हिन्दी में हस्ताक्षर करने पर बल दिया। अध्यक्षीय भाषण में डा. राजेन्द्र पंजियार ने हिन्दी की महत्ता, गुणवत्ता एवं व्यापक गहनीयता पर प्रकाश डाला।

अन्य वक्ताओं सर्वश्री आमोद कुमार मिश्र, शिवशंकर पारिजात, राजकुमार, प्रो० गोविन्द ठाकुर, प्रो. रविन्द्र "रवि", डा. कुमार इन्दुभूषण नेहरु ने हिन्दी के अधिकाधिक सरल और बोधगम्य बनाने पर जोर दिया।

विगत 27 अगस्त, 90 को प्रमंडलीय राजभाषा उप निदेशक जी सुरेन्द्र प्रसाद जमुआर द्वारा आयुक्त के सम्मेलन कक्ष में कथा-शिल्पी राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह के जन्म-शताब्दी-समारोह के अवसर पर साहित्य सेवा से जुड़े लोगों के लिए एक सार्थक आयोजन किया गया जिसमें हिन्दी पत्रकारिता और साहित्य की विभिन्न विधाओं से जुड़े 23 साहित्य-सेवियों को उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के भागलपुर के दिवंगत हिन्दी-सेवियों के नाम पर, सम्मानित किया गया।

बैंक

आन्ध्र बैंक, बेंगलूर

आन्ध्र बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, बेंगलूर में 31-8-90 से 14-9-90 तक राजभाषा पखवाड़ा मनाया गया। श्री के.एस. शेट्टी, क्षेत्रीय प्रबन्धक ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उन्होंने सभी कर्मचारियों से अनुरोध किया कि अपने-अपने विभाग, काउन्टर आदि का कार्य हिन्दी या द्विभाषी रूप में करें।

दि. 14-9-90 को क्षेत्रीय कार्यालय में समापन समारोह मनाया गया। इस अवसर पर श्री जे.आर. पाण्डेय सहायक निदेशक (कार्यान्वयन) को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। उन्होंने राजभाषा हिन्दी के महत्त्व पर प्रकाश डाला। राजभाषा अधिकारी श्री शेख जाफर साहेब ने कहा कि हिन्दी परीक्षाओं और हिन्दी कार्यशालाओं में प्रशिक्षित सभी कर्मचारी हिन्दी का कार्य कर रहे हैं और अधिकाधिक कार्य हिन्दी में करने वाले कर्मचारियों को साल में एक बार सम्मान-पत्र प्रदान किये जाते हैं। मुख्य अतिथि ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में निम्नलिखित कर्मचारियों को पुरस्कार प्रदान किए और वर्ष 1989 में हिन्दी में अत्यधिक

कार्य कर चुके निम्नलिखित कर्मचारियों को सम्मान-पत्र से सम्मानित किया गया :—

अचला वासन	—कूकटाउन शाखा
पद्मजा. के	—चामराजपेट शाखा
पद्मजा मुदकवी	—राजाजीनगर शाखा
एन. बालाजी	—गान्धीनगर शाखा
वी.सी. शानभोग	—बेलगांव शाखा
ए. अरुणा	—क्षेत्रीय कार्यालय
जी. नागरत्ना	— ,, ,,
एस. जयलक्ष्मी	— ,, ,,
संध्या एस. भट्ट	— ,, ,,
टी. मोहन रंग राज	— ,, ,,
के. मनोहर भट्ट	—गंगावती शाखा

1. प्रतिदिन एक हिन्दी शब्द सीखिए—लिखित परीक्षा

आर. श्रीधर—एन आर. रोड शाखा	—प्रथम
हरविन्दर कौर कपूर—एन आर रोड शाखा	—द्वितीय
एस. जयलक्ष्मी—क्षेत्रीय कार्यालय	—तृतीय

2. वाक प्रतियोगिता—हिन्दी :

पद्मजा मुदकवी—राजाजीनगर शाखा	—प्रथम
एम.एस. जयश्री—चामराजपेट शाखा	—द्वितीय
के. मनोहर भट्ट—क्षेत्रीय कार्यालय	—तृतीय

3. वाक प्रतियोगिता—कन्नड :

जी. उमेश—क्षेत्रीय कार्यालय	—प्रथम
एम.एस. जयश्री—चामराजपेट शाखा	—द्वितीय
एच.वी. श्रीनिधि—क्षेत्रीय कार्यालय	—तृतीय

4. निबन्ध प्रतियोगिता—हिन्दी :

पद्मजा मुदकवी—राजाजीनगर शाखा	—प्रथम
के. मनोहर भट्ट—क्षेत्रीय कार्यालय	—द्वितीय
मोहन डी कामत—क्षेत्रीय कार्यालय	—तृतीय

5. निबन्ध प्रतियोगिता—कन्नड :

टी.एम. नरसिंह मूर्ति—एन आर रोड शाखा	—प्रथम
जी. उमेश—क्षेत्रीय कार्यालय	—द्वितीय
एम.एस. जयश्री—चामराजपेट शाखा	—तृतीय

आन्ध्र बैंक, वारंगल

दिनांक 1-9-90 से 14-9-90 तक की अवधि को राजभाषा पखवाड़े के रूप में मनाया गया। इस पखवाड़े में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित की गईं और पखवाड़े के अंतिम दिन 'हिन्दी दिवस' को समापन समारोह तथा एक रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। 1-9-90 को आंचलिक प्रबन्धक श्री एम. ताण्डव कृष्ण राव जी की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई।

बैठक में प्रबन्धक वरंगल, प्रबन्धक नक्कलगुट्टा, प्रबन्धक फातिमानगर, प्रबन्धक के.एम. सी. कैम्पस तथा अधिकारी काजीपेट शाखा के अलावा अनेक कर्मचारी उपस्थित थे।

सर्वप्रथम कार्यालय प्रबन्धक श्री बी. लक्ष्मण राव ने आंचलिक प्रबन्धक, क्षेत्रीय प्रबन्धक तथा उपस्थित सभी कर्मचारियों का स्वागत किया उसके बाद उन्होंने आंचलिक प्रबन्धक से आगे की कार्यवाही का संचालन करने को कहा। अध्यक्ष के कहने पर राजभाषा अधिकारी श्री केशर सिंह ने राजभाषा पखवाड़ा आयोजित करने के उद्देश्य पर प्रकाश डाला। इसके बाद अध्यक्ष ने भारत सरकार की राजभाषा नीति पर एक विस्तृत भाषण किया जिसमें उन्होंने कहा कि आज से 41 साल पहले 1949 में हिन्दी को राजभाषा स्वीकार किया गया था। हिन्दी को राजभाषा का दर्जा देने वाले अहिन्दी भाषी लोग थे जिनकी पहल पर हिन्दी को राजभाषा बनाया गया। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि हमें सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए और हर संभव अपना कार्य हिन्दी में ही करना चाहिए। उन्होंने पखवाड़े भर निम्न कार्यों में हिन्दी प्रयोग करने की अपील की।

(1) उपस्थिति पंजिका में हिन्दी में हस्ताक्षर करें।

(2) छुट्टी आवेदन पत्र व यात्रा भत्ता बिल हिन्दी में भरें।

(3) पास बुक व खाता बहियों में प्रविष्टियां हिन्दी में करें।

(4) शाखा प्रबन्धक इसी तरह की बैठक शाखाओं में भी आयोजित करें।

वाक प्रतियोगिता : 5-9-90

विषय: (1) "ग्रामीण विकास में बैंकों का योगदान"

(2) "ग्राहक सेवा व हिन्दी"

(3) "जमा संग्रहण एक चुनौती"

यह कार्यक्रम आंचलिक कार्यालय में आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कार्यालय प्रबन्धक श्री बी. लक्ष्मण राव ने की।

निबंध प्रतियोगिता : 6-9-90

विषय : (1) "समाज के पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी सेवाओं में आरक्षण—मानदंड"

(2) "राजभाषा अनुपालन में व्यावहारिक कठिनाइयां"

(2) "भारतीय अर्थ व्यवस्था के सामने चुनौतियां"

प्रतियोगिता की अध्यक्षता श्री नायर, मुख्य अधिकारी निरीक्षणालय ने की। इस अवसर पर दक्षिण क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, बेंगलौर के श्री जी. आर. पाडेय भी उपस्थित थे। उन्होंने उपस्थित प्रतिभागियों का उत्साहवर्द्धन किया और कहा कि सरकार की दूरगामी राजभाषा नीति का अंग है कि इस तरह की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएं फिर धीरे-धीरे कर्मचारियों का संकोच दूर होगा।

सामने आई हैं। प्रतिभागियों ने निर्भयता से सरकार से हिंदी अनुपालन कड़ाई से अनुपालन करवाने व वरिष्ठ अधिकारियों/कार्यपालकों से हिंदी अनुपालन को भी अन्य प्राथमिकताओं के साथ गंभीरता से लेने की अपील दुहराई। इन निबंधों को बारी-बारी से राजभाषा रागिनी में प्रकाशित करने का निर्णय लिया गया है।

राजभाषा क्विज प्रतियोगिता : 12-9-90

यह प्रतियोगिता आंचलिक कार्यालय में श्री एन. ई. वराहन की अध्यक्षता में आयोजित की गई। जिसमें कार्यालय प्रबंधक श्री बी. लक्ष्मण राव तथा अन्य व्यक्तियों ने संचालन में सहयोग दिया।

बैंकिंग शब्दावली स्मृति प्रतियोगिता : 13-9-90

यह प्रतियोगिता पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार क्षेत्रीय कार्यालय में आयोजित की गई। इस प्रतियोगिता का उद्घाटन क्षेत्रीय कार्यालय के प्रबंधक (यो. वि.) श्री यू. मूर्ति ने की। प्रतियोगिता में 1-1-90 से 13-9-90 तक की अवधि के श्याम पट्ट पर लिखे गए "प्रतिदिन एक हिंदी शब्द सीखिए" योजना के शब्दों में से 10 शब्दों के अंग्रेजी से हिंदी समानक तथा 10 शब्दों के हिंदी से अंग्रेजी समानक पूछे गए थे।

समापन समारोह : सांस्कृतिक कार्यक्रम

दिनांक 14-9-90 को पखवाड़े के अंतिम दिन तथा हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर एक समापन समारोह आयोजित किया गया। समारोह की अध्यक्षता श्री ई. इस्माइल, माननीय जिला एवं सेशन्स जज, वरंगल ने की तथा मुख्य अतिथि ध्वनि अनुकरण सम्राट, कलापूर्ण, डा. नरेला वेणु माधव थे।

सहायक महाप्रबंधक श्री एम. तांडव कृष्णा राव ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। इस अवसर पर वरंगल नगर में, स्थित केन्द्र सरकार के कार्यालयों, राष्ट्रीयकृत बैंकों, उपक्रमों कंपनियों व निकायों के मुख्य अतिथि श्री वेणु माधव ने इस अवसर पर केन्द्रीय सरकार के कामकाज की भाषा हिंदी क्यों चुनी गई इस विषय पर बोलते हुए कहा कि 1923 में ही महात्मा गांधी जी की पहली पर मद्रास में दक्षिण भारत हिंदी प्रचारक सभा की शाखा खोली गई। फिर स्वतन्त्रता आंदोलन में हमारे नेताओं ने अनुभव किया कि केवल हिंदी ही ऐसी भाषा है जो हम सब भारतीयों को एक कर सकती है इसलिए केन्द्र सरकार के कार्यालयों का कार्य हिंदी में हो। उन्होंने कर्मचारियों को दी जाने वाली अनेक सुविधाओं व प्रोत्साहनों का उल्लेख करते हुए कहा कि कर्मचारियों को स्वेच्छा से आगे बढ़ना चाहिए और भारत सरकार की राजभाषा नीति को सफल बनाना चाहिए। उन्होंने हिंदी दिवस के अवसर पर आंध्रा बैंक द्वारा इस भव्य आयोजन के लिए हमारे आंचलिक प्रबंधक को बधाई दी।

अध्यक्षीय भाषण में श्री ई. इस्माइल, माननीय जिला एवं सेशन्स जज, वरंगल ने यह बात दोहराई कि हमारी शिक्षा पद्धति के दोष के कारण सभी भारतीय भाषाओं की अवहेलना तथा अंग्रेजी के पीछे अंधे होकर भाग रहे हैं। यह देश के व्यापक हित में नहीं है हमें अपने देश और अपने देश की भाषाओं का सम्मान करना चाहिए। हिंदी प्रयोग के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि दूसरा कोई चारा नहीं है हमें केन्द्र सरकार के कार्यालयों में हिंदी को बढ़ावा देना ही होगा। उन्होंने बैंक कर्मचारियों व उपस्थित जन समूह से अनुरोध किया कि वे संकीर्णता से ऊपर उठकर हिंदी प्रयोग के बारे में सोचें।

इस अवसर पर श्री पी. सी. सोनी, राजभाषा अधिकारी, स्टेट बैंक आफ हैदराबाद, श्री बशीर अहमद खान, मंडल प्रबंधक यूनाइटेड इंडिया इंशोरेंस कंपनी तथा श्री अरुणाचलम, सहायक कमीशनर, भविष्य निधि कार्यालय, ने भी अपने विचार व्यक्त किए।

उसके बाद प्रतियोगिताओं के सफलतम तीन-तीन प्रतिभागियों को अध्यक्ष महोदय द्वारा पुरस्कारों से सम्मानित किया गया।

इसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम आरंभ हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत आंचलिक कार्यालय के चार कर्मचारी क्रमशः सुश्री पद्मावती, सुश्री पद्मजा, सुश्री अनुराधा तथा श्री राधा मनोहर के सामूहिक भक्तिपूर्ण गान —

"फूल हैं अलग-अलग चमन तो अपना एक है
जातियां अलग-अलग वतन तो अपना एक है"

के साथ हुई।

उसके बाद अनेक प्रतिभाएं अपनी कलाओं का प्रदर्शन करती रहीं।

अंचल कार्यालय की सुश्री पद्मावती ने एक मनोहरी तेलुगु गान प्रस्तुत किया। टेलीकम्यूनिकेशन के इंजीनियर श्री एस. बी. शास्त्री ने मनोहारी बांसुरी वादन किया। ओरियन्टल इंशोरेंस कंपनी के श्री रावबेंद्र राव ने भी गीत प्रस्तुत किए। भारतीय स्टेट बैंक के श्री नागराज ने मोनो एक्टिंग की। राजभाषा अधिकारी श्री केशर सिंह के विशेष अनुरोध पर ध्वनिअनुकरण सम्राट, कलापूर्ण डा. वेणु माधव ने भी 5 मिनट का ध्वनि अनुकरण को एक अत्यंत मनोरंजन कारी छटा का प्रदर्शन किया लोग बहुत खुश हुए। इसी श्रृंखला में हमारी वरंगल शाखा के श्री कामेश्वर राव ने भी अपनी प्रतिभा 'ध्वनि अनुकरण' का सफल व कलापूर्ण प्रदर्शन किया।

इलाहाबाद बैंक, मेरठ

दिनांक 20 सितम्बर, 1990 को इलाहाबाद बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय में हिंदी सप्ताह के समापन पर विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कृत किया गया।

इस सप्ताह के अंतर्गत आयोजित प्रतियोगिता में आर.सी. अग्रवाल—प्रथम, अजय शर्मा—द्वितीय तथा अनिल सिंघल—तृतीय स्थान पर रहे। हिंदी टंकण प्रतियोगिता का प्रथम पुरस्कार के. पी. गुप्ता, द्वितीय विष्णु चावला तथा तृतीय के. जी. गुप्ता ने प्राप्त किया।

हिंदी निबंध लेखन में श्रीमती नीरू जैन ने प्रथम, आर. पी. सिंह, ने द्वितीय व लखन शर्मा ने तृतीय तथा हिंदी वक्तव्य में अनुज गर्ग ने प्रथम, नीरू जैन ने द्वितीय व सोमदत्त ने तृतीय स्थान प्राप्त किया।

विचार व्यक्त करते ए विशेष कार्य अधिकारी श्री एस. सी. चटर्जी

समारोह की अध्यक्षता योगीराज शर्मा ने की तथा मंडलीय कार्यालय के विशेष कार्याधिकारी एस. सी. चटर्जी मुख्य अतिथि रहे। प्रबंधक (स्थापना) टी. पी. सिंह व प्रबंधक (ऋण) आर. पी. बधवार एवं राजभाषा अधिकारी सुभाष रस्तोगी ने विचार व्यक्त किए। संचालन क्षेत्रीय कार्यालय के राजभाषा अधिकारी डालचंद ने किया।

बैंक आफ इंडिया
आंचलिक कार्यालय, नागपुर

अंचल में 1 सितम्बर से 14 सितम्बर 90 तक हिंदी पखवाड़े का आयोजन हुआ। आंचलिक कार्यालय परिसर में 12 सितम्बर, 1990 को "बैंकों में राजभाषा कार्यान्वयन—समीक्षा एवं सुझाव" विषय पर गोष्ठी का आयोजन किया गया।

गोष्ठी की अध्यक्षता आंचलिक प्रबंधक, श्री जयशील यो. दीवानजी ने की। गोष्ठी में भाग लेने वाले थे—दैनिक लोक-समाचार के कार्यकारी संपादक श्री एस.एन. विनोद तथा दैनिक नागपुर टाइम्स के संपादक श्री आर.एन. दुबे थे।

अन्तर बैंक अर्द्धशास्त्रीय फिल्मी गीत प्रतियोगिता :—

हिन्दी दिवस के महत्ता को बहलाने के लिए तथा बैंक कर्मियों की स्मृति में 14 सितम्बर की याद को बनाये रखने के लिए हमने अन्तर बैंक अर्द्धशास्त्रीय फिल्मी गीत प्रतियोगिता का आयोजन किया। नगर के कुल 7 बैंकों ने भाग लिया था।

संगीत के दो विशेषज्ञों ने तथा हमारे बैंक के संगीत प्रेमियों ने इस प्रतियोगिता में निर्णायक की भूमिका निभाई। प्रथम तीन विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। प्रथम पुरस्कार हमारे बैंक के नागपुर (मुख्य) शाखा की श्रीमती तनुजा देशपांडे को प्राप्त हुआ। गीत के बोल थे—पपिहा बोले कुहू कुहू। द्वितीय पुरस्कार इलाहाबाद बैंक के श्री ए.एम. इंगले को प्राप्त हुआ। गीत के बोल थे—मधूबन में राधिका नाचे रे। तृतीय पुरस्कार पंजाब नैशनल बैंक श्री आर.एच. पोलकें को प्राप्त हुआ। गीत के बोल थे—कोई सागर दिल को बहलाता नहीं।

14 सितम्बर को अपने अध्यक्षीय सम्बोधन में आंचलिक प्रबन्धक श्री जयशील यों. दीवानजी ने यह घोषणा किया कि हिन्दी पखवाड़ा 14 सितम्बर, 90 को समाप्त नहीं हो रहा है। जब तक हमारा अंचल हिन्दी के 90% लक्ष्यों को प्राप्त नहीं करता तब तक हिन्दी पखवाड़ा समाप्त नहीं होगा।

अपने अध्यक्षीय सम्बोधन में आंचलिक प्रबंधक श्री जयशील यो. दीवानजी ने कहा कि भविष्य में भी हम विभिन्न विषयों पर आयोजन करेंगे तथा अंचल के बैंक कर्मियों की प्रतिभाओं को उभरने तथा निखरने का पूरा अवसर प्रदान करेंगे।

इस अवसर पर उप-आंचलिक प्रबन्धक श्री ज्योतिर्मय चक्रवर्ती ने भी अपने विचार प्रकट किये।

चन्द्रपुर क्षेत्रीय कार्यालय

दिनांक 1 सितम्बर, 90 से 14 सितम्बर, 90 तक चन्द्रपुर क्षेत्र में हिन्दी पखवाड़ा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर क्षेत्रीय स्तर पर विभिन्न हिन्दी प्रतियोगिताएं जैसे निबंध, बैंकिंग शब्दावली, प्रश्नोत्तरी आदि प्रतियोगिताओं का सफल आयोजन किया गया। इन प्रतियोगिताओं में क्षेत्र की शाखाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

14 सितम्बर, 90 को क्षेत्रीय कार्यालयों में हिन्दी दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर चन्द्रपुर की स्थानीय शाखाओं, मुख्य शाखा, जटपुरा गेट शाखा, टी.पी.एस. दुर्गापुर शाखा के स्टाफ सदस्यों को भी आमंत्रित किया गया। इसी दिन समापन समारोह के पहले एक मौखिक बैंकिंग शब्दावली का आयोजन भी किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता चन्द्रपुर क्षेत्र के क्षेत्रीय प्रबन्धक द्वारा की गयी।

बैंक आफ महाराष्ट्र (प्रधान कार्यालय)

बैंक ऑफ महाराष्ट्र के प्रधान कार्यालय में हिन्दी दिवस के उपलक्ष्य में एक भव्य कार्यक्रम 28-7-90 को आयोजित किया गया। बैंक के महाप्रबंधक श्री वि.भि. गांधी ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की तथा एस.एन.डी.टी. विश्वविद्यालय, बंबई के हिन्दी विभाग की अध्यक्षा डॉ. उमा शुक्ला मुख्य अतिथि थीं। बैंक के उप महाप्रबंधक (स्थानापन्न) (कार्मिक) श्री प्र. अ. चितले ने सभी का स्वागत किया। प्रभारी उप-प्रबन्धक डॉ. दामोदर खडसे ने बैंक में चल रहे हिन्दी कामकाज की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए प्रास्ताविक वक्तव्य दिया।

बैंक के महाप्रबंधक श्री वि.भि. गांधी ने अपने अध्यक्षीय वक्तव्य में कहा कि हिन्दी सिर्फ सरकारी अपेक्षाओं की पूर्ति ही नहीं अपितु ग्राहक-सेवा की आवश्यकता भी है। इसीलिए बैंक हिन्दी व क्षेत्रीय भाषाओं के प्रयोग के जरिये जनसामान्य की जरूरतों को पूरा करने की दिशा में प्रयत्नशील हैं।

इस अवसर पर हिन्दी में उत्कृष्ट कामकाज करने वाले केन्द्रीय कार्यालय के विभागों तथा हिन्दी दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेता कर्मचारियों को भी पुरस्कृत किया गया। अन्त में सहायक प्रबन्धक श्री रामकृष्ण तिवारी ने आभार व्यक्त किया।

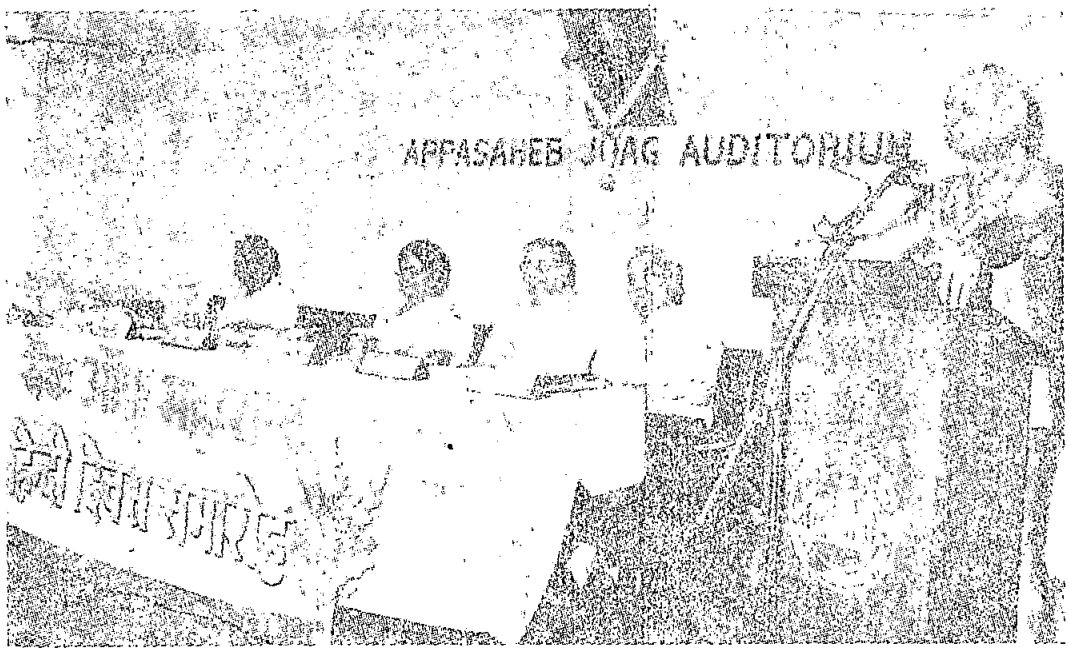

समारोह की एक झलक।

बैंक के महाप्रबंधक तथा केन्द्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष श्री श्रीधर वेन्द्रे ने हिन्दी के प्रयोग के संबंध में "संकल्प से कार्यान्वयन तक" की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए कहा कि इस संबंध में काफी लक्ष्यों को पार किया जा चुका है, किन्तु अब भी एक लंबा रास्ता तय करना है।

मुख्य अतिथि डॉ. उमा शुक्ला ने महाबैंक में चल रहे हिन्दी कामकाज की प्रशंसा की और संभावनाओं पर प्रकाश डाला।

संयुक्त बैंकिंग कार्यक्रम, बम्बई

दिनांक 10 अक्तूबर, 1990 को बंबई के के.सी. कॉलेज सभागृह में सभी बैंकों के सम्मिलित सहयोग से "संयुक्त हिन्दी दिवस समारोह" मनाया गया।

समारोह के प्रमुख अतिथि के रूप में प्रख्यात साहित्यकार डॉ. राही मासूम रजा उपस्थित थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बंबई महानगरीय अंचल के उप-महाप्रबंधक श्री मा.त्रि. सोमण ने की। देना बैंक के वरिष्ठ प्रबंधक श्री भूपेन्द्र वैद्य ने स्वागत भाषण किया।

इस अवसर पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र की ओर से एक हिन्दी लघु नाटिका "हिन्दी-हिन्दी-हिन्दी" का मंचन किया गया। इस नाटिका में बैंक के बंबई स्थित कार्यालयों शाखाओं के स्टाफ सदस्यों––सर्वश्री रमेश शिरवेकर, सुनील वेंगुर्लेकर, संदीप बर्वे, विलास कोलपे, दिवाकर देशपांडे, अजित वावले, कैप्टन विजय कुमार शर्मा और श्रीमती सुवर्णा चावला ने भाग लिया। श्री प्रबोध कुमार गोविल की लिखी इस नाटिका का निर्देशन श्री दिवाकर देशपांडे ने किया। रंगमंच व्यवस्था श्री प्रद्युम्न बर्वे, वेशभूषा श्री अशोक मजिठ, रंगभूषा श्री श्रीपाद काले की देखरेख में संपन्न हुई।

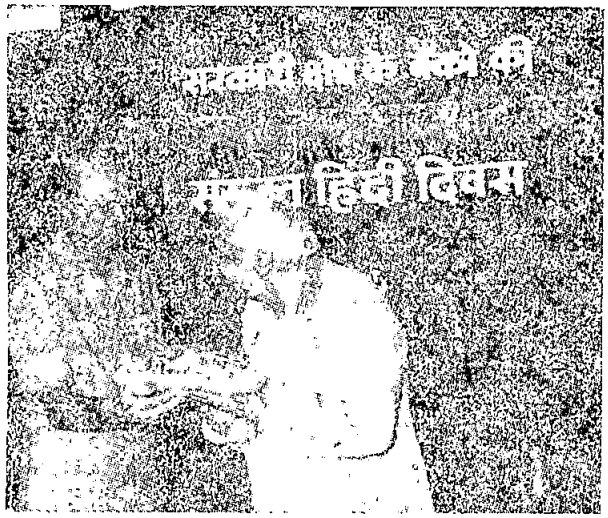

मुख्य अतिथि डा. राही मासूम रजा का स्वागत करते हुए श्री मा.वि.सोमण, उप महाप्रबन्धक, बैंक आफ महाराष्ट्र

विजया बैंक की ओर से सुगम संगीत का कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया।

कार्यक्रम में गृह मंत्रालय (राजभाषा विभाग) के उप-निदेशक (कार्या.) श्री कृष्ण ना. मेहता भी उपस्थित थे। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष श्री सोमण ने समिति की ओर से डॉ. राही मासूम रज़ा को शॉल एवं श्रीफल देकर सम्मानित किया।

प्रमुख अतिथि डॉ रज़ा ने विभिन्न अंत बैंक प्रतियोगिताओं के विजेता कर्मचारियों को पुरस्कार प्रदान किये। विजेताओं का विवरण निम्नानुसार है--

अनुवाद प्रतियोगिता

प्रथम : रविदत्त शर्मा, भारतीय रिज़र्व बैंक

द्वितीय--अरविंद गर्ग, सिंडीकेट बैंक

तृतीय--राजकुमार सिंह, सिंडीकेट बैंक

चतुर्थ--सुधीर श्रीधर काले, बैंक ऑफ महाराष्ट्र

पंचम--श्रीमती मेघा बड़वे, न्यु बैंक ऑफ इंडिया

निबंध प्रतियोगिता

प्रथम--अरविंद गर्ग, सिंडीकेट बैंक;

द्वितीय--विनोद कुमार, सिंडीकेट बैंक;

तृतीय--श्रीमती कांचन क. भुताड़, पंजाब नेशनल बैंक

चतुर्थ--श्रवण कुमार व्यास, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर

पंचम--श्रीमती मेघा बड़वे, न्यू बैंक ऑफ इण्डिया

कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री मा.वि. सोमण ने की। उन्होंने डॉ. राही मासूम रज़ा के भाषण का उल्लेख करते हुए उन्हें बैंकों की ओर से आश्वस्त किया कि राजभाषा के प्रचार-प्रसार के लिए हमारे प्रयासों में उनके व्याख्यान से अवश्य तेजी आयेगी।

सभी अंतः बैंक प्रतियोगिताओं की जांच एवं परीक्षण का कार्य विजया बैंक के राजभाषा अधिकारी श्री पी.वी. मुतालिक की देखरेख में संपन्न हुआ तथा विजेताओं के लिए पुरस्कारों का चयन एवं व्यवस्था श्रीमती टी.एस. निर्मला प्रबंधक (राजभाषा), केनरा बैंक की देखरेख में हुई।

कार्यक्रम का संचालन श्री प्रबोध कुमार गोविल ने किया तथा आभार प्रदर्शन इण्डियन बैंक के राजभाषा अधिकारी श्री अशोक कुमार वर्मा ने किया।

केनरा बैंक (प्रधान कार्यालय) बेंगलूर

दिनांक 5-10-1990 को केनरा बैंक, राजभाषा अनुभाग, कार्मिक विभाग, प्रधान कार्यालय (अनेक्स) में बैंक के कार्यपालक निदेशक, श्री के. लक्ष्मीनारायणन् की अध्यक्षता में हिन्दी दिवस समारोह आयोजित किया गया। श्रीमती एन सुजाता व कुमारी एन कुसुम के प्रार्थना गीत से समारोह का शुभारंभ हुआ। सब से पहले मंडल प्रबंधक श्री आर० एस० एल प्रभु ने सभी का स्वागत किया और राजभाषा कार्यान्वयन क्षेत्र में बैंक की उपलब्धियों पर संक्षिप्त प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। सहायक महाप्रबंधक श्री ए. के. एस. राव ने कहा कि यह नहीं समझना चाहिए कि राजभाषा कार्यान्वयन का काम सिर्फ हिन्दी अनुभागों/कक्षों का ही है बल्कि बैंक के सारे कर्मचारियों को अपना योगदान देना चाहिए।

प्रशिक्षण महाविद्यालय के प्राचार्य एवं सहायक महाप्रबंधक श्री एच. जी. एस राव व्यक्त किए। इस संदर्भ में उन्होंने प्रशिक्षण महाविद्यालय में हिन्दी के माध्यम से किये जाने वाले विविध प्रशिक्षण कार्यक्रमों की जानकारी दी।

अध्यक्षीय भाषण में कार्यपालक निदेशक श्री के. लक्ष्मीनारायणन् ने कहा कि हमें यथासाध्य संभाव्य शीघ्र अवसर पर हिन्दी सीखनी चाहिए और भाषा में प्रवीणता प्राप्त करने के लिए अधिक प्रयास करना चाहिए क्योंकि यह हमारी राजभाषा ही नहीं बल्कि संपर्क भाषा भी है।

अध्यक्ष राजभाषा अक्षय योजना प्रतियोगिता में विजेताओं को शील्ड और प्रमाण पत्र हिन्दी दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं में विजेता कर्म-

चारियों को तथा हिन्दी शिक्षण योजना द्वारा चलायी गई विभिन्न हिन्दी परीक्षाओं जैसे प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ में उत्तीर्ण कर्मचारियों को पुरस्कार वितरित किए।

इस अवसर पर बैंक द्वारा प्रकाशित द्विभाषिक पुस्तकों की प्रदर्शनी भी लगाई गई। राजभाषा अनभाग के अधिकारी श्री जगदीश प्रसाद ने हिन्दी दिवस समारोह के उपलक्ष्य में वित्त मंत्री श्री मधु दंडवते का संदेश पढ़कर सुनाया, श्री पी सी बालराज ने मंच संचालन किया तो श्री गणेश राम ने आभार प्रदर्शन किया।

केनरा बैंक

कर्मचारी प्रशिक्षण महाविद्यालय, बेंगलूर-4

दिनांक 14-9-90 को हिंदी दिवस समारोह महाविद्यालय के परिसर में संपन्न हुआ। समारोह की अध्यक्षता कर्मचारी प्रशिक्षण महाविद्यालय के प्रधानाचार्य व सहायक महा प्रबंधक श्री एच. जी सोमेशेखर राव ने की। प्रो. ना. नागप्पा सेवानिवृत्त हिन्दी प्राध्यापक, मैसूर विश्वविद्यालय मुख्य अतिथि थे।

मुख्य अतिथि प्रोफेसर ना. नागप्पा का स्वागत करते हुए श्रीएम.एम. किंणी, मंडल प्रबन्धक

अध्यक्षीय भाषण में प्रो. ना. नागप्पाजी ने हिन्दी भाषा को महत्व तथा उसकी कार्यान्वयन पर विचार व्यक्त किए। बैंकिंग विषयों पर हिन्दी में किताबें लिखने और पूरे देश में हिन्दी लागू करने का अनुरोध किया।

प्रधानाचार्य श्री एच. जी. सोमशेखर राव ने सभी कर्मचारियों से अपील की कि बैंक में हिन्दी के सफल कार्यान्वयन में सहयोग दें।

प्रो. ना. नागप्पाजी ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किये।

श्री एम. एम. किणी मंडल प्रबंधक ने धन्यवाद ज्ञापित किया।

कैनरा बैंक, करनाल

हिन्दी मास का शुभारम्भ दिनांक 15 अगस्त 1990 को मण्डल कार्यालय करनाल के परिसर में आयोजित स्वतन्त्रता दिवस समारोह के अवसर पर ध्वजारोहण के साथ किया गया।

हिन्दी मास के दौरान पांच स्थानों पर हिन्दी दिवस का आयोजन जिला स्तर पर किया गया। अम्बाला, पानीपत करनाल रोहतक तथा सिरसा में हिन्दी दिवस के अवसर पर हिन्दी वाक् प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया ताकि जिलों की नजदीकी शाखाओं के कर्मचारी हिन्दी दिवस समारोह में भाग ले सकें।

हिन्दी मास के दौरान गड़गांव, रेवाड़ी, भिवानी, रोहतक, हिसार तथा सिरसा जिलों की शाखाओं से राजभाषा अधिकारी, श्री एस. के. तुली ने हिन्दी सम्पर्क प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए तथा हिन्दी विचार गोष्ठियों का आयोजन किया गया।

(क) करनाल

हिन्दी मास का प्रमुख कार्यक्रम 14 सितम्बर 1990 को मण्डल कार्यालय करनाल के परिसर में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में करनाल, तरावड़ी, बड़ागांव, काच्छवा, साम्भली तथा कैथल शाखाओं के कर्मचारियों ने भाग लिया।

मंडल कार्यालय में हिन्दी प्रयोग की जानकारी देते हुए राजभाषा अधिकारी श्री एस.के. तुली। साथ में हैं—मंडल प्रबन्धक श्री एम. आर. रामानन्दन :

समारोह का उद्घाटन श्री एम. आर. रामनन्दन् मण्डल प्रबन्धक ने किया। सर्वप्रथम मण्डल के राजभाषा अधिकारी श्री एस. के. तुली ने सभी का स्वागत करते हुए बैंक द्वारा राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में प्राप्त उपलब्धियों की एक झलक प्रस्तुत की। श्री तुली ने कर्मचारियों को सम्बोधित करते हुए बताया कि हिन्दी न केवल राष्ट्रभाषा है बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय भाषा का स्थान ग्रहण करने जा रही है। इस अवसर पर हिन्दी वाक् स्पर्धा का आयोजन किया गया। सर्वश्री शेख आयुब हुसैन, श्री आर. वाई. नारायणा तथा श्री एन. के. अब्बी ने क्रमशः प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान प्राप्त किया।

(ख) अम्बाला

अम्बाला छावनी शाखा में हिन्दी दिवस के अवसर हिन्दी वाक्स्पर्धा का आयोजन 14 सितम्बर 1990 को किया गया। अम्बाला छावनी के अलावा अम्बाला शहर, तथा थंजोखरा शाखा के कर्मचारियों के लिए हिन्दी वाक्स्पर्धा का आयोजन अम्बाला छावनी शाखा में किया गया। निम्नलिखित कर्मचारियों को अम्बाला छावनी शाखा के वरिष्ट प्रबन्धक ने विजेताओं को पुरस्कारों से सम्मानित किया।

1. अशोक कुमार शर्मा—प्रथम
2. श्री अरूण कुमार भल्ला—द्वितीय
3. श्री विजय कुमार वजाज—तृतीय

अम्बाला छावनी शाखा की श्रीमती नरेन्द्र गुजराल के धन्यवाद प्रस्ताव के साथ हिन्दी दिवस समारोह का समापन किया गया।

(ग) पानीपत

जी. टी. रोड पानीपत मुख्य शाखा में हिन्दी दिवस का आयोजन पानीपत मुख्य असन्ध रोड पानीपत, नौलथा, बरसत, बाबरपुर तथा सोनीपत की शाखाओं के कर्मचारियों के लिए किया गया। इस अवसर पर आर्य महाविद्यालय के हिन्दी विभागाध्यक्ष प्रो. बृजलाल शर्मा मुख्य अतिथि थे। कर्मचारियों के लिए हिन्दी वाक्स्पर्धा का आयोजन किया गया। निम्नलिखित कर्मचारियों ने क्रमशः हिन्दी वाक् स्पर्धा में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान पुरस्कार प्राप्त किए।

श्री जे. एल. डेहरा— प्रथम
श्री शमशुदीन— द्वितीय
श्रीमती सीमापाल गुप्ता— तृतीय

समारोह का संचालन श्री सुरेश कुमार प्रबन्धक मुख्य शाखा ने किया। श्री एम. विश्वनायन, प्रबन्धक पानीपत मुख्य शाखा ने अध्यक्षता की तथा पुरस्कार वितरित किये।

(घ) रोहतक

रोहतक में हिन्दी दिवस समारोह का झज्जर रोड, रोहतक मुख्य शाखा में रोहतक तथा इसकी नजदीकी शाखाओं के लिए हिन्दी वाक्स्पर्धा का आयोजन भी किया गया।

श्री टी. एन. बालासुब्रहमण्यम वरिष्ठ प्रबन्धक ने हिन्दी विचारगोष्ठी की अध्यक्षता की।

श्री टी. एन. बालासुब्रहमण्यम वरिष्ठ प्रबंधक (रोहतक मुख्य शाखा) ने अपने-अपने अध्यक्षीय भाषण में कर्मचारियों को हिन्दी मास के दौरान बैंक द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति के लिए 90 प्रतिशत तक कार्य हिन्दी में करने की प्रेरणा दी।

हिंदी में करके सारा काम,
राष्ट्रभाषा का करेंगे हम सम्मान।
—एस. के. तुली

(ङ) सिरसा

सिरसा नगर में हिन्दी दिवस समारोह का आयोजन सिरसा मुख्य शाखा में 14-9-90 हिंदी सप्ताह के अवसर पर हिन्दी वाक्स्पर्धा का आयोजन किया गया। सिरसा की नहोरिया बाजार तथा सर्कुलर रोड शाखा के अलावा पानीवाला मोटा शाखा के कर्मचारियों के लिए हिन्दी दिवस का आयोजन सिरसा मुख्य शाखा में किया गया। गीत कविताएं तथा चुटकुले आदि सुनाएं गए। निम्नलिखित कर्मचारियों को पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। श्री आर. के. अरोड़ा, वरिष्ठ प्रबंधक सिरसा मुख्य ने समारोह की अध्यक्षता की तथा पुरस्कारों का वितरण किया।

श्री ज्ञान प्रकाश— प्रथम
श्री रामफल गर्ग— द्वितीय
श्री रत्न प्रकाश— तृतीय

राजभाषा अधिकारी श्री एस. के. तुली ने हिन्दी सम्पर्क प्रशिक्षण कार्यक्रमों के साथ निम्नलिखित शाखाओं में हिन्दी विचार गोष्ठियां आयोजित कीं :—

1. पालावास (रेवाड़ी), 2. बुरोली (महेन्द्रगढ़) 3. रेवाड़ी, 4. गुड़गांव रेलवे रोड, 5. गुड़गाव अलवर रोड, 6. मारूति उद्योग लि. गुड़गाव, 7. रोहतक मुख्य झज्जर रोड, 8. रोहतक-II, बाहरी किला रोड, 9. बहादुरगढ़, 10. खरक कलां, 11. बिरही कला, 12. भिवानी, 13. हिसार 14. बढ़वा, 15. सिरसा मुख्य तथा 16. सिरसा (नहोरिया बाजार)

हिन्दी सम्पर्क प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत शाखाओं में जाकर प्रत्येक कर्मचारी से व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित कर उसके विभाग में किये जा रहे कार्य को किस प्रकार हिन्दी में किया जा सकता है, इसकी प्रेरणा दी तथा अभ्यास करवाया गया। प्रबन्धक तथा कर्मचारियों के साथ हिन्दी विचार गोष्ठियों का आयोजन भी किया गया।

केनरा बैंक, दिल्ली अंचल

केनरा बैंक के दिल्ली अंचल कार्यालय ने अपने प्रांगण में 14 सितंबर, 1990 को हिंदी दिवस समारोह का भव्य आयोजन किया। फिल्मीगीतकार श्री संतोषानन्द ने मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए कहा कि आज हमें एकजुट होकर सारे भेद भावों को भुलाकर देश को बचाना होगा।

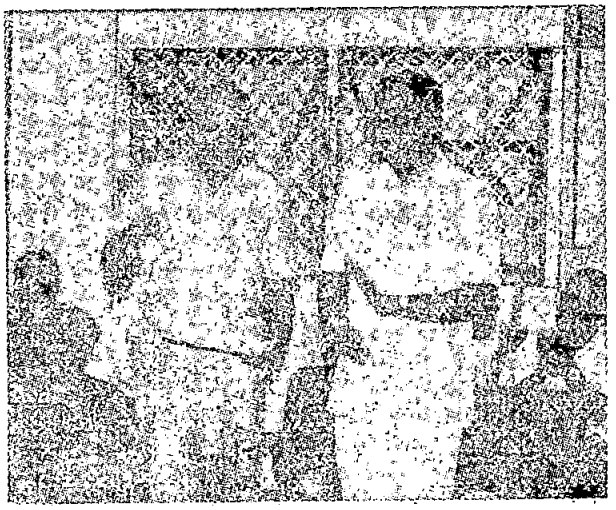

'हिन्दी प्रगति की झलक' पुस्तिका का विमोचन करते हुए अध्यक्ष-सह-प्रबन्धक निदेशक श्री एन.डी. प्रभु साथ में--- दिल्ली अंचल के उप महाप्रबन्धक श्री एन.आर. चिदम्बरम

बैंक द्वारा हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में अनेक हिंदी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया जिनके विजेताओं को गीतकार श्री संतोषानन्द ने अपने कर कमलों से पुरस्कार प्रदान किए। समारोह के आरम्भ में बैंक के मंडल प्रबंधक श्री वी. आर. नायक ने अपनी विशिष्ट शैली में स्वागत भाषण दिया। स्टाफ सदस्यों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया।

बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री एन. डी. प्रभु भी इस समारोह में शामिल हुए और उन्होंने अंचल द्वारा हिन्दी प्रयोग की दिशा में दिये गए योगदान से सम्बद्ध "प्रगति की झलक" पुस्तिका का विधिवत विमोचन किया। समारोह के अन्त में बैंक के उप महाप्रबंधक श्री एन. आर. चिदम्बरम ने हिंदी प्रयोग को बढ़ावा देने वाले कार्यालयों, शाखाओं, अनुभागों को राजभाषा ट्राफियां एवं प्रमाण-पत्र प्रदान किए। साथ ही हिंदी कार्यान्वयन में उल्लेखनीय योगदान देने वाले स्टाफ सदस्यों को भी पुरस्कार एवं प्रशंसा पत्र प्रदान करके सम्मानित किया गया। मंच संचालन का कार्य श्रीमती जीवन लता जैन, ने किया।

सैन्ट्रल बैंक आफ इंडिया, हैदराबाद

दिनांक 14-9-1990 को सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्षेत्रीय कार्यालय, आंचलिक कार्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालय की सभी स्थानीय शाखाओं में मिल कर सिकन्दराबाद शाखा में हिन्दी दिवस का आयोजन किया। इस अवसर पर बैंक के करीब 150 कर्मचारियों ने भाग लिया। कार्यक्रम का संचालन क्षेत्रीय कार्यालय के राजभाषा अधिकारी श्री आर.पी. अग्रवाल ने किया। क्षेत्रीय प्रबन्धक महोदय श्री स.अ. वाषा ने अपने अध्यक्षीय भाषण में हिन्दी के महत्त्व पर प्रकाश डाला तथा इस बात पर जोर दिया कि हमें अपना ज्यादा से ज्यादा कार्य हिन्दी में करना चाहिए। इस अवसर पर क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा कर्मचारियों के लिए भाषण तथा गीत प्रतियोगिता आयोजित की गयी।

हैदराबाद क्षेत्र की जिन शाखाओं में हिन्दी का अच्छा कार्य हो रहा है वहां पर अच्छे कार्य करने वालों को क्षेत्रीय प्रबन्धक महोदय के द्वारा हस्ताक्षर युक्त प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए।

1. श्री एस. त्यागराजन, शाखा प्रबन्धक बाटासिंगारम शाखा
2. श्री पी.एस.एन. राव, शाखा प्रबन्धक, रामायणपेट शाखा
3. श्री एम.वी. नरसिम्हा, शाखा प्रबन्धक, हनमकोन्डा शाखा
4. श्री कपिल कुमार, अधिकारी, सिकन्दरावाद शाखा
5. श्री पी. सुधाकर, लेखाकार, फतेहमैदान शाखा
6. श्री प्रमोद वलसंगर, टेलर, रेनबाजार शाखा
7. श्री जी.एस.के. चारी, लिपिक, छत्तावाजार शाखा

इस अवसर पर आंचलिक कार्यालय के मुख्य प्रबन्धक श्री शापूर शाखा प्रबन्धक श्री एम. श्रीराम, श्री ए.सी. सुदर्शन, स.क्षे. प्रबन्धक भी उपस्थित थे। श्री श्रीराम तथा ए.सी. सुदर्शन ने इस कार्यक्रम के संचालन में तथा प्रबन्ध में अपना बहुत सहयोग दिया।

सेंट्रल बैंक आफ इंडिया, आगरा

आंचलिक कार्यालय आगरा में आंचलिक प्रबन्धक श्री वै. चन्द्रशेखरन की अध्यक्षता में दिनांक 15-9-90 को बड़े पैमाने पर हिन्दी दिवस समारोह का आयोजन किया गया। जिसमें आंचलिक कार्यालय, आगरा क्षेत्रीय कार्यालय तथा स्थानीय सात शाखा के अधिकारियों तथा कर्मचारियों ने भाग लिया। प्रथम सत्र के मुख्य अतिथि के रूप में आर.बी.एस. डिग्री कालेज के हिन्दी विभाग के डा. श्यामलाल यादव और द्वितीय सत्र के मुख्य अतिथि के रुप में क.मु. हिन्दी तथा भाषा विज्ञान विद्यापीठ, आगरा विश्वविद्यालय, आगरा के निदेशक डा. जगत प्रकाश चतुर्वेदी उपस्थित थे। इस अवसर पर तीन हिन्दी प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गयीं।

डा. चतुर्वेदी ने कहा कि हिन्दी के मार्ग में आने वाली बाधाएं अस्थाई हैं। विभिन्न स्तरों से प्रयास दूर हो रहे हैं और बाधाएं दूर हो रही हैं।

डा. यादव ने कहा कि भाषा वह प्रकाश है जो हमारे विचारों को आलोकित करता है। भाषा में संवाद-हीनता न आने पाए इसके लिये अन्य भाषाओं के शब्दों को लेने में हमें हिचकिचाना नहीं चाहिए।

श्री चन्द्रशेखरन ने कहा कि मैं हिन्दी में नोटिंग करता हूं। हिन्दी पत्रों का जबाव हिन्दी में देता हूं। परिपत्र आदि दोनों भाषाओं में जारी कराता हूं। आप सभी लोग अच्छी हिन्दी जानते हैं और हिन्दी में कार्य भी करते हैं। अतः आप सभी यह वायदा करें कि जो काम हिन्दी में नहीं भी किये जा रहे हैं उन्हें भी हिन्दी में करना शुरू करेंगे।

इस अवसर पर वितरित किए गए पुरस्कारों/प्रमाणपत्रों/प्रशस्तिपत्रों का विवरण निम्न प्रकार है।

तृतीय आंचलिक हिन्दी निबन्ध प्रतियोगिता 1989

श्री दीपक कुमार जैन (एटा)—प्रथम, श्री दिलीप यादव (क्षे.का. इटावा)—द्वितीय, श्री ब्रजभूषण शर्मा (कमलानगर) और श्री अनिल कुमार वर्मा (क्षे.का. मेरठ)—तृतीय।

चतुर्थ आंचलिक हिंदी निबन्ध प्रतियोगिता 1990

श्री दीपक कुमार जैन (एटा) प्रथम, कु. उमालता बेरवाल (आंका) द्वितीय, श्री योगेश कुमार सिन्हा (सेन्ट्रल कार्ड) तृतीय, श्री पी.के. बनर्जी (आगरा कैंट) प्रोत्साहन पुरस्कार, श्री वाई. एस. वर्मा (जाय हारिस विस्तार पटल) प्रोत्साहन पुरस्कार।

हिन्दी में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाले कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र

दिवाकर गुप्ता—जुलाई, 88 से दिसम्बर, 88
विमल कुमार जैन—जनवरी 89 से जून 89
महेश चन्द्र जैन—जुलाई 89 से दिसम्बर 89।

हिन्दी टिप्पण तथा प्रारूप लेखन प्रतियोगिता 1989

ब्रजभूषण शर्मा (कमलानगर)—उत्तम।
आनन्द मोहन सिंघल (क्षे.का.)—उत्तम
सुरेश चन्द्र अग्रवाल (क्षे.का.)—सराहनीय।

देना बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, सूरत

देना बैंक सूरत में 7 से 14 सितम्बर, 1990 तक "हिन्दी-सप्ताह" मनाया गया। 13 सितम्बर को पुरस्कार वितरण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे कार्यपालक निदेशक श्री एस. दौरेस्वामी उपस्थित थे। यह पहला अवसर था जब बैंक कोई शीर्ष कार्यपालक उच्चाधिकारी हिन्दी दिवस के अवसर पर सूरत में उपस्थित रहा। उन्होंने अपने समापन उद्‌बोधन में कर्मचारियों/अधिकारियों को अपने भावपूर्ण एवं प्रेरक अभिभाषण से मंत्र-मुग्ध कर दिया। उन्होंने कहा कि मात्र नीति निर्धारण से नहीं, अपितु लोगों के सहयोग और सहभागिता से हिन्दी का प्रयोग बढ़ेगा क्योंकि हिन्दी भाषा में एक ऐसी शक्ति विद्यमान है जो अपनी रोचकता, सरलता और सहजता से सभी को अभिभूत किये रखती है। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि अपना अधिकाधिक कार्यालयीन पत्र-व्यवहार और आन्तरिक काम-काज हिन्दी में करें।

सम्बोधित करते हुए देना बैंक के कार्यपालक निदेशक श्री एस. दोरेस्वामी

हिन्दी-दिवसों के अवसर पर निम्नलिखित प्रतियोगिताए आयोजित की गई और पुरस्कार विजेता के नाम इस प्रकार हैं :—

05-9-1990: हिन्दी-भाषा ज्ञान कुल प्रतियोगी 24

श्री पिनाकीन राठोड, (कतारगाम शाखा) —प्रथम
श्री रसिक एम. दूधावाला, (नानावराछारोड) —द्वितीय
श्रीमती भानु सौलंकी, (वी.बी. सूरत) —तृतीय
श्री अचलकुमार गोस्वामी, (कामरेज शाखा) —तृतीय

06-09-90: हिन्दी शब्दावली कुल प्रतियोगी 25

श्री के.आर. देसाई, (क्षे.का. सूरत) —प्रथम
श्री बी. जे. शाह, (क्षे.का. सूरत) —द्वितीय
श्री वी.सी. जोशिना, (क्षे.का. सूरत) —तृतीय

10-09-90: हिन्दी पत्र-लेखन, कुल प्रतियोगी 11

श्री अरुण आहूजा, (क्षे.का. सूरत) —प्रथम

सुश्री कल्पना बनसोड, (क्षे.का. सूरत) —द्वितीय

श्री चेतन डी. कवि एवं श्री रसिकलाल एम. दूधवाला —तृतीय

देना बैंक, बलसाड़

हिन्दी के प्रति जागरूकता लाने एवं उसके उत्तरोत्तर प्रयोग में गति लाने के उद्देश्य से हिन्दी सप्ताह का आयोजन किया गया। हिन्दी सप्ताह के दौरान आयोजित निम्नलिखित हिन्दी प्रतियोगिताओं में पुरस्कार विजेताओं के नाम इस प्रकार हैं।

हिन्दी शब्दावली

श्री पुरुषोत्तम राठौड़ (खत्तलवाड़ा शाखा) —प्रथम

श्रीमती रक्षा दिनेश देसाई (वलसाड़ शाखा) —द्वितीय

श्री मावजीभाव ज. बारोट (सयाजी रोड़, नतसारी शाखा) —तृतीय

हिन्दी वर्ग पहेली

श्रीमती रक्षा दिनेश देसाई (वलसाड़ शाखा) एवं श्री मावजी ज. बारोट (नवसारी शाखा) —प्रथम

श्री घनश्याम पानवाला (ग्रा.से.के., वलसाड़), श्रीमती वीना देसाई (क्षे.का. वलसाड़), श्री पुरुषोत्तम राठौड़ (खत्तलवाड़ा शाखा) —द्वितीय

श्री वसीम अहमद (क्षे.का., वलसाड़), श्री दिलीपभाई पी. पटेल (क्षे.का., वलसाड़) —तृतीय

हिन्दी पत्र लेखन

श्री मावजीभाई ज. बारोट (नवसारी शाखा) —प्रथम

श्री घनश्याम पानवाला (ग्रा.से.के., वलसाड़) —द्वितीय

श्री बाबूभाई एस. पटेल (क्षे.का. वलसाड़) एवं श्री पुरुषोत्तम राठौड़ (खत्तलवाड़ा शाखा) —तृतीय

हिन्दी भाषा ज्ञान

श्री मावजीभाई बारौट (नवसारी शाखा) —प्रथम

श्री पुरुषोत्तम राठौड़ (खत्तलवाड़ा शाखा) —द्वितीय

श्री नितिन सी. ब्रह्मभट्ट (क्षे.का. वलसाड़) —तृतीय

हिन्दी प्रश्न मंच

12-09-90

कुल प्रतियोगी : 12

श्री नितीन सी ब्रहमभट्ट प्रथम

श्री मावजीभाई बारोट (नवसारी शाखा) द्वितीय

श्री मुकेश डी देसाई (वलसाड़) तृतीय

श्रीमती रक्षा दिनेश देसाई सांत्वना (वलसाड़ शाखा)

हिन्दी दिवस अर्थात् 14 सितम्बर 1990 को महा-प्रबन्धक (गुजरात) श्री हरीश आर. जानी पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे। उन्होंने पुरस्कार दिए। महा-प्रबन्धक श्री जानी ने कहा कि प्रतिदिन अधिकाधिक काम-काज हिन्दी में करें। उन्होंने कहा कि अंग्रेजी तो अतिथि भाषा है, अन्तः उसे जाना ही पड़ेगा। हमारा लक्ष्य 60% नहीं अपितु 80% हिन्दी में काम-काज का होना चाहिए और आग्रह किया कि निष्ठा व समर्पित भाव से हिन्दी में कार्य करने का हम आज के दिन संकल्प लें। इससे पूर्व क्षे.प्र. श्री पारेख ने पुष्पगुच्छ भेंट करके स्वागत किया। अन्त में कार्मिक अधिकारी नितीन ब्रहमभट्ट ने आभार व्यक्त किया।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक भुवनेश्वर

"हिन्दी पूरे भारत को जोड़ती है। भारत के किसी कोने में आप चले जाए, अगर आप को हिन्दी आती है तो आपको किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। गांधी जी ने आजादी के क्रम में इसके इसी महत्त्व को समझा था और उड़ीसा में भी राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा की शाखाओं क विस्तार किया था जिसमें से राष्ट्रभाषा प्रचार सभा, भुवनेश्वर भी एक है और जो उत्कल वन्धुओं को जन माध्यम द्वारा भारत से जुड़ने का एक मंच प्रदान कर रही है। यह बात

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भुवनेश्वर द्वारा आयोजित "हिन्दी सप्ताह" समारोह, 1990 के उद्घाटन समारोह के अवसर पर एक ऐसे हिन्दी सेवी तथा विद्वान श्री चन्द्रसिंह शालवार ने कही है जिन्होंने अपना जीवन हिन्दी को समर्पित कर दिया है। मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए श्री शालवार (अध्यक्ष, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा, भुवनेश्वर केन्द्र) ने आगे कहा "मैं 1960-61 से लगभग तीन दशक से उड़ीसा में हूं और इस दौरान मैंने देखा है कि यहां के लोगों में हिन्दी के प्रति रुचि बढ़ी है"।

अध्यक्षता करते हुए बैंक के उप-महा-प्रबंधक श्री एस. के. नाथ ने कहा कि हिन्दी में क्या कुछ अच्छा हो सकता है, हम उसके बारे में सोचें। हम जनता तक जाएं और उससे बात करें, हम देखते हैं कि वहां हिन्दी ही ग्राह्य है। इसी से जोड़कर हम कार्यालय में भी हिन्दी में काम करें। क्योंकि यह राष्ट्रभाषा, राजभाषा तो है ही यह जनभाषा भी हैं। दिनांक 12 सितम्बर को भुवनेश्वर स्थित विकास बैंक सम्मेलन कक्ष में "हिन्दी सप्ताह उद्घाटन समारोह" का आयोजन किया गया था।

समारोह का संचालन तथा स्वागत किया श्री आर.पी. सिंह, हिन्दी अधिकारी ने किया।

श्री जयन्त चटर्जी उप प्रबंधक ने सभी को धन्यवाद दिया। इस अवसर पर हिन्दी आशु-भाषण, हिन्दी निबन्ध-लेखन, हिन्दी पत्र-लेखन, हिन्दी टिप्पण व प्रारूपण-लेखन तथा हिन्दी प्रश्न मंच जैसी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। हिन्दी सप्ताह समारोह पर एक हिन्दी पत्रिका "त्रिवेणि" प्रकाशित की गई। हिन्दी सप्ताह 1990 का समापन समारोह दिनांक 19 सितम्बर, 1990 को हिन्दी प्रश्न मंच के साथ हुआ।

हिन्दी सप्ताह 1990 के दौरान आयोजित प्रतियोगिताओं के परिणाम/पुरस्कार इस प्रकार हैं :-

1. हिन्दी आशु-भाषण प्रतियोगिता

समूह 'क'

श्री दीपंकर दे	प्रथम
श्री डी. चक्रवर्ती	द्वितीय
श्रीमती कामाक्षी	तृतीय
श्री के. प्रसाद	सान्तवना

समूह "ख"

श्री सेनापति नाग	प्रथम
श्री पी.के. दास	द्वितीय
श्री एस.के. पट्टनायक	द्वितीय
श्रीमती कल्पना सेठी	तृतीय

2. हिन्दी निबन्ध-लेखन प्रतियोगिता

समूह 'ख'

श्री रामराई वारी	प्रथम
श्रीमती कामाक्षी	द्वितीय
श्री जे.टी. चटर्जी	तृतीय
श्री जी. अनन्तरामन	तृतीय

समह 'ख'

श्री सेनापति नाग	प्रथम
श्री एस.के. पट्टनायक	द्वितीय
श्रीमती कल्पना सेठी	तृतीय

3. हिन्दी पत्र-लेखन प्रतियोगिता :

समूह 'ख'

श्री रामराई वारी	प्रथम
श्री जे.टी. चटर्जी	द्वितीय
श्री जी. अनन्तरामन	द्वितीय
श्रीमती कामाक्षी	तृतीय

समूह "ख"

श्री सेनापती नाग	प्रथम
श्री एस.के. पट्टनायक	द्वितीय
श्री पी.के. दास	तृतीय

4. हिन्दी टिप्पण व प्रारूप --लेखन प्रतियोगिता :

समूह 'क'

श्री रामराई वारी	प्रथम
श्री पी.एस. तलाबड़ेकर	द्वितीय
श्रीमती कामाक्षी	तृतीय
श्री के.प्रसाद	तृतीय

समूह 'ख'

श्री सेनापति नाग	प्रथम
श्रीमती कल्पना सेठी	द्वितीय
श्री एस.के. पट्टनायक	तृतीय

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक
जयपुर

बैंक के कामकाज में हिन्दी के प्रयोग की गति को और बढ़ाने के उद्देश्य से भारतीय औद्योगिक विकास बैंक तथा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने सितम्बर 03-07-1990 तक संयुक्त रूप से हिन्दी सप्ताह का आयोजन किया।

हिन्दी सप्ताह के उद्घाटन के अवसर पर विकास बैंक में एक सभा का आयोजन किया गया।

उप महाप्रबन्धक, (विकास बैंक) श्री ए. के. टी. चारी ने सदस्यों को बताया कि हमारा कार्यालय हिन्दी के प्रयोग में विकास बैंक के अन्य कार्यालयों की तुलना में अग्रणी है।

लगभग यही स्थिति लाघु विकास बैंक की भी है। उन्होंने सदस्यों से अनुरोध किया कि वे अधिकाधिक कार्य हिन्दी में करें तथा सभी प्रतियोगिताओं में अधिक से अधिक संख्या में पूरे उत्साह से भाग लें।

प्रबन्धक (विकास बैंक) श्री ए. के. डे ने कहा कि हमारे समक्ष यह चुनौती है कि हमने जिस अग्रणी स्थान को प्राप्त किया है, उसे न केवल बनाए रखें बल्कि उसमें और भी प्रगति लाएं।

प्रबन्धक (सिडबी) श्री पी आर. दास ने कहा कि हमारा आगामी लक्ष्य केवल शतप्रतिशत पत्राचार हिन्दी ही हो सकता है और हमें इसे प्राप्त करना चाहिए।

स्टाफ अधिकारी (हिन्दी) श्री बी. के. चुघ ने देश के लिए सम्पर्क भाषा/राजभाषा की आवश्यकता तथा महत्त्व के बारे में बताते हुए कहा कि केन्द्र सरकार की मशीनरी का अंग होने के कारण वे इस अवसर पर आत्मनिरीक्षण करें कि उन्होंने हिन्दी की प्रगति में कितना सहयोग दिया है तथा कितना और वे दे सकते हैं।

हिन्दी सप्ताह के समापन समारोह में उपस्थित उप महाप्रबंधक श्री ए. के. टी चारी ने बताया कि हमारे लक्ष्य के अनुसार सप्ताह के दौरान 100% पत्राचार हिन्दी में हुआ और सदस्यों ने अधिकाधिक कार्यालय नोट हिन्दी में तैयार किए गए।

आयोजित प्रतियोगिताओं की परिणाम सूची

1. हिन्दी टिप्पण प्रतियोगिता (संयुक्त रूप से)

(1) श्री आर. पी. गुप्ता + श्री सुरेन्द्र श्रीवास्तव

(2) श्रीमती यशोदा रछोया + श्री प्रदीप मालगांवकर

2. हिन्दी आशुभाषण प्रतियोगिता

(1) श्री के.पी.एस. डागुर

(2) श्री आर.पी. गुप्ता

3. प्रश्न मंच (संयक्त रूप से)

(1) श्री अशोक मोटवानी + श्री सुरेन्द्र श्रीवास्तव

(2) श्रीमती यशोदा + सुरेन्द्र शारदा

विकास बैंक व लघु विकास बैंक, कानपुर

दोनों बैंकों के संयुक्त तत्वावधान में 10 से 14 सितम्बर, 90 तक हिन्दी सप्ताह मनाया गया। इस सप्ताह में सुलेख, हिन्दी टाइपिंग, प्रारूपण, हिन्दी भाषण प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। 10 सितम्बर 1990 को उप महाप्रबन्धक श्री आर.जे. बेडेकर ने सभी स्टाफ सदस्यों से आग्रह किया कि वे इस सप्ताह में सभी पत्र, प्रारूपण-टिप्पण तथा अन्य कार्यालयीन काम हिन्दी में ही करें तथा आपसी वार्तालाप भी हिन्दी में ही करने का प्रयास करें तथा कार्यालय में आयोजित की जा रही प्रतियोगिताओं में अधिकाधिक संख्या में भाग लें।

14 सितम्बर, 90 को एक हास्य-व्यंग्य काव्य गोष्ठी आयोजित की गई। हिन्दी सप्ताह समारोह के अध्यक्ष श्री आर. जे. बेडेकर ने आमंत्रित कवियों का स्वागत करते हुए बताया कि विकास बैंक व लघु विकास बैंक के कानपुर कार्यालय में 90 प्रतिशत से अधिक पत्राचार हिन्दी में हो रहा है। काव्य गोष्ठी की अध्यक्षता डा. राम स्वरूप त्रिपाठी ने और संचालन कवि, गीतकार व कहानीकार विनोद तरुण ने किया।

इस अवसर पर प्रबन्धक श्री आर.आर. भार्गव ने सभी स्टाफ सदस्यों से अपील की कि वे हिन्दी के प्रयोग को केवल हिन्दी दिवस, हिन्दी सप्ताह या हिन्दी मास तक सीमित न रखें अपितु पूरे वर्ष भर हिन्दी में काम करने का संकल्प लें।

स्टेट बैंक ऑफ पटियाला

प्रधान कार्यालय, पटियाला

बैंक की ओर से स्थानीय नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सदस्यों सहित 11 सितम्बर, 1990 से 18 सितम्बर, 1990 तक आयोजित हिन्दी सप्ताह में सक्रिय रूप से भाग लिया गया।

स्टेट बैंक ऑफ पटियाला की कृषि विकास शाखा जगाधरी द्वारा 14-9-90 को शाखा में हिन्दी दिवस मनाया गया। इस दिन 99% कार्य हिन्दी में किया गया तथा सभी कर्मचारियों को इस संबंध में प्रोत्साहित किया गया।

इसके अलावा सभी ग्राहकों को हिन्दी में फार्म भरने समझाए गए तथा उन्हें बताया गया कि शाखा में हिन्दी में भरे हुए चेक, आहरण पत्र, सभी प्रकार की जमा पर्चियां तथा अन्य हिन्दी के कागजात सहर्ष स्वीकार्य किए जाते हैं।

युनाइटड बैंक ऑफ इंडिया
क्षेत्रीय कार्यालय, पुरूलिया

युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय, पुरूलिया में दिनांक 14 सितम्बर, 1990 को "हिन्दी दिवस समारोह" मनाया गया। क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकारियों/कर्मचारियों के अलावा विभिन्न शाखाओं के अधिकारी/कार्मचारी भी उक्त समारोह में सम्मिलित हुए। समारोह के पूर्व दिन अर्थात् दिनांक 13-9-90 को हिन्दीतर भाषियों के लिए एक निबन्ध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता की विषय-वस्तु "ग्रामीण विकास में बैंक की भूमिका" थी। विजेता प्रतिभागियों—(1) श्री युधिष्ठिर नस्कर, लिपिक (2) श्री प्रमोद कुमार नन्दा, विधि अधिकारी एवं (3) श्री काजल नारायण पाठक, अधिकारी को क्रमशः प्रथम, द्वितीय व तृतीय पुरस्कार समारोह के अवसर पर प्रदान किए गए।

समारोह की अध्यक्षता उप-क्षेत्रीय प्रबन्धक, श्री शान्ति कुमार मण्डल ने की। समारोह के प्रारम्भ में राजभाषा अधिकारी, श्री साइब पात्र ने सम्मानीय अतिथियों—प्रो. देवेन्द्र प्रसाद सिंह, हिन्दी अध्यापक, जे.के. कॉलेज, पुरूलिया, श्री श्यामदेव झा, हिन्दी अध्यापक, सैनिक विद्यालय, पुरूलिया आदि का स्वागत किया।

प्रो. देवेन्द्र प्रसाद सिंह ने कहा कि हिन्दी सीखना एक सरल काम है। उन्होंने यह भी कहा कि वर्तमान परिस्थिति में हमें भाषा की शुद्धता पर ज्यादा ध्यान न देकर हिन्दी में काम करने का अभ्यास बढ़ाना चाहिए।

कर्मचरी राज्य बीमा निगम

त्रिच्चुर

क्षेत्रीय कार्यालय, त्रिच्चुर में हिन्दी दिवस/सप्ताह धूमधाम से मनाया गया। 13 सितम्बर को कर्मचारियों एवं अधिकारियों के लिए हिन्दी भाषण, गीत, कहानी, टिप्पणी तथा मसौदा लेखन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। 14 सितम्बर, 1990 को हिन्दी प्रश्नोत्तरी का आयोजन हुए।

दिनांक 20 सितम्बर को समापन समारोह हुआ। क्षेत्रीय निदेशक श्री ओ. अब्दुलहमीद ने अध्यक्षता की तथा श्री हर्ष पचौरी, हिन्दी अधिकारी, ने सभी का स्वागत किया।

अध्यक्ष श्री ओ. अब्दुल हमीद, ने अपने हर एक कर्मचारी से अनुरोध किया कि वे छोटे-छोटे काम हिन्दी में करें। विशेष रूप से जो हिन्दी परीक्षा में सफल हुए और नकद पुरस्कार एवं वैयक्तिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों से अपील की कि वे अपने आकस्मिक छुट्टी तथा अर्जित छुट्टी आवेदन पत्र हिन्दी में प्रस्तुत करें।

मुख्यातिथि श्रीमती लक्ष्मीकुट्टी ने बताया कि राष्ट्र निर्माताओं ने हिन्दी को राष्ट्रभाषा के रूप में इस लिए चुन लिया कि हिन्दी भारत के अधिकांश लोग समझते हैं और बोलते हैं।

सम्बोधित करती हुई मुख्य अतिथि श्रीमती लक्ष्मी कुट्टी अम्मा। साथ में (बाएं से) श्रीमती बिन्दु (हिन्दी प्राचार्य) तथा श्री ओ. अब्दुल हमीद।

सर्वश्री एस. श्रीनिवासऐयर, संयुक्त क्षेत्रीय निदेशक, श्री सी. कृष्णनकुट्टी, सहायक क्षेत्रीय निदेशक, श्री के.ओ. रप्पाईकुट्टी, मुख्यलिपिक, श्री सी.पी. अच्चुतन, सहायक, और हिन्दी प्राध्यापिका श्रीमती बिन्दु ने भी सभा को सम्बोधित किया।

मुख्यातिथि ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में विजयी कर्मचारियों को नकद पुरस्कार वितरित किए।

1. भाषण प्रतियोगिता

श्री के.ओ. रप्पाईकुट्टी	—पहला
श्री सी.पी. अच्चुतन	—दूसरा
श्री के.पी. मोहनन	—तीसरा

0. गीत प्रतियोगिता

श्री एम. जाफर	—पहला
श्रीमती पी. राधा	—दूसरा
श्री के.पी. मोहनन	—तीसरा

3. प्रश्नोतरी प्रतियोगिता

श्री सी.पी. अच्चुतन	—पहला
श्री पी.ए. फ्रानसीस	—दूसरा
श्री के.एन. राजन	—तीसरा

4. कहानी प्रतियोगिता

श्री सी.पी. अच्चुतन	—पहला
श्री के.पी. मोहनन	—दूसरा
श्री पी.सी. अच्चुतन	—तीसरा

5. टिप्पणी एवं मसौदा लेखन

श्री सी. पी. अच्चुतन	—पहला
श्री के. पी. मोहनन	—दूसरा
श्री डेवीस आन्टणी	—तीसरा

श्री के. दिनकरन, अवर श्रेणी लिपिक ने धन्यवाद प्रकट किया।

गुजरात क्षेत्रीय कार्यालय, अहमदाबाद

क्षेत्रीय कार्यालय, क.रा.बी. निगम, अहमदाबाद में दि. 3 से 14 सितम्बर, 90 तक हिन्दी पखवाड़ा और दिनांक 14-9-90 को हिन्दी दिवस समारोह मनाया गया।

14-9-90 को क्षेत्रीय कार्यालय में सभा का आयोजन किया गया। क्षेत्रीय निदेशक श्री रमेश कुंभारे ने सभा की अध्यक्षता की। अहमदाबाद के जाने-माने पत्रकार श्री जयंत पंड्या समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे। समारोह के आरम्भ में हिन्दी अधिकारी श्री रमेश लाल वर्मा ने समारोह का परिचय देते हुए कार्यक्रम की रूपरेखा की जानकारी दी।

पुरस्कार वितरण करते हुए मुख्य अतिथि श्री जयन्त पंडया।

क.रा.बी. निगम कर्मचारी महासंघ के महा सचिव श्री रामरूप त्रिपाठी ने भी इस अवसर पर अपने विचार प्रकट किए। उन्होंने कहा कि मात्र हिन्दी दिवस समारोह मनाया जाना हमारे लिए पर्याप्त नहीं है। हमें हर तरह से हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रशासन की ओर से हिन्दी के पर्याप्त पद सृजित किए जाने चाहिए और रिक्त पदों को शीघ्र भरा जाना चाहिए।

क्षेत्रीय निदेशक श्री रमेश कुंभारे ने हिन्दी के अधिकाधिक प्रयोग के लिए सभी कर्मचारियों और अधिकारियों का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि गुजरात क्षेत्र में हिन्दी के प्रयोग के संबंध में जो भी प्रगति हुई है व सब अधिकारियों और कर्मचारियों के सम्मिलित प्रयासों का फल है।

इस अवसर पर हिन्दी वाक् प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जो समारोह का मुख्य आकर्षण थी। कर्मचारियों को पहले ही चार विषय दे दिए गए थे जिनमें से किसी एक विषय पर 5 मिनट के लिए उन्हें अपने विचार व्यक्त करने थे। सभी कर्मचारियों ने बड़े ही रोचक और प्रभावी ढंग से अपने विचार व्यक्त किए। विजयी प्रतियोगिताओं को बाद में क्षेत्रीय निदेशक ने पुरस्कार दिए।

क्षेत्रीय कार्यालय, चण्डीगढ़

कर्मचारी राज्य बीमा निगम के चण्डीगढ़ स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में वार्षिक हिन्दी समारोह 18 सितम्बर, को आयोजित किया गया। समारोह की अध्यक्षता क्षेत्रीय निदेशक श्री एस.एस. अबरोल ने की।

अन्तर्शाखीय राजभाषा शील्ड प्रदान करते हुए क्षेत्रीय निदेशक श्री एस.एस. अबरोल

तत्पश्चात् श्रीमती स्वर्णजीत कौर कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक ने वर्ष 1989-90 में क्षेत्रीय कार्यालय पंजाब द्वारा हिन्दी के प्रयोग प्रसार व प्रचार के लिए किए गए प्रयासों तथा अर्जित सफलताओं के संबंध में एक विस्तृत रिपोर्ट पढ़ी।

श्री त्रिलोक चन्द सचिव एसिक कर्मचारी संघ, चण्डीगढ़ ने कहा कि आज दुनिया का हर देश अपनी भाषा में सोचता है, अपनी भाषा में बोलता है और अपनी भाषा में ही लिखता है। इसलिए हमें भी हिन्दी का प्रयोग करने में झिझक महसूस नहीं करनी चाहिए।

तत्पश्चात् क्षेत्रीय निदेशक महोदय ने क्षेत्रीय कार्यालय की लेखा शाखा को वर्ष 1989-90 में हिन्दी के उत्तरोत्तर

प्रयोग के लिए उसकी बेहतरीन कारगुजारी के लिए अन्तर्शाखायी राजभाषा शील्ड प्रदान की। लेखा शाखा की ओर से यह शील्ड क्षेत्रीय लेखा अधिकारियों सर्वश्री आर.के.बख्शी, अरविन्द कुमार तथा लेखा शाखा के मुख्य लिपिक श्री रमेश चन्द शर्मा ने प्राप्त की।

हिन्दी निबन्ध, हिन्दी टिप्पण व आलेखन प्रतियोगिता में प्रथम तीन स्थान प्राप्त कर्मचारियों को नकद पुरस्कार व प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए।

अध्यक्षीय भाषण में क्षेत्रीय निदेशक श्री अबरोल ने कहा कि हम गलत अंग्रेजी लिखने में नहीं हिचकिचाते लेकिन हिन्दी का प्रयोग करने में संकोच करते हैं। श्री अबरोल ने कहा कि राजकाज में जनता की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए भी जनता का काम जनता की भाषा में ही निपटाया जाना चाहिए। उन्होंने निगम कर्मचारियों से यह संकल्प लेने का अनुरोध किया कि वे भविष्य में हिन्दी का ही प्रयोग करें।

हम हिंद के रहने वाले हैं और हिंदुस्तान हमारा है।
अपनी भाषा हिंदी है, जयहिंद हमारा नारा है॥

--श्रीमती विनोद और सखियां

क्षेत्रीय हिन्दी अधिकारी श्री टीकन लाल शर्मा ने कहा कि हिन्दी देश के जन-जन की भाषा है। यह देश की संस्कृति का प्रतीक व आत्मा का स्पन्दन है। श्री शर्मा ने कहा कि भारत सरकार की यह स्पष्ट नीति है कि अपने-अपने क्षेत्रों में क्षेत्रीय व प्रान्तीय भाषाओं का अधिकाधिक प्रयोग किया जाए।

कर्मचारी प्रशिक्षण केन्द्र चण्डीगढ़

दिनांक 14 सितम्बर 1990 को कर्मचारी प्रशिक्षण केन्द्र में "हिंदी दिवस" मनाया गया था। श्री बी० एम० नारायण, उप मुख्य अधिकारी ने सभी प्रतिभागियों का स्वागत किया। श्री चेरियन वर्गीस, अचल प्रबंधक, एर्णाकुलम ने अपने उद्घाटन भाषण में दैनंदिन कार्यों में हिंदी के कार्यान्वयन पर बल दिया और कार्यालयीन टिप्पणी हिंदी में प्रस्तुत करने का आह्वान किया।

श्री बी० विट्ठल शेट्टी, सहायक महाप्रबंधक बैंगलूर ने समारोह के अध्यक्ष ने हिंदी निबंध/वाक्/क्विज/गीत (कन्नड़/हिंदी) प्रतियोगिताओं में सफल विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किये। मुख्य अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, बैंगलूर ने प्रमाण पत्र प्रदान किये।

श्री टी. एस. वी. प्रसाद हिंदी अधिकारी ने बैंगलूर क्षेत्र में हिन्दी के प्रभावी कार्यान्वयन संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

□

आकाशवाणी/दूरदर्शन

आकाशवाणी, गुवाहाटी

14 सितम्बर, 1990 को आकाशवाणी, गुवाहाटी में हिंदी दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस उपलक्ष में आकाशवाणी, गुवाहाटी के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए निम्नलिखित प्रतियोगिताओं आयोजित की गई।

हिन्दी निबन्ध लेखन प्रतियोगिता :

प्रथम--श्रीमती ज्योत्सना तालुकदार
द्वितीय--श्री तरुण चन्द्र भराली
तृतीय--श्री अमरेन्द्र नाथ शर्मा
श्री नीलेश्वर नार्जारी

हिन्दी कविता पाठ प्रतियोगिता

प्रथम--श्रीमती वन्ति बरपुजारी,
द्वितीय--श्री दीनेश दास
तृतीय--श्री दिलीप शइकीया

हिन्दी--अंग्रेजी तकनीकी प्रशासनिक शब्दावली प्रतियोगिता

प्रथम--श्री सैयदा फिरोजा अहमद
द्वितीय--श्री तरुण चन्द्र भराली
तृतीय--श्री नीलेश्वर नार्जारी
श्री अमरेन्द्र नाथ शर्मा

हिन्दी वाद-विवाद प्रतियोगिता

प्रथम--श्री यामिनी गोस्वामी
द्वितीय--श्रीमती लक्ष्मी शइकीया
तृतीय--श्रीमती वन्ति बरपुजारी,

मंचासीन (बाएं से) उप महानिदेशक (पूर्वोत्तर) श्री एस. कृष्णन, मुख्य अतिथि श्री पी.सी. भट्ट, केन्द्र निदेशक श्री पी. के. सिंहसन और श्री बाजपेयी।

13 सितम्बर को राजभाषा हिंदी के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालने वाले वृत्त चित्रों के एक विडियो शो का भी आयोजन किया गया।

14 सितम्बर, 1990 को केन्द्र के सभाकक्ष में हिंदी दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता आकाशवाणी के पूर्वोत्तर क्षेत्र के उपमहानिदेशक श्री एस. कृष्णन ने की। मुख्य अतिथि के रूप में केन्द्रिय विद्यालय संगठन, गुवाहाटी के शिक्षा अधिकारी श्री पी. सी. भट्ट आमंत्रित थे। केन्द्र निदेशक, श्री पी. के. सिंगसन ने सभा में आये आगुंतकों का स्वागत किया। केन्द्र निदेशक श्री सिंगसन ने अहिंदी भाषियों के लिए हिंदी सीखने की आवश्यकता पर बल दिया। हिंदी अधिकारी श्री शिवमुनि तिवारी ने जानकारी दी कि आकाशवाणी, गुवाहाटी के कर्मचारी हिंदी तर भाषी होते हुए भी अधिकांश कर्मचारी हिंदी सीख चुके हैं और हिंदी में कामकाज कर सकते हैं।

आकाशवाणी : धारवाड़

दिनाक 14 सितम्बर 1990 को आकाशवाणी, धारवाड़ के कार्यालय में हिंदी दिवस समारोह का आयोजन किया गया। कर्नाटक महाविद्यालय के हिंदी प्राध्यापिका डा. (श्रीमती) मंगला देशाई मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित थीं। समारोह की अध्यक्षता श्री सी. राजगोपाल, केन्द्र निदेशक ने की।

मुख्य अतिथि के सम्मान में बोलते हुए केन्द्र निदेशक, श्री सी. राजगोपाल ने सभी कर्मचारियों से आग्रह किया कि वे सरकार की राजभाषा नीति का निष्ठा के साथ अनुपालन करें क्योंकि राजभाषा का प्रयोग हमारी राष्ट्रीयता की पहचान है। उन्होंने कर्मचारियों के लिए हिंदी प्रशिक्षण की अनिवार्यता और उसके लिए सुविधाएं एवं प्रोत्साहन की जानकारी दी।

मुख्य अतिथि डा. (श्रीमती) मंगला देशाई ने अपने भाषण में हिन्दी के स्वरूप एवं विकास पर प्रकाश डाला और कहा कि हिंदी के प्रचार के कार्यक्रमों को इस तरह बनाना चाहिए कि लोग स्वेच्छापूर्वक हिंदी सीखने के लिए आगे आएं।

हिंदी दिवस के संदर्भ में आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को मुख्य अतिथि के द्वारा पुरस्कार प्रदान किये गये।

1. **हिन्दी निबंध लेखन प्रतियोगिता :**
   - प्रथम —श्रीमती के. गौरी
   - द्वितीय —श्री राजेश्वर त्यागी
   - तृतीय —श्री चेतन नायक तथा श्री विश्वजित ना.वांद्रे।
2. **हिन्दी भाषण प्रतियोगिता :**
   - प्रथम —श्री एम. एच. खान
   - द्वितीय —श्रीमती के. गौरी
   - तृतीय —श्री चेतन नायक

3 प्रश्न मंच

स्टाफ के बच्चों के लिए आयोजित प्रश्न मंच प्रतियोगिता में 18 बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया तथा अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। पुरस्कार स्वरूप सभी बच्चों को लेखन सामग्री दिये गये।

हिंदी अधिकारी श्री जगदीश लाल ने आकाशवाणी परिवार की ओर से मुख्य अतिथि के प्रति आभार व्यक्त किया तथा कार्यालय के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद दिया।

आकाशवाणी, पुणे

आकाशवाणी केन्द्र पुणे में 14 सितम्बर, 90 को हिंदी दिवस तथा साथ ही 21 सितम्बर 90 तक हिंदी सप्ताह मनाया गया। हिंदी अधिकारी श्री राजाराम नलगे ने कार्यालय में हिंदी भाषी कर्मचारियों की संख्या बहुत ही कम है और अधिकतम अन्य भाषी जिसमें कुछ तमिल, मल्यालम, तेलुगु तथा अधिकतम मराठी भाषी हैं। सामान्यत: कर्मचारियों के मन में हिंदी में काम करते समय कुछ गलत लिखे जाने का डर रहता है या वे हिचकिचाते हैं। उस गलतफ़हमी को मन से हटा दें और अपना अधिकतम कार्य हिंदी में करते रहें।

केन्द्र के अधीक्षक अभियंता श्री प्रकाश कारेकर ने तकनीकी क्षेत्र में जैसे कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर पर हिंदी में काम करने का महत्त्व और आवश्यकता बतायी। उन्होंने कर्मचारियों से कहा कि वे हस्ताक्षर हमेशा देवनागरी में करते रहें, बातचीत हिंदी में करें और अधिकतम नोटिंग/ड्राफ्टिंग हिन्दी में करें। अध्यक्षा केन्द्र निदेशक श्रीमती उषाप्रभा पागे ने कहा कि सभी अपना कामकाज अधिकतम हिंदी में करने का प्रयास करें। हिंदी से जुड़ना संस्कृति से जुड़े रहना है।

इसके पश्चात् स्थानीय कवियों का हिंदी कवि सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें श्री राजाराम नलगे, श्री दिलीप शर्मा, श्री भूपेन्द्र सिंह, श्री लल्लन प्रसाद दुबे, डा. पदमजा घोरपडे, श्रीमती प्रभा माथुर, श्री इलाई जमादार, डा. इबराम फैज, श्रीमती विमला जैन, श्री युसुफ नदीफ आदि कवियों ने मधुर स्वरों में गीत राष्ट्रीय एकता से संबंधित कविताएं तथा हास्य व्यंग रचनाओं से उपस्थितों का भरपूर मनोरंजन किया।

हिंदी सप्ताह के दौरान प्रतियोगिताएं हुई, पुरस्कार विजेता इस प्रकार रहे :—

टिप्पण और मसौदा लेखन प्रतियोगिता

प्रथम पुरस्कार	कु. कल्याणी लक्ष्मीनारायण
द्वितीय पुरस्कार	श्रीमती एस. सी. घुबे
तृतीय पुरस्कार	श्री शाम पैठणकर :

हिन्दी टाइपिंग प्रतियोगिता

प्रथम पुरस्कार	श्रीमती एस.सी. घुबे
द्वितीय पुरस्कार	श्री शाम पैठणकर
तृतीय पुरस्कार	श्रीमती अंजली बागवे

तार तथा अर्ध सरकारी पत्र लेखन प्रतियोगिता :

प्रथम	श्री दिलीप पालदे
द्वितीय	श्री एस. पी. घबाडे
तृतीय	श्रीमती राज डोगरा

आकाशवाणी : अहमदाबाद

केन्द्र पर दिनांक 6 से दिनांक 14-9-1990 तक हिन्दी दिवस तथा हिन्दी सप्ताह के कार्यक्रम आयोजित किए गए थे, जिनके अन्तर्गत विभिन्न प्रतिस्पर्धाएं आयोजित की गई जिनका विवरण निम्न प्रकार से है:—

1. हिन्दी निबन्ध प्रतियोगिता

प्रतियोगिता में इस केन्द्र के लगभग 21 अधिकारियों तथा कर्मचारियों ने भाग लिया था। निर्णायक श्री सोनेलाल कोल, सहायक निदेशक (हिन्दी शिक्षण योजना) थे।

श्रीमती के.वी. सुधा, (हिन्दीतर)	प्रथम पुरस्कार
श्री सतीश सक्सेना	—तदैव—
श्रीमती एल. एन. शाह (हिन्दीतर)	द्वितीय पुरस्कार
डॉ. राम नरेश पाण्डेय,	——तदैव——
श्रीमती मंजुला शाह, (हिन्दीतर)	तृतीय पुरस्कार
श्री विजय सिंह यादव,	——तदैव——
श्री मनोज आगजा, संवाददाता (हिंदीतर)	प्रोत्साहन पुरस्कार
श्री आर. पी. रोहित,	

2. हिन्दी टिप्पण/आलेखन प्रतियोगिता

निम्नलिखित अधिकारियों तथा कर्मचारियों को निम्न-प्रकार से सफल घोषित किया गया :

श्रीमती अनीला शाह,	प्रथम पुरस्कार
डॉ. राम नरेश पांडेय,	,,
श्रीमती मंजुला शाह,	द्वितीय पुरस्कार
श्री बलदेव पी. राठोर,	,,
श्रीमती साधना भट्ट,	तृतीय पुरस्कार
श्री. एन.जी. नरवाणी,	,,
श्रीमती के. वी. सुधा,	प्रोत्साहन पुरस्कार

उपरोक्त सभी प्रतियोगिताएं वैसे तो हिंदी भाषी तथा अहिंदी भाषी कर्मचारियों के लिए विभाजित रूप में आयोजित की गई थी परन्तु हिन्दी भाषी प्रतियोगी अधिक संख्या में उपलब्ध न होने के कारण हिंदी भाषी कर्मचारियों के लिए निर्धारित पुरस्कार अहिंदी भाषी कर्मचारियों को आवंटित कर दिए गए ताकि अहिंदी भाषी कर्मचारियों को हिंदी के प्रति रुचि-प्रेम उत्पन हो सके।

सहायक केन्द्र निदेशक श्री त्रिवेदी से पुरस्कार ग्रहण करती हुई श्रीमती मूर्ति।

हिंदी दिवस के अवसर पर इन कार्यक्रमों का समापन समारोह आकाशवाणी परिसर में आयोजित किया गया था। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री विष्णु एम त्रिवेदी सहायक केन्द्र निदेशक ने की तथा मुख्य अतिथि थी। विज्ञापन प्रसारण सेवा की सहायक केन्द्र निदेशक कु. केशर मेश्राम। कार्यक्रम का संचालन हिंदी अधिकारी श्री हेमेंद्र शर्मा, ने किया। अपने अध्यक्षीय भाषण में सात प्रतियोगियों को नकद पुरस्कार के चेक तथा प्रमाणपत्र वितरित करते हुए श्री त्रिवेदी ने इस बात की आवश्यकता पर बल दिया कि हम लोग स्वयं अपना सरकारी कामकाज हिंदी में करें तथा अपने अन्य सहयोगियों को भी हिंदी में कार्य करने की प्रेरणा दें।

कु. केशर मेश्राम ने भी अपने भाषण में हिंदी के विवि. प्रावधानों को बताते हुए इसके प्रयोग की आवश्यकता पर बल दिया।

आकाशवाणी, हैदराबाद

केन्द्र में 'हिन्दी दिवस" 14 सितम्बर, 1990 को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। 7-9-90 से 13-9-90 तक अनेक प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। विशेषता यह रही है कि कार्यालय के वर्ग "घ" कर्मचारियों के लिए भी विशेष रुप से एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।

"हिन्दी दिवस" समारोह केन्द्र निदेशक श्री टी.. एन. गणेशन् की अध्यक्षता में आरम्भ हुआ। मुख्य अतिथि के

रूप में आमंत्रित थे दक्षिण मध्य रेलवे के वरिष्ठ राजभाषा अधिकारी डा. पाण्डाल।

अध्यक्षीय भाषण में केन्द्र निदेशक श्री टी.एन. गणेशन् ने कहा कि यह बड़ी प्रसन्नता की बात है कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष काफी अधिक कर्मचारियों ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लिया। उन्होंने कहा कि हिन्दी सामान्य जानकारी निबंध लेखन और श्रुतलेखन प्रतियोगिताओं में भाग लेनेवाले कर्मचारियों की भाषा और विचारों से पता चलता है कि लगभग हर कर्मचारी हिन्दी लिखना जानता है। उन्होंने आग्रह किया कि सरल हिन्दी का प्रयोग कीजिए तो सभी कठिनाइयां अपने आप दूर हो जाएंगी।

अध्यक्षीय भाषण देते हुए निदेशक श्री टी.एन. गणेशन। साथ में (बाएं से) मुख्य अतिथि डा. पी. पी. पाण्डाल और केन्द्र अभियन्ता श्री डी.बी.एस मूर्ति।

पिछले एक वर्ष के दौरान कार्यालय में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबधित रिपोर्ट हिन्दी अधिकारी श्रीमती यू. गायत्री देवी ने प्रस्तुत की।

दिनांक 7-9-90 को श्रुतलेखन प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसमें श्री यस. वी. प्रसाद, कार्यक्रम निष्पादक, श्रीमती वाई शारदा, प्रसारण निष्पादक और श्री बी.जी.एस. राव, कार्यक्रम निष्पादक ने लगातार क्रमशः पहला, दूसरा, और तीसरा पुरस्कार प्राप्त किया।

दिनांक 10-9-90 को हिन्दी टिप्पण और मसौदा लेखन परीक्षा थी। इस प्रतियोगिता में श्री चार्लस जी. फर्नांडिस, सी.जी. II को पहला, श्रीमती शेशु कुमारी को दूसरा सी.जी. II और वी.जी.यस. राव को तीसरा पुरस्कार मिला।

निबन्ध लेखन प्रतियोगिता 11-9-90 को आयोजित की गई। इसमें श्री चार्लस जी. फर्नांडिस, सी.जी. II को प्रथम, श्री आनंद स्वामी सी.जी. II को दूसरा और श्री डी. सूर्यनारायण, सी.जी. II को तीसरा पुरस्कार मिला।

12-9-90 को हिन्दी की सामान्य जानकारी प्रतियोगिता में पहला पुरस्कार श्री डी. सूर्यनारायण, सी.जी. II को, दूसरा श्री चार्लस जी. फर्नांडिस, सी.जी. II को और तीसरा पुरस्कार श्रीमती आर. जय श्री, सी.जी. II को मिला। इसी प्रतियोगिता को केवल वर्ग "घ" कर्मचारियों के लिए भी आयोजित किया गया। इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, पुरस्कार क्रमशः श्री बलराम, सार्टर, श्री पी.एस. शास्त्री, सुरक्षा गार्ड और श्री राज लिगम् दफ्तरी को दिया गया।

13-9-90 को आयोजित अंतिम प्रतियोगिता गीत और भजन में पहला पुरस्कार श्रीमती वी. उमा, सी.जी. II को दूसरा पुरस्कार श्री आनंद स्वामी, सी. जी. II और तीसरा पुरस्कार श्री गिरिराज, सी.जी. II को दिया गया।

आकाशवाणी : भोपाल

हर जबान सीखना एक इबादत है। हिन्दी की तरक्की हमारी दूसरी जबानों की अवहेलना करके नहीं की जाती। ये **उदगार** थे मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी के सचिव श्री फजल ताबिश के जो उन्होंने आकाशवाणी भोपाल राजभाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा आयोजित हिन्दी पखवारा का उद्घाटन करते हुए व्यक्त किये।

आकाशवाणी भोपाल द्वारा 1 सितम्बर, से 15 सितम्बर तक हिन्दी पखवाड़ा के अन्तर्गत हिन्दी कार्यशाला, विचार गोष्ठी, कवि सम्मेलन तथा कई प्रतियोगितायें आयोजित की जा रही हैं। हिन्दी पखवारा उद्घाटन की अध्यक्षता केन्द्र निदेशक श्री एल.डी. मण्डोलोई ने की।

कार्यक्रम का संचालन करते हुए स्वागत भाषण में हिन्दी अधिकारी श्री खगेश्वर प्रसाद यादव ने कहा कि इस समारोह का उद्घाटन एक ऐसे महत्त्वपूर्ण दिवस में हो रहा है जो कि फादर कामिल, बुल्के की जयन्ती है। यूरोपीय होकर भी फादर कामिल बुल्के ने भारत में रह कर यहां की संस्कृति और साहित्य से प्रभावित होकर रामकथा नामक अद्वितीय ग्रन्थ की रचना की और वर्षों के अथक परिश्रम और समर्पण भावना से अंग्रेजी-हिन्दी कोष तैयार किया। भारतीय संस्कृति और हिन्दी भाषा के प्रति उनकी निष्ठा और लगन हम भारतीयों के लिये प्रेरणा है।

समारोह के मुख्य अतिथि श्री फजल ताबिश ने कहा जहां तक जबानों का ताल्लुक है हिन्दी जबान बहुत खूबसूरत है। हिन्दी और उर्दू का कल्चर पूरे हिन्दुस्तान का कल्चर बन जाता है।

अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में केन्द्र निर्देशक श्री एल.डी. मण्डलोई ने स्पष्ट किया कि रेडियो से हम अनेक क्षेत्र की भाषा का प्रसारण करते हैं। क्योंकि कि यह हमारी नीति है कि तमाम भारतीय भाषाओं का विकास और आदर हो। उन्होंने आकाशवाणी भोपाल में राजभाषा हिन्दी के क्रियान्वयन की समीक्षा करते हुए निश्चयपूर्वक कहा कि हम निरंतर ही इस क्षेत्र में प्रगति करते रहेंगे। इस अवसर पर आकाशवाणी के स्टाफ कलाकार श्री सिद्धराम स्वामी कोरवार ने इकबाल की प्रसिद्ध रचना सारे जहां से अच्छा हिन्दोस्ता हमारा का गायन किया। सहायक केन्द्र निर्देशक एफ.एम. खान ने धन्यवाद ज्ञापित किया।

आकाशवाणी : इन्दौर

"आकाशवाणी, इन्दौर में प्रतिवर्षानुसार 14 सितम्बर, 90 को "हिन्दी दिवस" का आयोजन किया गया। इन्दौर के प्रसिद्ध कथाकार और शनिवार दर्पण के प्रधान संपादक, श्री श्याम व्यास मुख्य अतिथि थे। अध्यक्षता केन्द्र निदेशक श्री रामकृष्ण अग्रवाल ने की।

श्री व्यास ने कहा कि हिन्दी का प्रचार-प्रसार करना गंगा की तरह पवित्र है। हमारे देश में पहले अंग्रेज लोग थे, किन्तु आज अंग्रेजियत विद्यमान है जिससे हमारे पुरखे भी लड़ते रहे हैं, अब इसे हमें दूर करना है।

केन्द्र निदेशक श्री रामकृष्ण अग्रवाल ने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि यह भी एक विडंबना है कि हम अभी भी हिन्दी दिवस मनाते हैं। यह सब करने का अर्थ यह है कि कहीं न कहीं कुछ कमी रह गई है।

उन्होंने जोर देकर कहा कि जब संवाद करना ही हमारा उद्देश्य है तो कामकाज आम जनता की भाषा में ही होना चाहिए।

श्री अग्रवाल ने आगे कहा कि मैं उस दिन की प्रतीक्षा करूंगा जब सारा काम हिन्दी में होने लगेगा, और "हिन्दी दिवस" मनाने की आवश्यकता नहीं होगी।

हिन्दी अधिकारी ने बताया कि सुअवसर पर कार्यालय में आयोजित हिन्दी निबंध प्रतियोगिता में रु. 300/—, 200/—, 100/—, व 50/— के पुरस्कार घोषित किए गए। हिन्दी शिक्षण योजना की हिन्दी टाइपिंग परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले दो कर्मचारियों को भी एक मुश्त पुरस्कार रु. 200/—व नकद पुरस्कार रु. 300/—से पुरस्कृत किया गया।

मुख्य अतिथि श्री श्याम व्यास का स्वागत करते हुए अधीक्षण अभियन्ता श्री कल्याण कुमार शर्मा मंचासीन हैं - केन्द्र निदेशक श्री रामकृष्ण अग्रवाल।

मुख्य अतिथि ने समारोह में 25 प्रतियोगियों को 4,900 रुपये के नकद पुरस्कार एवं प्रमाण-पत्र वितरित किए। साथ ही, उन 11 प्रतियोगियों को भी प्रमाण-पत्र दिए जिन्हें वर्ष 1989-90 के लिए लागू की गई "हिन्दी में अधिकाधिक डिक्टेशन देने" तथा "सरकारी कामकाज मूलरूप से हिन्दी में करने" के लिए प्रोत्साहन योजनान्तर्गत 2,400 रुपये के नकद पुरस्कार प्रदान किए गए थे।

श्री टी.वी. चान्दोरकर, कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक ने आभार व्यक्त किया।

आकाशवाणी : जयपुर

आकाशवाणी केन्द्र, में दिनांक 14-9-90 से 21-9-90 तक हिन्दी दिवस हिन्दी सप्ताह मनाया गया। इस अवसर पर दिनांक 14-9-90 को हिन्दी टंकण एवं हिन्दी निबंध

सम्बोधित करते हुए केन्द्र अभियन्ता डॉ. अवधेश कुमार।

लेखन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। दिनांक 20-9-90 को भाषाण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इन प्रतियोगिताओं में केन्द्र के अतिरिक्त पत्र सूचना कार्यालय, विज्ञापन प्रसारण सेवा, दूर दर्शन केन्द्र एव क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय, जयपुर के अधिकारियों/कर्मचारियों ने भाग लिया।

दिनांक 20-9-90 को केन्द्र अभियता डा. अवधेश कुमार की अध्यक्षता में सभा हुई। उन्होंने सभी से हिन्दी में कार्य करने का संकल्प लेने का अनुरोध किया। विजेता प्रतियोगियों को पुरस्कार दिए गए।

आकाशवाणी महानिदेशालय : नई दिल्ली

आकाशवाणी महानिदेशालय ने 14 सितम्बर, 1990 से 21 सितम्बर, 1990 तक हिन्दी सप्ताह का आयोजन किया गया। इस दौरान निम्नलिखित विषय निर्धारित किए गए थे और जिन पर शतप्रतिशत हिन्दी में काम करने के लिए निदेश जारी किए गए थे—

1— "क" और "ख" क्षेत्रों को शतप्रतिशत पत्र हिन्दी में ही भेजे जाएंगे।

2— फाइलों पर नोटिंग और ड्राफ्टिंग हिन्दी में ही की जाएगी।

3—हिन्दी में ही कार्य करने का वातावरण तैयार किया जाएगा।

4—"क" और "ख" क्षेत्रों में हिन्दी में ही तार भेजे जाएंगे।

5— फाइलों पर हिन्दी में ही हस्ताक्षर किए जाएंगे।

6—जिन फाइलों/रजिस्टरों पर विषय अभी तक हिन्दी और अंग्रेजी में नहीं लिखे गए हैं, वे इस दौरान पूरे कर लिए जाएं।

7— जो अधिकारी/कर्मचारी अपने हस्ताक्षर अभी भी अंग्रेजी में कर रहे हैं, वे इस बात का संकल्प करें कि हिन्दी में ही हस्ताक्षर करेंगे, साथ ही उपस्थिति पंजिका में भी हिन्दी में ही हस्ताक्षर करेंगे।

वर्ष 1989-90 के दौरान जिन अधिकारियों/कर्मचारियों ने अपना सारा कामकाज अधिकाधिक रूप से हिन्दी में किया था, उन्हें पुरस्कार और प्रमाण-पत्र देकर उत्साहित किया गया। हिन्दी आशुलिपि और हिन्दी टंकण की प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को भी पुरस्कार दिए गए थे;

हिन्दी में सराहनीय सरकारी काम करने वाले पुरस्कृत अधिकारी/कर्मचारी:—

1— नाथूराम सागर, सहायक, पी-6

2— श्रीमती राजेश्वरी भारद्वाज, उ.श्रे.लि., जी.ए.

3— श्रीमती संतोष शर्मा, सहायक

4— के.एस. मेहता, उ.श्रे.लि.

5— श्याम सुन्दर भाटिया, सहायक,

6— दर्शन लाल, अनुभाग अधिकारी,

7— संजीव कुमार काला, अ.श्रे.लि.,

8— डालचंद, अ.श्रे.लि.,

9— श्रीमती प्रेमलता सहगल, उ.श्रे.लि.,

10— गिरवर सिंह, उ.श्रे.लि., आंतरिक कार्य अध्ययन एकक;

11— रामेश्वर दास, अनुभाग अधिकारी एस-7।

हिन्दी आशुलिपि प्रतियोगिता

हरि सिंह गिल, आशुलिपिक	—प्रथम
कृष्ण कुमार, निजी सहायक	—द्वितीय
प्रकाश चंद साल्वे, निजी सहायक	—तृतीय

हिन्दी टंकण प्रतियोगिता

केशर सिंह मेहता, उ.श्रे.लि.	—प्रथम
प्रेम जीत सिंह, अ.श्रे.लि.	—द्वितीय
राजेन्द्र कुमार, अ.श्रे.लि.	—तृतीय

विदेश प्रसारण प्रभाग नई दिल्ली

विदेश प्रसारण प्रभाग, आकाशवाणी, नई दिल्ली में 14 सितम्बर, 90 से 21 सितम्बर, 1990 तक हिंदी सप्ताह का आयोजन किया गया।

हिंदी सप्ताह के अंतिम दिन 21 सितम्बर 1990 को एक समारोह का आयोजन किया गया। समारोह की अध्यक्षता श्री अमृतराव शिन्दे, महानिदेशक, आकाशवाणी ने की और इस अवसर पर डा. गगा प्रसाद विमल निदेशक केन्द्रीय हिंदी निदेशालय मुख्य अतिथि थे।

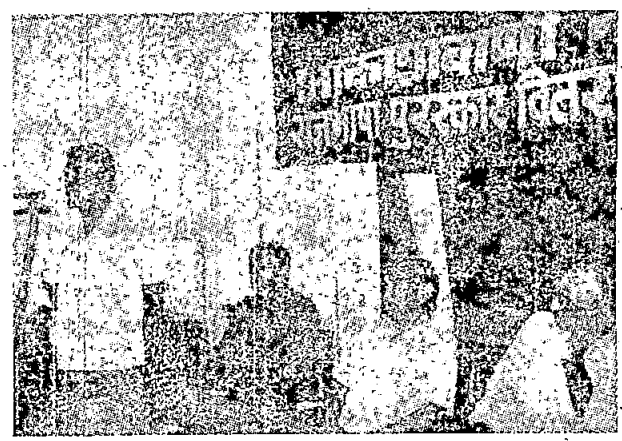

महानिदेशक आकाशवाणी श्री अमृतराय राव शिंदे (मध्य) का स्वागत करते हुए केन्द्र निदेशक श्री उमेश दीक्षित

समारोह का संचालन श्री चतुर्वेदी सहायक निदेशक ने किया। श्री पी. महादेव अय्यर, निदेशक ने अतिथियों का स्वागत किया। डा. विमल ने 'राजभाषा प्रतिवेदन' पत्रिका का विमोचन करते हुए विचार व्यक्त किए और आकाशवाणी को गुरुकुल की संज्ञा दी। उन्होंने कहा कि भाषा के प्रचार प्रचार में आकाशवाणी की भूमिका से सभी भली भांति परिचित हैं।

श्री अमृतराव शिन्दे, महानिदेशक, (आकाशवाणी) ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में विजेता प्रतियोगियों को पुरस्कार दिए और अध्यक्षीय भाषण में कहा कि वैसे तो आकाशवाणी हिंदी के प्रचार प्रसार में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रही है किन्तु विदेश प्रसारण प्रभाग में जहां अधिकांश कार्य विदेशी भाषाओं में होता है, वहां भी हिंदी में पर्याप्त रूचि ली जा रही है यह प्रसन्नता का विषय है।

आकाशवाणी, दिल्ली

आकाशवाणी के दिल्ली केन्द्र में 14-9-90 से 20-9-90 तक हिन्दी सप्ताह के रूप में मनाया गया।

आकाशवाणी का मुख्य कार्य सम्प्रेषण है। इसी उद्देश्य को मद्देनज़र रखते हुए हिन्दी दिवस के उपलक्ष्य में 13-9-90 को दिल्ली "ए" पर रात 8-30 बजे "हिन्दी के प्रचार में अहिन्दी भाषियों का योगदान" विषय पर वार्ता प्रसारित की गई।

आकाशवाणी दिल्ली के इस वर्ष के हिन्दी सप्ताह की मुख्य विशेषता रही—राजभाषा प्रसार प्रक्रिया को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से "वाणी" पत्रिका का प्रकाशन। पत्रिका के प्रवेशांक लोकार्पण दिनांक 19-9-90 को आकाशवाणी के महानिदेशक श्री अमृतराव शिन्दे ने किया। उन्होंने कहा कि राजभाषा हिन्दी के प्रति स्वाभाविक सहज प्रवृति का विकास करें और हिंदी को राष्ट्रीय आत्म सम्मान से जोड़कर महसूस करें।

अपने दैनिक कार्यक्रम से हटकर इस सप्ताह कुछ विशेष प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया। 17-9-90 को लेख प्रतियोगिता आयोजित की गई। विषय था "हिन्दी में तकनीकी लेखन की सम्भावनाएं"।

18-9-90 को अहिन्दी भाषियों के लिए व्याकरण शुद्धि अशुद्धि लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।

19-9-90 को आयोजित पत्रिका विमोचन समारोह के दौरान ही महानिदेशक जी अमृतराव शिन्दे ने प्रतियोगियों को पुरस्कार प्रदान किए और इसके अलावा दि. 24-8-90 को आयोजित हिन्दी टंकण प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार और दि. 30-7-90 से 1-8-90 क अधिकारियों के लिए आयोजित कार्यशाला में भाग लेने वाले अधिकारियों को प्रमाण पत्र तथा हिन्दी की पुस्तकें प्रदान की।

हिन्दी सप्ताह का समापन दि. 20-9-90 को बहुभाषी काव्य गोष्ठी से किया गया। यह आयोजन अपनी तरह का पहला आयोजन था। आकाशवाणी दिल्ली के बहुत से सदस्यों ने इसमें स्वरचित कविताओं का सस्वर पाठ किया। श्रोताओं ने केवल हिन्दी भाषा की ही कविताओं का रसास्वादन नहीं लिया बल्कि बंगला, पंजाबी और तमिल भाषाओं में रचित कविताओं और विभिन्न भाषाओं की कविताओं के हिन्दी अनुवाद का भी आनन्द उठाया।

बेंगलूर

हिन्दी सप्ताह के अवसर पर दूरदर्शन केन्द्र दिनांक 11-9-90 को हिन्दी निबंध प्रतियोगिता का आयोजन हुआ तथा दिनांक 12-9-90 को हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूप प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। इनमें केन्द्र के हिंदी में प्रवीणता प्राप्त कर्मचारियों ने भाग लिया।

दिनांक 14-9-90 को एक समारोह का आयोजन किया गया। कर्नाटक के विख्यात साहित्यकार एवं मैसूर विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग में कार्यरत सर्वश्री डॉ. एम.एस. कृष्णमूर्ति इस समारोह के मुख्य अतिथि थे। केन्द्र की निदेशिका श्रीमती एम.एस. रुक्मिणी ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की।

कर्मचारियों में हिन्दी के प्रति उत्साह बढ़ाने एवं राजभाषा की वृद्धि के लिए इस केन्द्र से हिन्दी दिवस के अवसर पर "आदित्य" नामक एक हिन्दी पत्रिका का विमोचन भी मुख्य अतिथि ने किया।

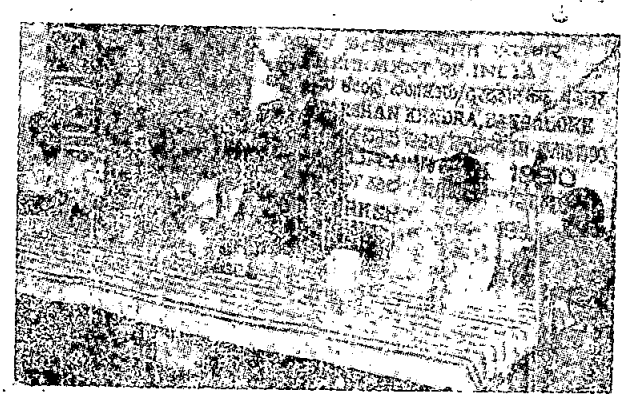

मुख्य अतिथि डा. एम.एस. कृष्णमूर्ति, हिन्दी विभाग, मैसूर विश्वविद्यालय विचार व्यक्त करते हुए।

दिनांक 15-9-90 को त्रिदिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। दूरदर्शन केन्द्र के हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर्मचारियों ने बड़े उत्साह से भाग लिया।

श्री श्रीकान्त देवज्ञ—प्राध्यापक हिन्दी शिक्षा योजना ने इस कार्यशाला में "हिन्दी में तार" एवं "अर्धशासकीय पत्र" विषय पर प्रकाश डाला।

दिनांक 15-9-90 को ही दोपहर 3.00 बजे हिन्दी वाक् प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जिसके अंतर्गत विविध विषयों पर प्रतियोगियों ने अपने विचार व्यक्त किया।

दिनांक 17-9-90 को दूसरी कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें श्री ओ० आर. के. मूर्ती हिन्दी प्राध्यापक, हिन्दी शिक्षण योजना ने प्रशासनिक मामलों में प्रमाणपत्र एवं अनुशासनिक कार्रवाई विषय पर प्रकाश डाला।

दिनांक 19-9-90 की हिन्दी अंताक्षरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जिसमें 20 उत्साही कर्मचारियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता उत्साह पूर्वक रहा।

दिनांक 20-9-90 को हिन्दी सप्ताह समापन दिवस मनाया गया। समारोह की अध्यक्षता श्री सी सत्यानंदन, अधीक्षक अभियंता, दूरदर्शन केन्द्र ने की। उन्होंने राजभाषा के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की और कहा कि यदि दिल में किसी भी काम को करने की इच्छा हो तो अनेक बाधाओं के बावजूद सफलता अवश्य ही प्राप्त होगी।

उन्होंने कहा कि मैं खुद हिन्दी नहीं बोल सकता था, परन्तु अब हिन्दी में मैंने लेखे भी पत्रिका के लिए लिखा है।

हिन्दी अधिकारी कु.वी. अम्बा ने हिन्दी सप्ताह के दौरान किये गये कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी दी एवं कार्यक्रमों के आयोजन के महत्व पर प्रकाश डाला।

पुरस्कार विजेताओं के नाम इस प्रकार हैं।

निबंध प्रतियोगिता में कु इंदुमती, श्री विजी जॉन, श्रीमती ए. छाया–क्रमश प्रथम, द्वितीय एवं त्रितीय स्थान पर रहे टिप्पण एवं प्रारूप प्रतियोगिता में श्रीमती सावित्री शीशा, कु. ए. राजेश्वरी, श्रीमती ए. छाया क्रमशः प्रथम द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर रहे।

वाक् प्रतियोगिता में श्रीमती ललिता भोज, कु. इंदुमती एवं मो. जबीहुल्लाह क्रमशः प्रथम द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर रहे।

क्विज प्रतियोगिता में श्री लालकुमार एवं वी श्रीनिवास दोनों पार्टी प्रथम स्थान पर रहे। द्वितीय स्थान में श्रीमती निर्मला देसाई एवं तृतीय स्थान पर जी. सीतारप्पैया एवं पार्टी विजताओं में रहे।

अंताक्षरी प्रतियोगिता में सुश्री हेमलता एव पार्टी, कु. सविता एन. स्वामि एवं पार्टी प्रथम रहे। द्वितीय स्थान पर श्रीमती के आ. इंदिरा एवं पार्टी रहे।

हिन्दी साहित्य के साहित्यकारों की उत्कृष्ट रचनाएं, कोश एवं कार्यालयीन हिन्दी से संबंधित पुस्तकें पुरस्कार स्वरूप प्रदान की गई।

इसके अलावा हिन्दी सप्ताह के दौरान प्रशंसनीय कार्य करने वाले निम्नलिखित कर्मचारियों को पुरस्कृत किया गया।

सुश्री हेमलता, श्री एम. वरदराज, श्री डी. महदेव राव, श्री ए.जी. गोपाल राजन, श्री तुलजाराम भूते, श्री वी. राजु, श्री सी. वेंकटश।

दूरदर्शन केन्द्र : नागपुर

सरकारी कामकाज में राजभाषा हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग और उसमें गति लाने के उद्देश्य से दूरदर्शन केन्द्र, नागपुर में दि. 14 सितम्बर 90 को "हिंदी दिवस" तथा 14 से 20 सितम्बर, 1990 तक हिंदी सप्ताह का आयोजन किया गया। केन्द्र निदेशक श्री बंकिम ने समारोह की अध्यक्षता की और हिंदी अधिकारी श्री एम. पी. सिंह ने समारोह का संचालन किया। हिंदी अधिकारी ने समारोह का आरम्भ करते हुए 14 सितम्बर के महत्व पर प्रकाश डालते हुए सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग पर बल दिया और सरकारी काम में हिंदी के प्रयोग की आवश्यकता और अनिवार्यता के विषय में बताया।

केन्द्र निदेशक ने अपने अध्यक्षीय भाषण में हिंदी के व्यावहारिक पक्ष पर जोर दिया और एक नई योजना के साथ हिंदी सप्ताह का शुभारभ किया। उन्होंने कहा कि सप्ताह के दौरान अधिकाधिक कार्य हिंदी में किया जाना चाहिए और कुछ कार्यों जैसे छुट्टी के आवेदन यात्रा भत्ता बिल, प्रावरण पत्र, अग्रिम लेने के आवेदन, आदि केवल हिंदी में ही स्वीकार किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हिंदी में कार्य करना सरल है और इस कार्य में वे स्वयं पहल करेंगे। शुरू में मिसिलों में छोटो और सामान्य किस्म का नोटिंग केवल हिंदी में ही होनी चाहिए।

सम्बोधित करते हुए केन्द्र निदेशक श्री बंकिम

केन्द्र पर आयोजित हिंदी सप्ताह की विशेषता यह है कि सरकारी काम में हिंदी-प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रथम द्वितीय तथा तृतीय पुरस्कार केवल उन्हीं व्यक्तियों को दिए जाएंगे जो सप्ताह के दौरान सर्वाधिक कार्य हिंदी में करेंगे। अनुभव के आधार पर यह कहा जा सकता है कि वाद-विवाद प्रतियोगिता तथा निबन्ध लेखन आदि के अपेक्षित परिणाम नहीं निकले हैं और वाद-विवाद प्रतियोगिता में धारा प्रवाह हिंदी बोलने वाले और पुरस्कार जीतने वाले व्यक्ति भी मिसिलों में कार्य हिंदी में नहीं करते हैं और हिंदी प्रयोग हिंदी सप्ताह तक सीमित रह जाता है।

सप्ताह के दौरान मिसिलों में किए गए वास्तविक कार्य पर पुरस्कार देने की योजना के अपेक्षित परिणाम सामने आए हैं। केन्द्र पर जहां हिंदी कार्य की गति संतोष जनक नही थी। सप्ताह के दौरान विपुल मात्रा में कार्य हिंदी हुआ। कैश-बुक हिंदी में भरी जाने लगी है। स्टाक, मोट गाड़ियों से संबंधित समस्त कार्य हिंदी में किया जाने लगा है। कर्मचारियों के सभी आवेदन हिंदी में प्राप्त हो रहे है। कलाकारों के साथ करार द्विभाषी फार्म में हिंदी में किए जा रहे है और बहुत से अन्य कार्यों में हिंदी का प्रयोग हुआ है।

राष्ट्रीय फिल्म संग्राहालय पुणे

राष्ट्रीय फिल्म सग्रहालय, पुणे में दिनांक 14 सितम्बर, 1990 को निदेशक श्री पी. के. नायर की अध्यक्षता में हिन्दी दिवस मनाया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पुणे विश्वविधालय द्वारा संचालित प्रयोजन-मूलक हिन्दी तथा अनुवाद पद्विका पाठ्यक्रम की समन्वयिका डॉ. (श्रीमती) सिंधु भिगारकर आमंत्रित थीं। सर्वप्रथम श्री अ.ज. भावुड़ी, हिन्दी अनुवादक ने सभी उपस्थित आगन्तुकों का स्वागत किया। अध्यक्ष श्री नायर ने समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को हिन्दी में अधिकाधिक काम करने के लिए विशेष अनुरोध किया।

कार्यक्रम की एक झलक

हिन्दी दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित हिन्दी निबंध, कविता पाठ तथा भाषण प्रतियोगिता के विजेताओं को अतिथि महोदया ने पुरस्कृत किया। वर्ष 1990 में हिन्दी शिक्षण योजना द्वारा आयोजित हिन्दी टंकण तथा प्राज्ञ परीक्षा के सफल कर्मचारियों को नकद पुरसकार व प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए।

सरकारी उपक्रम

हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स, उटकमण्ड

कंपनी में 14 सितंबर 1990 से हिंदी सप्ताह मनाया गया।

हिन्दी गीत तथा भाषण प्रतियोगिताएं दिनांक 13-9-1990 को मानव संसाधन विकास प्रभाग के मुख्य अध्यक्ष श्री आई. वर्गीस की अध्यक्षता में संपन्न हुई। श्री के. शकर, सदस्य, रा.भा. का.स. ने स्वागत भाषण दिया। श्री वर्गीस ने राजभाषा की प्रगति पर जोर देते हुए इस दिशा में कंपनी में हुई प्रगति के लिए हिन्दी अनुभाग तथा राजभाषा कार्यान्वयन समिति की सराहना की।

दिनांक 24 सितंबर 1990 को कार्यक्रम श्री पी. आर. एस. राव, अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। श्री एम. के. पी. हरन, की प्रार्थना के साथ समारोह प्रारंभ हुआ। श्री एस. वी. कृष्णन उपाध्यक्ष, वरिष्ठ कार्मिक प्रबन्धक ने स्वागत भाषण दिया। अध्यक्ष श्री राव ने राजभाषा की आवश्यकता के बारे में भाषण देते हुए कर्मचारियों से हिन्दी परीक्षाओं में बैठने का अनुरोध किया।

हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मै० कं. लि.
विपणन कार्यालय, मद्रास

14 सितंबर 1990 को कंपनी के विपणन कार्यालय, मद्रास में हिन्दी दिवस मनाया गया। अम्बत्तूर संयंत्र, तकनीकी सेवा केन्द्र तथा मद्रास के विपणन कार्यालय के कर्मचारियों के लिए प्रधान कार्यालय की तरह सभी प्रतियोगिताएं आयोजित की गयीं। समारोह श्री सीतारामय्या,

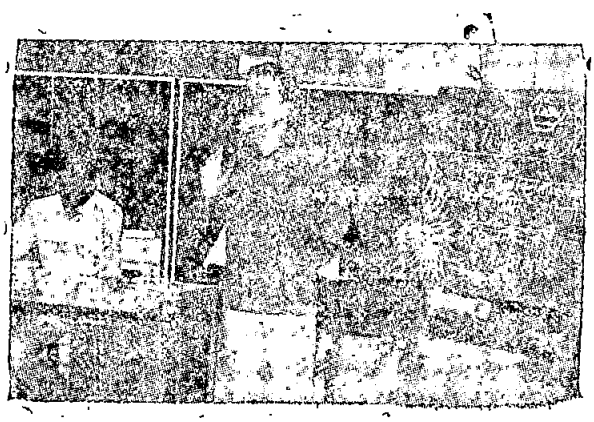

हिन्दी दिवस की एक झलक

महा प्रबन्धक, विपणन की अध्यक्षता में संपन्न श्री एस वी. कृष्णन, वरिष्ठ कार्मिक प्रबन्धक ने स्वागत भाषण दिया। श्रीमती एस. विजयलक्ष्मी, अनुभाग अधिकारी, हिन्दी ने 1989-90 को रिपोर्ट प्रस्तुत की।

श्री सिद्धिक इस्माइल, कूट सं. 2245 ने मनोरंजन कार्यक्रम प्रस्तुत किया। श्री टी. एन. राधाकृष्णन, महा प्रबन्धक (अम्बत्तूर) ने भाषण दिया तथा पुरस्कार तथा परीक्षा प्रमाण-पत्र वितरित किये। श्री एम. वेंकटेश, प्रबन्धक (प्रशासन) के धन्यवाद ज्ञापन के साथ समारोह संपन्न हुआ।

कम्पनी के कर्मचारियों के लिए आयोजित :

1. हिन्दी निबन्ध प्रतियोगिता :

स्तर 1

श्री जी. किशन	पहला
श्री पी. संपत कुमार	द्वितीय

स्तर 2

श्री एस. सेल्वराज	पहला
श्री के. एन. वैंगलोरकार	द्वितीय

स्तर 3

श्रीमती आर. श्यामला	पहला
श्री के. बी. देवराज	द्वितीय
श्री एम. चन्द्रमोहन	तृतीय

2. हिन्दी तकनीकी शब्दावली—स्मरण शक्ति प्रतियोगिता

श्रीमती आशालता जयपाल	पहला
श्री एस. सल्वराज	द्वितीय
श्रीमती अडलीना सिसोजा	तृतीय

3. हिन्दी टंकण प्रतियोगिता :

1. श्री एस. स्वामीकण्णु	पहला
2. श्रीमती एन. पुष्पलता	द्वितीय
3. श्री के. मोहनमुरूगन	तृतीय

हिन्दी क्विज प्रतियोजिता (हिन्दी सप्ताह)

1. श्री एम. नटराजन	पहला पुरस्कार
2. श्री के राधाकृष्णन	–वही–
3. श्री मथीन आई. सेठ	–वही–
4. श्री के. मोहनमुमरूगन	द्वितीय पुरस्कार
5. श्री जे. नगुलन	–वही–
6. श्री पी. संपत कुमार	–वही–
7. श्री एस. स्वामीकण्णु	तृतीय पुरस्कार
8. श्री सी. वारिजाक्षन	–वही–
9. श्री के. एन वैंगलोरकार	–वही–
10. श्री पी. राधाकृष्णन	आश्वासन पुरस्कार
11. श्री एम. चन्द्रमोहन	–वही–
12. श्री जोगी रामन	–वही–

हिन्दी क्विज प्रतियोगिता हिन्दी कार्यशाला

1. श्री जे. जैसय्यन	पहला पुरस्कार
2. श्री ओई. मुहम्मद शाँ	–वही–
3. श्री एस. स्वामीकण्णु	–वही–
4. श्री के. राधाकृष्णन	–वही–
5. डी पी. श्रीधरन	द्वितीय पुरस्कार
6. श्रीमती आर. श्यामला	–वही–
7. श्री वी. षण्मुखम	–वही–

राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला : पुणे

प्रयोगशाला, में 14 सितम्बर, से 20 सितम्बर 1990 तक "हिन्दी सप्ताह" मनाया गया। पहले दिन 14 सितम्बर को समारोह की अध्यक्षता डॉ. र.अ. माशेलकर, निदेशक, (राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला) ने की। मुख्य अतिथि के रूप में पुणे विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग के प्रो. डॉ. रामजी तिवारी उपस्थित थे। अध्यक्षीय भाषण में डॉ. माशेलकर ने प्रयोगशाला के सभी वैज्ञानिकों एंव कर्मचारियों का आवाहन किया कि वे राजभाषा के प्रगामी प्रयोग में अपना भरपूर सहयोग दें। **समारोह में उन पांच कर्मचारियों को नकद पुरस्कार प्रदान किए गए जिन्होंने वर्ष 1989-90 के दौरान अपने दैनिक सरकारी कामकाज में राजभाषा का प्रयोग किया था।** हिन्दी शिक्षण योजना के अन्तर्गत हिन्दी टाइपिंग परीक्षा पास करने के उपलक्ष्य में भी निदेशक महोदय ने दो कर्मचारियों को प्रमाण-पत्र दिए।

14 सितम्बर, को स्टाफ के लिए हिन्दी निबन्ध प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसका विषय था—पिछले पचास वर्षों में सी.एस.आई.आर. की उपलब्धियां। 17 सितम्बर को स्कूलों के छात्र/छात्राओं हेतु हिन्दी निबन्ध प्रतियोगिता आयोजित की गई जिसमें 40 छात्र/छात्राओं ने भाग लिया। 17 सिम्बर को स्टाफ हेतु वाद-विवाद प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसका विषय था—भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में अंग्रेजी को क्यों न शामिल किया जाए। दिनांक 18-19 सितम्बर, 1990 को हिन्दी माध्यम से एक अखिल भारतीय वैज्ञानिक संगोष्ठी आयोजित की गई। **संगोष्ठी में देश के विभिन्न क्षेत्रों से कुल 110 विशेषज्ञ/वैज्ञानिक शामिल हुए और उन्होंने अपने-अपने शोधपत्र हिन्दी में प्रस्तुत किए।** अन्तिम दिन 20 सितम्बर को स्टाफ हेतु हिन्दी कविता-पाठ प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस प्रतियोगिता में कुल 14 कर्मचारियों ने भाग लिया।

हिन्दी सप्ताह के दौरान आयोजित उपर्युक्त प्रतियोगिताओं के विजेताओं को 26 सितम्बर, 1990 को सी.एस.आई.आर. के स्थापना दिवस के अवसर पर पुरस्कार प्रदान किए गए। सभी विजेताओं को पुरस्कार के रूप में शब्दकोष प्रदान किए गए।

इंडियन एयरलाइंस : गुवाहाटी

राजभाषा कार्यान्वयन समिति, के तत्वाधान में 14 सितम्बर, 1990 को हिन्दी दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस संबंध में आयोजित निबन्ध प्रतियोगिता के विषय थ "भारत के पर्यटन विकास में इंडियन एयरलाइन्स की भूमिका" और "राष्ट्रीय अखंडता के विकास में इंडियन एयरलाइन्स की भूमिका"। निबंध प्रतियोगिता में दो प्रतियोगियों, श्री विश्वनाथ लाकड़ा, वरिष्ठ परिवहन सहायक एवं मो. युनुस अंसारी, वरिष्ठ प्लांट तकनीशियन ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। निबंधों के मूल्यांकन एवं पुरस्कार निर्धारण हेतु श्री हरिओम श्रीवास्तव, उपनिदेशक, राजभाषा कार्यान्वयन (पूर्वोत्तर क्षेत्र) तथा असम राष्ट्रभाषा प्रचार परिषद, गुवाहाटी ने किया। समारोह की अध्यक्षता श्री ए. के. चौधरी, एयरपोर्ट प्रबन्धक ने की ।

इंडियन एयरलाइंस, (मुख्यालय) नई, दिल्ली

इंडियन एयरलाइन्स, मुख्यालय में 10 से 14-9-90 तक हिन्दी सप्ताह का आयोजन किया गया।

दिनांक 10-9-1990 को निबन्ध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें 10 कर्मचारियों ने भाग लिया। निम्नलिखित दो विषयों में से किसी एक पर कर्मचारी को निबन्ध लिखने के लिए कहा गया :—

1. लोकमत बनाने में समाचार-पत्रों और पत्रिकाओं का योगदान तथा
2. भर्ती परीक्षाओं में हिन्दी विकल्प की आवश्यकता।

निबन्ध प्रतियोगिता में निम्नलिखित तीन कर्मचारी 1. श्रीमती ज्योति तुलस्यानी, लेखा परीक्षा सहायक, 2. श्रीमती सरोज प्रसाद, वरि. लेखा सहायक, 3. श्री वी.पी. उपाध्याय, कार्यालय अधीक्षक क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय आए —

श्री अनिल कुमार भाटिया, लेखा सहायक को सांतवना पुरस्कार के लिए चुना गया। दिनांक 12-9-1990 को वाद-विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कर्मचारियों को "हिन्दी में राजकाज क्यों?" विषय पर बोलने के लिए कहा गया था।

इसमें विजेता इस प्रकार :—

1. कुमारी सरोज, लेखा परीक्षा सहायक
2. श्रीमती अर्चना सरीन, लेखा सहायक।
3. श्री मोहिन्द्र पाल सिंह चग्गर, वरिष्ठ लेखा परीक्षा सहायक

इसी प्रकार दिनांक 14-9-90 अर्थात् हिन्दी दिवस के दिन एक भव्य आयोजन किया गया। आयोजन में कुल 15 कर्मचारियों ने अपनी-अपनी कविताओं से श्रोताओं को मंत्र-मुग्ध किया। नागर विमानन मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति के माननीय सदस्य प्रो. शशि शेखर तिवारी एवं श्री हीरालाल शास्त्री को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। मुख्य अतिथियों का स्वागत श्री एस.सी. रस्तोगी, प्रणाली निदेशक ने किया। श्री गौरी शंकर शर्मा, उप कार्मिक प्रबन्धक (राजभाषा) ने मुख्य अतिथि का स्वागत करते हुए हिन्दी-दिवस के महत्त्व को बताया उन्होंने कहा कि आज की परिस्थितियों में हिन्दी को सरकारी कामकाज की भाषा में प्रयोग करना परम आवश्यक है। हिन्दी-सप्ताह मनाने का मुख्य उद्देश्य हिन्दी के प्रति लोगों के रुझान को बढ़ाना है।

प्रो. शशि शेखर तिवारी ने कहा कि कोई भी राष्ट्र अपनी राष्ट्रभाषा के बिना उन्नति नहीं कर सकता। यदि हमें भारत को आगे बढ़ाना है तो हमें हिन्दी को स्वीकारना ही होगा।

हिन्दी का सर्वप्रथम समाचार-पत्र बंगाल से छपा जबकि हिन्दी की सर्वप्रथम शेरो शायरी हैदराबाद में आरम्भ हुई।

श्री हीरालाल शास्त्री ने कहा कि हिन्दी प्राचीन युग से ही चली आ रही है केवल अन्तर उसके रूप का है। कभी यह संस्कृत थी बाद में यह प्राकृत एवं पाली के रूप में परिवर्तित हुई और आज यह खड़ी बोली या हिन्दी के रूप में जानी जाती है। संस्कृत से लेकर आज तक वर्णमाला में कोई परिवर्तन नहीं आया है। इसी प्रकार हिन्दी के शब्द अन्य दक्षिण भाषाओं में उसी रूप में प्रयोग किए जाते हैं।

वि इंडियन आयरन एण्ड स्टील कं. लि.
बर्नपुर

गुआ अयस्कखान में 8 से 14-9-1990 तक राजभाषा सप्ताह मनाया गया। श्री के. पी. तिवारी, उप मुख्य कार्मिक प्रबन्धक (अ.खा.) ने उपस्थित अधिकारियो और कर्मियों को कहा कि हिन्दी सरल व सुगमता से लिखी और सीखी जाने वाली भाषा है। कार्यलयीन कार्यों में इसका अधिक से अधिक उपयोग करें। श्री चन्द्रवीर मल्लिक, प्रबन्धक (खान व समन्वय) ने भी इस विषय पर अपने विचार व्यक्त किए।

राजभाषा सप्ताह के दौरान विद्यालयीन बच्चों तथा कर्मियों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। प्रतियोगिता का ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

शिशु पाठशाला बच्चों के लिए कविता पाठ :

रिया डे सरकार	—प्रथम
रीनी विश्वास	—द्वितीय
सौबीर दास एवं सोनू सिंह	—तृतीय

कक्षा 5 व 6 के बच्चों के लिए कविता पाठ

ज्योति कुमारी	—प्रथम
विजय झा	—द्वितीय
कंचन कुमारी	—तृतीय

कक्षा 3 व 4 के बच्चों के लिए कविता पाठ

साकेत कुमार	—प्रथम
संतोष कुमार पांडेय	—द्वितीय
शांतनु मल्लिक	—तृतीय

कक्षा 1 व 2 के बच्चों के लिए कविता पाठ

लक्ष्मी कुमारी	—प्रथम
दीप्ति होरो	—द्वितीय
सावित्री कुमारी	—तृतीय

वैयक्तिक सर्वाधिक हिन्दी व्यवहार प्रतियोगिता (उत्पादन वर्ग)

अशोक कुमार वर्मा	—प्रथम
पी. मोदी	—द्वितीय
जुरिया सिंह सामव,	—तृतीय

वैयक्तिक सर्वाधिक हिन्दी व्यवहार प्रतियोगिता (गैर उत्पादनवर्ग)

राधेश्याम राम	—प्रथम
अभय नारायण झा	—द्वितीय
सरोजानन्द मिश्रा	—तृतीय

टिप्पण एवं प्रारूप लेखन प्रतियोगिता (हिन्दी भाषी कर्मी)

अशोक कुमार वर्मा	—प्रथम
दिलीप भार्गव	—द्वितीय
रवि सामंत	—द्वितीय
पी. के. मल्लिक	—तृतीय

टिप्पण व प्रारूप लेखन प्रतियोगीता —हिन्दी भाषी कर्मी :

सुव्रत घोष	—प्रथम
के. वी. थोमस	—द्वितीय
एल. एन. मल्लिक	—द्वितीय
जे. एन. भट्टाचार्य	—तृतीय

निबंध प्रतियोगिता—हिन्दी भाषी

दिलीप भार्गव	—प्रथम
रवि सामंत	—प्रथम
विजय सिंह	—द्वितीय
प्रवीर कुमार पाठक	—तृतीय

निबंध प्रतियोगिता—हिन्दी भाषी :

तरुण कांति राय	—प्रथम
दीप्ति बनर्जी	—द्वितीय
के. वी. थोमस	—तृतीय
विश्वनाथ परिहा	—तृतीय

हिन्दी टंकण प्रतियोगिता :

प्रदीप कुमार मल्लिक	—प्रथम
रघूनंदन महतो	—द्वितीय
जे. के. सिन्हा	—तृतीय

अनुवाद प्रतियोगिता—हिन्दी भाषी कर्मी :

दिलीप भार्गव	—प्रथम
रवि सामंत	—द्वितीय
राजीव भार्गव	—द्वितीय
मोटाय हेम्ब्रम	—तृतीय

अनुवाद प्रतियोगिता—हिन्दी भाषी कर्मी

लक्ष्मी नारायण मल्लिक	—प्रथम
एस. के. बनर्जी	—द्वितीय
तरुण कांति राय	—तृतीय
सुव्रत घोष	—तृतीय

इस वर्ष की विशेषता यह रही कि यांत्रिक विभाग के वरिष्ठ कार्यपालक, श्री अशोक कुमार वर्मा ने चार प्रतियोगिताओं में प्रथम स्थान प्राप्त कर एक रिकार्ड कायम किया।

दिनांक 16-9-90 को राजभाषा सप्ताह का समापन समारोह सम्पन्न हुआ। सहायक महाप्रबन्धक (अ.खा.) श्री डी.डी. शरण समारोह के मुख्य अतिथि थे।

सहायक महाप्रबन्धक (लौह खान) श्री एम. के. श्रीवास्तव ने अपने भाषण में कहा कि "राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है।" सहायक महाप्रबन्धक (अ.खान) श्री शरण ने कहा कि पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधने के लिए यह जरुरी है कि हिन्दी को सम्पर्क भाषा के रूप में स्थापित किया जाए। इन्होंने कर्मियों को सलाह दी कि वे अपना अधिक से अधिक कार्यालयीन कार्य हिन्दी में करें।

भारत हैवी प्लेट एण्ड वेसल्स लिमिटेड, विशाखापटनम

"भारतीय एकता पुष्ट होने के लिए जिस प्रकार हिन्दी भाषी हिन्दी सीख रहे हैं इसी प्रकार हिन्दी भाषी भी दक्षिण की भाषाएं सीखनी चाहिए तभी आपसी संबंध मजबूत बन जाएंगे।" बी एच पी वी, विशाखापट्टणम के प्रबन्ध निदेशक श्री के. राघवय्या ने हिन्दी दिवस समारोह का उद्घाटन करते हुए कर्मचारियों से कहे।

14 सितंबर, 1990 को हिन्दी "दिवस समारोह" आयोजित किया गया। मंडल रेलवे प्रबन्धक एवं नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष श्री ज्ञानेन्द्र कुमार खरे समारोह के मुख्य अतिथि रहे। वरिष्ठ प्रबन्धक (कार्मिक एवं प्रशासन) एवं बी एच पी वी राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष श्री जी वी रमण मूर्ति ने समारोह की अध्यक्षता की। उन्होंने बी एच पी वी में राजभाषा के कार्यान्वयन में हुई प्रगति के बारे में बताया कंपनी के उप प्रबन्धक (प्रशासन) एवं राजभाषा के संपर्क अधिकारी श्री सी. आन्ध्रेय ने कार्यक्रम का संचालन किया। राजभाषा अधिकारी श्रीमती डा. जी. पद्मजा देवी ने प्रतिभागियों का स्वागत किया।

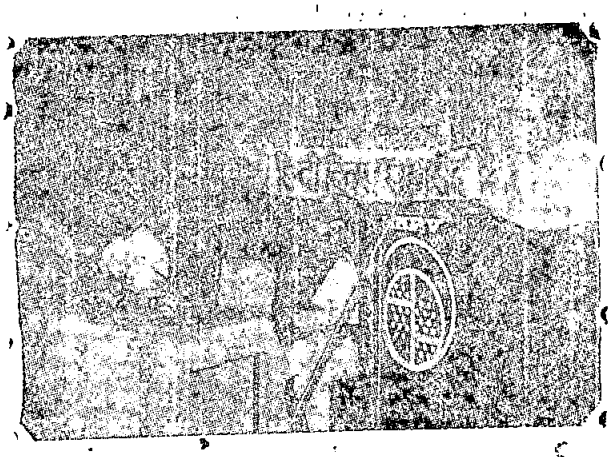

भाषण दते हुए मुख्य अतिथि श्री जी.के. खरे,

हिन्दी परीक्षाओं में सफल हुए कर्मचारियों को श्री जी. के. खरे ने प्रमाण पत्र एवं नकद पुरस्कार दिए। हिन्दी दिवस के अवसर पर आयोजित विविध प्रतियोगिताओं के विजेताओं को प्रबन्ध निदेशक श्री के राघवय्या द्वारा प्रमाण पत्र एवं पुरस्कार प्रदान किए गए। अंत में एस. अब्दुल रशीद हिन्दी अनुवादक द्वारा धन्यवाद ज्ञापन से सभा समाप्त हुई।

भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान
रांची (बिहार)

संस्थान में 1 से 7 तक "हिन्दी सप्ताह" एवं 14 सितम्बर को "हिन्दी दिवस" का आयोजन किया गया। हिंदी सप्ताह की अवधि में हिन्दी निबन्ध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।

"हिन्दी दिवस" के अवसर पर कार्मिकों ने हिन्दी गीत, भजन एवं कविता पाठ में रूचि पूर्वक भाग लिया। राजभाषा संबंधी प्रचार सामग्री, जिनमें शब्दावलियां, संस्थापन एवं केन्द्रीय सचिवालय, हिन्दी परिषद से प्रकाशित संदर्भ साहित्य की एक मनोरम एवं प्रेरणादायक प्रदर्शनी भी लगाई गई। 14 सितम्बर को हिन्दी सप्ताह का समापन एवं हिन्दी दिवस समारोह आयोजन के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में बिहार के प्रतिष्ठित दैनिक 'रांची एक्सप्रेस' के सम्पादक श्री बलबीर दत्त ने हिन्दी भाषियों द्वारा भी हिन्दी को उचित महत्त्व नहीं देने पर खेद व्यक्त करते हुए अंग्रेजी का मोह त्यागने तथा हिन्दी का प्रयोग स्वाभिमान और राष्ट्राभिमान के साथ करने की सलाह दी।

संस्थान के निदेशक श्री श्रवण कुमार ने हिन्दी सप्ताह की अवधि में अधिक से अधिक काम हिन्दी में करने हेतु अपील की एवं हिन्दी दिवस में अपने अध्यक्षीय भाषाण में हिन्दी को राष्ट्र की पहचान बतलाते हुए हिन्दी में ही कार्य करने हेतु अनुरोध किया।

समारोह की एक झलक

हिन्दी में सराहनीय कार्य हेतु प्रशासकीय अनुभाग के श्री दुधेश्वर राम एवं वित्त व लेखा अनुभाग के श्री विहारी साहु को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। निबंध प्रतियोगिता में सर्वश्री महेश्वर लाल भगत, मदन मोहन, शरतचन्द्र लाल एवं रघुनाथ महतो को प्रशस्ति पत्र एवं पुरस्कार प्रदान किए गए।

भारत वैगन एण्ड इंजीनियरिंग कं. लि.
प्रधान कार्यालय : पटना

कम्पनी में 3 से 17 सितम्बर, 90 तक हिंदी पखवाड़ा मनाया गया। 3 सितम्बर को पखवाड़े का उद्घाटन करते हुए **कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक श्री राम प्रवेश सिंह** ने हिन्दी में अधिकाधिक कार्यालीय कार्य करने के लिए कम्पनी के कार्मिक तथा सुरक्षा विभाग की विशेष प्रशंसा की। **सभी आन्तरिक पत्राचार केवल हिन्दी** में ही करने की अपील करते हुए आश्वासन भी दिया कि राजभाषा कार्यान्वयन समिति की अगली बैठक में कुछ ऐसे ठोस कार्यक्रम बनाए जाएंगे कि जिससे राजभाषा हिन्दी के प्रयोग के क्षेत्र में भी यह कम्पनी राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी भूमिका निभा सके।

इस अवसर पर एक वाद-विवाद प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया जिसका विषय था **"उच्चतर एवं तकनीकी शिक्षा मातृभाषा में दी जानी चाहिए।"**

पखवाड़े के अन्तर्गत 5, 6 एवं 7 सितम्बर को तीन दिवसीय हिन्दी कार्यशाला, 10 सितम्बर को टिप्पण-प्रारूपण प्रतियोगिता तथा 12 सितम्बर को श्रुतलेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।

17 सितम्बर को समापन एवं पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक श्री राम प्रवेश सिंह ने की। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि कम्पनी के प्रधान कार्यालय को पटना नगर

स्थित सार्वजनिक उपक्रमों के कार्यालयों में राजभाषा हिन्दी में सर्वश्रेष्ठ कार्य-निष्पादन हेतु पटना नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की ओर से 'राजभाषा-शील्ड' देने का निर्णय लिया गया है ।

उन्होंने आशा प्रकट की कि इस पखवाड़े के उपरान्त सभी विभाग भी इसी प्रकार हिन्दी में कार्य करेंगे ।

समापन भाषण देते हुए प्रबन्ध-निदेशक श्री रामप्रवेश सिंह

कम्पनी के महाप्रबन्धक (योजना) श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह ने पखवाड़े में आयोजित हिन्दी कार्यशाला तथा प्रतियोगिताओं की चर्चा की और आशा प्रकट की कि इससे कम्पनी में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने में काफी सहायता मिलेगी ।

"मिटको" के राजभाषा सलाहकार श्री जगत पाण्डेय "युगल" ने भारत वैगन में राजभाषा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग की प्रशंसा करते हुए कहा, निरीक्षण के दौरान यह पाया गया है कि यहां से जो तिमाही प्रगति रिपोर्ट भेजी जाती है, वह एक दम सही एवं ठोस तथ्यों पर आधारित होती है, यही कारण है कि यहां हिन्दी के प्रयोग में लगातार और वस्तुतः वृद्धि हो रही है ।

प्रारम्भ में अतिथियों का स्वागत करते हुए प्रबन्धक (मानव संसाधन विकास) श्री राय विरेन्द्र कुमार दत्त ने कहा कि कार्यालीय कार्यों में हिन्दी के प्रयोग से न केवल राजभाषा नीति का अनुपालन हुआ है । बल्कि, हमारे औद्योगिक संबंधों पर भी इसका अनुकूल प्रभाव पड़ा है । उन्होंने कहा कि जब हम कार्यालय-आदेश, परिपत्र आदि हिन्दी में भी जारी करते हैं तथा मजदूरों से संबंधित कार्यवाही हिन्दी में करते हैं तो इससे मजदूर और प्रबन्धन के बीच आपसी संवाद कायम रहता है चूंकि मजदूर हिन्दी ही समझते हैं । अतः, हिन्दी में कार्यालीय कार्य करने से किसी प्रकार की गलतफहमी के कारण विवाद होने का खतरा नहीं रहता है ।

धन्यवाद ज्ञापन सहायक प्रबन्धक (कार्मिक) श्री ए. माईकेल ने तथा कार्यक्रम का संचालन कार्यपालक (हिन्दी) श्री मदन मोहन सिंह ने किया ।

इस अवसर पर पखवाड़े के दौरान आयोजित विविध प्रतियोगिताओं के विजेताओं की सूची इस प्रकार है:—

1. वाद-विवाद प्रतियोगिता

पक्ष

श्री अशरफ खां, कनिष्ठ आशुटंकक —प्रथम
श्री नवल प्रसाद सिंह, कनिष्ठ सहायक —द्वितीय

विपक्ष

श्री नवनीत नारायण अवस्थी, कार्यपालक (सतर्कता) —प्रथम
श्री अरुण कुमार सिन्हा, उप प्रबन्धक (सामग्री) —द्वितीय

2. टिप्पण-प्रारूपण प्रतियोगिता

हिन्दी भाषी संवर्ग

श्री नवनीत नारायण अवस्थी, कार्यपालक (सतर्कता) —प्रथम
श्री सत्येन्द्र कुमार ओझा, कार्यपालक (प्रशासन) —द्वितीय
श्री राम विनोद लाल, आशु सहायक —तृतीय

अहिन्दी भाषी संवर्ग

श्री आर. वेणुगोपाल, निजी सहायक —प्रथम
श्री अशोक कुमार गुप्ता, गोपनीय सहायक-सह-टंकक —द्वितीय
श्री आर. देसिकन, आशु सहायक —तृतीय

श्रुतलेखन प्रतियोगिता

श्री अतुल कुमार सिंह, कार्यपालक (कार्मिक) —प्रथम
श्री राम विनोद लाल, आशु सहायक —द्वितीय
श्री सुरेन्द्र कुमार सिंह, आशु सहायक —तृतीय

बोकारो इस्पात संयंत्र

14 दिसम्बर 1990 को हिन्दी दिवस मनाया गया ।

उक्त अवसर पर सामग्री विभाग के विभागाध्यक्षों के लिये एक हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया। श्री बी. सी. वर्मा, अपर मुख्य सामग्री प्रबंधक (अनुषंगी), हिन्दी संपर्क अधिकारी, ने अपने स्वागत भाषण में कार्यशाला की पृष्ठभूमि प्रस्तुत करते हुए कहा कि हिन्दी का समुचित प्रयोग हमें कार्यालय के नेमी कार्य में करना चाहिए ।

श्री अरुण कुमार पोद्दार महाप्रबंधक (सामग्री प्रबंधन) ने कहा कि हिन्दी भाषा सभी समझते हैं । अगर हम हिन्दी में काम करेंगे तो सर्वसाधारण को अधिक सुविधा होगी ।

उन्होंने कहा कि सामग्री विभाग के सभी फार्म द्विभाषी रूप में मुद्रित होने चाहिए और इसमें कोई विकल्प नहीं होना चाहिए।

श्री योगेन्द्र प्रसाद साहू, प्रबंधक (राजभाषा विभाग) ने सामग्री विभाग को हिन्दी में कार्य करने के प्रयास की सराहना की।

उन्होंने बताया कि उनका राजभाषा विभाग बी.एस.एल. में व्यवहार होने वाले सभी फार्म, मैनुअल आदि का अनुवाद करने के लिए तैयार है। उन्होंने विस्तार में भारत सरकार एवं सेल के निर्देशानुसार विभिन्न प्रशिक्षण एवं प्रोत्साहन योजनाओं का उल्लेख किया और सबों को इसमें भाग लेने के लिये प्रेरित किया।

सभी फार्म द्विभाषिक रूप में मुद्रित होने चाहिए।

—अरुण कुमार पोद्दार
महाप्रबन्धक (सामग्री प्रबंधन)

तकनीकी परीक्षण सेल एवं गुणवत्ता नियंत्रण विभाग द्वारा संयुक्त रूप से मुख्य अभियन्ता (सिविल) श्री ए.के. राय की अध्यक्षता में गोष्ठी आयोजित की गई। इसके संयोजक एवं सह-संयोजक थे श्री देवनन्दन प्रसाद सिंह, अधीक्षण अभियन्ता तथा श्री विश्वनाथ, क्षेत्रीय अभियन्ता। उक्त अवसर पर 5 तकनीकी आलेखों का वाचन क्रमशः श्री अखिलेश्वरी प्रसाद (मृदा की जांच), श्री लक्ष्मी प्रसाद (निर्माण कार्य-सीमेंट) श्री एस.एस. साहु (कंक्रीट की गुणवत्ता) श्री आर.एन. झा (विद्युत की उपयोगिता) श्री देवनन्दन सिंह (सीमेंट मिक्सचर) द्वारा किये गये। इस अवसर पर सहायक प्रबंधक (हिन्दी) श्री दिनेश चन्द झा उपस्थित थे जिन्होंने उपस्थित व्यक्तियों को हिन्दी में काम करने के लिए प्रोत्साहित किया सभी वक्ताओं को पुरस्कार दिए गए।

वित्त एवं लेखा विभाग द्वारा श्री सुचित मिश्रा, अपरमुख्य (लेखा) की अध्यक्षता में हिन्दी कार्यशाला का आयोजन हुआ, जिसके संयोजक श्री एस.सी. राय उप प्रबंधक (लेखा प्रशासन) थे। वित्त एवं लेखा विभाग में हो रही हिन्दी की प्रगति की जानकारी श्री एस०सी० राय द्वारा दी गयी। राजभाषा विभाग के सहायक प्रबंधक (हिन्दी) श्री देवता प्रसाद सिंह ने हिन्दी में अधिकाधिक काम करने के लिए लोगों को अनुप्रेरित किया। श्री राजेन्द्र प्रसाद उप प्रबंधक के धन्यवाद ज्ञापन के साथ समापन हुआ।

प्लान्ट के अन्दर इस्पात गलनशाला-1 में 15 सितम्बर को श्री अरुण प्रसाद सिंह उप महाप्रबंधक की अध्यक्षता में कार्यशाला सम्पन्न हुई। इसके संयोयक थे श्री त्रिलोकी नाथ वाजपेयी, प्रबंधक एवं मनोनीत हिन्दी अधिकारी। कार्यशाला के प्रारम्भ में श्री वाजपेयी ने अपने विभाग में हिन्दी के कार्यकलापों से संबंधित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। वहां एक विभागीय समिति बनाई गई है जिसकी बैठक प्रति माह होती है। समिति हिन्दी में हो रही प्रगति की समीक्षा करती है जिससे हिन्दी का उत्तरोत्तर प्रयोग वहां बढ़ रहा है।

इसी क्रम में संगठन एवं पद्धति विभाग में हिन्दी दिवस के अवसर पर एक हिन्दी कार्यशाला का आयोजन श्री अरुण कुमार बाबरिया मुख्य अधीक्षक (संगठन एवं प्रणाली) की अध्यक्षता में एक कार्यशाला आयोजित की गई जिसके संयोजक थे श्री कृष्ण कुमार मिश्र, सहायक प्रबंधक (संगठन एवं प्रणाली)। कार्यशाला में संगठन एवं प्रणाली विभाग के प्रायः सभी अधिकारी एवं कर्मचारी और राजभाषा विभाग के सहायक प्रबंधक (हिन्दी) उपस्थित है।

हिन्दी दिवस के आयोजन के पूर्व बोकारो स्टील प्लांट के स्लैबिंग मिल विभाग के अनपढ़ कर्मचारियों को साक्षर बनाने के उद्देश्य से 10-9-90 को साक्षरता कार्यक्रम के द्वितीय सत्र का आयोजन किया गया। इसके संयोजक श्री प्रभा शंकर द्विवेदी, सहायक प्रबंधक (कार्मिक प्रशासन) थे तथा विभाग के मुख्य अधीक्षक (स्लैबिंग मिल) श्री अयोध्या प्रसाद सिंह थे।

बोकारो स्टील प्लांट के कलकत्ता कार्यालय में भी हिन्दी दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर 34 कार्मिकों को हिन्दी माध्यम से साक्षर बनाने का कार्यक्रम किया गया तथा वहां के प्रशासन, निरीक्षण, वित्त एवं लेखा, क्रय विभाग तथा जहाज रानी एवं परिवहन विभाग के अनुभागों में हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का आयोजन कलकत्ता कार्यालय के आवासीय प्रबंधक श्री टी.के. मुखर्जी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ। इसके संयोजक हिन्दी सेल के प्रभारी श्री नपन कुमार खां थे। इस कार्यशाला में मुख्यालय की ओर से श्री बृजवासी राय अनुवादक ने भी मुख्य रूप से हिस्सा लिया। हिन्दी दिवस के अवसर पर कार्मिकों ने हिन्दी में अधिकाधिक काम करने का संकल्प दुहराया है।

भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स, हरिद्वार

बी.एच.ई.एल., हरिद्वार की राजभाषा कार्यान्वयन समिति ने हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के लिए दिनांक 14-9-90 से 21-9-90 तक "हिन्दी सप्ताह" का आयोजन किया। दिनांक 14-9-90 को आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वी.एस.एम. काजले, रुड़की के प्राचार्य डा. योगेन्द्र नाथ शर्मा "अरुण" थे। इस अवसर पर "उद्योग भारती" हिन्दी स्मारिका का विमोचन किया गया। मुख्य अतिथि डा. अरुण ने कहा कि हिन्दी एक समृद्ध भाषा है। इसमें जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है।

कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए महाप्रबंधक (प्रचालन) श्री बलदेवराज गुलाटी ने सभी से अपील की कि वे "हिन्दी सप्ताह" के दौरान सभी काम हिन्दी में करने की कोशिश

करें। समारोह में पंचपुरी के विशिष्ट साहित्यकार उपस्थित थे। समारोह का संचालन वरिष्ठ हिन्दी अधिकारी श्री राम किशोर शर्मा ने किया।

दिनांक 15-9-90 को "हिन्दी प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता" का आयोजन किया गया जिसमें 87 कर्मचारियों ने भाग लिया। दिनांक 18-9-90 को "राजभाषा गोष्ठी" का आयोजन किया गया जिसमें राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सदस्यों एवं हिन्दी इकाई अध्यक्षों ने भाग लिया। गोष्ठी में श्री अरविन्द कुमार जोशी, उप महाप्रबंधक (कम्प्यूटर केन्द्र), श्री अनिल कुमार उपाध्याय, प्रबंधक, मानव संसाधन विकास केन्द्र एवं वरिष्ठ हिन्दी अधिकारी श्री रामकिशोर शर्मा ने विचार प्रकट किए। दिनांक 19-9-90 को "काव्य संध्या" का आयोजन किया गया जिसमें स्थानीय कवियों के अतिरिक्त पंचपुरी एवं रुड़की के विशिष्ट कवियों ने भाग लिया। "काव्य संध्या" की अध्यक्षता श्री भूरा सिंह "शून्य" ने की।

हिन्दी सप्ताह के कार्यक्रमों की श्रंखला में दिनांक 20-9-90 को "खुले मंच" का आयोजन किया गया जिसमें कर्मचारियों ने "हिन्दी के प्रयोग में संकोच क्यों?" विषय पर विचार प्रकट किए और हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के बारे में बहुमूल्य सुझाव दिए।

दिनांक 21-9-90 को पुरस्कार वितरण एवं समापन समारोह का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता महाप्रबंधक (प्रचालन) श्री बलदेव राज गुलाटी ने की। इस अवसर पर हिन्दी निबन्ध एवं हिन्दी प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताओं के विजेताओं को नकद पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र वितरित किए गए।

श्री गुलाटी ने कहा कि हमें राजभाषा हिन्दी की अधिक से अधिक इस्तेमाल करना होगा ताकि एक दूसरे को बेहतर ढंग से समझा जा सके। उन्होंने कहा कि हमको निषेधात्मक दृष्टिकोण नहीं अपनाना चाहिए। उन्होंने विजेताओं को हार्दिक बधाई दी और शेष भागीदारों के उत्साह की भी प्रशंसा की।

"हिन्दी सप्ताह" के दौरान हिन्दी अनुभाग ने आकर्षक हिन्दी पोस्टरों का वितरण भी किया। सप्ताह में प्रतिदिन सार्वजनिक प्रसारण सेवा के माध्यम से प्रख्यात हिन्दी विद्वानों के हिन्दी संदेशों की घोषणा की गई। इस अवधि में आयोजित विभिन्न हिन्दी कार्यक्रमों से कर्मचारियों में हिन्दी के प्रति गौरव भावना जागी है और उसका ज्ञानवर्धन हुआ है।

ओरियन्टल इंश्योरैन्स कम्पनी, लि. अहमदनगर

कंपनी के अहमदनगर (महाराष्ट्र) मंडल कार्यालय की ओर से दिनांक 14-9-90 से 29-9-90 तक हिन्दी पखवाड़ा बनाया गया। इस अवधि में कार्यालयीन कामकाज में हिन्दी का अधिकाधिक प्रयोग करने का संकल्प करते हुए विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया था। 24-9-90 को कार्यालयीन कर्मचारियों के लिए द्विस्तरीय अनुवाद लेखन प्रतियोगिता के साथ एक विशेष समारोह का आयोजन किया गया। मंडल प्रबंधक श्री जु.रा. करवा ने अपने प्रस्तावित भाषण में कहा कि वर्तमान स्थिति में कार्यालयीन कामकाज में अधिकाधिक हिन्दी का प्रयोग होने की नितांत आवश्यकता है। मुख्य अतिथि डॉ. शहाबुद्दीन शेख ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद क्र. 343 (1) के अनुसार राजभाषा हिन्दी को वास्तविक स्थान प्रदान करने के लिए कर्मचारीगण अपने दैनिक कामकाज में हिन्दी को अपनाएं। इस कार्य का आरंभ अपने हस्ताक्षर के साथ होना चाहिए। समारोह की अध्यक्षता यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लि., अहमदनगर के मंडल प्रबंधक श्री पी. जी. कोठारी ने की। पुरस्कृत कर्मचारियों को डॉ. शहाबुद्दीन शेख ने पुरस्कार राशियां प्रदान कीं। विवरण इस प्रकार हैं :—

अनुवाद लेखन प्रतियोगिता (उच्च स्तर)—

प्रथम— श्रीमती अदिती अभय ढोक, टंकक
द्वितीय— श्री सुनील रुचा, टंकक—
तृतीय— श्री राजेन्द्र चौकेकर, सहा. प्रशा.–अधिकारी
श्री अरुण बन्सी नाईक, चपरासी
श्री रतन देवजी, तुजारे, लिपिक

यूनाइटेड इंडिया इन्श्यूरेन्स कं. लि. अहमदनगर

यूनाइटड इंडिया इन्श्योरेन्स कं.लि अहमदनगर (महाराष्ट्र) द्वारा दिनांक 14 सितम्बर से 20 सितम्बर 1990 तक हिन्दी सप्ताह मनाया गया। दिनांक 20-9-90 को आयोजित समारोह में कार्यालय के प्रशासनिक अधिकारी श्री लोखंडे ने स्वागत किया तथा मण्डल प्रबन्धक श्री प. घा. कोठारी ने समारोह की अध्यक्षता की। डॉ दीपक निगम, सहायक मण्डल प्रबन्धक ने अतिथि का परिचय कराया।

अतिथि प्रा डॉ. शहाबुद्दीन शेख ने "राजभाषा और राष्ट्रभाषा" के बारे में चर्चा की तथा हिन्दी शिक्षण योजना के अंतर्गत प्रबोध, प्रवीण एवं प्राज्ञ परीक्षा उत्तीर्ण होने पर मिलने वाले नकद पुरस्कार, प्रमाणपत्र आदि की जानकारी दी।

मंडल प्रबन्धक श्री प.घा. कोठारी ने अध्यक्षीय भाषण में राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3 की उपधारा (4) पर प्रकाश डालते हुए कहा कि बीमा व्यवसाय में हिन्दी का महत्त्व राष्ट्रीय प्रगति की दृष्टि से महनीय है। इसलिए कार्यालयीन कामकाज में हिन्दी का प्रयोग व्यापक मात्रा में होना चाहिए।

श्री एच.पी. लगड ने उपस्थितों के प्रति आभार प्रदर्शित किये गये।

ओरिएंटल इंश्योरेन्स कंपनी, पटना

दि ओरिएण्टल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के पटना क्षेत्रीय कार्यालय में दिनांक 14 से 28 सितम्बर 1990 तक हिन्दी पखवाड़ा मनाया गया। इस क्रम में टिप्पण मसौदा लेखन प्रतियोगिता, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, चेक वाउचर प्रतियोगिताओं आदि का आयोजन किया गया।

14 सितम्बर को हिन्दी दिवस पखवाड़ा समारोह की अध्यक्षता करते हुए कंपनी के क्षेत्रीय प्रबंधक श्री शंकर प्रसाद लोध ने कहा कि हमने सभी कार्यों को हिन्दी में करने का लक्ष्य रखा है। हम अपने कार्यालयों में भारत सरकार की राजभाषा नीति के अनुरूप हिन्दी के शत-प्रतिशत प्रयोग हेतु कृतसंकल्प है।

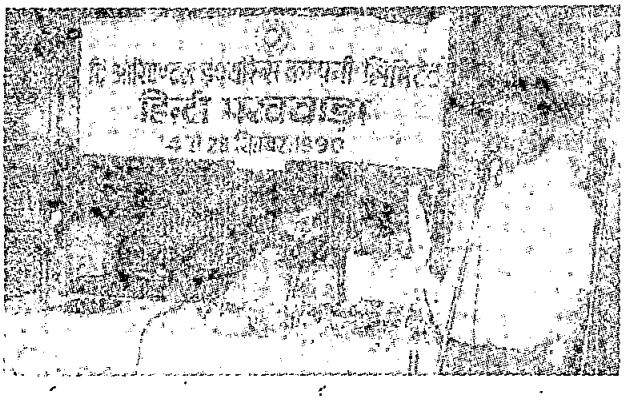

कार्यक्रम की एक झलक

समापन समारोह में मुख्य अतिथि विख्यात हिन्दी विद्वान पटना विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति एंव बिहार संस्कृत अकादमी के अध्यक्ष श्री देवेन्द्र नाथ शर्मा ने बताया कि किसी भी देश की प्रगति वहां की भाषाओं राष्ट्रभाषा में ही संभव है विदेशी भाषाओं से नहीं। श्री शर्मा ने कहा कि हमें अपनी राष्ट्रभाषा पर स्वाभिमान होना चाहिए।

पखवाड़ा कार्यक्रमों का संचालन कंपनी के राजभाषा अधिकारी श्री सोरन सिंह ने किया।

दि ओरिएन्टल इंश्योरेन्स कम्पनी लि., इंदौर

14 सितम्बर 1990 से 21 सितम्बर 1990 तक हिन्दी सप्ताह अत्यन्त उत्साहपूर्वक मनाया गया। दिनांक 14-9-90 को क्षेत्रीय कार्यालय में अधिकारियों कर्मचारियों की एक गोष्ठी को क्षेत्रीय प्रबंधक ने सम्बोधित किया। सप्ताह के दौरान क्षेत्र के सभी मण्डल शाखा क्षेत्रीय कार्यालय के सभी कर्मचारियों एवं अधिकारियों के लिए 4 प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गयीं। दिनांक 19-9-90 को इंदौर मं.का.–2 के परिसर में उनके मण्डल व शाखा कार्यालय का सम्मिलित हिन्दी कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें भाषण प्रतियोगिता भी कराई गई।

"विविध-कार्यक्रम" के दौरान क्षेत्रीय प्रबंधक ने 25 लाख से अधिक का बीमा-व्यवसाय करने वाले तीन सर्वश्रेष्ठ विकास अधिकारियों को प्रशस्ति-पत्र प्रदान किए और हिन्दी प्रतियोगिताओं के पुरस्कार विजेताओं को प्रमाण-पत्र व पुरस्कार के उपहार-चैक प्रदान किए। क्षेत्रीय प्रबंधक श्री उमाशंकर चतुर्वेदी ने कहा कि हिन्दी की प्रगति के लिए आवश्यक है कि इसके बारे में बोला कम जाए और काम अधिक किया जाए।

राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबन्ध अकादमी राजेन्द्रनगर, हैदराबाद-500030

राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंध अकादमी में 14 सितम्बर, 1990 को श्रीमती जे. रेणका, श्रीमती पी. वी. निर्मला, श्रीमती बी. पदमा सरोजा और श्री आर. वी. गड्डगीमठ के स्वागत गान के साथ हिन्दी दिवस समारोह का आरम्भ हुआ। इस अवसर पर आमंत्रित मुख्य अतिथि उच्च शिक्षा और शोध संस्थान, दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा, हैदराबाद के प्रोफेसर एवं अध्यक्ष डा. कृष्ण कुमार गोस्वामी ने अपने ओजपूर्ण भाषण में राजभाषा हिन्दी से संबंधित विविध आयामों पर प्रकाश डालते हुए सभी कर्मचारियों से हिन्दी के बारे में सोचने और काम करने का आग्रह किया। उन्होंने बताया कि एक दिन हिन्दी दिवस मनाकर उसे नहीं भूलना चाहिए।

हिन्दी एक प्रांत की भाषा नहीं है, सारे भारत की भाषा है। विज्ञान में तकनीकी शब्दों के प्रयोग में पहले पहल कुछ कठिनाई हो सकती है मगर कुछ ही समय के प्रयोग के बाद आसान लगेगी। विज्ञान की पढ़ाई जनता की भाषा में हो, तो विज्ञान जनता तक पहुंचेगी और देश की जनता में वैज्ञानिक चेतना आयेगी। इस अवसर पर उन्होंने अकादमी द्वारा प्रकाशित 1989–90 की हिन्दी वार्षिक रिपोर्ट का विमोचन किया।

कार्यक्रम की अध्यक्षता अकादमी के निदेशक डा. के. वी. रामन ने की। उन्होंने बताया कि इस प्रकार के समारोह के आयोजन से राष्ट्रीय इतिहास के उस महत्त्वपूर्ण घटना की पावन स्मृति होगी और इस अवसर पर हिन्दी के तत्परता से कार्यान्वयन में लग जाने का संकल्प किया जाएगा। अतः 14 सितम्बर को हिन्दी दिवस मनाना आवश्यक है। देश की एकता और अखंडता को बनाये रखने के लिए एक ही राज-भाषा की आवश्यकता है। वह स्थान भारत में हिन्दी के लिए प्राप्त है। उन्होंने बताया कि अहिन्दी भाषी क्षेत्र के लोगों के लिए हिन्दी के सीखने में लिपि की कठिनाई का भी सामना करना पड़ रहा है। अगर सारे भारत के लिए एक ही लिपि होती, तो शायद सभी अन्य भाषाओं के लोग भी हिन्दी जल्दी सीख लिए होते। अहिन्दी भाषी लोग भी खासकर व्यापार के क्षेत्र के लोग अपने अस्तित्व के लिए संपर्क भाषा

हिन्दी सीख रहे हैं । उन्होंने बताया कि देश के दूसरे प्रांतों और लोगों से संपर्क स्थापित करने के लिए हमारे देश के सभी लोगों को हिन्दी सीखने की आवश्यकता है। राष्ट्रभाषा और राजभाषा के रूप में हिन्दी का तेजी से विकास हो रहा है और होगा भी।

डा. के. वी. रामन, निदेशक ने इस अवसर पर आयोजित निबंध प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार वितरित किये। हिन्दी शिक्षण योजना द्वारा आयोजित प्रबोध और टंकण परीक्षाओं में उत्तीर्ण कर्मचारियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। उन्होंने बताया कि अक्तूबर, 1990 से आरंभ होने वाले बुनियादी पाठ्यक्रम के उन प्रशिक्षणार्थियों के लिए, जिनका हिन्दी का बिल्कुल ज्ञान नहीं है, हिन्दी एकक का सहायता से बोलचाल की हिन्दी का पाठ्यक्रम चलाया जाएगा।

डा. देवेश किशोर, प्रभारी अधिकारी (हिन्दी) ने गतवर्ष में अकादमी द्वारा हिन्दी प्रयोग में की गई प्रगति का ब्यौरा देते हुए बताया कि अकादमी के विभागीय स्तर पर प्रशिक्षित 11 कर्मचारियों में से 9 कर्मचारी हिन्दी शिक्षण योजना द्वारा जनवरी, 1990 में आयोजित हिन्दी टकण परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। इन में 8 कर्मचारियों को 90 से अधिक अंक प्राप्त हुए। अकादमी के आलिशुपिकों को भी विभागीय स्तर पर हिन्दी टाइपिंग प्रशिक्षण दिया जा रहा है । अकादमी के प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण सामग्री द्विभाषी रूप में देने हेतु कुछ व्याख्यान लेख हिन्दी में अनूदित हैं और अन्यों का भी अनुवाद हो रहा है । अकादमी की राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंध अकादमी समाचार अंग्रेजी के साथ हिन्दी में भी प्रकाशित किया जा रहा है । वार्षिक रिपोर्ट को हिन्दी में भी प्रकाशित किया जा रहा है।

समारोह के आरंभ में अकादमी के कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक श्री डी. वेंकटेश्वर्लु ने बताया कि 14 सितम्बर, 1949 को भारत सरकार द्वारा हिन्दी को राजभाषा घोषित किये जाने के कारण हर साल 14 सितम्बर को हिन्दी दिवस मनाया जा रहा है। हिन्दी दिवस मनाने का उद्देश्य हिन्दी के प्रयोग की स्थिति की समीक्षा करना और हिन्दी में अधिकाधिक काम करने का संकल्प करना है।

श्री प्रभाकर गोविंदराव कोहाड, वरिष्ठ लिपिक के धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यक्रम समाप्त हुआ।

इंडियन फारमर्स फर्टिलाइजर को .आ.लि०, नई दिल्ली

इफको मुख्यालय में 14–21 सितम्बर, 1990 का सप्ताह हिन्दी सप्ताह के रूप में मनाया गया। अन्य कार्यक्रमों के अलावा इस वर्ष एक नई प्रतियोगिता "कहानी व्यंग्य लेखन प्रारंभ की गई जिसमें मुख्यालय विपणन प्रभाग के आंवला परियोजना दिल्ली के लगभग 25 अधिकारियों/कर्मचारियों ने भाग लिया और अपनी मौलिक प्रतिभा का परिचय दिया। श्री ईश्वर चन्द्र झा, सहायक इंजीनियर की कहानी "यथावत्" सर्वश्रेष्ठ पाई गई।

सप्ताह का उद्घाटन कार्यकारी निदेशक (वित्त) श्री एम. के. टंडन ने किया। उद्घाटन भाषण में उन्होंने सभी अधिकारियों कर्मचारियों से आग्रह किया कि वे अपना कामकाज हिन्दी में करें।

वाद-विवाद प्रतियोगिता का एक दृश्य

कार्यकारी निदेशक (वित्त) ने लेखा विभाग और आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के राजभाषा विभाग के अनुरोध का हवाला देते हुए कहा कि हमें ऐसे प्रयास करने चाहिए जिससे हर क्षेत्र में हिन्दी का प्रयोग बढ़े। इससे पूर्व महाप्रबंधक (आंवला परियोजना) श्री एस. पी. गुप्ता ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया और इफको में हिन्दी में किए जा रहे विशेष कार्यों का हवाला दिया।

सभी अधिकारियों कर्मचारियों ने फिल्म डिवीजन एवं राजभाषा विभाग द्वारा निर्मित वृत्तचित्र "हिन्दी की वाणी" की सराहना की। इस वर्ष की एक अन्य विशेषता कर्मचारियों के बच्चों और उनके परिवार के आश्रित सदस्यों के लिए हिन्दी प्रतियोगिताओं का आयोजन था। "वर्तमान संदर्भ में महिलाओं की भूमिका", "हमारा भारत सुन्दर" "बच्चों का भविष्य मां-बाप बनाते हैं ?" "छात्रों का राजनीति में प्रवेश उचित अनुचित" ? व "दूरदर्शन शिक्षा में सहायक है ?" जैसी निबंध एवं वाद-विवाद प्रतियोगिताओं में बच्चों और बड़ों ने बड़े उत्साह से भाग लिया।

इन प्रतियोगिताओं के अलावा एक काव्य संध्या का भी आयोजन किया गया जिसमें देश के चोटी के कवियों को आमंत्रित किया गया। सर्वश्री अशोक चक्रधर, गोविन्द व्यास, ओमप्रकाश आदित्य, जैमिनी हरियाणवी, अनिल प्रियदंशी, मक्खन मुरादाबादी व सुश्री नूतन कपूर ने अपनी हास्य-व्यंग्य की रचनाओं से श्रोताओं को मंत्र-मुग्ध कर दिया ।

कृभको, नई दिल्ली

सूरत स्थित कृषक भारती कोआपरेटिव लिमिटेड में राजभाषा कार्यान्वयन समिति, के सक्रिय सहयोग से हिन्दी सप्ताह एवं हिन्दी दिवस का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में स्लोगन-सूत्रवाक्य, पोस्टर-रेखाचित्र, निबन्ध, वाद-विवाद मसौदा लेखन इत्यादि प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया और संयंत्र कार्यालय में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए, अधिकारियों द्वारा हिन्दी में डिक्टेशन देने के लिए और केवल टी.वी. द्वारा प्रदर्शित राजभाषा संबंधी फिल्मों की प्रश्नोत्तरी इत्यादि योजनाओं को लागू किया गया । स्लोगन-सूत्रवाक्य में 82, पोस्टर-रेखाचित्र में 19, निबन्ध में 33, वाद विवाद में 12, मसौदा लेखन में 30, हिन्दी का प्रयोग 80, राजभाषा प्रश्नोत्तरी में 11, हिन्दी में हस्ताक्षर करने वाले 160, कुल मिलाकर 427 प्रतिभागियों ने भाग लिया ।

कृषक भारती का अभियान, हिन्दी भाषा का समुचित ज्ञान

दिनांक 14 सितम्बर, 1990 को "हिन्दी दिवस" का आयोजन किया गया । परिचालन-निदेशक श्री एच.एस. कोहली का राजभाषा कार्यान्वयन समिति की ओर से श्री के. डार ने पुष्पों से स्वागत किया ।सदस्य सचिव श्री एम.एम. शर्मा ने इस वर्ष का हिन्दी प्रचार-प्रसार का लेखा-जोखा प्रस्तुत किया ।

अध्यक्ष श्री एच.एस. कोहली ने कहा कि एक समय था जब ऐसे समारोह में केवल 15 से 20 व्यक्ति ही उपस्थित हुआ करते थे और आज इस जन-समूह को देखकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। हिन्दी का विकास किसी का निजी स्वार्थ नहीं, राष्ट्र सेवा का कार्य है । पारितोषिक वितरण श्री एच.एस. कोहली, श्री के.एल. शर्मा और श्री के. डार ने किया । इस वर्ष सर्वाधिक हिन्दी कामकाज के लिए कार्मिक एवं प्रशासन विभाग को प्रथम पुरस्कार स्वरूप एक रनिंग शील्ड प्रदान की गई । सामग्री विभाग तथा भंडार-क्रय दोनों द्वारा किये गये सर्वाधिक हिन्दी कामकाज को दृष्टिगत रखते हुए तीसरे वर्ष भी रनिंग शील्ड प्रदान की गई । वित्त एवं लेखा विभाग को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ और इस विभाग को भी रनिंग शील्ड प्रदान की गयी। विद्युत विभाग एवं उपकरण विभाग को संयुक्त कप प्रदान किया गया ।

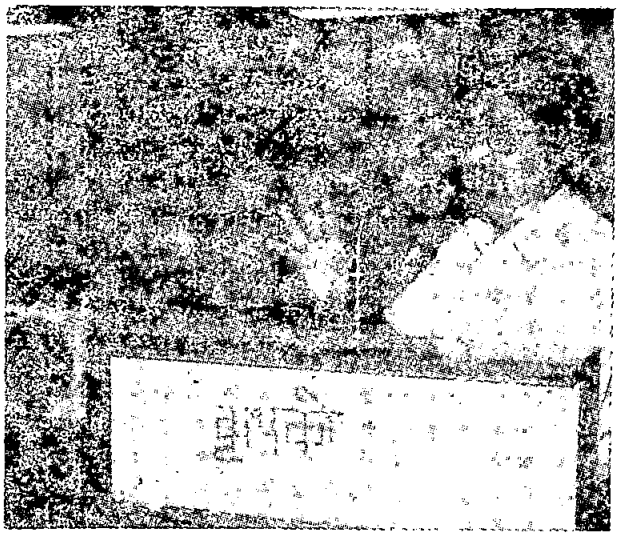

सूरत समारोह को सम्बोधित करते हुए परिचालन निदेशक श्री एच.एस. कोहली

राजभाषा कार्यान्वयन समिति के निर्णय अनुसार श्री एम.एम शर्मा, सदस्य-सचिव को हिन्दी के प्रति विशेष प्रेम और इसके कामकाज के प्रसार-प्रचार के लिए किये गये प्रयासों की सराहना के लिए एक कप प्रदान किया गया । निबन्ध, वादविवाद, मसौदा, लेखन, स्लोगन-सूत्रवाक्य, पोस्टर-रेखाचित्र इत्यादि प्रतियोगिताओं के निम्नलिखित विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए :—

सर्वश्री वी.के. वर्मा, विष्णु अग्रवाल, वी०एस० , जाधव, बी.वी. झाला, एच.के. शुक्ल, आर.के. गांधी, के.आर. यादव, कुमारी सिमला त्रिवेदी, वी.एन. राय, किरण चावड़ा, शशांक बक्षी, सुनील जैन, डी.एन. वर्मा, एस.आर. राणा, एन.जी. व्यास, जी.पी. पटेल, किशन सोनी, बी.बी. कोशिक, एन.सी. सोनी, पी.सी. तनवर, संदीप टंडन, ए.के. टंडन, बी.बी. राय, प्रफुल्ल कंसारा, जे.सी. पटेल और डी.सी. पटेल ।

हिन्दी में सर्वाधिक काम करके पुरस्कार प्राप्त करने वालों की सूची इस प्रकार है :—

सर्वश्री सुनील जैन, शत्रुजीत सिंह, एस.आर. राणा, डी.बी. देसाई, नन्दलाल, मनीराम, रामेश्वर दयाल, एन.एन. पटेल, आर.सी.आनन्द, पी.जी. शेठ, ए.डी. भट्ट, पी.पी. नकुम, एस.चे. खान, डी.यू. पंचाल, पी. अप्पाराव, ए.सी. कक्कड़, जैड.एन. सुथारिया, पी.एफ परिख, भगवती प्रसाद, एन.सी. सोनी, एस.जे. भंडारी, के. के. भाटला, के. जी. पटेल, सज्जन सिंह रावत,

ए.एस. खरोशे, मंगन भाई, देवेन्द्र कुमार, एम.ए. पटवा, वी.सी. मिस्त्री, संजय जैन, डी.पी. पटेल और पी.जे. जानी ।

श्री बी.पी. श्रीवास्तव, प्रबन्धक (का एवं प्रशा) ने सभी को धन्यवाद दिया ।

भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लि. नई दिल्ली

भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड, द्वारा आयोजित "हिन्दी सप्ताह" के कार्यक्रमों के अंतर्गत अशोक एस्टेट, नई दिल्ली में "हिन्दी दिवस" की पूर्व संध्या पर एक श्रेष्ठ काव्य प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रतियोगिता का उद्घाटन कार्यपालक निदेशक श्री चन्द्रमोहन गुप्ता ने किया। श्री गुप्ता ने इस अवसर पर राजभाषा हिन्दी की गरिमा को रेखांकित करते हुए हिन्दी में कार्य करने पर बल दिया ।

कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए कार्यपालक निदेशक श्री चन्द्रमोहन गुप्ता। साथ में (बाएं से) डॉ. शेरजंग गर्ग तथा बाल स्वरूप राही

काव्य प्रतियोगिता में पन्द्रह कर्मचारियों ने भाग लिया । देश की वर्तमान स्थिति में उभरी विसंगतियां कविताओं का मुख्य विषय रहीं।

निर्णायक मंडल के सर्वश्री राधेश्याम प्रगल्भ बालस्वरूप राही, विजय किशोर मानव ने क्रमशः "एक श्रीमती जी ने लकड़ी का चिमटा बनवाया" "राही है तेरा नाम तू खैयाम नहीं है" तथा "दरवाजे अपने हैं ताले गैरों के" जैसी लोकप्रिय तथा श्रेष्ठ रचनाएं प्रस्तुत की । कार्यक्रम के संचालक थे—डा. शेरजंग गर्ग ।

हिन्दुस्तान वनस्पति तेल लि. नई दिल्ली

निगम के पंजीकृत कार्यालय में दि. 14 सितम्बर, 1990, दिन शुक्रवार को "हिन्दी दिवस" समारोह का आयोजन किया गया । इसकी अध्यक्षता कार्यकारी निदेशक (प्रशा. एवं सर्त.) श्री पी.एस. हुडा ने की। प्रारम्भ में श्री सी. लाल, उप महाप्रबन्धक (प्रशा.) ने उपस्थित समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों का स्वागत किया ।

इसके बाद डा. राम मेहर सिंह विजयी, उप प्रबन्धक (रा.भा.) ने कहा कि प्रशासन विभाग द्वारा हिन्दी का पत्राचार यद्यपि बढ़ रहा है तथापि इसके लिए अन्य विभागों द्वारा हिन्दी पत्राचार को बढ़ाने की आवश्यकता है।

समारोह के अन्त में श्री एस.एम. सेठी, महाप्रबन्धक (प्रशा०) ने धन्यवाद प्रस्ताव पढ़ा ।

भारतीय यूनिट ट्रस्ट, बम्बई

ट्रस्ट के बंबई स्थित कार्यालयों में दिनांक 14 सितम्बर, 1990 को हिन्दी दिवस समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर ट्रस्ट के कर्मचारियों के लिए "भारत में पूंजी बाजार" विषय पर एक हिन्दी निबंध प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। ट्रस्ट के निम्न कर्मचारियों को निबंध प्रतियोगिता में पुरस्कार मिले।

प्रथम	श्री राकेश त्रिखा	रू. 500/-
द्वितीय	श्री अरूण सिंह	रू. 300/-
तृतीय	श्री अरुण ओहरी	रू. 200/-
प्रोत्साहन	श्री विजय माने	रू. 200/-

इसके अतिरिक्त ट्रस्ट के तीन कार्यालयों में कार्यक्रम का विवरण इस प्रकार है :—

जे बी पी डी कार्यालय

जे.बी. पी. डी. कार्यालय में राजभाषा विभाग के बम्बई स्थित हि. शि. यों. से श्रीमती इंदिरा पंडया, उप निदेशक ने स्टाफ सदस्यों को राजभाषा अधिनियम तथा हिन्दी के कार्यालयीन प्रयोग हेतु सरकारी क्षेत्र के संस्थानों में नियुक्त कर्मचारियों के कर्तव्यों के बारे में जानकारी दी।

कफ परेड कार्यालय

ट्रस्ट के कफ परेड स्थित दो कार्यालयों मेकर टावर्स और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के लिए संयुक्त समारोह वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कार्यालय में आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि राजभाषा विभाग के बंबई स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में सहायक निदेशक के पद पर कार्यरत श्रीमती मीना बरला थीं । अध्यक्ष श्री ए एन. पालवणकर, महाप्रबंधक (कार्मिक एवं प्रशासन) ने ट्रस्ट के हिंदी संबंधी कार्यकलापों से अवगत कराया। उन्होंने हिन्दी शिक्षण योजना द्वारा आयोजित प्राज्ञ परीक्षा में निजी रूप से बैठने वाले स्टाफ सदस्यों को बधाई दी और श्री अनिलकुमार ने धन्यवाद किया।

मरीन लाईन्स कार्यालय

मुख्य समारोह ट्रस्ट के मरीन लाईन्स स्थित मुख्य कार्यालय में हुआ इस अवसर पर डॉ एस. ए. दवे, अध्यक्ष ने ट्रस्ट के हिन्दी प्रचार सामग्री और अन्य हिन्दी मैन्युअलों द्विभाषिक फार्म्स आदि को दर्शाने वाली एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। ट्रस्ट के सभी वरिष्ठतम अधिकारी तथा

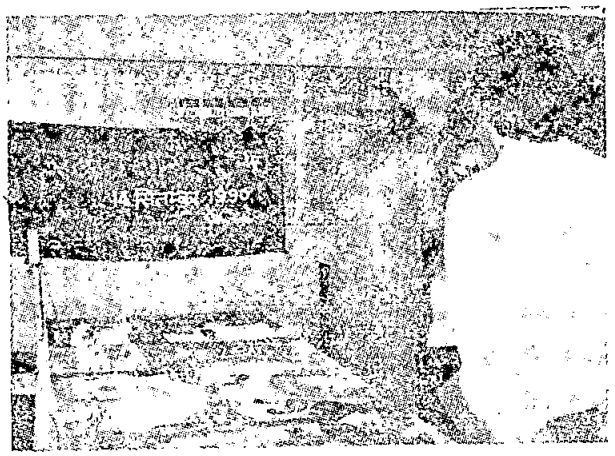

राजभाषा प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए अध्यक्ष डा. एस.ए. दवे तथा राजभाषा विभाग के उप-निदेशक (कार्यान्वयन) श्री कृष्ण नारायण मेहता

राजभाषा विभाग के बम्बई क्षेत्रीय कार्यालय के उपनिदेशक (कार्यान्वयन) श्री के. एन. मेहता इस अवसर पर उपस्थित थे। श्री ए. एन. पालवणकर, महाप्रबंधक ने उपस्थित वरिष्ठ अधिकारियों तथा मुख्य अतिथि का स्वागत किया। श्री पालवणकर ने ट्रस्ट द्वारा वचत कर्ताओं के पास तक पहुंचने के लिए हिन्दी के प्रयोग को आवश्यक बताया।

श्री के. जी. बांसल, मुख्य महाप्रबन्धक ने राजभाषा संबंधी संवैधानिक अपेक्षाओं को अपने व्यापार के हित में अनिवार्य बताया। उन्होंने बताया कि दोनों बार ट्रस्ट में संसदीय राजभाषा समिति निरीक्षण के समय ट्रस्ट के कार्यों से प्रभावित हुई। उन्होंने बताया कि ट्रस्ट के जयपुर कार्यालय में हिन्दी में प्राप्त होने वाले सभी पत्रों का उत्तर हिन्दी में ही दिया जाता है। श्री ए. पी. कुरियन, कार्यचालक न्यासी ने आत्मीयता को बढ़ाने के लिए हिन्दी के प्रयोग को अनिवार्य माना।

अध्यक्ष, डा. एस. ए. दवे ने कर्मचारियों से अधिक से अधिक हिन्दी का प्रयोग करने की अपील की। प्रदर्शनी के दौरान श्री कृष्णा नारायण मेहता द्वारा दिए गए सुझाव पर उन्होंने लेखन सामग्री, फार्म्स आदि को द्विभाषिक रूप से छपवाने पर जोर दिया ताकि हिन्दी का अधिकाधिक प्रयोग हो तथा लोग एकदम गुढ़ हिन्दी से घबडा न जायें।

अध्यक्ष महोदय ने इस अवसर पर घोषणा की अबसे सर्वश्रेष्ठ शाखा क्षेत्रीय कार्यालय को शील्ड देते समय हिन्दी के प्रयोग पर भी ध्यान दिया जाए तथा उन्होंने हिन्दी के प्रयोग पर कार्यालयों में "चल वैजयंती" नाम से नयी शील्ड दिए जाने की घोषणा की

श्री. के. एन. मेहता उपनिदेशक ने हिन्दी के कम प्रयोग और उसका मध्यम वर्ग पर प्रभाव इस संदर्भ में विचार रखे। उन्होंने नौकरी हेतु अंग्रेजी की अनिवार्यता और इसी कारण कार्यालयों में अंग्रेजी के वर्चस्व पर विचार रखे। उन्होंने कहा कि अगर मध्यम वर्ग का विकास करना है तो अंग्रेजी के वर्चस्व को समाप्त करना होगा।

राष्ट्रीय वस्त्र निगम लि., बम्बई

14 सितम्बर, 1990 को एन. टी. सी. (एम. एन.) लि., बम्बई कार्यालय में निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री के. एस. सिंधू की अध्यक्षता में हिन्दी दिवस समारोह का आयोजन किया गया। बम्बई हिन्दी विद्यापीठ के कुलपति डा. एम. डी. पराडकर, प्रमुख अतिथि के रूप में आमंत्रित थे। इस अवसर पर "हिन्दी निबंध प्रतियोगिता" तथा "काव्य गोष्ठी" का भी आयोजन किया गया। डा. लल्लन पाठक ने आमंत्रित अतिथियों का स्वागत किया।

डा. एम. डी. पराडकर ने अपने भाषण में उपस्थित अधिकारियों तथा कर्मचारियों से हिन्दी को व्यवहार में लाने का संकल्प करने के लिए अनुरोध किया।

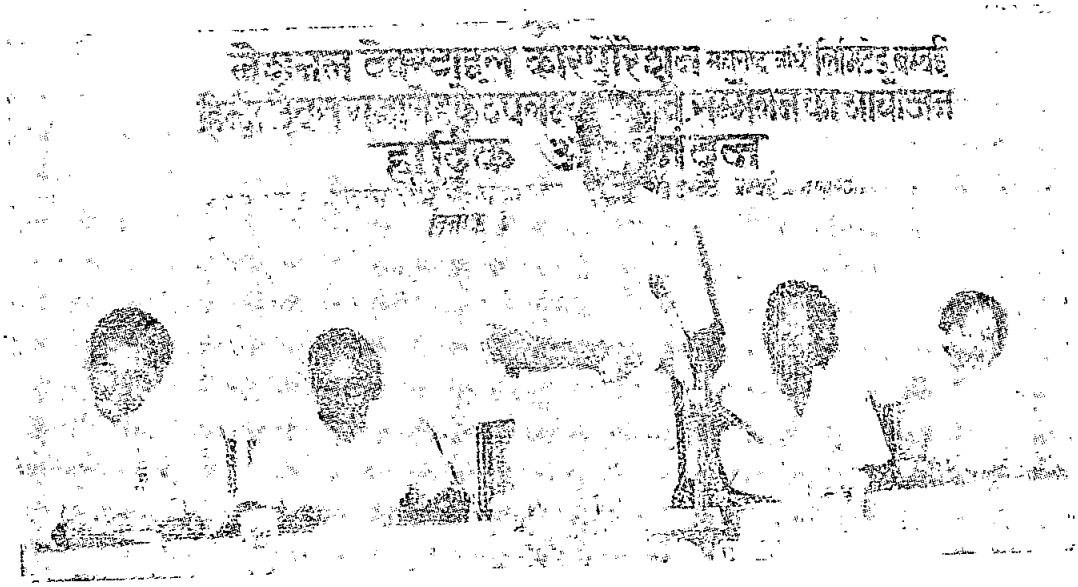

कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक श्री के.एस. सिंधू

हिन्दी निबंध प्रतियोगिता के विजेताओं तथा हिन्दी के प्रचार-प्रसार में सराहनीय योगदान देने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को श्रीमती हरपाल कौर सिधू ने पारितोषिक प्रदान किए जिसका ब्यौरा निम्नांकित है :

पुरस्कार विजेताओं के नामों की सूची

नाम	कार्य का ब्यौरा
1. श्री रमेशचन्द्र पोखरियाल, इंडिया यूनाइटेड मिल्स क्र. 1	"मनालि" पत्रिका जनवरी-मार्च, 90 में प्रकाशित सराहनीय हिन्दी तकनीकी लेख के लिए प्रमाणपत्र ।
2. राजेन्द्र जोशी, हिन्दी प्रतिनिधि, सावतराम रामप्रसाद मिल्स, अकोला	हिन्दी प्रचार प्रसार के लिए सर्वाधिक तथा सराहनीय कार्य के लिए प्रमाण-पत्र ।
3. श्री फूलचंद तिवारी, इंडिया यूनाइटेड मिल्स नं. 1	–यथोपरि–

14 सितम्बर, 1990 हिन्दी दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित हिन्दी निबंध लेखन प्रतियोगिता के विजेताओं को नकद पुरस्कार:—

प्रथम स्थान:—श्री डी.के. काम्बले, इंदु नं. 5

द्वितीय स्थान:—श्री जयशंकर सिंह, इंदु नं. 1

तृतीय स्थान:—श्री आर.एस.पांचाल, इंडिया यूनाइटेड नं. 2

राष्ट्रीय वस्त्रनिगम लि. नई दिल्ली

निगम में 10 सितम्बर, 90 से 14 सितम्बर, 1990 तक हिन्दी सप्ताह मनाया गया । इस सप्ताह के दौरान निगम में अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए दो कार्यशालाओं का आयोजन किया गया । इसके अतिरिक्त निबन्ध प्रतियोगिता, वाद-विवाद प्रतियोगिता, हिन्दी टाइपिंग प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया । समापन समारोह 18 सितम्बर, 1990 को "स्कोप काम्प्लैक्स" में आयोजित किया गया । इस अवसर पर वाद-विवाद प्रतियोगिता के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया और कर्मचारियों को प्रोत्साहन के रूप में पुरस्कृत किया गया ।

भारतीय कपास निगम लि. इन्दौर

दिनांक 17 सितम्बर, 1990 को निगम के शाखा कार्यालय, इन्दौर में "हिन्दी दिवस समारोह" का आयोजन किया गया । इसकी अध्यक्षता श्री सी. एस. तेवतिया, शाखा प्रबंधक ने की ।

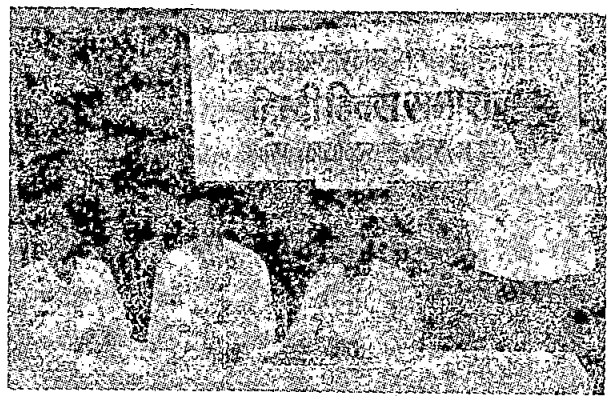

कार्यक्रम की एक झलक

इस अवसर पर "हिन्दी भाषण प्रतियोगिता" तथा "हिन्दी कविता, गीत, व्यंग रचना-गायन प्रतियोगता" आयोजित की गई । समारोह का संचालन श्री वीरेन्द्र चन्द्र शुक्ल, हिंदी अनुवादक ने किया ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा हिंदी कार्य के लिए विभिन्न नकद पुरस्कार तथा प्रशंसा-पत्र वितरित किए गए:—

हिन्दी नोटिंग ड्राफ्टिंग नकद पुरस्कार योजना, वर्ष 1989

नाम व पद	पुरस्कार
श्री पी. वी. देशमुख, वरिष्ठ सहायक (लेखा)	प्रथम
श्री रामप्रताप, कार्यालय प्रबंधक (सामान्य)	द्वितीय
श्रीमती इंदिरा पी. नायर, वरि. सहा. (सा)	द्वितीय
श्री राजेन्द्रकुमार जैन, कनिष्ठ सहा. (लेखा)	तृतीय
श्री दीपक पुरूषोत्तम ढवले, सहायक (लेखा)	तृतीय
श्री धीरेन्द्रकुमार मेहता, कार्यालय प्रबंधक (सा)	तृतीय
हिन्दी भाषण प्रतियोगिता	
श्रीमती ललिता सेंगर, आशुलिपिक (हिंदी)	प्रथम
श्री रामप्रताप, कार्यालय प्रबंधक (सामान्य)	द्वितीय
श्री श्यामबाबू चौहान, सहायक (सामान्य)	तृतीय
हिन्दी नोटिंग ड्राफ्टिंग नकद प्रोत्साहन शाखा स्तर	
श्री मनोहर तलवार, कार्यालय प्रबंधक (लेखा)	
श्री सुरेश मनोहर आप्टे, कार्यालय प्रबंधक (लेखा)	
श्री तुलसीराम गुप्ता, सहायक (सामान्य)	
श्री एम. वी. वर्गीस सहायक (सामान्य)	

अध्यक्ष महोदय ने पुरस्कार, प्राप्तकर्त्ताओं तथा समस्त अधिकारियों तथा कर्मचारियों को अपना अधिकांश कार्य राजभाषा हिंदी में करने के लिए आह्वान किया ।

.....जारी पृष्ठ 143

हिंदी कार्यशालाएं

दि न्यू इंडिया इंश्यूरेन्स कं० लि.
मदुरै

मद्रास प्रादेशिक कार्यालय द्वारा दिनांक 12 एवं 13 जुलाई, 1990 को मदुरै में हिन्दी कार्यशाला आयोजित की गई।

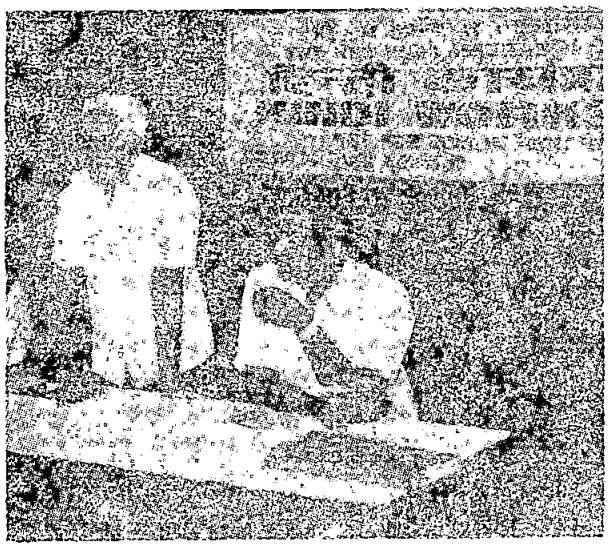

कार्यक्रम का एक दृश्य

कार्यशाला का उद्घाटन उप-प्रबंधक श्री के. एन. के. मेनन ने किया। श्री ब्रजनारायण प्रसाद, सहायक निदेशक, आय-कर मदुरै मुख्य अतिथि थे। स्वागत भाषण श्री एस. जे. सुरेन्द्रन मं. प्र. ने किया। कार्यशाला में 30 सहभागियों ने भाग लिया।

आकाशवाणी हैदराबाद

25-7-90 और 26-7-90 तक आयोजित दो दिवसीय कार्यशाला में लेखा, प्रशासन तथा कार्यक्रम अनुभाग के दस कर्मचारियों ने भाग लिया।

उद्घाटन करते हुए केन्द्र अभियंता श्री डी. वी. एस. मूर्ति ने कहा कि संविधान में हिन्दी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है तथा हिन्दी में काम करना हम सब का कर्त्तव्य है।

समापन समारोह की अध्यक्षता सहायक केन्द्र निदेशक डा. के. वी. गोपालम ने की। श्री गोपालम् ने कहा कि प्रति-

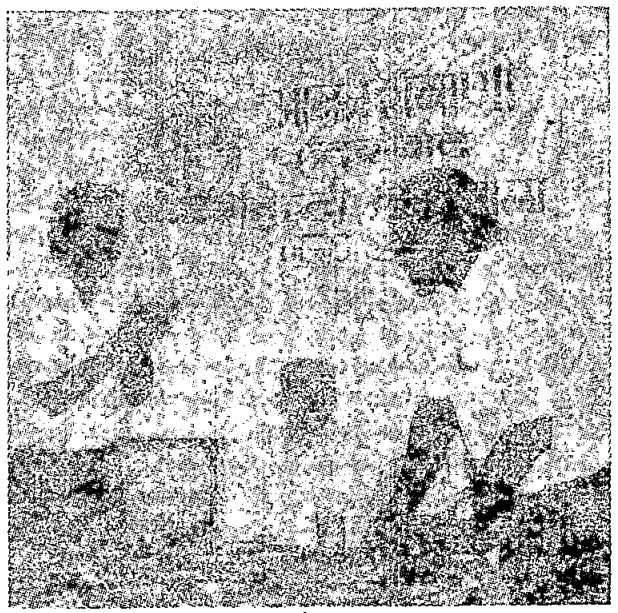

कार्यक्रम की एक झलक

भागियों ने बड़े उत्साह एवं रुचि से कार्यशाला में भाग लिया। इस प्रकार की कार्यशालाएं कर्मचारियों के लिए बहुत उपयोगी होती है। अतः प्रतिवर्ष स्टाफ के लिए ऐसी कार्यशालाएं चलाई जानी चाहिए।

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, पारादीप

पारादीप नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा दि. 8 जून, 1990 को आयोजित हिन्दी कार्यशाला में पारादीप पत्तन न्यास, दूर संचार विभाग, केनरा बैंक तथा केन्द्रीय विद्यालय के कर्मचारियों न भाग लिया।

पारादीप पत्तन न्यास एवं नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष श्री प्रसन्न कुमार मिश्र आई. ए. एस. मुख्य अतिथि थे। श्री मिश्र ने कहा कि न. रा. का. स. के द्वारा हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है और

पारादीप में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों और बैंकों के कर्मचारी इसका पूरा लाभ उठाएंगे। यह भी कहा कि केवल कार्यशाला में भाग लेने से ही हमारा मकसद पूरा नहीं होता। प्रत्येक कर्मचारी को चाहिए कि कार्यशाला के अनुभव को केवल कार्यशाला तक ही सीमित न रखकर अपने-अपने कार्यालयों में इस अनुभव का प्रयोग करने का प्रयास करें।

कार्यशाला का संचालन श्री सिद्धिनाथ झा, उप-निदेशक (कार्यान्वयन) पूर्वीक्षेत्र कलकत्ता ने किया। श्री झा ने कर्मचारियों को राजभाषा अधिनियम, नियम और नीति के संबंध में विस्तृत रूप से जानकारी दी। हिन्दी टिप्पण तथा प्रारूप लेखन का भी अभ्यास कराया।

हिन्दी कार्यशाला में भाग लेने वाले सभी कर्मचारियों को लेखन सामग्री भारतीय स्टेट बैंक द्वारा दी गयी। श्री शोबन कुमार पटनायक आई. ए. एस. सचिव, पारादीप पत्तन न्यास एवं सदस्य सचिव नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के द्वारा प्रमाण-पत्र प्रदान किये गए।

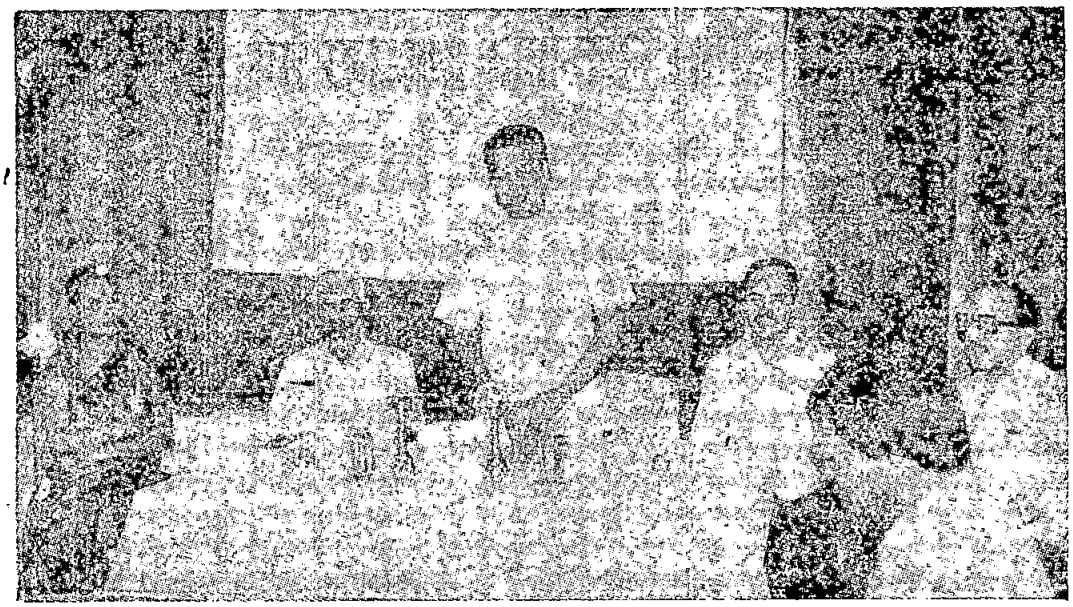

कार्यक्रम का एक दृश्य

बी.एच.ई.एल., अनपारा

अनपारा थर्मल पावर स्टेशन स्थित बी.एच.ई.एल. साइट कार्यालय 12 और 13 दिसम्बर 1990 को हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्घाटन श्री वीरेन्द्र कुमार चतुर्वेदी, उपमहाप्रबंधक, ने किया। श्री चतुर्वेदी ने कर्मचारियों और अधिकारियों से सरल बोल-चाल की भाषा का प्रयोग करने का अनुरोध किया। श्री प्रकाश नारायण, कार्यपालक अभियन्ता, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद, उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि थे।

श्री मदन मोहन, उपमहाप्रबधक उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् ने कार्यशाला में भाग लेने वालों को बताया कि भारत के लगभग 90 प्रतिशत लोग हिन्दी समझते हैं। परिषद् में लगभग 95 प्रतिशत कार्य हमने करना प्रारम्भ कर दिया है। अब बी एच ई एल में हिंदी को लागू किया जा रहा है, यह हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है।

समापन समारोह में विद्युत् परिषद् के महाप्रबधक प्रकार के कार्य हिंदी में करने पर बल दिया। कार्यक्रम का संचालन श्री अनिल भारद्वाज वरिष्ठ अभियन्ता ने किया।

मौसम विज्ञान विभाग, पुणे

मौसम विज्ञान के अपर महानिदेशक (अनुसंधान) के कार्यालय द्वारा पुणे स्थित सभी कार्यालयों हेतु 20 से 27 अगस्त 1990 तक पांच दिवसीय हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिसमें सरकारी काम-काज में अधिकारियों और कर्मचारियों को हिन्दी में विभिन्न विषयों पर टिप्पणी और मसौदा आलेखन हेतु प्रशिक्षित किया गया।

इस कार्यशाला में तकनीकी विषयों की जानकारी भारत मौसम विज्ञान विभाग के सर्वश्री बी. एस. लाम्बा, एम.एस. रावत, एस. सी. नागरथ, वी.आर. मिश्रा, एस.जी. भण्डारी, सहायक मौसम विज्ञानी, डा.पी.एल. भल्ला हिन्दी अनुवादक तथा सत्यनारायण तिवारी, यू.डी.सी. ने दी।

समारोह में हिन्दी शिक्षण योजना की सहायक निदेशिका श्रीमती आंशुमती दुनाखे भी आमंत्रित थी। उपमहानिदेशक श्री एस. व्ही. दातार ने प्रशिक्षणार्थियों को हिन्दी मसौदा और टिप्पण आलेखन सिखाने तक ही सीमित न रखते हुए उसे कार्यालय के कार्यों में अपनाने हेतु आह्वान किया ।

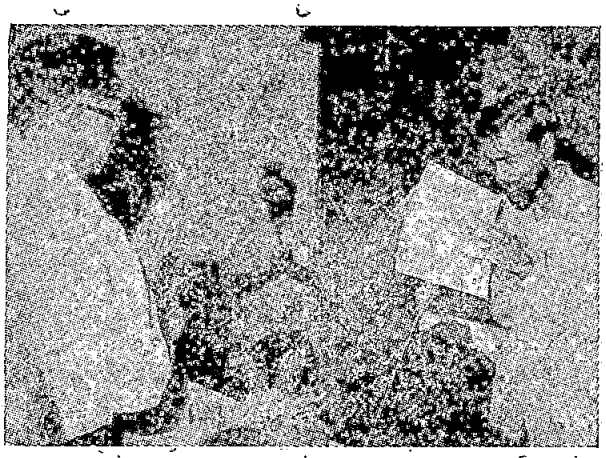

हिन्दी कार्यशाला के प्रमाणपत्र देते हुए मौसम विज्ञान विभाग के अपर महानिदेशक डॉ. हरिनारायण श्रीवास्तव

डॉ. हरिनारायण श्रीवास्तव अपर महानिदेशक ने प्रशिक्षणार्थियों की लगन की सराहना की। उन्होंने कहा कि इसकी सार्थकता जब सिद्ध होगी जब हमारे कार्यालय में ज्यादा कार्य हिन्दी में होगा और तकनीकी कार्य भी यथासंभव ज्यादा से ज्यादा कार्य हिन्दी में होगा। डॉ. प्रमिल लता भल्ला ने श्री वी.पी. काम्बले, प्रशासनिक अधिकारी के सहयोग की सराहना की।

भारतीय कपास निगम लि०, बठिंडा

निगम के शाखा कार्यालय बठिंडा में दिनांक 9-8-90 को हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिसका उद्घाटन कार्यालयी राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष श्री गुरशरणसिंह धीमन, शाखा प्रबन्धक, बठिंडा ने किया। कार्यशाला आधुनिक तरीके से आयोजित की गई। समिति अध्यक्ष के मार्ग दर्शन से इस कार्यशाला में भाग लेने वाले कर्मचारियों को चार समूह में रखा गया था। जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है।

हिन्दी कार्यशाला समूह का नाम	टीम/समूह का अध्यक्ष नेतृत्वकर्ता
1	2
सुभाष चन्द्र बोस टीम	श्री एस.सी. सरपाल, वरि.क. क्रय अधिकारी।
भगतसिंह टीम	श्री ओ.पी. खुराना, वरि.क. क्रय अधिकारी।
तिलक टीम	श्री वृज मोहन गुप्ता, वरि. सहायक (लेखा)
रानी झांसी की टीम	श्रीमती आशा गोयल, सहायक (सा.)

प्रत्येक समूह में चार-चार सदस्य थे। केवल तिलक टीम में पांच सदस्य थे। प्रत्येक टीम के समक्ष नम्बरवार हिन्दी-अंग्रेजी शब्द व अंग्रेजी-हिन्दी शब्द प्रश्न के रूप में रखे गये और फिर बारी-बारी दैनिक कामकाज में प्रयुक्त होने वाली नोटिंग प्रश्न के रूप में प्रत्येक टीम के समक्ष रखी गयी। इसके उपरान्त कार्यशाला के अंतिम चरण में निगम के कार्य (खरीदी/बिक्री) कपास आदि के विषय में सामान्य प्रश्नोत्तर हुए।

आयोजन की एक झलक

उपर्युक्त टीमों में 19 कर्मचारियों ने भाग लिया और प्रश्नोत्तर दिया । किसी भी टीम द्वारा किसी नोटिंग या शब्द का सही अर्थ न दिये जाने की स्थिति में समिति द्वारा निर्धारित संचालक श्री वेदप्रकाश शर्मा, कार्यालय प्रबन्धक (विक्रय) द्वारा उचित लिखित उत्तर अर्थ बता दिया जाता था। इस प्रकार सभी सदस्यों में अधिक से अधिक उत्तर देने/अर्थ बताने की जिज्ञासा थी।

इस तरह की प्रथम बार बठिंडा शाखा में आयोजित कार्यशाला से यह अनुभव किया गया कि इस तरह से हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किए जाने से अधिक लोग लाभान्वित होते हैं और कार्य करते समय होने वाली झिझक दूर होती है। इसके अंतिम निर्णायक श्री अनिल कुमार जैन, प्रबन्धक (लेखा) थे और अध्यक्ष पद पर शाखा प्रबन्धक आसीन थे। इस कार्यशाला में भाग लेने वाले कर्मचारियों के अलावा अन्य सभी उपस्थित अधिकारियों/कर्मचारियों ने भी लाभ उठाया । समिति ने इन भाग लेने वाले कर्मचारियों की होसलागुजारी व अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों

का हिन्दी में काम करने, रूचि लेने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए टीमों को नकद पुरस्कार निम्नानुसार दिये गये ।

टीम का नाम	पुरस्कार राशि
रानी झांसी टीम	300 रु.
तिलक टीम	200 रु.
भगतसिंह टीम	100 रु.
सुभाष टीम	100 रु.

ये पुरस्कार समिति अध्यक्ष एवं शाखा प्रबन्धक ने टीम के नेतृत्वकर्ता को प्रदान किये। इसके साथ ही अध्यक्ष ने वर्ष 1989-90 के हिन्दी नोटिंग-ड्राफ्टिंग पुरस्कार विजेताओं को पुरस्कृत किया :—

कर्मचारी/अधिकारी का नाम	स्थान	राशि
श्री अमरसिंह चौहान	प्रथम	400 रु.
श्री बृज मोहन गुप्ता	द्वितीय	200 रु.
श्री रामचंद्र शर्मा	तृतीय	150 रु
श्रीमती रेनू नेरुला	तृतीय	150 रु.
श्री अशोक कुमार रावत	तृतीय	150 रु.
श्री रघुनाथ शर्मा	तृतीय	150 रु.

केनरा बैंक मण्डल कार्यालय करनाल द्वारा प्रबन्धकीय संवर्ग के अधिकारियों के लिए हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन

केनरा बैंक के मण्डल कार्यालय करनाल के तत्वाधान में दो हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन प्रबन्धकीय संवर्ग के अधिकारियों के लिए करनाल में दिनांक 16 से 18 जुलाई 1990 तथा 19 जुलाई से 21 जुलाई 1990 तक किया गया। कार्यशाला का उद्घाटन श्रीमती रेणु एस. फुलिया ने किया तथा श्री एम.आर. रामनन्दन मण्डल प्रबन्धक करनाल ने अध्यक्षता की। राजभाषा अधिकारी श्री एस.के. तुली ने मुख्य अतिथि का परिचय दिया तथा केनरा बैंक द्वारा राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धियों का जिक्र करते हुए एक संक्षिप्त रिपोर्ट प्रस्तुत की।

श्रीमती रेणु एस. फुलिया ने केनरा बैंक द्वारा राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में किये जा रहे प्रयासों की प्रशंसा करते हुए बैंक का काम सरल तथा सुबोध हिन्दी में करने की प्रेरणा दी तथा कार्यशालाओं के अन्त में अधिकारियों के साथ समूह चर्चा की गयी तथा कठिनाइयों का निराकरण तत्काल किया गया । समापन समारोह की अध्यक्षता श्री एस. के. तुली राजभाषा अधिकारी ने की । उन्होंने समाप्त भाषण में प्रतिभागियों को अपना दायित्व संभालने के लिए कहा।

यूको बैंक इन्दौर

मंडल कार्यालय इंदौर द्वारा 9 वीं दो दिवसीय 30 एवं 31 जुलाई 1990 को हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया, इसमें 15 संवर्ग अधिकारी तथा 6 विशेष सहायक सम्मिलित हुए। आरम्भ में राजभाषा अधिकारी हरेराम बाजपेयी ने भारत सरकार की राजभाषा नीति, कार्यशाला आयोजन एवं महत्व तथा इस संदर्भ में इंदौर मंडल की प्रगति पर प्रकाश डाला।

मुख्य अतिथि डॉ. गणेशदत त्रिपाठी ने अपने उद्बोधन में कहा कि आज व्यक्ति कुंठा और संत्रास में जी रहा है वह अपनी मूल संस्कृति भुला चुका है और आज की विद्या मात्र अर्थोपार्जन के लिये ही रह गई है। हमारे मूल विचार "सा विद्या या विमुक्ताए" से बहुत दूर जा चुकी है—इस कुंठा और संत्रास के वातावरण में हमारी भाषा भी कुंठित हो चुकी है। और हम अपनी हिन्दी की मूल आंखों पर अंग्रेजी का चश्मा पहन कर चलने में गौरव का अनुभव कर रहे हैं।

श्री त्रिपाठी ने यूको बैंक द्वारा राजभाषा हिन्दी के प्रयोग प्रगति पर प्रसन्नता जाहिर की व प्रशंसा की। अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में मंडल प्रबन्धक श्री पी.डी. लालवानी ने कहा कि यह सर्वमान्य तथ्य है कि ग्राहकों की बेहतर सेवार्थ हिंदी अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि इंदौर मंडल सतत् प्रगतिगामी रहा है। फिर भी पत्राचार आदि में हिन्दी की वृद्धि कर वार्षिक लक्ष्य प्राप्ति हेतु सभी को प्रयास करने होंगे।

भारतीय कपास निगम लि., इंदौर

शाखा कार्यालय इंदौर में कार्यालयीन कर्मचारियों के लिए "हिन्दी कार्यशाला" दिनांक 10-8-90 को श्री सी. एस. तेवतिया, शाखा प्रबन्धक की अध्यक्षता में हुई।

कार्यशाला में 2 अधिकारियों तथा 9 कर्मचारियों ने भाग लिया। कार्यशाला के दौरान दिये गये व्याख्यान तथा जानकारी से सभी लाभान्वित हुये।

श्री सी.एस. तेवतिया, शाखा प्रबन्धक एवं अध्यक्ष रा.का.स. ने सभी को शत-प्रतिशत कार्य राजभाषा हिन्दी में करने के लिये आह्वान किया। उन अहिन्दीतर भाषी कर्मचारियों को विशेष धन्यवाद दिया, जो अपना अधिकांश कार्य हिंदी में करते हैं।

आकाशवाणी, भोपाल

'हिन्दी का विकास ऐसे किया जाये कि वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सब तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। हिंदी का स्वरूप, उसके जीनियस को कायम रखते हुए उसकी शब्द-सम्पदा को बढ़ाना है—ये उदगार राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय (भारत सरकार) के उपनिदेशक राजभाषा श्री चन्द्रगोपाल शर्मा के थे जो उन्होंने आकाशवाणी भोपाल राजभाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा आयोजित त्रिदिवसीय हिंदी कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए व्यक्त किये। कार्यक्रम की अध्यक्षता केन्द्र निदेशक एल.डी. मंडलोई ने की तथा संचालन किया हिन्दी अधिकारी श्री खगेश्वर प्रसाद ने। समिति के सदस्य-सचिव व हिन्दी अधिकारी ने आकाशवाणी भोपाल में राजभाषा हिन्दी के क्रियान्वयन की जानकारी देते हुए कार्यशाला का महत्त्व निरुपित किया।

क्षेत्रीय भविष्यनिधि आयुक्त, उत्तर प्रदेश, कानपुर

10 अगस्त 1990 को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त कार्यालय उत्तर प्रदेश द्वारा चलायी जा रही त्रिदिवसीय हिंदी कार्यशाला 8 से 10 अगस्त 1990 का समापन समारोह हुआ। मुख्य अतिथि श्री वी.ए. रेड्डी क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने कर्मचारियों का आह्वान किया कि वे अधिकाधिक कार्य हिन्दी में करें।

अध्यक्ष सहायक भविष्य निधि आयुक्त श्री पी.डी. साँखला ने हिंदी कार्यशालाओं के व्यावहारिक पक्ष पर प्रकाश डालते हुए कर्मचारियों से अपना दैनिक कार्यलयीन कार्य हिन्दी में करने का आह्वान किया। तीन दिनों तक चलने वाली कार्यशाला के अन्तिम दिन सभी प्रशिक्षुओं को श्री रेड्डी क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने प्रमाण-पत्र प्रदान किये। कार्यशाला में कार्यालय के सत्रह कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया।

पावर इंजीनियर्स ट्रेनिंग सोसायटी, नई दिल्ली

पावर इन्जीनियर्स ट्रेनिग सोसाइटी, नागपुर में "ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन" पर 26 सप्ताह के पाठ्यक्रम का 16 जुलाई 1990 को मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मण्डल के अध्यक्ष श्री पी.एल. नेने ने उद्घाटन किया। पहली बार यह पाठ्यक्रम मध्य प्रदेश विद्युत मण्डल के 40 ग्रेजुएट इन्जीनियरों के लिए आयोजित किया गया है। इस अवसर पर श्री गं बा धमाले, मुख्य अधीक्षक (प्रशिक्षण) ने मुख्य अतिथि तथा मध्य प्रदेश विद्युत मंडल, गुजरात विद्युत मण्डल, नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन, महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडल और पावर इन्जीनियर्स ट्रेनिग सोसाइटी के विशिष्ट प्रतिनिधियों का स्वागत किया।

पावर इंजीनियर्स ट्रेनिंग सोसायटी के ताप विद्युत केन्द्र कार्मिक प्रशिक्षण संस्थान, नागपुर द्वारा मध्य प्रदेश विद्युत मण्डल ग्रेजुएट इंजीनियर्स के लिए "ट्रांसमीशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन पर 26 सप्ताह के पाठ्यक्रम का आयोजन : अधिकांश प्रशिक्षण हिन्दी माध्यम से हुआ।

उपभोक्ता की मांग भी दिन-प्रति-दिन अबाधित विद्युत आपूर्ति के लिए बढ़ती जा रही है जिससे कि उन की मशीनरियों और घर में प्रयुक्त होने वाले उपकरणों की कार्यक्षमता और सुरक्षा कम न हो। उपभोक्ता के लिए ई.एच.वी. ट्रांसमिशन की जानकारी नाजुक उपकरणों की सुरक्षा और कार्यक्षमता में सहायक होती है और यही कारण है कि एच.आर.डी. ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर के विकास की ओर ध्यान दिया जाना आवश्यक है। मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल तथा पावर इंजीनियर्स ट्रेनिग सोसाइटी के संयुक्त प्रयासों से नागपुर संस्थान पहला दीर्घावधि का टी एंड डी पर इन्डेक्शन लेबल कोर्स करने की स्थिति में है। पाठ्यक्रम श्री पी० एल० नेने, अध्यक्ष, मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल, श्री ए० एल० पाण्डया, मुख्य अभियन्ता (प्रशिक्षण) मध्य प्रदेश, राज्य विद्युत मण्डल, श्री जी० बी० धमाले, मुख्य अधीक्षक (प्रशिक्षण), पैट्स, नागपुर के अधिकारियों के प्रयासों के कारण संभव हो सका है।

इन 26 सप्ताहों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान फिल्मों, दृश्य श्रव्यों, फील्ड निरीक्षणों तथा ऑन जाव प्रशिक्षण के आधार पर कक्षाएं लगाई गईं।

बैंक आफ बड़ोदा, नई दिल्ली

हिन्दी न जानने वाले कर्मचारियों के लिए दिवसीय गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम

अंचल राजभाषा कक्ष, द्वारा 7, अगस्त से 21 अगस्त, 1990 तक एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया,

प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारम्भ, हिंदी शिक्षण योजना गृह मंत्रालय, भारत सरकार के उपनिदेशक, प्रशिक्षण (उत्तर) श्री आर. सी. सिंह ने किया।

अंचल कार्यालय की ओर से मुख्य प्रबन्धक (ऋण) श्री एम. जे. अग्नी ने प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपस्थित स्टाफ-सदस्यों को दिन-प्रतिदिन के कार्यालयीन कार्य में हिन्दी का अधिकतम प्रयोग करने एवं विभिन्न प्रतियोगिताओं में अपने बैंक को अग्रणी रखने के लिए अपना महत्त्वपूर्ण योगदान देने के लिए अभिप्रेरित किया।

अन्त में, एक लिखित परीक्षा भी रखी गई थी। समापन सत्र में प्रशिक्षणार्थियों से कार्यकारी मुख्य प्रबन्धक (कार्यालय-प्रशासन) श्री एस. के. साही ने बातचीत की एवं स्टाफ-सदस्यों के भाषा संबंधी ज्ञान का आकलन किया। बातचीत के दौरान सभी स्टाफ-सदस्यो ने इस प्रकार के आयोजन को बहुत उपयोगी बताया।

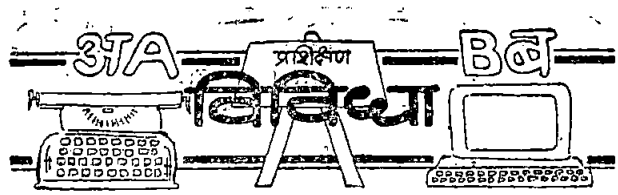

राजभाषा विभाग, (तकनीकी कक्ष)

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, नई दिल्ली—प्रयोक्ता विभागों को कंप्यूटरों पर हिन्दी में काम कर सकने का प्रशिक्षण दे रहा है। नवम्बर, 1990 से 31 मार्च, 1991 की अवधि के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र ने अपने प्रयोक्ताओं के लिए "वर्ड प्रोसैसिंग और डाटा एंट्री" तथा हिन्दी बेस डिजाइन संकल्पनाओं से संबंधित आठ प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की घोषणा की है। इन पाठ्यक्रमों का माध्यम हिन्दी रहेगा और पाठ्यक्रम की सामग्री भी हिन्दी में होगी। प्रशिक्षण पाठ्यक्रम निम्नप्रकार हैं:—

माह	तिथि	पाठ्यक्रम का कोड	शीर्षक
नवम्बर, 95	12–16	एच 1.0	हिन्दी में वर्ड प्रोसेसिंग और डाटा एंट्री
दिसम्बर	10–14		हिन्दी डाटाबेस डिजाइन संकल्पना व पद्धति
जनवरी 1991	7-11	एच 2.0	हिन्दी में वर्ड प्रोसेसिंग व डाटा एंट्री
जनवरी	21-25	एच 1.0	हिन्दी डाटा बेस डिजाइन संकल्पना व पद्धति
फरवरी	4-8	एच 2.0	हिन्दी में वर्ड प्रोसैसिंग व डाटा एंट्री
फरवरी	18-22	एच 1.0	हिन्दी में डाटा बेस का प्रयोग
मार्च	4-5	एच 3.0	हिन्दी वर्ड प्रोसैसिंज व डाटा एंट्री
मार्च	18-22	एच 1.0	

विस्तृत जानकारी के लिए निम्न पते पर संपर्क करें:—प्रशिक्षण संभाग, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, ए ब्लाक, सीजीओ काम्पलैक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003, फोन: 361475।

रेलवे सूचना प्रणाली केन्द्र (क्रिस), चाणक्यपुरी नई दिल्ली-110021

रेलवे सूचना प्रणाली, केन्द्र, नई दिल्ली ने जिस्ट तकनीक के द्वारा कंप्यूटरों पर हिन्दी में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शुरू किए हे, जो निम्न प्रकार ये:—

क्रम सं०	पाठ्यक्रम नाम	अवधि
1.	माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड एस डब्ल्यू एप्लीकेशंस (वर्डस्टार, लोटस डी बेस थ्रलस)	8-12 अक्तूबर, 1990
2.	माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड साफ्टवेयर एप्लीकेशंस (जिस्ट तकनीक के द्वारा हिन्दी में)	15-17 अक्तूबर, 1990
3.	युनीक्स एंड यूनीफ्राई	12-13 नवम्बर, 1690
4.	कंम्प्यूटर एप्रीसिग्रशन कोर्स	3-7 दिसम्बर, 1990
5.	—वही—	17-21 दिसम्बर, 1990

वर्ष 1991

जिस्ट तकनीक द्वारा माइक्रो प्रोसेसर आधारित साफ्टवेयर का हिन्दी में प्रयोग	4-6 फरवरी 13-15 मई 10-12 जून 15-17 जुलाई 5-7 अगस्त 16-18 सितम्बर 30 सितम्बर-3 अक्तूबर 4-7 नवम्बर

प्रत्येक प्रशिक्षण कार्यक्रम पूर्णकालिक होगा जिसके लिए प्रशिक्षण शुल्क रु. 800 है। इस शुल्क में आवासीय सुविधा उपलब्ध नहीं है, परन्तु प्रशिक्षण सामग्री, दोपहर का भोजन, चाय इत्यादि पर आने वाला खर्च इसमें सम्मिलित हैं। प्रशिक्षण शुल्क का भुगतान चैक द्वारा किया जाए जो कि 'क्रिस' नई दिल्ली को देय हो। प्रशिक्षण कार्यक्रम ठीक 9.30 बजे सुबह 'क्रिस' परिसर में आरंभ होंगे जिसका पता निम्न प्रकार है:—

रेलवे सूचना प्रणाली केन्द्र, चाणक्य पुरी,
(चाणक्य सिनेमा के पास) नई दिल्ली—110021

समाचार दर्शन

आयकर अधिकारी आदेश हिन्दी में ही करेंगे।

कानपुर, केन्द्रीय प्रत्यक्षकर बोर्ड के अध्यक्ष त्रिलोकी नाथ पांडेय ने अधिकारियों से आह्वान किया कि **आयकर अधिकारी हिन्दी में अधिक से अधिक कार्य करें तथा कर निर्धारण सहित सभी आदेश सिर्फ हिन्दी भाषा में ही करें।** इससे जहां हिन्दी का विकास होगा वहीं सभी सरकारी कार्यालयों में पूर्णतया हिन्दी में कार्य शुरु हो जायेगा।

श्री पांडेय आयकर भवन में दिनांक 7-9-90 को आयोजित समारोह में आयकर दीपिका पत्रिका का विमोचन कर रहे थे। श्री पांडे ने पत्रिका के विमोचन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए कहा कि कानपुर के अधिकांश सरकारी कार्यालयों में हिन्दी में कार्य हो रहा है जो एक शुभ लक्षण है।

इस अवसर पर मुख्य आयकर आयुक्त श्री जी. सी. अग्रवाल ने अपने विचार रखते हुए स्पष्ट किया कि हिन्दी भाषा क्षेत्र के लिए हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए प्रयास करने की बात हास्यास्पद है। उन्होंने तीन माताओं का उदाहरण देकर सभी में हिन्दी के प्रति अत्यन्त श्रद्धा का संचार किया, वे है --मातृभूमि भारत, दूसरी जन्म देने वाली मां और तीसरी मातृभाषा हिन्दी। हिन्दी के प्रति मातृत्व भावना रखने वाला हिन्दी की उपेक्षा कैसे कर सकता है।

आयकर निदेशक डा० प्रेम प्रकाश लक्कड़ ने कहा हिन्दी का रजत रथ आस्था के बल पर चलता जा रहा है। इसके लिए वास्तव में सक्रिय प्रयास करना होगा। समारोह का संचालन श्री जयप्रकाश हिलोरी, आयकर उपायुक्त (अपील) ने किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि श्री पांडेय द्वारा विशिष्ट हिन्दी कार्यशाला में भाग लेने वाले अधिवक्ताओं एवं स्टाफ को प्रमाण पत्र तथा आयकर आयुक्त (केन्द्रीय) प्रभार में हिन्दी में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए उसके स्टाफ को नकद पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए।

श्री विश्वनाथ प्रसाद कैलखुरी, सहायक निदेशक (राज्य-भाषा) ने धन्यवाद किया।

संपर्क अधिकारियों का सम्मेलन

हिन्दी शिक्षण योजना नागपुर के अधीन हिन्दी टाईपिंग प्रशिक्षण केन्द्र शुरू किया गया। इसका उद्घाटन हिन्दी शिक्षण योजना; बम्बई की उप निदेशक (पश्चिम) श्रीमती इंदिरा पंड्या ने किया। उन्होंने केन्द्रीय सरकारी कार्यलयों उपक्रमों, निगमों और बैंकों के सम्पर्क अधिकारियों के सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने अधिकारियों को आश्वासन दिया कि फरवरी, 1991 से हिन्दी आशुलिपि का प्रशिक्षण भी प्रारंभ किया जाएगा।

सम्बोधित करती हुई हिंदी शिक्षण योजना की उप निदेशक श्रीमती इंदिरा पंड्या

श्री डी. आर. खेकाले, उप निदेशक लेखा (डाक) ने समारोह की अध्यक्षता की। श्रीमती व.न. वर्हाडे, सहायक निदेशक ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया तथा श्री पी. एम. नायडू, हिन्दी प्राध्यापक ने संचालन किया।

पंजाब नेशनल बैंक सम्मानित

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, रोहतक ने पंजाब नेशनल बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, रोहतक को हिन्दी प्रयोग के संबंध में रोहतक स्थित सभी केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में सर्वश्रेष्ठ कार्यालय घोषित किया है।

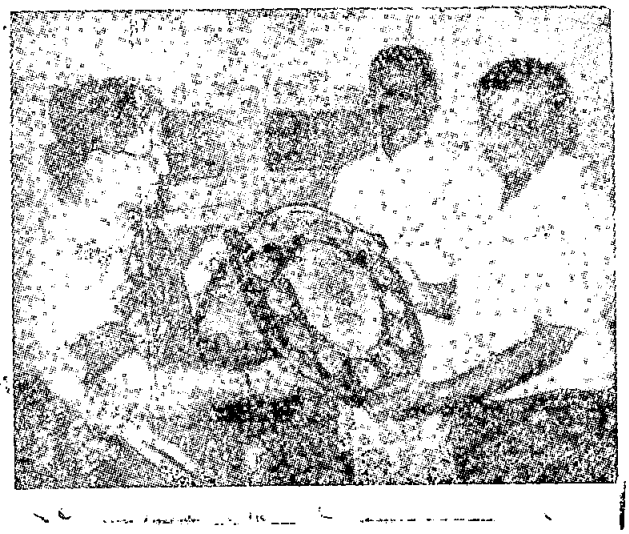

आयकर आयुक्त, (हरियाणा) श्रीमती मोहिनी भूश्री से नराकास राजभाषा शील्ड ग्रहण करते हुए पंजाब नेशनल बैंक के क्षेत्रीय प्रबन्धक श्री० डी० पी० खुल्लर

दिनांक 22-8-90 को आयोजित बैठक में निर्णायक मंडल की रिपोर्ट के आधार पर बैठक की अध्यक्ष श्रीमती मोहिनी भूश्री आयकर आयुक्त, हरियाणा ने क्षेत्रीय कार्यालय, रोहतक के इस संबंध में प्रयासों की विशेष रूप से सराहना की और पं. ने. बैंक को प्रथम राजभाषा शील्ड से सम्मानित किया गया। क्षेत्रीय प्रबन्धक श्री डी.पी. खुल्लर को उनके महत्त्वपूर्ण योगदान के लिए 'राजभाषा कप" से सम्मानित किया गया है।

प्रोफेसर नार्लीकर को इंदिरा गांधी पुरस्कार

विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए दिए जाने वाला इंदिरा गांधी पुरस्कार इस वर्ष प्रमुख खगोल वैज्ञानिक प्रोफेसर जयन्त विष्णु नार्लीकर को दिया गया है। मराठी भाषी होते हुए भी प्रो. नार्लीकर हिन्दी प्रेमी हैं और वैज्ञानिक उपन्यास लेखक हैं।

प्रोफेसर नार्लीकर को उक्त पुरस्कार "लेखों, पुस्तकों, फिल्मों और टेलीविजन कार्यक्रमों के जरिये विज्ञान को लोकप्रिय बनाने में महत्त्वपूर्ण योगदान के लिए दिया गया है।" यह पुरस्कार भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी प्रत्येक दो वर्ष बाद देती है।

प्रोफेसर नार्लीकर इस समय पुणे के खगोल विज्ञान एव खगोल भौतिकी अंतर-विश्वविद्यालय केन्द्र के निदेशक हैं।

संसदीय राजभाषा समिति द्वारा निरीक्षण

संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उप समिति ने दिनांक 16-6-90 को पंजाब नेशनल बैंक क्षेत्रीय कार्यालय, भुवनेश्वर में हिन्दी के प्रयोग की प्रगति की समीक्षा की। समिति के संयोजक श्री शंकरदयाल सिंह के अतिरिक्त तीन और सदस्यों सर्वश्री डॉ रत्नाकर पाण्डेय, मोहम्मद अमीन एवं परसराम भारद्वाज ने समीक्षा में भाग लिया।

बैंक की ओर से श्री स्वराज कुमार गुप्ता, उप महा-प्रबन्धक, प्रधान कार्यालय, अंचल प्रबन्धक श्री पी.के. गुप्ता, क्षेत्रीय प्रबन्धक श्री बी.बी. भौमिक, मुख्य राजभाषा विभाग श्री महेन्द्र कुमार शर्मा ने समीक्षा में भाग लिया। बैंकिंग प्रभाग वित्त मंत्रालय की ओर से उप-निदेशक (हिन्दी) श्री दर्शन सिंह जग्गी भी उपस्थित थे।

समिति ने बैंक के कार्य की अत्यन्त सराहना की और कहा कि हिन्दी में काम करने वाले बैंकों में पंजाब नेशनल बैंक अग्रणी है। इस अवसर पर बैंक द्वारा एक प्रदर्शनी भी लगायी गयी थी। सदस्यों ने इसमें प्रदर्शित सामग्री की भी प्रशंसा की।

प्रेरणा पुंज

भारतीय सर्वेक्षण विभाग की पार्टी स. 87 (प.स.) बडोदरा के अधीक्षक सर्वेक्षक श्री स.कु. गुप्त बड़े उत्साह औ निष्ठा से राजभाषा हिन्दी के कार्यान्वयन में लगे हुए हैं। उनके नेतृत्व में गत वर्षों में परियोजना नकशे हिन्दी में तैयार किए गए हैं, जिनका विवरण इस प्रकार है हैं :-

वर्ष 1988--6
वर्ष 1989--42
वर्ष 1990--35

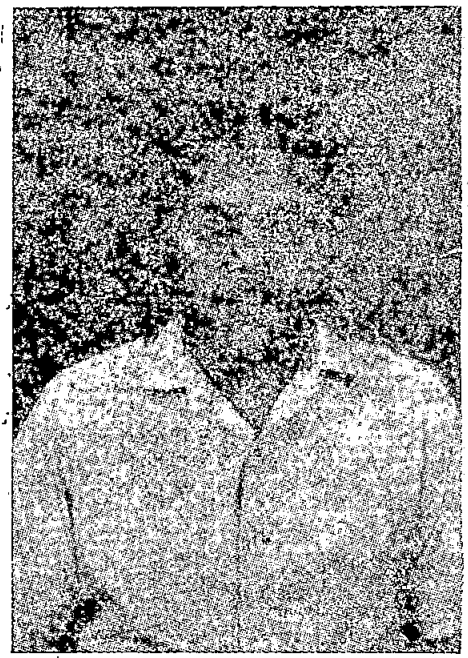

स० कु० गुप्त

इस पार्टी में निर्धारित लक्ष्यों से अधिक कार्य हिन्दी में हो रहा है।

इस पार्टी को वर्ष 1988-89 में हिन्दी में किए गए सराहनीय कार्य के लिए बडोदरा नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा पुरस्कृत किया गया है। □

पंजाब नेशनल बैंक आंचलिक कार्यालय, चंडीगढ़

पंजाब नेशनल बैंक आंचलिक कार्यालय चंडीगढ़ द्वारा बैंक के 'क' 'ख' 'ग' क्षेत्रों के कर्मियों को न केवल हिन्दी में प्रशिक्षण दिया जा रहा है अपितु उन्हें पाठ्यक्रम भी हिन्दी में वितरित किए जा रहे हैं।

इस केन्द्र द्वारा अपने कार्यालय का समस्त कामकाज हिन्दी में किया जाता हैं तथा यहां के टाइपिस्ट एव आशुलिपिक हिन्दी टाइपिंग/आशुलिपि का प्रशिक्षण प्राप्त किए हुए हैं।

हिंदी दिवस...पृष्ठ 134 से आगे

सीमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया लि., नई दिल्ली

सीमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया लि. के मुख्यालय, इकाइयों तथा अन्य कार्यालयों में इस वर्ष भी 14 से 20 सितम्बर, 1990 तक हिन्दी सप्ताह का आयोजन किया गया।

हिन्दी सप्ताह के दौरान हिन्दी निबंध प्रतियोगिता, हिन्दी नोटिंग ड्राफ्टिंग प्रतियोगिता, हिन्दी वाद-विवाद प्रतियोगिता, स्वरचित कविता पाठ प्रतियोगिता तथा पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किए गए। ये प्रतियोगितायें हिन्दी भाषी व अहिन्दी भाषी कर्मचारियों के लिए अलग-अलग आयोजित की गई।

समापन तथा पुरस्कार वितरण समारोह निदेशक (परियोजना) श्री ए. यू. रिज़सिंहानी की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। समापन समारोह में मुख्य प्रबंधक (कार्मिक एवं प्रशासन), श्री बी. सहाय ने उपस्थित सभी अधिकारीगण एवं कर्मचारियों का धन्यवाद ज्ञापन किया तथा सभी पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को बधाई दी।

हिन्दी सप्ताह में निम्नलिखित कर्मचारियों ने पुरस्कार प्राप्त किए :

निबन्ध प्रतियोगिता (अहिन्दी भाषी)

तीरथ राम, सहायक निजी सचिव	प्रथम
गुरुवंश सिंह, आशुलिपिक	द्वितीय
हरजीत सिंह, आशुलिपिक	तृतीय

नोटिंग/ड्राफ्टिंग प्रतियोगिता (हिंदी भाषी)

उमेश कुमार तनेजा, आशुलिपिक	प्रथम
पी. एम. भटनागर, क. लेखा सहायक	द्वितीय
गिरीश कुमार, आशुलिपिक	तृतीय

नोटिंग ड्राफ्टिंग प्रतियोगिता (हिन्दी भाषी)

एस. बी. तारे, कनिष्ठ अभियंता	प्रथम
तीरथ राम, सहायक निजी सचिव	द्वितीय
भगवान दास, विद्युत इंजीनियर	तृतीय

वाद-विवाद प्रतियोगिता (हिन्दी भाषी)

तीरथ राम, सहायक निजी सचिव	प्रथम
श्रीनिवासन, क. व भ. अधिकारी	द्वितीय
भगवान दास, विद्युत इंजीनियर	तृतीय

स्वरचित कविता पाठ प्रतियोगिता (अहिन्दी भाषी)

सुरेन्द्र सिंह चावला, लेखा अधिकारी	प्रथम
श्रीमती उर्मिल शर्मा, मुख्य पर्यवेक्षक	द्वितीय
तीरथ राम, सहायक निजी सचिव	तृतीय

राजभाषा प्रोत्साहन/पुरस्कार योजना

कृषक भारती कोआपरेटिव लिमिटेड
कृभको नगर, सूरत

हिन्दी में काम करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रोत्साहित, करने के लिए वर्ष 1990–91 की पुरस्कार योजना इस प्रकार होगी:—

योजना का क्षेत्र : योजना केवल कृभको–सूरत कार्यालय के अधिकारियों /कर्मचारियों तक ही सीमित रहेगी।

पात्रता :

(क) जो अधिकारी/कर्मचारी अपने कार्यालयीं कामकाज में हिन्दी का प्रयोग करते हैं, इस योजना में भाग ले सकते हैं।

(ख) कार्मिक एवं प्रशासन विभाग के हिन्दी एकक के कार्यरत कर्मचारी इस योजना में भाग लेने के पात्र नहीं हैं।

क्लेरिकल और टैक्नीकल विभाग में काम करने वाले उन प्रतिभागियों को प्रतिवर्ष कार्यभार को दृष्टिगत रखते हुए निम्न कार्यों के लिए प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे।

(क) क्लेरिकल विभाग जैसे कि कार्मिक एवं प्रशासन, वित्त एवं लेखा, भंडार-क्रय, सुरक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास केन्द्र, परिवहन, संपदा, चिकित्सा जैसे विभागों के लिए मूल रूप से नोटिंग करने वाले तथा हिन्दी में रजिस्टर बनाने वाले और हिन्दी में मूल रूप से पत्रों को बढ़ावा देने वाले एवं हिन्दी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिन्दी में देने वाले कर्मचारी आएंगे। इनके लिए मूल शब्दों का प्रयोग करने की जो सीमा निर्धारित की गई है वह इस प्रकार है :–

प्रथम पुरस्कार के लिए	1,50,000 शब्द
द्वितीय पुरस्कार के लिए	1,00,0000 शब्द
तृतीय पुरस्कार के लिए	75,000 शब्द

(ख) तकनीकी विभाग जैसे कि अग्निशमन एवं सुरक्षा, विद्युत, उपकरण, यांत्रिकी, बैंकिंग, उत्पादन, सिविल, पवार, अनुरक्षण, तकनीकी कार्यशाला, अमोनिया-यूरिया, प्रक्रिया, आफसाइट, डिजाइन एवं कम्प्यूटर इत्यादि में इनके द्वारा किए गये किसी भी प्रकार के कार्यालयी हिन्दी कामकाज

का लेखा-जोखा किया जाएगा । तकनीकी विभाग के लिए शब्द संख्या इस प्रकार निर्धारित की गई है : —

प्रथम पुरकार के लिए 50,000 शब्द

द्वितीय पुरस्कार के लिए 30,00 शब्द

तृतीय पुरस्कार के लिए 20,000 शब्द

(ग) अहिंदी भाषियों को क्लेरिकल एवं तकनीकी विभाग के लिए निर्धारित सीमा में 20 प्रतिशत की छूट दी जाएगी, और अहिन्दी भाषी क्लेरिकल विभाग तथा अहिन्दी भाषी तकनीकी विभाग के लिए प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार प्रदान किये जाएंगे।

(घ) क्लेरिकल विभाग तथा तकनीकी विभाग के लिए अलग-अलग रनिंग शील्ड या ट्राफी या ज्वाइन्ट कप की व्यवस्था की जाएगी।

(ङ) यह योजना तत्काल लागू होगी ।

भारत सरकार

विज्ञान और प्रोद्योगिकी मंत्रालय

विज्ञान और प्रोद्योगिकी विभाग

विभाग द्वारा चलाई जा रही विज्ञान और प्रौद्योगिकी पुरस्कार योजना-1989 के अंतर्गत हिन्दी में मौलिक पुस्तकें लिखने के लिए इस मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित पुस्तकों के लेखकों को इस मंत्रालय के तत्कालीन राज्य-मंत्री प्रो. एम. जी. के. मेनन द्वारा 17-9-90 को पुरस्कार दिए गए थे :—

पुस्तक का शीर्षक	लेखक का नाम	प्रकाशक का नाम व पता	मूल्य रुपए
1. नापो तो सच पता चले	डा. अजित राम वर्मा	राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली।	7.50
2. कम्प्यूटर प्रवेशिका	श्री अरुण कुमार अग्रवाल तथा श्री एस. कृष्णमूर्ति	विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक वाराणसी-221001	50.00
3. परिवहन की कहानी	श्री शुकदेव प्रसाद	ग्रंथ अकादमी नई दिल्ली	75.00
4. प्रेस, टूल डिजाइन एवं निर्माण	श्री आर. पी. झा,	श्री आर. पी. झा, लक्ष्मी निवास, 53 मार्शल रोड, इगमोर, मद्रास।	58.00
5. मातृत्व एवं शिशु स्वास्थ्य	डा. वाई.एस. भार्गव और श्रीमती सुषमा भार्गव	अंकुर प्रकाशन अमर कला निकेतन चिकित्सालय मार्ग बीकानेर-3340001	90.00
6. पर्यावरण प्रदूषण, कारण और निवारण	डा. एस.के. पुरोहित	एस.के. पब्लिशर्स ई-10, पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय रेलवे स्टेशन रोड, बीकानेर।	80.00
7. विश्व प्रसिद्ध मांसाहारी तथा अन्य विचित्र पेड़ पौधे।	डा. जगदीप सक्सेना	फैमिली बुक्स प्रा. लि. एफ-2/16 अंसारी रोड, नई दिल्ली ।	30.00

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो

(गृह मंत्रालय)

पुलिस के संबंधित हिन्दी की उत्कृष्ट पुस्तकों के लिए पं. गोविन्दबल्लभ पंत पुरस्कार योजना

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, गृह मंत्रालय, भारत सरकार न्यायिक विज्ञान, पुलिस प्रशिक्षण, पुलिस प्रशासन, पुलिस अन्वेषण, अंगुलिछाप, अपराध शास्त्र तथा अन्य पुलिस से संबंधित विषयों पर हिन्दी की उत्कृष्ट मूल पुस्तकें लिखने अथवा अनुवाद करने के लिए सृजनशील

शेष पृष्ट 156 पर

परीक्षाएं/प्रशिक्षण और हिन्दी माध्यम

मैडिकल की उच्च शिक्षा

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के दिनांक 7 नवम्बर 1989 के एक निर्णय के अनुसार मैडिकल की उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी तथा हिन्दी के अतिरिक्त अन्य भारतीय भाषाएं होंगी।

सभी राज्य सरकारों से इसके अनुपालन का अनुरोध किया गया है।

□

डेंटल एवं मैडिकल पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षा

भारत सरकार ने केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा स्नातक-पूर्व मैडिकल और डेंटल पाठयक्रमों में प्रवेश के लिए ली जा रही अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा हेतु शैक्षिक सत्र 1991 से प्रश्न पत्रों को तैयार करने के लिए अंग्रेजी के साथ हिन्दी माध्यम लागू करने का निर्णय किया है।

□

बैंकिंग परीक्षा में वैकल्पिक हिन्दी प्रश्न पत्र

भारतीय बैंकर्स संस्थान ने सी ए आई आई बी परीक्षा में अंग्रेजी विषय के अनिवार्य प्रश्न पत्र के स्थान पर 1992 से आयोजित होने वाली परीक्षा में 'बिजनस कम्यूनिकेशन' नामक एक विषय रखने का निर्णय लिया है जिसमें हिन्दी माध्यम का विकल्प होगा।

□

रेलवे भर्ती बोर्ड, बेंगलूर की भर्ती परीक्षाओं में हिन्दी

बोर्ड द्वारा ली जाने वाली सहायक स्टेशन मास्टरों, कनिष्ठ लेखा सहायकों, मुख्य रेल प्रशिक्षकों और कनिष्ठ ड्राफ्टसमैन (मैकेनिकल) के पदों पर नियुक्ति हेतु ली जाने वाली परीक्षा में उम्मीदवारों को हिन्दी में प्रश्न पत्र पाने का विकल्प होगा। लिखित परीक्षाओं के प्रश्न पत्र अंग्रेजी और हिन्दी दोनों भाषाओं में दिए जा रहे हैं। साक्षात्कार के समय में भी हिन्दी में प्रश्न पूछे जाएंगे। भविष्य में उम्मीदवारों को दी जाने वाली हिदायतों में भी इस बात की जानकारी दी जाएगी।

□

कनिष्ठ फैलोशिप परीक्षा में हिन्दी माध्यम

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद नई दिल्ली की 15-10-90 को हुई राजभाषा कार्यान्वियन समिति में इस बात की पुष्टि की गई कि सी.एस.आई.आर. की कनिष्ठ फैलोशिप परीक्षा में तीन प्रश्न पत्रों में से दो प्रश्न पत्र, जो वस्तु-निष्ठ प्रकृति के हैं, हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दिए जाने लगे हैं। जहां तक तीसरे प्रश्न पत्र की बात है, यह मामला अभी भी विचाराधीन है। केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद की ओर से इस विषय में निरन्तर प्रयास किए जा रहे हैं।

□

रेलवे स्टाफ कालेज, बडोदरा

सेवाधीन रेलवे अधिकारियों तथा प्रबंधकों को तकनीकी एवं प्रबंधकीय पहलुओं से परिचित कराने के लिए कालेज में विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम/सेमिनार आयोजित किए जाते हैं।

प्रशिक्षण अवधि में छात्राधिकारियों को सरकार की राजभाषा नीति की नियमित कक्षाओं में जानकारी दी जाती है जिसके लिए फाउण्डेशन व इणडक्शन पाठ्यक्रमों में राजभाषा के पीरियड नियत किए गए हैं तथा इस विषय में परीक्षा भी ली जाती है जिसे पास करना छात्राधिकारियों के लिए अनिवार्य है।

□

ट्रांसमिशन कार्यन्कारी की परीक्षा

कर्मचारी चयन आयोग, द्वारा के. सं. हिंदी परिषद् नई दिल्ली को भेजे गए एक पत्र के अनुसार 'ट्रांसमिशन कार्यकारी (सामान्य तथा उत्पादन) परीक्षा 1990' से संबंधित भारतीय सांस्कृतिक दाय के विशेष संदर्भ सहित सामान्य बुद्धि तथा सामान्य ज्ञान के प्रश्न अंग्रेजी तथा हिंदी—दोनों भाषाओं में छापे जाएंगे।

□

भूल सुधार

राजभाषा भारती—अंक 49 (अप्रैल—जून 1990) के पृष्ठ सं. 123 पर प्रकाशित प्रथम कालम की छठी पंक्ति में 'क' क्षेत्र में स्थित शेष कार्यालयों के लिए 30% छप गया है। पाठकगण कृपया 30% के स्थान पर 60% पढ़ें।

शोक संदेश

श्री पन्नालाल शर्मा, सेवानिवृत्त जज एडवोकेट जनरल (नौसेना) एवं संदस्य, केन्द्रीय हिंदी समिति, केन्द्रीय सचिवालय हिंदी परिषद, नई दिल्ली, दिनांक 21 जनवरी, 1991 को एक सड़क दुर्घटना में स्वर्ग सिधार गए हैं।

राजभाषा भारती परिवार की ओर से दिवंगत आत्मा के प्रति हार्दिक नमन।

3 52 HA/91—20

पुस्तक समीक्षा

मानक हिन्दीकोश

लेखक -डा0 हरदेव बाहरी

मुल्य 125 रु० -पृ. संख्या—287

प्रकाशक—विद्या प्रकाशन मन्दिर, नई दिल्ली-2

डॉ. हरदेव बाहरी की लेखनी से हिन्दी को एक और नया कोश—भाषा, भाषा विज्ञान, साहित्य में सही शब्द के प्रयोग की दृष्टि से एक अन्यतम संवर्द्धन के रूप में मिला है। अंग्रेजी में डाइजेस्ट की ओर से 'यूज़ द राईट वर्ड', 'फैमिली वर्ड फाईण्डर' जैसे थिसॉरस प्रकाश में आ चुके हैं । इन सबकी उपयोगिता असंदिग्ध है। साहित्य और भाषा-विज्ञान के पाठकों और शोधार्थियों के लिए ये कितने लाभप्रद रहे हैं—इसका सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। हिन्दी में इस दिशा में यह इस प्रकार का प्रथम प्रयास है।

मानक हिन्दी पर्याय कोश में न केवल मानक आधार पर शब्दों का चयन किया गया है बल्कि उनके पर्याय-रूप में जिन शब्दों का चयन किया गया है, उनके पीछे संकलनकर्त्ता की दृष्टि तलस्पर्शी रही है। जीवन में सामान्य से सामान्य स्तर पर प्रयोग होने वाली शब्द छायाओं से लेकर साहित्यिक दार्शनिक अर्थवत्ता और संवेदना के वाहक शब्दों को पर्याय-रूप में संकलित किया गया है। हिन्दीतर भाषा-भाषी के लिये यह कोश और भी उपादेय सिद्ध होगा । सामान्य व्यवहार में, मुहावरे-रूप में, रीति-रिवाजों से जुड़ी शब्दावली को एक शब्द-विशेष के पर्याय-रूप में पाकर ऐसे जिज्ञासु को अर्थ-नैकट्य की दृष्टि से तत्काल पहुंच मिल जाती है। यहां उदाहरणार्थ कुछ शब्द और उनके पर्याय दिए जा रहे हैं:—

ओला—1. करका, बिनौरी, हिम-उपल, तुहिन, हिमोपल, जलमूर्तिका 2. भेद, रहस्य

जिरह—1. खाल चमड़ा, त्वचा 2. आवरण, ढकना, झुकाव—सं. उन्मुखता, प्रवणता, प्रवृत्ति, लीनता, रुझान, रुख।

इन शब्दों से, इन शब्दों के आंचलिक पर्यायों से लेकर महत्तम अर्थ छायाओं तक का बोध सहज ही हो जाता है। अस्तु, प्रस्तुत कोश की उपादेयता स्वयं सिद्ध है।

यदि इस कोश में पर्यायों को वाक्य-प्रयोगों के द्वारा स्पष्ट कर दिया जाता तो इनका सूक्ष्म अन्तर भी और स्पष्ट हो जाता है।

—डॉ. बैजनाथ सिंहल,
ए-25/52, सुभाष नगर,
रोहतक-124001

राजभाषा हिन्दी

लेखक: डा. भोलानाथ तिवारी,

प्राशक: प्रभात प्रकाशन,
चावड़ी बाजार दिल्ली

पृष्ठ: 200, मूल्य: पचास रुपए

भाषा विशेषज्ञ डॉ. भोलानाथ तिवारी द्वारा रचित इस पुस्तक में राजभाषा और राष्ट्रभाषा हिन्दी के विभिन्न पक्षों पर विचार किया गया है। हिन्दी भाषा का उद्भव और विकास, भारत की भाषा समस्या, गांधीजी की भाषा नीति, सुभाषचंद्र बोस और हिन्दी, नेहरूजी और राजभाषा तथा भारतीय भाषाएं जैसे महत्त्वपूर्ण शीर्षकों से लेकर राजभाषा हिन्दी का मानकीकरण, राजभाषा हिन्दी का आधुनिकीकरण, पारिभाषिक शब्दावली, अनुवाद, संक्षेपों की समस्या आदि विषयों पर विस्तार से चर्चा करके लेखक ने "राजभाषा हिन्दी" जैसे व्यापक और गहन विषय की बहुत-सी अछूती और महत्त्वपूर्ण परतों को उघाड़ा है। यह पुस्तक एक ओर तो विद्वान लेखक की भाषा विज्ञान संबंधी जानकारी का लाभ पहुंचाने में सक्षम है, तो दूसरी ओर स्वाधीनता के बाद संपूर्ण देश में महसूस की जा रही राजभाषा के प्रयोग की आवश्यकता के महत्त्वपूर्ण विन्दुओं का स्पर्श भी करती है।

यद्यपि विद्वान लेखक ने राजभाषा हिन्दी के महत्व को रेखांकित किया है तथापि राजभाषा हिन्दी के प्रयोग की उपेक्षा करने वाली मानसिकता पर कुछ नहीं कहा है। परन्तु इतना अवश्य कहा जा सकता है कि "राजभाषा हिन्दी" नामक पुस्तक हिन्दी के वर्तमान स्वरूप में सरकारी कार्यालयों और दैनंदिन जीवन में हिन्दी के प्रयोग की दिशा में बहुत ही पुष्ट सामग्री प्रदान करती है।

"राजभाषा हिन्दी" प्रत्येक कार्यालय, सरकारी-गैर-सरकारी उपक्रमों, विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय के पुस्तकालयों के लिए निश्चय ही एक अनिवार्य पुस्तक है।

—शेरजंग गर्ग,
जी-261-ए, सेक्टर-22
नौएडा-201301

द्रव नोदन प्रणाली

लेखक—किशन सिंह

प्रकाशक : केन्द्रीय प्रलेख विभाग,
विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केन्द्र, त्रिवेन्द्रम

"द्रव नोदन प्रणाली" (Liquid Propulions Systems) —शीर्षक पुस्तक अंतरिक्ष विज्ञान जैसे तकनीकी क्षेत्र में हिन्दी के माध्यम से किया गया अभिनव प्रयास है। अकेला यही प्रयास यह सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है कि अवसर मिलने पर हिन्दी भाषा तकनीकी संकल्पनाओं को व्यक्त करने की दृष्टि से संसार की किसी भी तथाकथित समृद्ध भाषा के साथ टक्कर ले सकने में समर्थ है।

पुस्तक के प्रथम अध्याय में जहां अत्यंत संक्षेप में इस प्रणाली का ऐतिहासिक परिचय देते हुए इसकी कार्यप्रणाली पर प्रकाश डाला गया है वहीं अगले अध्याय में इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाले तकनीकी शब्दों को परिभाषित भी कर दिया गया है। इन दोनों ही अध्यायों में आवश्यकतानुसार चित्र बनाकर संकल्पनाओं को अधिकाधिक स्पष्ट करने का सार्थक प्रयास किया गया है।

पुस्तक के उत्तरार्द्ध में इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाले अंग्रेजी शब्दों के हिन्दी पर्याय भी दे दिए गए हैं। साथ ही नाम-पद्धति एवं उनके प्रतीकों पर भी पृथक से प्रकाश डाल दिया गया है। जहां कहीं लेखक को लगा है कि किसी कम प्रचलित शब्द का प्रयोग किया जा रहा है तो वहां पाठक की कठिनाई को दूर करने के लिए उसका अंग्रेजी पर्याय भी कोष्टक में दे दिया गया है। इस प्रकार पुस्तक में एक कठिन समझे जाने वाले विषय को यथासंभव सरल शैली में स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है जिसमें लेखक किसी हद तक सफल भी हुआ है। तथापि एक सरकारी संस्थान द्वारा प्रकाशित इस पुस्तक में वर्तनी संबंधी अशुद्धियों की भरमार कुछ कष्टकर प्रतीत हुई। उदाहरण के लिए लेखक द्वारा किए गए आधे पृष्ठ के "आभार प्रदर्शन" में ही वर्तनी की अशुद्धियों के कुछ नमूने इस प्रकार देखे जा सकते हैं—अनुमती (अनुमति), प्रकाशीत (प्रकाशित), कार्यान्वन (कार्यान्वयन), पाण्डुलिपी (पाण्डुलिपि) लीपिक (लिपिक), स्वरुप (स्वरूप) आदि। अच्छा होता यदि पुस्तक को जारी करने से पूर्व किसी हिन्दी का ज्ञान रखने वाले को उसे दिखा दिया जाता।

तथापि इस नये और पूर्णतया तकनीकी विषय पर हिन्दी में लेखनी चलाने का जो प्रयास लेखक ने किया है वह निश्चय ही सराहनीय है। लेखक का प्रथम प्रयास होने के नाते तो यह और भी अधिक प्रशंसनीय है।

—उषा रानी अरोड़ा
सी बी/3-बी; शालीमार बाग दिल्ली-110052

मेरी आशा मेरे आंसू

रचनाकार : अभय भारतीय स्नेह
मूल्य : साठ रुपए
वितरण : हिन्दी बुक सेन्टर,
4/5, आसफ अली रोड, नई दिल्ली-2

"मेरी आशा मेरे आंसू" नए कवि अभय भारतीय 'स्नेह' की रचनाओं का प्रथम संकलन है जिसमें उन्होंने आज के समाज की कुंठा, हताशा और संत्रास को शब्दों के माध्यम से बखूबी व्यक्त किया है। मूलतः दो भागों में विभक्त इस संकलन के पहले भाग में अतुकान्त कविताएं हैं तथा दूसरे भाग में छन्दबद्ध गीत हैं। किन्तु भाव के स्तर पर सभी रचनाओं का स्वर प्रायः एक ही है।

कवि की अनुभूति इतनी घनीभूत है कि अपनी पीड़ा को वह बिना किसी लागलपेट के सीधे-सादे शब्दों में व्यक्त करते हुए कह उठता है—

"इस जिन्दगी से मैं तंग आ गया हूं" (मुश्किल सफर); जिन्दगी खाली है खोखली है (देशकाज की उपज), आज सबने ही लूटा है मुझे यहां (मैं कौन हूं) "मैं उड़ नहीं सकता केवल फड़फड़ा सकता हूं" (सजा), महसूस करता हूं खुद को अकेला (अकेला), जीवन के संग्राम में मैं इक हारा हुआ सिपाही हूं (सिपाही) आदि। 'स्नेह' की अधिकांश कविताओं का स्वर यही है। तथापि एकाध स्थल पर कवि ने इससे मुक्ति भी पाई है—"ठान लो तो कुछ नहीं मुश्किल यहां है" (पुरुषार्थ)। परन्तु ऐसी स्थितियां अपवाद स्वरूप ही देखने में आई हैं : कहीं-कहीं कवि ने शृंगारिकता का रुख भी किया है किन्तु यहां भी नैराश्यभाव उसका पीछा नहीं छोड़ता—"तेरा पैगाम मुझे आज तक न मिला (पैगाम); क्या कहूं मैं किसी से, इच्छा छुअन की है मेरी भी (रिश्ता-बनाम चेतना); वो मेरे जख्मों का राज पूछेंगे या नहीं (जख्मी हाथ); मेरा वह हाथ मेरे ही दूसरे हाथ में होता है (भ्रम) आदि।

अपनी अधिकांश कविताओं में तो कवि ने स्थायी भावों के संसार में ही विचरण किया है किन्तु एक जागरुक नागरिक के दायित्व बोध का निर्वाह करते हुए उसकी लेखनी ने कहीं-कहीं समसामयिक समस्याओं का भी स्पर्श किया है—"जो प्रजा की हिफाजत ही न कर सके; राज करने का उनको कोई हक नहीं" (आतंकवाद); "बाढ़ समस्या या सूखे का अगर निरीक्षण करने जाओं; इसी बहाने अच्छे-खासे खर्चों के बिल पास कराओं" (राजनीति); युवा हृदय सम्राट बने अब, शोभराज, नटवर, मस्तान (भाईचारा खो गया) आदि। एकाध स्थलों को छोड़ दें (यथा-ध्वनी—पृष्ठ 47; स्वाभाव पृष्ठ-55) तो संकलन में वर्तनी की अशुद्धियां प्रायः नहीं के बराबर हैं। कुल मिलाकर 'मेरी आशा, मेरे आंसू एक नए कवि की भावनाओं की ताजगी लिए हुए एक-पठनीय काव्य संग्रह है।

— कृष्ण लाल अरोड़ा, प्रबन्धक (राजभाषा)
बैंक ऑफ बड़ौदा, अंचल कार्यालय, नई दिल्ली

खनन पर्यावरण और प्रबन्ध

लेखक : डॉ. पी.के. गांधी

प्रकाशक : वेस्टर्न कोलफील्डस लि., कोल इस्टेट, सिविल लाइन्स नागपुर-440001

पृष्ठ : 270

खनन, खनिज, मृदा और मानव में परस्पर सम्बन्ध है। प्रगति के लिए मानव ने पर्यावरण को एक संसाधन के रूप में स्वीकार किया है। इन संसाधनों के उपयोग के लिए उचित एवं पर्याप्त तकनीकी का विकास किया। विकासशील देशों की आर्थिक उन्नति एवं आधुनिकीकरण का एक मात्र कारण संसाधनों का सही प्रयोग माना जाता है। राष्ट्रों की उद्योगन्मुखता को नजर में रखते हुए कच्चे खनिज संसाधनों का दोहन अपरिहार्य है।

भारत, ईंधन खनिज, धातु खनिज और अधातु खनिजों में खनिज उत्पाद मूल्यों पर प्रकाशित आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि स्वतंत्रता के पश्चात् भारतीय खनन उद्योगों ने चमत्कारपूर्ण तरक्की की है। पहली पंचवर्षीय योजना के बाद खनिज उत्पादनों में सार्वजनिक क्षेत्र के विविध उपक्रमों आदि के संयुक्त प्रयत्नों के कारण आवश्यक खनिजों का बढ़ता उत्पादन सम्भव हो सका।

खनन सम्बन्धित कार्यों से होने वाले प्रभावों का विस्तृत वर्णन और उचित प्रबन्ध योजना के कार्यान्वियन के लिए मार्ग दर्शक तत्त्वों की परिचर्चा इस पुस्तक में भली प्रकार हुई है।

लागत कम हो या अधिक पर्यावरण संरक्षण एक जागनिक आवश्यकता है इसलिए इसका स्थानीय आर्थिक ढांचे तथा संयुक्त स्वरूपों में मूल्यांकन नहीं किया जा सकता।

पर्यावरण प्रदूषण को कम करने तथा रोकने के लिए खनन कार्यों से सम्बन्धित सभी स्तरों पर सफल और सुदृढ़ योजनाओं को कार्यान्वित करना आवश्यक हो गया है। जिसके लिए एक ऐसी पुस्तक की आवश्यकता थी जिसमें खनन पर्यावरण और प्रबन्ध सम्बन्धित सभी बातों की विस्तृत रूप से जानकारी हो।

डॉ. पी. के. गांधी ने सरल हिंदी भाषा में खनन पर्यावरण और प्रबन्ध पर विस्तृत जानकारी देने का सार्थक प्रयास किया है। यह पुस्तक पर्यावरण में रुचि रखने वाले व्यक्तियों सहित खनन अभियंताओं और खान कर्मियों आदि के लिए उपयोगी होगी।

—शान्ति कुमार स्याल,
ई-43, सैक्टर-15, नोएडा-201301

दिल्ली परिवहन निगम के प्रशिक्षणार्थियों हेतु पाठ्य पुस्तक

किसी भी संगठन के सुचारू रूप से परिचालन के लिए उसके पास दक्ष कर्मचारियों का होना परमावश्यक है। साथ ही साथ यह भी आवश्यक है कि संगठन के कार्मिकों की कार्यकुशलता को समय समय पर पुनश्चर्या पाठ्यक्रम के ज़रिये बरकरार रखा जाए तथा सामान्यतः अब तक इस प्रकार की प्रशिक्षण सामग्री अंग्रेजी में ही उपलब्ध होती रही है।

राजभाषा विभाग द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार हिन्दी में प्रशिक्षण सामग्री तथा हिन्दी में प्रशिक्षण की व्यवस्था अपरिहार्य हो गई है। इस परिप्रेक्ष्य में दिल्ली परिवहन निगम में कार्यरत सहायक यातायात अधीक्षक श्री रमेश चन्द्र शर्मा "कौशिक" का यह प्रयास एक शून्य की पूर्ति करता है। श्री "कौशिक" पिछले 35 वर्षों से दिल्ली परिवहन निगम में कार्यरत हैं और 10 वर्षों से प्रशिक्षण आदि के कार्य से जुड़े हुए हैं। उन्होंने इस छोटी सी पुस्तिका में अपने समस्त अनुभव को समेकित करके दिल्ली परिवहन निगम के चालकों, संवाहकों एवं निरीक्षकों की आवश्यकता हेतु सामग्री संकलित करने का यत्न किया है।

पुस्तक की भाषा सुलभ व ग्राह्य है तथा जो सूचनाएं व सामग्री दी गई है। पुस्तक का सब से महत्त्वपूर्ण पहलू यह है कि इस में सूत्र व छोटी-मोटी कविताओं के ज़रिए कर्मचारियों को कार्यकुशल होने की ओर प्रेरित करने का यत्न किया गया है। इससे प्रशिक्षार्थियों के "क्या", "क्यों" और "कैसे" जैसी अनेक जिज्ञासाओं का समाधान जुटाया है।

इस प्रकार की पुस्तक दिल्ली परिवहन निगम जैसे अन्य परिवहन संगठनों के लिए भी उपयोगी है। विश्वास है कि विभिन्न राज्यों के परिवहन संगठन भी इस प्रकार से अपनी प्ररिशिक्षण सामग्री हिन्दी में बनवाने के लिए प्रेरित होंगे

—श्रीमती माला प्रकाश
जे-68, साकेत, नई दिल्ली-17

साहित्यधर्मिता जौनपुर विशेषांक

संपादक : श्री हृदय नारायण सिंह

पृष्ठ 132 मूल्य 25—

1010, हुसेनाबाद, जौनपुर

जौनपुर से प्रकाशित "साहित्य धर्मिता" नामक चातुर्मासिक साहित्यिक पत्रिका का सोलहवां अंक "जौनपुर विशेषांक" के नाम से निकाला गया है । पत्र-पत्रिकाओं द्वारा विभिन्न अवसरों पर विशेषांक निकालने की परम्परा नई नहीं है, परन्तु जब कोई स्थानीय पत्र-पत्रिका अपने नगर के बारे में गहन अध्ययन व शोधपूर्ण लेख संकलित करके कोई विशेषांक निकालती है तो एक स्थल पर महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक सामग्री उपलब्ध हो जाती है । ऐसे विशेषांक सांस्कृतिक निधि बन जाते हैं तथा जिज्ञासुओं द्वारा समय-समय पर संदर्भ ग्रंथ के तौर पर प्रयोग किए जाते हैं ।

जौनपुर नगर मध्यकालीन भारत के इतिहास के एक महत्त्वपूर्ण अध्याय को अपने में संजोए हुए है । तुगलक वंश के शासन के उतरार्द्ध में जब आपसी झगड़ों व तैमूर के आक्रमण के आघात से दिल्ली सल्तनत का प्रभाव उत्तरी भारत से समाप्त प्रायः हो गया था, तब जौनपुर में ख्वाजाजहां या मलिक सरवर ने शर्की सल्तनत की स्थापना की और इस तरह 1480 ईस्वी तक जौनपुर उत्तरी भारत का महत्त्वपूर्ण सांस्कृतिक, राजनैतिक एवं धार्मिक केन्द्र बना रहा । भारतीय इतिहास के इस महत्त्वपूर्ण अध्याय के बारे में बहुत कम सामग्री एक स्थल पर मिलती है । साथ ही साथ इस नगर के पुराकालीन इतिहास के बारे में जानकारी अत्यल्प है तथा जो कुछ है भी वह इधर-उधर बिखरी हुई है । इस समस्त सामग्री को एकत्र करके अनेकों विद्वानों/लेखकों ने अपने जौनपुर के इतिहास के महत्त्वपूर्ण पक्षों को उजागर करने का यत्न किया है । इस दृष्टिकोण से डा. कृष्णानन्द चौधरी का शोध-पत्र "जौनपुर के अतीत के दो पृष्ठ" डा. ओमप्रकाश सिंह का शोधपत्र "जौनपुर पुरातत्व की दृष्टि से" तथा डॉ. राजदेव दुबे का शोधपत्र "जौनपुर की ऐतिहासिकता" महत्त्वपूर्ण है । प्रोफेसर तहजीबुल हसन जैदी का शोध-पत्र "जौनपुर में शर्की सल्तनत" के कुछ सांस्कृतिक पहलू" स्वतः स्पष्ट है ।

साहित्य कर्मियों के दृष्टिकोण से डॉ. श्रीपाल सिंह क्षेम द्वारा रचित निबन्ध "जौनपुर हिंदी साहित्य के मानचित्र पर" इस अंक का महत्त्वपूर्ण अध्याय है ।

पत्रिका का कमजोर मेटअप व अखबारी कागज पर छपाई कुछ ऐसे पक्ष हैं जोकि एकदम पाठक को आकर्षित नहीं करते, सिर्फ जिज्ञासु पाठक ही इस अंक को पढ़ेगा । यह दूसरी बात है कि इसके अन्दर जो सामग्री है वह अतुलनीय है जो अवध व जौनपुर के अतीत के अध्ययन में महत्त्वपूर्ण योगदान करती है ।

—श्रीमती माला प्रकाश

जे-68, साकेत, नई दिल्ली-17

अनुवाद विज्ञान का संगविसांगोपां विवेचन

अनुवाद चिंतन

लेखक: एल एन शर्मा "सौमित्र,,

मूल्य : 159/-

प्रकाशक : विद्या प्रकाशन मंदिर

दरिया गंज, नई दिल्ली-2

विश्व में तेजी से हो रहे वैज्ञानिक और तकनीकी विकास की जानकारी प्राप्त करने के लिए तथा जर्मन, स्पैनी, फ्रेंच, रूसी, जापानी और अंग्रेजी भाषाओं में लिखे जा रहे वैज्ञानिक तथा तकनीकी साहित्य की जानकारी प्राप्त करने के लिए अनुवाद महत्त्वपूर्ण साधन है । विभिन्न भारतीय भाषाओं में लिखे जा रहे ललित, वैज्ञानिक और तकनीकी साहित्य के परस्पर आदान-प्रदान करने भारतीय भाषाओं को एक-दूसरे के निकट लाने और भारतीयों में भावात्मक एकता स्थापित करने के लिए अनुवाद एक अहम भूमिका निभा रहा है ।

भारत सरकार की राजभाषा नीति के तहत राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3 (3) के अंतर्गत सरकारी कार्यालयों में विभिन्न प्रकार के दस्तावेजों, प्रलेखों, अनुबंधों, करारों आदि को हिंदी में तैयार कराने की अनिवार्यता को देखते हुए अनुवाद कार्य का महत्त्व और भी बढ़ गया है । इस क्रम में श्री एल. एन, शर्मा "सौमित्र" की समीक्ष्य रचना अनुवाद चिंतन का अपना एक स्थान है । पुस्तक में श्री 'सौमित्र' ने अनुवाद की परिभाषा से लेकर अनुवाद की परम्परा और उसकी विभिन्न तकनीकी, शैलियों आदि की विस्तार से चर्चा करने के साथ-साथ अनुवाद कार्य में प्रयुक्त होने वाली सामान्य और पारिभाषिक शब्दावलियों तथा मुहावरों आदि के प्रयोग को दर्शाते हुए अनुवाद कार्य में लगे व्यक्तियों का मार्गदर्शन करने का एक अद्वितीय प्रयास किया है । पुस्तक निःसंदेह अनुवादकों, अनुवाद कार्य का अध्ययन करने और शोध कार्य में लगे हुए विद्यार्थियों के लिए सहायक सिद्ध होगी । पुस्तक में अनुवादकों का अनेक ऐसे उदाहरण देकर ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया गया है जिनके सम्बन्ध में वे स्रोत भाषा से लक्ष्य भाषा में रूपान्तर करते समय अक्सर भारी त्रुटियां कर बैठते हैं और अर्थ का अनर्थ कर देते हैं ।

पुस्तक का मूल्य 150- रखा गया है जोकि निःसंदेह अधिक है । पुस्तक में अंग्रेजी व्याक्यांशों का प्रयोग करते हुए अनेक उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं, परन्तु ऐसा करते समय शब्दों में अनेक त्रुटियां हो गई हैं जिन्हें अगले संस्करण में सुधारना बहुत जरुरी है ।

—सुरेन्द्र लाल मल्होत्रा,

उप संपादक

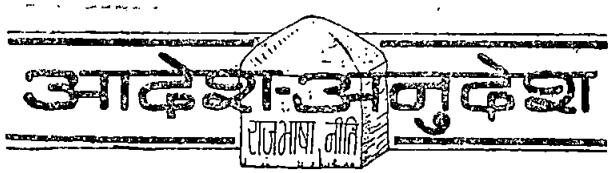

आदेश-अनुदेश

राजभाषा नीति

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय का दिनांक 19-12-90 का का. ज्ञापन सं. 14012/19/90–रा.भा. (ग)

विषय : राजभाषा हिन्दी के उत्तरोत्तर प्रयोग के लिए देवनागरी टाइपराइटरों की खरीद का अनुपात निर्धारित करना।

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के का. ज्ञा. सं. 1/14013/9/89 रा. भा. (क–1) दिनांक 9 फरवरी, 1990 में केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में देवनागरी टाइपराइटरों को खरीदने के संबंध में जो निर्देश दिये गये थे उन पर पुनर्विचार किया गया है तथा तथा उनके आंशिक संशोधन में, निम्नानुसार निर्णय लिये गये हैं कि 1-4-1991 से :

(क) "क" क्षेत्र में स्थित मंत्रालयों/विभागों के मुख्यालयों में कुल टाइपराइटरों में से कम से कम 35% टाइपराइटर देवनागरी के उपलब्ध होने चाहिए।

(ख) "क" क्षेत्र में स्थित मंत्रालयों/विभागों के मुख्यालयों को छोड़कर शेष कार्यालयों में यह अनुपात 70% होना चाहिए।

(ग) "ख" क्षेत्र में स्थित मंत्रालयों/विभागों तथा अन्य कार्यालयों में समस्त टाइपराइटरों में से कम से कम 35% देवनागरी के टाइपराइटर होने चाहिए।

(घ) "ग" क्षेत्र में स्थित मंत्रालयों तथा विभागों और दूसरे कार्ययों में कुल टाइपराइटरों का कम से कम 15% देवनागरी के टाइपराइटर होने चाहिए।

2. अन्य निर्देश वही रहेंगे जो का. ज्ञा. सं. 1/14013/9/89–रा. भा. (क–1) दिनांक 9 फरवरी, 90 में दिये गये हैं।

3. इस विषय पर की गई कार्रवाई से इस विभाग को भी सूचित करें।

□

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय का दिनांक 23-11-90 का कार्यालय ज्ञा.सं. 12015/44/99–रा.भा. (त.का.)

विषय : टेलीप्रिंटर/टेलैक्स पर देवनागरी में कार्य करने के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि संसदीय राजभाषा समिति ने सरकारी कार्यालयों में देवनागरी में यान्त्रिक सुविधाओं के प्रयोग संबंधी अपने प्रतिवेदन (खंड–2) में एक सिफारिश यह भी की थी कि टेलीप्रिंटर/टेलैक्स प्रचालकों को हिन्दी में कार्य करने का प्रशिक्षण अनिवार्य रूप से दिया जाना चाहिए, जो कि सरकार द्वारा मान ली गई थी। इसके अनुपालन में दूर संचार विभाग ने अपने अधीनस्थ सभी दूर संचार प्रशिक्षण केन्द्रों को इस बात के लिए प्राधिकृत कर दिया है कि वे अन्य मंत्रालयों/विभागों आदि के टेलीप्रिंटर/टेलैक्स आपरेटरों को भी सूचना आदि को देवनागरी में संप्रेशित करने का प्रशिक्षण दिया करेंगे। ऐसे कुछ केन्द्रों के पते, प्रशिक्षण के अगले बैचों की अवधि के बारे में सूचना संलग्न है।

2. सभी मंत्रालयों/विभागों आदि से अनुरोध है कि वे समिति के उपर्युक्त सिफारिश के अनुरूप कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए अपने टेलैक्स/टेलीप्रिंटर प्रचालकों को देवनागरी में कार्य करने का प्रशिक्षण सुविधाजनक केन्द्र के प्रिंसिपल से सीधे पत्र-व्यवहार कर दिलवा सकते हैं। अन्य किसी भी प्रकार की जानकारी भी सीधे संबंधित प्रशिक्षण केन्द्र से प्राप्त की जा सकती है।

3. सभी मंत्रालयों/विभागों से यह भी अनुरोध है कि वे उक्त जानकारी अपने सभी सम्बद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों और स्वामित्व एवं नियंत्रणाधीन उपक्रमों राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि के ध्यान में लाएं और सुनिश्चित करें कि टेलैक्स/टेलीप्रिंटर आपरेटरों को संसदीय राजभाषा समिति की सिफारिश के अनुरूप शीघ्र प्रशिक्षित किया जाए।

दूर संचार प्रशिक्षण केन्द्रों के पते तथा प्रशिक्षण के अगले बैचों की अवधि

1. प्रिंसिपल, परिमंडल दूरसंचार प्रशिक्षण केन्द्र मीनाम्बक्कम मद्रास – 600027
(10-12-90 से 18-1-1991)

2. प्रिंसिपल, परिमंडल दूरसचार प्रशिक्षण केन्द्र, न्यू मेंटल हास्पिटल काम्पलैक्स, अहमदाबाद – 380016
(तारीखें तय की जानी है)

3. सहायक इंजीनियर (प्रभारी), परिमंडल दूरसंचार प्रशिक्षण केन्द्र, डाक भवन, भोपाल – 462001
(19-11-90 से 21-12-90 तथा 24-12-90 से 25-1-91)

4. प्रिंसिपल, क्षेत्रीय दूरसंचार परिमंडल केन्द्र, आर. के. मिशन बिल्डिंग, विवेकानन्द पुरी, निराला नगर, लखनऊ-226007
(14-1-91 से 15-2-91 तथा 18-3-91 से 19-4-91)

5. सहायक इंजीनियर(प्रभारी), परिमंडल दूरसंचार प्रशिक्षण केन्द्र, आचार्य कृपलानी मार्ग, जयपुर
(तारीखें तय की जानी है)

6. सहायक इंजीनियर (प्रभारी), परिमंडल दूरसंचार प्रशिक्षण केन्द्र, राजपुरा – 140401
(तारीखें तय की जानी है)

7. प्रिंसिपल, जिला दूरसंचार प्रशिक्षण केन्द्र, डा. मुखर्जी नगर, दिल्ली – 110009
(तारीखें तय की जानी है)

बैंकिंग प्रभाग (वित्तमंत्रालय) को संबोधित

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, के दिनांक 25-10-1990 का अ० शा० पत्र सं० 1/14034/6-90-रा०भा.क-1 की प्रतिलिपि

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों पर राजभाषा अधिनियम तथा नियम लाग किये जाने के बारे में कृपया 22 फरवरी, 1990 के श्री मन्त्रेश्वर झा के अ. शा. पत्र सं. 12015/1/90–हिन्दी का अवलोकन करें।

2. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों पर राजभाषा अधिनियम एवं नियम लागू होने के बारे में विधि कार्य विभाग द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण और सरकारी क्षेत्र के विभिन्न बैंकों द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों पर राजभाषा अधिनियम/नियम लागू करने के बारे में भेजी गई टिप्पणियों के संदर्भ में आपके पत्र में उठाये गये मुद्दों पर हमारे विभाग में विचार किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं, संविधान के अनुच्छेद 343 (1) के अनुसार संघ की राजभाषा हिन्दी है। संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3 (1) के अधीन हिन्दी के अतिरिक्त अंग्रेजी भाषा का प्रयोग जारी रखा गया है। इस सांविधिक और विधिक स्थिति से स्पष्ट है कि केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में केवल हिन्दी या अंग्रेजी में ही काम किया जा सकता है। विधि कार्य विभाग ने अपनी राय दी है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक "केन्द्रीय सरकार का कार्यालय" की श्रेणी में आते हैं। अतः इन बैंकों में भी हिन्दी या अंग्रेजी का ही प्रयोग किया जाना अपेक्षित है। राजभाषा अधिनियम या नियमों में इस बारे में कोई शिथिलता देने का प्रावधान नहीं है। अतः ग्रामीण बैंकों पर सरकार की राजभाषा नीति लागू करने का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। इन बैंकों द्वारा अपने मुख्यालय या दूसरे केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों से क्षेत्रीय वर्गीकरण एवं अन्य आदेशों के अनुसार पत्राचार में हिन्दी अथवा अंग्रेजी का ही प्रयोग किया जा सकता है। जहां तक इन बैंकों में हिन्दी के पदों के सृजन का प्रश्न है या उससे उत्पन्न वित्तीय भार का प्रश्न है, यह प्रशिक्षण द्वारा भी पूरा किया जा सकता है। यदि पदों का सृजन नार्मस के अनुसार आवश्यक भी हुआ तो इसमें वित्तीय भार अधिक नहीं होना चाहिए। सांविधिक अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए वैसे भी वित्तीय कठिनाई को आड़े नहीं आना चाहिए।

3. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए जनता से पत्राचार के लिए ये बैंक क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसी व्यवस्था के लिए बैंकों को स्वयं अपने कार्यालयों में व्यवस्था करनी होगी। जहां तक स्थानीय जनता के लिए फार्म और विभागीय साहित्य उपलब्ध कराने का प्रश्न है, गृह मंत्रालय के 25 मार्च, 1968 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 7/9/65 ओ. एल. में इस संबंध में उपर्युक्त व्यवस्था है। इस कार्यालय ज्ञापन में कहा गया है कि जनता के प्रयोग में आने वाले फार्मों को हिन्दी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा में छपवाया जाना चाहिए और जिन फार्मों इत्यादि की आवश्यकता केवल कार्यालयों के अन्दरूनी कार्यों में होती है उनको केवल अंग्रेजी और हिन्दी में छपवाया जा सकता है। उक्त कार्यालय ज्ञापन की एक प्रति संदर्भ के लिए संलग्न है।

4. अनुरोध है कि आप क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में सरकार की राजभाषा नीति उपर्युक्त अनुसार लागू करने के लिए समुचित निर्देश जारी कर लें।

□

भारत सरकार

केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय

पत्राचार द्वारा हिन्दी टाइपलेखन का प्रशिक्षण

केन्द्रीय सरकार/उपक्रमों/निगमों आदि के कर्मचारियों को हिन्दी टाइपलेखन का प्रशिक्षण देने के लिए हिन्दी शिक्षण योजना के अन्तर्गत **हिन्दी टाइपलेखन का पत्राचार पाठ्यक्रम** चालू किया गया था। यह पाठ्यक्रम जनवरी, 1980 से जुलाई, 1988 तक चलाया गया था, परन्तु बाद में कुछ अपरिहार्य कारणों से अगस्त, 1988 के बाद इसे बन्द कर दिया गया था। चूंकि अभी बहुत बड़ी संख्या में केन्द्रीय सरकार और केन्द्रीय उपक्रमों, निगमों, निकायों, अभिकरणों और राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि के कर्मचारियों को हिन्दी टाइपलेखन में प्रशिक्षित किया जाना है और हिन्दी

शिक्षण योजना की वर्तमान प्रशिक्षण क्षमता आवश्यकता से बहुत कम है, अतः इस पाठ्यक्रम को फिर से, केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान के तत्वावधान में चलाने का निर्णय लिया गया है।

2. यह पाठ्यक्रम मुख्यतः केन्द्रीय सरकार और केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों, निगमों, उद्यमों, निकायों, अभिकरणों और राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि के ऐसे कर्मचारियों के लिए है जो ऐसे स्थानों पर काम कर रहे हैं जहां पर हिन्दी शिक्षण योजना के अधीन कोई हिन्दी टाइपलेखन प्रशिक्षण केन्द्र नहीं चलाए जा रहे हैं। इस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए कर्मचारियों को अंग्रेजी टाइपलेखन की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और उन्हें प्रवीण अथवा मिडिल (आठवीं कक्षा) स्तर तक का हिन्दी का ज्ञान होना चाहिए।

3. इस पाठ्यक्रम की अवधि छः महीने होगी और इसका पहला सत्र 1 फरवरी, 1991 से प्रारम्भ होगा। पाठ्यक्रम की पूर्ण जानकारी के लिए कृपया उप निदेशक (पत्राचार पाठ्यक्रम -हिन्दी टाइपलेखन), केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, 2-ए, पृथ्वीराज रोड, नई दिल्ली—110011 से सम्पर्क करें।

□

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय का दिनांक 10-10-90 का का. ज्ञापन सं. 1/20012/4/90-रा.भा. (क-1)

विषय : संसदीय राजभाषा समिति के प्रथम प्रतिवेदन की सिफारिशों पर कार्रवाई—समिति की उपेक्षा के लिए प्रताड़ना।

संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिवेदन के प्रथम खण्ड की सिफारिशों पर राष्ट्रपति के आदेश के संबंध में इस विभाग के 30 दिसम्बर, 1988 के संकल्प सं. 1/20012/1 87—रा. भा. (क-1) का हवाला देते हुए यह कहने का निदेश हुआ है कि संसदीय राजभाषा समिति ने प्रतिवेदन के पैरा 11.1.2 में कुछ मंत्रालयों विभागों का उल्लेख किया है जिन्होंने समिति को अपेक्षित सूचना उपलब्ध नहीं कराई। इन मंत्रालयों/विभागों की सूची अनुलग्नक में दी गई है। संसदीय राजभाषा समिति ने इन मंत्रालयों/विभागों के रवैय पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा है कि उन्होंने निर्धारित तारीख तक अपेक्षित सूचना न भेजकर समिति की उपेक्षा की है। समिति ने सिफारिश की है कि इसके लिए उन्हें प्रताड़ित किया जाय तथा संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाये। संसदीय राजभाषा समिति यह भी चाहती है कि यह सुनिश्चित किया जाये कि भविष्य में समिति द्वारा मांगी गई जानकारी उपलब्ध कराने में किसी प्रकार की शिथिलता न बरती जाये। समिति की इस सिफारिश का उल्लेख 30 दिसम्बर, 1988 के उपर्युक्त संकल्प के पैरा 2 (ठ) (30) में किया गया है।

2. अनुलग्नक में जिन मंत्रालयों/विभागों का उल्लेख किया गया है उनसे अनुरोध है कि वे संसदीय राजभाषा समिति की उपर्युक्त सिफारिश के अनुसार यथाशीघ्र कार्रवाई कर लें। सभी मंत्रालय/विभाग कृपया यह भी सुनिश्चित कर लें कि भविष्य में संसदीय राजभाषा समिति द्वारा मांगी गई जानकारी उपलब्ध कराने में किसी प्रकार की शिथिलता न बरती जाये।

सूची

(1) उद्योग मंत्रालय, सरकारी उद्यम विभाग
(2) ऊर्जा मंत्रालय, कोयला विभाग और विद्युत्त विभाग
(3) कल्याण मंत्रालय
(4) कृषि मंत्रालय, कृषि और सहकारिता विभाग तथा कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग
(5) खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय, खाद्य विभाग
(6) जल संसाधन मंत्रालय
(7) पर्यटन मंत्रालय
(8) मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा विभाग और कला विभाग
(9) विदेश मंत्रालय
(10) वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग
(11) विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विज्ञान और औद्योगिकी अनुसंधान विभाग
(12) संचार मंत्रालय, मुख्य मंत्रालय तथा दूर-संचार विभाग
(13) अंतरिक्ष विभाग

□

गृह मंत्रालय भारत सरकार के दिनांक 5-9-1990 के का. ज्ञापन सं. 21017/3/90—हिन्दी की प्रतिलिपी

विषय :—सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए हिन्दी में लिये सर्वश्रेष्ठ नोट पर 300 रु. का प्रोत्साहन पुरस्कार दिया जाना।

सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न प्रोत्साहन योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसी क्रम में यह निर्णय लिया गया है कि जो अधिकारी/कर्मचारी हिन्दी में नोट लिखते हैं उनमें से सर्वश्रेष्ठ नोट पर मंत्रालय द्वारा 300/—रु. का प्रोत्साहन पुरस्कार दिया जाएगा। यह नोट कम से कम 200 शब्दों का होना चाहिए

मंत्रालय के जो अधिकारी/कर्मचारी इस प्रोत्साहन योजना में भाग लेना चाहते हैं वे कृपया अपने नाम उप निदेशक (रा.भा.) (श्री रणधीर सिंह) को तत्काल भेजें। साथ ही 31 जनवरी, 1990 से 31 अगस्त, 1990 तक के

बीच लिखे उस नोट की फोटो कापी भी भेजें जिसके लिए उन्होंने इस योजना के अन्तर्गत भाग लेने की इच्छा व्यक्त की है।

ऐसे नोट हर हालत में 11-9-90 तक भेजने का कष्ट करें, ताकि उस पुरस्कार के विजेता को हिन्दी सप्ताह के समापन समारोह, जो कि 14-9-90 को आईफैक्स हाल, रफी मार्ग, नई दिल्ली में सांय 4.00 बजे से आयोजित किया जा रहा है, में पुरस्कृत किया जा सके। □

विदेशों में स्थित भारतीय कार्यालयों/दूतावासों/मिशनों इत्यादि में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित तिमाही प्रगति रिपोर्ट

QUARTERLY PROGRESS REPORT REGARDING PROGRESSIVE USE OF HINDI IN RESPECT OF INDIAN OFFICES/MISSIONS/EMBASSIES LOCATED ABROAD

कार्यालय/दूतावास/मिशन का नाम.....

NAME OF OFFICE/EMBASSY/MISSION——

संबंधित मंत्रालय/विभाग का नाम.....

NAME OF THE CONCERNED MINISTRY/DEPARTMENT——

हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित तिमाही प्रगति रिपोर्ट दिनांक..... को समाप्त तिमाही रिपोर्ट।

QUARTERLY PROGRESS REPORT REGARDING PROGRESSIVE USE OF HINDI FOR THE QUARTER ENDING——

1. लेखन सामग्री, नामपट्ट, सूचना पट्ट, फार्म, प्रक्रिया संबंधी साहित्य, मोहरों आदि का विवरण

DETAILS OF STATIONERY NAME-PLATES NOTICE BOARDS, FORMS, PROCEDURE LITERATURE, STAMPS ETC.

	कुल संख्या TOTAL NUMBER	हिन्दी में उपलब्ध AVAILABLE IN HINDI
(क) सभी नामपट्ट, सूचना पट्ट, बैनर, डिस्प्ले बोर्ड, मोहरें आदि (A) All Name-plates, Notice-Boards, Banners, Display Boards, Stamps etc.		
(ख) लेखन सामग्री जैसे लिफाफे, पत्रशीर्ष, सभी प्रकार के फार्म, प्रक्रिया संबंधी साहित्य आदि। (B) Stationery items such as envelops, letter-heads, all kind of forms, procedure literature etc.		
(ग) समारोहों, आयोजनों आदि के निमन्त्रण पत्र (C) Invitation Cards meant for functions and celeberations etc.		

2. टाइपराइटरों संबंधी ब्यौरा :
DETAILS REGARDING TYPEWRITERS

(क) टाइपराइटरों की कुल संख्या (A) TOTAL NUMBER OF TYPEWRITERS	
(ख) हिन्दी टाइपराइटरों की संख्या (B) NUMBER OF HINDI TYPEWRITERS	

3. आशुलिपिक/टाइपिस्ट
STENOGRAPHERS/TYPISTS

	आशुलिपिक STENOGRAPHERS	टाइपिस्ट TYPISTS
(क) आशुलिपिकों/टाइपिस्टों की कुल संख्या (A) TOTAL NUMBER OF STENOGRAPHERS/TYPISTS		
(ख) इनमें से हिन्दी आशुलिपि/टाइपिंग जानने वालों की संख्या (B) NUMBER OF THOSE WHO ARE TRAINED IN HINDI STENOGRAPHY/TYPING :		

4. पत्रिकाओं में हिन्दी खंण्ड की व्यवस्था
ARRANGEMENTS FOR HINDI SECTION IN MAGAZINES

(क) क्या कार्यालय द्वारा प्रकाशित पत्र-पत्रिकाओं में हिन्दी खण्ड का प्रावधान रखा गया है ?

(A) Whether provision have been made for Hindi Section in the Magazines etc. published by the Office :

(ख) यदि हां, तो पत्रिकाओं की संख्या तथा उनमें हिन्दी खण्ड के पृष्ठों का प्रतिशत।

(B) If yes, Number of magazines and percentage of pages used for Hindi Section :

5. शब्दावलियों की व्यवस्था :
ARRANGEMENTS OF GLOSSARIES

(क) क्या प्रत्येक अधिकारी को प्रशासनिक और अन्य उपयोगी मानक हिन्दी शब्दावलियां अपलब्ध कराई गई हैं

(A) Whether administrative and other useful standard Hindi glossaries have been made available to every officer :

(ख) यदि हां, तो उपलब्ध शब्दावलियों की संख्या

(B) If yes No. of Glossaries available :

6. दुभाषियों की व्यवस्था
Arrangements of Interpreters
(केवल मिशन/दूतावासों के लिए लागू
Applicable only to Missions/Embassies)

क्या कार्यालय में स्थानीय भाषा से हिन्दी में और विलोमत: निर्वचन की व्यवस्था करा ली गई है ?
Whether arrangements of Interpreters from local language to Hindi and *vice-versa* have been made :

7. राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अन्तर्गत तिमाही में जारी कागजात
PAPERS ISSUED UNDER SECTION 3(3) OF O.L. ACT IN THE QUARTER

	कुल संख्या TOTAL NOS.	हिन्दी में जारी ISSUED IN HINDI
(क) संकल्प, सामान्य आदेश, नियम, अधिसूचनाएं प्रशासनिक या अन्य प्रतिवेदन तथा प्रेस विज्ञप्तियां (A) Resolution, General Orders, Notifications Rules, Administrative and other reports & Press communiques		
(ख) संविदाएं, करार, अनुज्ञप्तियां, अनुज्ञापत्र, निविदा सूचनाएं तथा निविदा प्रारुप (B) Contracts, Agreements, Licences Permits, Tender notices & Forms of tender :		
(ग) संसद के किसी सदन या सदनों के समक्ष रखे जाने वाले प्रशासनिक तथा अन्य प्रतिवेदन और राजकीय कागजात (C) Administrative and other reports and Official documents to be laid before a House or Houses of Parliament :		

8. हिन्दी पत्राचार
CORRESPONDENCE IN HINDI

	जारी किए गए कुल पत्र Total Letters issued	हिन्दी में जारी Issued in Hindi	हिन्दी में जारी पत्र (प्रतिशत) Percentage of Letters issued in Hindi	लक्ष्य Target
(क) भारत स्थित अन्य कार्यालयों को भेजे गए पत्र (A) Letters sent to other Offices located in India				10%

(ख) कार्यालय द्वारा अन्य देशों को, जिनकी भाषा अंग्रेजी नहीं है, भेजे गए पत्र

(B) Letters sent to other Countries whose Official Language is not English

9. कार्यालय का राजभाषा के प्रगामी प्रयोग संबंधी निरीक्षण
INSPECTION OF THE OFFICE REGARDING PROGRESSIVE USE OF HINDI

(क) क्या इस तिमाही में या इससे पहले हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित निरीक्षण कभी हुआ है ?

(A) Whether any inspection of the Office, regarding progressive use of Hindi has been carried out during the quarter or before ?

(ख) यदि हां, तो क्या निरीक्षण रिपोर्ट पर अनुवर्ती कार्रवाई पूरी कर ली गई है, यदि नहीं तो कृपया स्थिति स्पष्ट करें।

(B) If yes, whether follow-up action, have been completed on the inspection report, if not please clarify the position.

हस्ताक्षर.....
SIGNATURE.....
भेजने वाले अधिकारी का नाम.....
NAME OF THE FORWARDING OFFICER.....
पदनाम.....
DESIGNATION .....
पता: .....
ADDRESS. .....

दिनांक :
DATED :

दूरभाष नं.....
TELEPHONE NO.....

राजभाषा हिन्दी में सरकारी कामकाज करने के लिए मुख्य आयकर आयुक्त, लखनऊ का विशेष निदेश

भारत सरकार

कार्यालय मुख्य आयकर आयुक्त (प्रशासन) उ.प्र. लखनऊ

सी. सं. 8/74/89-90 दिनांक 5-4-1990

कार्यालय ज्ञापन

आपको विदित होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने दिनांक 26-3-90 से अपने सरकारी कामकाज में अंग्रेजी का प्रयोग बिल्कुल बन्द कर दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक शासनादेश जारी करके अपने सभी विभागाध्यक्षों अधीनस्थ कार्यालयों एवं उपक्रमों को निदेश दिया है कि सभी सरकारी कामकाज एवं पत्राचार केवल हिन्दी में किया जाए।

राजभाषा नियम, 1976 के नियम-3 के अनुसार "क" क्षेत्र में स्थित होने के कारण उत्तर प्रदेश शासन के किसी भी कार्यालय को वैसे भी हिन्दी में ही पत्र भेजा जाना चाहिए। कृपया सुनिश्चित करें कि उत्तर प्रदेश शासन अथवा उसके किसी भी कार्यालय एवं सार्वजनिक उपक्रम जैसे—राज्य विद्युत परिषद, राजकीय निर्माण निगम, राजकीय सेतु निगम, नगर महापालिका, न्यायालय आदि को कोई भी पत्र अंग्रेजी में न भेजा जाए। इन आदेशों का कड़ाई से पालन कराया जाए।

6-4-90 (ए. सी. माथुर)
मुख्य आयुक्त (प्रशा.) उ.प्र.
लखनऊ

□

संख्या 13017/6/90-हिन्दी
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग
(बैंकिंग प्रभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 7 अगस्त, 1990

सेवा में,

1. प्रभारी अधिकारी,
राजभाषा विभाग
सरकारी क्षेत्र के सभी बैंक/वित्तीय संस्थाएं

2. उप प्रबन्धक (हिन्दी) भारतीय रिजर्व बैंक,
केन्द्रीय कार्यालय, प्रशासन विभाग, बम्बई।

विषय : सरकारी क्षेत्र के बैंकों वित्तीय संस्थाओं द्वारा सभी प्रकार के विज्ञापन, होर्डिंग सूचनापट पट्टनाम पट्ट आदि को द्विभाषिक त्रिभाषिक रूप में तैयार करने की आवश्यकता

महोदय,

मुझे आपका ध्यान उपर्युक्त विषय की ओर आकृष्ट करने और यह कहने का निदेश हुआ है कि बैंकिंग प्रभाग राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में इन मुद्दों पर कई बार विचार-विमर्श किया गया है और निर्णय भी लिये गए हैं कि सभी प्रकार के विज्ञापन, होर्डिंग, सूचना पट्ट, नामपट्ट आदि अनिवार्य रुप से द्विभाषिक रूप में तैयार किए जाएं। विशेषरूप से 46वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि "सरकारी क्षेत्र के बैंक/वित्तीय संस्थाएं इस बात की सुनिश्चित व्यवस्था करें कि सभी प्रकार के विज्ञापन जिनमें होर्डिंग भी शामिल हैं, हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दिए जाएं। "लेकिन बार-बार ऐसी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि बैंक/वित्तीय संस्थाएं इन निर्णयों/आदेशों का शतप्रतिशत अनपालन सुनिश्चित नहीं कर रहे हैं और कई बड़े-बड़े शहरों में विज्ञापन, होर्डिंग आदि केवल अंग्रेजी भाषा में जारी किए जा रहे हैं/ लगाए जा रहे हैं। इसलिए सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों/वित्तीय संस्थाओं आदि से अनुरोध है कि वे भविष्य में सभी प्रकार के विज्ञापन, होर्डिंग आदि अनिवार्य रूप से द्विभाषिक/त्रिभाषिक रूप में जारी करें/लगाएं। कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दें।

□

[विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दिनांक 5 मई 1988 के कार्यालय ज्ञापन सं. 1-2 85 (हिन्दी) के अंतर्गत सभी विश्वविद्यालयों से अनुरोध किया गया था कि हिन्दी भाषी राज्यों में स्थित विश्वविद्यालयों भारत सरकार की राजभाषा नीति को लागू करें। मगध विश्वविद्यालय ने इसका अनुपालन किया है। अन्य विश्वविद्यालय भी इसका अनुसरण करें—संपादक]

मगध विश्वविद्यालय बोध गया

अधिसूचना

हिन्दी के प्रयोग को सुनिश्चित करने के लिए मगध विश्वविद्यालय में राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन किया गया है, जिसके निम्नलिखित सदस्य मनोनीत किए गए हैं:—

1. डा. घनश्याम प्रसाद सिंह।
   अध्यक्ष, स्नातकोत्तर भौतिकी विभाग,
   मगध विश्वविद्यालय, बोध गया।
2. डा. भूपेन्द्र नाथ,
   अध्यक्ष, स्नातकोत्तर दर्शन शास्त्र विभाग, म.वि.वि., बोधगया।
3. डा. राम कृष्ण प्रसाद मिश्र,
   अध्यक्ष, स्नातकोत्तर हिन्दी विभाग, म.वि.वि., बोधगया।
4. डा. ब्रह्मेश्वर नाथ पाण्डेय,
   कुलसचिव, मगध विश्वविद्यालय, बोधगया।

डा. ब्रह्मेश्वर नाथ पाण्डेय सदस्य-सचिव होंगे।

कुलपति के आदेशानुसार।
ह./—बो. एन. पाण्डेय
कुलसचिव।

पृष्ठ 144 का शेष

लेखकों और अनुवादकों को उपर्युक्त योजना के द्वारा प्रोत्साहित करना है। इस योजना के निम्नलिखित दो भाग हैं :—

भाग-1 पुलिस से संबंधित उपर्यक्त विषयों पर हिन्दी की प्रकाशित पुस्तकों के लिए निम्नलिखित पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं :—

(1) मूल हिन्दी पुस्तकें : सातसात हजार रूपए तक के पांच पुरस्कार।

(2) अनूदित हिन्दी पुस्तकें। तीन-तीन हजार रुपए के दो पुरस्कार

भाग-2 ब्यूरो किसी एक पुलिस विषय पर पुस्तक लिखवाने के लिए प्रति वर्ष दस हजार रुपये तक का एक पुरस्कार भी प्रदान करता है।

विस्तृत जानकारी के लिए सम्पर्क करें :—

संपादक (हिन्दी) पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो,
ब्लाक-11, 3/4 तल, लोदी रोड केन्द्रीय कार्यालय परिसर,
नई दिल्ली-110003

विदेशी भाषाके साथ साथ उसको यह गौरव प्राप्त हुआ है), हर व्यक्तिका कर्तव्य है कि राष्ट्रभाषाकी उन्नति बढ़ावे और उसकी सेवा करे। जिससे कि सारे भारतमें यह बिना किसी आक्षेप या संदेहकी स्वीकृत हो। हिंदीका पट महासागरकी तरह विस्तृत होना चाहिये जिसमें मिलकर और भाषाएं अपना बहुमूल्य भाग ले सकें। राष्ट्रभाषा न तो किसी प्रान्त न किसी जातिकी है। सारे भारतकी भाषा है और उसके लिये यह आवश्यक है कि सारे भारतके लोग उसको समझ सकें और अपनानेका गौरव हासिल कर सकें। मुझे पूर्ण आशा है और मेरी यही हार्दिक इच्छा है कि आज जो सभा जमा हुई है अपने सामने यही आदर्श रखकर काम करें। इसमें सफलता प्राप्त करनेके लिये इससे अच्छा और क्या लक्षण हो सकता है कि इसके प्रधान वही हैं जिन्होंने हिंदीकी सेवामें इतना बड़ा भाग लिया है और जो स्वयं विधान सभाके अध्यक्ष हैं। मैं उनसे बढ़कर आपको इस राष्ट्र-कर्तव्यमें कौन मार्ग दर्शन दे सकता हूँ।

नई दिल्ली,
२३.१०.१९४९

वल्लभभाई पटेल

राजभाषा भारती के लिए रचना/सामग्री भेजते समय कृपया ध्यान दें ---

- राजभाषा भारती में सामान्यतः राजभाषा हिंदी से संबंधित सामग्री प्रकाशित की जाती है।
- सभी प्रकार की रचनाएं दो प्रतियों में अच्छे कागज के एक ही ओर टंकित की हुई अथवा हाथ से साफ-साफ लिखी होनी चाहिए।
- राइस पेपर पर भेजी गई टंकित सामग्री का प्रकाशन संभव नहीं होगा।
- अस्वीकृत रचनाएं वापिस लौटाने का नियम नहीं है।
- स्वीकृत रचनाएं सुविधानुसार किसी भी आगामी अंक में प्रकाशित की जा सकती हैं।
- विभिन्न बैठकों/संगोष्ठियों/कार्यशालाओं/समारोहों आदि की रिपोर्ट/आलेख एक/दो पृष्ठ से अधिक नहीं होनी, चाहिए।
- आयोजन की समाप्ति के तत्काल बाद रिपोर्ट/आलेख भेजने का कष्ट करें।
- आलेख/विवरण के साथ श्वेत-श्याम एक या दो से अधिक चित्र (फोटो) कदापि न भेजें।
- फोटोग्राफ के कैपशन (स्थान, कार्यालय, कार्यक्रम का उल्लेख तथा चित्र में दिखाई देने वाले महानुभावों के नाम आदि) अलग कागज पर लिखकर फोटो के पीछे गोंद से अवश्य लगाएं।
- चित्रों में सक्रियता की झलक होनी चाहिए।
- फोटोग्राफ वापिस लौटाने का नियम नहीं है।
- पत्र में ही समारोह के दिए गए विवरण का प्रकाशन न हो सकेगा। अतः आलेख /विवरण के साथ अग्रेषण पत्र लगाकर सामग्री भिजवाएं।

गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, भारत सरकार के लिए डॉ० गुरुदयाल बजाज द्वारा नई दिल्ली-110003 से प्रकाशित तथा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय रिंग रोड, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित। 1990